पंचदश माला, खंड 36, अंक 6

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013
21 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 36, पंद्रहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 6, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101	1–9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 120	9–201
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	201–1015
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1015–1025
लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र	1025
प्राकक्लन समिति	
27वां से 29वां प्रतिवेदन	1025
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
37वां प्रतिवेदन	1026
खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
32वां प्रतिवेदन	1026
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
39वां प्रतिवेदन	1026
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	1027
(दो) (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जेसुदास सीलम	1027–1029

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिहन इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जेसुदासु सीलम 1029-1030

अनुदानों की अनुनूरक मांगें (रेल), 2013-14 1030

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013 1030

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के विभिन्न खंडों में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी 1031-1032

(दो) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वेंगालाम से इदिमुझिकल के बीच कालीकट बाईपास के शेष भाग के निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 1032

(तीन) ई.पी.एफ. पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 1032-1033

(चार) आंध्र प्रदेश में नालगोंडा जिले के मिर्यालगुडा शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी 1033

(पांच) एक महिला की कथित जासूसी किए जाने के मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा 1033-1034

(छह) असम में पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना के तहत कछाड़ जिले से दीमा हसाऊ जिले तक सड़क के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 1034

(सात) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स जैसा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 1035

विषय कॉलम

(आठ) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं को सुलझाए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र कुमार राय 1035-1036

(नौ) ओडिशा में ककराहाड, बांसपाल, बामेबारी के रास्ते डेकानाल से जोडा तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री यशवंत लागुरी 1036

(दस) महाराष्ट्र सरकार की ई.एस.आई. योजना को राज्य कर्मचारी बीमा निगम को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे 1036

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

वित्तीय कार्य का समय से निपटान 1037

अनुदानों अनुपूरक की मांगें (सामान्य), 2013-2014

और

मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि के लिए अधिसूचना की स्वीकृति से संबंधित सांविधिक संकल्प 1038-1043

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2013

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 1044

विचार करने के लिए प्रस्ताव 1045

खंड 2, 3 और 1 1045

पारित करने के लिए प्रस्ताव 1045

अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) 2013-14 1046-1047

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2013

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 1047-1048

विचार करने के लिए प्रस्ताव 1048

खंड 2, 3 और 1 1048

पारित करने के लिए प्रस्ताव 1048

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं 1048-1050

विषय **कॉलम**

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1051-1052

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1052-1060

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1061-1062

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1061-1064

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न 101—श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0¼ बजे

इस समय, श्री पी. कुमार, श्री ए.के.एस. विजयन, श्री एस. वेणुगोपाल रेड्डी, डॉ. बलीराम, श्री अर्जुन राय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 101 — श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल विकास

\+
***101. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य :**
श्री रमेन डेका :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत लुम्डिंग-बदरपुर और रंगिया-मुरकोंगसेलेक खंडों पर आमान परिवर्तन और पासीघाट-तेजू-पारासुरम कुंड और नाहरलागुन खंडों पर नई रेल लाइन परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन/लंबित रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन स्वीकृत रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य अभी शुरू किया जाना है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रेल लाइनों हेतु चल रहे/लंबित सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी की गईं;

(घ) उनके लिए आवंटित की गई और उन पर खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और रेलवे द्वारा इस संबंध में परियोजना-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन, 2 दोहरीकरण और 1 रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, पासीघाट-तेजू परशुराम कुंड नई लाइन स्वीकृत परियोजना नहीं है। लमडिंग-बदरपुर, रंगिया-मुरकोंगसेलेक और हारमुती-नहारलगुन सहित सभी चालू परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख) दीमापुर-तिजित नई लाइन और रांगिया के रास्ते न्यू बोंगाईगांव-कामाख्या दोहरीकरण परियोजनाएं 2013-14 के रेल बजट में स्वीकृत की गई हैं परन्तु इनका निष्पादन अभी किया जाना है। योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन परियोजनाओं का निष्पादन शुरू किया जा सकता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षो के दौरान 3449 कि.मी. लंबाई की 30 नई लाइन परियोजनाओं के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। इनमें से 4 परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं और 9 प्रस्ताव सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दिए गए हैं। 4 परियोजनाएं स्थगित कर दी गई हैं और शेष सर्वेक्षण रिपोर्टें (13) जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इस समय 606 कि.मी. लंबाई के 5 सर्वेक्षण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले तीन वर्षो और चालू वर्षो के दौरान इन सर्वेक्षणों पर 443.13 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और वर्ष 2013-14 में 55.4 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ङ) 01.04.2013 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26,303 करोड़ रुपए के थ्रोफॉरवर्ड वाली 21 रेल परियोजनाएं चालू हैं जिनमें 14 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन, 3 दोहरीकरण परियोजनाएं और 1 रेल विद्युतीकरण परियोजना शामिल है, जिनके लिए वर्ष 2013-14 में 2244.55 करोड़ रुपए आवंटित हैं। ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं। संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक परियोजना की प्रगति के आधार पर प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफॉरवर्ड और संसाधनों की तंगी के कारण इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्त पोषण, विशेष परियोजना योजना के आधार पर रेल विकास निगम लिमिटेड के जरिए परियोजनाओं का निष्पादन, बाजार ऋण आदि के जरिए निधियां जुटाने जैसे गैर-बजटीय उपायों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलकदमियां शुरू की गई हैं। उपरोक्त परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा संबंधी मामलों तथा उन संबंधी क्लियरेंसों आदि के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। फील्ड इकाइयों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोचित करके सक्षम बनाया गया है तथा ठेका प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए ठेका संबंधी शर्तों में आवश्यक परिवर्तन किया गया है।

अनुबंध

क्र. सं.	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत 2013-14 (करोड़ रुपए में)	मार्च, 2013 तक संचयी व्यय (करोड़ रुपए में)	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रुपए में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नई लाइन	अगरतला-अखौरा (बंगलादेश)	15.061	252	0.01	10	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
2.	नई लाइन	अगरतला-सबरूम	110	1141.75	455.8	140	संपूर्ण खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसे दिसम्बर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों।
3.	नई लाइन	भैराबी-सारंग	51.38	2393.48	44.39	77.10	भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी क्लियरेंस शुरू कर दिया गया है। मिट्टी और सुरंग संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं।
4.	नई लाइन	डिब्रुगढ़ और नॉर्थ बैंक लाइन के बीच लिंकिंग लाइनों सहित बोगीबल पुल	73	4500	2700.64	340	चिलखोवा से मोरनहाट (44 कि.मी.) तक लिंकिंग लाइन पूरी हो गई है और इसे चालू कर दिया गया है। मुख्य पुल की उप-संरचना का कार्य पूरा होने वाला है और सुपर-संरचना के ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे दिसम्बर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों।
5.	नई लाइन	बर्नीहाट-शिलांग	108.40	4083.02	2.46	1.00	राज्य सरकार के साथी खासी छात्र संघ के विरोध के कारण परियोजना रोक दी गई। राज्य सरकार से इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए अनुरोध किया गया है।
6.	नई लाइन	दीमापुर-कोहिमा	88	850	8.9	1.00	संरेखण अनुमोदन में विलंब और भूमि की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण परियोजना को रोक दिया गया। भूमि की कीमत अब कम की गई है और राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए संरेखण के अनुसार अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कराया गया है।
7.	नई लाइन	दीमापुर-तिजित	257	4274	0	0.10	इस परियोजना को बजट 2013-14 में शामिल किया गया योजना आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन और आर्थिक मामलों संबंधी

							मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। सैद्धांतिक अनुमोदन शीघ्र देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
8.	नई लाइन	दुधनोई-मेंदीपठार	19.75	175.43	120.68	40.00	10 कि.मी. पहले ही पूरा हो गया है और शेष 10 कि.मी. को 2013-14 में पूरा करने की योजना है।
9.	नई लाइन	हारमुती-नहारलगुन	20	406.4	320.33	60.00	20 कि.मी. नई लाइन में से 2 कि.मी. शेष है, जिसे 2013-14 में पूरा करने की योजना है।
10.	नई लाइन	जीरीबाम-इम्फाल	97.90	4478.17	1319.91	453.90	जीरीबाम-तुपुल खंड में मिट्टी, पुल और सुरंग संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तुपुल-इम्फाल का अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है।
11.	नई लाइन	मुरकोंगसेलेक-पासीघाट	30.617	165.82	0.25	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
12.	नई लाइन	न्यू माल-मैनागुडी रोड और न्यू चांग्राबंधा-चांग्राबांधा के आमान परिवर्तन सहित न्यू मैनागुडी-जोगीघोपा नई लाइन (3 कि.मी.)	260	1655.81	1347.32	140.00	न्यू कूचबिहार-गोलकगंज (58 कि.मी.) पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। न्यू चांग्राबांधा-न्यू कूचबिहार (67 कि.मी.), न्यू माल-चांग्राबांध (62 कि.मी.) पूरा हो गया है। न्यू मैनागुडी-मैनागुडी रोड और जोगीघोपा-गौरीपुर-बिलासीपाड़ा खंडों पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
13.	नई लाइन	सिवोक-रांगपो	44.39	3380.58	58.63	25.00	वन विभाग का क्लियरेंस न मिलने के कारण परियोजना को रोक दिया गया। इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया गया है।
14.	नई लाइन	तेतलिया-बर्नीहाट	21.50	385.2	131.11	50.00	मिट्टी, पुल और सुरंग संबंधी कार्यों के लिए ठेका दे दिया गया है। इसे मार्च, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों।
15.	आमान परिवर्तन	कटखल-भैराबी	84	218.36	118.58	15.00	मिट्टी, पुल और सुरंग संबंधी कार्यों के लिए ठेका दे दिया गया है। इसे लमडिंग-सिलचर के आमान परिवर्तन के साथ पूरा करने की योजना है। इसे मार्च, 2015 तक पूरा करने कर लक्ष्य है बशर्ते पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों।
16.	आमान परिवर्तन	माइग्रेनडिसा-दितोकचेरा (198 कि.मी.) सहित लमडिंग-सिलचर, बदरपुर-बरईग्राम विस्तार	482.73	4255.37	3433.8	375.00	इस पूरे सरेखण में मिट्टी, पुल और सुरंग संबंधी कार्य अंतिम चरण में हैं। इसे मार्च, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों

1	2	3	4	5	6	7	8
		(44 कि.मी.) और करीमगंज पर बाईपास के साथ बरईग्राम-दुलाबचेरा का आमान परिवर्तन (29.40 कि.मी.) और करीमगंज-माईशासन (10.30 कि.मी.)					
17.	आमान परिवर्तन	शाखा लाइनों सहित न्यू जलपाईगुडी-सिलीगुडी न्यू बोंगाईगांव का आमान परिवर्तन और चालसा-नक्सलबाड़ी के लिए नया एमएम (16 कि.मी.) नई लाइन और राजाभाटखोवा-जैनती (15.13 कि.मी.) नई लाइन	433	1418.21	950.9	1.00	आमान परिवर्तन की मुख्य परियोजना पूरी हो गई है और इसे चालू कर दिया गया है। चालसा-नक्सलबाड़ी और राजभाटखावा-जैनती खंडों में कार्य प्रारंभिक चरणों में है।
18.	आमान परिवर्तन	लिंक्ड फिंगर्स सहित रांगिया-मुरकोंगसेलेक	510.33	2232.5	1718.29	425.00	रांगियां-रंगपाड़ा नॉर्थ: पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। रंगपाड़ा नॉर्थ-नॉर्थ लखीमपुर: पूरा हो गया है और इस पर इंजन चला दिया गया है। नॉर्थ लखीमपुर-मुरकोंगसेलेक: कार्य अंतिम चरण में है और इसे 2013-14 में पूरा करने की योजना है।
19.	दोहरीकरण	लमडिंग-होजाई खंड दोहरीकरण	44.92	246.07	0	2.00	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
20.	दोहरीकरण	रांगिया के रास्ते न्यू बोंगाईगांव-कामाख्या	142	1798	0	0.10	इस परियोजना को शामिल किया गया। योजना आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। सैद्धांतिक अनुमोदन शीघ्र देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
21.	रेल विद्युतीकरण	कटिहार-बारसोई सहित बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी	836	821.53	322.35	87.35	कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 2017 तक पूरा करने की योजना है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को देखा है। अपने वक्तव्य में उन्होंने उत्तर-पूर्व में शुरू की गई परियोजनाओं का उल्लेख किया है।...*(व्यवधान)* लमडिंग से बदरपुर तक की रेल परियोजना को पूरा किए जाने के बारे में हम बहुत चिंतित हैं। यह परियोजना वर्ष 1992 में शुरू की गई इसे 2010 में पूरा किया जाना था, परंतु इसे पूरा नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* तब, रेल मंत्रालय ने बताया था कि यह 2012 में पूरी होगी, परंतु इसे पूरा नहीं किया जा सका और वे चाहते थे कि इसे 2014 में नये वर्ष के उपहार के रूप में हमें दें।...*(व्यवधान)* अब रेल मंत्री अपने उत्तर में कह रहे हैं कि कोष की पर्याप्त उपलब्धता के अध्यधीन इसे मार्च, 2015 में पूरा किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* दोबारा, कोष की बाधा है। रेल मंत्री को इस सभा को यह विश्वास दिलाना होगा कि इसे मार्च, 2015 में पूरा किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

***102. श्री इज्यराज सिंह :**
श्री रमाशंकर राजभर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा धनराशि का उचित उपयोग किए जाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार सिंचाई के अंतर्गत भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु धनराशि बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) और चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा किए जाने का निर्धारित वर्ष दर्शाते हुए उनका ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) अधिकतर परियोजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के हिस्से सहित जारी की गई केन्द्रीय सहायता का पूर्णतया उपयोग किया गया था जबकि कुछ परियोजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा सीमित कार्य मौसम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनरुद्धार संबंधी समस्याओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से राज्य के हिस्से सहित जारी की गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया जा सका। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई और उपयोग की गई निधि के संबंध में बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं अनुरक्षण, राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देती है। एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियमित निगरानी की जाती है जिसके तहत परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियमित निगरानी की जाती है जिसके तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनकी प्रगति की समीक्षा की जाती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं राज्य सरकारों के ध्यान में लाई जाती हैं। जल संसाधन मंत्रालय भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करता है।

एचआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्कीम/दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा बृहत/मध्यम सिंचाई (एमएमआई), परियोजनाओं को एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने से पहले वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने की शर्त का पालन किए जाने, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भूमि का वास्तविक अधिग्रहण, राज्य के हिस्से को पहले जारी किए जाने और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) XIIवीं योजना में एआईबीपी के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए गए हैं जैसे,

(i) गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की नई परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में केन्द्रीय सहायता को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य वास्तव में जल क्षेत्र सुधार करें।

(ii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत क्षेत्रों/मरूस्थल प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना को सूखा प्रवण क्षेत्रों (डीपीएपी क्षेत्रों) को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के समान माना जायेगा और नई परियोजनायें विशेष श्रेणी राज्यों में परियोजनाओं हेतु 90% की दर से केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता 75% होगी। इससे पूर्व मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत क्षेत्रों/मरूस्थल प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनायें केवल 25% की दर से केन्द्रीय सहायता की पात्र थीं।

विवरण-I

एआईबीपी के अंतर्गत चालू बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के निर्धारित वर्ष

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पूर्ण होने का निर्धारित वर्ष वर्ष (नवीनतम एमओयू के अनुसार*)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	यर्राकलावा जलाशय	एनए
2.	एसआरएसपी का एफएफसी	2015-16
3.	एसआरएसपी चरण-II	2013-14
4.	तादीपुरी जलाशय	2013-14
5.	पुष्कारा जलाशय	2012-13
6.	रालीवागु	2012-13
7.	गोल्लावागु	2012-13
8.	मथाडीवागु	2012-13
9.	पेड्डावागु	2011-12
10.	गुंडलकडम्मा	2013-14
11.	जे. चोक्का राव एलआईएस	2013-14
12.	निलवाई	2013-14
13.	श्री कोमा राम भीम	2013-14
14.	थोटापल्ली बैराज	2013-14
15.	ताराकरमा तीर्थ सागरम	2013-14
16.	पालेमवागु	2013-14
17.	मुसुरूमिल्ली	2012-13
18.	राजीव भीमा एलआईएस	2012-13
19.	इंदिरा सागर (पोलावरम)	2014-15
	असम	
1.	धनसिरी	2012-13
2.	चंपामती	2012-13
3.	बोरोलिया	2012-13
4.	बूढ़ी दिहांग	2012-13
	बिहार	
1.	पश्चिमी कोसी	2013-14
2.	दुर्गावती	2013-14
3.	बाणसागर	2011-12
4.	बताने	2013-14
5.	पुनपुन	2012-13
	छत्तीसगढ़	
1.	कोसारटेडा	2010-11
2.	केलो परियोजना	2013-14

1	2	3
3.	खरुंग (ईआरएम)	2013-14
4.	सूतियापट	2013-14
5.	मनियारी टैंक (ईआरएम)	2014-15
	गोवा	
1.	तिल्लारी	2012-13
	गुजरात	
1.	सरदार सरोवर	2015-16
	हिमाचल प्रदेश	
1.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	2011-12
2.	सिधाता	2011-12
3.	बल्ह घाटी (बांया शाखा)	2011-12
	जम्मू और कश्मीर	
1.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	2012-13
2.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	2010-11
3.	राजपोरा लिफ्ट	2012-13
4.	त्राल लिफ्ट	2012-13
5.	दादी नहर का आधुनिकीकरण	2011-12
6.	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	2010-11
7.	प्राक्षिक खोवास नहर	2013-14
8.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	2011-12
9.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण	2013-14
	झारखंड	
1.	गुमानी	2012-13
2.	सोनुआ	2012-13
3.	सुरंगी	2012-13
4.	ऊपरी शंख	2012-13
5.	पंचखेरी	2012-13
6.	सुबर्णरिखा बहुउद्देशीय	2014-15
	कर्नाटक	
1.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	2017-18
2.	मालाप्रभा	2012-13
3.	करंजा	2012-13
4.	ऊपरी कृष्णा चरण-II	2010-11
5.	वराही	2013-14
6.	दुधगंगा	2015-16
7.	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	2012-13
8.	हिप्पारगी एलआईएस	2013-14
9.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार	2012-13
10.	भीमा एलआईएस	2013-14
11.	गुड्डाडा मालापुरा लिफ्ट	2012-13
	केरल	
1.	मुवाटुपुझा	2012-13
2.	कारापुझा	2012-13
3.	काञ्जीरापुझा	2012-13
4.	चित्तूरपुझा	2012-13
	मध्य प्रदेश	
1.	इंदिरा सागर यूनिट-I	2014-15
	इंदिरा सागर यूनिट-II (सीसीए)	2014-15
	बाणसागर यूनिट-II (सीसीए)	2013-14
2.	सिंध फेज-II	2014-15

1	2	3
3.	माही	2013-14
4.	बरियारपुर एलबीसी	2013-14
5.	बावनथाड़ी	2013-14
6.	महान	2013-14
7.	ओमकारेश्वर फेज-I (सीसीए)	2014-15
8.	बारगी डायवर्जन फेज-I	2012-13
	बारगी डायवर्जन फेज-II	2012-13
	बारगी डायवर्जन फेज-III	2016-17
9.	पेंच डायर्वजन-I	2011-12
	ओमकारेश्वर फेज-II	2014-15
	ओमकारेश्वर फेज-III	2014-15
	इंदिरा सागर नहर फेज-III	2014-15
10.	ऊपरी बेदा	2011-12
11.	पुनासा एलआईएस	2013-14
12.	निचली गोई	2014-15
	इंदिरा सागर यूनिट-IV	2014-15
	बारगी डायवर्जन फेज-IV	2016-17
13.	जोबट	2013-14
14.	सागर (सागड)	2013-14
15.	सिंहपुर	2014-15
16.	संजय सागर (बह)	2013-14
	महाराष्ट्र	
1.	गोसीखुर्द	2013-14
2.	वाघुर	2014-15
3.	ऊपरी मनार (डब्ल्यू)	2012-13
4.	ऊपरी पेनगंगा	2014-15
	बावनथाडी	2013-14

1	2	3
5.	निचली दुधना (डब्ल्यू)	2014-15
	तिल्लारी (महाराष्ट्र का हिस्सा) (डब्ल्यू)	2012-13
6.	वर्ना	2015-16
7.	पुनाद	2012-13
8.	निचली वर्धा (डब्ल्यू)	2014-15
9.	खड़कपूर्णा (डब्ल्यू)	2012-13
10.	डोंगरगांव	2012-13
11.	गुल	2011-12
12.	बेम्बला	2013-14
13.	उत्तरमांड	2013-14
14.	संगोला शाखा नहर	2014-15
15.	तराली	2014-15
16.	धोम बालकवाडी	2014-15
17.	मोरना (गुरेघर)	2013-14
18.	अर्जुन	2013-14
19.	निचली पेधी	2014-15
20.	ऊपरी कुंडलिका	2014-15
21.	वांग परियोजना	2013-14
22.	निचली पंजारा	2013-14
23.	अरूणा	2013-14
24.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	2014-15
25.	नरादवे (महम्माडवाडी)	2013-14
26.	गडनदी	2014-15
27.	कुदाली	2013-14
	नंदूर मधमेश्वर फेज-II	2014-15
	मणिपुर	
1.	खुगा	2012-13

1	2	3
2.	थोबल	2014-15
3.	दोलईथाबी	2013-14
	ओडिशा	
1.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	2012-13
2.	सुबर्णरेखा	2016-17
3.	रेंगाली	2013-14
4.	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	2013-14
5.	निचली इंद्रा (केबीके)	2013-14
6.	निचली सुकतेल (केबीके)	2016-17
7.	तेलनगिरी (केबीके)	2014-15
8.	रेत सिंचाई (केबीके)	2014-15
9.	कानपुर	2014-15
10.	छेल्लीगाडा बांध	2016-17
11.	रूकुरा-जनजातीय	2013-14
	पंजाब	
1.	शाहपुर कांडी (एनपी)	2014-15
2.	कांडी नहर विस्तार (फेज-II)	2013-14
3.	पहली पटियाला सहायक और कोटला शाखा परियोजना का पुनरुद्धार	2013-14
4.	राजस्थान फीडर नहर एवं	2013-14
	सरहिन्द फीडर नहर का सरेखण [आरडी 179000 से आरडी 496000]	2012-13
	राजस्थान	
1.	आईजीएनपी चरण-II	2013-14
2.	नर्मदा नहर	2014-15

1	2	3
3.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	2015-16
1.	गुमती	2012-13
2.	मनु	2013-14
3.	खोवई	2011-12
	उत्तर प्रदेश	
1.	सरयू नहर	2014-15
2.	बाणसागर नहर	2012-13
3.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	2011-12
4.	हरदोई शाखा प्रणाली के सिंचाई क्षमता का सुधार	2011-12
5.	मध्य गंगा नहर फेज-II	2014-15
6.	कचनोदा बांध	2012-13
7.	अर्जुन सहायक	2012-13
8.	शारदा सहायक की भंडारण क्षमता	2012-13
	पश्चिम बंगाल	
1.	तीस्ता बैराज	2014-15
2.	तटको	2012-13
3.	पतलोई	2012-13
4.	सुबर्णरेखा बैराज	2015-16

*एमओयू-समझौता ज्ञापन

विवरण-II

एआईबीपी के अंतर्गत चालू एमआई स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा और उनके पूरा होने का वर्ष

क्र. सं.	राज्य	चालू एमआई स्कीमों की संख्या	पूर्ण होने का निर्धारित वर्ष
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	92	31.3.2014

1	2	3	4
2.	असम	683	31.3.2014
3.	मेघालय	94	31.3.2014
4.	नागालैंड	120	31.3.2014
5.	सिक्किम	80	31.3.2014
6.	त्रिपुरा	45	31.3.2014
7.	हिमाचल प्रदेश	95	31.3.2014
8.	जम्मू और कश्मीर	239	31.3.2014
9.	ओडिशा (केबीके)	35	31.3.2014
10.	उत्तराखंड	229	31.3.2014
11.	आंध्र प्रदेश	49	31.3.2014
12.	छत्तीसगढ़	6	31.3.2014
13.	मध्य प्रदेश	148	31.3.2014
14.	महाराष्ट्र	86	31.3.2014
15.	बिहार	161	31.3.2014
16.	राजस्थान	6	निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं।
17.	कर्नाटक	178	31.3.2014
18.	झारखंड	315	31.3.2014
	कुल	2716	

विवरण-III

एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2010-11 की बृहत, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय सहायता और उन पर हुआ खर्च (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	2010-11		
			जारी केन्द्रीय सहायता	अपेक्षित व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	जे. चोक्का एवं एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	1258.61
2.	मुसुरूमिल्ली	मध्यम	22.79	39.64	30.61
	कुल		22.79	39.64	1289.22
	असम				
3.	धनसिरी	बृहत	49.50	55.00	6.11
4.	चंपामती	बृहत	0.00	0.00	1.00
5.	बोरोलिया	मध्यम	0.00	0.00	2.58
	कुल		49.50	55.00	9.68

1	2	3	4	5	6
	बिहार				
6.	पश्चिमी कोसी	बृहत	23.40	26.00	50.67
	कुल		23.40	26.00	50.67
	छत्तीसगढ़				
7.	कोसारटेडा	मध्यम	18.69	20.77	17.53
8.	केलो परियोजना	बृहत	13.50	54.00	83.45
9.	खरुंग	बृहत/ईआरएम	4.50	18.00	10.89
10.	सुतियापट	मध्यम	6.32	7.02	7.10
11.	मनियारी टैंक (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
	कुल		43.01	99.79	118.97
	गोवा				
12.	तिल्लारी	बृहत	20.00	80.00	91.62
	कुल		20.00	80.00	91.62
	गुजरात				
13.	सरदार सरोवर	बृहत	361.42	882.57	747.08
	कुल		361.42	882.57	747.08
	हिमाचल प्रदेश				
14.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	बृहत	0.00	0.00	20.03
15.	सिधाता	मध्यम	0.00	0.00	7.00
16.	बल्ह घाटी (बांया शाखा)	मध्यम	5.45	6.06	22.98
	कुल		5.45	6.06	50.01
	जम्मू और कश्मीर				
17.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	24.98	27.75	28.06
18.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	4.68	5.20	10.31
19.	राजपोरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	0.90

1	2	3	4	5	6
20.	त्राल लिफ्ट	मध्यम	6.30	7.00	0.80
21.	दादी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	0.26
22.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	4.55
23.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण		0.00	0.00	1.10
	कुल		35.96	39.95	45.97
	झारखंड				
24.	ऊपरी शंख	मध्यम	11.24	12.49	5.95
25.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	बृहत	0.00	0.00	0.00
	कुल		11.24	12.49	5.95
	कर्नाटक				
26.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	बृहत	0.00	0.00	91.05
27.	मालाप्रभा	बृहत	0.00	0.00	95.12
28.	ऊपरी कृष्ण चरण-II	बृहत	150.18	166.87	114.85
29.	वराही	बृहत	0.00	0.00	42.28
30.	दुधगंगा	बृहत	3.68	4.09	6.89
31.	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिक नहर प्रणाली (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	143.50
32.	हिप्पारगी एलआईएस	बृहत	281.20	329.08	348.29
33.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार		0.00	0.00	0.00
34.	भीमा एलआईएस	बृहत	52.62	58.47	38.37
35.	गुड्डाडा मालापुरा लिफ्ट	मध्यम	24.84	27.60	30.41
	कुल		512.52	586.10	910.75
	केरल				
36.	काञ्जीरापुझा		4.17	16.66	12.21
37.	चित्तुरपुझा	बृहत/ईआरएम	5.85	23.41	4.98
	कुल		10.02	40.07	17.19

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश				
38.	इंदिरा सागर यूनिट-II		95.47	106.08	97.40
39.	बाणसागर यूनिट-II		54.02	137.44	230.35
40.	सिंध फेज-II	बृहत	22.95	91.82	101.01
41.	माही	बृहत	87.63	101.77	67.39
42.	बरियारपुर एलबीसी	बृहत	0.00	0.00	47.07
43.	बावनथाडी	बृहत	20.62	82.46	25.03
44.	महान	बृहत	0.00	0.00	63.71
45.	ओमकारेश्वर फेज-I	बृहत	0.00	0.00	18.10
46.	ओमकारेश्वर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	31.92
47.	ओमकारेश्वर फेज-III	बृहत	0.00	0.00	117.65
48.	ऊपरी बेदा	बृहत	24.81	27.57	19.83
49.	पुनासा लिफ्ट	बृहत	105.03	116.70	84.32
50.	निचली गोई	बृहत	22.81	25.34	52.03
51.	इंदिरा सागर यूनिट-IV	बृहत	16.20	18.00	14.69
52.	जोबट	मध्यम	6.66	7.40	7.31
53.	सागर (सागड)	मध्यम	0.00	0.00	
54.	सिंहपुर	मध्यम	0.00	0.00	
55.	संजय सागर (बह)	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		456.19	714.58	977.81
	महाराष्ट्र				
56.	गोसीखुर्द (एनपी)	बृहत	1412.94	1569.93	894.08
57.	वाघुर	बृहत	0.00	0.00	19.84
58.	ऊपरी मनार	मध्यम	11.25	45.00	43.01
59.	ऊपरी पेनगंगा	बृहत	43.69	98.80	98.20
60.	बावनथाडी (आईएस)	बृहत	20.25	81.00	59.23

1	2	3	4	5	6
61.	निचली दुधना	बृहत	27.00	108.00	121.78
62.	तिल्लारी	बृहत	0.00	0.00	43.48
63.	पुनाद	बृहत	0.00	0.00	27.32
64.	निचली वर्धा	बृहत	0.00	0.00	110.07
65.	खड़कपूर्णा	बृहत	0.00	0.00	66.57
66.	बेम्बला	बृहत	0.00	0.00	121.55
67.	उत्तरमांड	मध्यम	2.48	9.90	5.40
68.	संगोला शाखा नहर	बृहत	0.00	0.00	53.53
69.	तराली	बृहत	49.95	76.49	111.38
70.	धोम बालकवाडी	बृहत	20.02	44.99	52.83
71.	अर्जुन	मध्यम	13.50	54.00	59.99
72.	निचली पेधी	बृहत	29.91	33.23	53.96
73.	ऊपरी कुंडालिका	मध्यम	0.00	0.00	4.22
74.	निचली पंजारा	मध्यम	28.35	31.50	34.37
75.	अरूणा	मध्यम	12.38	49.50	49.50
76.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	बृहत	115.78	129.16	153.60
77.	नरादवे (महम्माडवाडी)	मध्यम	12.38	49.50	49.50
78.	गडनदी	मध्यम	9.00	36.00	36.00
79.	कुदाली	मध्यम	4.05	16.20	18.00
80.	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	31.50
	कुल		1812.91	2433.21	2318.92
	मणिपुर				
81.	खुगा	बृहत	23.21	25.79	31.33
82.	थोबल	बृहत	132.34	147.04	95.89
83.	दोलाईथाबी बैराज	मध्यम	53.95	59.94	49.90
	कुल		209.50	232.77	177.12

1	2	3	4	5	6
	ओडिशा				
84.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)		56.22	62.46	40.04
85.	सुबर्णरेखा		240.91	296.98	311.97
86.	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	104.16
87.	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	103.04	114.49	118.16
88.	तेलनगिरी (केबीके)	बृहत	32.16	35.73	37.43
89.	कानुपुर	बृहत	116.23	129.14	132.26
90.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	15.27	16.97	18.84
	कुल		563.83	655.78	762.85
	पंजाब				
91.	शाहपुर कांडी (एनपी)	बृहत	15.24	16.93	40.98
92.	कांडी नहर विस्तार (फेज-III)	बृहत/ईआरएम	14.54	58.16	24.20
93.	पहली पटियाला सहायक और कोटला शाखा परियोजना का पुनरुद्धार	बृहत/ईआरएम	4.86	19.44	28.57
94.	राजस्थान फीडर नहर एवं		105.84	117.60	0.00
	सरहिन्द फीडर नहर का सरेखण [आरडी 179000 से आरडी 496000]	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		140.48	212.13	93.75
	राजस्थान				
95.	नर्मदा नहर	बृहत	41.92	46.58	100.28
96.	गंगा नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	5.84
	कुल		41.92	46.58	106.12
	त्रिपुरा				
97.	मनु	मध्यम	26.09	28.99	0.75
98.	गुमती	मध्यम	18.10	20.11	0.00
99.	खोवई	मध्यम	3.81	4.23	4.95
	कुल		48.00	53.33	5.70

1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
100.	सरयू नहर (एनपी)	बृहत	10.02	40.08	143.54
101.	बाणसागर नहर	बृहत	134.83	374.52	110.40
102.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	25.25	76.53	67.89
103.	मध्य गंगा नहर फेज-II	बृहत	53.46	213.84	233.84
104.	कचनोदा बांध	बृहत	31.05	124.20	124.20
105.	अर्जुन सहायक	बृहत	178.13	197.92	188.10
106.	शारदा सहायक की भंडारण खमता	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	75.10
	कुल		432.74	1027.08	943.07
	पश्चिम बंगाल				
107.	तीस्ता बैराज	बृहत	81.00	324.00	0.00
108.	तटको	मध्यम	0.00	0.00	0.32
109.	पतलोई	मध्यम	0.00	0.00	0.35
	कुल		81.00	324.00	0.67

एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2011-12 की बृहत, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय सहायता और उन पर हुआ खर्च (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	2011-12		
			जारी केन्द्रीय सहायता	अपेक्षित व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	जे. चोक्का एवं एलआईएस	बृहत	256.13	1024.52	900.86
2.	मुसुरूमिल्ली	मध्यम	0.00	0.00	13.36
	कुल		256.13	1024.52	914.22
	असम				
3.	धनसिरी	बृहत	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
4.	चंपामती	बृहत	40.50	45.00	
5.	बोरोलिया	मध्यम	6.46	7.18	
	कुल		46.96	52.18	0.00
	बिहार				
6.	पश्चिमी कोसी	बृहत	0.00	0.00	89.96
	कुल		0.00	0.00	89.96
	छत्तीसगढ़				
7.	कोसारटेडा	मध्यम	0.00	0.00	9.42
8.	केलो परियोजना	बृहत	0.00	0.00	84.82
9.	खरुंग	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	9.98
10.	सुतियापट	मध्यम	0.00	0.00	7.39
11.	मनियारी टैंक (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	22.25	35.89	14.44
	कुल		22.25	35.89	126.05
	गोवा				
12.	तिल्लारी	बृहत	20.25	81.00	62.68
	कुल		20.25	81.00	62.68
	गुजरात				
13.	सरदार सरोवर	बृहत	0.00	0.00	1727.36
	कुल		0.00	0.00	1727.36
	हिमाचल प्रदेश				
14.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	बृहत	54.27	60.30	67.31
15.	सिधाता	मध्यम	14.55	16.17	19.07
16.	बल्ह घाटी (बांया शाखा)	मध्यम	13.77	15.30	21.94
	कुल		82.59	91.77	108.32
	जम्मू और कश्मीर				
17.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	24.47	27.19	22.30

1	2	3	4	5	6
18.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
19.	राजपोरा लिफ्ट	मध्यम	7.45	8.28	4.50
20.	त्राल लिफ्ट	मध्यम	12.52	13.91	10.68
21.	दादी नहर का आधुनिकीकरण		2.69	2.99	
22.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण		5.61	6.23	
23.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण		8.91	9.90	6.71
	कुल		61.65	68.50	44.18
	झारखंड				
24.	ऊपरी शंख	मध्यम	0.00	0.00	3.05
25.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	बृहत	335.54	432.12	174.72
	कुल		335.54	432.12	177.77
	कर्नाटक				
26.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	बृहत	134.51	149.45	38.65
27.	मालाप्रभा	बृहत	90.72	100.80	71.22
28.	ऊपरी कृष्ण चरण-II	बृहत	0.00	0.00	129.90
29.	वराही	बृहत	0.00	0.00	18.90
30.	दुधगंगा	बृहत	0.00	0.00	7.55
31.	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिक नहर प्रणाली (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	00.00	0.00	198.99
32.	हिप्पारगी एलआईएस	बृहत	129.03	151.00	244.73
33.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार		52.64	58.49	
34.	भीमा एलआईएस	बृहत	45.34	50.38	52.80
35.	गुड्डाडा मालापुरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	25.43
	कुल		452.24	510.12	788.17
	केरल				
36.	काञ्जीरापुझा		0.00	0.00	11.14

1	2	3	4	5	6
37.	चित्तुरपुझा	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	21.21
	कुल		0.00	0.00	32.35
	मध्य प्रदेश				
38.	इंदिरा सागर यूनिट-II		0.00	0.00	91.81
39.	बाणसागर यूनिट-II		40.52	103.10	137.13
40.	सिंध फेज-II	बृहत	19.01	76.04	87.52
41.	माही	बृहत	39.39	45.75	59.50
42.	बरियारपुर एलबीसी	बृहत	0.00	0.00	69.33
43.	बावनथाडी	बृहत	6.05	24.21	24.99
44.	महान	बृहत	0.00	0.00	73.30
45.	ओमकारेश्वर फेज-I	बृहत	12.40	13.78	14.78
46.	ओमकारेश्वर फेज-II	बृहत	46.14	54.00	26.04
47.	ओमकारेश्वर फेज-III	बृहत	0.00	0.00	94.75
48.	ऊपरी बेदा	बृहत	0.00	0.00	13.47
49.	पुनासा लिफ्ट	बृहत	0.00	0.00	47.38
50.	निचली गोई	बृहत	55.19	61.32	67.17
51.	इंदिरा सागर यूनिट-IV	बृहत	0.00	0.00	62.61
52.	जोबट	मध्यम	0.00	0.00	19.29
53.	सागर (सागड)	मध्यम	14.75	59.00	80.18
54.	सिंहपुर	मध्यम	15.75	63.00	39.26
55.	संजय सागर (बह)	मध्यम	12.98	51.90	57.43
	कुल		262.18	552.10	1065.94
	महाराष्ट्र				
56.	गोसीखुर्द (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	942.69
57.	वाघुर	बृहत	61.61	76.62	55.06
58.	ऊपरी मनार	मध्यम	9.00	36.00	42.52
59.	ऊपरी पेनगंगा	बृहत	66.51	150.41	108.75

1	2	3	4	5	6
60.	बावनथाडी (आईएस)	बृहत	10.43	41.72	50.48
61.	निचली दुधना	बृहत	24.08	96.32	101.43
62.	तिल्लारी	बृहत	16.55	66.21	29.38
63.	पुनाद	बृहत	42.50	47.22	11.87
64.	निचली वर्धा	बृहत	55.13	220.51	261.48
65.	खड़कपूर्णा	बृहत	136.36	162.64	130.18
66.	बेम्बला	बृहत	148.80	185.96	164.42
67.	उत्तरमांड	मध्यम	0.00	0.00	8.25
68.	संगोला शाखा नहर	बृहत	60.39	67.10	39.67
69.	तराली	बृहत	40.26	61.65	64.77
70.	धोम बालकवाडी	बृहत	32.62	73.30	73.31
71.	अर्जुन	मध्यम	12.50	50.00	47.62
72.	निचली पेधी	बृहत	60.09	66.77	75.16
73.	ऊपरी कुंडालिका	मध्यम	54.91	61.01	61.01
74.	निचली पंजारा	मध्यम	38.77	43.08	33.23
75.	अरूणा	मध्यम	11.36	45.45	45.45
76.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	बृहत	120.06	133.94	163.68
77.	नरादवे (महम्माडवाडी)	मध्यम	11.14	44.55	44.55
78.	गडनदी	मध्यम	11.25	45.00	50.62
79.	कुदाली	मध्यम	3.67	14.68	14.68
80.	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	बृहत	94.69	105.21	52.54
	कुल		1122.68	1895.35	2672.79
	मणिपुर				
81.	खुगा	बृहत	0.00	0.00	5.75
82.	थोबल	बृहत	0.00	0.00	70.92
83.	दोलाईथाबी बैराज	मध्यम	0.00	0.00	30.41
	कुल		0.00	0.00	107.08

1	2	3	4	5	6
	ओडिशा				
84.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	बृहत	73.95	82.17	71.25
85.	सुबर्णरेखा	बृहत	227.61	280.58	308.82
86.	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	बृहत/ईआरएम	26.42	105.67	77.54
87.	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	100.55	111.72	75.65
88.	तेलनगिरी (केबीके)	बृहत	37.00	41.12	34.89
89.	कानुपुर	बृहत	117.01	130.02	116.25
90.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	32.40	36.00	8.76
	कुल		614.95	787.28	693.37
	पंजाब				
91.	शाहपुर कांडी (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	
92.	कांडी नहर विस्तार (फेज-III)	बृहत/ईआरएम	43.63	174.52	38.57
93.	पहली पटियाला सहायक और कोटला शाखा परियोजना का पुनरुद्धार	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	3.05
94.	राजस्थान फीडर नहर एवं		0.00	0.00	0.00
	सरहिन्द फीडर नहर का संरेखण [आरडी 179000 से आरडी 496000]	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		43.63	174.52	41.62
	राजस्थान				
95.	नर्मदा नहर	बृहत	0.00	0.00	106.59
96.	गंगा नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	3.38	13.50	15.50
	कुल		3.38	13.50	122.09
	त्रिपुरा				
97.	मनु	मध्यम	0.00	0.00	5.40
98.	गुमती	मध्यम	0.00	0.00	9.07
99.	खोवई	मध्यम	0.00	0.00	4.30
	कुल		0.00	0.00	18.77

1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
100.	सरयू नहर (एनपी)	बृहत	70.88	283.50	85.39
101.	बाणसागर नहर	बृहत	0.00	0.00	275.00
102.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	23.66
103.	मध्य गंगा नहर फेज-II	बृहत	61.88	247.50	247.50
104.	कचनोदा बांध	बृहत	23.63	94.50	94.50
105.	अर्जुन सहायक	बृहत	105.47	117.19	132.07
106.	शारदा सहायक की भंडारण खमता	बृहत/ईआरएम	18.00	72.00	20.00
	कुल		279.84		878.12
	पश्चिम बंगाल				
107.	तीस्ता बैराज	मध्यम	97.20	388.80	
108.	तटको	मध्यम	3.73	4.14	1.08
109.	पतलोई	मध्यम	1.62	1.80	1.38
	कुल		102.55	394.74	2.46

एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2012-13 की बृहत, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय सहायता और उन पर हुआ खर्च (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	2012-13		
			जारी केन्द्रीय सहायता	अपेक्षित व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	जे. चोक्का एवं एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	529.69
2.	मुसुरूमिल्ली	मध्यम	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	529.69
	असम				
3.	धनसिरी	बृहत	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
4.	चंपामती	बृहत	0.00	0.00	45.00
5.	बोरोलिया	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	45.00
	बिहार				
6.	पश्चिमी कोसी	बृहत	0.00	0.00	54.22
	कुल		0.00	0.00	54.22
	छत्तीसगढ़				
7.	कोसारटेडा	मध्यम	0.00	0.00	0.45
8.	केलो परियोजना	बृहत	0.00	0.00	73.39
9.	खरुंग	बृहत/ईआरएम	3.38	13.50	11.33
10.	सुतियापट	मध्यम	12.15	13.50	21.77
11.	मनियारी टैंक (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	24.02
	कुल		15.53	24.00	130.96
	गोवा				
12.	तिल्लारी	बृहत	8.00	32.00	48.94
	कुल		8.00	32.00	48.94
	गुजरात				
13.	सरदार सरोवर	बृहत	1285.93	3140.18	2251.50
	कुल		1285.93	3140.18	2251.50
	हिमाचल प्रदेश				
14.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	बृहत	0.00	0.00	0.05
15.	सिधाता	मध्यम	0.00	0.00	0.02
16.	बल्ह घाटी (बांया शाखा)	मध्यम	0.00	0.00	0.03
	कुल		0.00	0.00	0.10
	जम्मू और कश्मीर				
17.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	3.17

1	2	3	4	5	6
18.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
19.	राजपोरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	3.78
20.	त्राल लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	9.54
21.	दादी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	
22.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	
23.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण		12.71	14.12	14.29
	कुल		12.71	14.12	30.77
	झारखंड				
24.	ऊपरी शंख	मध्यम	0.00	0.00	1.67
25.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	बृहत	515.72	664.16	345.80
	कुल		515.72	664.16	347.47
	कर्नाटक				
26.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	बृहत	0.00	0.00	0.00
27.	मालाप्रभा	बृहत	98.29	109.21	80.35
28.	ऊपरी कृष्ण चरण-II	बृहत	0.00	0.00	0.00
29.	वराही	बृहत	11.59	46.36	66.59
30.	दुधगंगा	बृहत	0.00	0.00	9.22
31.	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिक नहर प्रणाली (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	2.89	10.27	30.08
32.	हिप्पारगी एलआईएस	बृहत	94.59	110.70	200.47
33.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार		0.00	0.00	
34.	भीमा एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	85.88
35.	गुड्डाडा मालापुरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	5.86
	कुल		207.36	276.53	458.45
	केरल				
36.	काञ्जीरापुझा		0.00	0.00	1.62

1	2	3	4	5	6
37.	चित्तुरपुझा	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	8.37
	कुल		0.00	0.00	9.99
	मध्य प्रदेश				
38.	इंदिरा सागर यूनिट-II		57.23	63.59	51.67
39.	बाणसागर यूनिट-II		81.86	208.29	210.78
40.	सिंध फेज-II	बृहत	39.15	156.60	117.47
41.	माही	बृहत	31.00	36.00	
42.	बरियारपुर एलबीसी	बृहत	8.26	33.02	41.00
43.	बावनथाडी	बृहत	2.97	11.88	
44.	महान	बृहत	107.65	119.61	79.96
45.	ओमकारेश्वर फेज-I	बृहत	0.00	0.00	11.82
46.	ओमकारेश्वर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	19.69
47.	ओमकारेश्वर फेज-III	बृहत	47.79	53.10	62.30
48.	ऊपरी बेदा	बृहत	0.00	0.00	5.70
49.	पुनासा लिफ्ट	बृहत	0.75	0.84	18.85
50.	निचली गोई	बृहत	44.42	49.36	54.67
51.	इंदिरा सागर यूनिट-IV	बृहत	40.99	45.55	29.46
52.	जोबट	मध्यम	10.00	11.11	12.51
53.	सागर (सागड)	मध्यम	9.00	36.00	53.72
54.	सिंहपुर	मध्यम	0.00	0.00	23.70
55.	संजय सागर (बह)	मध्यम	10.44	41.76	28.81
	कुल		491.51	866.71	882.11
	महाराष्ट्र				
56.	गोसीखुर्द (एनपी)	बृहत	405.00	450.00	551.64
57.	वाघुर	बृहत	76.24	94.81	35.49
58.	ऊपरी मनार	मध्यम	16.65	66.60	51.94
59.	ऊपरी पेनगंगा	बृहत	41.79	94.50	151.49

1	2	3	4	5	6
60.	बावनथाडी (आईएस)	बृहत	3.83	15.30	34.94
61.	निचली दुधना	बृहत	22.65	90.61	119.36
62.	तिल्लारी	बृहत	0.00	0.00	27.21
63.	पुनाद	बृहत	0.00	0.00	8.56
64.	निचली वर्धा	बृहत	0.00	0.00	108.96
65.	खड़कपूर्णा	बृहत	40.14	47.88	63.59
66.	बेम्बला	बृहत	0.00	0.00	107.64
67.	उत्तरमांड	मध्यम	0.00	0.00	0.07
68.	संगोला शाखा नहर	बृहत	0.00	0.00	22.29
69.	तराली	बृहत	39.29	60.17	22.46
70.	धोम बालकवाडी	बृहत	24.03	54.00	76.67
71.	अर्जुन	मध्यम	12.86	51.30	
72.	निचली पेधी	बृहत	0.00	0.00	
73.	ऊपरी कुंडालिका	मध्यम	12.39	13.77	28.88
74.	निचली पंजारा	मध्यम	0.00	0.00	38.60
75.	अरूणा	मध्यम	14.18	56.72	56.72
76.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	बृहत	77.18	86.10	28.85
77.	नरादवे (महम्माडवाडी)	मध्यम	7.41	29.65	15.54
78.	गडनदी	मध्यम	0.00	0.00	62.35
79.	कुदाली	मध्यम	0.00	0.00	15.67
80.	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	बृहत	46.57	51.74	52.67
	कुल		840.18	1263.16	1778.94
	मणिपुर				
81.	खुगा	बृहत	30.60	34.00	38.61
82.	थोबल	बृहत	250.00	277.78	294.42
83.	दोलाईथाबी बैराज	मध्यम	94.40	104.89	108.14
	कुल		375.00	416.67	441.17

1	2	3	4	5	6
	ओडिशा				
84.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	30.03
85.	सुबर्णरिखा	बृहत	0.00	0.00	
86.	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	बृहत/ईआरएम	14.82	59.27	14.81
87.	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	32.29
88.	तेलनगिरी (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	5.60
89.	कानुपुर	बृहत	0.00	0.00	12.40
90.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	0.00	0.00	9.00
	कुल		14.82	59.27	104.13
	पंजाब				
91.	शाहपुर कांडी (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	
92.	कांडी नहर विस्तार (फेज-III)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
93.	पहली पटियाला सहायक और कोटला शाखा परियोजना का पुनरुद्धार	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
94.	राजस्थान फीडर नहर एवं		0.00	0.00	0.00
	सरहिन्द फीडर नहर का सँरेखण [आरडी 179000 से आरडी 496000]	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	राजस्थान				
95.	नर्मदा नहर	बृहत	0.00	0.00	124.11
96.	गंगा नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	7.77
	कुल		0.00	0.00	131.88
	त्रिपुरा				
97.	मनु	मध्यम	0.00	0.00	
98.	गुमती	मध्यम	0.00	0.00	
99.	खोवई	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
100.	सरयू नहर (एनपी)	बृहत	67.98	271.92	224.39
101.	बाणसागर नहर	बृहत	76.66	212.94	137.42
102.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	13.27
103.	मध्य गंगा नहर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	90.00
104.	कचनोदा बांध	बृहत	0.00	0.00	73.87
105.	अर्जुन सहायक	बृहत	0.00	0.00	25.00
106.	शारदा सहायक की भंडारण खमता	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	75.00
	कुल		144.64		638.95
	पश्चिम बंगाल				
107.	तीस्ता बैराज	बृहत	0.00	0.00	
108.	तटको	मध्यम	0.00	0.00	0.76
109.	पतलोई	मध्यम	0.00	0.00	0.50
	कुल		0.00	0.00	1.25

एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2012-13 की बृहत, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय सहायता और उन पर हुआ खर्च (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	2012-13		
			जारी केन्द्रीय सहायता	अपेक्षित व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	जे. चोक्का एवं एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	
2.	मुसुरूमिल्ली	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	असम		0.00		
3.	धनसिरी	बृहत	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
4.	चंपामती	बृहत	0.00	0.00	
5.	बोरोलिया	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	बिहार				
6.	पश्चिमी कोसी	बृहत	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़		0.00		
7.	कोसारटेडा	मध्यम	0.00	0.00	
8.	केलो परियोजना	बृहत	0.00	0.00	
9.	खरुंग	बृहत/ईआरएम	2.59	10.38	
10.	सुतियापट	मध्यम	0.00	0.00	
11.	मनियारी टैंक (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		2.59	10.38	0.00
	गोवा				
12.	तिल्लारी	बृहत	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	गुजरात				
13.	सरदार सरोवर	बृहत	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश				
14.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	बृहत	0.00	0.00	
15.	सिधाता	मध्यम	0.00	0.00	
16.	बल्ह घाटी (बांया शाखा)	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर				
17.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
18.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
19.	राजपोरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	
20.	त्राल लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	
21.	दादी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	
22.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण		0.00	0.00	
23.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण		0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	झारखंड		0.00		
24.	ऊपरी शंख	मध्यम	0.00	0.00	
25.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	बृहत	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक		0.00		
26.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	बृहत	0.00	0.00	
27.	मालाप्रभा	बृहत	0.00	0.00	
28.	ऊपरी कृष्ण चरण-II	बृहत	0.00	0.00	
29.	वराही	बृहत	0.00	0.00	
30.	दुधगंगा	बृहत	0.00	0.00	
31.	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिक नहर प्रणाली (ईआरएम)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
32.	हिप्पारगी एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	
33.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार		0.00	0.00	
34.	भीमा एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	
35.	गुड्डाडा मालापुरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	केरल		0.00		
36.	काञ्जीरापुझा		0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
37.	चित्तुरपुझा	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश				
38.	इंदिरा सागर यूनिट-II		0.00	0.00	
39.	बाणसागर यूनिट-II		0.00	0.00	
40.	सिंध फेज-II	बृहत	0.00	0.00	
41.	माही	बृहत	0.00	0.00	
42.	बरियारपुर एलबीसी	बृहत	0.00	0.00	
43.	बावनथाडी	बृहत	0.00	0.00	
44.	महान	बृहत	0.00	0.00	
45.	ओमकारेश्वर फेज-I	बृहत	0.00	0.00	
46.	ओमकारेश्वर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	
47.	ओमकारेश्वर फेज-III	बृहत	0.00	0.00	
48.	ऊपरी बेदा	बृहत	0.00	0.00	
49.	पुनासा लिफ्ट	बृहत	0.00	0.00	
50.	निचली गोई	बृहत	0.00	0.00	
51.	इंदिरा सागर यूनिट-IV	बृहत	0.00	0.00	
52.	जोबट	मध्यम	0.00	0.00	
53.	सागर (सागड)	मध्यम	0.00	0.00	
54.	सिंहपुर	मध्यम	0.00	0.00	
55.	संजय सागर (बह)	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र				
56.	गोसीखुर्द (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	
57.	वाघुर	बृहत	0.00	0.00	
58.	ऊपरी मनार	मध्यम	0.00	0.00	
59.	ऊपरी पेनगंगा	बृहत	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6
60.	बावनथाडी (आईएस)	बृहत	0.00	0.00	
61.	निचली दुधना	बृहत	0.00	0.00	
62.	तिल्लारी	बृहत	0.00	0.00	
63.	पुनाद	बृहत	0.00	0.00	6.19
64.	निचली वर्धा	बृहत	0.00	0.00	
65.	खड़कपूर्णा	बृहत	0.00	0.00	
66.	बेम्बला	बृहत	79.44	99.28	
67.	उत्तरमांड	मध्यम	0.00	0.00	
68.	संगोला शाखा नहर	बृहत	0.00	0.00	
69.	तराली	बृहत	0.00	0.00	
70.	धोम बालकवाडी	बृहत	0.00	0.00	
71.	अर्जुन	मध्यम	0.00	0.00	
72.	निचली पेधी	बृहत	0.00	0.00	
73.	ऊपरी कुंडालिका	मध्यम	0.00	0.00	
74.	निचली पंजारा	मध्यम	0.00	0.00	
75.	अरूणा	मध्यम	0.00	0.00	
76.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	बृहत	0.00	0.00	
77.	नरादवे (महम्माडवाडी)	मध्यम	0.00	0.00	14.11
78.	गडनदी	मध्यम	0.00	0.00	
79.	कुदाली	मध्यम	0.00	0.00	
80.	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	36.97
	कुल		79.44	98.28	57.27
	मणिपुर				
81.	खुगा	बृहत	0.00	0.00	
82.	थोबल	बृहत	0.00	0.00	
83.	दोलाईथाबी बैराज	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
	ओडिशा				
84.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	
85.	सुबर्णरेखा	बृहत	0.00	0.00	
86.	आनंदपुर बैराज फेज-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
87.	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	
88.	तेलनगिरी (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	
89.	कानुपुर	बृहत	0.00	0.00	
90.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	पंजाब				
91.	शाहपुर कांडी (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	
92.	कांडी नहर विस्तार (फेज-III)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	41.12
93.	पहली पटियाला सहायक और कोटला शाखा परियोजना का पुनरुद्धार	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00
94.	राजस्थान फीडर नहर एवं		0.00	0.00	0.00
	सरहिन्द फीडर नहर का सरेखण [आरडी 179000 से आरडी 496000]	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	41.12
	राजस्थान				
95.	नर्मदा नहर	बृहत	0.00	0.00	
96.	गंगा नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा				
97.	मनु	मध्यम	0.00	0.00	
98.	गुमती	मध्यम	0.00	0.00	
99.	खोवई	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
100.	सरयू नहर (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	
101.	बाणसागर नहर	बृहत	0.00	0.00	
102.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
103.	मध्य गंगा नहर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	
104.	कचनोदा बांध	बृहत	0.00	0.00	
105.	अर्जुन सहायक	बृहत	0.00	0.00	
106.	शारदा सहायक की भंडारण क्षमता	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल				
107.	तीस्ता बैराज	बृहत	0.00	0.00	
108.	तटको	मध्यम	0.00	0.00	
109.	पतलोई	मध्यम	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए एआईबीपी के अंतर्गत जारी निधि और उपयोग की गई राज्य-वार निधि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	48.6350	48.6350	33.7883	37.5426	54.6651	54.6651		
2.	असम	356.9030	356.9030	377.7456	419.7173	414.0208	392.9860	153.0675	
3.	मणिपुर	40.5000	40.5000	44.5500	49.5000	0	0	17.2700	
4.	मेघालय	110.1951	110.1951	81.3011	90.3346	59.8639	59.8639		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	मजोरम	51.0921	51.0921	42.1101	46.7890	0	0		
6.	नागालैंड	70.0000	70.0000	72.6525	80.7250	76.9910	76.9910	50.4096	
7.	सिक्किम	14.3639	14.3639	33.7144	37.4604	0	0		
8.	त्रिपुरा	0	0	34.8751	38.7501	17.7500	*		
9.	हिमाचल प्रदेश	32.4000	32.4000	47.1152	52.3502	48.5190	48.5190		
10.	जम्मू और कश्मीर	110.7215	110.7215	163.4678	181.6309	155.2400	*		
11.	ओडिशा (केबीके)	27.8538	27.8538	0.0000	0	0	0		
12.	उत्तराखंड	160.0600	160.0600	232.7513	258.6126	148.8013	*		
13.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	141.75	157.5000	0	0		
14.	छत्तीसगढ़	131.7986	131.7986	179.1856	199.0951	141.7400	141.7400		
15.	मध्य प्रदेश	202.5023	202.5023	211.2880	234.7644	471.7069	471.7069		
16.	महाराष्ट्र	256.1439	256.1439	77.2109	85.7899	178.8416	*		
17.	बिहार	32.3535	32.3535	15.5303	17.2559	9.7200	*		
18.	पश्चिम बंगाल	8.10	8.10	4.46	4.9512	0	0		
19.	राजस्थान	0	0	0.000	0	0	0		
20.	कर्नाटक	34.6388	34.6388	59.1674	65.7416	161.6000	161.6000	63.1800	
21.	झारखंड	231.6474	231.6474	224.4158	249.3509	53.2646	*		
	कुल	1919.9089	1919.9089	2077.0755	2307.8617	1992.7243	1408.0719	283.9271	0

*राज्य सरकारों ने अभी उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है।

विमानन नीति/मार्गनिर्देश

***103. श्री अशोक कुमार रावत :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में निजी विमान कंपनियों को प्रचालन को अनुमति प्रदान करने हेतु कोई विमानन नीति बनाई है अथवा कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कतिपय निजी विमान कंपनियों द्वारा इस नीति/मार्गनिर्देश के उल्लंघन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने विद्यमान नीति/मार्गनिर्देशों के अनुसार निजी विमान कंपनियों के प्रचालन की निगरानी हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री (अजित सिंह) : (क) और (ख) हवाईप्रचालक प्रमाणन मैनुअल सीएपी 3100 में दी गई क्रियाविधियों के

अनुसरण के बाद सीएआर सेक्शन 3 सीरीज 'ग' भाग-II/III/IB में निहित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद हवाई प्रचालक परमिट अनुसूचित और गैर-अनुसूचित नामक दो श्रेणियों में जारी किया जाता है।

(ग) हाल ही में एक ऑडिट में पाया गया कि मैसर्स इयोन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (एक गैर-अनुसूचित प्रचालक) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहा है, इसलिए डीजीसीए द्वारा उसका हवाई प्रचालक परमिट (एओपी) निलंबित कर दिया गया।

(घ) डीजीसीए में नियमित ऑडिट/औचक जांचें/स्थल जांचें आदि करके सभी एयरलाइनों की मॉनीटरिंग करने के लिए अपनी निगरानी नीति के साथ-साथ दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इन जांचों के दौरान सूचित/अवलोकित निष्कर्षों के अनुसार एयरलाइनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) लेवल-I और लेवल-II की संरक्षा चूकों और डीजीसीए द्वारा निजी एयरलाइनों के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लेवल-I और लेवल-II के जांच परिणाम

वर्ष 2012				वर्ष 2013 (अगस्त, 2013 तक)			
एयरलाइनें	लेवल-I	लेवल-II	प्रवर्तन कार्रवाई	एयरलाइनें	लेवल-I	लेवल-II	प्रवर्तन कार्रवाई
ब्लू डार्ट	शून्य	119	शून्य	ब्लयू डार्ट	शून्य	60	शून्य
गो एयर	शून्य	53	शून्य	गो एयर	शून्य	82	शून्य
इंडीगो	शून्य	81	शून्य	इंडीगो	शून्य	116	शून्य
जेट एयरवेज	1	109	शून्य	जेट एयरवेज	शून्य	68	1
जेट लाइट	शून्य	50	शून्य	जेट लाइट	शून्य	70	1
स्पाइस जेट	शून्य	246	2	स्पाइस जेट	शून्य	187	1
किंगफिशर एयरलाइंस	शून्य	76	1	किंगफिशर एयरलाइंस	शून्य	1	

प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा

प्रचालक का नाम	कार्रवाई की तारीख	प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
		2012	
स्पाइस जेट	16.01.2012	श्री राबर्ट ब्रयांट, मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए अनुरक्षण के पदधारक, यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि बी 737-800 विमान वीटी-एसपीआर के कार्गो कम्पार्टमेंट में ब्लोआउट पैनल अनुमोदित तरीके से नहीं लगाया गया था। वह बैटरी शॉप में विमान बैटरियों के प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त रूप से अनुमोदित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी विफल रहे। कार्रवाई – श्री राबर्ट ब्रयांट, मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए अनुरक्षण के पदधारक का 03 (तीन) महीने के अवधि के लिए निलंबन।	निलंबन

1	2	3	4
स्पाइस जेट	31.08.2012	मैसर्स स्पाइस जेट की ओर से दिनांक 16.07.2012 के पत्र संख्या एसजेसीएएमओ/डीजीसीए/188 के द्वारा बोइंग 737-800 विमान, वीटीएस-एसजीवी, एमएसएन 37362 के संबंध में स्वामित्व के परिवर्तन का अनुरोध प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड की जांच के दौरान पाया गया कि स्वामित्व का परिवर्तन 31.11.2011 से प्रभावी हुआ। इसलिए मैसर्स स्पाइस जेट से आवेदन की तिथि तक स्वामित्व के परिवर्तन के बिना विमान को उठाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया और साथ ही अन्य अपेक्षित दस्तावेज अग्रेषित करने का अनुरोध भी किया गया। उपर्युक्त पत्र के उत्तर में मैसर्स स्पाइस जेट की ओर से प्राप्त पत्र की जांच की गई, जिसे संतोषजनक नहीं पाया गया। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 33(ख) के अनुसार, कोई व्यक्ति, कंपनी या निगम, जो भारत में पंजीकृत किसी विमान का स्वामी बनता है, उससे अपेक्षित होता है कि वह अपने विमान स्वामित्व के तथ्य के बारे में महानिदेशक को लिखित रूप से सूचित करे और पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करे। कार्रवाई इसलिए अब, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 33(ख) के अनुसार, मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को एतद्वारा उपर्युक्त उल्लंघन के बारे में भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है।	चेतावनी
किंगफिशर एयरलाइंस	20.10.2012	जबकि, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड द्वारा पिछले 10 महीने के दौरान डीजीसीए की अनुमोदित उड़ान अनुसूची का अनुपालन न किए जाने और अपनी उड़ान एकाएक रद्द किए जाने की वजह से यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई है। जबकि, केएफए के प्रतिनिध की 2 अक्तूबर, 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी जिसमें एयरलाइन के सीईओ और कार्यकारी उपाध्यक्ष ने भाग लिया था, जिसमें डीजीसीए ने सरकार की कुछ चिन्ताओं के बारे में स्पष्ट किया था। जबकि, बैठक के दौरान, एयरलाइन को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें प्रचालन बहाल करने से पहले अपनी प्रचालनिक तैयारी प्रस्तुत करके डीजीसीए को संतुष्ट करना होगा। जबकि, मैसस किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड उपर्युक्त बैठक में यथा सहमत निर्धारित समय के भीतर अपने प्रचालन बहाल करने में विफल रही, उन्हें दिनांक 05.10.2012 के समसंख्यक पत्र के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके संगठन के विरुद्ध वायुयान नियमावली, 1937 की अनुसूची-I के उपबंध 15(2)(ख) के तहत उनके संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि एयरलाइन संरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवाएं मुहैया कराने में विफल रही और साथ ही पिछले 10 महीनों के दौरान उनकी उड़ानों को अचानक रद्द किया गया और अनुमोदित अनुसूची का पालन नहीं किया गया जिससे यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई।	निलंबन

1	2	3	4
		जबकि, कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि एयरलाइन ने उपर्युक्त बैठक में उठाए गए किसी भी मुद्दे और कारण बताओ नोटिस में उठाए गए किसी भी बिन्दु का समाधान नहीं किया है और टिकाऊ अनुसूची हवाई परिवहन सेवाओं की बहाली के लिए अपनी बहाली योजना प्रस्तुत नहीं की है।	
		नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 3, शृंखला-ग भाग-II के साथ पठनीय वायुयान नियमावली 1937 के उपबंध 15(2) के अनुसरण मैं, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड को जारी किया गया अनुसूचित प्रचालक परमिट संख्या एस-12 दिनांक 26.08.2003 को 20 अक्तूबर, 2012 से उतने समय तक निलंबित किया जाता है जब तक किंगफिशर एयरलाइंस डीजीसीए की संतुष्टि के स्तर पर संरक्षित, कुशल, विश्वसनीय और टिकाऊ अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने वाली ठोस और विश्वसनीय बहाली योजना प्रस्तुत करे। मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड को निर्देश दिया जाता है कि यह अनुसूचित प्रचालक परमिट सं. एस-12 दिनांक 26.08.2003 को आवश्यक पृष्ठांकन के लिए इस कार्यालय में वापस करे।	
		2013	
जेट एयरवेज	13.08.2013	मैसर्स जेट एयरवेज द्वारा नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी
		जबकि, सीएआरएम, पैरा एमए 304 और एएमसी एमए 304 और सीएआर 145 पैरा 145क 65ख में अपेक्षा की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण क्रियाविधि की स्थापना की जाएगी, कि क्षति का आकलन और आशोधन तथा मरम्मत का कार्य डीजीसीए द्वारा अनुमोदित आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इन अपेक्षाओं के अनुसार, आशोधन और मरम्मत किए जाने से पूर्व डीजीसीए का अनुमोदन मांगना प्रचालक के लिए अनिवार्य है। इन अपेक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्योग के मार्गदर्शन हेतु 2013 का उड़नयोग्यता सलाहकारी परिपत्र (एएसी) 2 जारी किया गया था। तद्नुसार प्रचालकों को, संरचनागत मरम्मत पुस्तिका के अतिरिक्त प्रमुख आशोधन और मरम्मत करने से पहले, डीजीसीए का अनुमोदन मांगने की सलाह दी गई।	
		जबकि, डीजीसीए द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स जेट एयरवेज (आई) लिमिटेड ने इन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया और वह ऐसे आशोधन और मरम्मतें करती रही। वायुयान नियमवाली, 1937 के उप-नियम 10, नियम 133ख के अनुसार, जेट एयरवेज के क्वालिटी मैनेजर और सीए मैनेजर को एतद्वारा भविष्य में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते समय सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है।	
जेटलाइट	13.08.2013	मैसर्स जेट लाइट (आई) लिमिटेड द्वारा नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन न किया जाना।	चेतावनी

1	2	3	4
		जबकि, सीएआर एम, पैरा एमए 304 और एएमसी एमए 304 और सीएआर 145 पैरा 145क 65ख में अपेक्षा की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण क्रियाविधि की स्थापना की जाएगी, कि क्षति का आकलन और आशोधन तथा मरम्मत का कार्य डीजीसीए द्वारा अनुमोदित आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। तद्नुसार इन अपेक्षाओं के अनुसार, आशोधन और मरम्मत किए जाने से पूर्व डीजीसीए का अनुमोदन मांगना प्रचालक के लिए अनिवार्य है। इन अपेक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्योग मार्गदर्शन हेतु 2013 का उड़नयोग्यता सलाहकारी परिपत्र (एएसी) 2 जारी किया गया था। तद्नुसार प्रचालकों को, संरचनागत मरम्मत पुस्तिका के अतिरिक्त प्रमुख आशोधन और मरम्मत करने से पहले, डीजीसीए का अनुमोदन मांगने की सलाह दी गई थी। जबकि, डीजीसीए द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स जेट लाइट (आई) लिमिटेड ने इन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया और वह ऐसे आशोधन और मरम्मतें करती रही। वायुयान नियमवाली, 1937 के उपनियम 10, नियम 133ख के अनुसार, जेट लाइट के क्वालिटी मैनेजर और सीए मैनेजर को एतद्वारा भविष्य में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते समय सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है।	
स्पाइस जेट	16.07.2013	जबकि मैसर्स स्पइस जेट लिमिटेड का बोइंग 737-800 विमान वीटी-एसजेडई दिनांक 11.06.2013 को दुबई से दिल्ली के लिए उड़ान प्रचालित करते समय एफएमएस के त्रुटिपूर्ण इनपुट की वजह से उड़ान भरने के दौरान ट्रैक से हट गया। तेहरान के कंट्रोलर को डेविएशन का पता चला और क्रू को सचेत किया गया। न तो प्रचालिक कर्मीदल ने न ही मैसर्स स्पाइस जेट ने इस घटना की सूचना डीजीसीए को दी। अतएव, अब मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड को एतद्वारा इस बात का कारण बताने को कहा जाता है कि इस उल्लंघन के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड का उत्तर इस कार्यालय में इस नोटिस के जारी करने की तारीख से सात दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर देने में विफल रहती है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास अपने प्रतिवाद में कहने के लिए कुछ नहीं है और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई — जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस।	कारण बताओ नोटिस
किंगफिशर एयरलाइंस	07.08.2013	जबकि, मैसर्स किंगफिसर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड को सीएआर सेक्शन 3 सीरीज सी पोर्ट-III के अनुसार गैर-अनुसूची यात्री हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए दिनांक 11.09.2014 तक वैध गैर-अनुसूची प्रचालक परमिट संख्या 02/1997 जारी किया गया था।	निलंबन

1	2	3	4
		जबकि, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड सतत आधार पर नियमित, कुशल और विश्वसनीय क्षेत्रीय अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं मुहैया कराने में विफल रही, जिससे वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 134क के उपबंध 15 के उल्लंघन का मामला बनता है। अतएव, अब सीएआर सेक्शन 3, सीरीज सी, पार्ट-II के साथ पठनीय वायुयान नियमावली 1937 के नियम 134क के उप-नियम 5 के अनुसरण में, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड को जारी दिनांक 11.09.2014 तक वैध गैर-अनुसूची प्रचालक परमिट संख्या 02/1997 को 07 अगस्त, 2013 से उतने समय तक निलंबित किया जाता है जब तक मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड अधोहस्ताक्षरी की संतुष्टि के स्तर तक संरक्षित कुशल, विश्वसनीय और टिकाऊ क्षेत्रीय अनुसूचित हवाई परिवहन (उत्तरी) सेवाओं को सुनिश्चित करने वाली ठोस और विश्वसनीय बहाली योजना प्रस्तुत करें। मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वह दिनांक 11.09.2014 तक वैध गैर-अनुसूची प्रचालक परमिट को आवश्यक पृष्ठांकन के लिए इस कार्यालय में वापस करें।	

[अनुवाद]

पन विद्युत परियोजनाएं

***104. श्री तकाम संजय:**
श्री लालजी टन्डन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा पन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत उत्पादन में उनके कुल योगदान सहित परियोजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से पन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त उन प्रस्तावों का प्रस्ताव और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो सरकार के पास लंबित हैं और उनकी स्वीकृत कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) उन पन विद्युत परियोजनाओं का परियोजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उनके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनमें कुछ कितना निवेश अंतर्ग्रस्त है और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों सहित निर्माणाधीन पन विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) देश में वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत उत्पादन में उनके कुल योगदान सहित परियोजना और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कर्नाटक राज्य सहित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण, प्रत्येक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की वर्तमान स्थिति सहित संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण उनकी लागत और विद्युत उत्पादन क्षमता सहित, संलग्न विवरण-III में दिया गया है जिन जल विद्युत परियोजनाओं को सीईए द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और जिनका निर्माण अभी किया जाना है, उनका विवरण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित परियोजनाओं सहित राज्यों में चल रही जलविद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्ननिखित है:—

- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मुद्दों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए जल विद्युत विकास कार्य बल का गठन किया गया है। इस कार्य बल के अध्यक्ष विद्युत मंत्री हैं। इस कार्य बल की अब तक छह बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक 10.09.2013 को हुई।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(एफ) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की कार्यस्थलों के बार-बार दौरों, विकासकर्त्ताओं के साथ बातचीत तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों के समीक्षात्मक अध्ययन के माध्यम से निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है। सीईए के अध्यक्ष महत्त्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु विकासकर्त्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं।

- हाइड्रो परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र अनुवर्तन तथा मॉनीटरिंग के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।

- महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्त्ताओं इत्यादि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

- अवसंरचनात्मक मुद्दों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इत्यादि के साथ समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

- सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न शेष मुद्दों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए अधिकार-प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है।

विवरण-I

वर्ष 2013-14 के दौरान देश में जल विद्युत स्टेशन (संस्थापित क्षमता 35 मेगावाट से अधिक) की संस्थापित क्षमता और कुल उत्पादन में योगदान

स्टेशनों के नाम	31.11.2013 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2013-14* में कुल उत्पादन में योगदान (30 नवंबर, 2013 तक) (मिलियन यूनिट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
केंद्रीय		
बीबीएमबी		
1. भाखड़ा एल एंड आर (हिमाचल प्रदेश)	1325.00	4547.58
2. गंगुवाल (पंजाब)	77.65	359.74
3. कोटला (पंजाब)	77.65	343.55
4. देहर (हिमाचल प्रदेश)	990.00	2696.80
5. पौंग (हिमाचल प्रदेश)	396.00	1100.15
कुल बीबीएमबी	2866.30	9047.82
एनएचपीसी		
1. बैरा स्यूल (हिमाचल प्रदेश)	198.00	501.67

1	2	3
2. सलाल-I एंड II (जम्मू और कश्मीर)	690.00	2712.67
3. टनकपुर (उत्तराखंड)	94.20	354.38
4. चमेरा-I (हिमाचल प्रदेश)	540.00	1976.90
5. चमेरा-II (हिमाचल प्रदेश)	300.00	1218.89
6. चमेरा-III (हिमाचल प्रदेश)	231.00	860.97
7. उरी (जम्मू और कश्मीर)	480.00	1952.22
8. उरी-II (जम्मू और कश्मीर)	180.00	118.51
9. धौलीगंगा (उत्तराखंड)	280.00	282.31
10. दुलहस्ती (जम्मू और कश्मीर)	390.00	1821.05
11. सेवा-II (जम्मू और कश्मीर)	120.00	357.09
12. चुटक (जम्मू और कश्मीर)	44.00	19.79
13. निम्मो बाजगो (जम्मू और कश्मीर)	45.00	11.31
कुल एनएचपीसी	3592.20	12187.76
एसजेवीएनएल		
1. नाथपा झाकरी (हिमाचल प्रदेश)	1500.00	6314.76
टीएचडीसी		
1. टेहरी (उत्तराखंड)	1000.00	3134.15
2. कोटेश्वर (उत्तराखंड)	400.00	1174.68
कुल टीएचडीसी	1400.00	4308.83
कुल केंद्रीय	9358.50	31859.17
हिमाचल प्रदेश		
एचपीएसईबीएल		
1. गिरी बाटा	60.00	177.62
2. बस्सी	60.00	186.37
3. संजय	120.00	462.00
4. लारजी	126.00	510.22
कुल एचपीएसईबीएल	366.00	1336.21

1	2	3
मलाना पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीसीएल)		
1. मलाना	86.00	291.10
जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जेपीवीएल)		
1. बसपा-II	300.00	1213.20
2. करचम वांगटू	1000.00	4192.93
कुल जीपीवीएल (एचपी)	1300.00	5406.13
अलैन दुहांगन हाइड्रो पावर लि. (प्रा.)		
1. अलैन दुहांगन (प्रा.)	192.00	657.93
लैंको ग्रीन पावर लि.		
1. बुधील (प्रा.)	70.00	234.55
एवरेस्ट पावर प्रा.लि.		
1. मलाना-II (प्रा.)	100.00	330.26
कुल एच.पी.	2114.00	8256.18
जम्मू और कश्मीर		
जेकेएसपीडीसी		
1. लोअर झेलम	105.00	395.79
2. अपर सिंध-II	105.00	182.57
3. बगलिहार	450.00	2287.61
कुल जेकेएसपीडीसी	660.00	2865.97
राजस्थान		
आरआरवीयूएनएल		
1. आर.पी. सागर	172.00	299.06
2. जवाहर सागर	99.00	179.01
3. माही बजाज-I एंड II	140.00	134.16
कुल आरआरवीयूएनएल	411.00	612.23

1	2	3
पंजाब		
पीएसपीसीएल		
1. शानन	110.00	287.10
2. मुकेरियां-I-IV	207.00	719.27
3. एपी साहिब-I एंड II	134.00	530.87
4. रंजीत सागर (थीन डैम)	600.00	1288.06
कुल पीएसपीसीएल	1051.00	2825.30
उत्तर प्रदेश		
यूपीजेवीएनएल		
1. रिहंद	300.00	340.24
2. ओबरा	99.00	142.43
3. माताटीला	30.60	75.34
4. खारा	72.00	321.50
कुल यूपीजेवीएनएल	501.60	879.51
उत्तराखंड		
यूजेवीएनएल		
1. खटीमा	41.40	87.09
2. रामगंगा	198.00	128.98
3. धकरानी (वाई. स्टे-I)	33.75	134.80
4. धालीपुर (वाई. स्टे-I)	51.00	201.14
5. कुलहाल (वाई. स्टे-IV)	30.00	135.82
6. चीब्रो (वाई. स्टे-II)	240.00	771.61
7. चिल्ला	144.00	581.91
8. खोदरी (वाई. स्टे-II)	120.00	350.62
9. मनेरी भाली-I	90.00	296.01
10. मनेरी भाली-II	304.00	702.37
कुल यूजेवीएनएल	1252.15	3390.35

1	2	3
जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जेपीवीएल)		
1. विष्णुप्रयाग	400.00	437.90
कुल उत्तराखंड	1652.15	3828.25
कुल उत्तरी क्षेत्र	15748.25	51126.61
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
एसएसएनएनएल		
1. सरदार सरोवर सीएचपीएल	250.00	448.19
2. सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	4090.13
कुल एसएसएनएनएल	1450.00	4538.32
जीएसईसीएल		
1. उकाई	300.00	681.97
2. कडाना पीएसएस	240.00	358.19
कुल जीएसईसीएल	540.00	1040.16
कुल गुजरात	1990.00	5578.48
मध्य प्रदेश		
केंद्रीय/कॉमन		
एनएचडीसी		
1. इंदिरा सागर	1000.00	3028.37
2. ओंकारेश्वर	520.00	1170.14
कुल एनएचडीसी	1520.00	4198.51
एचपीपीजीसीएल		
1. गांधी सागर	115.00	238.78
2. पेंच	160.00	310.89
3. बारगी	90.00	363.09
4. माधीखेड़ा	60.00	92.52

1	2	3
5. बाणसागर टोंस-I	315.00	1140.24
6. बाणसागर टोंस-II	30.00	139.15
7. बाणसागर टोंस-III	60.00	75.66
8. राजघाट	45.00	32.83
कुल एमपीपीजीसीएल	875.00	2393.16
कुल मध्य प्रदेश	2395.00	6591.67
छत्तीसगढ़		
सीएसपीजीसी		
1. हसदेव बांगो	120.00	223.48
कुल सीएसपीजीसी	120.00	223.48
महाराष्ट्र		
महाजेनको		
1. कोयना स्टे.-I एंड II	600.00	831.18
2. केयना स्टे.-III	320.00	457.22
3. कोयना-IV	1000.00	990.91
4. कोयना डीपीएच	36.00	104.97
5. वैतरना	60.00	115.22
6. तिल्लारी	60.00	86.04
7. भीरा टेल रेस	80.00	76.51
8. घाटघर पीएसएस	250.00	182.42
कुल महाजेनको	2406.00	2844.47
डोडसों-लिंडब्लम हाइड्रो पावर प्रा.लि. (डी-एलएचपी)		
1. भंडारधारा-II	34.00	53.12
कुल डीएलएचपी	34.00	53.12
टाटा हाइड्रो		
1. भीरा	150.00	719.14

1	2	3
2. भीरा पीएसएस	150.00	
3. भीवपुरी	75.00	172.06
4. खोपोली	72.00	233.42
कुल टाटा	447.00	1124.62
कुल महाराष्ट्र	2887.00	4022.21
कुल पश्चिमी	7392.00	16415.84
दक्षिण क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश		
एपीजेनको		
1. मचकुंड	114.75	399.09
2. टीबी डैम एंड हंपी	72.00	116.54
3. अपर सिलेरू-I एंड II	240.00	264.01
4. लोअर सिलेरू	460.00	831.67
5. एनजेसागर पीएसएस	815.60	1013.35
6. एनजेसागर आरबीसी	90.00	207.88
7. एनजेसागर एलबीसी	60.00	88.66
8. श्रीसैलम आरबी	770.00	908.28
9. पोचमपाड	27.00	48.58
10. श्री सैलम एलबी	900.00	1276.56
11. प्रियदर्शनी	234.00	267.23
कुल एपीजेनको	3783.35	5421.85
कुल आंध्र प्रदेश	3783.35	5421.85
कर्नाटक		
केपीसीएल		
1. शरावती	1035.00	3313.04
2. कालीनदी	855.00	1339.11

1		2	3
3.	सुपा डीपीएच	100.00	217.82
4.	भद्रा	39.20	37.90
5.	लिंगनामक्की	55.00	152.23
6.	वराही	460.00	836.32
7.	घाटप्रभा	32.00	55.89
8.	कद्रा	150.00	266.10
9.	कोडासली	120.00	211.78
10.	जेरूसोप्पा	240.00	404.76
11.	अलमाटी डैम	290.00	418.80
12.	जोग	139.20	149.75
13.	शिवसमुद्रम	42.00	165.02
14.	मुनीराबाद	28.00	77.25
कुल केपीसीएल		3585.40	7645.77
कुल कर्नाटक		3585.40	7645.77
केरल			
केएसईबी			
1.	इदुक्की	780.00	1797.41
2.	सबरीगिरी	300.00	1102.26
3.	कुटीयादी	125.00	682.52
4.	कुटीयादी एडिश. एक्सटेंशन	100.00	
5.	शोलायर	54.00	137.55
6.	सेंगुलाम	48.00	106.28
7.	नारीमंगलम	70.00	301.59
8.	पल्लीवसल	37.50	151.08
9.	पोरिंगलकुटू	32.00	104.92
10.	पन्नियार	30.00	127.96
11.	इदमलयार	75.00	271.00

1	2	3
12. लोअर पेरियार	180.00	531.92
13. कक्कड़	50.00	169.89
कुल केएसईबी	1881.50	5484.38
कुल केरल	1881.50	5484.38
तमिलनाडु		
टैनजेडको		
1. पइकारा	59.20	47.06
2. मोयर	36.00	103.55
3. कुंडा-I-V	555.00	1084.86
4. पारसंस वैली	30.00	36.51
5. सुरूलियार	35.00	81.21
6. अलियार	60.00	133.63
7. मेटूर डैम एंड टनल	250.00	389.94
8. लोअर मेटूर-I-IV	120.00	174.03
9. पेरियार	140.00	402.53
10. पापनसम	32.00	102.75
11. सरकारपथी	30.00	65.62
12. शोलायर-I एंड II	95.00	175.61
13. कोडयार-I एंड II	100.00	95.17
14. कादमपराई पीएसएस	400.00	285.99
15. पाइकारा अल्टीमेट	150.00	287.39
16. भवानी कट्टलई बैराज-I	30.00	32.04
17. भवानी कट्टलई बैराज-II	30.00	59.93
18. भवानी कट्टलई बैराज-III	30.00	25.04
कुल टैनजेडको	2182.20	3582.86
कुल दक्षिणी	11432.45	22134.86

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
झारखंड		
जेएसईबी		
1. सुबर्नरेखा-I एंड II	130.00	110.90
कुल झारखंड	130.00	110.90
डीवीसी		
1. मैथन (पश्चिम बंगाल)	63.20	76.36
2. पंचेट (झारखंड)	80.00	106.21
कुल डीवीसी	143.20	182.57
ओडिशा		
ओएचपीसी		
1. बालीमेला	510.00	1393.17
2. हिराकुड-I एंड II	347.50	858.03
3. रेंगाली	250.00	799.46
4. अपर कोलाब	320.00	677.60
5. अपर इंद्रावती	600.00	1888.91
कुल ओएचपीसी	2027.50	5617.17
पश्चिम बंगाल		
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल		
1. जलढाका-I	27.00	123.30
2. रमाम-II	50.00	222.57
3. पुरूलिया पीएसएस	900.00	388.32
कुल डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	977.00	734.19
एनएचपीसी		
1. तीस्ता लो डैम-III	132.00	176.85
कुल एनएचपीसी डब्ल्यूबी	132.00	
कुल पश्चिम बंगाल	1109.00	911.04

1	2	3
सिक्किम		
एनएचपीसी		
1. रंगित	60.00	294.23
2. तीस्ता-V	510.00	2157.37
कुल एनएचपीसी (सिक्किम)	570.00	2451.60
निजी क्षेत्र		
गति इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.		
1. चुजाचेन	99.00	254.85
कुल पूर्वी	4078.70	9528.13
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
असम		
एपीजीसीएल		
1. करबी लांगपी	100.00	371.27
मेघालय		
एमईईसीएल		
1. किरदेमकुलाई	60.00	97.93
2. उमीयम स्टे.-I	36.00	51.06
3. उमीयम स्टे.-IV	60.00	137.58
4. मिंटडू	126.00	400.87
कुल एमईईसीएल	282.00	687.44
नीपको		
1. खनडोंग (असम)	50.00	163.88
2. कोपिली (असम)	225.00	680.78
3. दोयांग (नागालैंड)	75.00	222.69
4. रंगनदी (अरुणाचल प्रदेश)	405.00	842.69
कुल नीपको	755.00	1910.04

1	2	3
एनएचपीसी		
1. लोकटक (मणिपुर)	105.00	499.64
कुल केंद्रीय	860.00	2409.68
कुल पूर्वोत्तर	1242.00	3468.39
कुल अखिल भारतीय	39893.40	102673.83
भूटान से आयात		5309.28
कुल अखिल भारत	39893.40	107983.11

*अनंतिम

विवरण-II

सीईए में जांच के अधीन जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीम/राज्य	प्राप्ति का माह	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति
1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
1.	किरू	08/2012	660	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, भू-गर्भीय, निर्माण सामग्री, अंतरराज्य, विद्युत निकासी तथा उपकरणीय पहलुओं से स्वीकृत।
2.	नया गंदरवाल	10/2012	93	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, भू-गर्भीय, निर्माण सामग्री, अंतरराज्य, विद्युत निकासी, ई एंड एम कार्यों का डिजाइन, बैराज एवं कैनाल डिजाइन, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकम्पीय पहलुओं तथा जल विद्युत सिविल डिजाइन एवं संयंत्र नियोजन पहलुओं से स्वीकृत।
3.	किरथई-I	01/13	390	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत निकासी पहलुओं से स्वीकृत।
हिमाचल प्रदेश				
4.	सेली	12/12	400	जल विद्युत सिविल डिजाइन, द्वार डिजाइन, सिविल निर्माण कार्यों की मात्रा एवं ई एण्ड एम उपकरण, संयंत्र नियोजन, सिविल एवं ई एण्ड एम कार्यों की लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
5.	चतरू	04/2012	126	द्वार डिजाइन, ई एण्ड एम डिजाइन, सिविल निर्माण कार्यों की मात्रा एवं ई एण्ड एम उपकरण, संयंत्र नियोजन सिविल एवं ई एण्ड एम कार्यों की लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
6.	सच खास	01/13	267	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, भू-गर्भीय, विद्युत निकासी एवं निर्माण विद्युत पहलुओं से स्वीकृत।

1	2	3	4	5
7.	लुहरी	03/2013	588	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण सामग्री, कंक्रीट बांध डिजाइन, द्वार डिजाइन, अंतरराज्य, अंतर्राष्ट्रीय, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकम्पीय तथा उपकरणीय पहलुओं से स्वीकृत।
8.	चांगो यंगथाग	11/2013	180	निर्माण सामग्री, संयंत्र नियोजन, सिविल एवं ई एण्ड एम कार्यों की लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
उत्तराखंड				
9.	जेलम तमक	12/2012	108	जल विद्युत सिविल डिजाइन, बांध डिजाइन, द्वार डिजाइन, निर्माण सामाग्री, ई एण्ड एम डिजाइन, सिविल निर्माण कार्यों की मात्रा एवं ई एण्ड एम उपकरण, सिविल एवं ई एण्ड एम कार्यों की लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
10.	बोवला नंद प्रयाग	08/12	300	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, अंतरराज्य, अंतर्राष्ट्रीय, विद्युत निकासी, जल विद्युत सिविल डिजाइन, द्वारा डिजाइन, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकम्पीय तथा उपकरणीय पहलुओं से स्वीकृत।
बिहार				
11.	दगमारा	04/12	130	विकासकर्त्ता को परियोजना की लागत घटाने तथा सीईए एवं सीडब्लयूसी के प्रेक्षणों का पालन करने की सलाह दी गई।
नागालैंड				
12.	दिखू	04/12	186	निर्माण सामग्री, सिविल मात्रा, सिविल कार्यों की लागत एवं लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
मेघालय				
13.	उमंगोट	03/2013	240	जल विज्ञान एवं अंतरराज्य पहलुओं से स्वीकृत।
14.	क्यून्शी-I	02/2013	270	भंडारण से आरओआर में परिवर्तन के बाद एसटीसी द्वारा जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत निकासी एवं उपकरणीय पहलुओं से स्वीकृत।
असम				
15.	लोअर कोपली	03/2013	120	जल विज्ञान, विद्युत निकास, अंतर्राज्य एवं भू-गर्भीय पहलुओं से स्वीकृत।
अरुणाचल प्रदेश				
16.	कलई-II	04/2012	1200	संयंत्र नियोजन, सिविल कार्यों की लागत एवं लागत की चरणबद्धता के सिवाय सभी पहलुओं से स्वीकृत।
17.	डेम्वे अपर	07/2012	1080	भंडारण से आरओआर में परिवर्तन के बाद एसटीसी द्वारा जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत निकासी, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकम्पीय, द्वार डिजाइन, निर्माण सामग्री एवं उपकरणीय पहलुओं से स्वीकृत।

1	2	3	4	5
18	तगुरशिट	07/2012	74	भू-गर्भीय, निर्माण सामग्री, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकम्पीय, सिविल निर्माण कार्यों की मात्रा एवं ई एण्ड एम उपकरण, सिविल एवं ई एण्ड एम कार्यों की लागत तथा लागत की चरणबद्धता को छोड़कर सभी पहलुओं से स्वीकृत।
19.	न्यूकचारोंग चू	01/2013	96	जल विज्ञान, विद्युत सम्भाव्यता, विद्युत निकासी, एवं अंतरराज्य पहलुओं से स्वीकृत।
20.	ताती-I	05/13	186	जल विज्ञान एवं विद्युत निकासी पहलुओं से स्वीकृत।
21.	हियो	07/2013	240	जल विज्ञान एवं विद्युत निकासी पहलुओं से स्वीकृत।
22.	सुबानसिरी मध्य (कमला)	10/2013	1800	जल विज्ञान एवं विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन पहलुओं से स्वीकृत।
23.	मगोचू	10/2013	96	जल विज्ञान एवं विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन पहलुओं से स्वीकृत।
	कुल		8830	

विवरण-III

25 मेगावाट से अधिक की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना का नाम निष्पादनकर्त्ता क्षमता (मेगावाट) लागत (करोड़ रुपये)	राज्य	व्यापक वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
क.	**निष्पादनकर्त्ता के अधीन 12वीं योजना के दौरान लाभ के लिए हाइड्रो क्षमता**		
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	**उड़ी-II** एनएचपीसी 4×60 = 240 मेगावाट लागत: 2081.00	जम्मू और कश्मीर	यू#1: 25.09.2013 को चालू। यू#3: 27.09.2013 को चालू। यू#2: 16.11.2013 को चालू।
2.	**किशनगंगा** एनएचपीसी 3×110 = 330 मेगावाट लागत: 3642.04	जम्मू और कश्मीर	**डायवर्जन कार्य** — नदी का डायवर्जन कार्य 21.06.2012 को कर लिया गया। **बांध एवं अंतर्वाह कार्य:** 300000 घन मीटर में से बायें किनारे पर 290000 घन मीटर खुदाई कर ली गई है। **एचआरटी:** 8491 मीटर में से डीबीएम द्वारा 7903 मीटर खुदाई कर ली गई।

1	2	3	4
			14750 मीटर में से टीबीएन द्वारा 11478 मीटर खुदाई कर ली गई है। **सर्ज शाफ्टः** ऊपर से लेकर नीचे तक खुदाई संपन्न। **प्रेशर शाफ्टः** अपर लिंब स्लैशिंग-233 मीटर में से 176 मीटर संपन्न। लोअर लिंब-पाइलेट-261 मीटर में से 163 मीटर संपन्न। **विद्युत गृहः** खुदाई संपन्न। **टीआरटी खुदाईः** 882 मीटर में से 666 मीटर संपन्न।
3.	**पार्वती-II** एनएचपीसी 4×220 = 800 मेगावाट लागतः 5365.70	हिमाचल प्रदेश	**बांध एवं अंतर्वाह कार्यः** 207296 घन मीटर में से 204220 घन मीटर बांध एवं अंतर्वाह अवसंरचना कंक्रीटिंग संपन्न। **हेड रेस टनेल** — 31525 मी. में से 26615 मी. की खुदाई संपन्न। **कुल ओवर्ट लाइनिंगः** 31525 मीटर 17124 मीटर लाइनिंग संपन्न। **विद्युत गृहः** 84016 घनमीटर में 55276 घनमीटर संपन्न। **जीवा नल्लाह फीडर टनेलः** 4560 मीटर में 3801 मीटर की खुदाई संपन्न। 4560 मीटर में 531 मीटर की कंक्रीटिंग संपन्न। **ई एवं एम कार्यः** एक ईओटी क्रेन (200 एमटी) का उत्थापन, परीक्षण एवं चालू किए जाने का कार्य संपन्न। 200 टन की द्वितीय ईओटी का उत्थापन एवं केबलिंग संपन्न। **इकाई 1:** टरबान हाउसिंग एवं वितरण का उत्थापन संपन्न। **इकाई 2:** लोअर टरबान हाउसिंग का उत्थापन संपन्न। **एचएम कार्यः** दोनों वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट में फेरूल का उत्थापन संपन्न। सर्ज शाफ्ट में रिसेप्सन फ्रेम एवं गाइड रेल का उत्थापन संपन्न।
4.	**पार्वती-III** एनएचपीसी 4×130 = 520 मेगावाट लागतः 2470.46	हिमाचल प्रदेश	सभी सिविल कार्य संपन्न। **ई एवं एम कार्यः** इकाई #1: यांत्रिक चक्रण 31.5.2013 को रेटेड स्पिड पर किया गया। इकाई #2: यांत्रिक चक्रण 02.07.2013 को रेटेड स्पिड पर किया गया। इकाई #3: इकाई का बॉक्सिग अप एवं एक्सिस सरेखन 30.09.2013 को संपन्न। इकाई #4: पाइवट रिंग, रनर एवं गाइड वेन के साथ टॉप कवर की एसेंबली का कार्य संपन्न। सर्विस वे में रोटर की एसेंबली प्रगति पर है। एक्सएलपीई केबल का टर्मिनेशन 15.10.2013 को संपन्न हो गया। सभी यूनिटों को एमआईवी चालू किया गया। **एचएम कार्यः** संपन्न।
5.	**कोल डैम** एनएचपीसी 4×200 = 800 मेगावाट लागतः 6358.91	हिमाचल प्रदेश	**ई एवं एम कार्यः** सभी इकाइयों का बॉक्सअप किया गया। **एचएम कार्यः** रेडियल गेट का उत्थापन प्रगति पर है। 8 ड्राफ्ट ट्यूब द्वारों में से 7 का उत्थापन। बॉटम आउटलेट द्वारा का उत्थापन। पावर इंटेक द्वार लाइनर का उत्थापन सभी यूनिटों में संपन्न।

1	2	3	4
6.	**रामपुर** एसजेवीएनएल 6×68.67 = 412 मेगावाट लागत: 2047.03	हिमाचल प्रदेश	**एचआरटी:** हेडिंग खुदाई संपन्न। **ई एवं एम कार्य:** यू #1, 2, 4, 5, 6, : बॉक्सड अप। यू #3: जेनरेटर बैरल की कंक्रीटिंग 15.05.13 को संपन्न।
7.	**तपोवन विष्णुगाड** एनटीपीसी 4×130 = 620 मेगावाट लागत: 3846.30	उत्तराखंड	नदी डायवर्जन 13.04.2013 को संपन्न। **बैराज:** खुदाई पहले संपन्न। **एचआरटी:** 13370 मीटर में से 9087 मीटर की खुदाई संपन्न। **विद्युत गृह गुफा:** खुदाई संपन्न। डिसिल्टिंग चैम्बर एवं इनटेक: 16.90 लाख घन मीटर में से 15.03 लाख घन मीटर की खुदाई संपन्न। **टीआरटी:** खुदाई संपन्न। 813 मीटर में से 602 मीटर लाइनिंग संपन्न। **सर्ज शाफ्ट:** चौड़ा करने का काम संपन्न 152.3 घन मीटर में से 81.2 घन मीटर की लाइनिंग संपन्न। **पेनस्टॉक:** खुदाई संपन्न। मध्य से शीर्ष तक इनक्लाइंड पीएस-I में तथा पीएस-II में मध्य से शीर्ष तक स्टील लाइनर का उत्थापन संपन्न। **ई एवं एम कार्य:** बीएफ वाल्व चैम्बर में ईओटी क्रेन का उत्थापन संपन्न। सभी 4 यूनिटों पिट लाइनर संपन्न।
8.	**तीस्ता लो डैम-IV** एनएचपीसी 4×40 = 160 मेगावाट लागत: 1502.00	पश्चिम बंगाल	**विद्युत गृह:** 134373 घन मीटर में से 121682 घन मीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **पेनस्टॉक के आस-पास कंक्रीटिंग:** 12000 घनमीटर में से 5654 घनमीटर संपन्न। **विद्युत बांध एवं अंतर्वाह संरचना (शीर्ष स्तर तक):** 70000 घनमीटर में से 55479 घनमीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **आरसीसी कंक्रीटिंग:** 178000 घनमीटर में से 51700 घनमीटर संपन्न। **ई एवं एम कार्य:** सर्विस वे में इओटी क्रेन का उत्थापन संपन्न सभी इकाइयों में स्पाइरल केस का उत्थापन संपन्न इकाई #1, के लिए टरबाइन एवं रोटर एजेंबली उत्थापन संपन्न इकाई #2, के लिए बॉटम रिंग को गड्ढे में उतारा जा चुका है। **एचएम कार्य:** रेडियल द्वारों का 90.6% उत्थापन संपन्न। पेनस्टॉक लाइनर का उत्थापन संपन्न। इनटेक द्वारों का 76% उत्थापन संपन्न। शील्ट एक्सक्रूडर द्वारों का 77% उत्थापन संपन्न। स्पीलवे स्टॉपलॉग द्वारों का 62.3% उत्थापन संपन्न। इनटेक स्टॉपलॉग द्वारों का 57.3% उत्थापन संपन्न।
9क.	**सुबानसिरी लोअर** एनएचपीसी 8×250 = 2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश असम	**बांध:** **खुदाई:** 173000 घनमीटर में से 1694441 घनमीटर संपन्न। **कंक्रीटिंग:** 1823782 घनमीटर में से 575426 घनमीटर संपन्न।

1	2	3	4
	(12वीं योजना में 1000 मेगावाट)		**अंतर्वाह संरचना:** 279454 घनमीटर में से 261377 घनमीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **मुख्य सुरंग (I-VIII):** 7124 मीटर में से 7050 मीटर हेडिंग खुदाई संपन्न। 7124 मीटर में से 4279 मीटर बेंचिंग खुदाई संपन्न। 7124 मीटर में से 3199 मीटर कंक्रीट ओवर्ट लाइनिंग संपन्न। **सर्ज सुरंग (8):** 3545 मीटर में से 3109 मीटर हेडिंग खुदाई संपन्न। **वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट स्लैटिंग:** 384 मीटर में से 199 मीटर संपन्न। **सरफेस विद्युत गृह:** **कंक्रीटिंग:** 302600 घनमीटर में से 124887 घनमीटर संपन्न। **ई एवं एम कार्य:** **इकाई 1 एवं 2:** टरवाइन स्टेरिंग एवं स्पायर्ल केस उत्थापन संपन्न। **एचएम कार्य:** डायवर्जन द्वारों का उत्थापन 23% संपन्न। अंतर्वाह-5 का उत्थापन – प्रत्येक में 2% संपन्न। इनटेक 7 व 8 का उत्थान-प्रत्येक 20% संपन्न। कुल 1594 मीटर में से 201 मीटर प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनार उत्थापन हुआ।
10.	**कामेंग** नीपको 4×150 = 600 मेगावाट लागत: 5139.00	अरुणाचल प्रदेश	**बिछम बांध:** 649075/6982126 घनमीटर खुदाई तथा 40075/357490 घनमीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **टेंग्रा बांध:** 125615/135000 घनमीटर खुदाई और 31365/92850 घनमीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **मुख्य सुरंग:** खुदाई 12388.85/1447750 रनिंग मीटर संपन्न। **सर्ज शाफ्ट:** खुली खुदाई और वेधन संपन्न, सर्ज शाफ्ट एवं ऑरफिस **कंक्रीट लाइनिंग:** 62/70 रनिंग मीटर संपन्न। **एचपीटी:** वर्टिकल एवं होरीजेंटल भागद का वेधन और वाल्व हाउस सहित सरफेस जेन स्टॉक, की 396764/462504 घनमीटर की खुली खुदाई संपन्न। **विद्युत गृह एवं टेल रेस:** 1085376/1092184 घनमीटर की पिट खुदाई संपन्न। कंक्रीटिंग 40892/75600 घनमीटर संपन्न। **इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य:** यूनिट # I से III के सर्विस वे क्षेत्र में अर्थ मैट कार्य संपन्न। यूनिट # I एवं II के लिए ड्राफ्ट ट्यूब उत्थापन संपन्न।
11.	**पारे** नीपको 2×55 = 110 मेगावाट लागत: 11179	अरुणाचल प्रदेश	**डायवर्जन सुरंग:** डीटी संपन्न एवं यू/एस तथा डी/एस कॉफर बांध का निर्माण संपन्न। **बांध:** 398000 घनमीटर में से 272510 घनमीटर की खुदाई संपन्न। **मुख्य सुरंग:** 2828 आरएम में से 2561 वेधन संपन्न। **हाई प्रेशर सुरंग:** वेधन संपन्न।

1	2	3	4
			सार्ज शाफ्टः सर्ज शाफ्ट की खुली कदाई एवं वेधन संपन्न और 30.8/59 आरएम लाइनिंग संपन्न। **विद्युत गृहः** 119406/125000 घनमीटर खुदाई संपन्न। 17456.5/35000 घनमीटर कंक्रीटिंग संपन्न। **ई एण्ड एम कार्यः** यूनिट-I एवं II की डीटी लाइनर्स का उत्थापन संपन्न। **एचएम कार्यः** 3 ड्राफ्ट ट्यूब गेट का फेब्रीकेशन संपन्न। डी/टी इनटेल द्वारा का उथापन संपन्न।
12.	**तुरियल** नीपको 2×30 = 60 मेगावाट लागतः 913.63	मिजोरम	**डायवर्जन सुरंग (2):** 625/765 मीटर खुदाई तथा 732/775 मीटर लाइननिंग संपन्न। **मुख्य बांधः** 430100 घनमीटर खुदाई में से 71600 घनमीटर संपन्न। **स्पिल्वेः** 1754801 घनमीटर में से 1632385 घनमीटर खुदाई संपन्न। 92500 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 7532 घनमीटर संपन्न। **विद्युत गृह एवं स्विचयार्डः** खुदाई लगभग संपन्न।
	राज्य क्षेत्र		
13.	**बगलिहार-II** जेकेपीडीसी 3×150 = 450 मेगावाट लागतः 2113.09	जम्मू और कश्मीर	**मुख्य सुरंगः** खुदाई संपन्न, 1888 मीटर ओवर्ट लाइनिंग में से 1028 मीटर संपन्न तथा 1888 मीटर इनवर्ट लाइननिंग में से 636 मीटर संपन्न। **सर्ज शाफ्टः** खुदाई लगभग पूरी होने वाली है। **पेन स्टॉकः** 10000 घनमीटर में से 8339 घनमीटर संपन्न। **विद्युत गृहः** खुदाई लगभग संपन्न। **टीआरटीः** हैडिंग एवं बेंचिंग खुदाई संपन्न हो चुकी है।
14.	**उहल-III** बीस वैली पावर कॉर्पोरेशन 3×37 = 111 मेगावाट लागतः 1181.90	हिमाचल प्रदेश	संहारण जलाशयः खुदाई एवं कंक्रीटिंग संपन्न। मुख्य सुरंगः खुदाई संपन्न और 8010 मीटर लाइनिंग में से 974 मीटर संपन्न। **सर्ज शाफ्टः** संपन्न। **पेन स्टॉकः** 155000 घनमीटर खुदाई में से 152775 घनमीटर संपन्न तथा 35300 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 34863 घनमीटर संपन्न। विद्युत गृह एवं टेल रेसः 31300 घनमीटर खुदाई में से 30988 घनमीटर संपन्न तथा 13100 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 11503 घनमीटर संपन्न। **ई एण्ड एमः** **इकाई #I :** रनर की सेंटरिंग एवं लेवलिंग संपन्न। **इकाई #II :** जेनरेटर शॉफ्ट की सेंटरिंग, लेविंलग एवं संरेखन संपन्न। **इकाई #III :** उत्थापन संपन्न।
15.	**कशांग-I** एचपी पावर कॉर्पोरेशन लि. 65 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	**ट्रेंच वेयरः** 3743 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 3738 घनमीटर संपन्न। **मुख्य सुरंगः** खुदाई संपन्न एवं 1113 मीटर की लाइनिंग (इनटेक एण्ड) में से 1063 मीटर संपन्न।

1	2	3	4
	लागत: 1079.81		**प्रेशर शॉफ्ट:** वाल्व हाउसटॉप होंरिजेंटल प्रेशर शॉफ्ट की खुदाई संपन्न। 1346 मीटर बैकफिल कंक्रीटिंग में से 575 मीटर संपन्न। **ई एण्ड एम कार्य:** मॉडल जांच संपन्न। 335 मीटर टीआरटी कंक्री लाइननिंग में से 188 मीटर संपन्न।
16.	**कशांक-II एवं III** एचपी पावर कॉर्पोरेशन लि. 1×65 + 1×65 = 130 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	केरांग-कशांग लिंक (केके लिंक) सुरंग के कार्यों को मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि. को अवार्ड किया गया था। लिप्पा ग्रामीणों के निरंतर विरोध के कारण कार्य में विलंब हो रहा है। मामला न्यायाधीन है।
17.	**सैंज** एचपी पावर कॉर्पोरेशन लि. 100 मेगावाट लागत: 725.24	हिमाचल प्रदेश	**बैराज:** 6बे में से 2बे में कंक्रीटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एचआरटी: फेज-I में इनवर्ट लाइनिंग का 935मी. पूरा कर लिया गया गया है। फेज-II में 2120 मी. में से 2066 का खनन पूरा कर लिया गया है। पावर हाउस तक मुख्य पहुंच सुरंग का खनन पूरा कर लिया गया है। **विद्युत गृह:** खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। **ई एवं एम कार्य:** 10108 मी. में से 5187 मी. अर्थमेट बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। **टीआरटी:** खनन कार्य पूर्ण।
18.	**सवारा कुड्डू** एचपी पावर कॉर्पोरेशन लि. 3×37 = 111 मेगावाट लागत: 1181.90	हिमाचल प्रदेश	**एचआरटी:** एचआरटी खनन के सभी फेजों से 11364 मी. में से 9639 मी. खुदाई पूर्ण हो चकी है और 11364 मी. में से 1117 मी. कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **सर्ज शाफ्ट:** खनन कार्य पूर्ण। **विद्युत गृह:** खनन कार्य पूर्ण। **टीआरटी:** खनन कार्य पूर्ण। **ई एवं एम कार्य:** पीएच में डीटी लाइनर का इरेक्शन पूर्ण।
19.	**नागार्जुन सागर टीआर** एपजैंको 2×25 = 50 मेगावाट लागत: 958.67	आंध्र प्रदेश	**मुख्य बांध:** बांध क्षेत्र में खनन पूर्ण और 511854/532500 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **पी.एच. सिविल कार्य:** पूर्ण। **इकाई स्थापना:** **इकाई-1:** सर्विसबे में रोटर एवं स्टेटर असेंबली कार्य पूर्ण। **इकाई-2:** सर्विसबे में सटेअटर असेंबली कार्य पूर्ण। एच एवं एम कार्य 11.05.2009 को जीटीवी-पीईएस (जेवी) को पुन: अवार्ड किया गया। सभी 20 रेडियल द्वारों का निर्माण कार्य पूर्ण। 7434 एमटी की तुलना में 3910 एमटी इरेक्शन कार्य पूर्ण।
20.	**लोअर जुराला** एपजैंको 6×40 = 240 मेगावाट लागत: 1474.83	आंध्र प्रदेश	पहुंच चैनल, इंटेक पूल, पावर हाउस गर्त का खनन पूर्ण। **वेयर:** 415276/416700 क्यूमेक खनन कार्य किया गया। 172321/219039 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण।

1	2	3	4
			विद्युत गृह: खनन कार्य पूर्ण। 191817/203000 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य किया गया। **इकाई स्थापना:** **इकाई#1:** बॉक्सड अप। **इकाई##2:** टरबाइन एवं जेनरेटर का उत्थापन कार्य पूर्ण। **इकाई#3:** स्टे कॉन उत्थापित। सर्विसबे में स्टेटर एवं रोटर की असेंबली पूर्ण और उत्थापन के लिए तैयार। **इकाई#4:** स्टे कॉन का उत्थापित। **इकाई#5:** स्टे कॉन का उत्थापन पूर्ण। **इकाई#6:** डीटी कॉन का उत्थापन पूर्ण।
21.	**पुलीचिंताला** एपजैंको 120 मेगावाट (4×30 मेगावाट) लागत: 396	आंध्र प्रदेश	**विद्युत गृह:** विद्युत गृह का खनन कार्य लगभग पूर्ण और 5873692000 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य किया गया। **ई एवं एम कार्य:** **इकाई#1 एवं #2:** ड्राफ्ट ट्यूब का उत्थापन पूर्ण और कंक्रीटिंग के लिए जारी किया गया। **इकाई#3:** ड्राफ्ट ट्यूब वायु निकास पाइपों का विस्तार कार्य पूर्ण। **इकाई#4:** ड्राफ्ट ट्यूब निका पाइप को बिछाने का कार्य पूर्ण।
22.	**पल्लीवसल** केएसईबी 2×30 = 60 मेगावाट लागत: 268.02	केरल	**अंतर्वाह संरचना:** खनन - 28398/33492 क्यूमेक पूर्ण। **एचआरटी:** खनन-2858/3330 मी. पूर्ण। **ओवर्ट कंक्रीटिंग:** 1634/3330 मी. पूर्ण। **इनवर्ट कंक्रीटिंग:** 1637/3330 मी. पूर्ण। **सर्ज टैंक/फोरबे:** खनन-7210/13400 क्यूमेक कंक्रीटिंग 409/843 क्यूमेक **प्रेशन शाफ्ट:** खनन कार्य पूर्ण। **सरफेस पेनस्टॉक:** खनन-102507/122600 क्यूमेक। कंक्रीटिंग — 8554/11375 क्यूमेक (2036 मी.) में से 1190 मी. खनन कार्य पूर्ण। **विद्युत गृह:** खनन कार्य पूर्ण। कंक्रीटिंग 3536/11225 क्यूमेक। **टेल रेस चैनल (सं. 2):** खनन एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण। **ई एवं एम कार्य:** 75% आपूर्ति पूर्ण। दोनों इकाइयों के लिए गर्त लाइनर उत्थापन, वितरण प्राइप का उत्थापन और एमआईवी कार्य पूर्ण।
23.	**थोटियार** केएसईबी 1×30 + 1×40 = 40 मेगावाट लागत: 145.77	केरल	**वेयर:** कुल 5850 क्यूमेक में से 3194 क्यूमेक खनन कार्य पूर्ण। **एप्रोच चैनल एवं अंतर्वाह:** 9100 क्यूमेक में से 3184 क्यूमेक पूर्ण। **पावर सुरंग:** 2300 क्यूमेक में से 164 क्यूमेक खनन कार्य पूर्ण। **विद्युत गृह, स्वीचयार्ड एवं संबंधित कार्य:** 44500 क्यूमेक में से 28957 क्यूमेक खनन और 15675 मी. में से 808 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण।

1	2	3	4
24.	**न्यू उमतरू** एमईईसीएल, 2×20 = 40 लागत: 226.40	मेघालय	**बांध:** 208685 क्यूमेक में से 46184 क्यूमेक कार्य पूर्ण। 73488 क्यूमेक में से 13118 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **इंटेक:** 30000 क्यूमेक में से 26984 क्यूमेक का खनन कार्य पूर्ण। 13000 क्यूमेक में से 8862 क्यूमेक कार्य पूर्ण। **एचआरटी:** खनन कार्य पूर्ण। स्टील सपोर्ट का उत्थापन कार्य पूर्ण। 14000 क्यूमेक में से 13886 क्यूमेक लाइनिंग कार्य पूर्ण। **प्रेशर शॉफ्ट:** पूर्ण। **सर्ज शाफ्ट:** खुला खनन कार्य पूर्ण और कंक्रीटिंग कार्य भी पूर्ण। **पावर हाउस:** खनन कार्य पूर्ण **टीआरटी:** खुला खनन और सुरंग बोरिंग कार्य पूर्ण। **ई एंड एम:** दोनों यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब डत्थापन कार्य पूर्ण।
	निजी		
25.	**सोरांग** हिमाचल सोरांग पावर कॉर्पोरेशन लि. 2×50 = 100 मेगावाट लागत: 586.00	हिमाचल प्रदेश	**सिविल कार्य:** लगभग पूर्ण। **पेनस्टॉक:** कार्य लगभग पूर्ण। **ई एंड एम कार्य:** दोनों यूनिटों का बॉक्सड अप किया गया।
26.	**टिडोंग-I** मैसर्स एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि. 2×50 = 100 मेगावाट लागत: 543.15	हिमाचल प्रदेश	**बांध:** खनन कार्य पूर्ण। 4865 क्यूमेक में 4735 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **एचआरटी:** 8.6 कि.मी. में से 4 कि.मी. खनन कार्य पूर्ण। **सर्ज शाफ्ट:** 110 मी. में से 12.6 मी. पायलट होल खनन कार्य पूर्ण। **विद्युत गृह:** 95% खनन कार्य और 25% कंक्रीट कार्य पूर्ण। **प्रेशर शाफ्ट:** अपर एवं लोअर इन्क्लाइंड हिस्से को छोड़कर खनन कार्य पूर्ण।
27.	**टंगनु रोमई-I** मैसर्स टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2×22 = 44 मेगावाट लागत: 255.00	हिमाचल प्रदेश	**डायवर्जन कनाल:** स्लोप कटिंग कार्य प्रगति पर है। **डिसिल्टिंग चैंबर एवं एसएफटी:** खनन कार्य प्रगति पर है। **एचआरटी:** 6267 मी. में से 1900 मीटर खनन कार्य पूर्ण। **विद्युत गृह:** 52000 क्यूमेक में से 27075 क्यूमेक खनन कार्य पूर्ण।
28.	**श्रीनगर** जीवीके इंडस्ट्रीज लि. 4×82.5 = 330 मेगावाट लागत: 2069.00	उत्तराखंड	**इकाई उत्थापन:** **इकाई#2:** स्टे रिंग अलाइनमेंट कार्य पूर्ण।
29.	**फाटा ब्यूंग** मैसर्स लैंको 2×38 = 76 मेगावाट	उत्तराखंड	**डायवर्जन सुरंग:** नदी को डायवर्ट किया गया। **बांध कंक्रीटिंग:** 17800/18000 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **पीएच:** खनन कार्य पूर्ण

1	2	3	4
	लागत: 720.00		**एचआरटी:** 8474/9228 मी. खनन कार्य पूर्ण इनटेक-I एवं इनटेक-II का खनन एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण। **केबल सुरंग:** पूर्ण **टीआरटी:** 178/235 मी. खनन कार्य पूर्ण।
30.	**सिंगौली भटवारी** मैसर्स एल एंड टी 3×33 = 99 मेगावाट लागत: 666.47	उत्तराखंड	**नदी डायवर्जन:** पूर्ण। **बांध एवं डाइक/बैराज:** 68842/90744 क्यूमेक खनन कार्य और 46981/76500 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **एचआरटी:** 8300/11255 मी. खनन पूर्ण। **प्रेशर शॉफ्ट:** 440.5/485 मीटर खनन कार्य पूर्ण। **पीएच:** खनन कार्य पूर्ण एवं 6517/18000 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। **सर्ज टैंक:** खनन कार्य पूर्ण।
31.	**महेश्वर,** एसएमएचपीसीएल 10×40 = 400 मेगावाट लागत: 2449.20	मध्य प्रदेश	**सिविल एवं एचएम कार्य:** सभी बड़े सिविल कार्य पूर्ण **इकाई उत्थापन:** **इकाई-10:** प्रारंभिक स्पीनिंग 14.10.2011 को प्राप्त की गई। **इकाई-9 एवं 8:** स्पीनिंग के लिए तैयार **इकाई-7:** गाइड अपेरेटस ट्रायल एसेंबली कार्य प्रगति पर। **इकाई-6:** टरबाइन इम्बेडेड पार्ट एवं फाउंडेशन पार्ट का उत्थापन कार्य पूर्ण। विकासकर्त्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या के कारण नवंबर, 2011 में भेल द्वारा कार्य निलंबित।
32.	**तीस्ता-III** तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) 6×200 = 1200 मेगावाट लागत: 57055.55	सिक्किम	**बांध:** सीएफआरडी, 11.5 लाख क्यूमेक में से 9.74 लाख क्यूमेक सामग्री निकाली गई। **एचआरटी:** खनन पूर्ण। 13824 मीटर में से 10269 मीटर ओवर्ट लाइनिंग पूर्ण और 13824 मीटर में से 2207 मीटर इन्वर्ट लाइनिंग पूर्ण। सभी मशीन हॉल, जीआईएस हॉल और टीआरटी पर पहुंचने वाली एसेस सुरंग का खनन पूर्ण। **सर्ज शॉफ्ट:** शॉफ्ट सिंकिंग प्रणाली द्वारा 158 मीटर शॉफ्ट की खुदाई। 8994 क्यूमेक में से 1716 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। **प्रेशर शॉफ्ट खनन:** खनन पूर्ण। **विद्युत गृह:** खनन पूर्ण। ट्रांसफार्मर कैवर्न का भी खनन पूर्ण। **टीआरटी: खननपूर्ण:** 1336 मीटर में से 1267 मीटर आवर लाइनिंग पूर्ण।
33.	**तीस्ता-VI** लैंको	सिक्किम	**बैरेज एण्ड डीसिल्टिंग:** 943349/1934000 क्यूमेक खनन और 191184/380003 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण।

1	2	3	4
	4×125 = 500 मेगावाट लागत: 3283.08		**एचआरटी:** 1217402/2447447 क्यूमेक खनन पूर्ण और 191184/680562 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। **सर्ज टैंक:** खनन कार्य पूर्ण और 12377/54873 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। प्रमुख एसेस सुरंग का खनन, बेंटीलेशन सुरंग एडिट में ट्रांसफार्मर कैवर्न, केबिल सुरंग और बीएफबी में एडिट चैम्बर पूर्ण। **विद्युत गृह:** खनन पूर्ण और 21945/44578 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। **ट्रांसफार्मर कैवर्न:** खनन पूर्ण और 2539/7101 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। **टीआरटी:** खनन पूर्ण। 24837/43725 क्यूमेक लाइनिंग पूर्ण। **केबिल सुरंग और ट्रेंचिस:** खनन पूर्ण।
34.	**रंगित-IV** जल पावर कॉर्पोरेशन लि. 3×40 = 120 मेगावाट लागत: 726.17	सिक्किम	**बांध और इंटेक कार्य:** 290733/519887 क्यूमेक खनन पूर्ण और 145413 क्यूमेक में से 61008.5 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूर्ण। सड़क डाइवर्जन सुरंग का खनन पूर्ण कर लिया गया है। **एचआरटी:** खनन कार्य चल रहा है और 6488 मीटर में से 3557 मीटर कार्य पूर्ण **सर्ज शॉफ्ट:** खनन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। **विद्युत गृह:** विद्युत गृह पर पहुंच के लिए सड़क बनाने का कार्य पूर्ण। **डीसिल्टिंग चैम्बर:** 3360 मीटर में से 2121 मीटर खनन कार्य पूर्ण।
35.	**जोरथंग लूप** मैसर्स मैन्स एनर्जी 2×48 = 96 मेगावाट लागत: 403.00	सिक्किम	**एचआरटी:** 5903 मीटर/6718 मीटर खनन कार्य पूर्ण। **बैरेज:** सभी बड़े सिविल कार्य पूर्ण **सर्ज शॉफ्ट:** खनन कार्य पूर्ण और लाइनिंग ईएल 366.00 (55 मीटर) तक पूर्ण। **प्रेशर शॉफ्ट:** बॉटम क्षेतिज सुरंग (80.10 मीटर) पूर्ण। **विद्युत गृह:** खनन पूर्ण। **टेल रेस चैनल:** खनन एवं कंक्रीटिंग पूर्ण। **ई एवं एम कार्य:** **यूनिट 1 और 2:** स्पायर्स केसिंग और स्टेरिंग उत्थापन पूर्ण एवं हाइड्रोलिक प्रेशर परीक्षण पूर्ण। दोनों यूनिटों के ड्रॉफ्ट ट्यूब का उत्थापन एवं कंक्रीटिंग पूर्ण। **एचएम कार्य:** दोनों ही स्लूस सेवा गेट के तहत उत्थापित हो गए हैं। सभी पांचों सर्विस स्पिल्वे गेटों का निर्माण कर लिया गया है।
36.	**भास्मे** गति इंफ्रास्ट्रक्चर 3×17 = 51 मेगावाट लागत: 408.5	सिक्किम	डाइवर्जन सुरंग पूर्ण। **एचआरटी:** 309.85 आरएम/781.97 आरएम एडिट पूर्ण। **विद्युत गृह:** 181117/216147 क्यूमेक खनन पूर्ण। **प्रेशर सुरंग/शॉफ्ट:** 559.84 आरएम में से 40 आरएम खनन पूर्ण।

1	2	3	4
ख.	**निष्पादनकर्त्ता के अधीन 12वीं योजना के दौरान लाभ के लिए हाइड्रो क्षमता**		
	केंद्रीय क्षेत्र		
37.	**टेहरी पीएसएस** टीएचडीसी 4×250 = 1000 मेगावाट लागत: 2978.86	उत्तराखंड	**पेन स्टॉक असेंबली चैम्बर:** कुल 95 आरएम में से 26.5 आरएम की लम्बाई में क्राउन स्लेशिंग पूर्ण। **विद्युत गृह:** पावर हाउस कैबर्न (203 मीटर) का क्राउन स्लेशिंग पूर्ण। **सर्ज शॉफ्ट डाउनस्ट्रीम (संख्या 2):** दोनों शॉफ्टों की पायलट शॉफ्ट खनन पूर्ण। **टीआरटी (संख्या 2 1000 मीटर एवं 1095 मीटर):** टीआरटी-I में से 1070 आरएम में से 129 आरएम और टीआरटी-II में 1160 आरएम में से 83.4 आरएम के हेडिंग को प्राप्त कर लिया गया है।
38 क.	**लता तपोवन** एनटीपीसी 3×57 = 171 मेगावाट लागत: 79200	उत्तराखंड	निर्माणपूर्व गतिविधियां चल रही हैं।
38 ख.	**सुबानसिरी लोअर** एनएचपीसी 8×250 = 2000 मेगावाट (12वीं योजना में 1000 मेगावाट) लागत: 10667.00	अरुणाचल प्रदेश असम	उपर्युक्त 9(क) के अनुसार।
	राज्य क्षेत्र		
39.	**शाहपुरकंडी** इरीगेशन विभाग एण्ड पीएसपीसीएल 3×33+3×33+1×8 = 206 मेगावाट लागत: 2285.81	पंजाब	प्रमुख बांध और हाइडिल कैनल का सिविल कार्य प्रदान किया जा चुका है।
40.	**शोंटोंग करचम** एच.पी. पावर कॉर्पोरेशन लि. 3×150 = 450 मेगावाट लागत: 2807.83	हिमाचल प्रदेश	**एचआरटी:** 27.2.13 को एडिट-II में पहला ब्लास्ट किया गया और 907 मीटर में से 94 मीटर पूर्ण। एडिट-III में सड़क की पहुंच का कार्य शुरू। एडिट-IV में 403 मीटर में से 7 मीटर के खनन को पूर्ण कर लिया गया। **ई एवं एम कार्य:** अभी प्रदान किया जाना बाकी है।
41.	**कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस** डब्ल्युआरडी 2×40 = 80 मेगावाट लागत: 379.78	महाराष्ट्र	**सिविल कार्य:** स्विचयार्ड का खनन पूर्ण। **मशीन हाल:** 55050 क्यूमेक में से 21300 क्यूमेक खनन पूर्ण **ई एवं एम:** कार्य प्रदत्त।

1	2	3	4
	निजी क्षेत्र		
42.	**रत्ले** रत्ले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा.लि. 4×205 + 1×30 = 850 मेगावाट लागत: 5517.02	जम्मू और कश्मीर	सिविल और एचएम कार्य के ईपीसी संविदा मैसर्स जीवीके प्रोजेक्ट्स एवं टैक्निकल सर्विस लिमिटेड को 04.07.2013 को प्रदान किया गया। निर्माणपूर्ण कार्यकलाप चल रहे हैं।
43.	**बजोली होली** मैसर्स जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा.लि. लागत: 1696.93	हिमाचल प्रदेश	29.05.2013 को सिविल कार्यों को गैमान इंडिया लि. को प्रदान किया गया।
44.	**चंजु-I** मैसर्स आईए एनर्जी 3×12 = 36 मेगावाट लागत: 295.09	हिमाचल प्रदेश	सिविल कार्य और ई एवं एम कार्य प्रदान किए जा चुके हैं।
45.	**ताशिडिंग** मैसर्स शिघा एनर्जी प्रा.लि. 2×48.5 = 97 मेगावाट लागत: 465.95	सिक्किम	**एचआरटी (कुल-5437 मीटर):** फेस-1 : 818.50 मीटर, फेस-2: 564.0 मीटर, फेस-2: 907.70 मीटर, फेस-4: 495 मीटर, फेस-5 और 6: 7.50 मीटर में खनन पूर्ण हो चुका है। **सर्ज शॉफ्ट:** एडिट में सर्ज शॉफ्ट की सरफेस तैयारी पूर्ण। **ई एवं एम कार्य:** कार्य दिए जा चुके हैं। **विद्युत गृह:** ई-1 732.00 मीटर पपर खनन पूर्व एंकर बीम के रिइंफोर्सड सीमेंट कंक्रीट का 89% पूर्ण। क्लैडिंग बाल कंक्रीट का 95% पूर्ण। 63% सतह खनन कार्य पूर्ण। 40% शॉटक्रीटिंग कार्य पूर्ण।
46.	**डिक्चू** स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्टस प्रा.लि. 3×32 = 96 मेगावाट लागत: 639.57	सिक्किम	**बांध:** 86762 क्यूमेक में से 54000 क्यूमेक खनन पूर्ण। **एचआरटी:** 5456 आरएम में से 72 आरएम खनन पूर्ण। **विद्युत गृह:** 43570 क्यूमेक्स में से 22370 क्यूमेक्स का खनन पूर्ण। **टीएच:** 9177 क्यूमेक में से 6914 क्यूमेक खनन पूर्ण। **टीआरटी:** 295 आरएम में से 195 आरएम खनन पूर्ण। **प्रमुख एसेस सुरंग:** खनन पूर्ण।
47.	**रंगित-II** सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2×33 = 66 मेगावाट लागत: 497.17	सिक्किम	फरवरी, 2012 में ईपीसी संविदा मैसर्स कोस्टल को प्रदान की गई।
48.	**रोंगनिचू** मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन लि. 2×48 = 96 मेगावाट लागत: 491.32	सिक्किम	निर्माणपूर्व कार्यकलाप चल रहे हैं।

विवरण-IV

सीईए द्वारा सहमत और निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु शेष जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्र. सं.	स्कीम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
उत्तर क्षेत्र		
जम्मू और कश्मीर		
1.	पकल दुल	1000
हिमाचल प्रदेश		
2.	कुटेहर	240
3.	मियार	120
उत्तराखंड		
4.	विष्णुगाड पीपलकोटी	444
5.	कोटलीभेज चरण-Iए	195
6.	कोटलीभेल चरण-Iबी	320
7.	कोटलीभेल स्टे.-II	530
8.	पाला मनेरी	480
9.	अलकनंदा	300
10.	रूपसियाबगार खसियाबाड़ा	261
11.	व्यासी	120
12.	देवसरी	252
उप-जोड़: उत्तरी क्षेत्र:		4262
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़		
13.	मतनार एचईपी	60
उप-जोड़: पश्चिमी क्षेत्र:		60
पूर्वी क्षेत्र		
पश्चिम बंगाल		
14.	रामम स्टे.-III	120
ओडिशा		
15.	जालापुट डैम टो	18
सिक्किम		
16.	तीस्ता स्टे.-IV	520
17.	पानन	300
उप-जोड़: पूर्वी क्षेत्र:		958
दक्षिणी क्षेत्र		
केरल		
18.	अथिरापिल्ली	163
आंध्र प्रदेश		
19.	इंदिरासागर (पोलावरम)	960
कर्नाटक		
20.	गुंदिया	200
उप-जोड़: दक्षिणी क्षेत्र:		1323
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
मणिपुर		
21.	तिपाईमुख	1500
22.	लोकटक डी/एस	66
अरुणाचल प्रदेश		
23.	दिबांग	3000
24.	डिबिन	120
25.	लोअर सियांग	2700

1	2	3
26.	नाफ्रा	120
27.	न्यामजंग चू	780
28.	तवांग स्टे.-I	600
29.	तातो-II	700
30.	तवांग स्टे.-II	800
31.	देम्वे लोअर	1750
32.	गोंगरी	144
33.	हिरोंग	500
34.	इटालिन	3097
35.	टालोंग लोंडा	225
36.	नयींग	1000
37.	सियोम	1000
मिजोरम		
38.	कोलोडाइन स्टे.-II	460
उप-जोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र		18562
कुल: अखिल भारत		25165

पिछड़े क्षेत्रों में रेल परियोजनाएं

***105. श्री सुल्तान अहमद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की देश के सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं के विकास संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए क्षेत्रों सहित तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पिछड़े जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की गई रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विकास हेतु व्यवहार्य वित्तपोषण हेतु कोई तंत्र बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछड़े, जनजाती, पहाड़ी क्षेत्रों के आधार पर परियोजनाओं का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। बहरहाल, 156 चालू नई लाइन रेल परियोजनाओं में से 133 परियोजनाओं के प्रतिफल की दर 14% की सीमारेखा से भी कम है और उन्हें पहाड़ी, जनजातीय, पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर विचार करते हुए शुरू किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

***106. श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तपोषण प्रतिमान सति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) क्या देश में बिहार सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण पर किलोमीटर व्यय को विनियमित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ प्रति किलोमीटर क्या दर निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दर में वृद्धि करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को बिहार सहित विभिन्न राज्यों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" का उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) और उससे अधीक की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और आर-पार निवासी संरचनाओं के साथ जो कि वर्ष भर चालू रहे) से जोड़ना है। 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों', मरूभूमि क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के संबंध में इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में एकल बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। खेतों से बाजार तक सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इसमें मौजूदा थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्धारित मानकों तक उन्नयन किए जाने की भी परिकल्पना की गई है, यद्यपि कार्यक्रम में इसे प्रमुखता नहीं दी गई है। पीएमजीएसवाई एक शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना है। हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) से प्राप्त उपकर, बजटीय सहायता, एडीबी ऋण, विश्व बैंक से लिया गया ऋण और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिया गया ऋण का कार्यक्रम के लिए निधियों के स्रोत रहे हैं।

(ख) और (ग) बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने ग्रामीण सड़कों के ज्यामितिक मानकों, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव के संबंध में 'ग्रामीण सड़क नियमावली आईआरसी एसपी:20' नामक एक नियमावली तैयार की है। राज्यों को मौजूदा राज्य दरों के आधार पर सड़क कार्यों की मदों के लिए दरों की मानक सूची (एसओआर) तैयार करना होता है और प्रत्येक वर्ष इस सूची को संशोधित भी करना होता है। तद्नुसार, ग्रामीण सड़क नियमावली आईआरसी एसपी:20, राज्य विशिष्ट एसओआर तथा पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस प्रकार प्रति किलोमीटर लागत और हुए खर्च सहित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की लागत उपर्युक्त कारकों के अनुसार है।

(घ) और (ङ) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अुनसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाली राज्य सरकारों की होती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाया गया है। निगरानी का पहला स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाई का स्तर होता है और दूसरे स्तर में राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के पहले दो स्तरों की जिम्मेवारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की होती है। तीसरे स्तर की परिकल्पना केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में की गई है। इस स्तर के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यादृच्छिक आधार पर चुनी गई सड़कों की जांच के लिए स्वतंत्र राष्ट्र-स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं को तैनाती करती है।

पीएमसीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में बिहार सहित विभिन्न राज्यों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआरडीए के माध्यम से प्राप्त शिकायतें आम तौर पर संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है क्योंकि सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों की होती है।

यदि तयशुदा सयम-सीमा में पर्याप्त उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एनआरआरडीए एनक्यूएम को तैनात करती है और एनक्यूएम की रिपोर्टों के आधार पर आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान बिहार सहित सभी राज्यों के संबंध में एनआरआरडीए को इस प्रकार की 63 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 2 शिकायतें राज्य को भेज दी गई थीं और शेष 61 शिकायतों के मामले में जांच के लिए एनक्यूएम की तैनाती की गई थी। इनमें से 17 मामलों में अनियमितताएं मिली थीं और इनकी रिपोर्टें राज्यों को सुधार और उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों के राज्य-वार ब्यौरों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मंत्रालय में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के दौरान						वर्ष 2013-14 के दौरान					
		प्राप्त शिकायतें	जांच और कार्रवाई के लिए राज्य को भेजी गई	निगरानीकर्त्ताओं के जरिए जांचे गए मामले				प्राप्त शिकायतें	जांच और कार्रवाई के लिए राज्य को भेजी गई	निगरानीकर्त्ताओं के जरिए जांचे गए मामले			
				जांच के लिए एनक्यूएम तैनात किए गए	मामले की जांच चल रही है	संतोषप्रद पाया गया	असंतोषप्रद पाया गया			जांच के लिए एनक्यूएम तैनात किए गए	मामले की जांच चल रही है	संतोषप्रद पाया गया	असंतोषप्रद पाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1		1			1						
2.	अरुणाचल प्रदेश	1		1	1			1		1	1		
3.	असम	1		1			1	2		2	1		1
4.	बिहार (आरईओ)	6		6	1	2	3	8		8	6		2
5.	बिहार (एनईए)	1	1	0				4	1	3	3		
6.	छत्तीसगढ़	1		1	1			1		1	1		
7.	गुजरात							1		1	1		
8.	हरियाणा												
9.	हिमाचल प्रदेश	1		1		1							
10.	जम्मू और कश्मीर	1		1		1							
11.	झारखंड	2		2			2	4		4	4		
12.	कर्नाटक												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल												
14.	मध्य प्रदेश	2		2		1	1	1		1		1	
15.	महाराष्ट्र	2		2	1	1		4		4	4		
16.	मणिपुर												
17.	मेघालय												
18.	मिजोरम												
19.	नागालैंड												
20.	ओडिशा	1		1			1	1		1	1		
21.	पंजाब	2		2		1	1						
22.	राजस्थान	1		1		1							
23.	सिक्किम	1		1		1							
24.	तमिलनाडु												
25.	त्रिपुरा	1		1			1						
26.	उत्तर प्रदेश	5		5		2	3	5		5	4	1	
27.	उत्तराखंड	1		1		1							
28.	पश्चिम बंगाल												
	कुल	31	1	30	4	12	14	32	1	31	26	2	3

[अनुवाद]

रेलवे के अंतर्गत उत्पादन एकक

***107. श्री महेन्द्र कुमार राय :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे के अंतर्गत उत्पादन एककों की क्षमता उपयोग और उत्पादन का एकक और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में नए उत्पादन एकक स्थापित करने के संबंध में की गई प्रगति की पालक्कड़ सहित स्थान-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार पश्चिम बंगाल में रेल एक्सल फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश में फोर्ज्ड व्हील फैक्ट्री स्थापित करने सहित देश में विभिन्न ऐसे नए एकक स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए आवंटित और इस पर खर्च की गई धनराशि का एकक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त एकक कब तक स्थापित किए जाने और चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) रेलवे निर्माण इकाइयां, उनके स्थान और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादन आउटपुट निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	उत्पादन इकाइयों का नाम और स्थान	उत्पाद	उत्पादन आउटपुट			
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवम्बर, 13 तक)
1.	डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी, उत्तर प्रदेश	डीजल इंजन	267	259	294	203
2.	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल	बिजली इंजन	230	246	270	183
3.	सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), पेरांबूर, चेन्नई, तमिलनाडु	सवारी डिब्बे	1503	1511	1592	932
4.	रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला, पंजाब	सवारी डिब्बे	1576	1421	1635	974
5.	डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, (डीआका), पटियाला, पंजाब	डीजल इंजन निर्माण एवं पुनर्निर्माण	110	111	133	97
6.	रेल पहिया कारखाना (रेपका), बेंगलूरु, कर्नाटक	पहिए, धुरे	180810 83339	201135 99570	191501 100001	122467 60902

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन उत्पादन इकाइयों की क्षमता उपयोगिता को नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	उत्पादन इकाई	क्षमता उपयोगिता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 13 तक) (अनुपातिक आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1.	डीरेका	133.5%	129%	147%	152%

1	2	3	4	5	6
2.	चिरेका	115%	123%	135%	137%
3.	सडिका	100.2%	100.7%	106.1%	93%
4.	रेडिका	105%	94.7%	109%	97%
5.	डीआका	151%	154%	184%	202%
6.	रेपका	95%	105%	100.8%	97%

(ख) और (ग) जी, हां। देश में नई उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने की वर्तमान स्थिति, स्थान-वार निम्नानुसार है:—

स्थान	विवरण	स्थिति
1	2	3
छपरा	पहिया विनिर्माण संयंत्र	निर्माण कार्य समाप्त और मशीनें चालू हो गई हैं। चालू करने के पूर्व परीक्षणों में 3500 पहियों को तैयार किया गया।
मरहोरा	डीजल इंजन विनिर्माण फैक्ट्री	अर्हता के लिए अनुरोधों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
रायबरेली	रेल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	चरण-I समाप्त और चरण-II प्रगति पर है।
रायबरेली	आरआईएनएल द्वारा फोर्ज्ड व्हील फैक्ट्री	भारतीय रेल एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के बीच समझौता और सुनिश्चित खरीद अनुबंध किया गया।
माधेपुरा	विद्युत इंजन विनिर्माण फैक्ट्री	अर्हता के लिए अनुरोधों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
दानकुनी	डीजल इंजन पुर्जा फैक्ट्री	अंडर-फ्रेम शॉप का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है। 2012-13 में 20 अंडर प्रेम विनिर्मित किए गए। चरण-II परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
दानकुनी	विद्युत इंजन उपकरण फैक्ट्री	रेल विकास निगम लिमिटेड को निर्माण कार्य सौंपा गया है।
कांचरापाड़ा	रेल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	वित्तीय बोली चरण में प्रतिभागिता के लिए पूर्व-अर्हता के बाद बोलीदाताओं को चुना गया है।
न्यू जलपाईगुड़ी	रेल धुरा विनिर्माण फैक्ट्री	आरआईएनएल द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी के लिए भारतीय रेल एवं आरआईएनएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
गुवाहाटी	माल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	जारी करने से पूर्व आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
न्यू कूचबिहार	विद्युत सिगनल उत्पादन इकाई	रेल भूमि की पहचान की गई है। आरएफक्यू को अधिसूचित किया गया।
बुनियादपुर	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	जारी करने से पूर्व आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
हल्दिया	डीजल मल्टीपल यूनिट विनिर्माण इकाई	चरण-I, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य समाप्त। डीएमयू के पहले रेक को अंतिम रूप देना देने का कोई समाप्त।

1	2	3
काजीपेट	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	जारी करने से पूर्व आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सीतापल्ली	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	जारी करने से पूर्व आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
पलक्कड़	रेल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	रेल मंत्रालय से राज्य सरकार से भूमि खरीद ली गई है। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अर्हता के अनुरोध को दिसम्बर, 2013 को खोल दिया गया है।
विदिशा	ट्रेक्शन अल्टरनेटर विनिर्माण एवं उच्च अश्व शक्ति वाले इंजनों के एसी कर्षण मोटरों की मरम्मत की फैक्ट्री	मैसर्स राइट्स को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परामर्श के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया।
चंडीगढ़	आधुनिक सिगनल उपकरण फैक्ट्री	पीपीपी द्वारा निश्चित खरीद पर 2013-14 में कार्य स्वीकृत।
भीलवाड़ा	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. द्वारा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई	भारतीय रेल और भेल के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।

(घ) और (ङ) इनके कार्य को समाप्त होने सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और व्यय किया गए धन के विवरण निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

स्थान	विवरण	किया गया बजट आवंटन				व्यय	कार्य समाप्त करने का समय
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11 से अक्तूबर, 2013 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8
छपरा	पहिया विनिर्माण संयंत्र	303	315	177	50	576	2014-15
मरहोरा	डीजल इंजन विनिर्माण फैक्ट्री	15	3	1	3.85	7	वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
रायबरेली	रेल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	100	320	125	650	1021	2015-16
रायबरेली	आरआईएनएल द्वारा फोर्ज्ड व्हील फैक्ट्री	आरआईएनएल द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी वाले संयुक्त उपक्रम के रूप में निष्पादित किया जा रहा है।					2017-18
माधेपुरा	विद्युत इंजन विनिर्माण फैक्ट्री	15	3	1	4	6.5	वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
दानकुनी	डीजल इंजन निर्माण फैक्ट्री	25	25	22	19	188	2014-15

1	2	3	4	5	6	7	8
दानकुनी	विद्युत इंजन उपकरण फैक्ट्री	50	4	10	10	52.5	2014-15
कांचरापाड़ा	रेल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	20	1	10	2	23.5	वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
न्यू जलपाईगुड़ी	रेल धुरा विनिर्माण फैक्ट्री	आरआईएनएल द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी वाले संयुक्त उद्यम के रूप में निष्पादित किया जा रहा है।					वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
गुवाहाटी	माल डिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
न्यू कूचबिहार	विद्युत सिगनल उत्पादन इकाई	0.01	0.03	2	1	0.17	
बुनियादपुर	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					
हल्दिया	डीजल मल्टीपल यूनिट विनिर्माण इकाई	0.01	30	25	10	55	2014-15
काजीपेट	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के तीन वर्ष बाद
सीतापल्ली	मालडिब्बा विनिर्माण फैक्ट्री	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					
पलक्कड़	रेल कोच विनिर्माण फैक्ट्री	भूमि की खरीद के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।				35	
विदिशा	ट्रेक्शन अल्टरनेटर विनिर्माण एवं उच्च अश्व शक्ति वाले इंजनों के एसी कर्षण मोटरों की मरम्मत की फैक्ट्री	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					
चंडीगढ़	आधुनिक सिगनल उपकरण फैक्ट्री	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	
भीलवाड़ा	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. द्वारा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई	सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।					निर्माण होने के तीन वर्ष बाद

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

***108. श्री ए.के.एस. विजयन :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार कितने बांधों का निर्माण किया गया और उनका निर्माण किस वर्ष में किया गया;

(ख) क्या बड़ी संख्या में बांध जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बांधों की मरम्मत/पुररुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई/कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या राज्यों से बांधों की मरम्मत/पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना भी शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने बांध शामिल किए गए हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित औ खर्च की गई तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार क्या सफलता प्राप्त की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संकलित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर, 2013 के अनुसार भारत में 5189 बड़े बांध हैं जिनमें से 4842 पूरे कर लिए गए हैं और 347 निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय रजिस्टर में किए गए उल्लेख और संलग्न विवरण में तालिका में दिए गए ब्यौरे के अनुसार से बांध भिन्न-भिन्न समय पर बनाए गए हैं।

(ख) से (ङ) राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध कराई गई सचूना के अनुसार कोई बांध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सूचित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ ऐसे बांध हैं जिनमें संरचनात्मक एवं प्रचालनात्मक सुरक्षा की दृष्टि से मरम्मत, पुनरुद्धार एवं सामान्य सुधार की आवश्यकता है। बांधों का अनुरक्षण संबंधित बांध स्वामी द्वारा किया जाता है जो अधिकतर राज्य सरकारें होती हैं और उनके अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई केवल संबंधित बांध स्वामी द्वारा की जानी होती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में बांध सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप के संबंध में तकनीकी सलाह देने और इस संदर्भ में सुधारों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और केन्द्रीय बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया है।

वर्ष 2008 में वर्तमान बांधों के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई "बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)" में भाग लेने के लिए 13 राज्यों (नामत: बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु) से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तदुपरांत संस्थागत तैयारी, प्रतिबद्धता आदि के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग में डीआरआईपी को चार राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

डीआरआईपी के अंतर्गत लगभग 223 बड़े बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 2100 करोड़ रुपये है। कुल परियोजना लागत में से 80 प्रतिशत का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा और शेष लागत का वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। डीआरआईपी 18 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गई है और यह छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। डीआरआईपी के अंतर्गत शामिल किए गए बांधों की राज्य-वार संख्या और परियोजना लागत का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:—

राज्य	डीआरआईपी के अंतर्गत बांधों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
केरल	31	279.89
ओडिशा	38	147.74
मध्य प्रदेश	50	314.54
तमिलनाडु	104	745.49
केन्द्रीय जल आयोग		132.00
अनावंटित संसाधन*		480.24
कुल	223	2100.00

*(जिन राज्यों को परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के चरण में शामिल नहीं किया जा सका, उनके लिए आरक्षित निधि)

डीआरआईपी का कार्यान्वयन इसके शुरुआती चरणों में है। परियोजना के अंतर्गत पिछली और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निधि का आवंटन और निधि का उपयोग नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

कार्यान्वयन अभिकरण	प्रथम वर्ष (2012-13)		चालू वर्ष (2013-14)		सितम्बर, 2013 तक कुल उपयोग
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	सितम्बर, 2013 तक उपयोग	
मध्य प्रदेश	350	207.82	3000	292.98	500.8
ओडिशा	400	32.14	1050	10.71	42.85
तमिलनाडु	120.65	55.89	39487	101.01	156.9
केरल	6125	5.69	8012	231.01	236.7
केन्द्रीय जल आयोग	230	42.41	3600	29.89	72.3
कुल	7225.65	743.95	55149	665.6	1009.55

विवरण

बड़े बांधों के निर्माण का वर्ष और राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	पूरा होने का वर्ष											
		1990 तक	1901 से 1950	1951 से 1960	1961 से 1970	1971 स 1980	1981 से 1990	1991 से 2000	2001 और बाद में	निर्माण का वर्ष उपलब्ध नहीं	कुल पूर्ण बांध	निर्माणा-धीन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					1			1		2		2
2.	आंध्र प्रदेश	7	35	16	22	31	26	15	13	126	291	44	335
3.	अरुणाचल प्रदेश								1		1		1
4.	असम						2		1		3	2	5
5.	बिहार	1		1	8	5	6	1	2		24	4	28
6.	छत्तीसगढ़		11	1	18	51	98	37	26	1	243	14	257
7.	गोवा					3	2				5		5
8.	गुजरात	6	59	57	86	154	151	56	46	6	621	45	666
9.	हिमाचल प्रदेश				1	2	2	1	5	2	13	6	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	हरियाणा								1		1		1
11.	जम्मू और कश्मीर					2	2	1	4	3	12	2	14
12.	झारखंड			9	5	11	21			3	49	28	77
13.	कर्नाटक	6	24	11	39	49	54	17	14	16	230	1	231
14.	केरल	1	1	9	15	10	10	9	3	0	58	1	59
15.	मध्य प्रदेश	3	86	35	67	220	301	93	66	28	899	7	906
16.	महाराष्ट्र	20	40	23	152	622	416	304	113	3	1693	152	1845
17.	मणिपुर					1		1	1		3	2	5
18.	मेघालय			1	1	1		1	1		5	1	6
19.	मिजोरम										0		0
20.	नागालैंड							1			1		1
21.	ओडिशा	2	2	4	8	55	77	33	13	4	198	6	204
22.	पंजाब			1			4	6	3		14	1	15
23.	राजस्थान	31	8	33	23	29	36	26	15	0	201	10	211
24.	सिक्किम							1	1		2		2
25.	तमिलनाडु	0	10	10	26	26	17	8	19		116	0	116
26.	त्रिपुरा					1					1		1
27.	उत्तर प्रदेश	4	24	21	22	16	14	11	3		115	15	130
28.	उत्तराखंड				5	4	2		2		13	6	19
29.	पश्चिम बंगाल			1	1	4	16	2	4		28		28
	सकल योग	81	300	233	499	1295	1258	626	358	192	4842	347	5189

**संघ शासित क्षेत्र (यूटी)*

टिप्पणी: उपर्युक्त सूचना, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संकलित की गई है और जैसे एवं जब आगे सूचना प्राप्त होगी, इसे अद्यतन किया जाएगा।

[हिन्दी]

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि

***109. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूमण्डलीय तापन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे देश के तटीय गांवों को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या तटीय क्षेत्रों में अव्यवस्थित विकास और इसके

परिणामस्वरूप हरित पट्टी के घटने, अनियंत्रित पर्यटन और तटीय संरक्षण विधियों के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के कारण तटीय क्षेत्रों में गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्र स्तर में वृद्धि एक बड़ी धीमी परिघटना है और यह वैश्विक रूप से समुद्र स्तर वृद्धि/गिरावट प्रवृत्तियों की भूसंचायिकों के साथ प्रकट होती है। जलवायु परिवर्तन पर बने अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा हाल ही में जारी की गई पांचवीं आकलन रिपोर्ट (एआर5) यह बताती है कि 1901-2010 की अवधि तक वैश्विक मध्य समुद्र स्तर 0.19 मी. तक बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त, आईपीसीसी-एआर5 के अनुसार 1901 और 2010 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर वृद्धि की औसत दर 1.71 मिमी प्रतिवर्ष थी जिसमें 1993 और 2010 के बीच 3.2 मिमी प्रतिवर्ष की त्वरित दर नोटिस की गई। 1920 और 1920 के बीच, निम्न ग्लोबल वार्मिंग की अवधि के दौरान, रिपोर्ट की गई सामान्तर उच्च दर की व्यापकता, यह संकेत करती है कि कई अन्य भौतिक कारणों जैसे कि सुनामी, तूफान महोर्मि और ज्वारीय परिवर्तनीयता, महातरंग, सामान्य डेल्टिक अवतलन, तटीय कटाव और तटीय रेखा के साथ-साथ नदी चैनलों में गाद भरने के कारण भी समुद्र स्तर में वृद्धि होती है।

तथापि, हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 40-50 वर्षों के दौरान भारतीय तटों के पास समुद्र स्तर में वृद्धि की प्रवृत्तियों का अनुमान 1.3 मिमी प्रतिवर्ष लगाया है। तथापि, तेजी से बढ़ते हुए समुद्र स्तर के संकेत को ग्रहण करने के लिए उत्तरी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आदि) के लिए दीर्घ अवधि समुद्र स्तर डेटा की आवश्यकता है। भारतीय तट के कुछ भागों में तटीय कटाव देखा जा सकता है और नदी मुहाने पर डेल्टिक अवतलन का अनुभव किया जा सकता है। तथापि, यह अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है कि यह प्रकटीकरण समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण हो रहे हैं। तटीय कटाव के कारण उत्पन्न हुए उचित सुरक्षा उपायों का संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय जल आयोग की तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सीडीपीएसी) द्वारा संयुक्त रूप से ध्यान दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विगत तीन तटीय रेखा परिवर्तन के आकलन, तटीय वनस्पति, जैव शील्ड, समुद्री घास, कुछ केसों में लैगून का खुलना और छोटे द्वीपसमूह आदि सहित संपूर्ण तटीय वैटलैंड के सीमांकन और मानचित्रण के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों का प्रयोग करते हुए विभिन्न अध्ययन किए गए है जिनमें उनका पुनर्जीवन और संरक्षण शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन – पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन निदेशालय (ईएसएसओ-इकमाम) ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बहु-संकट तटीय संवेदनशीलता का मानचित्र और सीमांकन करने का काम शुरू किया है। भारत सरकार ने भारतीय तट रेखा के पास समुद्र स्तर परिवर्तनों के पैटर्न को लगातार मॉनीटर करने के लिए 26 ज्वार मापी स्थापित किए हैं। यह सभी ज्वार मापी स्टेशन, वास्तविक समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के अधीन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस), हैदराबाद को डेटा का प्रसारण कर रहे हैं।

प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधारपर, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) समान तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) ढांचे की अपेक्षा भारत के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है। तद्नुसार, केंद्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य स्थानीय समुदायों और मछुआरे समुदायों को तटीय सीमाओं, इसके अनोखे पर्यावरण और इसके समुद्री क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करने करने तथा तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर धारणीय तरीके से विकास को बढ़ावा देते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि से जीवन यापन सुरक्षा सुनिश्चित कराने की दृष्टि से सीआरजेड-2011 अधिसूचना जारी की जिसमें, एततद्वारा, देश के तटीय सीमाओं और इसके प्रादेशिक जल सीमा तक इस जलक्षेत्र, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल नहीं है और इनकी प्रादेशिक सीमा तक इन द्वीपसमूह के आस-पास के तटीय क्षेत्र को सीआरजेड के रूप में घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त सीआरजेड में किसी उद्योग, प्रचालनों अथवा प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार अथवा खतरनाक पदार्थों के तौर पर निर्दिष्ट किए गए खतरनाक पदार्थों के उत्पादन अथवा कौशल अथवा भंडार अथवा निपटान को प्रतिबंधित किया जाता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी (सीकॉम) को स्थापित करते हुए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना में, सीकॉम चार घटकों नामतः (i) राष्ट्रीय

तटीय प्रबंधन कार्यक्रम; (ii) आईसीजेडएम-पश्चिम बंगाल; (iii) आईसीजेडएम-ओडिशा; (iv) आईसीजेडएम-गुजरात को कार्यान्वित करेगा। राष्ट्रीय घटक में शामिल हैं; (क) देश की मुख्य भूमि की संपूर्ण तटीय रेखा के मानचित्र के लिए आपदा सीमा का निर्धारण करना (ख) अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्ने के कैंपस के भीतर धारणीय तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है जिसके क्षेत्रीय केन्द्र प्रत्येक तटीय राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थापित किए गए ताकि तटीय समुदायों के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाए।

समुद्र स्तर में वृद्धि का तटीय रेखा के पास दीर्घ अवधि प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। सामान्य रूप से, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत का पूर्वी तट अपने निम्न क्षेत्र के कारण पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील है और इसलिए अगर समुद्र स्तर में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि होती है तो तटीय बाढ़ की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। भूकंप, चक्रवातों, बाढ़, तूफान महोर्मि और सुनामी आदि से उत्पन्न हुई साकल्यावादी तटीय संवेदनशीलता के लिए बहु-आपदा को तटीय संरचना के निर्माण अर्थात् मकानों, भवनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), पत्तनों, निचले इलाकों जैसे सुन्दरबन, बे द्वीपसमूह आदि में रहने वालों को बाहर निकालने, औद्योगिक और ढांचागत कॉरिडॉरों के लिए आपदा रोधी डिजाइन पद्धति को विकसित किया जाता है।

समुद्र स्तर के भविष्य के पूर्वानुमानों में अनिश्चितताएं शामिल हैं जिससे भरोसे के पर्याप्त स्तर के साथ प्रभावों का पूर्वानुमान देना मुश्किल हो सकता। प्रेक्षणों और संख्यात्मक मॉडलों का उपयोग करने के माध्यम से, विवर्तनिकी गतिविधियों के कारण बेसिन ज्यमिति परिवर्तन और स्वच्छ जली संतुलन के प्रभावों का मात्रीकरण उत्तरी हिंद महासागर में होने वाले सूक्ष्म समुद्र स्तर परिवर्तनों को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

भारत की जलवायु परिवर्तन पर बनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) एक पद्धति को रेखांकित करती है जिसका लक्ष्य देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और हमारे विकास पथ के लिए पारिस्थितिकी धारणीयता को बढ़ाने में समर्थ बनाना है। यह भारत के बहुसंख्यक लोगों को बढ़ते जीवन स्तर के लिए उच्च विकास दर को बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनकी संवेदनशीलता को कम करने पर बल देता है।

[अनुवाद]

भूजल संसाधनों में गिरवट

***110. श्री राम सुन्दर दास :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कृषि क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप भूजल संसाधनों में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में भूजल की उपलब्धता की तुलना में भूजल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ख) जी, हां। यह सच है कि कृषि कार्यों में प्रयोग बढ़ाने के कारण देश के कुछ हिस्सों में भू-जल स्तर गिर रहा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधनों का आवधिक आकलन करता है। भूमि जल संसाधनों के पिछले दो आकलन वर्ष 2004 और 2009 में किए गए थे। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई के लिए भूमि जल स्तर बढ़ा है, जबकि वर्ष 2004 और 2009 के बीच आंध्र प्रदेश राज्य में इसमें कमी आई है। वर्ष 2004 और 2009 में किए गए दोनों आकलनों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में सिंचाई के लिए वार्षिक भूमि जल आहरण 13.88 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से घटकर 12.61 बीसीएम हो गया है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में यह जल आहरण क्रमश: 9.39 बीसीएम से बढ़कर 9.79 बीसीएम और 45.36 बीसीएम से बढ़कर 45.99 बीसीएम हो गया है। निवल वार्षिक भूमि जल उपलब्धता आंध्र प्रदेश में 32.99 बीसीएम से घटकर 30.76 बीसीएम, बिहार में 27.42 बीसीएम से घटकर 26.21 बीसीएम और उत्तर प्रदेश में 70.18 बीसीएम से घटकर 68.57 बीसीएम हो गई है।

(ग) भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता द्वारा जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देकर देश में जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देती है।

[हिन्दी]

मीडिया में विषय-वस्तु संबंधी विनियमन

***111. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण क्षेत्र में प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् नामक एक स्वत: विनियामक निकाय विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परिषद् की संरचना क्या है तथा इस निकाय द्वारा किन-किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) उक्त परिषद् इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लील विषय-वस्तु को किस प्रकार नियंत्रित करती है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रिंट मीडिया में वैसी ही आपत्तिजनक विषय-वस्तु दर्शाए जाने के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) की स्थापना भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा जून, 2011 में गैर-समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए स्व-विनियामक तंत्र के रूप में की गई थी।

(ख) और (ग) बीसीसीसी एक 13 सदस्यों वाला निकाय है। इसके मुखिया उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। परिषद् के गठन का स्वरूप निम्नलिखित रूप में है:—

(i) जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए गए चार (4) प्रतिष्ठित सदस्य।

(ii) राष्ट्रीय स्तर के सांवधिक आयोगों जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), आदि से चार (4) प्रतिनिधि।

(iii) भिन्न-भिन्न प्रसारण संगठनों/चैनलों से चार (4) प्रसारण सदस्य।

बीसीसीसी ने विभिन्न पणधारकों से व्यापक परामर्श के उपरांत विस्तृत स्व-विनियमन दिशानिर्देश तैयार किए हैं। परिषद् के दिशानिर्देशों के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें उनके समक्ष रखी जाती हैं। बीसीसीसी द्वारा लिए गए निर्णयों को आवश्यक अनुपालन हेतु चैनलों को संसूचित कर दिया जाता है।

बीसीसीसी सदस्य चैनलों द्वारा अपने दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:—

(i) अगले अड़तालीस घंटे के भीतर निदेश का अनुपालन किए जाने की चेतावनी जारी करना।

(ii) ऐसे तरीके से जैसे निर्णय लिया जाए खेद का प्रसारण किया जाना।

(iii) आईबीएफ (भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान) को यह निदेश जारी करना कि चैनल के बकाया मामलों पर कार्रवाई किए जाने पर तब तक विचारन किया जाए जब तक मामले का समाधान नहीं हो जाता।

(iv) आईबीएफ को निदेश जारी करना कि संबंधित सदस्य को बहिष्कृत किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(v) किसी टेलीविजन चैनल द्वारा बीसीसीसी के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के अपवादिक मामले में परिषद् उस चैनल के विरुद्ध कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सिफारिश भेज सकता है।

(vi) बीसीसीसी द्वारा आईबीएफ को जारी किया गया कोई भी निदेश बाध्यकारी होगा और उसका तत्काल कार्यान्वयन किया जाना अनिवार्य है।

(vii) कतिपय अपवादिक मामलों में जिनमें आईबीएफ के स्वविनियामक दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया हो, उक्त चैनल पर वित्तीय दंड लगाया जा सकता है जो तीस लाख रुपये (30,000,000/- रुपए) तक हो सकता है।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रैस परिषद् को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 में प्रस्तावित संशोधन जांच की अवस्था में हैं और यदि आवश्यक समझा गया तो प्रेस परिषद् अधिनियम का संशोधन प्रारूप पणधारकों के साथ विस्तृत परामर्श और मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आमराय बनाकर सावधानीपूर्वक प्रारुपित किया जाएगा।

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

***112. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत राज्यों को सड़कों के निर्माण हेतु दी जा रही संस्थागत वित्तीय सहातया का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा इसके लिए प्रदान की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उधार ली गई धनराशि का उचित उपयोग किए जाने की निगरानी करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना/संस्थाओं को इष्टतम परिणामोन्मुखी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) "प्रधानमंत्री ग्रामी सड़क योजना" को दिसंबर, 2000 में एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम तथा ग्रामीण सड़कों के एकबारगी विशेष पहल के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क (आवश्यक पुलियों और आर-पार निकासी संरचनाओं के साथ जो कि वर्ष भर चालू रहे) संपर्क मुहैया कराना है 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों', मरूभूमि क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के संबंध में इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में मौजूदा थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्धारित मानकों तक उन्नयन किए जाने की भी परिकल्पना की गई है, यद्यपि कार्यक्रम में इसे प्रमुखता नहीं दी गई है। ग्रामीण सड़क को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है और 1000 व्यक्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) और उससे अधिक की आबादी वाली (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 व्यक्तियों और उसेस अधिक की आबादी वाली) बसावटों को वर्ष 2012 के अंत तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) से प्राप्त उपकर, बजटीय सहायता, एडीबी ऋण, विश्व बैंक से लिया गया ऋण और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिया गया ऋण इस कार्यक्रम के लिए निधियों के स्रोत रहे हैं।

(ख) 'भारत निर्माण' के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए वित्तपोषण को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2006-07 के दौरान नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत एक अलग विंडो बनाया गया है। नाबार्ड से वर्ष-वार लिया गया ऋण इस प्रकार है:—

वर्ष	नाबार्ड से लिया गया ऋण (करोड़ रुपए में)
2007-08	4,500
2008-09	7,500
2009-10	6,500
2010-11	शून्य
2011-12	शून्य
2012-13	शून्य
2013-14 (अब तक)	शून्य

(ग) से (ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रख-रखाव और स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। इसलिए इन सड़कों का समय पर निर्माण करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षाओं और राज्य विशिष्ट समीक्षाओं सहित आवधिक समीक्षाओं में कार्यों को समय पर पूरा किए जाने के मामले पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाती है। इसके अलावा पूरे किए गए और चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की यादृच्छिक आधार पर जांच करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता (एनक्यूएम) भी तैनात किए जाते हैं।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत राज्यों ने 63940 बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में 50261 सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया है। राज्य-वार लक्ष्य और उसकी वर्ष-वार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क घटक) की प्रगति नई सड़कों से जुड़ी बसावटें

आंकड़े अक्तूबर, 2013 तक

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य (2005-12)	उपलब्धि									संचयी उपलब्धि	प्रतिशत संचयी उपलब्धि
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	236	11	4	0	0	59	115	26	6	0	221	94%
2.	अरुणाचल प्रदेश	103	0	3	19	19	12	15	15	10	1	94	91%
3.	असम	5940	346	804	656	1210	705	584	444	343	140	5232	88%
4.	बिहार	16578	0	11.83	174	842	746	1075	2029	2320	695	9064	55%
5.	छत्तीसगढ़	3831	397	604	648	523	627	128	127	102	39	3195	83%
6.	गोवा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
7.	गुजरात	1332	212	264	249	222	144	119	19	28	6	1263	95%
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9.	हिमाचल प्रदेश	922	98	145	168	172	5	44	18	0	0	650	70%
10.	जम्मू और कश्मीर	1468	3	16	41	187	297	81	160	145	57	987	67%
11.	झारखंड	2991	101	108	97	363	305	327	247	347	74	1969	66%
12.	कर्नाटक	17	1	4	2	10	0	0	0	0	0	17	100%
13.	केरल	73	6	19	12	13	15	5	0	0	0	70	96%
14.	मध्य प्रदेश	6790	929	1345	1916	1795		487	184	73	34	6763	100%
15.	महाराष्ट्र	295	46	135	10	60	25	0	13	1	0	290	98%

16.	मणिपुर	391	37	0	0	41	15	27	51	31	17	219	56%
17.	मेघालय	128	5	4	6	7	5	8	3	7	3	48	38%
18.	मिजोरम	130	7	1	11	6	14	63	4	4	14	124	95%
19.	नागालैंड	37	7	0	5	3	9	4	6	2	0	36	97%
20.	ओडिशा	5672	361	322	321	2205	644	652	374	205	21	5105	90%
21.	पंजाब	50	7	43	0	0	0	0	0	0	0	50	100%
22.	राजस्थान	4084	753	1222	889	90	12	5	3	596	271	3841	94%
23.	सिक्किम	154	35	18	7	16	17	13	11	8	4	129	84%
24.	तमिलनाडु	83	46	0	3	30	0	2	1	0	0	82	99%
25.	त्रिपुरा	810	12	53	52	164	164	106	82	46	4	683	84%
26.	उत्तर प्रदेश	4097	944	979	1023	787	257	67	23	0	0	4080	100%
27.	उत्तराखंड	772	16	15	46	115	104	77	54	13	2	442	57%
28.	पश्चिम बंगाल	6954	720	960	685	1314	557	623	243	403	100	5605	81%
	कुल	63940	5102	8251	7040	10760	4172	4627	4137	4690	1482	50261	79%

रीयल टाइम ट्रेन इन्फॉरमेशन सिस्टम

***113. श्री नरेनभाई काछादिया :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा 'सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीगेशन' संबंधी 'रीयल टाइम ट्रेन इन्फॉरमेशन सिस्टम' शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने चालक और ग्राउंड स्टाफ के बीच निर्बाध सम्पर्क बनाये रखने हेतु मौजूदा वॉकी-टॉकी सिस्टम के स्थान पर अत्याधुनिक सम्प्रेषण प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै और इसमें कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) रेलवे द्वारा भारतीय रेल के तेजी से आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं। पहले अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अअमांस)/लखनऊ तथा भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी)/कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल पाजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीगेशन नाम की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। चूंकि पायलट परियोजना में ऑटो कंट्रोली चार्टिंग तथा लोकोमोटिव परफार्मेंस चैकिंग जैसी सुविधाएं नहीं थी, भारतीय रेलों द्वारा सेटेलाइट इमेंजिंग तथा कम्यूनिकेशन आधारित 'रीयल टाइम ट्रेन इंफॉरमेशन सिस्टम' (आईटीआईएस) की एक नई परियोजना शुरू की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑरगेनाइजेशन (इसरो) द्वारा इनसेट 3सी के बदले जांच किए जाने वाले प्रस्तावित नये सैटेलाइट से बैंड बिथ आवंटित कर दिए जाने पर इस प्रणाली को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सिमरन की पायलट परियोजना में 3.51 करोड़ रुपए के क्रम में खर्च वहन किया गया था जिसमें से 2.11 करोड़ रुपए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) तथा 1.4 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय, द्वारा मुहैया कराया गया था। 'रीयल टाइम ट्रेन इन्फॉरमेंशन सिस्टम' पर कोई खर्च वहन नहीं किया गया है, क्योंकि परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग) जी, हां। उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति (एचएसआरसी) की सिफारिशों के अनुसार, रेलों की भारतीय रेल नेटवर्क के सभी 'ए', 'बी' एवं 'सी' मार्गों (लगभग 19000 मार्ग किमी.) में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन रेलवे (जीएसएम-आर टेक्नोलॉजी) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडिया कम्यूनिकेशन (एमआरटीसी) सिस्टम शुरू करने की योजना है। यह ड्राइवर, गार्ड, ग्राउंड स्टाफ/नियंत्रण कार्यालय के बीच सेव अवर सोल (एसओएस) सुविधा के साथ बाधा रहित संचार का एक सुरिक्षत उपाय है ताकि कोई भी असामान्य घटना तुरंत संसूचित की जा सके तथा सुधारक कार्रवाई की जा सके। इसमें वाइज लागिंग तथा शार्ट मैसेज सर्विस (एमएमएस) के लिए भी सुविधा है। जिसका चेतावनी आर्डर निजी नंबरों के विनियम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रेल नेटवर्क पर जीएसएमआर की शुरुआत से वॉकी-टाकी सेट फालतू हो गये हैं।

(घ) मोबाइल ट्रेन रेडियो क्यूनिकेशन (एमटीआरसी) सिस्टम 2074 मार्ग किमी. में चालू कर दिया गया है तथा 2426 मार्ग किमी. में कार्य प्रगति पर है। बकाया 14500 मार्ग किमी. (लगभग) में कार्य पूरा करने के लिए, लगभग 1100 करोड़ रुपए के क्रम में धनराशि अपेक्षित होगी।

(ङ) रेलों पर आधुनिकीकरण तथा तकनीकी अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है रेलवे ने समपार हटाने, चल स्टॉक, रेलपथ तथा सिगनलिंग एवं दूरसंचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं हेतु उपस्कर

***114. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :**
श्री अर्जुन राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान स्वदेश में विनिर्मित उपस्कर के उपयोग की तुलना में चीनी विद्युत उत्पादन उपस्कर का उपयोग बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वदेश में उत्पादित उपस्करों की तुलना में चीनी विद्युत उत्पादन उपस्कर के निष्पादन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत संबंधी उपस्कर हेतु आयात नीति में ढांचागत परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक उपस्कर की लागत कम रखने

तथा देश में आयातित विद्युत उपस्कर पर निर्भरता कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 11वीं और 12वीं योजना में (नवंबर, 2013 तक) कुल 75222.7 मेगावाट ताप क्षमता अभिवृद्धि में से 28492 मेगावाट के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति चीनी विनिर्माताओं द्वारा की गई और वह भी अधिकांशत: निजी क्षेत्र के विकासकर्त्ताओं को की गई।

(ग) 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सब-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित और ताप विद्युत स्टेशनों में संस्थापित भारतीय उपस्करों की तुला में चीनी उपस्करों का विश्लेषण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किया गया था। अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:—

- 330 मेगावाट की चीनी यूनिटों को छोड़कर चीनी और भेल दोनों की यूनिटों में अधिकतम सतत् रेटिंग में पर्याप्त प्रवाह मार्जिन है।
- स्वदेशी कोयले पर आधारित चीनी स्टेशनों का प्रचालनात्मक भार कारक भेज यूनिटों की तुलना में कम है। तथापि, चीनी स्वदेशी कोयला आधारित यूनिटों की प्रचालनात्मक ताप दर भेज यूनिटों की तुलना में अधिक है।
- भेल यूनिटें, स्वदेशी कोयला पर आधारित चीनी यूनिटों की तुलना में दूसरे दर्जे की ईंधन तेल खपत के संबंध में उल्लेखनीय बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शाती हैं।
- आयातित कोयले पर आधारित चीनी यूनिटों का प्रचालनात्मक भार कारक, प्रचालनात्मक ताप दर और दूसरे दर्जे की ईंधन तेल खपत, घरेलू कोयले पर आधारित भेल यूनिटों से बेहतर है।

(घ) और (ङ) आयातित विद्युत उपस्करों पर निर्भरता कम करने और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए उपस्करों की लागत को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत में विनिर्मित मुख्य संयंत्र उपस्करों के अनिवार्य उपयोग के लिए, मानक बोली दिशा-निर्देशों में, विशेष रूप से यूएमपीपी में, प्रावधान शामिल किया जाए।

(ii) दक्ष उपस्कर और ईंधन खपत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ईंधन प्रभार के प्रयोजन हेतु नॉर्मेटिव स्टेशन ताप दर (एसएचआर) निर्धारित की गई है।

(iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सभी केंद्रीय और राज्य ताप विद्युत उत्पादक कंपनियों को एक सलाह जारी की गई थी जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित थोक आदेशों के अनुरूप, अक्तूबर, 2015 तक, चरणबद्ध रूप से सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं के बॉयलरों और टरबाइन जेनरेटरों के लिए आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा चरणबद्ध रूप से स्वदेशी विनिर्माण की शर्त शामिल करने की सलाह दी गई थी।

(iv) देश में भेल की 20,000 मेगावाट की क्षमता के अलावा सुपर क्रिटिकल बॉयलर (16,000 मेगावाट प्रतिवर्ष) और टरबाइन (15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष) के विनिर्माण के लिए कई संयुक्त उद्यम (उद्यमों) की स्थापना की गई है। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप विद्युत संयंत्र उपस्करों की कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी।

[अनुवाद]

जनशक्ति की कमी

***115. श्री समीर भुजबल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में स्वीकृत और नियुक्त गैंगमेन, गेटमेन, ट्रालीमेन और की-मेन की पश्चिम और मध्य जोनों सहित जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त पदों हेतु वर्ष और जोन-वार कुल कितने कर्मियों की भर्ती की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त श्रेणियों के पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण पश्चिम और मध्य जोनों सहित वर्ष और जोन-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में उक्त श्रेणियों के पदों पर तैनात पश्चिम और मध्य जोनों सहित वर्ष और जोन-वार कितने कार्मिक मारे गए अथवा घायल हुए; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) क्षेत्रीय रेलों में गैंगमेन, गेटमेन, ट्रालीमेन और कीमेन की स्वीकृत और ऑन-रोल की कुल संख्या संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त पदों के लिए

भर्ती किए कर्मचारियों की जोन-वार कुल संख्या संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) रिक्त पदों की रेल दुर्घटनाओं का कारण नहीं बताया जा सकता क्योंकि दुर्घटना होना और रिक्त पदों के होने में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मृत अथवा घायलों की उपरोक्त कैटेगरी में कर्मचारियों की संख्या वर्ष-वार और जोन-वार संलग्न विवरण-III पर है।

(ङ) 2013-14 के दौरान रिक्त पदों को भरने के संबंध में उपरोक्त वणित कैटेगरियों सहित पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कैटेगरियों में रिक्त 49,000 पदों, ग्रुप 'सी' कैटेगरियों में 25,300 पदों और एक्स सर्विसमेन कोटा के नए निर्धारित 11779 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विवरण-I

(क) क्षेत्रीय रेलों में गैंगमेन, गेटमेन, ट्रालीमेन और कीमेन के कुल स्वीकृत पदों की संख्या और मौजूदा संख्या:

रेलवे	कैटेगरी	स्वीकृत संख्या	मौजूदा संख्या
1	2	3	4
मध्य	गैंगमेन	15727	13638
	गेटमेन	2428	2093
	ट्रालीमेन	990	844
	कीमेन	1000	824
पूर्व	गैंगमेन	13873	7861
	गेटमेन	2839	2373
	ट्रालीमेन	968	708
	कीमेन	759	497
पूर्व मध्य	गैंगमेन	16869	12396
	गेटमेन	2831	2386
	ट्रालीमेन	918	688
	कीमेन	1030	660

1	2	3	4
पूर्व तट	गैंगमेन	9384	6792
	गेटमेन	1764	1182
	ट्रालमेन	509	262
	कीमेन	623	496
उत्तर	गैंगमेन	19979	13957
	गेटमेन	6485	5483
	ट्रालीमेन	1627	1597
	कीमेन	1528	1353
उत्तर मध्य	गैंगमेन	11627	9416
	गेटमेन	2274	2143
	ट्रालीमेन	1068	935
	कीमेन	893	719
पूर्वोत्तर सीमा	गैंगमेन	13463	12415
	गेटमेन	2805	2625
	ट्रालीमेन	1096	824
	कीमेन	838	613
पूर्वोत्तर	गैंगमेन	8535	7360
	गेटमेन	2880	2553
	ट्रालीमेन	861	771
	कीमेन	717	656
उत्तर पश्चिम	गैंगमेन	9638	6480
	गेटमेन	2540	2249
	ट्रालीमेन	892	779
	कीमेन	877	773
दक्षिण	गैंगमेन	12395	9294
	गेटमेन	3503	3373

1	2	3	4
	ट्रालीमेन	842	678
	कीमेन	1222	971
दक्षिण मध्य	गैंगमेन	21443	14728
	गेटमेन	745	598
	ट्रालीमेन	1286	1089
	कीमेन	1259	1085
दक्षिण पूर्व मध्य	गैंगमेन	9466	5326
	गेटमेन	1333	1099
	ट्रालीमेन	646	532
	कीमेन	632	496
दक्षिण पूर्व	गैंगमेन	13373	8687
	गेटमेन	1579	1402
	ट्रालीमेन	856	710
	कीमेन	810	723
दक्षिण पश्चिम	गैंगमेन	5800	5181
	गेटमेन	1265	1142
	ट्रालीमेन	590	446
	कीमेन	592	452
पश्चिम	गैंगमेन	16910	11355
	गेटमेन	3576	3181
	ट्रालीमेन	1389	1251
	कीमेन	1300	1049
पश्चिम मध्य	गैंगमेन	11975	9676
	गेटमेन	1657	1413
	ट्रालीमेन	943	845
	कीमेन	769	630

विवरण-II

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बताए गए पदों हेतु भर्ती कर्मचारियों की संख्या:

रेलवे	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मध्य	0	91	453	3212
पूर्व	0	80	612	1571
पूर्व मध्य	0	231	596	3524
पूर्व तट	0	0	3570	453
उत्तर	218	535	1465	3062
उत्तर मध्य	0	39	303	1845
पूर्वोत्तर सीमा	0	290	617	1711
पूर्वोत्तर	280	243	237	2148
उत्तर पश्चिम	0	110	210	697
दक्षिण	0	121	1203	2978
दक्षिण मध्य	603	1734	1403	2771
दक्षिण पूर्व मध्य	64	321	326	975
दक्षिण पूर्व	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	20	49	252	2751
पश्चिम	55	0	631	0
पश्चिम मध्य	48	237	480	3702

विवरण-III

(ग) वर्णित अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में बताए गए पदों के मृत अथवा घायल कर्मचारियों की संख्या

रेलवे	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
मध्य	0	0	0	0
पूर्व	0	0	1	0
पूर्व मध्य	0	0	0	0

1	2	3	4	5
पूर्व तट	7	5	8	6
उत्तर	0	1	1	1
उत्तर मध्य	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0	0
पूर्वोत्तर	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम	0	0	0	0
दक्षिण	0	0	0	0
दक्षिण मध्य	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	1
पश्चिम	0	0	0	0
पश्चिम मध्य	0	0	0	0

[हिन्दी]

अनप्रयुक्त अधिशेष पूंजी

***116. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 117 बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों के पास अधिशेष पूंजी अनप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त में से श्रेणी-वार सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां कितनी-कितनी हैं;

(ग) मार्च, 2013 तक इन दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के पास कुल कितनी अधिशेष पूंजी अनप्रयुक्त पड़ी हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त पूंजी के निवेश के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (घ) "अधिशेष पूंजी" को न तो कंपनी अधिनियम, 2013 (या कंपनी अधिनियम, 1956) और न ही कंपनी अधिनियम के अनुसरण में विहित लेखांकन मानकों में परिभाषित किया गया है। कंपनियों के तुलन-पत्र अथवा अन्य वित्तीय विवरण भी "अधिशेष पूंजी" को नहीं दर्शाते हैं। इसलिए इस शीर्ष के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

नए जोनों और मंडलों का पुनर्गठन और सृजन

***117. श्री हरिन पाठक :**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से रेलवे में जोनों और मंडलों के सृजन और पुनर्गठन और कोंकण रेलवे का भारतीय रेल के साथ विलय के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित समिति ने गुजरात और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया है और उनकी जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की सिफारिश के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों के समय पर कार्यान्वयन हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में मुख्यालयों वाले नए जोनों एवं मंडलों के सृजन के लिए प्रस्तावों, जिनकी समिति द्वारा जांच की गई है, की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:–

राज्य का नाम	राज्य में मुख्यालय वाले नए जोनों के लिए प्रस्तावों की संख्या	राज्य में मुख्यालय वाले नए मंडलों के लिए प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	4
असम	1	1
बिहार	–	2
छत्तीसगढ़	–	1
गुजरात	4	4

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	—	1
झारखंड	3	1
कर्नाटक	—	2
केरल	10	4
मध्य प्रदेश	—	7
महाराष्ट्र	9	1
ओडिशा	—	7
तमिलनाडु	—	1
त्रिपुरा	—	3
उत्तर प्रदेश	1	2
उत्तराखंड	—	3
पश्चिम बंगाल	3	1

उपर्युक्त कुछ प्रस्तावों में प्रस्तावित नए जोनों/मंडलों में कोंकण रेल निगम लि. (केआरसीएल) के कुछ हिस्सों को शामिल करने के भी अनुरोध हैं।

(ग) और (घ) समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस समय उन पर रेल मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

सीधी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

***118. श्री अनंत कुमार :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए विमानपत्तन-वार कितनी सीधी सेवाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बेंगलुरु से एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए कितनी सीधी सेवाएं शुरू की गईं और कितनी वापस ली गईं;

(ग) इन सेवाओं को वापस लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी विमान कंपनियों द्वारा बेंगलुरु से सीधे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए संचालित उड़ानों की संख्या, बारम्बारता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय नामित वाहक भारत में विभिन्न हवाईअड्डों से अन्य अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक प्रति सप्ताह 1054 सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं। इनका हवाईअड्डा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) और (ग) इस समय एयर इंडिया बेंगलुरु से तीन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों (दुबई, मस्कट तथा माले) के लिए प्रति सप्ताह 21 उड़ानें प्रचालित कर रही है। कंपनी ने शीत 2012 अनुसूची से माले के लिए उड़ानों की बारम्बारता को प्रति सप्ताह 7 उड़ानों से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 14 उड़ानें कर दिया है। एक उड़ान बेंगलुरु-माले तथा वापसी मार्ग पर प्रचालित हो रही है और दूसरी उड़ान चेन्नई-बेंगलुरु-तिरुवनंतपुरम-माले तथा वापसी मार्ग पर प्रचालित हो रही है।

एयर इंडिया ने नकद घाटों के कारण 14 नवम्बर, 2010 से केवल अपने बेंगलुरु-सिंगापुर तथा वापसी मार्ग के प्रचालन को बंद किया है।

(घ) एयर इंडिया बेंगलुरु से 03 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों (दुबई, मस्कट तथा माले) के लिए प्रति सप्ताह 21 उड़ानें तथा स्पाइस जेट बेंगलुरु से एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य (बैंकॉक) के लिए प्रति सप्ताह 04 उड़ानें प्रचालित कर रही है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर संलग्न है।

विवरण-I

विभिन्न हवाईअड्डों से अन्य अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भारतीय नामित वाहकों का प्रचालन (हवाईअड्डा-वार)

एयर इंडिया

क्र. सं.	हवाईअड्डे/मार्ग	आवृत्ति
1	2	3
1.	**अहमदाबाद/मुंबई**	
	अहमदाबाद-मुंबई-नेवार्क	7
	अहमदाबाद-मुंबई-लंदन	7
	अहमदाबाद-मुंबई-मस्कट-मुंबई	7
2.	**अमृतसर/दिल्ली**	
	अमृतसर-दिल्ली-बर्मिंघम	4
	अमृतसर-दिल्ली-लंदन	7
	अमृतसर-दिल्ली-लंदन-दिल्ली	7

1	2	3
3.	**बेंगलुरु/गोवा**	
	बेंगलुरु-गोवा-दुबई	4
4.	**बेंगलुरु/हैदराबाद**	
	बेंगलुरु-हैदराबाद-मस्कट	3
5.	**बेंगलुरु**	
	बेंगलुरु-माले	7
6.	**मुम्बई**	
	मुम्बई-अबू धाबी	4
	मुम्बई-जेद्दा	3
	मुम्बई-रियाद	7
	मुम्बई-दुबई-मुम्बई-गोवा	7
7.	**मुम्बई/दिल्ली**	
	मुम्बई-दिल्ली-हांगकांग-सियोल	4
	मुम्बई-दिल्ली-हांगकांग-ओसाका	3
	मुम्बई-दिल्ली-न्यूयॉर्क	7
	मुम्बई-दिल्ली-शंघाई	4
8.	**मुम्बई/हैदराबाद**	
	मुम्बई-हैदराबाद	2
9.	**मुम्बई/चेन्नई**	
	मुम्बई-चेन्नई-सिंगापुर	7
10.	**कोझीकोड**	
	कोझीकोड-दुबई	7
	कोझीकोड-जेद्दा	3
	कोझीकोड-रियाद	3
	कोझीकोड-शारजाह	7
11.	**कोलकाता**	
	कोलकाता-ढाका	7
	कोलकाता-काठमांडू	4
	कोलकाता-यांगून-गया-कोलकाता	2

1	2	3
12.	**कोलकाता-गया**	
	कोलकाता-गया-यांगून-कोलकाता	1
13.	**कोच्चि**	
	कोच्चि-कोझीकोड-जेद्दा	2
	कोच्चि-शारजाह	7
14.	**दिल्ली**	
	दिल्ली-बैंकॉक	7
	दिल्ली-ढाका	7
	दिल्ली-दम्मम	7
	दिल्ली-दुबई	7
	दिल्ली-जेद्दा	7
	दिल्ली-नारिता	7
	दिल्ली-रियाद	7
	दिल्ली-सिंगापुर	7
	दिल्ली-बहरीन-अबू धाबी-दिल्ली	7
	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट	7
	दिल्ली-काबुल	6
	दिल्ली-काठमांडू	14
	दिल्ली-मस्कट	7
	दिल्ली-मेलबोर्न-सिडनी-दिल्ली	3
	दिल्ली-सिडनी-मेलबोर्न-दिल्ली	4
15.	**गोवा/मुम्बई**	
	गोवा-मुम्बई-बैंकाक-मुंबई	7
16.	**हैदराबाद/दिल्ली**	
	हैदराबाद-दिल्ली-शिकागो	7
17.	**चेन्नई/दिल्ली**	
	चेन्नई-दिल्ली-पेरिस	7
18.	**चेन्नई/बेंगलुरु/त्रिवेंद्रम**	
	चेन्नई-बेंगलुरु-तिरुवनंतपुरम-माले	7

1	2	3
19.	**चेन्नई**	
	चेन्नई-कोलंबो	6
	चेन्नई-दुबई	7
	चेन्नई-मस्कट	7
	चेन्नई-सिंगापुर	7
20.	**चेन्नई/गोवा**	
	चेन्नई-गोवा-कुवैत	4
21.	**चेन्नई/हैदराबाद/अहमदाबाद**	
	चेन्नई-हैदराबाद-अहमदाबाद-कुवैत	3
22.	**चेन्नई/त्रिवेंद्रम**	
	चेन्नई-त्रिवेंद्रम-शारजाह	7
23.	**त्रिवेंद्रम**	
	त्रिवेंद्रम-रियाद	2
24.	**वाराणसी**	
	वाराणसी-काठमांडू	4
25.	**विशाखापट्टनम/हैदराबाद**	
	विशाखापट्टनम-हैदराबाद-दुबई	7
	कुल (प्रति सप्ताह)	322

एयर इंडिया एक्सप्रेस

क्र.सं.	हवाईअड्डे/मार्ग	आवृत्ति
1	2	3
1.	**कोझीकोड**	
	कोझीकोड-दुबई	7
	कोझीकोड-शारजाह	7
	कोझीकोड-मस्कट	7
	कोझीकोड-अबू धाबी	7
	कोझीकोड-अल ऐन (यूएई)	1
	कोझीकोड-सलालाह	1
	कोझीकोड-कुवैत	3
	कोझीकोड-दोहा	1
	कोझीकोड-दम्माम	2
2.	**कोझीकोड/मंगलौर**	
	कोझीकोड-मंगलौर-दम्माम	2
3.	**कोच्चि**	
	कोच्चि-दुबई	7
	कोच्चि-अबू धाबी	7
	कोच्चि-शारजाह	4
	कोच्चि-मस्कट	3
4.	**कोच्चि/कोझीकोड**	
	कोच्चि-कोझीकोड-बहरीन-दोहा	7
5.	**कोच्चि/मंगलौर**	
	कोच्चि-मंगलौर-कुवैत	3
6.	**तिरुवनंतपुरम**	
	तिरुवनंतपुरम-दुबई	5
	तिरुवनंतपुरम-शारजाह	3
	तिरुवनंतपुरम-अबू धाबी	7
	तिरुवनंतपुरम-मस्कट	3
	तिरुवनंतपुरम-सलालाह	1
7.	**तिरुवनंतपुरम/कोच्चि**	
	तिरुवनंतपुरम-कोच्चि-सलालाह	1
8.	**मंगलौर**	
	मंगलौर-दुबई	14
	मंगलौर-अबू धाबी-मस्कट	3
	मंगलौर-बहरीन	2
	मंगलौर-दोहा	2

1	2	3
9.	**चेन्नई**	
	चेन्नै-कल	5
	चेन्नै-कोलंबो	7
10.	**चेन्नई/तिरुचिरापल्ली**	
	चेन्नै-तिरुचिरापल्ली-सिंगापुर	7
11.	**तिरुचिरापल्ली**	
	तिरुचिरापल्ली-दुबई	7
12.	**मुम्बई**	
	मुम्बइ-दोहा	3
13.	**पुणे**	
	पुणे-दुबई	3
14.	**जयपुर**	
	जयपुर-दुबई	4
15.	**लखनऊ**	
	लखनऊ-दुबई	7
16.	**अमृतसर**	
	अमृतसर-दुबई	7
	कुल (प्रति सप्ताह)	160

इंडिगो

हवाईअड्डे	गंतव्य	सेवाएं/सप्ताह
1	2	3
दिल्ली	थाइलैंड	14
	संयुक्त अरब अमीरात	14
	नेपाल	07
मुम्बई	संयुक्त अरब अमीरात	14
	ओमान	07
कोचीन	संयुक्त अरब अमीरात	07
हैदराबाद	संयुक्त अरब अमीरात	07
चेन्नई	संयुक्त अरब अमीरात	07
	सिंगापुर	07
त्रिवेंद्रम	संयुक्त अरब अमीरात	07
कोलकाता	थाईलैंड	07
कुल (प्रति सप्ताह)		98

स्पाइस जेट

हवाईअड्डे	गंतव्य	सेवाएं/सप्ताह
1	2	3
अहमदाबाद	दुबई	07
	मस्कट	03
बेंगलुरु	बैंकाक	04
चेन्नई	कोलोंबो	07
दिल्ली	दुबई	07
	गुआंगज़ौ	04
	काबुल	03
	काठमांडु	14
	रियाद	07
कोच्चि	दुबई	07
	माले	07
लखनऊ	शारजाह	03
मदुरै	कोलोंबो	07
	दुबई	07
मुम्बई	दुबई	07
पुणे	बैंकाक	04
	शारजाह	04
वाराणसी	शारजाह	14
कुल (प्रति सप्ताह)		106

जेट एयरवेज

हवाईअड्डे	गंतव्य	सेवाएं/सप्ताह
1	2	3
मुम्बई	अबु धाबी	11
	बहरीन	07
	बैंकाक	14
	ब्रसेल्स/नेवार्क	07
	कोलोंबो	07
	ढाका	07
	दम्माम	07
	दोहा	07
	दुबई	28
	हांगकांग	07
	इस्ताम्बुल	07
	जेद्दा	07
	काठमांडु	07
	कुवैत	14
	लंदन	14
	मस्कट	07
	रियाद	07
	सिंगापुर	14
कोलकाता	बैंकाक	14
	ढाका	07
कोच्चि	अबू धाबी/कुवैत	07
	दोहा	07
	मस्कट	07
	शारजाह	07
दिल्ली	अबु धाबी	07
	बैंकाक	07
	ब्रसेल्स/टोरंटो	07
	ढाका	07
	दम्माम	07
	दोहा	07
	दुबई	14
	हांगकांग	07
	काठमांडु	14
	लंदन	07
	सिंगापुर	14
मंगलौर	दुबई	07
चेन्नई	कोलम्बो	07
	सिंगापुर	14
त्रिवेंद्रम	दम्माम	07
	मस्कट	07
कुल (प्रति सप्ताह)		368

विवरण-II

बेंगलुरु से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी सेवाएं

एयर इंडिया

क्र.सं.	हवाईअड्डे/मार्ग	आवृत्ति
1	2	3
1.	**बेंगलुरु/गोवा**	
	बेंगलुरु-गोवा-दुबई	04
2.	**बेंगलुरु/हैदराबाद**	
	बेंगलुरु-हैदराबाद-मस्कट	03
3.	**बेंगलुरु**	
	बेंगलुरु-माले	07

1	2	3
4.	**चेन्नई/बेंगलुरु/त्रिवेंद्रम**	
	चेन्नई-बेंगलुरु-तिरुवनंतपुरम-माले	07
	कुल (प्रति सप्ताह)	21

स्पाइस जेट

क्र.सं.	गंतव्य	आवृत्ति
1.	बैंकॉक	04
	कुल (प्रति सप्ताह)	04

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

***119. श्री पी. करुणाकरन :** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे जिलों की पहचान करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार ने पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले और अधिक खंडों/कस्बों को इसमें शामिल करने की दृष्टि से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन किया गया है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई/कितनी उपयोग में लाई गई?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) और (ख) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक देश के 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया है। इन जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक बहुत आबादी तथा पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर की गई थी। अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंड नीचे दिए गए हैं:—

1. **अल्पसख्यंक बहुत जनसंख्या मानदंड:**

(i) कुल जनसंख्या का न्यूनतम 25% 'अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या' वाले जिले।

(ii) 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले तथा 20% से अधिक और 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता वाले जिले।

(iii) जिन 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में हैं, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुत आबादी वाले जिलों को छोड़कर 15% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिले।

2. **पिछड़ेपन के मानक:**

(i) जिला स्तरीय धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतक—

- साक्षरता दर;
- महिला साक्षरता दर;
- कार्य में भागीदारी दर; और
- महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर; तथा

(ii) जिला स्तरीय आधारभूत सुविधा संकेतक—

- पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;
- स्वच्छ पेय जल की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता;
- विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और
- शौचालयों की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता।

(ग) और (घ) एमएसडीपी की पुनर्संरचना अन्य पात्र क्षेत्रों तक इसकी सीमा बढ़ाने और इसको लक्षित अल्पसंख्यकों पर और अधिक केंद्रित करने तथा प्रभावी बनाने के लिए की गई है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए योजना की इकाई को जिले से बदलकर ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। कार्यक्रम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अब 710 ब्लॉकों और 16 नगरों को अभिज्ञात किया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बहुल गांवों (न्यूनतम 50% अल्पसंख्यक बहुत जनसंख्या वाले) को भी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। एमएसडीपी के अंतर्गत इसके आरंभ से 30.11.2013 तक निर्माण की गई अवसंरचना सुविधाओं के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार जारी की गई/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II दिया गया है।

विवरण-I

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत 30.11.2013 तक निर्माण की गई राज्य-वार अवसंरचना सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य		इंदिरा आवास योजना के मकान	स्वास्थ्य केन्द्र	आंगनवाड़ी केन्द्र	हैंड पम्प	पेयजल सुविधाएं	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कुल भवन	शिक्षण सहायक	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूलों में कम्प्यूटर	आई-टीआई भवन	पोलीटेक्नीक	स्कूलों शौचालय एवं पेयजल	छात्रावास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	85054	1041	11187	21054	79	1087	203	272	16		53	24	1929	28
		उपलब्धि	73907	623	6971	9262		431	13	0	0		6	0	788	2
		कार्य प्रगति पर	3305	62	1808	1021		185	46	0	0		22	18	38	7
2.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	55222	946	11013	12486	4557	9484	111	50	60		24	9	794	176
		उपलब्धि	35382	687	6202	6994		5526	34	40	60		1	0	10	14
		कार्य प्रगति पर	2269	56	934	517		1037	7	0	0		6	3	134	45
3.	असम	लक्ष्य	89836	133	2077	12096		3566	0	16	50		15	1	294	40
		उपलब्धि	39598	69	469	3402		438	0	0	0		0	0	37	0
		कार्य प्रगति पर	13944	12	493	330		958	0	0	0		0	0	99	0
4.	बिहार	लक्ष्य	41287	409	4835	2533		2970	94	0	53		3	3	1386	52
		उपलब्धि	15480	76	1310	1190		1071	52	0	37		0	0	404	9
		कार्य प्रगति पर	16403	90	1772	1196		640	7	0	7		2	0	74	19
5.	मणिपुर	लक्ष्य	5940	154	75	679		25	375	0	0		1	0	0	35
		उपलब्धि	5940	70	60	422		0	188	0	0		0	0	0	1
		कार्य प्रगति पर	0	82	15	224		0	183	0	0		1	0	0	11
6.	हरियाणा	लक्ष्य	2000	6	142	0		183	8	0	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	1956	0	71	0		63	6	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	6	0	19		32	8	0	1		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	झारखंड	लक्ष्य	9215	256	1564	7		222	1	1	0		11	3	0	22
		उपलब्धि	8565	158	985	0		1	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	472	57	238	0		3	0	1	0		1	0	0	2
8.	उत्तराखंड	लक्ष्य	0	24	455	914		69	2	0	0		1	2	17	0
		उपलब्धि	0	0	100	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	124	0		0	0	0	0		0	0	0	0
9.	महाराष्ट्र	लक्ष्य	11670	0	626	0		0	0	0	0		0	0	0	14
		उपलब्धि	10471	0	405	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	1028	0	148	0		0	0	0	0		0	0	0	4
10.	कर्नाटक	लक्ष्य	5900	38	366	0		50	1	1	0		0	0	50	30
		उपलब्धि	3211	20	254	0		44	0	0	0		0	0	0	10
		कार्य प्रगति पर	942	9	101	0		4	0	0	0		0	0	0	20
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लक्ष्य	0	0	35	0		0	0	25	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	11	0		0	0	12	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	15	0		0	0	13	0		0	0	0	0
12.	ओडिशा	लक्ष्य	10037	36	293	0	2	193	0	0	10	30	2	0	64	4
		उपलब्धि	4960	4	144	0		11	0	0	0		0	0	42	0
		कार्य प्रगति पर	780	11	7	0		0	0	0	0		0	0	22	0
13.	मेघालय	लक्ष्य	5649	19	1022	1864		78	1	0	0		0	0	400	11
14.	केरल	उपलब्धि	0	29	0	3	1	195	0	0	0		0	1	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	10	0	1		38	0	0	0		0	0	0	0
		लक्ष्य	0	0	0	2		0	0	0	0		0	1	0	0
15.	मिजोरम	लक्ष्य	2758	23	224	24		54	17	0	0		2	0	0	9
		उपलब्धि	2236	16	158	0		31	17	0	0		0	0	0	5

	कार्य प्रगति पर	0	1	3	14		23	0	0	0		1	0	0	0
16. जम्मू और कश्मीर	लक्ष्य	0	0	100	132		22	0	0	0		1	1	0	8
	उपलब्धि	0	0	2	21		10	0	0	0		0	0	0	0
	कार्य प्रगति पर	0	0	35	61		5	0	0	0		0	0	0	0
17. दिल्ली	लक्ष्य	0	5	0	1		100	2	0	4		1	0	19	0
	उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	10	0
	कार्य प्रगति पर	0	0	0	1		80	0	0	0		0	0	0	0
18. मध्य प्रदेश	लक्ष्य	1000	0	224	0		0	2	0	0		0	0	0	4
	उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	कार्य प्रगति पर	750	0	95	0		0	0	0	0		0	0	0	1
19. सिक्किम	लक्ष्य	250	1	56	4		22	12	0	0		0	0	0	0
	उपलब्धि	0	0	30	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	कार्य प्रगति पर	250	0	10	0		11	0	0	0		0	0	0	0
20. अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य	7435	50	651	0	258	447	64	10	14		0	0	44	167
	उपलब्धि	4359	15	452	0		195	35	5	9		0	0	2	23
	कार्य प्रगति पर	1384	18	105	0		43	14	5	1		0	0	0	82
21. आंध्र प्रदेश	लक्ष्य	0	11	70	0	0	349	7	27	0	340	0	0	5	1
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
22. त्रिपुरा	लक्ष्य		11				6								2
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
23. पंजाब	लक्ष्य	23	10	198			73		4						
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.	राजस्थान	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
25.	गुजरात	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
26.	छत्तीसगढ़	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
	योग	लक्ष्य	333276	3202	35213	52056	5086	19195	900	405	207	480	116	44	5002	603
		उपलब्धि	210565	1748	17672	22562	0	7911	345	57	103	0	7	0	1293	67
		कार्य प्रगति पर	41527	404	5936	3416	0	3023	266	19	9	0	35	22	367	193

विवरण-II

एमएसडीपी के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13*		2013-14*	
		जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	21106.29	16648.87	16027.59	7789.33	23040.62	1922.21	22813.478	
2.	पश्चिम बंगाल	23105.55	23100.55	10208.23	8866.79	20055.76	1699.07	30572.571	
3.	असम	9611.71	9588.32	17859.10		491.17		2944.61	
4.	बिहार	12250.15	9961.46	16152.29	7421.81	8054.41	1814.97	364.8725	

5.	मणिपुर	371.25	169.01	2655.72	711.82	0.00		2198.59	उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2015 तक देय है।
6.	हरियाणा	1186.17	874.26	1140.04	184.35	0.00		651.92	
7.	झारखंड	5533.46	4657.89	3981.41	1057.60	2255.23		1623.975	
8.	उत्तराखंड	2229.65	61.92	194.34		202.88		861.15	
9.	महाराष्ट्र	2953.59	2670.09	490.99	148.39	1085.00		322.24	
10.	कर्नाटक	2129.39	1850.52	1089.58	715.89	1028.84		0	
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.94	15.94	51.27	51.27	25.30	25.30	515.98	
12.	ओडिशा	1517.24	1147.9	3.73		783.34		1509.44	
13.	मेघालय	1519.83	1519.8	441.00	441.00	762.33		2	
14.	केरल	641.63	631.24	744.81	707.75	412.07		1001.27	
15.	मिजोरम	1456.78	1459.63	865.09	750.35	721.62	155.51	657.98	
16.	जम्मू और कश्मीर	0		750.03		0.00		323.363	
17.	दिल्ली	48.75	48.75	895.98	356.35	203.75		0	
18.	मध्य प्रदेश	752.7	278.04			0.00		346.54	
19.	सिक्किम	568.879	419.18	526.98		202.38		2	
20.	अरुणाचल प्रदेश	4319.499	4319.499	3912.65	2205.476	4801.64	1522.33	3041.045	
21.	आंध्र प्रदेश							1656.01	
22.	त्रिपुरा							1710.785	
23.	पंजाब							1059.8	
24.	राजस्थान							0	
25.	गुजरात							0	
26.	छत्तीसगढ़							0	
	सकल योग	91318.46	79422.87	77990.82	31408.18	34126.34	7140.09	74179.619	

*वर्ष 2012-13 के दौरान जारी निधियों हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2014 तक देय तथा 2013-14 के दौरान जारी निधियों के लिए 31 मार्च, 2015 तक देय है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

***120. श्री हसन खान :**
श्रीमती प्रतिभा सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा रेल परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और ऐसी परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण के प्रतिमान क्या हैं;

(ख) उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें विगत में राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है;

(ग) बिलासपुर-लेह, श्रीनगर-कारगिल, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, बद्दी-कालका, घनौली-बद्दी और चंडीगढ़-बद्दी खंडों पर नई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं हेतु बनाए गए वित्तपोषण संबंधी प्रतिमानों और संबंधित राज्यों के साथ इसमें लागत भागीदारी का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़-बद्दी मार्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग बनाने हेतु अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजनाओं अथवा विकासात्मक परियोजनाओं, जो इन क्षेत्रों में बृहद एकीकरण का परिणाम है, को 'राष्ट्रीय परियोजनाओं' की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह अवधारणा देश के अन्य क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उन सभी परियोजनाओं के लिए एकसमान वित्तपोषण संबंधी स्वरूप को अपनाना होता है।

ऐसी 12 रेल परियोजनाएं हैं जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित की गई हैं, जिनमें 1 परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में है और पूर्वोत्तर क्षेत्र की 11 परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं और इन्हें सामरिक महत्ता की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें से 1 परियोजना यथा कुमारघाट-अगरतला नई लाइन को मीटर आमान खंड के रूप में पहले ही पूरा किया जा चुका है। शेष चालू 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निष्पादित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) **बिलासपुर-मनाली-लेहह लाइनः** इस परियोजना को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित की जाने वाली इस परियोजना को स्वीकृत करने हेतु अंतर-मंत्रालय परामर्श के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को एक नोट भेजा गया था। परन्तु इस प्रस्ताव का वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा समर्थन नहीं किया गया था।

श्रीनगर-कारगिल नई लाइनः उपर्युक्त नई लाइन परियोजना का सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है और सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन : 63 कि॰मी॰ लंबी नई लाइन परियोजना 2008-09 में स्वीकृत की गई थी और प्रारंभिक 4 कि॰मी॰ में भूमि अधिग्रहण और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के अनुसार इस परियोजना की 25 प्रतिशत लागत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी है और 70 करोड़ रुपए के आरंभिक प्रावधान से अधिक भूमि की लागत में होने वाली बढ़ोतरी मुहैया कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार अनुमोदन के अनुसार लागत वहन करने के लिए सहमत नहीं है और राज्य सरकार के साथ इसके वित्त पोषण के मुद्दे को उठाया गया है।

बद्दी-कालका नई लाइन (19.9 कि.मी.) इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 384.45 करोड़ रुपए और इसके प्रतिफल की दर (-) 3.68 प्रतिशत है।

घनौली-बद्दी नई लाइन (26.30 कि.मी.) इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 541.27 करोड़ रुपए है और इसके प्रतिफल की दर (-) 3.44 प्रतिशत है।

चंडीगढ़-बद्दी नई लाइनः इस कार्य को 2007-08 में स्वीकृत किया गया था। प्रारंभ में यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी थी क्योंकि इसका संरेखण वन बहुल क्षेत्रों से गुजर रहा था और अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं थी। वैकल्पिक संरेखण की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ङ) जब चंडीगढ़-बद्दी नई लाइन परियोजना अटक गई थी तो हिमाचल प्रदेश सरकार से घनौली-बद्दी और कालका-बद्दी नई लाइन सर्वेक्षणों के लिए अनुरोध किया गया था। योजना आयोग से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

चालू राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	लागत	मार्च, 2013 तक प्रत्याशित व्यय	परिव्यय 2013-14	% प्रगति
1.	शाखा लाइनों और एमएम सहित लमडिंग-सिल्चर (482.73 कि.मी.)	1996-97	4255	3413	375	80%
2.	लिंकिंग लाइनों सहित बोगीबील पुल (73 कि.मी.)	1997-98	4500	2760	340	61%
3.	जीरीबाम-इम्फाल (तुपुल) (125 कि.मी.)	2003-04	4478	1229	453.9	27%
4.	अजरा-बर्नीहाट के स्थान पर तेतलिया-बर्नीहाट (21.50 कि.मी.)	2006-07	385	153	50	39%
5.	दीमापुर-कोहिमा (88 कि.मी.)	2006-07	850	9	1	1%
6.	अगरतला-सबरूम (110 कि.मी.)	2008-09	1141	497	140	43%
7.	भैराबी-सारंग (44.39 कि.मी.)	2008-09	2393	101	77	4%
8.	सिवोक-रांगपो (44.39 कि.मी.)	2008-09	3380	1012	102.63	3%
9.	बर्नीटाट-शिलांग (108.40 कि.मी.)	2010-11	4083	2	1	0
10.	रांगिया-मुरकोंगसेलेक और लिंक्ड फिंगर्स (510.33 कि.मी.)	2003-04	2232	1487	425	66%
11.	ऊधम-श्रीनगर-बारामूला (290 कि.मी.)	1994-95	19565	9819	1100	50%

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1151. श्री कादिर राणा : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) से (ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम/योजनाएं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा मेरठ जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा मेरठ में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कोई विशिष्ट योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों द्वारा लघु वित्त संस्थाओं में निवेश

1152. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निजी लघु वित्तीय संस्थाओं (एमएमआई) में निवेश कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 100 करोड़ रुपए की आरंभिक संग्रह निधि से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ इंडिया माइक्रो फाइनैंस इक्विटी फंड का सृजन किया जिसमें मुख्यत: देश के अलाभान्वित तथा कम लाभान्वित हिस्सों में गरीबी उन्मूलन तथा किए जा रहे कार्यों के दीर्घकालिक स्थायित्व का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लघु समाजोन्मुख माइक्रो फाइनैंस संस्थानों (एमएफआई) पर ध्यान दिया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्तर-II (50,000 से 2,50,000 के बीच ऋण लेने वाले) तथा स्तर-III (50,000 से कम का ऋण लेने वाले) माइक्रो फाइनैंस संस्थानों को इक्विटी, क्वासी इक्विटी या गौण ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ बजट 2013-14 में आईएमई निधि को 100 करोड़ रुपए के आवंटन तथा निधि में 100 करोड़ रुपए की राशि और देने की घोषणा की जिससे संग्रह निधि बढ़ कर 300 करोड़ रुपए हो गई। आज की तारीख तक सिडबी ने 104.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और 79.25 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के लिए सिडबी को 100 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है।

विद्युत की मांग

1153. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन बिजली नीति के अनुसार कोयला भंडार वाले राज्य स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) संसाधन सम्पन्न कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड का मानना है कि कोयला धारित राज्यों को उनके पर्यावरण और अवसंरचना पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार कोयले पर रायल्टी से राजस्व की प्राप्ति जलविद्युत परियोजनाओं के मेजबान राज्यों को की जाने वाली 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत की तुलना में कम है।

उपर्युक्त अनुरोध पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत लेखा-परीक्षा

1154. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत धनराशि की लेखा-परीक्षा के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों को जारी किये गए धनराशि की लेखा-परीक्षा स्वतंत्र एजेंसी से कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 16(5) के प्रावधानों को संशोधित करने का विचार है ताकि योजना के अंतर्गत लागत के संदर्भ में और ज्यादा कार्य की प्रतिशतता उपलब्ध कराया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) केंद्र सरकार ने मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की है। उसमें उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले की योजना और राज्य रोजगार गारंटी निधि के प्रत्येक वर्ष के खातों की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या समकक्ष प्राधिकारी या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराई जाएगी। जैसा भी मामला हो, प्राधिकारी को योजना के खातों और इन खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होती है। प्रत्येक राज्य सरकार की योजना के यथाप्रमाणित खाते और इनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस कार्य के लिए तैनात किए गए किसी भी व्यक्ति के पास अपनी सुविधा के पास अपनी सुविधा के हिसाब से नियमित अंतरालों पर योजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा।

(ख) और (ग) मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 में राज्य सरकारों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'विशेष लेखा परीक्षा इकाई' नामक एक स्वतंत्र संगठन के माध्यम से 6 माह में कम-से-कम एक बार अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का कार्य सौंपा गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई अन्य बातों के साथ-साथ मनरेगा के सभी प्रमुख स्टेक-होल्डरों के अभिलेखों की जांच करती है और ग्राम सभा की बैठक बुलाकर लेखा परीक्षा में मदद करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

1155. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार शुरू किए गए नए कार्यों और अब तक पूरा किए जा चुके कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : भारत सरकार ने अक्तूबर, 2013 में XIIवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को जारी रखने हेतु अनुमोदन दे दिया है। XIIवीं योजना के दौरान, अब तक बाढ़ प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसी भी नये कार्य को अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रबंधन

1156. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित हो रही नई कॉलोनियां और इससे बाधित जल निकासी, सड़क और रेल लाइन बनाते समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था न करना तथा मानसून आने से पहले नाले की सफाई नहीं किया जाना बाढ़ के प्रमुख कारण हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ के दुष्परिणाम को कम करने के उद्देश्य से देश में जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जल की निकासी में अवरोध कॉलोनियों में बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। शहरों में आने वाले बाढ़ सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है। तद्नुसार बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निरूपित एवं कार्यान्वित किये जाते हैं। शहरी बाढ़ से संबंधित मामलों का समन्वय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसने सूचित किया है कि भारत सरकार ने सुधारोन्मुखी कार्यसूची के साथ देश में तूफानी जल की निकासी सहित शहरी अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। जेएनएनयूआरएम के दो घटक नामत: शहरी अवसंरचना एवं प्रशासन (यूआईजी) और छोटे एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अब तक यूआईजी घटक के अंतर्गत 860.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 76 तूफानी जल की निकासी संबंधी परियोजनायें और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 811.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 68 तूफानी जल की निकासी संबंधी परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं।

[अनुवाद]

एमएसडीपी का कार्यान्वयन

1157. श्री सी.आर. पाटिल :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के संबंध में अल्पसंख्यक बहुल योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसडीपी के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान नियत लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना विकास हेतु आवंटित धनराशि और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा कितने शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि के उपयोग में तीव्रता लाने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एमएसडीपी के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी संस्थानों का स्तरोन्यन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो राजस्थान सहित देश में ऐसे संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुत जिलों (एमसीडी) में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी हेतु कुल आवंटन 3780 करोड़ रुपए में से 3733.90 (आवंटन का 99%) की योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.03.2012 तक 2935.87 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति की गई थी और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 2278.76 करोड़ रुपए की राशि उपयोग की गई है। तथापि, कुछ राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से योजना प्रस्तावों की प्राप्ति में देरी, कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में देरी, निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों के निर्धारण में देरी के कारण धीमी है।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु 5775 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु 66 नगरों/शहरों को चिन्हित किया गया है।

(घ) एमएसडीपी के अंतर्गत, निर्मुक्त निधि के उपयोग में तेजी लाने के लिए मामले को पत्रों और विचार-विमर्श के जरिए विभिन्न स्तर पर उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस मंत्रालय के अधिकारी भी एमएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति जांचने और समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं।

(ङ) एमएसडीपी के अंतर्गत, तकनीकी संस्थानों जैसे पोलीटेक्नीकों और आईटीआई के उन्नयन के साथ-साथ नयों को स्थापित करने के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(च) दिनांक 30.11.2013 तक, एमएसडीपी के अंतर्गत 116 आईटीआई और 44 पोलीटेक्नीक अनुमोदित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एमएसडीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से संस्वीकृत तकनीकी संस्थान

क्र.सं.	राज्य	आईटीआई भवन	पोलीटेक्नीक
1.	उत्तर प्रदेश	53	24
2.	पश्चिम बंगाल	24	9
3.	असम	15	1
4.	बिहार	3	3
5.	मणिपुर	1	0
6.	हरियाणा	1	0
7.	झारखंड	11	3
8.	उत्तराखंड	1	2
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0
10.	ओडिशा	2	0
11.	केरल	0	1
12.	मिजोरम	2	0
13.	जम्मू और कश्मीर	1	0
14.	दिल्ली	1	0
	योग	116	44

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सिंचाई

1158. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में अब तक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाए गए भू-भाग का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) निकट भविष्य में योजना के अंतर्गत कितनी भूमि को लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में भारत निर्माण योजना के तहत कुल 9.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी और लगभग 41576 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी। सृजित सिंचाई क्षमता का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा भारत निर्माण के तहत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के लिए 821.81 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके बाद, योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए सिंचाई क्षमता सृजित करने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक के लिए भारत निर्माण के तहत महाराष्ट्र राज्य में एरिया/क्षेत्र-वार सृजित सिंचाई क्षमता

क्र. सं.	एरिया/क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)
1.	कोंकण	23.51
2.	नासिक	326.03
3.	पुणे	89.30
4.	औरंगाबाद	224.41
5.	अमरावती	104.43
6.	नागपुर	154.62
	कुल	922.30

स्रोत: महाराष्ट्र सरकार।

[अनुवाद]

विद्युत आवंटन

1159. श्री रामसिंह राठवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी जोन की केन्द्रीय विद्युत यूनिट से आवंटित विद्युत के हिस्से से राज्यों को मिलने वाली विद्युत की मात्रा को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप उन राज्यों को राज्य-वार कितनी बिजली कम मिल रही है; और

(ग) सरकार का बिजली की इस कमी को किस प्रकार दूर करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विद्युत के हिस्से को 15141 मेगावाट के निश्चित हिस्से के आवंटन से घटाया नहीं गया है। पश्चिमी क्षेत्र के सीजीएस के अनावंटित विद्युत से आवंटन को मानक प्रक्रिया के अनुसार देश के अन्य क्षेत्रों/राज्यों में विद्युत की अपेक्षाकृत कमी के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया गया था। तद्नुसार अनावंटित कोटे से 180 मेगावाट विद्युत की कटौती की गई है। इस कटौती के परिणामस्वरूप, देश के शेष भागों/अन्य राज्यों/अन्य क्षेत्रों में विद्युत कमी की स्थिति की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत की प्रतिकूल कमी नहीं होगी।

रेलगाड़ी मार्ग का विस्तार

1160. श्री जोस के. मणि :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार कोल्लम-कोट्टायम पैसेंजर ट्रेन का विस्तार एर्णाकुलम तक किए जाने का है और क्या रेलवे ने

एर्णाकुलम-त्रिच्चि एक्सप्रेस (टी-गार्ड) का विस्तार नगूर तक किए जाने की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ट्रेन संख्या 12110, 12118 और 12102 का मनमाड से भुसावल तक मार्ग विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे बजट 2013-14 में, 60 जोड़ी गाड़ियों के विस्तार करने की घोषणा की गई है। इनमें से अब तक 45 जोड़ी गाड़ियों का विस्तार कर दिया गया है। बहरहाल, भारतीय रेलवे में गाड़ियों का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) इस समय, कोल्लम-कोट्टायम पैसेंजर गाड़ी का एर्णाकुलम तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जबकि 30.03.2010 से एर्णाकुलम-तिरुचिरापल्ली टी गार्डेन एक्सप्रेस का नागोर तक (16187/16188 नए नं. के साथ) और आगे 17.12.2011 से कैराइकल तक विस्तार कर दिया गया है।

(ङ) और (च) इस समय, 12110 मनमाड-मुंबई सीएसटी पंचवटी एक्सप्रेस और 12118 मनमाड-लोकमान्य तिलक (टी) एक्सप्रेस का भुसावल तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 12102 लोकमान्य तिलक (टी)-हावड़ा जनेश्वरी एक्सप्रेस पहले ही भुसावल के रास्ते चल रही है।

[हिन्दी]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

1161. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों और जन प्रतिनिधियों से निर्मल ग्राम पुरस्कार-2009 के लिए एनजीओ के सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एनजीओ और उनके स्थान के नाम क्या हैं जिनके संबंध में विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। वर्ष 2009-10 के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 के दौरान जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, उनकी जांच की गई थी और यह सूचित करते हुए मामले का निपटान किया गया था कि निर्मल ग्राम पुरस्कार 2009 प्रदान किए जाने हेतु इन मामलों की समीक्षा करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

दीर्घावधिक भविष्यवाणी

1162. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाप्त हुई दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा की गई अधिकांश दीर्घावधिक भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आईएमडी द्वारा की जाने वाली गलत भविष्यवाणियों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईएमडी कार्यकरण में सुधार करने और उनके कार्य की खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) मानसून वर्षा के दीर्घावधि पूर्वानुमान में सदैव ही कुछ हद तक त्रुटि रहने की आशंका होती है क्योंकि इसका प्रथम आकलन अप्रैल में तथा अद्यतन आकलन जून में जारी किया जाता है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-आईएमडी का सदैव ही यह प्रयत्न रहा है कि सुधार के सतत प्रयासों से इस त्रुटि को कम किया जा सके। परिमाणात्मक रूप से, देश में समग्र रूप से मानसून ऋतु की वर्षा जून में जारी किए गए एलपीए के $98 \pm 4\%$ के सामान्य मानसून वर्षा परिदृश्य आकलन तथा अप्रैल में जारी किए गए $98 \pm 5\%$ के आकलन की तुलना में अपने दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 106% रही हैं।

जहां तक मानसून ने विगत 10 वर्षों के दीर्घावधि पूर्वानुमानों के सत्यापन का संबंध है, ईएसएसओ-आईएमडी के मानसून पूर्वानुमान यथोचित रूप से सही है। पूर्वानुमान त्रुटियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

अवधि	उन वर्षों की संख्या जिनमें त्रुटियां+4% के भीतर थीं	उन वर्षों की संख्या जिनमें त्रुटियां+4-8% के भीतर थीं	उन वर्षों की संख्या जिनमें त्रुटियां+8% के भीतर थीं
2004-13	5 (2003; 2005; 2008; 2010; 2012)	3 (2006; 2011; 2013)	2 (2004; 2007; 2009)
1994-04	1 (1995)	4 (1996; 1998; 2000; 2001)	4 (1994; 1997; 1999)

सीमान्त रूप से मानसून-2013 के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की वजह कुछ हद तक सम्पूर्ण देश में मानसून का जल्दी आना (अन्यथा मध्य जुलाई की तुलना में जून के मध्य में ही) तथा मध्य भारत तथा उत्तरी प्रायद्वीप में मानसून निम्न दबाव प्रणालियों (चक्रवाती परिसंचरणों, अवदाबों) की सामान्य से अधिक आवृत्ति रही है।

(ग) 12वीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय मानसून मिशन पहले के अंतर्गत ईएसएसओ के अन्य संस्थानों, भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (ईएसएसओ-आईआईटीएम), पुणे, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र (ईएसएसओ-इंकॉइस), हैदराबाद तथा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा ने (क) विस्तारित अवधि से ऋतुनिष्ठ समय पैमाने (16 दिनों से एक ऋतु) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान तथा (ख) अल्प से मध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा तथा खराब मौसम की घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान के लिए एक अत्याधुनिक युग्मित महासागर-वायुमण्डलीय जलवायु मॉडल बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि ईएसएसओ-आईएमडी की प्रचालनात्मक सेवाओं के लिए पूर्वानुमान कौशल में और अधिक गुणवत्ता सुधार हो सके। गतिकी मॉडल फ्रेमवर्क के आधार पर इस वर्ष प्रायोगिक पूर्वानुमान 104-108% था जबकि वास्तविक वार्षिक वर्षा 106% थी।

व्यापार वातावरण संबंधी पैनल

1163. श्री एंटो एंटोनी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा उनके त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने दामोदरन पैनल रिपोर्ट पर टिप्पणियां भी मांगी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ङ) भारत में व्यावसायिक वातावरण में सुधार के रोडमैप हेतु उपाय सुझाने के लिए श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है, जिससे उन्होंने (क) कानूनी सुधार करके (ख) विनियामक संरचना तैयार करने (ग) विनियामक प्रक्रिया प्रभावी बनाने (घ) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को समर्थ बनाने तथा (ङ) राज्य स्तरीय मामलों पर ध्यान देने संबंधी सुझाव दिए हैं।

रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया था तथा जो पहलू विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्राधिकार में आते हैं उन्हें उनको भेजा गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 में समिति के अधिकांश सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

समाचार और नवीन घटनाक्रम संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण

1164. श्री मानिक टैगोर :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी रेडियो केन्द्र और सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को समाचार और नवीन घटनाक्रम संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें समाचार और नवीन घटनाक्रम संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमतिधारक को प्रसार भारती के साथ पारस्परिक रूप से यथा तय किए जाने वाले निबंधन एवं शर्तों पर आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को ठीक उसी फॉर्मेट (अपरिवर्तित) में प्रसारित करने की अनुमति दी जाएगी।

सामुदायिक रेडियो पर नीतिगत दिशा-निर्देशों के खंड 5(vi) में उल्लेख है कि "अनुमतिधारक किन्हीं ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करेगा जो समाचारों व समसामयिक विषयों से संबंधित हों और अन्यथा राजनीतिक स्वरूप के हों"।

(ग) और (घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि अंतरण नीति

1165. श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश की भूमि अंतरण नीति में कोई परिवर्तन किया गया है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य के क्या विचार हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे लोगों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भूमि संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन नहीं करने वाले राज्यों को दंडित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2011 और 21 नवम्बर, 2011 के प्रत्येक अर्धशासकीय पत्रों द्वारा परिचालित निर्देशों में सरकार द्वारा निम्नलिखित छूट स्वीकृत की गई हैं:—

(i) मंत्रालय से सांविधिक प्राधिकरणों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भूमि हस्तांतरण के सभी मामलों की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि वे भारत सरकार (कार्य संव्यवहार) नियम की अपेक्षाओं के अनुरूप हों;

(ii) किसी ग्राही को पट्टे अथवा किराए अथवा लाइसेंस व भूमि के हस्तांतरण के सभी मामले, जिन्हें पीपीएसी के माध्यम से मूल्यांकिन किया गया है और परियोजना के मूल्य पर निर्भर करते हुए वित्त मंत्री अथवा संबंधित मंत्रियों अथवा मंत्रिमंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(iii) रेलवे की भूमि का रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा रेलवे संशोधन अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा रेल मंत्रालय और सरकार की विद्यमान नीतियों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास और उपयोग।

दिनांक 21.03.2011 के अ.शा. पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों, जिनके अनुसार सरकार और सरकार के नियंत्रण के अधीन सांविधिक प्राधिकरणों की भूमि की बिक्री अथवा दीर्घावधि पट्टे के प्रत्येक मामले में, इस संबंध में कोई नीति बनाए जाने तक, मंत्रिमंडल की विशिष्ट स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य था, पर स्पष्टीकरण अथवा छूट मांगे जाने के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से कई पत्र प्राप्त हुए थे।

(घ) भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसाकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रशासनों के अपने भूमि कानून/अधिनियम/नियम और विनियम हैं। केन्द्रीय सरकार की ऐसे मामलों में सीमित भूमिका है उदाहरणार्थ-परामर्श देना, नीतियां बनाना आदि।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल उपरिपुल

1166. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरिपुल और अधोपुल हेतु प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने वार्षिक आधार पर लागत बंटवारा योजना के आधार पर 15 रेल उपरिपुलों (आरओबी) का कार्य शुरू करने हेतु रेलवे से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य सरकार से व्यापक उपरि सड़क पुल/निचले पुलों की लागत भागीदारी के आधार पर प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में गुजरात राज्य में लागत भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किये गए उपरि सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

स्वीकृत किया गया वर्ष	लागत भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किए गए आरओबी/आरयूबी की संख्या
2010–11	10
2011–12	3
2012–13	62
2013–14	6
जोड़	81

(ख) रेलवे के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) जी, हां, गुजरात सरकार से वार्षिक आधार पर प्राप्त 15 आरओबी का निर्माण करने के प्रस्तावों को रेलवे द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नाफ्था से विद्युत उत्पादन

1167. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार नाफ्था ईंधन आधारित कितनी विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है;

(ख) देश में नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाओं से कुल कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की अनुमान है;

(ग) उक्त परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन के लिए नाफ्था का आयात करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सभी विद्युत परियोजनाओं के चालू होने तक प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा के व्यय होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों या फीडस्टोक के रूप में नाफ्था का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी मंजूरी/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार देश में अक्तूबर, 2013 माह में नाफ्था आधारित परियोजनाओं से विद्युत का कुल उत्पादन शून्य है।

(ग) से (च) उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्षय में प्रश्न नहीं उठता।

भारत निर्माण वेबसाइट

1168. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आकाशवाणी की नई एसएमएस आधारित समाचार सहित भारत निर्माण वेबसाइट की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा के संबंध में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) भारत निर्माण वेबसाइट *(bharat-nirman.in)* और आकाशवाणी (एआईआर) की समाचार एमएसएम सेवा दिनांक 09.09.2013 को शुरू की गई।

(ख) उक्त वेबसाइट *(bharat-nirman.in)* के होम-पेज पर भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण पहलों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, वेबसाइट में निम्नलिखित खंडों के अंतर्गत सूचना प्रदान की गई है:—

(i) "इनफॉरग्राफ्कि" — आरेख सहित सूचना प्रदान की गई है।

(ii) "एट ए ग्लॉन्स" — पहलों के संबंध में सरसरी तौर पर जानकारी दी गई है।

(iii) प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया कवरेज।

(iv) सोशल मीडिया वेबसाइटों के लिंक।

वेबसाइट के अन्य पृष्ठों पर भारत निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार की विभिन्न विकास और कल्याण पहलों, संबंधित कीर्ति-गाथाओं के बारे में सूचना एवं ई-बुक है एवं वेबसाइट के लाभग्राहियों के लिए फीडबैक देने का प्रावधान है।

आकाशवाणी की नई एसएमएस आधारित अद्यतन समाचार सेवा के अंतर्गत, आकाशवाणी द्वारा एक दिन से तीन बार मुफ्त एसएमएस द्वारा सेवा के ग्राहकों को 3-4 समाचार हेडलाइन भेजी जाती हैं।

(ग) द्विभाषी भारत निर्माण वेबसाइट के इसे शुरू किए जाने से लेकर अब तक लगभग 18,000 लाभग्राही हो चुके हैं और लगभग 90 प्रतिक्रियाएं वेबसाइट के फीडबैक खंड में डीएवीपी को प्राप्त हो चुकी हैं। भारत निर्माण पहलों से संबंधित जिज्ञासाओं के तुरंत उत्तर दिए जाते हैं।

चार लाख से ज्यादा लोग आकाशवाणी की नई एसएमएस आधारित समाचार सेवा के ग्राहक बन चुके हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन

1169. श्री गणेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश (एमपी) में विगत तीन वर्षों के दौरान चालू/लंबित तथा वर्ष 2013 तक घोषित आमान परिवर्तन परियोजनाओं का खंड-वार ब्यौरा तथा मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में आज की तिथि के अनुसार स्थान-वार मीटर गेज लाइन की संख्या और कुल लंबाई कितनी है;

(ग) उक्त मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) परियोजनाएं जोन-वार शुरू की जाती हैं न कि राज्य-वार। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली आमान परिवर्तन की चालू/लंबित परियोजनाओं, जिसमें 2013 तक घोषित परियोजनाएं भी शामिल है, की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत 2013-14	मार्च, 2013 तक किया गया व्यय	2013-14 के के लिए परिव्यय	वर्तमान स्थिति सहित लक्ष्य जहां निर्धारित है
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालाघाट कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	285	1038	643.94	30	बालाघाट-कटंगी (46.80 कि.मी.) और (42 कि.मी.) का कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। शेष खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों का कार्य शुरू किया गया है। बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर का कार्य वन विभाग की क्लीयरेंस के कारण रुका पड़ा है कुल प्रगति 66%
2.	छिंदवाडा-नागपुर	149.52	585.93	277.51	200	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल और सुरंग का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर है कुल प्रगति 61% लक्ष्य मार्च, 2016

1	2	3	4	5	6	7
3.	रतलाम-मोहू-खंडवा-अकोला	472.64	1421.25	195.04	119.83	रतलाम-फतेहाबाद (80 कि.मी.): खंड को 2012-13 में पूरा कर लिया गया है। फतेहाबाद-इंदौर (40 कि.मी.): में मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है और खंड के मार्च, 2014 तक पूरा होने का लक्ष्य है। अकोला-खंडवा खंड के लिए वन विभाग से क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है।
4.	छिंदवाडा-मंडला कोर्ट	182.25	737.72	29.04	10	कुल प्रगति 7% है।
5.	कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर-शिवपुरकलां	284	3712	1.06	2	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य प्रारंभिक चरण में है।

(ख) वर्तमान में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित तीन मीटर गेज लाइन खंड मौजूद हैं:—

1. अकोला-खंडवा (69 कि.मी.)
2. रतलाम-खंडवा (258 कि.मी.)
3. फतेहाबाद चंद्रावटी गंज-इंदौर (39 कि.मी.)

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश की सभी मौजूदा मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृत किया गया है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफावर्ड होने के कारण और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, इन सभी खंडों के परिवर्तन के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

वंचित व्यक्ति

1170. **श्री प्रदीप कुमार सिंह :** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के सभी तबकों के वंचित व्यक्तियों को समान अवसर आयोग (ईओसी) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्ति) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वंचित समूहों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यों की जांच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के समूह और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों के आधार पर, अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित समूहों के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु समान अवसर आयोग विधेयक मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक भू-अभिलेख

1171. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना तैयार की है जिसमें राज्यों के लिए समेकित और इलेक्ट्रॉनिक भू-अभिलेखों की प्रणाली विकसित करने के लिए तीन वर्षीय रूपरेखा प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)' और 'राजस्व प्रशासन का

सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण (एसआरएएण्ड यूएलआर)' नामक दो विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विलय करके 'राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआर एमपी)' के रूप में एक नई और संवर्धित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। एनएलआरएमपी का मुख्य उद्देश्य देश में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। इसमें भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रेशन प्रणालियों को कम्प्यूटरीकृत करना और एकीकृत करना प्रस्तावित है ताकि हमें मांग पर तत्काल (रीयल टाइम में) भूमि अभिलेख प्राप्त हो सकें। एनएलआरएमपी के अंतर्गत कार्यान्वयन की इकाई जिला है जहां इस कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकलाप समाहित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी जिलों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह कार्यक्रम लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) एनएलआरएमपी के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एनएलआरएमपी के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों की संख्या (30.11.2013 की स्थिति)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	27
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	13
6.	गुजरात	22
7.	गोवा	0
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	7
10.	जम्मू और कश्मीर	9
11.	झारखंड	20
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	11
14.	मध्य प्रदेश	27
15.	महाराष्ट्र	16
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	5
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	6
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	4
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	32
25.	त्रिपुरा	7
26.	उत्तर प्रदेश	26
27.	उत्तराखंड	10
28.	पश्चिम बंगाल	19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दिल्ली	3
33.	दमन और दीव	2
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पुदुचेरी	2
	योग	379

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एसीडीएम प्रणाली

1172. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआईए) ने विमान के उतरने और उड़ान भरने में देरी से निपटने तथा उन्हें सटीक और अनुमान्य बनाने के लिए हाल ही में एयरपोर्ट कोलाबोरनेटिव डिसिजन मेकिंग (एसीडीएम) नामक आधुनिक प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एसीडीएम की शुरुआत के बाद विमानों के उतरने और उड़ाने भरने के समय में कुल मिलाकर आए सुधार को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों में भी एसीडीएम प्रचलन में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) एयरपोर्ट कोलाबोरेटिव डिसीजन मेकिंग (ए-सीडीएम) अनुमानों की बजाय लक्षित समय (टारगेट टाइमिंग) पर काम करता है। इससे हवाईअड्डा प्रचालनों की कार्यप्रणाली में पारंपरिक प्रणाली की अपेक्षा बहुत बदलाव आया है। ए-सीडीएम की वजह से बेहतर सुविज्ञ, सुनियोजित और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया के लिए प्रचालनिक आंकड़ों की शेयरिंग सुगम हो जाती है, जिससे और अधिक सटीक समग्र प्रचालनिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों की ईष्टतम उपयोगिता, कुशल टर्न एराउंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है और हर कोई स्थिति से सामान्य रूप से अवगत हो जाता है। ए-सीडीएम एयरलाइनों, हवाईअड्डा प्रचालक, हवाई यातायात नियंत्रक, ग्राउंड हैंडलरों आदि के बीच सटीक और समयबद्ध सूचना की लिंकिंग और शेयरिंग द्वारा अनुमान्यता, समग्र कुशलता और समयपालन में कारगर रूप से वृद्धि होती है। सभी सहभागी पूर्ण सहयोग से काम करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ए-सीडीएम का कार्यान्वयन 05.06.2013 से किया गया है। विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में समग्र सुधार का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

समयबद्ध निष्पादन	ए-सीडीएम से पहले	ए-सीडीएम लगने पर
प्रस्थान	79.4%	86.4%
आगमन	73.0%	79.2%

(ग) और (घ) जी, हां। फिलहाल जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आदि समेत 30 से अधिक देश ए-सीडीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

विद्युत की बिक्री

1173. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आयातित गैस के प्रयोग के लिए वाणिज्यिक विद्युत निर्माताओं की राजसहायता बढ़ाने के बजाय निजी विद्युत संयंत्रों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उनके उत्पादन के 50 प्रतिशत हिस्से की खुले बाजार में बिक्री किए जाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विद्युत मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसकी विद्यमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए घरेलू गैस के साथ आयानित रीगैसीकृत द्रवीकत प्राकृतिक गैस की पूलिंग और अन्य विकल्पों की संभावना की जांच की जा रही है। उपरोक्त के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

टीएचडीसी में रोजगार

1174. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना द्वारा विस्थापित हुए परिवारों को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टिहरी उत्तराखंड में रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टीएचडीसी परियोजना में की गई नियुक्तियों का इंजीनियरों सहित पद-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन पदों पर कितने स्थानीय लोगों की नियुक्ति की गई?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) टीएचडीसीआईएल ने राज्य सरकार के साथ

हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के आधार पर परियोजना प्रभावित क्षेत्र से टिहरी बांध परियोजना में 822 व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

(ग) और (घ) पिछले 03 वर्षों के दौरान 49 कार्मिकों की भर्ती की गई थी, जिसमें 9 स्थानीय व्यक्ति थे। पद-वार ब्यौरे विवरण नीचे दिए गए हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	पद का नाम	कार्मिकों की संख्या
1.	2010	भूवैज्ञानिक	2
2.	2010	परिचर	2
3.	2011	इंजीनियर	1
4.	2011	लेखा अधिकारी	1
5.	2011	कंपनी सचिव (प्रशिक्षु)	1
6.	2011	कनिष्ठ तकनीशियन	1
7.	2012	उप-प्रबंधक (वित्त)	2
8.	2012	इंजीनियर (प्रशिक्षु) तथा प्रबंधन (प्रशिक्षु)	36 03

भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

1175. श्री मंगनी लाल मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुजफ्फरपुर और मोकामा स्थित भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईसीएल) में उत्पादन तथा क्षमता में वृद्धि के लिए आवंटित और खर्च की गई धनराशि का वर्षवार और इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता के उपयोग का वर्षवार तथा इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इकाइयों के संबंध में उत्पादन में आवंटित धनराशि के बेहतर उपयोग और आनुपातिक वृद्धि के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधि और खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:—

वर्ष	आवंटित निधि	खर्च की गई निधि
2010-11	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2011-12	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2012-13	12 करोड़ रुपए	(वेतन/पीएफ देयताओं के
2013-14	18 करोड़ रुपए	भुगतान और उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए सामान सूची के निर्माण में निधि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है)

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का उपयोग वर्ष-वार निम्नानुसार है:—

	मुजफ्फरपुर	मोकामा	कुल	क्षमता उपयोग
2010-11	123	75	198	22%
2011-12	110	118	228	26%
2012-13	44	69	113	13%
2013-14 (नवंबर 2013 तक)	156	93	243	42%

(ग) मशीन एवं संयंत्र के अपग्रेडेशन और प्रति माह 50-80 वैगन के लिए सामान सूची को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

टीवी चैनलों के लिए नई सुरक्षा स्वीकृति नीति

1176. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के निवेदन पर गृह मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए नई सुरक्षा स्वीकृति नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अग्रणी टेलीविजन प्रसारण कंपनियों के मालिकों और शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने हाल ही के नियमों की समीक्षा का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो टीवी चैनलों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन नियमों की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सूचना और प्रसाण मंत्रालय ने नए टीवी चैनल के अपलिंक/डाउनलिंक की अनुमति मांगने वाली कंपनियों के प्रस्तावों के संदर्भ में गृह मंत्रालय से यह जानकारी दिए जाने के लिए अनुरोध किया था कि क्या सुरक्षा अनुमति ऐसे प्रस्तावों के संबंध में फिर से अपेक्षित होगी चाहे उसी कंपनी को, जिसके निर्देशक वही हैं, पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा दृष्टि से अनुमति दी जा चुकी है और यह भी स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया था कि गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति की वैधता की समय-सीमा क्या होगी। गृह मंत्रालय ने नए टीवी चैनलों को अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति चाहने वाली कंपनियों के लिए नए सिरे से सुरक्षा अनुमति की अपेक्षा की पुष्टि की है चाहे उसी कंपनी और उसके निर्देशकों को पहले से सुरक्षा दृष्टि से अनुमति दी गई हो और इस बात को स्पष्ट किया कि कंपनी और उसके निदेशकों की सुरक्षा अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस संबंध में सूचित किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को नवंबर, 2013 में समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) की ओर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह (गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनुमति की वैधता की अवधि का 3 वर्ष तक के लिए सीमित होना) प्रसारण कंपनियों पर अनावश्यक परेशानी डालती है। इसके अतिरिक्त इससे विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि अपलिंकिंग के लिए अनुमति अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सुरक्षा अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इस कदम से प्रसारकों का व्यवसाय धीमा हो जाएगा।

(ङ) से (छ) ऐसे सभी प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करके विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि

1177. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी कम्पनियां कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि भूमि की विदेशी कंपनियों द्वारा खरीद पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि भूमि को कम होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ङ) भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। तद्नुसार, इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी नीतियां/अधिनियम/मैनुअल हैं। तथापि, कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने को रोकने की दृष्टि से, कृषि मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 (एनपीएफ-2007) तैयार की है जिसमें यह भी परिकल्पित है कि 'उत्तम कृषि भूमि को, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अवश्य रूप से कृषि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वे एजेंसियां, जिन्हें गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि मुहैया कराई जाती है, कहीं और उतने ही क्षेत्रफल की अवक्रमित/बंजर भूमि का सुधार और पूर्ण विकास करके प्रतिपूर्ति करें। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए, जहां तक संभव हो, कृषि के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि निर्धारित और आवंटित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे गैर-कृषि विकास कार्यकलापों, जिनमें औद्योगिक और निर्माण कार्यकलाप शामिल हैं, के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, लवणता, अम्लता आदि से प्रभावित भूमि निर्धारित करें'। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों द्वारा ली गई कृषि भूमि के संबंध में वर्ष-वार, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

नई उड़ानें

1178. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वायुमार्गों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन कर रहे सभी भारतीय अनुसूचित वाहकों को यातायात अधिकार आवंटित करने के लिए नीति है। भारतीय विमान वाहक अपनी क्षमता, वित्तीय सामर्थ्य और सेक्टर की मांग के आधार पर यातायात अधिकारों के लिए अनुरोध करते हैं। नीति के अनुसार, यातायात अधिकारों का आवंटन संबंधित द्विपक्षीय हवाई सेवा करार के अधीन ऐसे अधिकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अन्य पात्र आवेदकों को यातायात अधिकार आवंटित किए जाने से पहले एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत प्रचालन योजनाओं पर यथोचित विचार किया जाता है। नम्वबर, 2012 से नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन के लिए भारतीय अनुसूचित वाहकों को प्रदान किए गए यातायात अधिकार निम्नानुसार हैं:—

दिल्ली-सेम-मैड्रिड/बर्सीलोना (एयर इंडिया), दिल्ली मास्को (एयर इंडिया), दिल्ली-सिडनी/मेलबर्न (एयर इंडिया), मुंबई-नैरोबी (एयर इंडिया), मुंबई-अल नजफ (एयर इंडिया), लखनऊ-अल नजफ (स्पाइसजेट), वाराणसी-अल नजफ (स्पाइसजेट), दिल्ली-हो ची मिन्ह सिटी (स्पाइसजेट), दिल्ली-मकाऊ (स्पाइसजेट), मुंबई-जकार्ता (जेट एयरवेज), मुंबई-ज्यूरिख (जेट एयरवेज), दिल्ली-ताशकंद (जेट एयरवेज), मुंबई-हो ची मिन्ह सिटी (जेट एयरवेज), हैदराबाद-रियाद (स्पाइसजेट), बेंगलुरु-आबू धाबी (जेट एयरवेज), हैदराबाद-अबू धाबी-तेहरान (जेट एयरवेज), चंडीगढ़-दुबई (स्पाइसजेट और इंडीगो), मदुरै-दुबई (स्पाइसजेट), हैदराबाद-दम्माम (स्पाइसजेट), कोलकाता- ग्वांगझ (स्पाइसजेट), मदुरै-क्वालाल्मपुर (स्पाइसजेट), बागडोगरा- काठमांडू (स्पाइसजेट), बेंगलुरु-बैंकाक (स्पाइसजेट)।

[अनुवाद]

जैविक-शौचालय

1179. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश की ग्रामीण पंचायतों में बड़ी संख्या में जैविक-शौचालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार देशभर में करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी ग्रामीण पंचायतों को कब तक इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने की संभावना है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित बायो-डाईजेस्टर/बायो-टैंक आधारित, पर्यावरण-अनुकूल शौचालयों को ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इच्छुक राज्य डीआरडीओ से तकनीकी सहायता लेकर परियोजनाओं को अमल में ला सकते हैं। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के दिशा-निर्देश, वित्तीय सहायता सहित, परियोजना के लिए आधार होंगे, जो कि बायो-डाईजेस्टर शौचालयों हेतु वही होंगे, जैसा कि निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है। एनबीए के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित लागत से अधिक अतिरिक्त लागत तथा मनरेगा के अंतर्गत अनुमत लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्रों और टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना

1180. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में और अधिक आकाशवाणी केन्द्रों और टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अत्यधिक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (वीएलपी/एलपीटी) का उच्च्व शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एचपीटी) में उन्नयन किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) :

(क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश के 88 स्थानों पर 11वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित नए आकाशवाणी केंद्र कार्यान्वयनाधीन हैं। तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

11वीं योजना की सतत् स्कीमों के भाग के रूप में दूरदर्शन की निम्नलिखित ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:—

जम्मू और कश्मीर

1. एचपीटी, ग्रीन रिज
2. एचपीटी, हिम्बोटिंगला
3. एचपीटी, नाथा टॉप
4. एचपीटी राजौरी (डीडी 1 एवं डीडी न्यूज)

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

वीएलपीटी, जोगिंदर नगर

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्य सरकारों से उनके अपने राज्यों में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना करने/मौजूदा अल्प शक्ति एवं अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने हेतु समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा अनुरोधित किसी संस्थान पर किसी नए ट्रांसमीटर की स्थापना करने/मौजूदा ट्रांसमीटर का स्तरोन्नयन करने की कोई स्कीम नहीं है।

विवरण

स्थापित होने वाले आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र	प्रेषित्र की क्षमता
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	अनीनी	1 किवा एफ.एम.
2.	अरुणाचल प्रदेश	बारीरीजो	100 वाट एफ.एम.
3.	अरुणाचल प्रदेश	भालूकपोंग	100 वाट एफ.एम.
4.	अरुणाचल प्रदेश	बोलेंग	100 वाट एफ.एम.
5.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलैंग	1 किवा एफ.एम.
6.	अरुणाचल प्रदेश	छयंगताजो	100 वाट एफ.एम.
7.	अरुणाचल प्रदेश	डापोरीजो	1 किवा एफ.एम.
8.	अरुणाचल प्रदेश	गेनसी	100 वाट एफ.एम.
9.	अरुणाचल प्रदेश	हेयूलियांग	100 वाट एफ.एम.
10.	अरुणाचल प्रदेश	खोन्सा	1 किवा एफ.एम.
11.	अरुणाचल प्रदेश	कोयू	100 वाट एफ.एम.
12.	अरुणाचल प्रदेश	मारीयांग	100 वाट एफ.एम.
13.	अरुणाचल प्रदेश	मेचूका	100 वाट एफ.एम.
14.	अरुणाचल प्रदेश	नमपोंग	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
15.	अरुणाचल प्रदेश	पालिन	100 वाट एफ.एम.
16.	अरुणाचल प्रदेश	रागा	100 वाट एफ.एम.
17.	अरुणाचल प्रदेश	रूमगोंग	100 वाट एफ.एम.
18.	अरुणाचल प्रदेश	संग्राम	100 वाट एफ.एम.
19.	अरुणाचल प्रदेश	सागाली	100 वाट एफ.एम.
20.	अरुणाचल प्रदेश	तुर्टींग	100 वाट एफ.एम.
21.	अरुणाचल प्रदेश	याचूली	100 वाट एफ.एम.
22.	अरुणाचल प्रदेश	यिंगकियोंग	100 वाट एफ.एम.
23.	असम	बकुलीघाट	100 वाट एफ.एम.
24.	असम	बारपेटा	100 वाट एफ.एम.
25.	असम	डुडनोई	100 वाट एफ.एम.
26.	असम	गोलपारा	1 किवा एफ.एम.
27.	असम	करीमगंज	1 किवा एफ.एम.
28.	असम	लंका	100 वाट एफ.एम.
29.	असम	लुमडिंग	1 किवा एफ.एम.
30.	असम	सरीहजन	100 वाट एफ.एम.
31.	असम	उडलगुरी	100 वाट एफ.एम.
32.	असम	जूनागढ़	10 किवा एफ.एम.
33.	गुजरात	ग्रीन रीज	10 किवा एफ.एम.
34.	जम्मू और कश्मीर	हिमबोटिंगला	10 किवा एफ.एम.
35.	जम्मू और कश्मीर	नाथाटोप	10 किवा एफ.एम.
36.	जम्मू और कश्मीर	दुमका	100 वाट एफ.एम.
37.	झारखंड	तमेंगलेंग	100 वाट एफ.एम.
38.	मणिपुर	उखरूल	100 वाट एफ.एम.
39.	मेघालय	बाघमारा	100 वाट एफ.एम.
40.	मिजोरम	चम्फई	1 किवा एफ.एम.
41.	मिजोरम	चीहफुरी	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
42.	मिजोरम	खवबुंग	100 वाट एफ.एम.
43.	मिजोरम	कोलासिब	1 किवा एफ.एम.
44.	मिजोरम	पुकिजंग	100 वाट एफ.एम.
45.	मिजोरम	ट्यूपेंग	1 किवा एफ.एम.
46.	मिजोरम	वानलाइफाई	100 वाट एफ.एम.
47.	मिजोरम	जौरगीन	100 वाट एफ.एम.
48.	नागालैंड	हेनिमा (तेनिंग)	100 वाट एफ.एम.
49.	नागालैंड	मेलूरी	100 वाट एफ.एम.
50.	नागालैंड	फेक	1 किवा.
51.	नागालैंड	वोखा	1 किवा.
52.	नागालैंड	जूनहेबोटो	1 किवा.
53.	पंजाब	अमृतसर	20 किवा एफ.एम.
54.	पंजाब	फाजिल्का	20 किवा एफ.एम.
55.	राजस्थान	चौटन हिल	10 किवा एफ.एम.
56.	सिक्किम	चूंगथांग	100 वाट
57.	सिक्किम	डेनतम	100 वाट
58.	सिक्किम	ग्यालसिंग	100 वाट
59.	सिक्किम	लचेन	100 वाट
60.	सिक्किम	लाचुंग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस	100 वाट
61.	सिक्किम	मंगन	100 वाट
62.	सिक्किम	नामथैंग, पोलिस थाना	100 वाट
63.	सिक्किम	सोरंग	100 वाट
64.	सिक्किम	यूकलोम	100 वाट
65.	त्रिपुरा	चोवमानु	100 वाट एफ.एम.
66.	त्रिपुरा	दमछारा	100 वाट एफ.एम.
67.	त्रिपुरा	गंदचारा	100 वाट एफ.एम.
68.	त्रिपुरा	जोलाईबरी	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
69.	त्रिपुरा	अमवासा	100 वाट एफ.एम.
70.	त्रिपुरा	लौंगथराई	5 किवा एफ.एम.
71.	त्रिपुरा	नूतन बाजार	1 किवा एफ.एम.
72.	त्रिपुरा	साखन	100 वाट एफ.एम.
73.	त्रिपुरा	सिलाचेरी	100 वाट एफ.एम.
74.	त्रिपुरा	उदयपुर	1 किवा एफ.एम.
75.	त्रिपुरा	वंगमुन (भंगमुन)	100 वाट एफ.एम.
76.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	दियू	100 वाट
77.	उत्तर प्रदेश	बांदा	10 किवा एफ.एम.
78.	उत्तराखंड	बागेश्वर	5 किवा एफ.एम.
79.	उत्तराखंड	चंपावत	1 किवा
80.	उत्तराखंड	देहरादून	10 किवा एफ.एम.
81.	उत्तराखंड	गेरीसन	1 किवा. एफ.एम.
82.	उत्तराखंड	हल्द्वानी	10 किवा
83.	उत्तराखंड	हरीद्वार	100 वाट एफ.एम.
84.	उत्तराखंड	न्यू टीहरी	1 किवा एफ.एम.
85.	पश्चिम बंगाल	बालारामपुर	100 वाट एफ.एम.
86.	पश्चिम बंगाल	वर्द्धमान	10 किवा एफ.एम.
87.	पश्चिम बंगाल	बसंती	100 वाट एफ.एम.
88.	पश्चिम बंगाल	कूचविहार	10 किवा एफ.एम.

[अनुवाद]

निधियों का विपथन

1181. श्री एम.बी. राजेश : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) की पालक्काड़ इकाई से निधियों का विपथन अन्य घाटे में जा रही इकाइयों में करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पालक्काड इकाई से वर्षवार कितनी धनराशि का अंतरण किया गया है;

(घ) क्या धनराशि के अंतरण से आईएल की पालक्काड़ इकाई की परियोजनाएं प्रभावित हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग)	वित्त वर्ष	अंतरित निधियां
	2010-11	15.15 करोड़ रुपए
	2011-12	5.15 करोड़ रुपए
	2012-13	शून्य
	2013-14 (नवंबर तक)	0.40 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), पलक्काड से इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा को निधियों का अंतरण इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्काड द्वारा विपणनकारी इकाइयों तथा कॉर्पोरेट मुख्यालय से ली गई सेवाओं के लिए "अंतर इकाई समायोजन" के कारण किया गया है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युतीकरण और दोहरीकरण परियोजनाएं

1182. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे के तहत परभनी-मनमाह खंड पर विद्युतीकरण और दोहरीकरण कार्य का ब्यौरा तथा विद्यमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) विद्युतीकरण की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए परभनी-मनमाड़ के विद्युतीकरण का सर्वेक्षण मनमाड़-मुदखेड़-धोने खंड का एक भाग है, जिसके लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है। किसी खंड के विद्युतीकरण के संबंध में निर्णय परिचालनिक आवश्यकता और प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। फिलहाल मनमाड़-मुदखेड़-धोने खंड का विद्युतीकरण (जिसमें परभनी-मुदखेड़ भी शामिल है), को विद्युतीकरण किए जाने के लिए परिचालनिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। इस समय परभनी-मनमाड़ खंड के दोहरीकरण की कोई परियोजन नहीं है।

रेलवे स्टेशन

1183. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 'ए' श्रेणी के घोषित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि उक्त राज्यों में अनेक 'ए' श्रेणी वाले स्टेशनों पर निर्धारित मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार देश में छोटे नगरों/कस्बों के स्टेशनों और यात्री ठहरावों का उन्नयन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं दक्षिण पूर्व मध्य जोने के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत कोतमी, सुघेनार, कापण, बालपुर, जेठा, सांरागांव सहित उक्त प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) 'क' कोटी के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित स्टेशन हैं:—

मध्य प्रदेश — दामोह, कटनी, मलहर, रीवा, सतना, सगौर, बीना, हबीबगंज, इटारसी, विदिशा, बरहनपुर, खण्डवा, बेतूल, मुरैना, नागदा, रतलाम, इंदौर, होशंगाबाद, पिपरिया, उज्जैन तथा सिंगरौली (21 स्टेशन)

छत्तीसगढ़ — भिलाई पावर हाऊस, चम्पा जंक्शन दुर्ग, रायगढ़ और राजनंदगांव (5 स्टेशन)

(ख) और (ग) नियमानुसार सभी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी 'क' कोटि के स्टेशनों पर मुहैया करा दी गई है।

(घ) और (ङ) हाल्ट स्टेशन सहित सभी स्टेशनों के लिए यात्री सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे यात्री यातायात की मात्रा, कार्य/सुविधाओं के सापेक्ष महत्त्व तथा धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन

1184. श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को पर्याप्त समय रहते जलवायु परिवर्तन के संबंध में सूचित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक समय पूर्व जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए कोई अध्ययन/शोध कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों के लाभ के लिए जलवायु परिवर्तन के और अधिक समय पूर्व पूर्वानुमान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक लम्बी अवधि के बहु-दशकीय पैमाने पर प्रचालित होते हैं। अत:, अनुमानित जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के सर्वाधिक प्रतिनिधि वाले आकलन केवल जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा तैयार किए जाते हैं।

ईएसएसओ-भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी; के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तनीयता (सामान्य से अधिक/कम वर्षा; उष्ण/शीत लहर इत्यादि) जैसे मुद्दों तथा इनके उपायों के बारे में किसानों को समुचित कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा (एएएस) प्रदान करके सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनीयता के संभावित प्रभावों (देश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रिया तथा कमजोर अवस्था सहित) के बारे में कृषक समुदाय को अवगत कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जीकेएमएस के तहत देश में विभिन्न स्थानों पर किसान जागरूकता कार्यक्रम, रोविंग संगोष्ठियों, कृषि मेला, कृषि-दृष्टि कार्यशालाओं के माध्यम से कृषक समुदाय के साथ नियमित संवाद किया जाता है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के संस्थानों आदि के सहयोग से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएम) सप्ताह में दो बार प्रदान की जा रही है। पिछले सप्ताह का वास्तविक मौसम तथा वर्षा, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, पवन गति, पवन दिशा, सापेक्ष आर्द्रता तथा बादलों के बारे में अगले 5 दिनों के परिमाणात्मक जिला स्तर के मौसम पूर्वानुमान के साथ-साथ साप्ताहिक संचयी वर्षा पूर्वानुमान भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों की मदद के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के साथ मिलकर फसल वैशिष्ट्य वाली परामर्शी सूचनाएं जारी की जाती हैं तथा व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग की कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एमएमएस) तथा इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सर्विस (आईबीआरएस) सहित विभिन्न प्रिंट/दृश्य/रेडियो/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक प्रसारण माध्यमों से किसानों को खेत के स्तर पर समुचित कार्य में सहूलियत प्रदान करने हेतु जिला/एग्रो-क्लाइमेटिक क्षेत्र स्तर पर सप्ताह में दो बार फसल वैशिष्ट्य वाली परामर्श-सूचनाएं उपलब्ध कराने में सफल रही है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के संचार माध्यमों, यथा प्रिंट, टीवी तथा आकाशवाणी, वेब मीडिया चैनलों, एसएमएस तथा आईवीआरएस के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संगठनों, नामत: इफको किसान संचार (आईकेएसएल) लिमिटेड, रायटर्स मार्केट लाइट (आरएमएल), नोकिया टूल्स, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार इत्यादि के साथ समन्वय करके जिला तथा एग्रो-क्लाइमेटिक क्षेत्र पैमाने की परामर्शी सूचनाएं पहले से ही प्रसारित की जा रही हैं। वर्तमान में 18 राज्यों नामत: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश को इन सेवाओं के तहत कवर किया गया है। वर्तमान में देश में 3.4 मिलियन किसान एसएमएस सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (सीसीसीआर) को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के अंतर्गत वर्ष 2009 में जलवायु परिवर्तन के प्रासंगिक विज्ञान मुद्दों का निस्तारण करने तथा कम से कम अनिश्चितता के साथ सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को सृजित करने के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया था। वस्तुत: सीसीसीआर ने कृषि आदि सहित सेक्टर वैशिष्ट्य वाले प्रभाव के लिए भारत में विभिन्न संगठनों के साथ सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय पैमाने के जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों का सृजन तथा साझा करके नेशनल कम्यूनिकेशंस (नेटकॉम) को योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन को पेश की गई भारत की दूसरी नेटकॉम रिपोर्ट में

जीएचजी इंवेंटरी तथा सुभेद्यता आकलन तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों, जिनके भीतर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का निस्तारण तथा उनका प्रत्युत्तर दिया गया है, के विहंगावलोकन के अतिरिक्त कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन को शामिल करते हुए सूचना के तत्त्व समाहित है।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्य योजना में कृषि की आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में पहचान की गई है।

वर्तमान में, सीसीसीआर विश्व मौसम-विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (डब्ल्यूसीआरपी) के तत्वावधान में दक्षिण एशिया के लिए "समन्वित एकीकृत क्षेत्रीय डाउनस्केलिंग प्रयोग (कॉर्डेक्स)" का नेतृत्व कर रहा है। कॉर्डेक्स कार्यक्रम ऐतिहासिक अतीत तथा भावी दशकों दोनों ही के लिए डाउन स्केल किए गए क्षेत्रीय जलवायु अनुरूपणों के एक समन्वित सेट हेतु महत्त्वपूर्ण फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अंतिम प्रयोक्ताओं, हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ईएसएसओ-आईएमडी ने जलवायु में प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रभावों तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर इसके दुष्प्रभावों की गणना/आकलन करने के लिए डब्ल्यूएमओ की जलवायु सेवाओं पर वैश्विक फ्रेमवर्क (जीएफसीएस) पहल के अंतर्गत समुचित जलवायु सूचना सेवा बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में, परिवर्तनीयता की प्रकृति का पता लगाने के लिए तापमान की विसंगतियों (उष्ण/शीत लहर); जिला पैमाने की वर्षा (सामान्य से अधिक/कम); मानक वर्षा सूचकांक (एसपीआई) के माध्यम से सूखे की निगरानी इत्यादि के माध्यम से जलवायु परिवर्तनीयता की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। यह आशा है कि कृषि तथा जल संसाधन सेक्टरों के साथ मिलकर चलाए जा रहे ये कार्यकलाप आने वाले समय में हमारी कृषि उत्पादकता की उन्नत जलवायु तन्यकता में योगदान देंगे।

[हिन्दी]

डब्ल्यूएपीसीओएस परियोजनाएं

1185. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाटर एंड पावर कंसलटेन्सी सर्विस लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस) ने गुजरात के बनासकांठा, के पालमपुर में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की अभिकल्पना/कनवर्जन/नवीकरण/विकास और सुदृढ़ीकरण के संबंध में कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) क्या डब्ल्यूएपीसीओएस ने उप-नहर की आयोजना, अभिकल्पना और मूल्यांकन के साथ-साथ गुजरात में राधनपुर में लघु तथा सूक्ष्म भूमिगत पाइप प्रणाली के साथ परामर्श दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या डब्ल्यूएपीसीओएस ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के जामधिरा में लघु जल विद्युत परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन परिणामों पर कोई अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। वाप्कोस ने मैसर्स सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि., गुजरात को ग्रामीण सेवा क्षेत्र (वीएसए) संबंधी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उप-लघु, विभिन्न खण्डों सहित भूमिगत पाइप लाइन (यूजीपीएल), पाइप डिजाइन, पूर्ण आपूर्ति स्तर (एफएसएल) आदि को दर्शाया गया है। परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने की लक्षित तारीख 24.03.2015 है।

(ग) फील्ड अन्वेषण कार्य पूरे हो चुके हैं। समझौते के अनुसार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की लक्षित तारीख 24.08.2014 है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्यों के विभिन्न चरण, योजना अनुसार है।

[अनुवाद]

रसोई यान

1186. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित दिन में चलने वाली कई रेलगाड़ियों में रसोई यान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनाए गए मापदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों की सुविधा हेतु सभी रेलगाड़ियों में रसोई यान उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) सभी राजधानी और लंबी दूरी की दुरांतो एक्सप्रेस गाड़ियों में पेंट्री कार की व्यवस्था की गई है। खानपान नीति 2010 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पेंट्री कारों को लगाने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाती है जिसमें पहली प्राथमिकता दुरांतो और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को दी जाती है; उसके बाद लंबी दूरी की प्रीमियर, सुपर फास्ट गाड़ियों किसी भी दिशा की ओर 24 घंटे से अधिक की यात्रा करने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों और अंत में शेष उन गाड़ियों जिनमें वेस्टीबुल की व्यवस्था है, को वरीयता दी जाती है।

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिए, वे गाड़ियां जिनमें पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं होती है, खानपान सेवाएं गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग (टीवीएस) के माध्यम से और/अथवा मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थैतिक खानपान इकाइयों के माध्यम से भोजन की आपूर्ति की जाती है।

जल संसाधन परियोजनाएं

1187. श्री निशिकांत दुबे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को झारखंड सरकार की ओर से जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से सरकार के पास लंबित पड़ी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जी, हां, "राहरू जलाशय परियोजना" की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए झारखंड सरकार से केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में प्राप्त हुई है। इसके अलावा, दो प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें भी केन्द्रीय जल आयोग की "सिद्धांतत: सहमति" के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। डीपीआर तथा पीआर का विवरण, उनकी स्थिति और इस संबंध में सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय की स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष में तकनीकी-जांच और/अथवा केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए झारखंड सरकार के प्रस्तावों संबंधी सूचना निम्नानुसार है:—

I. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी वृहद/मध्यम):** जुलाई, 2013 में, झारखंड सरकार ने एक नई स्कीम "राइसा जलाशय स्कीम (मध्यम)" के लिए 22.5 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता को जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगस्त, 2013 में सीडब्ल्यूसी द्वारा झारखंड सरकार को इस मामले पर अपनी टिप्पणियां भेजी गई हैं, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है।

II. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी-लघु):** 171 जारी स्कीमों के लिए, अक्तूबर, 2013 में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को 47.30 करोड़ रुपए जारी करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने अक्तूबर, 2013 में झारखंड सरकार से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसकी अनुपालना प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, झारखंड सरकार ने 86.58 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत और नियोजित सिंचाई क्षमता के 9,947 हेक्टेयर सहित दिसम्बर, 2013 में इस स्कीम के तहत अतिरिक्त 82 चैक बांधों को शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनकी इस समय सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में जांच की जा रही है।

III. **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी):** चालू वित्त वर्ष में, जारी स्कीमों के लिए झारखंड सरकार को 4.27 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। इसके अलावा, जारी स्कीम "बुधवारिया से कन्हाई अस्थान पर गंगा नदी के दाएं किनारे पर ए/ई का कार्य" के लिए 2.0791 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी करने का प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) में सितम्बर, 2013 में प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।

इसके अलावा, झारखंड सरकार ने इस मंत्रालय के अधीन जीएफसीसी को मार्च, 2013 में एफएमपी के तहत शामिल करने के लिए दो नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। जबकि बाद में एक को छोड़ दिया गया। शेष एक नामत: "साहिबागंज जिले में राफतोला से श्रीघाट संख्या 10 तक गंगा नदी के दायें किनारे पर गैर-कटाव कार्य" और "साहिबागंज जिले में लंच घाट, राजमहल (पूर्वी नारायणपुर) के डी/एस पर गंगा नदी के दाएं किनारे पर गैर-कटाव कार्य" के 37.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले एक प्रस्ताव की जीएफसीसी द्वारा जांच की गई थी और अप्रैल, 2013 में झारखंड सरकार को टिप्पणियां भेजी गईं, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है।

विवरण

पिछले दो वर्षों में मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत की गई झारखंड की परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभार्थी जिला	प्राप्ति का माह	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत रुपये करोड़ में)	स्थिति
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट								
1.	रहूरा जलाशय परियोजना	बृहत	रहूरा/ सुबर्णरिखा	रांची	अप्रैल, 2013	सीसीए 10.472	852.09 (पीएल-2010-11)	क. डीपीआर, विशिष्ट निदेशालयों और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों को परिचालित की गई है। ख. जून, 2013 से अगस्त, 2013 के दौरान लागत, जलविज्ञान, सीएसएम आरएस और कृषि मंत्रालय के पहलुओं संबंधी टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई हैं। ग. राज्य सरकार से सीडीओ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें								
2.	बल्पाहरी बांध परियोजना	बृहत	बाराकर/ दामोदर/ गंगा	गिरीडीह, धनबाद, जमतरा	सितंबर, 2012	18504 (सीसीए)	1575.28 (2011-12)	'सीडब्ल्यूसी की सिद्धांततः सहमति' प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बैठक की सूचना जारी की गई है।
3.	कन्हर बैराज परियोजना	बृहत	कन्हर/सोन/ गंगा	पमामू, गढ़वा	अक्तूबर, 2013	51024 (सीसीए)	1256.324 (अप्रैल, 2013)	डीपीआर तैयार करने के लिए नवंबर, 2013 में 'सीडब्ल्यूसी की सिद्धांततः सहमति' प्रदान की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय

1188. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय निर्मित न किए जाने से अवगत है, जिसके कारण हैदराबाद और उसके आस-पास नहरें और तालाब पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की स्थिति के कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जल, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि संख्या पर राज्य सूची में शामिल विषय है। (अनुच्छेद 246)। इसलिए सिंचाई के लिए झीलें विकसित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है और सिंचाई टैंकों की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्यों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) और बृहत हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी), हैदराबाद उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में टैंकों एवं नहरों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

झीलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए झील सुरक्षा समिति गठित की गई थी। एचएमडीए के क्षेत्र में कुल 2857 झीलें हैं जिनमें से 168 झीलों जीएचएमसी, हैदराबाद की सीमा में आती हैं। जीएचएमसी, हैदराबाद उनके कार्यक्षेत्र में 128 झीलों की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान 50 झीलों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान एचएमडीए ने हैदराबाद के चारों ओर 40 झीलों के लिए लागत अनुमान स्वीकृत किए हैं जिनमें से 24 झीलों में कार्य शुरू हो गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान 27.50 करोड़ रुपये की लागत से 100 झीलों का कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार वर्तमान में XIIवीं योजना के दौरान जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) नामक एक राज्य क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को निधि जारी की जाती है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के जल निकायों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

स्टेशन मास्टरों द्वारा टिकटों की बिक्री

1189. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने छोटे रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों द्वारा टिकटों की बिक्री के प्रावधान को रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, टिकटों को खरीदने में यात्रियों को सुविधा देने और गाड़ी परिचालन पर ध्यान केंद्रित करने में स्टेशन मास्टरों को समर्थ बनाने के संबंध में जहां कहीं व्यावहारिक हो, केवल एक वर्ष के लिए पायलट परियोजना के रूप में ई कोटि के स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी में रिक्तियां

1190. श्री पी.के. बिजू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्टाफ की कमी से कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) दिनांक 01.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार, आकाशवाणी के विभिन्न श्रेणी के पदों में रिक्तियां निम्नानुसार हैं:—

समूह	आकाशवाणी में रिक्त पदों की संख्या
क	1362
ख	1584
ग	4863
घ	2272
कुल	10081

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

(1) प्रसार भारती के संबंध में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने व्यय विभाग के परामर्श से अनिवार्य श्रेणी के 3452 पदों को भरने की अनुशंसा की है। व्यय विभाग ने प्रथम चरण में 1150 पदों को भरे जाने का अनुमोदन किया है।

(2) प्रसार भारती भर्ती पदों का गठन लंबित रहने तक सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) तथा विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन एव शर्तों के अध्यधीन एकबारगी विशेष व्यवस्था के रूप में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के जरिए समूह ख और ग के पदों के लिए भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पदोन्नति-कोटा के अंतर्गत आने वाले रिक्तियों को भरा जाता है, जोकि एक सतत प्रक्रिया है।

विमानपत्तनों पर प्रशुल्क

1191. श्री सी. शिवासामी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को देश में सभी बड़े विमानपत्तनों पर वैमानिकी एवं गैर-वैमानिकी प्रभारों को निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ऐसे विमानपत्तन, जो वार्षिक रूप से 1.5 मिलियन या इससे अधिक यात्रियों को संभालता है, को बड़ा विमानपत्तन माना गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी नहीं। विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर मुहैया कराई जाने वाली केवल वैमानिक सेवाओं के उद्देश्य से टैरिफ और अन्य प्रभारों का निर्धारण करने के लिए ऐरा अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित विनियामक है।

(ख) जी, हां। किसी बड़े हवाईअड्डे का आशय उस हवाईअड्डे से होता है, जिसमें पंद्रह लाख से अधिक वार्षिक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) होता हो या जिसे इतने आवागमन के लिए नामित किया गया हो, या ऐसा कोई अन्य हवाईअड्डा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, ऐसे हवाईअड्डे के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ग) ऐरा ने पहली नियंत्रण अवधि 1.04.2011 से 31.03.2016 के लिए चेन्नै तथा कोलकाता हवाईअड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित कर दी है। ब्यौरा संलग्न विवण में दिया गया है।

विवरण

ऐरा द्वारा कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित हवाईअड्डा प्रभार (वित्त वर्ष 2013-14)

	एमएयूडब्ल्यू	कोलकाता संशोधित दर रुपए/एमटी में		चेन्नई संशोधित दर रुपए/एमटी में	
		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
	1	2	3	4	5
अवतरण प्रभार	न्यूनतम प्रति अवतरण	5000	5000	5000	5000
	100 एमटी तक	294.8	578.9	294.8	578.9
	100 एमटी से अधिक	29480+396.10 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	57890+777.80 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	29480+396.10 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	5789+77.80 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक
हाउसिंग प्रभार (प्रति घंटा प्रति एमटी)	100 एमटी तक	15.7	15.7	15.7	15.7
	100 एमटी से अधिक	1570+21.00 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	1570+21.00 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	1570+21.00 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक	1570+21.00 प्रति एमटी, 100 एमटी से अधिक
	रिमोट पार्किंग				
पार्किंग प्रभार (प्रति घंटा प्रति एमटी)	100 एमटी तक	8.00	8.00	8.00	8.00
	100 एमटी से अधिक	800+10.50 प्रति एमटी, प्रति घंटा 100 एमटी के अधिशेष में	800+10.50 प्रति एमटी, प्रति घंटा 100 एमटी के अधिशेष में	800+10.50 प्रति एमटी, प्रति घंटा 100 एमटी के अधिशेष में	800+10.50 प्रति एमटी, प्रति घंटा 100 एमटी के अधिशेष में

	1	2	3	4	5
प्रयोक्ता विकास शुल्क (प्रस्थानकर्त्ता यात्रियों पर)	प्रति प्रस्थानकर्त्ता यात्री शॉर्ट हॉल (घरेलू के लिए 500 किमी./अंत. के लिए 2,000 किमी. तक)	400	1,000	166	667
	मीडियम हॉल (2,000 से 5,000 किमी. तक)				
	लांग हॉल (घरेलू के लिए 500 किमी. से अधिक/ अंतर्राष्ट्रीय के लिए 5,000 किमी. से अधिक)				
प्रयोक्ता विकास शुल्क (आगंतुक यात्रियों पर)	प्रति आगंतुक यात्री शॉर्ट हॉल (घरेलू के लिए 500 किमी./ अंत के लिए 2,000 किमी. तक)	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं
	मीडियम हॉल (2,000 से 5,000 किमी. तक)				
	लांग हॉल (घरेलू के लिए 500 किमी. से अधिक/ अंतर्राष्ट्रीय के लिए 5,000 किमी. से अधिक)				
हवाईअड्डा विकास शुल्क	प्रति प्रस्थानकर्त्ता यात्री	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं	कोई लेवी नहीं
क्यूट काउंट	दर प्रति प्रस्थानकर्त्ता उड़ान/माह	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
ईंधन थ्रूपुट	प्रभार प्रति किलोलिटर ईंधन	1,341·44	1,341·44	1,609·46	1,609·46

इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी के साथ करार

1192. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी (आईआईएफए) के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वैधता अवधि कितनी है;

(ग) सरकारी खर्च पर किसी घाटा उठाने वाले संगठन के साथ ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं;

(घ) इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी के पदधारियों और उनके परिवारों सहित कितने लोगों को लाया-ले जाया गया और तत्संबंधी कुल लागत कितनी है; और

(ङ) अब तक इसके क्या लाभ हुए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने मकाऊ में आइफा 2013 के आयोजक मैसर्स विजक्राफ्ट एंटरटेनमेंट प्रा.लि. के साथ हवाई टिकटों के बदलने एयर इंडिया को पब्लिसिटी माइलेज/विज्ञापन संबंधी लाभों के लिए 8.00 करोड़ रुपये मूल्य की धनराशि के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था। यह समारोह मकाऊ में जुलाई, 2013 में आयोजित किया गया था। करार की वैधता 15 जून, 2014 तक है।

(ग) करार पर हस्ताक्षर प्रचार और प्रोत्साहन पाने और इसके द्वारा राजस्व संवर्धन के उद्देश्य से किए गए थे।

(घ) यह विनिमय करार (बार्टर एग्रीमेंट) मैसर्स विजक्राफ्ट के साथ है, जो इवेंट मैनेजर हैं और वे बार्टर की सीमा अर्थात् 15 जून, 2014 तक की करार की अवधि तक 8 करोड़ रुपए तक टिकटों का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। इसमें कोई अन्य व्यय निहित नहीं है, क्योंकि आइफा शिष्ट मंडल के आवागमन (मुंबई-हांगकांग-मुंबई) के लिए एयर इंडिया द्वारा ऑफर की गई हवाई परिवहन व्यवस्था पब्लिसिटी माइलेज और एडवरटाइजिंग के फायदों के बदले में है जो एयर इंडिया को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया और ग्राउंड ब्रांडिंग के अवसरों के रूप में प्राप्त हुए।

(ङ) एयर इंडिया को सह-प्रायोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी फायदे हुए। एयर इंडिया को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ग्राउंड पर ब्रांडिंग के अवसरों के अलावा विज्ञापन और प्रोत्साहन अधिकारों के जरिए पब्लिसिटी माइलेज हासिल हुआ। बी-777 पर बॉलवुड के सितारों की यात्रा का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए और अन्य यात्रियों को एयर इंडिया पर यात्रा करने हेतु आकृष्ट करने के लिए किया गया था।

[हिन्दी]

निधियों का आवंटन

1193. श्री रामकिशुन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाकी बचे गांवों और छोटी बस्तियों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश को निधियों का आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत किसी भी राज्य को निधियों को अग्रिम (अपफ्रंट) आवंटन नहीं किया गया है। मंजूर परियोजनाओं को निधियां पिछली किस्त (किस्तों) की धनराशि के उपयोग की रिपोर्ट देने तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं।

11वीं योजना के फेज-II के दौरान वर्ष 2011 में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 72 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 22 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मंजूर की गई थीं, जिनमें 245 गैर-विद्युतीकृत गांवों, 19,991 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 9,43,641 गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) घरों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना शामिल था।

सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में शेष जनगणना गांवों तथा 100 से अधिक की आबादी वाले सभी वास-स्थलों तथा सभी पात्र बीपीएल घरों का विद्युतीकरण किए जाने हेतु 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 39 परियोजनाओं (5-मध्य प्रदेश, 6-उत्तर प्रदेश तथा 28-राजस्थान) को मंजूरी दी गई है। इनमें से 6 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई हैं, जिनमें 92 गैर-विद्युतीकृत गांवों, 3,179 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) 2,54,601 घरों को नि:शुल्क विद्यु के कनेक्शन जारी किया जाना शामिल है।

10वीं और 11वीं योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 86 परियोजनाओं के लिए 4150.50 करोड़ रुपए (सब्सिडी सहित) जारी किए जाते हैं।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई निधियां (ऋण और सब्सिडी सहित) निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

	2010-11	2011-12	2012-13	15.11.2013 की स्थिति के अनुसार जारी की गई संचयी निधियां (वर्ष 2010-11 से पूर्व जारी निधियां शामिल है)
निधियां (ऋण तथा सब्सिडी सहित)	72.44	95.47	103.63	4150.50

[अनुवाद]

निराधार/भड़काने वाले समाचार/रिपोर्ट का प्रकाशन/प्रसारण

1194. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित होने वाली निराधार एवं भड़काने वाली समाचार रिपोर्टों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की समस्या को रोकने के लिए कोई नीति/उपाय तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक ऐसी नीति को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने की अपनी नीति का अनुसरण करते हुए प्रेस के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती। तथापि, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) की स्थापना देश में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने और प्रेस में स्वविनियमन के सिद्धांतों का संचार करने के लिए भी एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है। पीसीआई ने अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानदंड" बनाए हैं जिनका अनुपालन मीडिया द्वारा समाचार को प्रकाशित किए जाते समय किया जाना होता है। "विशुद्धता और निष्पक्षता" से संबंधित मानदंड-I यह विनिर्धारित करता है कि प्रेस अशुद्ध, निराधार, अशोभनीय, भ्रामक एवं विकृत सामग्री का प्रकाशन करने से परहेज करेगा। पीसीआई ने 1 अप्रैल, 2012 में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई निराधार और उद्दीपक समाचार रिपोर्टों के आरोप की 532 शिकायतें दर्ज की हैं।

भारतीय प्रेस परिषद् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित ऐसी विषय-वस्तु में जुड़ी शिकायतों का स्वयं अपनी ओर से या शिकायत किए जाने पर संज्ञान लेता है, जो प्रथम दृष्ट्या पत्रकारिता आचरण्या के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली होती है। परिषद् समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी, निंदा या सेंसर कर सकता है या सम्पादक या पत्रकार के आचरण को अनुचित ठहरा सकता है।

जहां तक निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों का संबंध है, ऐसे चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के पूर्व सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, टीवी चैनलों पर प्रसारित करने वाले सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों, जो केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनर्प्रसारित किए जाते हैं, को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। जब कभी किसी विशेष कार्यक्रम के संबंध में उपर्युक्त संहिताओं के किसी उल्लंघन की सूचना सरकार की जानकारी में लाई जाती है, तो चूककर्त्ता चैनल के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्वविनियामक शिकायत निवारण तंत्र के हिस्से के रूप में समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) — जो समाचार और समसामयिकी चैनलों का एक प्रतिनिधि निकाय है — ने प्रसारकों के संबंध में प्राप्त शिकायतों, जहां तक वे किसी प्रसारण की विषय-वस्तु से संबंधित होती है, पर विचार करने के लिए समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है। एनबीएसए के प्रमुख भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उसी तरह भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ), जो गैर-समाचार और सामसामयिकी टीवी चैनलों का एक

प्रतिनिधि निकाय है, ने टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) की स्थापना की है। बीसीसीसी के मुखिया दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में शिकायतें सीधे बीसीसीसी और एनबीएसए को भेजी जा सकती हैं और उनके संबंध में उनकी ओर से समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गणना

1195. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अगली गणना के दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विशेषज्ञ समूह से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कब तक कार्ड जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों के निर्धारण हेतु उपयुक्त कार्य प्रणाली पर सुझाव के लिए डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत की। सक्सेना समिति की रिपोर्ट प्रायोगिक अध्ययन के निष्कर्षों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा स्टेकहोल्डरों से परामर्श के आधार पर परिवारों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई और देश में 29 जून, 2011 को पूर्ण सामाजिक-आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) शुरू की गई। यह जनगणना भारत सरकार की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

मोबाइल आपरेटरों द्वारा कार्टलाइजेशन

1196. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में एअरवेव की नीलामी के दौरान मोबाइल आपरेटरों के कथित कार्टलाइजेशन की कोई जांच कराई है जिसमें बहुत ही कम दिलचस्पी दिखाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में कार्टलाइजेशन की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना

1197. श्री एन. धरम सिंह :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **सूचना प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक एवं बिहार सहित विभिन्न राज्यो में एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से बीदर, कर्नाटक में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना सहित कई प्रस्ताव आज तक लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित प्रस्तावों को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार के 4 स्थानों और कर्नाटक के 5 स्थानों सहित राज्यों के 88 स्थानों पर एफएम स्टेशनों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 88 स्थानों में से, 2 स्थानों नामत: बिहार में सीतामढ़ी और झारखंड में धनबाद नामक 2 स्थानों पर आकाशवाणी के एफएम स्टेशन पहले से ही थे तथा 29 स्थानों पर एफएम स्टेशनों की

स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था।

(ग) से (च) निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में बीदर सहित देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी के नए एफएम स्टेशनों की स्थापना करने संबंधी योजनाएं गतिशील एवं सतत प्रक्रिया का भाग हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु मानक और दिशा-निर्देश

1198. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए मानकों एवं दिशा-निर्देशों में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे परिवर्तन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले निर्मित की गई सड़कों के रख-रखाव के लिए धनराशि जारी करने की योजना में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को सम्मिलित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार का एकबारगी विशेष उपाय है। राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों के माध्यम से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का रख-रखाव राज्यों की जिम्मेदारी है। मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सभी सड़कें निर्माण कार्य के ठेके सहित उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले शुरुआती पंचवर्षीय रख-रखाव ठेके में शामिल होती हैं। इस ठेके की पूर्ति के लिए रख-रखाव निधि प्रदान करने हेतु बजटीय प्रावधान राज्य करते हैं और ये निधियां एसआरआरडी एजेंसियों के पृथक् रख-रखाव खाते में रखी जाती हैं।

सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II (पीएमजीएसवाई-II) शुरू की है, जिसमें लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समय कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए इस नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा चुनिंदा ग्रामीण सड़कों की आर्थिक संभावनाओं और ग्रामीण विपणन केन्द्रों एवं रूरल हब के विकास में उनकी भूमिका के आधार पर इन सड़कों (थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों) का उन्नयन करना हैं पीएमजीएसवाई-II के तहत कुल 50,000 कि.मी. लंबाई की सड़कों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है तथा सभी राज्यों को राज्य विशिष्ट पात्रता की जानकारी दे दी गई है।

पंजाब में मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार योजना हेतु वित्तीय सहायता

1199. श्री रवनीत सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य सरकार को मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना के अंतर्गत जल निकायों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता और इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने जल निकासों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजाब सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, पुन:निर्माण एवं पुन:स्थापना (आरआरआर) योजना के अंतर्गत सहायता को XIIवीं योजना में जारी रखने के लिए, जल निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए किसी भी प्रस्ताव को अब तक प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पीजीसीआईएल द्वारा जुटाई गई धनराशि

1200. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को करीब 7,500 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीजीसीआईएल उक्त धनराशि का प्रयोग अपनी नई परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को, 787,053,309 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त पूंजी का 17%) की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के लिए अनुमति दे दी है, जिसमें 601,864,295 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त पूंजी का 13%) के नए इश्यू और भारत सरकार द्वारा पावर ग्रिड में अपनी होल्डिंग में से 185,189,014 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त पूंजी का 4%) का विनिवेश शामिल है। अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश से लगभग 6900 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है जिसमें शेयरों के नए इश्यू से लगभग 5300 करोड़ रुपये और शेयरों के विनिवेश के माध्यम से लगभग 1600 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इक्विटी शेयरों के नए इश्यू से जुटाई गई धनराशि, चल रही विभिन्न पारेषण परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के लिए पीजीसीआईएल द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

एफपीओ प्राप्तियों के उपयोग हेतु परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजनाएं
1	2
1.	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड की कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली।
2.	रिहंद-III एवं विन्ध्याचल-IV के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली।
3.	ओडिशा (भाग-ग) में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।
4.	दक्षिणी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XIX (एसआरएसएस-XIX)
5.	छत्तीसगढ़-डीपीआर-4 में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिम भाग में टीएस सुदृढ़ीकरण।
6.	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी-भाग-ख के लिए पारेषण प्रणाली।
7.	आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं के साथ संबद्ध सामान्य प्रणाली।
8.	तूतीकोरिन क्षेत्र (भाग-ख) में कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड और इण्ड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं के साथ संबद्ध सामान्य प्रणाली।
9.	छत्तीसगढ़ (डीपीआर-2) में आईपीहपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए चम्पा और रायगढ़ (तमनार के पास) में पूलिंग स्टेशनों की स्थापना।
10.	छत्तीसगढ़ (डीपीआर-1) में आईपीहपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए रायगढ़ (कोटरा) और रायपुर में पूलिंग स्टेशनों की स्थापना।
11.	दक्षिणी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XVIII (एसआरएसएस-XVIII)
12.	ओडिशा-भाग-क में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।
13.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।
14.	छत्तीसगढ़ (डीपीआर-3) में आईपीपी परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय भाग के साथ छत्तीसगढ़ में पूलिंग स्टेशनों के एकीकरण।
15.	छत्तीसगढ़ (डीपीआर-7) में आईपीपी परियोजनाओं के लिए वर्धा-औरंगाबाद कॉरीडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण।
16.	ओडिशा—भाग-ख में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।
17.	बाढ़-II टीपीएस-उत्पादन—लिंक्ड के साथ संबद्ध तत्काल निकास प्रणाली।
18.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XXI (एनआरएसएस-XXI)
19.	यूटीडीडी के मगरवाडा में 400/220 केव जीआईएस उप-केंद्र की स्थापना के लिए पारेषण प्रणाली।
20.	उत्तर/क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र-भाग-ख से सिक्किम में उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के स्थानांतरण हेतु पारेषण प्रणाली।
21.	झारखंड और पश्चिम बंगाल-भाग ख में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।

1	2
22.	झारखंड और पश्चिम बंगाल-भाग क-2 में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।
23.	श्रीकाकुलम क्षेत्र भाग-क में ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी, पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं के साथ संबद्ध सामान्य प्रणाली।
24.	पल्लाताना गैस आधारित विद्युत परियोजना और बोंगाईगांव ताप विद्युत केंद्र (बोंगाईगांव मर्जड के लिए टीएस) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली।
25.	मौदा स्टेज-II (2×660 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली।
26.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XXVI (एनआरएसएस-XXVI)
27.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XXV (एनआरएसएस-XXV)

भू-जल स्तर के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन

1201. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई कठोर उपाय किए हैं और क्या इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो कि भू-जल स्तर को बढ़ाने/संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रभावी रूप से वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन कर रहे हैं, समुचित प्रोत्साहन देने की शुरुआत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) संबंधित नगर पालिका/राज्य विकास प्राधिकरणों के माध्यम से वर्षा जल संचयन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें कानून/नियम/विनियमन और भवन उप-नियम आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है और प्राधिकरण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अंगीकार करने संबंधी उपाय करने के लिए निदेश जारी किए हैं। सीजीडब्ल्यूए ने वर्षा जल संचयन और भूमि जल की पुनर्भरण को अंगीकार करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी संगठनों के साथ भी इस मामले को उठाया है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक भी परिचालित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के प्रावधान हैं ताकि वे भूमि जल के विनियमन और प्रबंधन हेतु भूमि जल विधान अधिनियमित कर सकें। जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2007 में भूमि जल संवर्धन पुरस्कार एवं राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रारंभ किए थे। छह श्रेणियों में 20 भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। ये पुरस्कार वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 में दिए गए थे। वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूमि जल के संवर्धन की नई पद्धतियों को अंगीकार करने, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, जल के पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग तथा लोगों सहभागिता द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों/संस्थाओं/कॉर्पोरेट क्षेत्र और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन पुरस्कारों को अब 5 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों और 2 राष्ट्रीय जल उत्कृष्टता पुरस्कारों में तबदील कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संभारतंत्र विकास

1202. श्री शिवराम गौडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में रेलवे के द्वारा संभारतंत्र विकास पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार देश में सरकारी निजी भागीदारी मोड के द्वारा मल्टी-मॉडल संभारतंत्र (लॉजिस्टिक) पार्कों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) भारतीय रेल में संभारतंत्र एवं टर्मिनल अवसंरचना के विकास का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात की किस्म, यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है और आरंभिक-गंतव्य स्थलों के प्रवाह को देखते हुए मौजूदा टर्मिनलों की क्षमता में संवर्धन या नई सेवाओं का विकास किया जाता है। विकसित देशों में संभार तंत्र के संबंध में तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से मल्टी मॉडल संभारतंत्र पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना करने का कार्य 12वीं योजना में चिन्हित किए गए क्षेत्रों में से एक है। निजी माल भाड़ा टर्मिनल (पीएफटी) नीति में निजी भूमि पर बहु-उपयोगकर्त्ता सुविधा के रूप में माल भाड़ा टर्मिनलों की स्थापना का विचार किया गया है। एमएमएलपी की तरह से पीएफटी कार्य करते हैं। यह नीति निर्देश 23.04.2012 को जारी किए गए थे। वर्तमान में 18 पीएफटी पहले से ही कार्यरत हैं और 37 और पीएफटी को क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रेक प्वाइंट्स

1203. श्री कमला देवी पटले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों/जिंसों के लिए रेक प्वाइंटस के आवंटन एवं विनिर्माण के लिए रेलवे द्वारा क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ख) देश में कार्यरत और गैर-कार्यरत रेक प्वाइंट्स की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या बिलासपुर जोन के अंतर्गत जंजगीर-नैला स्टेशन पर रोक प्वाइंट्स गैर-कार्यरत हो गया है क्योंकि इसे निर्धारित मापदंड पूरा न करने के बावजूद भी विनिर्मित किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे विनिर्माण/आवंटन के पाए गए दोषियों के खिलाफ रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) क्या रेलवे का विचार उक्त रेक प्वाइंट्स को कार्यशील बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) यातायात संभावनाओं, तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से पारिचालनिक आवश्यकता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उर्वरकों और अन्य सभी पण्यों के लिए रेक प्वाइंट्स की योजना बनाई जाती है/चिन्हित किया जाता है।

(ख) 1437। आंध्र प्रदेश-221, असम-57, बिहार-71, छत्तीसगढ़-36, दिल्ली-5, गोवा-04, गुजरात-66, हरियाणा-38, जम्मू और कश्मीर-3, झारखंड-39, कर्नाटक-74, केरल-28, मध्य प्रदेश-118, महाराष्ट्र-115, मणिपुर-01, मिजोरम-01, नागालैंड-02, ओडिशा-57, पंजाब-88, राजस्थान-86, तमिलनाडु-62, त्रिपुरा-04, उत्तर प्रदेश-133, उत्तराखंड-14, पश्चिम बंगाल-113, चंडीगढ़ (यूटी)-1।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जंजगीर-नैला स्टेशन के माल गोदाम में पीओएल और क्रेन परेषण को छोड़कर सभी पण्यों की लदान तथा उतराई संबंधी कार्य हो रहा है, जिसमें उर्वरक भी शामिल है।

विज्ञान केन्द्र

1204. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनो प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के सहयोग से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र के कार्यकरण के लिए कोई विचारार्थ विषय निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने रूसी शिक्षा एवं विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से भारत-रूसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईआरएसटीसी) की स्थापना की है जिसके कार्यालय नई दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और मास्को में स्थित हैं।

(ख) आईआरएसटीसी के भारतीय कार्यालय में अप्रैल, 2012 में कार्य आरंभ हो गया है जबकि रूसी कार्यालय दिसंबर, 2011 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में केन्द्र तीन वर्षों के प्रारंभिक अवधि के लिए एक प्रोजेक्ट मोड पर कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के संबंध में आपसी सहमति बनी:—

(i) दोनों पक्षों (भारत और रूस) का अपने-अपने देश में केन्द्र को वित्तीय सहयोग प्रदान करना;

(ii) आईआरएसटीसी भारत तथा रूस दोनों से उद्योग के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला स्तर अथवा प्रायोगिक स्तर पर) के अंतरण को सुकर बनाने के लिए अधिदेशित है;

(iii) आईआरएसटीसी नैनोप्रौद्योगिकी सहित सभी संभव प्रौद्योगिकियों के खोज के लिए भी अधिदेशित है;

(iv) आईआरएसटीसी सूचना अन्वेषण, बैठकों, संगोष्ठियों और

सम्मेलन के आयोजन, विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शनियों और विज्ञापन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगा;

(v) आईआरएसटीसी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्त्ता तथा प्राप्तकर्त्ता के बीच प्रौद्योगिकी अंतरण करार की तैयारी और निष्पत्ति को सुकर बनाएगा।

रेल उपरि पुल का निर्माण

1205. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार बुलन्दशहर जिला, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खुर्जा-जेवर मार्ग पर स्थित खुर्जा स्टेशन पर क्रासिंग नं. 129वीं के एमएस 1370/5-7 (टुंडला-गाजियाबाद) पर रेल उपरि पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में हापुड के जिला मुख्यालय के मुरादाबाद मार्ग पर हापुड़-खुर्जा रेलवे लाइन पर कोई रेल उपरि पुल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) गौतम बुद्ध नगर जिले में टुण्डला-गाजियाबाद खंड में किमी. 1370/5-7 पर समपार संख्या 129बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के कार्य को रेल निर्माण कार्य 2010-11 में पहले से ही लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत कर दिया गया है।

पुल के रेलवे वाले भाग का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इस ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। पुल का रेलवे वाले भाग का कार्य प्रगति पर है और जून, 2014 तक पूरा करने की संभावना है।

(ग) से (ङ) जी, हां। हापुड़ जिले में हापुड़-खुर्जा रेल लाइन पर किमी. 59/11-12 पर समपार संख्या 37 और किमी. 60/1-2 पर समपार संख्या 39ए के स्थान पर दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को रेल निर्माण कार्य 2013-14 में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

नए कार्य होने के कारण, ये अभी योजना और अनुमान चरण पर हैं। पुल के रेलवे वाले भाग का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इन ऊपरी सड़क पुलों के लिए पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस चरण पर रेलवे स्वयं इन दोनों ऊपरी सड़क पुलों के पूरा होने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप के लिए समुद्री विमान

1206. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में परिचालनरत समुद्री विमानों के समान लक्षद्वीप में भी समुद्री विमानों का परिचालन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) लक्षद्वीप में सी-प्लेन प्रचालनों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व लक्षद्वीप प्रशासन का है।

लक्षद्वीप प्रशासन ने सी-प्लेन के प्रचालन तथा एक एमफीबियन सी-प्लेन के वेट लीज के लिए सभी द्वीपों में व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए दिसम्बर, 2012 में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। पवन हंस ने इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम से बुक स्टॉल प्रबंधन को वापस लेना

1207. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर बुक स्टॉलों के प्रबंधन और परिचालन को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 28.03.2012 को जारी की गई भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के बुक स्टॉलों के प्रबंधन को क्षेत्रीय रेलों को हस्तांतरण करने से संबंधित नीति अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है।

विमानपत्तनों पर सुविधाएं

1208. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन पर किसी प्रणाली के खराब होने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी है कि वह यह दर्शाने के लिए सूचना पट्टिका लगाए कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तनों में इसका अनुसरण किया जाता है और यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि स्कैनर में बैग के साथ कोई समस्या होती है तो क्या यात्री को अपने बैग की निकासी के लिए प्रतीक्षा कराई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार के बैगों की तलाशी के लिए किसी डाइलेटेशन फोर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डों पर यदि भाविप्रा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई सुविधा सुचारु स्थिति में नहीं है तो ऐसा दर्शाने के लिए इश्तहार/पट्टिका लगाई जाती है।

(ग) जी, हां। पंजीकृत बैगेज के मामले में एयरलाइन स्टाफ द्वारा निकासी तथा प्रत्यक्ष जांच की जाती है तथा हैंड बैगेज के मामले में सुरक्षा कार्मिक द्वारा निकासी/प्रत्यक्ष जांच की जाती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई विमानपत्तन परियोजना

1209. श्री अशोक तंवर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नए विमानपत्तनों के निर्माण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) विश्वभर में विमानपत्तनों की तुलना में इन विमानपत्तनों की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मौजूदा अवसंरचना और उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से भारतीय विमानप त्तनों की स्थिति खराब है;

(ङ) यदि हां, तो अन्य विश्वस्तरीय विमानपत्तनों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई नई हवाईअड्डा परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क. नई हवाईअड्डा परियोजनाएं:

1. मैसूर हवाईअड्डा 2. जलगांव 3. भटिंडा-नया सिविल एन्क्लेव, 4. बीकानेर-नया सिविल एन्क्लेव, 5. जैसलमेर-नया सिविल एन्क्लेव, 6. कडप्पा, 7. पेक्योंग, 8. तेजू, 9. पुदुचेरी

ख. नई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाएं:

1. हैदराबाद अंतरर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा
2. बेंगलुरु अंतरर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपर्युक्त 11 परियोजनाओं में से कुल 4 परियोजनाओं पूरी हो गई है।

(ग) इन हवाईअड्डों में से प्रतिवर्ष 5-15 मिलियन यात्रियों की व्यवस्था करने वाले हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण कराया गया है। दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून), 2013 के दौरान विश्व के हवाईअड्डों में से हैदराबाद तथा बेंगलुरु हवाईअड्डे को क्रमश: दूसरा तथा पच्चीसवां स्थान प्राप्त हुआ है। मैसूर तथा जलगांव हवाईअड्डों को अभी तक कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इन हवाईअड्डों पर सीमित एयरलाइनें ही प्रचालन कर रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में अधिकतर प्रमुख हवाईअड्डों में विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं और इन्हें विश्व के दूसरे स्थान के हवाईअड्डे की रैंकिंग प्राप्त है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ऑटोमेटेड इंफार्मेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना

1210. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्री डिब्बों, वैगनों और रेल इंजनों में आने वाली समस्याओं के बारे में ऑटोमेटेड इंफार्मेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे उपकरणों को लगाया गया है और कब तक सभी स्थानों पर ऐसे उपकरणों को लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पायलट परियोजना के रूप में निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की गई है:—

(i) बक्कस/लखनऊ/उत्तर रेलवे पर एक ट्रेन साइड बोगी मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि उन बोगियों, जिनके धुरा बियरिंगों के खराब होने की संभावना है, की मॉनिटरिंग तथा उनकी पहचान की जा सके। इस प्रणाली से गुजरने वाली बोगियों के खराब या खराब होने वाली एक्सल बियरिंगों का पता लग जाने पर इस यंत्र में अलार्म बज जाता है।

(ii) भारतीय रेलों पर डीजल इंजनों पर रिमोट मॉनीटरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर लोकोमोटिव तथा ट्रेन (आरईएमएमएलओटी) उपकरण जो स्वत: रिमोट सेवा को जीपीएस के जरिए लोकोमोटिव पैरामीटर की ऑन बोर्ड निगरानी तथा इन्हें संप्रेषित करता है, विकसित किया गया है तथा इसकी व्यवस्था की जा रही है। आरईएमएमएलओटी प्रणाली के जरिए रेल इंजनों (जिनमें इसे लगाया गया है) में समस्याओं के बारे में ऑटोमेटिड सूचना इंटरनेट के माध्यम से भी स्थान से मॉनीटर की जा सकती है। आरईएमएमओएलटी प्रणाली 594 डीजल इंजनों में लगाई गई है।

ये उपकरण उन इंजनों के अंदर लगाए गए हैं जिन्हें संपूर्ण भारतीय रेल नेटवर्क में संचलित किया जाता है। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता के अनुसार उत्पादन इकाइयों तथा रेलवे द्वारा उपकरण फिट किए जाते हैं।

(ii) **व्हील इंपेक्ट लोड डिटेक्टर (वाईआईएलडी):** वाइल्ड प्रणाली का उपयोग व्हील की पहचान को लक्षित करने के लिए व्हील पर व्हील इंपेक्ट जिससे पटरी पर उच्च प्रभाव पड़ता है, को मॉनीटर करने के लिए किया जाता है। वाइल्ड प्रणाली लगातार इंजनों और व्हीकल व्हील अच्छी हाल में बनाए रखती है ताकि गाड़ी परिचालन सुरक्षित सुनिश्चित हो सके। महालीमारूप/दक्षिण पूर्व रेलवे, हॉस्पेट/दक्षिण पश्चिम रेलवे, अरक्कोणम/दक्षिण रेलवे, भिलाई/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, हॉस्पेट/दक्षिण पश्चिम रेलवे, अरक्कोणम/दक्षिण रेलवे, भिलाई/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, गुंतकल/दक्षिण मध्य रेलवे, मुगलसराय/पूर्व मध्य रेलवे (2 अदद), आसनसोल/पूर्व रेलवे, विशाखापत्तनम/पूर्वोत्तर रेलवे, अजनी/मध्य रेलवे, बीना/पश्चिम मध्य रेलवे, बरवाडीह/पूर्व मध्य रेलवे, इटारसी/पश्चिम मध्य रेलवे, डोंगरगढ़/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, न्यू कटनी जंक्शन/पश्चिम मध्य रेलवे में कुल 15 वाइल्ड प्रणाली स्थापित की गई हैं।

इस प्रकार की प्रणाली में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त करने पर तथा परिणामों का अर्थ लगाने में विश्वास करने के बाद ही तथा धन की उपलब्धता के आधार पर इन प्रणालियों का विस्तार किया जाएगा।

ट्रेनों का रद्द करना

1211. श्री नरहरि महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष की पहली तिमाही में बंद/नाकेबंदी/आंदोलनों के कारण रद्द की गई यात्री और माल दोनों प्रकार की रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे आंदोलनों के कारण रेलवे द्वारा उठाया गया कुल नुकसान कितना है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा यात्रियों को केवल दुर्घटनाओं के लिए ही मुआवजा दिया जाता है ओर रेलगाड़ियों के लिए ही मुआवजा दिया जाता है और रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण हुए समय और धन की हानि के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय यात्रियों और व्यापारियों को बंद/नाकेबंदी/आंदोलनों के कारण हुई हानि की भरपाई के लिए मुआवजा देने के लिए कोई योजना बना रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन आंदोलनों के विरुद्ध दंडात्मक और उपचारात्मक उपायों के लिए न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्देशों के संदर्भ में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) बंदों/अवरोधों/आंदोलनों के कारण पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (नवंबर तक) के दौरान रद्द हुई यात्री गाड़ियों की वर्ष-वार, क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

मालगाड़ियों के रद्द होने की कोई अवधारणा नहीं है।

(ख) यात्री गाड़ियों के रद्द होने से हुए नुकसान की गाड़ी-वार गणना नहीं की जाती है।

(ग) रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत परिभाषित किए गए अनुसार गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु/चोट के लिए यात्रियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है।

(घ) जिन यात्रियों को गाड़ी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाते हैं, को रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) में मुआवजे दावा दर्ज करने के बाद और दावाकर्त्ता के पक्ष में अधिकरण द्वारा डिक्री दिए जाने और उससे रेलवे के संतुष्ट होने पर ही रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है।

(ङ) और (च) भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल, गाड़ी के रद्द होने/तीन घंटे से अधिक देरी से चलने पर नियमों के अनुसार किराए की धनवापसी प्रदान की जाती है बशर्ते कि टिकट को निर्धारित अवधि के अंदर जमा कर दिया गया हो।

(छ) रेलवे में पुलिस की व्यवस्था राज्य का विषय है और रेलवे परिसर के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराधों को रोकना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन संबंधित राज्य की राजकीय रेलव पुलिस (जीआरपी) माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार, अपराध संबंधी मामले राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा दर्ज तथा जांच की जाती है।

विभिन्न समूहों/संगठनों द्वारा आयोजित बंदों/धरनाओं/रेलपथ पर बैठने आदि जैसे आंदोलन प्रारंभिक तौर से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति है। चूंकि रेलवे परिसरों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना संबंधित राज्य राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, ऐसे आंदोलन प्रारंभिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा निपटाए जाते हैं। बहरहाल, अतः ऐसी स्थितियों में रेलवे सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस/जीआरपी के प्रयासों में सहयोग करती है।

विवरण

बंदों/अवरोधों/आंदोलनों के कारण पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (नवंबर तक) के दौरान रद्द हुई यात्री गाड़ियों की वर्ष-वार, क्षेत्र-वार कुल संख्या

रेलवे	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
मध्य रेलवे	07	16	08	—
पूर्व तट रेलवे	08	18	25	07
पूर्व मध्य रेलवे	147	04	44	—
पूर्व रेलवे	301	05	01	—
उत्तर मध्य रेलवे	368	—	—	—
पूर्वोत्तर रेलवे	48	—	—	—
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	217	31	71	05
उत्तर रेलवे	711	36	142	11
उत्तर पश्चिम रेलवे	558	104	19	—

1	2	3	4	5
दक्षिण मध्य रेलवे	47	444	18	48
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	—	—	—	—
दक्षिण पूर्व रेलवे	287	12	71	—
दक्षिण रेलवे	04	03	—	—
दक्षिण पश्चिम रेलवे	10	04	45	04
पश्चिम मध्य रेलवे	284	—	—	—
पश्चिम रेलवे	170	109	10	04
जोड़	3167	756	454	79

डिप्लोमैटिक बैगों और पत्रों के साथ छेड़छाड़

1212. श्री पी. कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विगत दिनों में भारतीय राजदूतावासों और उच्चायोगों को भेजे गए डिप्लोमैटिक बैगों और पत्रों के साथ छेड़-छाड़ की गई और उन्हें ठीक से नहीं रखा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया को निश्चित कार्य-प्रणाली का अनुसरण करने का आदेश दिया गया है जिसमें विदेशों में भारतीय अधिकारियों को इन शासकीय कूरियरों को सौंपा जाना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया एयर वेबिल के माध्यम से एयर इंडिया के साथ बुक किए गए राजनयिक बैगों तथा डाक के संबंध में किसी प्रकार की अव्यवस्था या छेड़छाड़ की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने भारतीय डाक के साथ सीधे राजनयिक डाक को बुक कराने की प्रणाली को अपनाया है, जो पोस्टल मेल बैगों का प्रयोग करती है और एयर इंडिया को रिपोर्ट नहीं करती।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। "राजनयिक बैगों और डाकों" की हैंडलिंग के लिए एयर इंडिया में इसकी अपनी मानक प्रचालन प्रक्रिया विद्यमान है जिसे एयर इंडिया कार्गो प्रचालन मैनुअल में निर्धारित किया गया है। एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा श्रेणी 'क' राजनयिक डाक सीधे विदेश में दूतावास के प्रतिनिधि को सौंपी जाती है। श्रेणी 'ख' तथा 'ग' की राजनयिक डाक को सामान्य कार्गो जैसा ही समान प्रक्रिया के माध्यम से सौंपा जाता है। तथापि, यह केवल एयर इंडिया के साथ बुक की गई राजनयिक डाक पर ही लागू होता है न कि पोस्टल डाक बैगों में भारतीय पोस्ट द्वारा ले जाई जाने वाली राजनयिक डाक के लिए।

(घ) उपर्युक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

1213. डॉ. बलीराम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मंत्रालय में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की राज्य और विभाग-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में समय पर सूचना दी गई थी;

(ग) ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में समय पर सूचना नहीं दी गई और समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) इस मंत्रालय के अधीन कोई विभाग नहीं हैं। तथापि, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्राप्त हुई आरटीआई आवेदनों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष 2010	975
वर्ष 2011	1061
वर्ष 2012	1053
वर्ष 2013	1439 (31.10.2013 तक)

(ख) उन आरटीआई आवेदनों, जिनके संबंध में समय से सूचना दी गई, की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष 2010	875
वर्ष 2011	857
वर्ष 2012	919
वर्ष 2013	1289 (31.10.2013 तक)

(ग) उन आरटीआई आवेदनों, जिनके संबंध में समय से सूचना नहीं दी गई, की संख्या का ब्यौरा निम्नुसार है:—

वर्ष 2010	100
वर्ष 2011	204
वर्ष 2012	134
वर्ष 2013	150 (31.10.2013 तक)

(घ) जैसे ही और जब भी आवेदकों से आवेदन प्राप्त हुए, उनकी मंत्रालय में पदनामित अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपीलों का निपटान करने के लिए उपयुक्त आदेश/निदेश पारित किए गए।

(ङ) आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना को समय से मुहैया कराए जाने के सुनिश्चियन हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रदान न किए जाने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति के अधिरोपण हेतु प्रावधान हैं। सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण, ऑन-लाइन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शिकाओं के प्रकाशन के जरिए सूचना की मांग व पूर्ति के पहलू पर क्षमता का निर्माण करने हेतु कदम उठाए हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, बाह्य मीडिया एवं कार्यशालाओं के जरिए जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिकतम सूचना को अग्रिम रूप से प्रदान किए जाने की बात पर जोर देते हुए स्पष्टीकरण-आदेश भी जारी किए गए थे ताकि नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन न देने पड़ें।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन विमानपत्तन पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना

1214. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन विमानपत्तन पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी/प्रणाली की स्थापना कर दी गई है और क्या सुरक्षा की दृष्टि से विमानपत्तन की जांच की गई है और विमानपत्तन की अवसंरचना के विकास की स्थिति क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने तमिलनाडु के तूतोकोरिन हवाईअड्डे पर रात्रि प्रचालनों के लिए स्थल प्रकाश प्रसुविधा की व्यवस्था कर दी है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 28.11.2013 की संरक्षा निरीक्षण किया गया। तूतीकोरिन हवाईअड्डा साफ मौसम स्थितियों में एटीआर-42/72 प्रकार के विमान के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इस हवाईअड्डे की अवसंरचना का विकास राज्य सरकार द्वारा एएआई को सभी बाधाओं से मुक्त 586 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि निःशुल्क प्रत्यक्षतः सौंपने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

जल प्रशुल्क

1215. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी निजी भागीदारिता (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत पेयजल संयंत्रों/परियोजनाओं को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में जल प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (च) जल राज्य का विषय है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता देने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) राज्यों के माध्यम से संचालित करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं को रूप-रेखा बनाने, उनका निष्पादन और कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अत: सरकारी निजी भागीदारिता (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों का निर्भर करता है। ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सभी ग्रामीण परिवारों में परिवार स्तर पर सुनिश्चित और स्वच्छ पाइप जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र को बहुत अधिक निवेशों की आवश्यकता है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के संतोषजनक परिचालन और रख-रखाव के लिए परिचालन एवं लागत क्षमता और वित्तीय अनुशासन बरतने, जल प्रशुल्क और संग्रहण संबंधी मामलों और प्रबंधकीय कार्य-कुशलताओं में सुधार की अपेक्षा करता है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने सरकारी निजी भागीदारिता के संबंध में प्रारूप मॉडल तैयार किए हैं।

[अनुवाद]

यात्री सेवा शुल्क

1216. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्री सेवा शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा घटक) के संशोधन के मामले में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टिकटों को रद्द करना

1217. डॉ. निलेश नारायण राणे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमान कंपनियों द्वारा टिकटों को रद्द करने या उनमें परिवर्तन कराने पर अर्थ दंड लगाने और अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ट्रेवल एजेंटों द्वारा मल्टीपल बुकिंग्स की जाती है जिसके परिणामस्वरूप विमान उड़ान के दौरान खाली रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विमान किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते। हवाई यात्रा, यात्री तथा एयरलाइन के बीच संविदात्मक अनुबंध करता है। डीजीसीए ने टिकट के रद्दकरण या परिवर्तन पर कोई मानदंड जारी नहीं किए हैं।

विमान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के अनुसार अुसूचित हवाई सेवाओं से संबद्ध प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम दर सूची स्थापित करते समय प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, एयरलाइनें युक्तिसंगत प्रभारों/शुल्क को तय करने के लिए स्वतंत्र है।

तथापि, डीजीसीए ने यात्री सुविधा के लिए "बार्डिंग के लिए मना करने, उड़ानों के रद्दकरण तथा देरी होने के कारण एयरलाइन द्वारा यात्री को दी जाने वाली सुविधाएं" पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) धारा 3, वायु परिवहन, श्रृंखला एम· भाग-IV जारी की है।

(ख) मंत्रालय ट्रैवल एजेंटों द्वारा की जाने वाली मल्टीपल बुकिंग का रिकॉर्ड नहीं रखता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुरक्षा प्रभार

1218. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेल यात्रियों में सुरक्षा प्रभार लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य गिरोहों के अलावा हिजड़ों के गिरोह भी रेल यात्रियों, विशेषकर रेलगाड़ियों में परिवार सहित यात्रा करने वालों से पैसों की जबरन वसूली करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) सुरक्षा प्रभारों के नाम यात्री किरायों में कोई भी अधिशुल्क नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान किन्नरों द्वारा रेल यात्रियों से जबरन वसूली की क्रमशः 34 और 31 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य के रेल राज्य पुलिस को भेज दिया जाता है।

(ङ) रेलवे में पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय हे और रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों पर अपराधों की रोकथाम, मामले दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किया जाता है। रेलवे पर अपराधों के ऐसे मामले में राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा मामले दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण और महत्त्वपूर्ण तथा संवदेनशील स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल ड्यूटियों के लिए अपने स्टॉफ की तैनाती करके राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों को पूरा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों को ठेके

1219. श्री के. सुगुमार :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राजस्व बांटने के आधार पर निजीकरण के स्थान पर देश में विमानपत्तनों के परिचालन के लिए निजी कंपनियों को दीर्घावधिक प्रबंधन ठेके देने की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पैनल देश में विमानपत्तनों के निजीकरण के विरुद्ध था और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे विमानपत्तनों जिनके निजीकरण या उन्हें दीर्घावधिक प्रबंधन ठेकों पर दिए जाने पर विचार किया गया था, के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार (जीओआई) ने बारहवीं योजना अवधि के लिए वित्तीय योजना का कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार 'सिद्धांत रूप से' यह निर्णय लिया है कि 20 एयरपोर्टों चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, त्रिची, वाराणसी, इंदौर, अमृतसर, उदयपुर, गया, रायपुर, भोपाल, अगरतला, इम्फाल, मंगलूरु तथा बंडोदरा का प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) रीति से चरणबद्ध रूप में किया जाए।

(ग) परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 203वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को घाटे में चल रही एयरपोर्टों सहित इसके सभी एयरपोर्टों का प्रबंधन तथा प्रचालन करने की अनुमति इस संशोधन के साथ दे दी जाए कि प्रावइेट एयरपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समान विश्व स्तर की यात्री सेवाएं समयबद्ध रूप से और अधिक दक्षता तथा पाादर्शी तरीके से प्रदान की जाएं।

(घ) और (ङ) एएआई ने चेन्नै तथा कोलकाता एयरपोर्टों के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए क्रमशः 2015 करोड़ रुपए तथा 2470 करोड़ रुपए की राशि निवेश की है।

[हिन्दी]

पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्स, 2004

1220. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, 2004 के संबंध में कोई संदर्भ दाखिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय से इस संदर्भ पर त्वरित निर्णय लेने के लिए अनुरोध करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रपतीय संदर्भ में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 की वैधता के संबंध में विचार किया जाने हेतु प्रश्न उठाए गए हैं और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट की मांग की गई है।

यह मामला दिनांक 17.07.2007 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया था जब मामले को दिनांक 18.09.2007 को एक संविधान पीठ के समक्ष रखे जाने का आदेश दिया गया था। संविधान पीठ ने नोटिस जारी किया था जो सभी राज्यों को भेजा गया था। इस संदर्भ को 2005 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 455 से टैग किया गया है। मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पीठ के समक्ष दिनांक 14.07.2009 को रखा गया था जब न्यायालय ने इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखे जाने के लिए कोई विशिष्ट तारीख निर्धारित नहीं की। राष्ट्रपतीय संदर्भ के संबंध में शीघ्र कोई निर्णय लेने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई अनुरोध करने का मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है, जिनसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अदावित निवेशक निधियां

1221. श्री के. सुधाकरण : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में सरकार द्वारा अदावित निवेशक निधियों की मात्रा के संबंध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन कंपनियों की पहचान की है जिनके पास ऐसी अदावित निधियां हैं लेकिन उन्होंने इसके बारे में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को नहीं बताया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अदावित निवेशक निधि को अंततः निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन निवारक अर्थशास्ति खंडों के अभाव में अनेक कंपनियों ऐसी अदावित निधि को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में दिखा देती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के तहत कंपनियों के लिए अप्रदत्त लाभांशों, परिपक्व जमा राशियों और डिबेंचरों की उस राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना अपेक्षित है जिनका दावा अदायगी हेतु देय तिथि से सात वर्षों तक नहीं किया गया है तथा अप्रदत्त पड़ी है। वर्ष 2001-02 से 2012-13 तक की अवधि के लिए 693.37 करोड़ रुपए की राशि आईईपीएफ में जमा की गई है, जो भारत की संचित निधि (सीएफआई) का भाग है। सरकार की जानकारी में अभी ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है जिसने अदावित ऐसी राशि को अपने तुलन पत्रों में अंतरित किया हो।

[हिन्दी]

गति सीमा में बढ़ोतरी

1222. श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आंध्र प्रदेश में रेल यात्रा में यात्रा समय में कमी लाने के लिए रेलगाड़ियों की गति सीमा को बढ़ावा है या नई तीव्र गति की रेलगाड़ियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से ये तीव्र गति की रेलगाड़ियां गुजरती हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) भारतीय रेल राज्य-वार आधार पर गाड़ियां नहीं चलाता/गाड़ी सेवाएं नहीं बढ़ायी जाती हैं क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्यों की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है। बहरहाल, भारतीय रेल पर गाड़ियों की गति बढ़ाना तक निरंतर प्रयास और एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रौद्योगिकी, उच्च शक्ति वाले रेल इंजनों, आधुनिक सवारी डिब्बों, बेहतर रेलपथों आदि के आधुनिकीकरण में रेलवे द्वारा किए गए निवेश के निरंतर ईष्टतमीकरण पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच तेज संपर्कता मुहैया कराने का प्रयास करती है, भारतीय रेल ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को सेवित करने वाली दूरांतों एक्सप्रेस सेवाओं को शुरू किया है जो निम्नानुसार है:—

(i) 14.03.2010 से 12285/12286 निजामुद्दीन-सिकंदराबाद

दुरांतो एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से होकर चल रही है।

(ii) 22.02.2011 से 12220/12219 सिकंदराबाद-लोकमान्य तिलक (ट) दूरांतो एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) जो कर्नाटक, महाराष्ट्र से होकर चल रही है।

(iii) 11.07.2012 से 22204/22203 सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम दूरांतो एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) चल रही है।

उपर्युक्त दूरांतो एक्सप्रेस सेवाएं मार्ग में बिना किसी वाणिज्यिक ठहराव के एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करती है।

[अनुवाद]

अनुसंधान संबंधी समिति

1223. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्थानों, विभागों और निजी अनुसंधानकर्त्ताओं के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके अनुसंधान और रैंकिंग के मूल्यांकन हेतु एक ढांचा बनाने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अति प्रतिभावन अनुसंधानकर्त्ताओं और अति प्रभावी अनुसंधान संस्थानों के लिए संवर्धित वित्तपोषण सहायता सुनिश्चित करने हेतु समिति अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु ढांचे का भी विकास करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने संस्थाओं, विभागों और अलग-अलग अनुसंधानकर्त्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर अनुसंधान एवं रैंकिंग के मूल्यांकन के लिए ढांचा बनाने हेतु कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, स्कोपस इंटरनेशनल डाटाबेस में प्रकाशन उपलब्धि के संबंध में राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (एनआईएसटीएडीएस), नई दिल्ली की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने "विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विज्ञान उत्कृष्टता प्रोत्साहन" (पर्स) कार्यक्रम शुरू करके मूल्यसंवर्द्धित अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए स्वप्रेरित उपाय किया है। 44 निष्पादक विश्वविद्यालय जिनका एच-सूचकांक 56 से 26 के बीच था, को 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 1996-2006 से 1998-2008 के लिए प्रकाशन संबंधी उक्त अध्ययन के जरिए निर्धारित किए गए। इन विश्वविद्यालयों को 3 वर्ष की अवधि के एच-सूचकांक के अनुसार 30.0 करोड़ रुपए से लेकर 6.0 करोड़ रुपए तक की सहायता दी गई। एनआईएसटीएडीएस के लिए पुन: अध्ययन किया गया और 1996-2006 की अध्ययन अवधि के दौरान निर्धारित किए गए 14 विश्वविद्यालयों को कुल प्रकाशनों के सैटों का वर्ष 2000-2010 की अवधि के लिए स्कोपस डाटाबेस के जरिए मूल्यांकन कराया गया। यह पाया गया कि इन विश्वविद्यालयों ने प्रकाशनों के रूप में अपने निष्पादन में बहुत वृद्धि की है। पर्स योजना के अंतर्गत अब तक 890 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता की गई। इस योजना ने विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया है। डीएसटी ने अन्य देशों की तुलना में अनुसंधान के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में भारत के अनुसंधान निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए थॉमसन रायटर के जरिए अध्ययन कराया और संपूर्ण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। मूल्यांकन की इस पारदर्शी पद्धति एवं रिपोर्ट देने की व्यवस्था से देश में आर एंड डी संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्ति, कर्मठ, होनहार भारतीय वैज्ञानिकों को निर्धारित करने एवं सहायता देने के लिए जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति, रामलिंगास्वामी अध्येतावृत्ति आदि जैसी योजनाओं/अध्येतावृत्तियों की शुरुआत देश के सर्वाधिक प्रतिभावान अनुसंधानकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं।

[हिन्दी]

विद्युत का बंटवारा

1224. श्री भरत राम मेघवाल : क्या **विद्युत मंत्री** पनबिजली परियोजना के लिए समझौता के बारे में 14 मार्च, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2777 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पंजाब की पनबिजली परियोजनाओं से हरियाणा और राजस्थान को विद्युत का बंटवारा करने का निर्णय करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : जैसा कि 14.03.2013 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2777 के उत्तर में बताया गया है कि इस मामले का समाधान करने के लिए विगत समय में कई चर्चाएं हो चुकी हैं किन्तु पणधारी राज्यों के अलग-अलग विचारों के कारण सर्वसम्मति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की हिस्सेदारी का मुद्दा हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले में 2009 के मूल वाद संख्या 3 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

1225. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला खनन वाले राज्यों में आंदोलनों के कारण उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में विद्युत का उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत के उत्पादन में गिरावट लाने वाली ऐसी घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं या किये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान कोयला खनन वाले राज्यों में आंदोलन से विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

कोयला खनन वाले राज्यों में आंदोलन के कारण पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रभावित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार उत्पादन हानि नीचे दी गई है:—

विद्युत यूटिलिटी	पावर स्टेशन	सूचित की गई उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट में)
1	2	3
2010-11		
एनटीपीसी	तालचेर एसटीपीएस	90.3
2011-12		
एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस	246.2
	सिम्हाद्री एसटीपीएस	214.2
एपीजेनको	काकतीया	28.0
एमएसपीजीसीएल	पार्ली	98.1
2012-13		
एनटीपीसी	दादरी एसटीपीएस	53.5
	सिम्हाद्री एसटीपीएस	8.3
	तलचर एसटीपीएस	13.7
2013-14 (3 दिसम्बर, 2013 तक)		
एनटीपीसी	सिम्हाद्री एसटीपीएस	45.9
	तलचेर एसटीपीएस	

एपीजेनको: आंध्र प्रदेश पॉवर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

एमएसपीजीसीएल: महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

इस प्रकार की आकस्मिकताओं के दौरान, प्रभावित होने वाले संभावित विद्युत स्टेशनों को पहले से ही कोयले की आपूर्ति बढ़ा दी है और जहां भी संभव हो वैकल्पिक कोयला स्रोत के माध्यम से कोयले की आपूर्ति भी की जाती है।

[हिन्दी]

आरजीजीवीवाई की स्थिति

1226. श्री मकनसिंह सोलंकी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के खारगोन और बरवानी क्षेत्रों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत वन ग्रामों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खारगोन और बरवानी जिलों की परियोजनाओं को दिनांक 16.12.2011 को 11वीं योजना के चरण-II के दौरान मंजूरी दी गई थी। दोनों परियोजनाएं 26.03.2012 को सौंपी गई थी। इन परियोजनाओं का क्षेत्र एवं उपलब्धियां निम्नवत् हैं:—

मध्य प्रदेश का जिला	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप में विद्युतीकृत गांव		गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार	
	क्षेत्र	उपलब्धि	क्षेत्र	उपलब्धि	क्षेत्र	उपलब्धि
खारगोन	6	3(50%)	1169	204 (17%)	44471	6153 (14%)
बरवानी	–	–	647	52 (8%)	21975	800 (4%)

इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित अवधि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ठेका सौंपने की तारीख से 24 माह अर्थात् मार्च, 2014 के अंत तक है।

(ग) और (घ) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित वन ग्रामों सहित गांवों को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

असम में बाढ़

1227. श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा असम सरकार को वर्ष 2009-13 की अवधि के दौरान बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास हेतु धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 से 2013 तक की अवधि के दौरान आपदा राहत कोष (सीआरएफ)/राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ)/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत असम सरकार को बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास अनुदान के रूप में निधि जारी की है।

(ख) इस निधि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सीआरएफ/ एसडीआरएफ	एनसीसीएफ/ एनडीआरएफ	कुल
1	2	3	4
2008-09	157.9725	300.00	457.9725
2009-10	162.80	शून्य	162.80
2010-11	237.39	शून्य	237.39
2011-12	249.26	शून्य	249.26
2012-13	261.73	45.00	306.73
2013-14	68.64*		68.64*

(*वर्ष 2013-14 के लिए अग्रिम पहली किस्त)

जेएनएनयूआरएम

1228. श्री वैजयंत पांडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बाढ़ नियंत्रण योजना संबंधी जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत मानकों का अनुपालन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) भारतीय रेलवे बाढ़ के मामले में अपने दिशा-निर्देशों/नीति का अनुपालन करती है और जेएनएनयूआरएम के मानदंड रेलवे संबंधी कार्यों में लागू नहीं होते हैं। रेलवे द्वारा बाढ़ के कारण रेलवे सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को रोकने/कम-से-कम करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिम रूप से पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। इसमें पुलों के जलमार्ग की सफाई/मरम्मत करना, यदि आवश्यक हो तो पुलों के लिए अतिरिक्त जलमार्ग की व्यवस्था करना, नालों की सफाई/मरम्मत करना, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की मरम्मत/निर्माण आदि शामिल हैं। पहचान किए गए और संवेदनशील खंडों में मानसून के समय गश्त लगाई जाती है और संवेदनशील स्थानों पर स्टेशनरी चौकदार तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है और संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा रेलवे क्षेत्राधिकार के बाहर (जहां रेलवे

संपत्ति प्रभावित होती हो) पुलिया/नालों की सफाई/मरम्मत आदि भी की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आईआरसीटीसी से खान-पान सेवा वापस लेना

1229. श्री बाल कुमार पटेल :
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आईआरसीटीसी से रेलगाड़ियों और स्टेशनों में प्राथमिक खान-पान सेवाएं वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे इन सुविधाओं की बहाली करने का विचार कर रही है;

(घ) क्या रेलवे ने आईआरसीटीसी से स्टेशन प्लेटफार्मों पर चल रहे बुक स्टालों का प्रबंधन भी अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) नई खान-पान नीति, जो 21 जुलाई, 2010 को जारी की गई, के शुरू हो जाने से फूड प्लाजा, फूड कोर्ट तथा फास्ट फूड यूनिटों की प्रीमियम केटरिंग सेवाओं के प्रबंधन के लिए रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) जिम्मेवार है। केटरिंग सेवाओं को आईआरसीटीसी से भारतीय रेलों को इसलिए हस्तांतरित कर दिया था क्योंकि उनके पास मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए रेलवे की भांति विशाल नेटवर्क तथा पहुंच नहीं है। परिणामस्वरूप, जनता द्वारा यह महसूस किया जा रहा था कि खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता खराब है। बहरहाल, इस हस्तांतरण के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा सभी दूरांतो और कुछ राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में विभागीय तौर पर खान-पान सेवाएं मुहैया कराना जारी था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय रेलवे खान-पान निगम से (आईआरसीटीसी) बुक स्टॉलों के प्रबंधन कार्य को क्षेत्रीय रेलों को हस्तांतरित करने के लिए 28.3.2012 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि आईआरसीटीसी की तुलना में रेलों के पास उपलब्ध विशाल नेटवर्क तथा व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए रेलों द्वारा पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षित वाहनों का विनिर्माण

1230. श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश भारतीय छोटी कारें सुरक्षा मानक पर खरी नहीं उतरती हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ताकि कार विनिर्माता सुरक्षित वाहन बनाएं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारत में बनाई औद बेची जाने वाली छोटी कारों सहित सभी वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के प्रावधानों के अनुसार सख्त सुरक्षा विनियमों का पालन करते हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाण-पत्र देने के लिए मोटर वाहनों के विनिर्माताओं को विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के तहत परीक्षण एजेंसी के पास जांच के लिए भेजना होता है। यही प्रक्रिया आयातित वाहनों के लिए भी लागू है।

राष्ट्रीय जल नीति

1231. श्री एस. सेम्मलई :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति देश की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित नदियों के किनारे औद्योगिक संयंत्र लगाने का निषेध करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशभर में कतिपय राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में नदियों के किनारे औद्योगिक संयंत्रों को लगाने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने विगत पांच वर्षों के दौरान जल नीति के मानकों का उल्लंघन किया है तथा देश के सभी राज्यों द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का सख्त अनुपालन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या नई राष्ट्रीय जल नीति से कृषक अधिकार अधिनियम पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(च) राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी पृथक् जल नीति तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक पृथक् राज्य जल नीति अधिनियमित नहीं किया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) नदियों के किनारों पर औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमति प्रदान करने संबंधी सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं रखी जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 फसल विविधता संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 को प्रभावित नहीं करेगी।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य जल नीति तैयार करने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य जल नीति तैयार करने की स्थिति

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करती है कि राज्य सरकारों को प्रचालन कार्रवाई योजना के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार राज्य जल नीति बनानी चाहिए। वे राज्य जिनमें राज्य जल नीति बनाई गई है। बनाने की प्रक्रिया चल रही है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

I. राज्य जो पहले ही अपनी राज्य जल नीति बना चुके हैं।

1. आंध्र प्रदेश
2. छत्तीसगढ़
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. झारखंड
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. ओडिशा
11. राजस्थान
12. सिक्किम
13. तमिलनाडु और
14. उत्तर प्रदेश

II. राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिन्होंने राष्ट्रीय जल नीति अपना ली है।

15. दमन और दीव
16. दादरा और नगर हवेली
17. दिल्ली

III. राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जो "राज्य जल नीति" तैयार कर रहे हैं।

18. अरुणाचल प्रदेश
19. असम
20. बिहार
21. गुजरात
22. हरियाणा
23. जम्मू और कश्मीर
24. मणिपुर
25. मेघालय
26. मिजोरम
27. नागालैंड
28. पंजाब
29. त्रिपुरा
30. उत्तराखंड
31. पश्चिम बंगाल
32. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
33. चंडीगढ़
34. लक्षद्वीप, और
35. पुदुचेरी

एनडब्ल्यूआरसी ने दिनांक 28.12.2012 को हुई अपनी बैठक में

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 को अपना लिया। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 निर्धारित करती है कि राज्य जल नीतियों को, मूलभूत विषयों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस नीति के अनुसार मसौदा तैयार करने/संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 की प्रति उचित कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है।

अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य जल नीति, 2013 तैयार की है।

[हिन्दी]

पेंशन योजनाएं

1232. श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजनाओं की संख्या कितनी है और इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि अलग-अलग है और इस धनराशि को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मांग हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देशभर में सभी राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और नि:शक्त व्यक्तियों को पेंशन समय पर जारी कर रही हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन श्रेणियों के लोगों को पेंशन जारी करने में असाधारण विलंब हुआ है; और

(च) इन श्रेणियों के लोगों को पेंशन जारी करने में ऐसे असाधारण विलंब होने के क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन लोगों को समय पर पेंशन जारी करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) से संबंधित लोगों के लिए तीन पेंशन योजनाओं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएनपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) का कार्यान्वयन करता है। पात्रता मानदंड के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित पेंशन योजनाएं उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड की पूर्ति करते हैं। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त योजनाओं में पेंशन राशि में अंतर है। वर्तमान में आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि 200 रुपए प्रतिमाह है जबकि दो अन्य पेंशन योजनाओं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) में 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के पेंशन राशि 300 रुपए प्रतिमाह है।

राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा नागरिक सेवा संगठनों ने पेंशन राशि ने वृद्धि करने लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) एनएसएपी योजनाओं के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समेकित निधि में प्राप्त करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समेकित निधि में प्राप्त राशि को एनएसएपी की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले नोडल विभाग को अंतरित की जाती हैं। नोडल विभाग निधियां प्राप्त करने के बाद फील्ड अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण करते हैं। संवितरण कार्यालयों द्वारा निधि प्राप्त करने के पश्चात् ही पेंशन का संवितरण किया जाता है।

(च) यद्यपि मंत्रालय ने पेंशन जारी करने में अनावश्यक देरी से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बेहतर निधि प्रवाह के लिए एक सॉफ्टवेयर, अर्थात् एनएसएपी-एमआईएस विकसित किया है। लाभार्थियों के बैंक खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत लाया गया है ताकि संवितरण कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों के खातों में पेंशन सीधे अंतरित की जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पेंशन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

I. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएन ओएपीएस):** इस योजना के अंतर्गत भारत द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लोगों को 200 रुपए प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को 500 रुपए प्रति माह की केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

II. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएन डब्ल्यूपीएस):** इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली (बीपीएल) 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को 300 रुपए प्रति माह केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस में स्थानांतरित किया जाएगा जिसके तहत उसे 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

III. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएन डीपीएस):** इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) 18-79 वर्ष की आयु के बहु-विकलांगता वाले लोगों को 300 रुपए प्रति माह केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस में स्थानांतरित किया जाएगा जिसके तहत उसे 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी तीनों पेंशन योजनाओं के संबंध में कम से कम समान अंशदान देने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

लक्जरी ट्रेन

1233. श्रीमती मेनका संजय गांधी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में और अधिक लक्जरी ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक लक्जरी ट्रेन पर खर्च की जा रही निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं। लक्जरी टूरिस्ट ट्रेनें संबंधित राज्य परिवहन निगमों/भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम के आग्रह पर शुरू की जाती हैं बशर्ते पर्यटन संभाव्यता, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व में जल विद्युत परियोजनाएं

1234. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने मेघालय और मणिपुर में जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बांधों के निर्माण का विरोध किया है और क्या ऐसे कदम से इन राज्यों में विद्युत की कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग में इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में बांग्लादेश के साथ विवाद को यथाशीघ्र सुलझाने और इन राज्यों में विद्युत की भारी कमी का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) बांग्लादेश ने मणिपुर में तिपाईमुख हाइड्रोइलैक्ट्रिक (बहु-प्रयोजन) परियोजना (1500 मेगावाट) और मेघालय में मौफू (85 मेगावाट) ओर माइन्टडू (84 मेगावाट) बांध के बारे में अपनी चिंता जताई है। तिपाईमुख परियोजना के लिए सहमत संदर्भ शर्तों (टीओआर) के अनुसार संयुक्त अध्ययन करने के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तहत गठित उप-समूह द्वारा बैठकें आयोजित की गई हैं। जहां तक मेघालय में परियोजनाओं का संबंध है, बांग्लादेश पक्ष को सूचित कर दिया गया है कि मेघालय में परियोजनाएं संकल्पना की स्थिति में है और डीपीआर तैयार करने के लिए केवल कुछ जांच कार्य ही किया गया है। मणिपुर और मेघालय में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय उत्पादन केंद्र (सीजीएस) की सहायता क्रमश: 123 मेगावाट और 206 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के दौरान सीजीएस से क्रमश: 136.5 मेगावाट और 186.5 मेगावाट का लाभ होने की संभावना है।

मुस्लिमों का शैक्षिक पिछड़ापन

1235. श्री अब्दुल रहमान : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुस्लिमों का शैक्षिक पिछड़ापन कम करने में सक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुस्लिमों के शैक्षिक विकास हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन अनमने ढंग से किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में मुस्लिमों के शैक्षिक विकास हेतु योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु प्रयास किया जा रहा है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) से (घ) देश में मुस्लिम सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तीन छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित करता है। योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन तीन योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्य समय-सीमा तैयार की जाती है और सभी स्टेकहोल्डरों को संसूचित की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में डीएवीपी, आकाशवाणी, दूरदर्शन एनएमडीएफसी आदि के परामर्श से अपनी मीडिया योजना को अंतिम रूप देती है। लक्षित समूह तक पहुंचने के एिल मल्टीमीडिया अभियानों का प्रयोग किया जाता है।

विवरण

मुस्लिमों के शैक्षिक पिछड़ेपन सम्बन्धी योजनाएं

I. **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले उन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो तथा जिनके पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

II. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11वीं से पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले उन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक हो तथा जिनके पिछली अंतिम परीक्षा 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

III. **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति:** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। प्रतियोगी परीक्षाएं दिए बिना इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दावा करने वाले छात्रों को अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त किए हुए नहीं होना चाहिए। सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

IV. **अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएईएफ):** मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों के लिए एक अध्येतावृत्ति योजना है जो एम.फिल और पीएच.डी करने के इच्छुक है और जिनके माता-पिता/अभिवावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

इंदिरा आवास योजना

1236. श्री चार्ल्स डिएस :
श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
श्री मकन सिंह सोलंकी :
श्री गणेश सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों ओर अल्पसंख्यकों सहित लाभार्थियों को दिये गए आवासों की राज्य/वर्ष और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का योजना/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण और आवंटन में भारी अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों की रिपोर्ट है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा योजना की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के कार्यान्वयन की मौजूदा राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दिशाई गई है।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यकों सहित लाभार्थियों द्वारा निर्मित मकानों की संख्या तथा आईएवाई के तहत आवंटित, रिलीज और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II एवं संलग्न विवरण-II(क) में दर्शाया गया है।

(घ) जी, हां। इस योजना के तहत मकानों के निर्माण और आवंटन में घोर अनियमितताओं की शिकायतों की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रही है।

(ङ) घोर अनियमितताओं की शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और III(क) में दर्शाया गया है।

(च) अब कभी इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की कोई शिकायत इस मंत्रालय के ध्यान में लाई जाती है, तभी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशास से संपर्क करके सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा जाता है। गंभीर स्वरूप की शिकायतों के मामले में जांच के लिए इस मंत्रालय के पैनल में शामिल राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ता (एनएलएम) तैनात किए जाते हैं। यदि अनियमितताएं सिद्ध हो जाएं तो संबंधित राज्य सरकार से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा जाता है।

(छ) समन्वयकर्त्ता अधिकारियों की बैठकों, निष्पादन समीक्षा समितियों की तिमाही बैठकों तथा क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से आईएवाई योजना के निरंतर निगरानी की जा रही है। राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मकानों का निर्माण कार्य समय पर संपन्न हो।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक प्रगति 2013-14

(संख्या इकाई में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वार्षिक लक्ष्य	वर्ष में स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान मकानों में से, के नाम पर आवंटित मकान		
			अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिलाएं	संयुक्त पति-पत्नी के	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	207313	81057	45352	24212	80104	331225	331235	0	1180
2.	अरुणाचल प्रदेश	6370	0	172	0	0	172	44	0	0
3.	असम	136695	9347	15465	17463	21208	61488	30816	20042	1278
4.	बिहार	605550	119505	7934	38378	43837	214654	168365	32833	3911
5.	छत्तीसगढ़	48004	3944	31352	344	1914	37454	11225	23551	97
6.	गोवा	1393	29	160	105	1009	1303	647	0	0
7.	गुजरात	107630	4239	30451	1322	31854	57916	28819	14736	21
8.	हरियाणा	18039	11810	0	2015	1177	15002	9302	3756	27
9.	हिमाचल प्रदेश	7064	5672	1054	139	147	7012	1795	2573	43
10.	जम्मू और कश्मीर	15953	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	67153	6899	23321	1577	2798	35095	14174	1313	350
12.	कर्नाटक	87316	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	45738	9056	966	5100	6976	22098	17320	2655	336
14.	मध्य प्रदेश	112936	13536	32737	4612	11247	62212	16325	23959	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	महाराष्ट्र	137314	7334	66114	7896	35.141	116785	11293	96238	313
16.	मणिपुर	8011	0	318	0	0	318	93	318	7
17.	मेघालय	13865	0	8735	213	8	9006	3479	1100	72
18.	मिजोरम	3861	0	1038	0	0	1038	528	507	3
19.	नागालैंड	10439					एनआर			
20.	ओडिशा	128057	18680	41132	2199	18643	81254	19590	58516	293
21.	पंजाब	19531	2929	0	33	283	3244	440	2726	45
22.	राजस्थान	85460	14243	48119	912	13741	77015	45008	13624	613
23.	सिक्किम	1436	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	83436	38362	2726	6781	15250	63119	36490	16880	1983
25.	त्रिपुरा	13368	913	1626	112	455	3106	333	744	33
26.	उत्तर प्रदेश	397733	67527	3741	29407	16205	116880	73723	3275	873
27.	उत्तराखंड	14012	3132	244	650	764	1790	4242	124	7
28.	पश्चिम बंगाल	185934	43350	21459	18332	15994	98385	16897	24863	306
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2081	0	0	7	45	52	5	7	0
30.	दादरा और नगर हवेली	419					एनआर			
31.	दमन और दीव	162					एनआर			
32.	लक्षद्वीप	188					एनआर			
33.	पुदुचेरी	1065					एनआर			
	कुल	2480715	460724	373766	162064	324039	1320653	732178	344740	12327

ऑनलाइन प्रति एमपीआर 09.1.2013 के अनुसार।

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक प्रगति 2013-14

(संख्या इकाई में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्माणाधीन मकान			पूरे किए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का %
		पिछले व चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत	पिछले वर्ष के पूर्व में स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (15 से 18)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	148343	0	143343	25725	12857	1795	21051	61436	29.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	410	0	419	0	0	0	0	0	0.00
3.	असम	98785	13638	117423	3973	9432	10302	10606	34515	24.89
4.	बिहार	342001	326994	666953	81156	4456	33550	61560	133722	30.34
5.	छत्तीसगढ़	41597	14042	55639	1142	6306	84	2769	10301	21.46
6.	गोवा	2524	5981	7505	23	49	30	524	616	44.22
7.	गुजरात	96302	33952	120252	1133	6993	564	6761	15506	14.87
8.	हरियाणा	19212	275	13487	1356	0	262	612	2230	13.37
9.	हिमाचल प्रदेश	7252	20	7272	35	56	0	10	102	1.44
10.	जम्मू और कश्मीर	2787	0	2737	0	32	0	47	78	0.49
11.	झारखंड	114633	23519	143212	6196	21414	3560	6343	28033	41.74
12.	कर्नाटक	1555	53928	135433	14907	7996	5617	12323	41348	47.08
13.	केरल	47499	12651	60150	12873	1556	7733	13965	36127	73.99
14.	मध्य प्रदेश	75074	11236	34360	5677	7759	1282	5358	20076	17.78
15.	महाराष्ट्र	86353	29326	117679	2307	79	979	3640	19879	14.48

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	637	234	771	0	254	0	0	254	3.17
17.	मेघालय	12440	125	12565	0	3256	0	0	3256	23.43
18.	मिजोरम	433	0	443	0	691	0	0	691	13.87
19.	नागालैंड									एनआर
20.	ओडिशा	132277	2087	134364	10554	8874	652	13075	33155	25.69
21.	पंजाब	2447	64	2511	2058	0	35	306	2401	13.29
22.	राजस्थान	73920	25394	99214	10313	5399	2008	15159	32879	33.47
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	50579	8345	58924	3633	33	406	2345	6372	7.21
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	114302	6228	120530	27706	351	5259	13757	47075	15.34
27.	उत्तराखंड	4829	44	4373	374	138	70	721	1303	9.30
28.	पश्चिम बंगाल	85647	2020	86667	17941	5032	12082	26626	61633	33.34
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	347	554	901	0	0	19	148	167	8.02
30.	दादरा और नगर हवेली									एनआर
31.	दमन और दीव									एनआर
32.	लक्षद्वीप									एनआर
33.	पुदुचेरी									एनआर
	कुल	1635154	569606	2204760	229175	100896	86309	226817	643197	25.93

ऑनलाइन प्रति एमपीआर 09.1.2013 के अनुसार।

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक प्रगति 2013-14

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अथशेष (01.04.2013 तक)	आवंटन (प्रशासनिक व्यय सहित)			रिलीज			विविध प्राप्तियां
			केंद्रीय	राज्य	कुल	केंद्रीय	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19949.22	113374.34	37791.45	151165.79	61657.883	0.00	61657.88	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.063	4831.03	536.73	151165.79	2552.503	0.00	2552.50	0.51
3.	असम	13369.24	97521.24	10834.61	108355.85	43440.433	0.00	43440.43	2380.9714
4.	बिहार	22374.312	331160.54	110386.85	441547.39	165875.563	11518.18	177393.74	1556.335
5.	छत्तीसगढ़	1961.1237	26252.54	8750.85	35003.38	37714.230	2788.40	10502.63	593.834
6.	गोवा	282.52	761.99	254.00	1015.98	0.000	166.10	166.10	31.44
7.	गुजरात	29173.59	58997.09	19665.70	78662.79	22805.535	180.78	22986.31	213.079
8.	हरियाणा	879.763	9859.68	3286.56	13116.24	6061.284	655.32	6716.60	36.74
9.	हिमाचल प्रदेश	114.733	4139.24	1379.75	5518.98	2275.196	318.67	2593.87	11.468
10.	जम्मू और कश्मीर	155.12	9347.32	3115.77	12463.09	4716.755	0.00	4716.75	3.82
11.	झारखंड	20532.27	36724.52	12241.51	48966.02	20369.128	0.00	20369.13	40.931
12.	कर्नाटक	36403.76	48024.51	16008.17	64032.68	29303.625	25831.21	55134.84	0
13.	केरल	9197.123	25013.46	8337.82	33351.28	12584.598	2478.41	15063.01	1031.582
14.	मध्य प्रदेश	6085.509	61762.40	20587.47	62349.87	32092.056	3916.64	36008.69	236.882
15.	महाराष्ट्र	8606.246	75093.75	25031.25	100125.00	45905.365	3892.96	49798.33	1182.3
16.	मणिपुर	0	5633.39	625.87	6259.26	2356.142	0.00	2356.44	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	529.3144	9749.28	1083.14	10832.42	4866.619	0.00	4866.62	14.1264
18.	मिजोरम	2.335	2574.53	286.03	2660.56	1285.014	0.00	1285.01	3.5748
19.	नागालैंड	0	7340.45	815.52	8155.97	3664.090	0.00	366.09	0
20.	ओडिशा	13503.677	70031.18	23343.73	93374.91	62563.955	1879.85	61443.81	79.451
21.	पंजाब	1856.073	10681.36	3560.45	14241.81	0.000	0.00	0.00	10.715
22.	राजस्थान	17891.17	46736.14	15578.71	62314.86	28189517	3077.05	31266.57	0
23.	सिक्किम	0	1009.93	112.20	1122.13	528.525	0.00	528.53	
24.	तमिलनाडु	124.432	48363.67	1612122	61464.89	37420.225	3584.62	41004.84	129.37
25.	त्रिपुरा	0	9399.84	1044.32	10414.16	9914.391	0.00	9914.39	
26.	उत्तर प्रदेश	22788.496	162543.86	54181.29	216725.15	81277.058	9817.31	91094.40	2641.632
27.	उत्तराखंड	1221.907	8210.64	2736.88	10947.52	5484.308	381.19	5665.50	9.55
28.	पश्चिम बंगाल	10284.34	101496.87	33832.29	135329.16	44700.865	5387.33	50088.20	671.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	669.83	1517.64	0.00	1517.64	0.000	0.00	0.00	13.796
30.	दादरा और नगर हवेली	असूचित	305.70	0.00	305.70	0.000	0.00	0.00	0
31.	दमन और दीव	असूचित	118.18	0.00	118.18	0.000	0.00	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	असूचित	137.47	0.00	137.47	0.000	0.00	0.00	0
33.	पुदुचेरी	असूचित	776.61	0.00	776.61	0.000	0.00	0.00	0
	कुल	238260.17	1389490.38	431530.13	1825020.51	769605.16	75874.04	845479.20	10894.20

दिनांक 09.12.2013 को प्राप्त ऑनलाइन एमपीआर और 06.12.2013 तक के अनुसार केन्द्रीय रिलीज।

एनआर — असूचित

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक प्रगति 2013-14

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल उपलब्धता	निम्न पर उपयोग की गई निधि					उपयोग का %
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	81607.10	25510.83	13497.81	1952.94	18575.6	59537.18	72.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	2557.08	0	121.5	0	0	121.50	4.75
3.	असम	59190.64	3326.316	4999.779	6442.147	7618.609	22386.85	37.82
4.	बिहार	201324.39	61647.349	4273.16	22197.804	50211.58	118329.89	58.78
5.	छत्तीसगढ़	43057.59	1067.1345	5886.587	40.1585	926.8895	7920.77	18.40
6.	गोवा	480.06	9.8	31.7	19.5	384.63	415.63	92.83
7.	गुजरात	52672.98	876.773	8301.796	348.96	8027.029	17554.56	33.33
8.	हरियाणा	7633.11	3788.03	0	593.75	543.22	4925.05	64.52
9.	हिमाचल प्रदेश	2720.07	1397.386	270.515	44.15	78.906	2290.96	84.22
10.	जम्मू और कश्मीर	1875.69	0	2.39	0	5.53	7.92	0.16
11.	झारखंड	40942.33	3067.94	5297.081	1607.557	3051.941	13024.52	31.81
12.	कर्नाटक	91538.60	6426.74	3488.79	2544.31	5705.31	18165.18	19.84
13.	केरल	25291.71	4831.25	574.97	2301.66	3797.05	11504.93	45.49
14.	मध्य प्रदेश	42331.08	3612.586	7768.512	999.1285	3240.257	15620.48	36.90
15.	महाराष्ट्र	59586.87	2098.143	17029.679	2444.01	14637.25	36209.08	60.77
16.	मणिपुर	2356.85	0	105.425	0	0	105.43	4.47

1	2	11	12	13	14	15	16	17
17.	मेघालय	5450.06	401.926	3785.313	71.385	2.7	4262.82	78.79
18.	मिजोरम	1290.92	0	713.048	0	0	713.05	55.24
19.	नागालैंड	3664.09					असूचित	असूचित
20.	ओडिशा	78026.93	8155.01	13818.14	855.34	7568.5	30396.99	38.96
21.	पंजाब	1866.79	251.92	0	0	106.69	358.61	19.22
22.	राजस्थान	49157.74	6559.582	17331.856	662.675	7760.807	32314.92	65.74
23.	सिक्किम	528.53					असूचित	असूचित
24.	तमिलनाडु	41258.65	8371.549	492.185	1326.424	4117.158	14307.32	34.68
25.	त्रिपुरा	9914.39					0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	116524.53	28704.8585	1668.05	10981.8208	10419.445	51774.17	14.43
27.	उत्तराखंड	7096.95	1000.299	60.943	135.072	379.897	1576.21	22.21
28.	पश्चिम बंगाल	61044.28	6181.25	1795.93	3822.22	5440.44	17239.84	28.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	683.63	0	0	9.05	50.99	60.04	8.78
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00					असूचित	असूचित
31.	दमन और दीव	0.00					असूचित	असूचित
32.	लक्षद्वीप	0.00					असूचित	असूचित
33.	पुदुचेरी	0.00					असूचित	असूचित
	कुल	1094633.63	177787.72	111315.16	59400.56	132650.46	481153.90	43.96

दिनांक 09.12.2013 को प्राप्त ऑनलाइन एमपीआर और 06.12.2013 तक के अनुसार केन्द्रीय रिलीज।

एनआर — असूचित

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2010-2011

31.03.2011 तक स्थिति
संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष के वार्षिक लक्ष्य	वर्ष में स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान मकानों में से, के नाम पर आवंटित मकान		
			अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिलाएं	संयुक्त पति-पत्नी के नाम पर	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	257104	117973	59899	38208	41024	257104	257104	0	2534
2.	अरुणाचल प्रदेश	7726	0	10265	0	0	10265	3496	4229	200
3.	असम	170849	45432	54402	30239	46332	176455	69517	51926	4902
4.	बिहार	758904	477063	25977	155118	345004	1003162	690447	276277	17744
5.	छत्तीसगढ़	39759	7582	19115	1051	12476	40224	10046	30130	198
6.	गोवा	1584	43	714	109	1440	2306	1107	441	0
7.	गुजरात	126090	7737	86360	4167	79792	176136	140576	30850	117
8.	हरियाणा	17703	10864	0	2656	6157	19677	9653	7707	297
9.	हिमाचल प्रदेश	5793	2793	454	243	2376	5871	1830	2854	106
10.	जम्मू और कश्मीर	17995	2770	9733	320	11955	24776	4522	6556	194
11.	झारखंड	167691	38666	69143	22289	42489	172587	103588	24132	2775
12.	कर्नाटक	99055	32954	16059	11857	42570	103440	97224	0	2678
13.	केरल	55084	21130	4508	9935	17425	52998	39236	10829	975
14.	मध्य प्रदेश	79073	18552	27471	4774	20470	71267	23403	33851	866
15.	महाराष्ट्र	155052	36049	43848	17017	58653	157567	22733	117302	1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	6707	83	2178	481	1192	3934	1904	1398	95
17.	मेघालय	11681	10	12860	58	62	12990	4162	5005	200
18.	मिजोरम	2489	0	4916	0	0	4916	1677	1456	550
19.	नागालैंड	7730	0	16175	0	0	16176	182	15508	485
20.	ओडिशा	149100	57093	41881	8298	58057	165329	72798	99669	1311
21.	पंजाब	21393	17077	0	1935	4211	23223	12277	8645	283
22.	राजस्थान	63362	31083	13772	9048	21605	75506	52642	19907	1164
23.	सिक्किम	1173	345	670	1015	709	2739	1230	380	64
24.	तमिलनाडु	102939	58313	2799	13053	28543	103008	59017	42955	2742
25.	त्रिपुरा	15050	3054	11267	2036	3887	20254	7143	11439	510
26.	उत्तर प्रदेश	340868	170586	2176	39920	122297	334979	225374	10727	4419
27.	उत्तराखंड	15856	4330	1534	2862	8032	16778	13232	1559	44
28.	पश्चिम बंगाल	205671	79675	22331	49965	43934	195955	103715	75005	2896
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2446	0	0	49	391	440	70	132	3
30.	दादरा और नगर हवेली	407	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	182	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	158	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1218	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2908697	1243327	560577	426778	1021383	3252065	2030010	891199	49078
क.	उ.पू. राज्य	233710	46934	112733	33879	62182	247728	89361	91341	6511
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	2684987	1194393	447844	392899	969201	3004337	1940649	799858	43165
	कुल	2905697	1243327	560577	426778	1021383	3252065	2030010	891199	49676

झारखंड को संशोधित अनुमान स्तर पर 1 लाख अतिरिक्त मकानों की मंजूरी दी गई थी।

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2010-2011

31.03.2011 तक स्थिति
संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्माणाधीन मकान			पूरे किए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का %	रिपोर्टिंग माह
		पिछले व चालू वर्ष के दौरान	पिछले वर्ष के पूर्व में स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचति जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	117973	59899	38208	41024	267104	100.00	मार्च, 11
2.	अरुणाचल प्रदेश	636	17	653	0	9915	0	0	9915	128.33	मार्च, 11
3.	असम	102904	503	103407	40864	43646	27445	44756	156911	91.84	मार्च, 11
4.	बिहार	998080	313319	1311399	264515	11392	89444	200797	566143	74.60	मार्च, 11
5.	छत्तीसगढ़	27578	12705	40283	7747	32177	991	17504	58419	146.93	मार्च, 11
6.	गोवा	2059	1940	3999	19	85	24	539	667	42.11	मार्च, 11
7.	गुजरात	77607	7650	85257	9247	74930	4977	76559	167313	132.69	मार्च, 11
8.	हरियाणा	3745	3	3748	9959	0	2276	5355	18090	102.19	मार्च, 11
9.	हिमाचल प्रदेश	1202	84	1286	2699	432	310	2393	5834	100.71	मार्च, 11
10.	जम्मू और कश्मीर	11813	2290	14103	2464	6622	290	10290	19666	109.29	मार्च, 11
11.	झारखंड	215698	34938	250636	37566	56921	16618	35717	146822	87.56	मार्च, 11
12.	कर्नाटक	38727	16212	54939	35468	16128	11489	32482	95567	96.48	मार्च, 11
13.	केरल	43128	3878	47006	23595	2952	10714	17592	54653	99.58	मार्च, 11
14.	मध्य प्रदेश	34625	7096	41721	22210	27936	3772	25179	79097	100.03	मार्च, 11
15.	महाराष्ट्र	45365	8128	53493	37651	43939	15947	59038	156575	100.98	मार्च, 11
16.	मणिपुर	1862	66	1928	92	2764	483	1343	4682	69.81	मार्च, 11

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	मेघालय	8676	960	9636	10	11309	58	62	11439	97.93	मार्च, 11
18.	मिजोरम	0	0	0	0	3517	0	0	3517	141.30	मार्च, 11
19.	नागालैंड	661	0	661	0	15514	0	0	15514	200.70	मार्च, 11
20.	ओडिशा	22573	2766	125341	56917	45940	7391	60975	171223	114.84	मार्च, 11
21.	पंजाब	5724	135	5659	15214	0	1678	3591	20483	93.56	मार्च, 11
22.	राजस्थान	29922	4487	34409	25800	12243	7471	17833	63347	99.98	मार्च, 11
23.	सिक्किम	0	0	0	345	670	1015	709	2739	185.32	मार्च, 11
24.	तमिलनाडु	6683	0	6633	64796	2446	12027	26987	96256	93.51	मार्च, 11
25.	त्रिपुरा	10018	0	10018	2023	5936	1490	2811	12310	81.79	मार्च, 11
26.	उत्तर प्रदेश	35438	81	35519	156058	1849	37512	109957	305376	89.59	मार्च, 11
27.	उत्तराखंड	3352	25	3377	4340	997	3084	7503	15924	100.43	मार्च, 11
28.	पश्चिम बंगाल	127010	2086	129096	68202	21113	44783	41729	176632	86.95	मार्च, 11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	664	453	1317	0	0	67	249	316	12.92	मार्च, 11
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
	कुल	1955950	419324	2375774	996774	514522	339569	845074	2894939	92.85	
क.	उ.पू. राज्य	124757	1548	126303	43334	93521	30491	49681	217027	97.01	
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	1831193	419278	2249471	052440	421001	309078	795393	2477912	92.29	
	कुल	1955950	419824	2375774	995774	514522	339569	845074	2694939	92.65	

झारखंड को संशोधित अनुमान स्तर पर 1 लाख अतिरिक्त मकानों की मंजूरी दी गई थी।

इंदिरा आवास योजना
राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां
2011-2012

31.03.2012 तक स्थिति
संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष के वार्षिक लक्ष्य	वर्ष में स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान मकानों में से, के नाम पर आवंटित मकान		
			अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिलाएं	संयुक्त पति-पत्नी के नाम पर	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	249013	100461	49171	36139	78327	264098	249013	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	7548	0	1616	0	0	1616	403	1051	12
3.	असम	166913	42234	50939	29154	56703	179030	72606	61065	4007
4.	बिहार	737486	361608	18826	162653	444549	985636	798340	135174	13767
5.	छत्तीसगढ़	37466	8641	43938	474	14337	66390	6905	32502	412
6.	गोवा	1547	30	876	277	1460	2643	1673	67	0
7.	गुजरात	123168	4001	84682	1386	33705	123774	91468	31935	85
8.	हरियाणा	17293	10045	0	2699	6313	19057	9166	7373	397
9.	हिमाचल प्रदेश	5659	2735	528	200	2213	5676	1876	2393	99
10.	जम्मू और कश्मीर	17578	469	5036	228	5263	11001	1517	1553	62
11.	झारखंड	63477	14511	25517	8507	16268	64903	42458	8393	948
12.	कर्नाटक	96760	70862	29778	24304	49468	174412	168440	0	6256
13.	केरल	53808	24877	3777	14903	23759	67116	52059	12120	1284
14.	मध्य प्रदेश	76135	37111	49901	8286	39366	134664	36748	59344	1420
15.	महाराष्ट्र	151063	33907	54812	12455	52672	153846	21813	99269	1075
16.	मणिपुर	6552	10	4969	70	90	5139	2690	2283	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	11412	685	12458	190	78	13412	5788	7059	219
18.	मिजोरम	2432	0	3177	0	0	3177	1861	1259	107
19.	नागालैंड	7552	0	11332	0	0	11332	134	10853	340
20.	ओडिशा	142082	47497	31553	6333	46024	131407	34994	88596	1127
21.	पंजाब	21336	14705	0	1150	3121	18976	7537	9271	285
22.	राजस्थान	61694	60638	33113	13260	58906	166147	120242	38468	1060
23.	सिक्किम	1444	268	433	721	723	2165	1169	435	66
24.	तमिलनाडु	100553	54662	3889	12685	28182	99628	59705	37261	2932
25.	त्रिपुरा	14704	3433	22653	1395	4914	32395	66.45	13715	615
26.	उत्तर प्रदेश	332804	155072	3109	35667	120718	314566	209710	5104	3763
27.	उत्तराखंड	15468	4090	935	2673	8274	15972	12651	1516	39
28.	पश्चिम बंगाल	199176	84796	21813	39680	48762	194851	96877	62968	3190
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2383	0	0	46	410	459	87	247	2
30.	दादरा और नगर हवेली	398	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	178	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	154	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1190	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2726702	1138568	666632	415675	1145110	3265985	2114575	731320	43693
क.	उ.पू. राज्य	218557	46650	107578	31530	62503	248266	91296	97725	5490
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	2503146	1091918	459054	384146	1082602	3017719	2023279	633595	38203
	कुल	2726702	1138568	566832	415675	1145110	3266985	2114575	731320	43693

—जारी

इंदिरा आवास योजना
राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां
2011-2012

31.03.2012 तक स्थिति
संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्माणाधीन मकान			पूरे किए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का %	रिपोर्टिंग माह
		पिछले व चालू वर्ष के दौरान	पिछले वर्ष के पूर्व में स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचति जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	93394	49171	28121	78327	249013	100.00	मार्च, 12
2.	अरुणाचल प्रदेश	252	0	252	0	1400	0	0	1400	18.55	मार्च, 12
3.	असम	97441	5641	103082	32901	43136	25135	42598	143770	86.13	मार्च, 12
4.	बिहार	1146509	378028	1524537	200319	7836	30694	161036	469885	63.71	मार्च, 12
5.	छत्तीसगढ़	48061	3744	51805	8772	19764	527	43422	77485	206.81	मार्च, 12
6.	गोवा	3790	2597	6387	28	283	34	742	1067	70.27	मार्च, 12
7.	गुजरात	82888	3867	86755	4208	65429	1959	40403	111999	90.93	मार्च, 12
8.	हरियाणा	3884	506	4390	3821	0	2338	5123	17282	99.94	मार्च, 12
9.	हिमाचल प्रदेश	313	54	367	2864	570	243	2342	6019	106.36	मार्च, 12
10.	जम्मू और कश्मीर	6463	659	7122	362	3476	138	5066	9042	51.44	मार्च, 12
11.	झारखंड	113824	38124	156948	22421	37441	12288	45193	117343	184.86	मार्च, 12
12.	कर्नाटक	61398	45540	106938	8556	4736	4080	9593	26965	27.87	मार्च, 12
13.	केरल	53951	5435	59386	22023	2748	11542	18185	54499	101.28	मार्च, 12
14.	मध्य प्रदेश	85688	8980	94668	28957	33802	5522	30166	98447	129.31	मार्च, 12
15.	महाराष्ट्र	50505	8196	58701	30960	49727	11088	49684	141479	93.66	मार्च, 12
16.	मणिपुर	4279	270	4549	3	2713	49	191	2956	45.12	मार्च, 12

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	मेघालय	1683	143	1826	685	12194	190	78	13147	115.20	मार्च, 12
18.	मिजोरम	101	0	101	0	3227	0	0	3227	132.69	मार्च, 12
19.	नागालैंड	0	0	0	0	13362	0	0	13362	176.93	मार्च, 12
20.	ओडिशा	115908	1746	117654	48314	33691	6835	52558	141398	99.52	मार्च, 12
21.	पंजाब	7276	144	7420	12831	0	1013	2778	16622	77.72	मार्च, 12
22.	राजस्थान	59803	4159	63967	47033	24435	11133	43035	125642	203.00	मार्च, 12
23.	सिक्किम	0	0	0	283	464	347	711	1805	125.00	मार्च, 12
24.	तमिलनाडु	58147	8398	66546	49613	3556	11769	26673	91631	91.13	मार्च, 12
25.	त्रिपुरा	10559	82	10641	2936	17425	1261	4907	26529	180.42	मार्च, 12
26.	उत्तर प्रदेश	35326	1301	36627	152903	2453	33163	118467	307012	82.25	मार्च, 12
27.	उत्तराखंड	4434	78	4512	4360	1408	2048	7757	15573	100.55	मार्च, 12
28.	पश्चिम बंगाल	115225	4660	120085	75760	22325	41248	46891	186224	83.50	मार्च, 12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	672	523	1195	0	0	142	436	578	24.19	मार्च, 12
20.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
21.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
22.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
23.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	असूचित
	कुल	2173385	523076	2696461	660327	456779	292953	861362	2471421	90.64	
क.	उ.पू. राज्य	114115	6136	120451	36808	93921	26982	48486	206196	94.34	
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	2059070	516940	2576010	823519	362858	265971	812877	2265225	90.31	
	कुल	2173385	523076	2696461	860327	466779	2929583	861362	2471421	90.64	

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2012-2013

संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष के वार्षिक लक्ष्य	वर्ष में स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान मकानों में से, के नाम पर आवंटित मकान		
			अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिलाएं	संयुक्त पति-पत्नी के नाम पर	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	270399	99971	69953	39216	63212	277354	270399	0	10371
2.	अरुणाचल प्रदेश	8339	0	1887	0	56	1913	63	1838	17
3.	असम	184408	44563	51545	31176	55120	182404	54526	56057	3957
4.	बिहार	816305	325578	18507	126964	277463	750512	539732	175550	11851
5.	छत्तीसगढ़	41511	9228	38021	519	15851	63619	16065	42105	337
6.	गोवा	1714	2	22	0	14	38	38	0	0
7.	गुजरात	136470	4195	67564	2042	34721	108542	96303	8717	81
8.	हरियाणा	19153	10494	0	2809	5639	18942	9485	7191	333
9.	हिमाचल प्रदेश	6271	3331	623	254	3280	6468	3146	2442	112
10.	जम्मू और कश्मीर	19478	1853	3385	409	4538	9985	1363	3617	57
11.	झारखंड	89503	34317	42963	14346	28788	110414	63829	25471	1937
12.	कर्नाटक	107210	57321	25761	20541	54615	158438	142716	0	4238
13.	केरल	59620	25534	3328	10712	16190	55761	43311	3372	951
14.	मध्य प्रदेश	84358	22185	35960	5548	24439	88182	24593	37974	1762
15.	महाराष्ट्र	167379	16936	63361	9956	83626	173879	22331	124565	630
16.	मणिपुर	7236	177	2541	112	441	3271	1037	1999	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	12608	63	11820	723	626	13232	8101	5012	269
18.	मिजोरम	2887	0	2324	0	0	2324	1062	1207	28
19.	नागालैंड	8343	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	155363	53194	39717	6208	58394	157513	42473	110479	1798
21.	पंजाब	23696	2914	0	123	779	3816	1733	2411	88
22.	राजस्थान	68578	20898	17081	3950	37126	79055	51699	12242	198
23.	सिक्किम	1598	319	476	301	498	1596	987	423	15
24.	तमिलनाडु	111410	64521	3034	12566	34530	114673	66407	39145	3002
25.	त्रिपुरा	16245	0	1628	0	0	1628	665	943	49
26.	उत्तर प्रदेश	368323	131604	1872	37286	90595	251357	156247	7718	2409
27.	उत्तराखंड	17162	3762	873	1969	7263	13387	11301	1124	49
28.	पश्चिम बंगाल	219553	79111	18824	45103	41457	184495	94722	68099	2548
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2646	0	0	46	201	247	65	75	1
30.	दादरा और नगर हवेली	441	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	197	0	0	0	2	2	1	1	0
32.	लक्षद्वीप	171	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1318	0	0	0	6	0	0	0	0
	कुल	3009700	1001871	523058	364903	943695	2833527	1723185	742967	47773
क.	उ.पू. राज्य	241464	45122	72193	32312	56741	206368	64536	67469	4440
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	2768336	956749	450865	332591	886954	2627159	1658649	675498	43333
	कुल	30097110	1001871	523058	364903	943695	2833527	1723185	742967	47773

नोट: दिनांक 28.6.2013 की स्थिति के अनुसार ऑन लाइन एमपीआर के द्वारा प्राप्त।

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2012-2013

संख्या इकाई में

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्माणाधीन मकान			पूरे किए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का %
		पिछले व चालू वर्ष के दौरान	पिछले वर्ष के पूर्व में स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचति जनजाति (एसटी)	अल्प संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	26409	0	26409	97532	50566	34634	66213	250945	92.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	651	0	651	0	1555	0	56	1511	19.32
3.	असम	136524	9162	145686	34341	25604	20502	34278	104735	56.79
4.	बिहार	1271937	575704	1647641	254632	12625	107329	344991	619577	75.90
5.	छत्तीसगढ़	65093	8840	73933	4142	16292	279	7631	28344	68.28
6.	गोवा	38	1879	1917	3	18	3	4	28	1.63
7.	गुजरात	114163	14321	128484	2650	42980	961	33948	69539	50.96
8.	हरियाणा	7641	123	7764	7033	0	2024	3717	12764	68.61
9.	हिमाचल प्रदेश	269	0	269	3254	503	250	2276	6283	100.19
10.	जम्मू और कश्मीर	6354	2369	8733	1042	1912	85	2853	5892	30.25
11.	झारखंड	137437	34003	161440	15779	23901	8131	16753	64569	93.90
12.	कर्नाटक	156665	40692	197377	40011	18103	15496	36313	109923	102.63
13.	केरल	62991	8012	71003	15904	2105	9917	15681	43607	73.14
14.	मध्य प्रदेश	64885	21226	86081	38609	37055	5090	39796	100552	119.20
15.	महाराष्ट्र	7066	18961	89627	15309	55980	7115	61489	139893	83.58
16.	मणिपुर	1078	915	1963	136	3929	63	437	4555	62.93

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	मेघालय	6580	119	8699	63	4485	433	375	5356	42.48
18.	मिजोरम	16	8	24	0	2306	0	0	2308	85.90
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20.	ओडिशा	127627	5546	133173	43653	27295	4761	51448	136157	81.20
21.	पंजाब	4933	360	5293	4827	0	131	923	5861	24.82
22.	राजस्थान	59576	7111	65687	27939	19230	5071	31732	84022	122.52
23.	सिक्किम	0	0	0	282	423	301	404	1410	88.35
24.	तमिलनाडु	67373	9734	97107	23255	650	4551	14223	42679	38.31
25.	त्रिपुरा	0	1626	1626	0	0	0	0	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	101831	1012	102843	84359	1529	17456	59945	163301	44.34
27.	उत्तराखंड	3612	33	3645	3353	737	2348	7362	13790	80.35
28.	पश्चिम बंगाल	124976	6720	131696	59627	18736	47637	44909	170909	77.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	489	512	1001	0	0	63	352	415	15.68
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31.	दमन और दीव	1	0	2	0	0	0	2	2	1.02
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	कुल	2631806	768990	3400796	756725	368511	294643	759158	2179037	72.40
क.	उ.पू. राज्य	146848	11832	158681	24822	38304	21299	35640	119966	49.68
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	2484887	757158	3242115	731903	336207	273344	723618	2059072	74.38
	कुल	2631806	768990	3400796	766725	368511	204643	759158	2179037	72.40

नोट: दिनांक 28.6.2013 की स्थिति के अनुसार ऑन लाइन एमपीआर के द्वारा प्राप्त।

विवरण-II(क)

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2010-2011

31.03.2011 तक स्थिति
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जिलों की संख्या	1.4.2010 तक प्रारंभिक शेष (एससी)	आवंटन			निधियों की रिलीज			राज्यों द्वारा दी गई राज्य अंश की रिपोर्ट
				केन्द्रीय आवंटन (सीए)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	कुल	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	कुल कॉलम 8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22	875.36	86772.58	28924.20	115696.78	87366.08	29122.03	116488.11	14462.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	1089.59	3372.56	374.72	3747.28	3784.31	420.48	4204.79	43.59
3.	असम	27	23252.74	74575.72	8286.18	82861.90	71031.77	7892.42	78924.19	7281.88
4.	बिहार	38	199833.83	256130.00	85376.67	341506.67	22605894	75352.98	301411.92	77578.71
5.	छत्तीसगढ़	18	4399.28	13418.67	4472.89	17891.56	13279.76	4426.59	17706.35	4141.69
6.	गोवा	2	264.83	534.46	178.15	712.61	517.43	172.48	689.91	213.70
7.	गुजरात	26	26085.11	42555.24	14185.08	56740.32	51934.99	17311.66	69246.65	13274.91
8.	हरियाणा	21	446.62	5974.79	1991.60	7966.39	5974.80	1991.60	7966.40	1720.97
9.	हिमाचल प्रदेश	12	207.35	2107.33	702.44	2809.77	2143.04	714.35	2857.39	546.37
10.	जम्मू और कश्मीर	22	920.73	6545.51	2181.84	8727.35	6643.35	2214.45	8857.80	1251.46
11.	झारखंड	24	28500.86	56595.67	18865.22	75460.89	55864.20	18621.40	74485.60	17731.89
12.	कर्नाटक	29	25463.40	33431.11	11143.70	44574.81	38798.37	12932.79	51731.16	16094.48
13.	केरल	14	12599.03	18590.80	6196.94	24787.74	18590.80	6196.94	24787.74	6196.94
14.	मध्य प्रदेश	48	1269.93	26687.27	8895.75	35583.02	44223.47	14741.16	58964.63	7674.20
15.	महाराष्ट्र	33	11912.89	52329.94	17443.31	69773.25	52313.82	17437.94	69751.76	58329.98
16.	मणिपुर	9	442.64	2927.55	325.28	3252.83	2541.31	282.37	2823.68	110.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	7	384.27	5098.75	566.52	5665.27	5572.45	619.16	6191.61	432.01
18.	मिजोरम	8	3.37	1086.60	120.73	1207.33	1335.55	148.40	1483.95	113.29
19.	नागालैंड	11	164.98	3374.01	374.89	3748.90	4455.68	495.08	4950.76	374.00
20.	ओडिशा	30	27530.25	50321.27	16773.76	67095.03	47573.66	15857.89	63431.55	13981.60
21.	पंजाब	20	2567.16	7389.05	2463.02	9852.07	6358.58	2119.53	8478.11	1554.98
22.	राजस्थान	33	12786.08	21384.64	7128.21	28512.85	37422.23	12474.08	49896.31	6534.73
23.	सिक्किम	1	206.17	645.29	71.70	716.99	852.161	94.69	946.85	72.71
24.	तमिलनाडु	31	559.50	34741.77	11580.59	46322.36	34801.21	11600.40	46401.61	11693.79
25.	त्रिपुरा	4	1730.33	6569.52	729.95	7299.47	10826.77	1202.97	12029.74	821.91
26.	उत्तर प्रदेश	71	4269.43	115043.10	38347.70	153390.80	114990.42	38330.14	153320.56	25845.13
27.	उत्तराखंड	13	1420.75	5767.56	1922.52	7690.08	5395.01	1798.34	7193.35	1992.12
28.	पश्चिम बंगाल	19	42434.05	69414.01	23138.00	92552.01	63014.36	21004.79	84019.15	19792.81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	559.89	1100.55	0.00	1100.55	77.09	0.00	77.09	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1	0.00	163.37	0.00	183.37	91.69	0.00	91.69	0.00
31.	दमन और दीव	1	0.00	82.03	0.00	82.03	41.02	0.00	41.02	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	0.00	71.12	0.00	71.12	71.12	0.00	71.12	0.00
33.	पुदुचेरी	1	0.00	548.16	0.00	548.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	614	432180.42	1005370.00	312761.56	1318131.56	1013945.4	315577.11	1329522.55	309862.22
क.	उ.पू. राज्य	83	27274.09	97650.00	10849.97	108499.97	100400.00	11155.57	111555.57	9249.66
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	531	404906.33	907720.00	301911.59	1209631.59	913545.40	304421.54	1217966.98	300612.56
	कुल	614	432180.42	1005370.00	312761.56	1318131.56	1013945.40	315577.11	1329522.55	309862.22

नोट: (i) संशोधित अनुमान स्तर पर झारखंड को अतिरिक्त 33750.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।

(ii) मंत्रालय ने 1013945.40 लाख रुपए की केन्द्रीय रिलीज के अतिरिक्त भूमि स्तर की खरीददारी के लिए 1899.60 लाख रुपए रिलीज किए।

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2010-2011

31.03.2011 तक स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विविध प्राप्तियां/ ब्याज इत्यादि	कुल उपलब्ध निधि (टीएएफ) कॉलम 4+10+12	निम्न पर उपयोग की गई					टीएएफ पर उपयोग का %	रिपोर्टिंग माह
				अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	117363.47	5288350	27435.15	16744.64	16437.86	113480.85	96.69	मार्च, 11
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.54	5314.92	0.00	3821.79	0.00	0.00	3821.79	71.91	मार्च, 11
3.	असम	22253.03	124429.96	22993.38	26210.20	17066.58	27061.78	93331.94	75.01	मार्च, 11
4.	बिहार	1422.42	502668.17	151113.59	6596.85	47167.24	127606.10	032433.70	66.14	मार्च, 11
5.	छत्तीसगढ़	571.62	22677.25	3288.93	10381.49	383.30	5577.02	19630.74	86.57	मार्च, 11
6.	गोवा	50.65	1005.39	11.05	236.03	26.05	530.32	803.45	79.91	मार्च, 11
7.	गुजरात	163.68	95495.44	3445.66	36009.85	1989.24	32804.94	74249.69	77.75	मार्च, 11
8.	हरियाणा	66.23	8479.25	4674.12	0.00	1084.81	2467.39	8226.32	97.02	मार्च, 11
9.	हिमाचल प्रदेश	60.06	3124.80	1369.58	216.90	125.21	1213.78	2925.47	93.62	मार्च, 11
10.	जम्मू और कश्मीर	49.52	9828.05	918.37	1778.80	75.04	2603.56	5375.77	54.70	मार्च, 11
11.	झारखंड	207.99	103194.45	15383.26	27551.40	8475.56	17946.81	69357.03	67.21	मार्च, 11
12.	कर्नाटक	0.00	77194.56	16541.79	8191.51	5193.11	18322.93	48249.34	62.50	मार्च, 11
13.	केरल	28.81	37415.58	9507.65	1858.71	4235.74	8156.53	23758.63	63.50	मार्च, 11
14.	मध्य प्रदेश	239.40	60473.96	8481.73	12300.22	1957.84	9678.21	32418.00	53.61	मार्च, 11
15.	महाराष्ट्र	3910.96	85575.61	25300.22	29645.34	10589.09	40399.95	105934.60	123.79	मार्च, 11
16.	मणिपुर	5.68	3272.00	32.57	747.26	191.08	479.14	1450.05	44.32	मार्च, 11

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	मेघालय	24.37	6600.25	4.85	5342.02	28.13	29.88	5404.88	81.89	मार्च, 11
18.	मिजोरम	7.06	1494.38	1.00	1340.29	1.00	1.00	1343.29	89.89	मार्च, 11
19.	नागालैंड	0.00	5115.74	0.00	5081.19	0.00	0.00	5081.19	99.32	मार्च, 11
20.	ओडिशा	502.11	91463.91	23503.62	17758.93	3389.56	24449.84	69101.95	75.55	मार्च, 11
21.	पंजाब	833.15	11878.42	5590.82	0.00	639.19	1411.12	7641.13	64.33	मार्च, 11
22.	राजस्थान	251.71	62934.10	15854.08	7236.49	4152.02	10400.46	37643.05	59.81	मार्च, 11
23.	सिक्किम	5.08	1158.10	167.32	324.95	492.27	343.86	1328.40	114.71	मार्च, 11
24.	तमिलनाडु	276.46	47237.57	25014.22	974.06	4746.78	13337.33	44072.39	93.30	मार्च, 11
25.	त्रिपुरा	24.60	13784.67	1529.84	4275.67	985.82	1830.58	8621.91	62.55	मार्च, 11
26.	उत्तर प्रदेश	1869.23	159459.22	74744.30	932.12	17906.56	54250.02	147833.00	92.71	मार्च, 11
27.	उत्तराखंड	155.64	8769.74	2023.78	637.79	1381.74	4021.59	8064.90	91.96	मार्च, 11
28.	पश्चिम बंगाल	871.75	127324.95	30513.75	10544.93	20167.03	18456.92	79582.63	62.58	मार्च, 11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91.20	728.18	0.00	0.00	33.07	201.76	234.83	32.25	मार्च, 11
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
31.	दमन और दीव	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
32.	लक्षद्वीप	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
33.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	असूचित
	कुल	33962.95	1795665.9	494872.68	247429.94	169227.70	440020.68	1351551.00	75.27	
क.	उ.पू. राज्य	22340.36	161170.02	24728.96	47143.37	18764.88	29746.24	120383.45	74.69	
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	11622.59	1634495.88	470143.72	200286.57	150462.82	410274.44	1231167.55	75.32	
	कुल	33962.95	1795665.9	494872.68	247429.94	169227.70	440020.68	1351551.00	75.27	

नोट: (i) संशोधित अनुमान स्तर पर झारखंड को अतिरिक्त 33750.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।

(ii) मंत्रालय ने 1013945.40 लाख रुपए की केन्द्रीय रिलीज के अतिरिक्त भूमि स्तर की खरीददारी के लिए 1899.60 लाख रुपए रिलीज किए।

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2011-2012

31.03.2011 तक स्थिति
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जिलों की संख्या	1.4.2010 तक प्रारंभिक शेष (एससी)	आवंटन			निधियों की रिलीज			राज्यों द्वारा दी गई राज्य अंश की रिपोर्ट
				केन्द्रीय आवंटन (सीए)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	कुल	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	कुल कॉलम 8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22	3090.84	84762.05	28254.00	113016.05	89237.169	29745.72	118982.89	28254.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	220.40	3294.85	366.10	3660.95	3197.949	355.33	3553.28	64.34
3.	असम	27	39007.83	72857.40	8095.25	80952.65	76768.361	8529.82	85298.18	4019.40
4.	बिहार	38	230340.62	250195.44	83398.47	333593.91	217691.100	72563.70	290254.80	39666.66
5.	छत्तीसगढ़	18	7338.78	13107.75	4369.24	17476.99	25387.097	8462.36	33849.46	12107.34
6.	गोवा	2	291.84	522.07	174.02	696.09	545.200	181.73	726.93	698.71
7.	गुजरात	26	89544.30	41569.23	13856.41	55425.64	38069.291	12689.76	50759.05	15798.05
8.	हरियाणा	21	499.45	5836.35	1945.45	7781.80	6045.434	2015.14	8060.57	1271.87
9.	हिमाचल प्रदेश	12	301.05	2058.51	686.17	2744.68	2118.672	706.22	2824.89	452.56
10.	जम्मू और कश्मीर	22	896.67	6393.85	2131.29	8525.14	5830.043	1943.35	7773.39	398.10
11.	झारखंड	24	42722.58	22316.33	7438.78	29755.11	21816.657	7272.22	29088.88	4095.38
12.	कर्नाटक	29	48544.57	32656.50	10885.50	43542.00	29895.677	9965.22	39860.90	14448.27
13.	केरल	14	8584.85	18160.05	6053.35	24213.40	18964.620	6321.54	25286.16	5822.23
14.	मध्य प्रदेश	50	4172.36	26068.92	8689.64	34758.56	43588.240	14529.41	58117.65	6587.15
15.	महाराष्ट्र	33	5006.09	51117.44	17039.15	68156.59	53881.901	17960.63	71842.53	25126.34
16.	मणिपुर	9	433.53	2860.10	317.79	3177.89	2362.857	262.54	2625.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	7	694.27	4981.27	553.48	5534.75	5513.122	612.57	6125.69	380.77
18.	मिजोरम	8	5.03	1061.56	117.95	1179.51	1108.600	123.18	1231.78	122.35
19.	नागालैंड	11	1260.64	3296.27	366.25	3662.52	3442.320	382.48	3824.80	183.13
20.	ओडिशा	30	18729.66	49155.32	16385.11	65540.43	62730.576	20910.19	83640.77	10828.54
21.	पंजाब	20	5263.40	7217.84	2405.94	9623.78	2175.071	725.03	2900.10	526.00
22.	राजस्थान	33	32941.23	20889.15	6963.05	27852.20	39472.876	13157.62	52630.50	9587.22
23.	सिक्किम	1	202.79	630.42	70.05	700.47	501.535	55.73	557.27	25.00
24.	तमिलनाडु	31	2416.80	33936.80	11312.27	45249.07	35173.294	11724.43	46897.72	12877.72
25.	त्रिपुरा	4	1561.11	6418.13	713.13	7131.26	11530.633	1281.18	12811.81	565.96
26.	उत्तर प्रदेश	71	6086.51	112377.53	37459.18	149836.71	115805.740	38601.91	154407.65	38224.51
27.	उत्तराखंड	13	1369.07	5633.93	1877.98	7511.91	5827.079	1942.36	7769.44	2053.57
28.	पश्चिम बंगाल	19	47528.37	67805.68	22601.89	90407.57	67609.087	22536.36	90145.45	16040.13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	421.35	1075.04	0.00	1076.04	98.040	0.00	98.04	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1	0.00	179.12	0.00	179.12	89.560	0.00	89.56	0.00
31.	दमन और दीव	1	0.00	80.17	0.00	80.17	0.000	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	0.00	69.47	0.00	69.47	0.000	0.00	0.00	0.00
33.	पुदुचेरी	1	0.00	535.46	0.00	535.46	0.000	0.00	0.00	0.00
	कुल	618	599475.99	949120.00	294526.89	1243646.89	986477.80	305557.73	1292035.54	250225.30
क.	उ.पू. राज्य	83	43385.60	95400.00	10600.00	106000.00	104425.38	11602.83	116028.21	5360.96
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	535	556090.39	853720.00	283926.89	1137646.89	882052.42	293954.90	1176007.33	244864.35
	कुल	618	599475.99	949120.00	294526.89	1243646.89	986477.80	305557.73	1292035.54	250225.30

—जारी

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2011-2012

31.03.2011 तक स्थिति
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विविध प्राप्तियां/ ब्याज इत्यादि	कुल उपलब्ध निधि (टीएएफ) कॉलम 4+10+12	निम्न पर उपयोग की गई					टीएएफ पर उपयोग का %	रिपोर्टिंग माह
				अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	122073.73	42248 78	22482.87	12616.40	33952.53	111300.65	91.17	मार्च, 12
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.40	3797.08	0.00	580.45	0.00	0.00	580.45	15.29	मार्च, 12
3.	असम	9346.16	133652.17	20446.61	25271.48	16268.66	29586.94	91573.69	68.52	मार्च, 12
4.	बिहार	1630.94	522226.36	9640.94	3163.61	44458.62	129594.90	273858.07	52.44	मार्च, 12
5.	छत्तीसगढ़	192.30	41380.54	3862.36	12625.60	211.14	17924.47	34623.57	83.67	मार्च, 12
6.	गोवा	4.76	1023.53	19.40	308.75	99.77	755.72	1183.64	115.64	मार्च, 12
7.	गुजरात	114.56	140417.91	2249.77	32252.06	1114.49	22268.28	57884.60	41.22	मार्च, 12
8.	हरियाणा	73.95	8633.97	4754.43	0.00	1170.74	2238.03	8163.20	94.55	मार्च, 12
9.	हिमाचल प्रदेश	28.37	3154.31	1335.80	234.37	100.32	1094.82	2765.31	87.67	मार्च, 12
10.	जम्मू और कश्मीर	3.25	8673.31	201.12	1099.86	33.96	1256.52	2591.46	29.88	मार्च, 12
11.	झारखंड	72.66	71884.12	12174.61	19520.83	6366.96	13536.78	51599.18	71.78	मार्च, 12
12.	कर्नाटक	0.00	88405.47	12085.64	5293.36	4665.26	8223.20	30267.46	34.24	मार्च, 12
13.	केरल	104.44	33975.45	9591.04	1659.42	5360.31	9507.65	26418.42	77.76	मार्च, 12
14.	मध्य प्रदेश	531.31	62821.32	18766.00	25104.85	4105.97	20270.84	68247.66	108.64	मार्च, 12
15.	महाराष्ट्र	2910.93	79759.55	20909.81	30766.83	7863.13	30953.81	90493.58	113.46	मार्च, 12
16.	मणिपुर	11.53	3070.46	33.53	1261.96	95.33	168.17	1558.99	50.77	मार्च, 12

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	मेघालय	47.80	6867.76	332.23	6610.60	92.15	37.83	7072.81	102.99	मार्च, 12
18.	मिजोरम	9.78	1246.59	0.00	1261.26	0.00	0.00	1261.26	101.18	मार्च, 12
19.	नागालैंड	0.00	5085.44	0.00	4740.04	0.00	0.00	4740.04	93.21	मार्च, 12
20.	ओडिशा	3198.39	105568.82	22374.03	16066.67	2471.44	21975.44	62887.58	59.57	मार्च, 12
21.	पंजाब	577.64	8741.14	4851.95	0.00	377.03	1045.40	6274.38	71.78	मार्च, 12
22.	राजस्थान	283.86	85855.59	22650.66	12039.73	5208.06	20650.92	60449.37	70.41	मार्च, 12
23.	सिक्किम	20.05	780.11	204.82	256.03	176.40	386.89	1024.14	131.28	मार्च, 12
24.	तमिलनाडु	628.75	49943.27	25445.87	1678.46	5383.23	12846.75	45354.31	90.81	मार्च, 12
25.	त्रिपुरा	25.47	14398.39	1670.02	10029.60	691.38	2536.33	14927.33	103.67	मार्च, 12
26.	उत्तर प्रदेश	1762.58	162256.74	69644.49	1429.18	15980.32	55381.35	142435.34	87.78	मार्च, 12
27.	उत्तराखंड	60.31	9198.82	1868.56	469.67	1199.51	3906.53	7444.27	80.93	मार्च, 12
28.	पश्चिम बंगाल	2747.26	140421.08	35967.12	10252.35	18454.38	20731.04	85404.89	60.82	मार्च, 12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.01	527.40	0.00	0.00	28.88	218.21	247.09	46.85	मार्च, 12
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	मार्च, 12
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	असूचित
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	असूचित
33.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	असूचित
	कुल	24418.46	1915929.99	430629.59	246459.89	154593.84	460949.42	1292632.74	67.47	
क.	उ.पू. राज्य	9484.19	168898.00	22687.21	50011.42	17323.92	32716.16	122738.71	72.67	
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	14934.27	1747031.99	407942.38	196448.47	137269.92	428233.26	1169894.03	66.96	
	कुल	24418.46	1915929.99	430629.59	246459.89	154593.84	460949.42	1292632.74	67.47	

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2012-2013

31.03.2011 तक स्थिति
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अ	1.4.2010 तक प्रारंभिक शेष	आवंटन			निधियों की रिलीज			कुल कॉलम 7+8
				केन्द्रीय आवंटन (सीए)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	कुल	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	राज्य मैचिंग अंश (एसएमएस)	राज्यों द्वारा दी गई राज्य अंश की रिपोर्ट	
1	2	2क	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22	7980.52	93916.18	31305.39	125221.57	84243.653	28081.22	0	84243.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	47.736	3640.22	404.46	4044.68	3327.411	369.71	6.78	3334.19
3.	असम	27	18872.077	80494.43	8943.81	89438.24	57349.208	6372.13	2208.042	59557.25
4.	बिहार	38	194950.7143	277216.04	92405.33	369621.37	171817.377	57272.46	51506.27	223323.65
5.	छत्तीसगढ़	18	14215.1133	14523.38	4841.14	19364.50	16780.231	5593.41	2809.071	19589.30
6.	गोवा	2	278.78	578.46	192.82	771.28	490.385	163.46	0	490.39
7.	गुजरात	26	44823.76	46058.62	15352.86	61411.48	20813.872	6937.96	1751.847	22565.72
8.	हरियाणा	21	457.731	6466.67	2155.56	8622.23	6357.543	2119.18	994.525	735207
9.	हिमाचल प्रदेश	12	168.797	2280.82	760.27	3041.09	2178.764	726.25	305.467	2484.23
10.	जम्मू और कश्मीर	22	346.1305	7084.38	2381.44	9445.82	5775.097	1925.03	312.82	6087.92
11.	झारखंड	24	25907.9518	24726.46	8242.16	32968.62	25707.734	8569.24	4980.96	30688.69
12.	कर्नाटक	30	61355.68	38183.34	12061.12	48244.46	20787.955	6929.32	25140.12	45928.08
13.	केरल	14	11249.124	20121.29	6707.12	26828.41	14539.635	4846.55	4842.408	19382.04
14.	मध्य प्रदेश	50	10018.837	28884.31	9628.12	38512.43	39232.782	13077.59	7996.273	47231.05
15.	महाराष्ट्र	33	8753.782	56639.03	18879.33	75517.36	51306.533	17102.16	29559.96	80866.49
16.	मणिपुर	9	374.9947	3159.90	351.10	3511.00	2137.813	237.53	55.968	2193.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	7	380.5076	5503.42	611.50	6114.92	4894.993	543.89	366.08	5261.07
18.	मिजोरम	8	6.898	1172.84	130.31	1303.15	1080.270	120.03	99.125	1179.40
19.	नागालैंड	11	0	3641.79	404.63	4046.42	3641.790	404.64	0	3641.79
20.	ओडिशा	30	27346.971	54464.00	18154.66	72618.66	46799.855	15599.95	13106.757	50905.61
21.	पंजाब	20	2839.55	7997.35	2685.79	10663.15	659.485	219.83	38	697.49
22.	राजस्थान	33	34727.1668	23145.13	7715.06	30880.19	26211.106	8737.04	2850325	29061.43
23.	सिक्किम	1	0	696.53	77.39	773.69	348.250	38.69	60	40825
24.	तमिलनाडु	31	4300.2485	37601.90	12533.97	50135.87	36956.844	12318.95	6239.981	43196.83
25.	त्रिपुरा	4	380.379	7090.90	787.88	7878.73	6186.320	687.37	0	6186.32
26.	उत्तर प्रदेश	71	18188.2257	124514.06	41504.71	166018.77	87774.227	29258.08	20993.399	108767.63
27.	उत्तराखंड	13	1412.218	6242.38	2080.80	8323.18	4081.189	136040	825.47	4906.66
28.	पश्चिम बंगाल	19	44460.296	75128.55	25042.85	100171.40	43831.126	14543.71	13234.157	56885.28
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	36.59	1191.15		1191.15	791.810	0.00	1460.69	2252.50
30.	दादरा और नगर हवेली	1	0	196.46		198.46	0.000	0.000	0	0.000
31.	दमन और दीव	1	0	88.79		8879	0.000	0.000	0	0.000
32.	लक्षद्वीप	1	0	76.98		76.98	0.000	0.000	0	0.000
33.	पुदुचेरी	1	0	593. 28		593.28	0.000	0.000	0	0.000
	कुल	619	531682.78	1051320.00	326301.58	1377621.58	785903.259	244155.80	191745.50	977648.75
ग.	उ.पू. राज्य	83	20064.59	105400.00	11711.08	117111.08	78966.06	8774.01	2796.00	81762.05
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	538	511618.19	945920.00	314590.50	1260510 50	706937.20	235381.80	188949.50	895886.70
	कुल	619	531682.78	1051320.00	326301.58	1377621.58	785903.59	244155.80	191745.50	977648.75

नोट: दिनांक 28.06.2013 को प्राप्त ऑनलाइन एमपीआर और 31.03.2013 तक के अनुसार केन्द्रीय रिलीज।

—*जारी*

इंदिरा आवास योजना

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

2012-2013

31.03.2011 तक स्थिति
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निधियों की रिलीज			विविध प्राप्तियां/ ब्याज इत्यादि	कुल उपलब्ध राशि (कालम 3+10+13+	उपयोग की गई निधि					उपयोग का %
		केंद्रीय	राज्य	कुल (11+12)			अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल कॉलम 16 से 19	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	3755.16	1251.74	5006.9	0	97231.07	45212.76	20411.14	15808.13	31620.92	113252.95	116.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	107.95	147.75	255.7	1.03	3638.66	0	676.005	0	13.54	689.55	18.95
3.	असम	19214.242	3125.783	22340.03	9205.322	109974.67	16855.756	17868.108	12196.176	20849.675	66769.61	60.71
4.	बिहार	1592.5	4084.567	5677 067	2670.02	426621.45	124485.92	8118.689	52569.936	112144.21	297318.76	69.69
5.	छत्तीसगढ़	1498.504	717.352	2215.856	263.5096	36283.78	2863.2765	21838.2545	253.245	5831.9761	30786.75	84.85
6.	गोवा	10.87	0	10.87	40.42	820.46	12.1	45.33	25.43	489.33	572.19	69.74
7.	गुजरात	2772.175	944.736	3716.911	721.553	71827.94	1720.87	24595.02	786.77	16292.01	43394.67	60.41
8.	हरियाणा	213.16	74.93	288.09	79 855	8177.74	3751.958	0	934.85	2153.157	6839.97	83.64
9.	हिमाचल प्रदेश	294.497	94.45	388.947	41.8805	3083.86	1571 678	269.485	87.625	1135.488	3064.28	99.37
10.	जम्मू और कश्मीर	49.75	0	49.75	9.899	6493.70	479.76	783.753	17.178	1183.053	2463.74	37.94
11.	झारखंड	4243.605	705.51	4949.115	255.662	61801.42	9840.978	15484.377	5398.798	10205.489	40929.64	63.23
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	107263.76	27588.60	12760.49	18001.07	22088.23	80438.45	7498
13.	केरल	804.57	499.298	1303.838	3812.58	35747.62	9231.505	1403.13	4147.53	7299.515	22081.68	61.77
14.	मध्य प्रदेश	3243.878	2584.592	5828.47	636.68	63715.04	10711.236	14831.395	2069.942	11260.595	38873.17	6101
15.	महाराष्ट्र	2144.559	1211.73	3356.289	4585.01	95561.57	12291.466	37869.926	5838.327	50459.294	106459 01	111.40
16.	मणिपुर	148.21	93 06	241.27	14.561	2824.61	72.609	1034.299	36.3855	104.965	1328.26	47.02

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	मेघालय	374.13	104.9	479.03	43.5274	6164.14	30 555	4531.388	350.855	303.61	5216.19	84.62
18.	मिजोरम	14.54	2.9233	17.4633	9.567	1215.34	0	987.047	2.65	0	989.90	81.45
19.	नागालैंड	0	0	0	0	3641.79	0	0	0	0	0.00	0.00
20.	ओडिशा	870.38	2927.291	3797.671	327.162	91377.42	24582.74	23011.061	3476.47	25366.259	76436.63	8365
21.	पंजाब	0	0	0	689.69	4026.73	1621.545	0	17.3	243.815	1862.66	46.75
22.	राजस्थान	405.16	99.602	504.762	723.5625	6501692	15806.334	9192.738	2957.861	17662.705	45619.70	70.17
23.	सिक्किम	0	0	0	0	408.25	136 77	198.53	59.17	145.88	540.45	132 38
24.	तमिलनाडु	7490.755	2310.765	9801.52	460.647	57759.24	21099.556	672442	4068.014	12118.38	37958.35	66.72
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	6566.70	0	0	0	0	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3297.42	1617.015	4914.435	1762.771	133633.06	61558 361	796.95	10431.071	38317.054	101103.44	75.66
27.	उत्तराखंड	79.72	94.77	174.49	131.093	6624.46	1657.955	357.92	755.17	3248 4	6019.45	90.37
28.	पश्चिम बंगाल	4597.932	2723203	7321.135	1042.0617	109688.78	28593.932	8348.6853	20334.732	22069.293	79346.84	72.34
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	10.2	2299.29	4259.27	0	1088.9	1909.94	7258.11	315.67
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	कुल	57223.67	25415.97	82639.63	27538.284	1619509.45	415037.61	226086.34	161713.58	414796.79	1217634.33	75.19
क.	उ.पू. राज्य	19859.07	3474.42	23333.49	9274.03	134434.16	16095.69	25295.36	12645.24	21497.67	75533.95	56.19
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	37364.60	21941.55	59306.15	18264.26	1485075.29	398941.92	200790.99	149068.35	393299.12	1142100.37	76.91
	कुल	57223.67	25415.97	82639.63	27538.28	1619509.45	415037.61	226086.34	161713.58	414796.79	1217634.33	75.19

नोट: दिनांक 28.06.2013 को प्राप्त ऑनलाइन एमपीआर और 31.03.2013 तक के अनुसार केन्द्रीय रिलीज।

विवरण-III

इंदिरा आवास योजना के तहत रिपोर्ट की गई सकल अनियमितताओं की राज्य-वार शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या				की गई कार्रवाई
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 के अनुसार)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सभी शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	1	2	6	3	
4.	बिहार	3	8	18	15	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	2	शून्य	
6.	गुजरात	शून्य	1	1	शून्य	
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	2	
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	1	4	शून्य	
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	4	1	
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	1	3	1	
14.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	1	
15.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	ओडिशा	शून्य	1	2	शून्य	
20.	पंजाब	शून्य	1	1	शून्य	
21.	राजस्थान	शून्य	2	1	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सभी शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं।
23.	तमिलनाडु	1	शून्य	1	शून्य	
24.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
25.	उत्तर प्रदेश	2	17	24	शून्य	
26.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	1	शून्य	
27.	पश्चिम बंगाल	2	शून्य	शून्य	शून्य	

विवरण-III(क)

जहां राष्ट्रीय स्तर निगरानीकर्त्ता (एनएलएम) की तैनाती की गई है वहां इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत रिपोर्ट की गई सकल अनियमितताओं की राज्य-वार शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या				की गई कार्रवाई
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 तक)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	एनएलएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए भेज दी गई हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	4	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	3	2	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	1	1	
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	1	
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	1	1	1	
14.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	एनएलएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए भेज दी गई है।
16.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	ओडिशा	शून्य	शून्य	1	शून्य	
20.	पंजाब	शून्य	1	शून्य	1	
21.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
23.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	त्रिपुरा	शून्य	1	शून्य	शून्य	
25.	उत्तर प्रदेश	शून्य	3	1	1	
26.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क सम्पर्कता

1237. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) अभी भी सड़क से जोड़े जाने वाले गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे गांवों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) से (ग) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण के जरिए ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की एकबारगी विशेष पहल है। कार्यक्रम में कोर नेटवर्क के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा समेकित कार्य योजना (आईएपी) में निर्धारित किए गए चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की इकाई बसावट होती है न कि राजस्व गांव या पंचायत। राज्य सरकारें राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के जरिए तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) के जरिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करती हैं। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों में दिए गए विभिन्न पहलुओं पर विधिवत विचार-विमर्श करने के पश्चात् इन रिपोर्टों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेजना होता है ताकि सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराया जा सके। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 127708 सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों (500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली) में से 83421 बसावटें बारहमासी सड़कों से जोड़ दी गई हैं (अक्तूबर,

2013 तक)। केंद्र स्तर पर ग्राम-वार सड़क संपर्कता का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

टीवी चैनलों पर अश्लील फिल्मों का प्रसारण

1238. श्री गोरखनाथ पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे अश्लील फिल्मों के संबंध में कोई शिकायत सरकार को मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या समुचित कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पीएसयू में एससी/एसटी कर्मचारी

1239. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत एससी/एसटी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एससी/एसटी के रिक्त पदों की संख्या क्या है तथा उन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को पीएसयू के निदेशक मंडल में एससी/एसटी श्रेणियों के कम प्रतिनिधित्व की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के सर्वेक्षण 2011-2012 के अनुसार, 1.1.2012 की स्थिति के अनुसार, 214 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में 1,98,421 अनुसूचित जाति के और 1,02,472 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र-वार ब्यौरा लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट *www.dpe.nic.in* पब्लिकेशन्स पीई सर्वे 2011-12 स्टेटमेंट पर प्रदर्शित है।

(ख) लोक उद्यम विभाग पीएसयू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का वर्ष-वार अनुरक्षण केन्द्रीय रूप से नहीं करता है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 18.04.2011 के का.ज्ञा. सं. 2(15)/2011-जी.एम. के द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अवगत कराया है।

[हिन्दी]

मिनिरत्न सीपीएसई

1240. श्री रेवती रमण सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनिरत्न का दर्जा रखने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएमई) पिछले कई वर्षों में घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा 71 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) में से केवल 2 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) अर्थात् भारत संचार निगम लि. तथा हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि. को पिछले तीन वर्षों (2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) में लगातार घाटा हुआ है।

(ग) सरकार ने पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक उद्यमों के निवेश, मानव संसाधन विकास आदि क्षेत्रों में मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी

उद्यमों के निदेशक मंडलों को अधिक वित्तीय एवं प्रचालनगत शक्तियां प्रदान की हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से अश्लीलता

1241. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि युवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से अश्लीलता दिखाए जाने तथा फिल्म उद्योग के लापरवाह रुख के कारण प्रभावित हो जाते हैं जिसकी परिणति समाज में बलात्कार, हत्या एवं अन्य असामाजिक हरकतों के रूप में होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) कोई ऐसी रिपोर्ट/अध्ययन इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाई गई/लाया गया है। प्राइवेट टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की पूर्व सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं है। तथापि, टीवी चैनलों पर प्रसारित तथा केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुन:प्रसारित सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना होता है। जब कभी संहिताओं के उल्लंघन को सरकार के ध्यान में लाया जाता है, नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

फिल्मों के संबंध मे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीवीएफसी) मुख्य रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों का प्रमाणन करता है। फरवरी, 2013 में फिल्म प्रमाणन से संबंधित मामलों की समीक्षा करने हेतु न्यायमूर्ति मुकुल मुद्‌गल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने चलचित्र विधेयक ड्राफ्ट के साथ अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में दे दी थी जिसे मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर अपलोड कर दिया गया है। मुद्‌गल समिति द्वारा जांच किए जाने वाले मुद्दों में प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देशों का मुद्दा था जोकि स्वयं ही फिल्मों में अश्लीलता और अशिष्टता के विषय में घनिष्ठता से संबंधित था।

सरकार प्रैस की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु अपनी नीतियों के अनुसरण में प्रिंट मीडिया की विषय-वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं करती है। तथापि, भारतीय प्रैस परिषद् (पीसीआई) जोकि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, की स्थापना भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को सुधारने और साथ ही प्रैस में स्व-विनियामन के सिद्धांत को आत्मसात करने हेतु प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन की गई है। पीसीआई ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन में उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचरण संहिता के निर्माण हेतु अधिदेशित किया है। तद्‌नुसार, प्रैस परिषद् ने मीडिया द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु पत्रकारिता आचरण के मानदंडों को बनाया है। अश्लीलता और अशिष्टता से संबंधित तर्कसंगत मानदंड 17 वेबसाइट *www.presscouncil.nic.in* पर उपलब्ध है। पीसीआई विशिष्ट शिकायत पर/स्वप्रेरणा से अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत न्याय निर्णयन करती है और यदि इस बात से सहमत होती है कि मानदंडों का उल्लंघन किया गया है, यह चेतावनी देने, भर्त्सना करने अथवा प्रकाशन/संबंधित पत्रकार को निंदा करने हेतु कार्रवाई करती है।

राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ताओं की परामर्शदात्री परिषद्

1242. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे द्वारा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ताओं की परामर्शदात्री परिषद् के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम सहित परिषद् में उनके नामांकन/चयन के लिए अपनाये गए मानदंड क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परिषद् की वर्तमान स्थिति सहित इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए विहित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (एनआरयूसीसी) को पुनर्गठित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

1243. श्री बलीराम जाधव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एवं निजी विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रभावित लोगों को मुआवजे प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु प्रभावित लोगों का किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 विस्थापित हुए परिसम्पति विहीन ग्रामीण गरीबों कम संसाधन वाले वर्गों अर्थात् छोटे और नाममात्र में किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों और महिलाओं को सहायता प्रदान करने पर बल देती है। इसमें लागत संबंधी निश्चितता और विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान देने की भावना के साथ परियोजना की समयबद्ध पूर्णता को संभव बनाने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हेतु प्रशासन (आरएण्डआर) के बीच प्रभावी बातचीत हेतु व्यापक परिदृश्य तैयार करना अपेक्षित है। नीति में प्रस्तावित पुनर्वास अनुदान और अन्य आर्थिक लाभ सभी परियोजना प्रभावित परिवारों पर लागू न्यूनतम सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हैं और राज्य अपने स्वयं के उच्च स्तर के पैकेज अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकार द्वारा एक नया भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में स्थानीय लोगों की और अधिक भागीदारी होगी।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के ताप परियोजनाओं के लिए दिए गए मुआवजे के संबंध में मंत्रालय में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जहां तक नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) का संबंध है, गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष (2010, 2011 और 2012) तथा वर्तमान वर्ष 2013 के दौरान एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकार को दिए गए मुआवजे का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिगृहीत भूमि के लिए राज्य सरकार को दिया गया मुआवजा (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	टाण्डा	यू.पी.	182.74
2.	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल, बिहार के साथ जेवी	बिहार	381.94
3.	गादरवारा	मध्य प्रदेश	80.00
4.	खरगोन	मध्य प्रदेश	76.21
5.	बरेथी	मध्य प्रदेश	138.00
6.	लारा	छत्तीसगढ़	296.00
7.	दारलीपल्ली	ओडिशा	287.14
8.	कुडगी (केआईएडीबी एक्ट रूट)	कर्नाटक	37.06

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन

1244. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा करने के लिए समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन के निर्माण के कारण स्थानीय किसानों को दिक्कतें हो रही हैं तथा उन्हें उनकी भूमि के लिए आज तक मुआवजे राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार स्थानीय किसानों को कब तक मुआवजे का भुगतान करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

1245. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री जगदीश ठाकोर :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती दर्शना जरदोश :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-उदयपुर खंड पर आमान परिवर्तन सहित गुजरात में जारी/लंबित रेलवे परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) नयी खेल लाइनों, आमान परिवर्तन, स्टेशनों के उन्नयन एवं अहमदाबाद-मेहसना-जयपुर, राजकोट-ओखा, राजकोट-वेरावल एवं राजकोट-विरागाम खंडों सहित दोहरीकरण तथा अमरेली को ब्रॉड गेज संपर्क देने के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आवंटित एवं इन पर व्ययित राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ङ) गुजरात राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली, चालू/लंबित नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवंटित और उन पर व्यय की गई निधियों, उनकी वर्तमान स्थिति और पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां-कहीं भी निर्धारित की गई है, का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2013 तक किया गया व्यय	2013-14 के लिए परिव्यय	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	नई लाइन			
1.	छोटा-उदयपुर-धार	124.99	35.00	कुल वास्तविक प्रगति 12%। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं।
2.	दाहोद-इंदौर वाया सरदारपुर, झाबुआ और धार	145.94	50.00	कुल वास्तविक प्रगति 15%। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं।
	आमान परिवर्तन			
1.	अहमदाबाद-बोटाद (170.48 कि.मी.)	0.00	1.00	नक्शे तैयार करने, अनुमान, अंतिम स्थान सर्वेक्षण आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
2.	मोडासा-शामलाजी रोड (22.53 कि.मी.) सहित अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर (299.20 कि.मी.)	14.43	30.00	कुल वास्तविक प्रगति 9%। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं।
3.	मेहसाणा-तारंगा हिल (57.4 कि.मी.) के लिए नए एमएम के साथ भिलड़ी-विरमगाम	180.02	1.00	विरमगाम-पाटन (104.36 कि.मी.) खंड पूरा हो चुका है और इसे शुरू कर दिया गया है। कुल वास्तविक प्रति 55% है। शेष खंड को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

1	2	3	4	5
4.	नलीया से व्योर तक विस्तार सहित (24.65 कि.मी.) भुज-नलीया (101.35 कि.मी.)	1.57	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
5.	ढासा-जेतलसर (104.44 कि.मी.)	0.00	1.00	प्रारंभिक क्रिया-कलाप जैसे नक्शे तैयार करना, अनुमान, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण इत्यादि शुरू कर दिए गए हैं। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।
6.	मियागाम-कर्जन-दभोई-समाल्या (96.46 कि.मी.) विद्युतीकरण सहित आमान परिवर्तन	0.00	1.50	प्रारंभिक क्रिया-कलाप जैसे नक्शे तैयार करना, अनुमान, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण इत्यादि शुरू कर दिए गए हैं। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।
7.	राजकोट-वेरावल, वांसजलिआ से जेतलसर शाहपुर-सरदिया (46 कि.मी.) और सोमनाथ-कोडिनार (36.91 कि.मी.) (321.61 कि.मी. आमान परिवर्तन + 41.93 कि.मी. नई लाइन = 363.54 कि.मी.)	518.92	2.00	राजकोट-वेरावल, वेरावल-सोमनाथ, वांसजलिया खंडों का कार्य पूरा हो गया है और इन्हें शुरू कर दिया गया है। कुल वास्तविक प्रगति 77%। शेष खंड को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
	दोहरीकरण			
1.	आबू रोड-सरोतरा रोड (23.12 कि.मी.)	33.35	21.00	कुल वास्तविक प्रगति 16%। इसे 2013-14 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2.	पालनपुर-समख्याली (274.73 कि.मी.)	0.00	5.00	नए कार्य को 2013-14 में शामिल किया गया है। कार्य को कच्छ रेलवे कंपनी द्वारा निष्पादित किया जाएगा और परियोजना को विशेष वाहन उद्देश्य से वित्तपोषित किया जा रहा है।
3.	सरोतरा रोड़-करजोदा (23.59 कि.मी.)	26.61	23.00	कुल वास्तविक प्रगति 15%। इसे 2014-15 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	वडोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन सूरत-कोसंबा फेज-I	0.00	0.50	पश्चिम समर्पित मालवाड़ा गलियारे को देखते हुए परियोजना को रोक दिया गया है। मुख्य परिचालन प्रबंधक (सीओएम) द्वारा परियोजना को पुनः सुसाधित किया जा रहा है।
5.	उधना-जलगांव सहित विद्युतीकरण (306.93 कि.मी.)	526.01	270.00	व्यारा-उकईसोनगढ़ (20 कि.मी.), अमोलनर-धरनगांव (25 कि.मी.) और उकईसोनगढ़-चिंचपाडा (40 कि.मी.) खंडों के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त बरदोली-व्यारा (29 कि.मी.) और चिंचपाडा-नांदूरवार (41 कि.मी.) खंडों को 2013-14 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल वास्तविक प्रगति 38% है।

1	2	3	4	5
6.	वेतवा-अहमदाबाद-स्वचालित सिगनलिंग सहित तीसरी लाइन (7.5 कि.मी.)	0.00	0.10	नए कार्य को बजट 2013-14 में शामिल किया गया है। नक्शे तैयार करना, अनुमान अंतिम स्थान सर्वेक्षण इत्यादि जैसे प्रारंभिक कार्य-कलाप को शुरू कर दिए गए हैं।
7.	विरमगाम-सुरेन्द्रनगर (65.26 कि.मी.)	109	130.00	सबली रोड़-लीलापुर (14 कि.मी.) खंड का दोहरीकरण पूरा कर लिया गया है। लीलापुर — सुरेन्द्रनगर (30 कि.मी.) और वानी रोड — सबली रोड़ (8 कि.मी.) खंड को 2013-14 के दौरान पूरा किया जाएगा कुल वास्तविक प्रगति 35%।
8.	विरमगाम-समाख्याली	81.00	115.00	विरमगाम-सादला खंड के दोहरीकरण को 2013-14 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। शेष खंड को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

चालू परियोजनाओं का भारी बकाया है परंतु निधियां सीमित हैं जिन्हें परियोजनाओं की प्रगति, प्राथमिकता और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चालू परियोजनाओं में वितरित किया जाता है। निधियों के कम आवंटन के कारण परियोजना को पूरा करने में लंबा समय लगता है जिसके फलस्वरूप समय और लागत में वृद्धि होती है। संसाधनों को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार से उनके क्षेत्र में अत्यावश्यक विकसित समझे जानी वाली परियोजनाओं को लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारें इस कार्य के लिए आगे आई हैं और इस समय 10 राज्यों में 5586 कि.मी. लंबी 37 परियोजनाओं को कवर करती हुई राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित की जा रही है।

(ख) विभिन्न स्तरों से अनुरोध प्राप्त होते हैं और सूचनाओं के बारे में विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता है। बहरहाल, गुजरात राज्य में पूर्णतः आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन, आमान-परिवर्तन और दोहरीकरण प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी स्थिति नीचे दी गई है:—

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	स्थिति
1	2	3
	नई लाइन	
1.	धांगाधारा-सनतलपुर	बजट 2011-12 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। धांगाधारा-सनतलपुर सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
2.	पालनपुर-अंबाजी-आबू रोड	बजट 2011-12 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
3.	धनेरा-गोराडू	बजट 2011-12 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया है।
4.	धनेरा-थराड-वव-सूइगाम	बजट 2011-12 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य-कलापों को शुरू किया गया है।
5.	भरूच-दहेज-जांबूसर	भरुच-दहेज-जांबूसर मौजूदा नैरोगेज लाइन थी जिसके भरुच-सामनी दहेज खंड को पहले ही ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा चुका है और सामनी-जांबूसर-विश्वामित्री और जांबूसर-कवि आमान-परिवर्तन परियोजना के रूप में सामनी-जांबूसर खंड का आमान परिवर्तन सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3
6.	भावनगर-अदेहलाल-धोलेरा-पेटलाद	बजट 2012-13 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
7.	खंबात-खंबात पोर्ट	बजट 2012-13 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
8.	भीमनाथ-धोलेरा	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	नादियाड-धोलका	बजट 2011-12 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
10.	पोर्ट कनैक्टीविटी-मुंढरा-गांधीधाम-समाख्याली-राधनपुर-पालनपुर	पोर्ट कनैक्टीविटी पहले ही मौजूदा है। पालनपुर-समाख्याली दोहरीकरण के कार्य को बजट 2013-14 में स्वीकृत किया गया था। मुंडरा-अदिपुर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
11.	सूरत-हजीरा न्यू रेल लिंक	पहले, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को लागू करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन प्रस्तावित किया गया था, जिसके लिए गुजरात सरकार द्वारा संरेखण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, इस लाइन को प्राइवेट लाइन के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
12.	बेदी पोर्ट-जामनगर स्टेशन	बजट 2012-13 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य-कलापों को शुरू किया गया है।
13.	पोरबंदर पोर्ट-पोरबंदर स्टेशन	बजट 2012-13 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू किया गया है।
14.	छारा पोर्ट-कोडिनार (वेरावल-सोमनाथ-कोडिनार का विस्तार)	सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जा सकता है। बहरहाल, वेरावल-सोमनाथ (281 कि.मी.) और सोमनाथ-कोडिनगर (36.91 कि.मी.) सामग्री आशोधन के रूप में शुरू किया गया है। राजकोट-वेरावल, वांसजलिया-जेतलसर आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
15.	महोवा पोर्ट-महोवा स्टेशन	प्राइवेट साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
16.	काच्चीगड़ पोर्ट कनैक्टीविटी-वेरावल स्टेशन	प्राइवेट साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
17.	भिलाड़ के संजन पर दो जंक्शनों की व्यवस्था	प्राइवेट साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
	आमान परिवर्तन	
1.	अहमदाबाद-बोटाद-भावनगर	अहमदाबाद-बोटाद आमान परिवर्तन को बजट 2012-13 में शामिल किया गया है। परियोजना को शुरू करने के लिए रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपा गया है। प्रारंभिक कार्यकलाप जैसे नक्शे तैयार करना, अनुमान को शुरू कर दिया गया है। बोटाद-भावनगर खंड पहले ही ब्रॉडगेज नेटवर्क में शामिल है।

1	2	3
2.	ढासा-जेतलसर	कार्य को बजट 2012-13 में शामिल किया जा चुका है। परियोजना को शुरू करने के लिए रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपा गया है। प्रारंभिक कार्यकलाप जैसे नक्शे तैयार करना, अनुमान को शुरू कर दिया गया है।
3.	अहमदाबाद-मेहसाणा	कार्य को बजट 2012-13 में शामिल किया जा चुका है। प्रारंभिक कार्यकलाप जैसे नक्शे तैयार करना, अनुमान को शुरू कर दिया गया है।
4.	खंभात-खंभात पोर्ट	कार्य को बजट 2012-13 में शामिल किया जा चुका है। प्रारंभि कार्यकलाप को शुरू करने के सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
5.	नादियाड-भदरन	सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।
6.	बरुच-सामनी-दहेज	इस खंड का आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है।
7.	विरमगाम-समाखियाली	यहां ब्रॉड गेज लाइन पहले से ही मौजूद है। इस खंड पर दोहरीकरण के कार्य को वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किया गया है।
8.	नवलाखी-मालिआ-राजकोट	पहले से ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित।
9.	मेहसाणा-विरमगाम	पहले से ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित।
10.	विरमगाम-सुरेन्द्रनगर	पहले से ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित है। इस खंड पर दोहरीकरण के कार्य को बजट 2010-11 में शामिल किया गया है। कार्य शुरू हो गया है।
11.	मेहसाणा-पाटन	पहले से ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित।
12.	समाखियाली-गांधीधाम-कांडला	पहले से ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित। गांधीधाम-कांडला पोर्ट मीटर गेज लाइन का ब्रॉड गेज में परिवर्तन के कार्य को बजट 2009-10 में शामिल किया गया है।
13.	गांधीधाम-अंजर-मुंद्रा	यह खंड पहले से ही ब्रॉड गेज लाइन है।
14.	अमरेली के लिए ब्रॉड गेज रेल लाइन कनैक्टिविटी	हाल ही में अद्यतन सर्वेक्षण को पूरा किया गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	दोहरीकरण	
1.	अहमदाबाद-मेहसाणा-जयपुर	इस रूट पर, अहमदाबाद-पालनपुर खंड को छोड़ कर, पालनपुर-अजमेर का कहीं-कहीं दोहरीकरण शुरू किया गया है। अहमदाबाद-मेहसाणा सहित मेहसाणा-पालनपुर दोहरीकरण के कार्य को शुरू किया गया है। केशवगंज-स्वरूपगंज खंड को 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। अजमेर-जयपुर दोहरीकरण खंड का कार्य पूरा हो चुका है और उसे चालू कर दिया गया है।
2.	राजकोट-ओखा	सर्वेक्षण को शुरू किया गया है।
3.	राजकोट-वेरावल	इस खंड पर दोहरीकरण के कार्य पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह परिचालनिक आवश्यकता के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं था।

1	2	3
4.	राजकोट-विरमगाम	इस रूट पर, सुरेन्द्रनगर-विरमगाम खंड पर दोहरीकरण के कार्य को शुरू किया गया है। राजकोट-सुरेन्द्रनगर के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
5.	दहेज-बरुच	इस खंड को हाल ही में ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया है और चालू कर दिया गया है।
6.	पालनपुर-सामखियाली-गांधीधाम-मुंडरा	अदिपुर-मुंडरा भाग को मैसर्स मुंडरा पोर्ट सेज लि. द्वारा दोहरीकरण करने का प्रस्ताव है। अदिपुर से गांधीधाम तक कार्य को बजट 2009-10 में शामिल किया गया है। पालनपुर-सामखियाली दोहरीकरण के कार्य को बजट 2013-14 में शामिल किया गया है।
7.	गांधीधाम-कांडला	इस खंड पर दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
8.	पिपावाव-राजुला-ढासा-बोटाद-सुरेन्द्रनगर-मेहसाणा-विरमगाम	वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक गुजरात में स्टेशनों के उन्नयन का संबंध है, अहमदाबाद, पोरबंदर और सूरत की उन 50 स्टेशनों के रूप में पहचान की गई है जिन्हें विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है। इस संबंध में प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

पेयजल योजनाओं के लिए धनराशि

1246. श्री वरुण गांधी : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पेयजल योजनाओं के अंतर्गत आवंटित/जारी राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने धनराशि के उपयोग की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उनमें पायी गयी खामियों/अनियमितताओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में जारी पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को आवंटित एवं जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) और (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण (मॉनीटर) करने के लिए तथा प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य, जिला एवं गांव पंचायत स्तरों पर सतर्कता एवं अनुवीक्षण समितियां हैं। इन समितियों में अन्य के साथ-साथ केन्द्र, राज्य, पंचायत स्तर पर संस्थाओं से चुने गए प्रतिनिधि एवं एनजीओ सम्मिलित हैं।

विभिन्न कार्य-प्रणालियों को लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को उन्हें जारी की गई निधियों का सही उपयोग हो रहा है। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों एवं कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करें। उन्हें बसावटों को चिन्हित करना है और मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर आगामी वर्ष में किए जाने कार्यों, योजनाओं एवं गतिविधियों का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। कवरेज एवं प्रगति संबंधी आंकड़े भी ऑनलाइन (आईएमआईएस) पर दर्ज किए जाने हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की मॉनीटरिंग करने के लिए 19 फॉर्मेट तैयार किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। मंत्रालय, ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी सचिवों की बैठकें, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें, वीडियो कान्फ्रेंसिंग आदि भी करते हैं जिसके जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाती है। मंत्रालय, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय

द्वारा पैनल में लिए गए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों (एनएलएम) की सेवाओं को भी उपयोग में लाता है। कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए खर्चों की लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

(घ) इस मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत चल रही योजनाएं संलग्न विवरण-II पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में एकल ग्राम योजनाएं, बहु-ग्राम योजनाएं शामिल हैं। कार्यान्वित की जा रही बहुत-सी योजनाओं में बृहत बहु-ग्राम पाइप जल योजनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने राज्यों को ये हिदायतें जारी की हैं कि वे निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा करें और साथ ही राज्यों को यह भी हिदायत दी है कि कार्यान्वयन के लिए नई योजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व उन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दें जो तीन वर्षों से अधिक अवधि से चल रही हैं। अतः एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राज्य वर्ष के दौरान योजनाओं को प्रारंभ करते हैं तथा उन्हें चरणबद्ध ढंग से पूरा करते हैं।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रारंभिक शेष, आवंटन, अवमुक्त व खर्च

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14* (अक्तूबर, 2013 तक)	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	491.02	558.74	546.32	462.47	563.39	485.14	551.19	262.46
2.	बिहार	341.46	170.73	374.98	330.02	484.24	224.3	440.01	113.24
3.	छत्तीसगढ़	130.27	122.01	143.57	139.06	168.89	148.64	141.75	65.4
4.	गोवा	5.34	0.00	5.20	5.01	6.07	0.03	5.94	0
5.	गुजरात	542.67	609.10	478.89	571.05	578.29	717.47	526.96	267.57
6.	हरियाणा	233.69	276.90	210.51	237.74	250.24	313.41	241.80	119.56
7.	हिमाचल प्रदेश	133.71	194.37	131.47	146.03	153.59	129.9	148.69	0
8.	जम्मू और कश्मीर	449.22	468.91	436.21	420.42	510.76	474.5	499.44	234.63
9.	झारखंड	165.93	129.95	162.52	148.17	191.86	243.43	185.23	95.83
10.	कर्नाटक	644.92	703.80	687.11	667.78	922.67	869.24	668.60	327.83
11.	केरल	144.28	159.83	144.43	113.39	193.59	249.04	165.13	77.54
12.	मध्य प्रदेश	399.04	388.33	371.97	292.78	447.33	539.56	428.70	215.66
13.	महाराष्ट्र	733.27	718.42	728.35	718.35	897.96	846.48	766.32	26.8
14.	ओडिशा	204.88	294.76	206.55	171.05	243.91	210.58	233.25	106.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पंजाब	82.21	106.59	88.02	123.44	101.9	144.27	88.29	83.23
16.	राजस्थान	1165.44	1099.48	1083.57	1153.76	1352.54	1411.36	1317.56	1237.92
17.	तमिलनाडु	316.91	393.53	330.04	429.55	394.82	570.17	287.80	181.12
18.	उत्तर प्रदेश	899.12	848.68	843.30	802.32	1060.87	980.06	860.55	410.42
19.	उत्तराखंड	139.39	136.41	136.54	75.57	159.74	74.28	154.82	86.49
20.	पश्चिम बंगाल	418.03	499.19	343.60	342.51	523.53	502.36	453.29	230.05
21.	अरुणाचल प्रदेश	123.35	199.99	120.56	184.83	145.32	223.22	142.18	91.83
22.	असम	449.64	487.48	435.58	522.44	525.71	659.21	506.21	243.28
23.	मणिपुर	54.61	52.77	53.39	47.60	69.99	66.21	63.12	16.27
24.	मेघालय	63.48	84.88	61.67	95.89	73.96	97.61	72.67	37.44
25.	मिजोरम	46.00	61.58	39.67	38.83	48.35	47.92	41.27	14.85
26.	नागालैंड	79.51	77.52	81.68	80.91	110.25	110.2	59.86	35.84
27.	सिक्किम	26.24	23.20	28.10	69.19	36.69	32.36	17.86	17.85
28.	त्रिपुरा	57.17	74.66	56.20	83.86	70.66	100.59	63.68	63.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.01	0.00	0.00	0.00	1.15	0.78	1.12	0.03
30.	चंडीगढ़	0.40		0.00	0.00	0	0	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
32.	दमन और दीव	0.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
33.	दिल्ली	4.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0.24	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
35.	पुदुचेरी	1.54	0.00	0.00	0.00	1.75	0.88	1.71	0.06
	योग	8550.0	8941.81	8330.10	8474.02	10290.02	10473.2	**9133.00	4663.18

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई सूचनानुसार।

**प्रारंभिक आवंटन

विवरण-II

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही योजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीडब्ल्यूएस योजनाओं की संख्या		प्रारंभ किए गए हैंडपम्प/ बोरवैलों की संख्या		प्रारंभ की गई अन्य योजनाओं की संख्या		प्रारंभ की गई योजनाओं की संख्या	
		योजनाएं (जारी + नवीन)	उपलब्धि	योजनाएं (जारी + नवीन)	उपलब्धि	योजनाएं (जारी + नवीन)	उपलब्धि	योजनाएं (जारी + नवीन)	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12498	4067	0	0	1358	1297	13856	5364
2.	बिहार	79	17	5964	1702	18	14	6061	1733
3.	छत्तीसगढ़	1690	229	19348	2985	11959	1056	32997	4270
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	5060	1907	0	0	291	10	5351	1917
6.	हरियाणा	2041	1079	4	3	6	2	2051	1084
7.	हिमाचल प्रदेश	583	122	2	2	14	5	599	129
8.	जम्मू और कश्मीर	1806	48	386	36	514	25	2706	109
9.	झारखंड	503	94	12211	954	533	165	13247	1213
10.	कर्नाटक	67581	14327	1774	593	5204	1237	74559	16157
11.	केरल	54	5	0	0	0	0	54	5
12.	मध्य प्रदेश	2545	405	30438	12927	2779	635	35762	13967
13.	महाराष्ट्र	7383	705	282	188	5623	474	13288	1367
14.	ओडिशा	2922	363	27725	8373	875	130	31522	8866
15.	पंजाब	1373	381	87	45	44	4	1504	430
16.	राजस्थान	1910	438	1281	141	1853	620	5044	1199
17.	तमिलनाडु	13998	9917	36	36	1225	912	15259	10865
18.	उत्तर प्रदेश	117	0	82	8	0	0	199	8
19.	उत्तराखंड	461	171	2	1	64	9	527	181
20.	पश्चिम बंगाल	770	85	641	296	42	39	1453	420
21.	अरुणाचल प्रदेश	705	90	9	0	202	0	916	90
22.	असम	1818	495	775	180	6395	1478	8988	2153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मणिपुर	414	131	3	0	26	6	443	137
24.	मेघालय	2324	150	311	8	1864	135	4499	293
25.	मिजोरम	69	0	0	0	0	0	69	0
26.	नागालैंड	84	49	0	0	0	0	84	49
27.	सिक्किम	112	39	0	0	241	132	353	171
28.	त्रिपुरा	942	123	718	199	436	132	2096	454
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	0	5	0	8	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	129845	35437	102079	28677	41571	8517	273495	72631

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई सूचनानुसार।

बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क

1247. श्री खगेन दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला-अखौरा एवं अगरतला-सबरूम खंडों सहित बांग्लादेश के साथ जारी/लंबित रेल संपर्क परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार दोनों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के क्रम में सबरूम से होकर चित्तगांग एवं फेनी (बांग्लादेश) के साथ रेल संपर्क बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क के विकास के लिए रेलवे द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) अगरतला-अखौरा और अगरतला-सबरूम नई लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:—

अगरतला (भारत)-अखौरा (बांग्लादेश) 15.061 किमी. नई लाइन: परियोजना को 252 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर बजट 2012-13 में शामिल किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर फरवरी, 2013 में हस्ताक्षर हुए थे। बजट 2013-14 के दौरान 10 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है। कार्य फिलहाल प्रारंभिक चरण में है।

अगरतला-सबरूम (110 किमी.), नई लाइन: परियोजना को रेल बजट 2008-09 में शामिल किया गया था और इसे राष्ट्री परियोजना घोषित किया गया है। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 1141.75 करोड़ रुपए है और मार्च, 2013 तक 497.8 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। 2013-14 के दौरान 1.40 करोड़ का एक परिव्यय मुहैया कराया गया है। फिलहाल भूमि संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है। समग्र प्रगति 42.35 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) अगरतला-सबरूम नई लाइन परियोजना निर्माण और फेनी के अंतर्गत बिलोनिया स्टेशन को संपर्कता मुहैया कराने संबंधी टोही इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। कि प्रस्तावित लाइन के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं

1248. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जारी की गयी भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार 20 प्रतिशत ग्रामीण घरों की पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच नहीं है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान चलायी जा रही ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता योजना, उनके लिए आवंटित राशि, जारी राशि तथा उपयोग की गयी राशि का योजना, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं हासिल उपलब्धि क्या है तथा चूक, यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के वांछित परिणाम हासिल नहीं हो पाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए कौन से नए उपाय किए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी की गई भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार, जिन ग्रामीण घरों में परिसर के भीतर पेयजल, घरेलू प्रयोग के लिए बिजली एवं शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उनका प्रतिशत संलग्न विवरण-I पर दर्शाया गया है। तथापि, संयुक्त अनुवीक्षण कार्यक्रम ने, जो मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को अनुवीक्षण करता है, पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत ने संशोधित स्रोतों से पेजयल की प्राप्ति के लिए एमडीजी-2015 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

(ख) ग्रामीण पेयजलापूर्ति स्कीमें, जिनका कार्यान्वयन आरंभ कर दिया गया है तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान पूरी हुई स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दर्शाया गया है। पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत जारी निधियों एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दर्शाया गया है। पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित निर्मल भारत अभियान (एनबीए) को जारी निधि एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण पेयजलापूर्ति से संबद्ध एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को संलग्न विवरण-V पर दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि राज्यों द्वारा लगभग लक्ष्य पूरे किए जाते हैं। जहां तक एनबीए का संबंध है यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है, अत: ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु वर्ष-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI पर दर्शाया गया है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की कवरेज में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को संपूर्ण रूप से कवर करने/ग्राम पंचायतों में संतृप्तिबोध लाने के साथ ही अब एक संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाया है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए राज्यों को जल आप्लावित कुओं एवं पुनर्भंडारण ढांचों के लिए सही क्षेत्रों की पहचान करने हेतु हाइड्रो जियो-मार्फोलॉजिकल मानचित्रों के संदर्भ में अनिवार्य तकनीकी सहायता, पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों पर हैण्डबुक, पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग से संबंधित एक-समान प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षण, महिला और बाल विकास सहित संबंधित मंत्रालयों द्वारा संचालित की गई स्कीमों के साथ ताल-मेल बिठाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाने हेतु किए जा रहे उपायों पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों के प्रावधान को पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों (एपीएल) (सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, छोटे एवं सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला-आश्रित परिवार) के लिए बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के साथ तालमेल बिठाकर एक परियोजना मोड दृष्टिकोण के साथ एनबीए के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के घटक को नए रूप से ढालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

विवरण-I

परिसरों के भीतर पेयजल, घरेलू उपयोग हेतु बिजली एवं शौचालय के बिना ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार वितरण

(प्रतिशत)

राज्यों	पेयजल, बिजली एवं शौचालय रहित घरों की प्रतिशतता
1	2
आंध्र प्रदेश	6.10
अरुणाचल प्रदेश	3.10
असम	8.10
बिहार	34.30
छत्तीसगढ़	16.50
दिल्ली	0.90
गोवा	0.10
गुजरात	7.80
हरियाणा	3.10
हिमाचल प्रदेश	1.30
जम्मू और कश्मीर	1.30
झारखंड	50.80
कर्नाटक	4.80
केरल	2.00
मध्य प्रदेश	16.40
महाराष्ट्र	14.00
मणिपुर	0.40
मेघालय	380
मिजोरम	1.20
नागालैंड	0.00
ओडिशा	50.90
पंजाब	1.60
राजस्थान	30.30
सिक्किम	1.10
तमिलनाडु	6.30
त्रिपुरा	1.60
उत्तर प्रदेश	29.80
उत्तराखंड	11.10
पश्चिम बंगाल	25.20
समस्त-भारत	19.50

विवरण-II

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पूर्ण स्कीमें

संस्वीकृत वर्ष: 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण पीडब्ल्यूएस स्कीमें	पूर्ण हैण्डपम्प	पूर्ण अन्य स्कीमें	कुल पूर्ण स्कीमें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17040	3475	13073	33588
2.	बिहार	953	20275	589	21817
3.	छत्तीसगढ़	3815	70459	18797	93071

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	0	0	2	2
5.	गुजरात	11363	407	692	12462
6.	हरियाणा	3998	60	85	4143
7.	हिमाचल प्रदेश	964	3562	570	5096
8.	जम्मू और कश्मीर	527	799	777	2103
9.	झारखंड	8511	86408	20226	115145
10.	कर्नाटक	90317	7305	22502	120124
11.	केरल	139	0	0	139
12.	मध्य प्रदेश	4634	137101	8007	149742
13.	महाराष्ट्र	16464	7622	26621	50707
14.	ओडिशा	2826	79419	6029	88274
15.	पंजाब	2441	535	834	3810
16.	राजस्थान	10301	22538	26013	58852
17.	तमिलनाडु	35968	581	5363	41912
18.	उत्तर प्रदेश	576	272355	589	273520
19.	उत्तराखंड	3940	226	259	4425
20.	पश्चिम बंगाल	221	8824	204	9249
21.	अरुणाचल प्रदेश	2123	3	613	2739
22.	असम	1832	1530	19100	22462
23.	मणिपुर	276	66	133	475
24.	मेघालय	564	126	979	1669
25.	मिजोरम	199	0	58	257
26.	नागालैंड	1837	1	223	2061
27.	सिक्किम	762	0	301	1063
28.	त्रिपुरा	1182	6003	2918	10103
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	0	6	25

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	34	0	0	34
	योग	223826	729680	175563	1129069

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई सूचनानुसार।

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आरंभिक अधिशेष, आवंटन रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11				2011-12			
		आरंभिक	आवंटन	जारी	व्यय	आरंभिक	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07
9.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20
19.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41
21.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03
24.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44
25.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00	
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00	
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
	योग	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65

—जारी

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आरंभिक अधिशेष, आवंटन रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2012-13				2013-14*			
		आरंभिक	आवंटन	जारी	व्यय	आरंभिक	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	301.3	563.39	485.14	672.82	113.62	551.19	262.46	300.43
2.	बिहार	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	440.01	113.24	115.91
3.	छत्तीसगढ़	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	141.75	65.4	76.27
4.	गोवा	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.94	0	0
5.	गुजरात	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	526.96	267.57	207.8
6.	हरियाणा	43.98	250.24	313.41	275.54	85.59	241.80	119.56	152.13
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	148.69	0	23.16
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	499.44	234.63	184.86
9.	झारखंड	74.31	191.86	243.43	204.87	122.36	185.23	95.83	109.04
10.	कर्नाटक	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	668.60	327.83	250.9
11.	केरल	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	165.13	77.54	98.65
12.	मध्य प्रदेश	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	428.70	215.66	216.57
13.	महाराष्ट्र	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	766.32	26.8	169.45
14.	ओडिशा	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	233.25	106.69	89.56
15.	पंजाब	3	101.9	144.27	121.22	26.04	88.29	83.23	38.96
16.	राजस्थान	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1317.56	1237.92	674.22
17.	तमिलनाडु	240.27	394.82	570.17	625	185.44	287.80	181.12	257.55
18.	उत्तर प्रदेश	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	860.55	410.42	434.44
19.	उत्तराखंड	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	154.82	86.49	8.65
20.	पश्चिम बंगाल	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	453.29	230.05	348.07
21.	अरुणाचल प्रदेश	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	142.18	91.83	49.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	असम	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	506.21	243.28	368.79
23.	मणिपुर	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	63.12	16.27	4.54
24.	मेघालय	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	72.67	37.44	36.52
25.	मिजोरम	9.74	48.35	47.92	32.87	25.8	41.27	14.85	2.64
26.	नागालैंड	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	59.86	35.84	27.21
27.	सिक्किम	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	17.86	17.85	40.5
28.	त्रिपुरा	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	63.68	63.29	32.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.15	0.78	0	0.78	1.12	0.03	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
35.	पुदुचेरी	0	1.75	0.88	0	0.88	1.71	0.06	0
	योग	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9135.00	4660.18	4318.57

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत जारी एवं उपयोग किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय अंश

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	138.80	71.78	96.57	91.52	150.23	90.57	0.00	67.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.19	6.10	2.05	5.11	9.87	2.11	0.00	3.63
3.	असम	94.37	67.12	122.51	122.28	119.43	94.59	0.00	35.18
4.	बिहार	112.60	124.21	172.19	167.61	478.15	220.13	0.00	71.56
5.	छत्तीसगढ़	54.80	25.31	27.02	32.86	57.32	16.78	0.00	15.66
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	46.92	33.33	43.08	35.25	39.49	34.98	26.30	23.21
9.	हरियाणा	23.61	14.10	3.35	15.42	0.00	7.67	125.60	9.67
10.	हिमाचल प्रदेश	29.40	21.30	4.70	12.75	16.67	16.59	24.93	8.78
11.	जम्मू और कश्मीर	27.93	11.02	9.68	24.63	35.11	36.41	33.07	13.01
12.	झारखंड	54.67	36.54	72.65	23.35	41.93	18.87	0.00	15.43
13.	कर्नाटक	44.59	62.41	87.09	41.15	159.51	69.64	0.00	64.50
14.	केरल	22.86	8.09	1.59	9.88	0.00	9.52	13.47	10.76
15.	मध्य प्रदेश	144.03	128.27	150.76	167.00	257.80	182.49	264.01	155.75
16.	महाराष्ट्र	129.12	72.63	58.00	83.91	124.09	62.81	0.00	40.05
17.	मणिपुर	0.80	8.61	10.88	7.01	35.09	17.14	0.00	10.05
18.	मेघालय	31.05	14.37	11.16	32.91	25.40	12.89	36.72	9.91
19.	मिजोरम	6.53	2.73	0.31	6.92	4.97	2.03	0.43	2.95
20.	नागालैंड	12.29	2.65	1.74	13.71	23.03	3.89	0.00	17.01
21.	ओडिशा	68.37	49.28	111.72	46.52	0.00	33.09	0.00	10.50
22.	पुदुचेरी	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	11.16	4.21	2.83	1.08	0.00	3.88	0.00	2.50
24.	राजस्थान	56.71	37.58	54.24	31.37	137.71	83.03	0.00	31.78
25.	सिक्किम	1.13	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	2.33	3.90
26.	तमिलनाडु	77.94	52.13	76.62	107.10	128.12	86.95	154.91	123.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	त्रिपुरा	9.25	5.74	1.34	7.53	4.30	3.41	12.96	4.60
28.	उत्तर प्रदेश	225.94	227.39	169.21	120.56	256.85	201.44	323.24	166.92
29.	उत्तराखंड	17.08	11.60	8.05	13.13	25.42	13.54	0.00	9.35
30.	पश्चिम बंगाल	83.28	76.55	141.24	115.14	306.38	199.75	4.17	84.40
	कुल योग	1526.42	1175.07	1440.59	1335.73	2438.47	1524.20	1022.15	1012.18

विवरण-V

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का वास्तविक लक्ष्य एवं कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6673	6971	5634	6183	5266	5699	5798	2275
2.	बिहार	18749	14221	15810	11243	15015	10960	13832	3762
3.	छत्तीसगढ़	9948	7847	8409	7977	10562	9111	10700	2508
4.	गोवा	0	0	0		0	0	0	0
5.	गुजरात	1100	1079	1125	1165	1020	1856	1050	1868
6.	हरियाणा	1007	752	862	859	950	895	818	247
7	हिमाचल प्रदेश	5000	5094	2557	2558	2530	2650	2500	1336
8.	जम्मू और कश्मीर	962	903	923	536	1067	1153	955	166
9.	झारखंड	1099	11399	19110	17425	16546	17335	12132	5353
10.	कर्नाटक	8750	6130	9000	8757	8245	13284	10378	3015
11.	केरल	744	405	824	419	696	668	924	89
12	मध्य प्रदेश	13300	13937	16715	15644	16985	17483	13050	5931
13.	महाराष्ट्र	9745	8987	6407	6364	5754	4637	4713	1042
14.	ओडिशा	5494	7525	4725	6782	9116	19484	13500	6689
15.	पंजाब	2023	1658	1630	643	1473	617	1939	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजस्थान	7764	7254	6073	7885	2569	3943	2990	960
17.	तमिलनाडु	8009	7039	6000	6000	6460	7203	6000	586
18.	उत्तर प्रदेश	2142	1879	23300	23134	24000	23727	25000	321
19.	उत्तराखंड	1565	1324	1341	1102	1075	983	1083	443
20.	पश्चिम बंगाल	6630	5967	6094	4619	2469	4236	4600	690
21.	अरुणाचल प्रदेश	534	601	300	415	292	358	304	46
22.	असम	8157	6467	6073	6601	7230	7110	7175	1128
23.	मणिपुर	330	227	330	234	250	197	250	89
24.	मेघालय	840	380	535	510	580	510	616	22
25.	मिजोरम	124	121	125	122	57	5	45	23
26.	नागालैंड	105	128	85	116	101	178	85	81
27.	सिक्किम	175	100	200	50	270	101	200	26
28.	त्रिपुरा	825	976	982	1024	1052	1323	1178	598
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8			0	0	0	0
30.	चंडीगढ़					0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली					0	0	0	0
32.	दमन और दीव					0	0	0	0
33.	दिल्ली					0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	10	10			0	0	0	0
35.	पुदुचेरी		12			30	0	23	0
	जोड़	121812	119401	145169	138367	141660	155706	141838	39531

'30.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा की गई सूचनानुसार।

विवरण-VI

गत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत निर्मित पारिवारिक शौचालयों, विद्यालयी शौचालयों एवं आंगनवाड़ी शौचालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)		
		पारिवारिक शौचालय	विद्यालयी शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	पारिवारिक शौचालय	विद्यालयी शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	पारिवारिक शौचालय	विद्यालयी शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	पारिवारिक शौचालय	विद्यालयी शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1049704	3961	816	654282	7308	1048	384279	4199	1574	170326	2836	1595
2.	अरुणाचल प्रदेश	19799	335	331	27781	4	76	5760	0	8	7409	30	110
3.	असम	498849	4528	1004	510243	633	120	273240	77	76	69311	321	113
4.	बिहार	717792	8679	309	839927	22575	1521	796699	17009	4822	125655	4152	1182
5.	छत्तीसगढ़	236164	616	262	82496	1918	365	52045	1387	220	29778	0	18
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	515224	2323	2343	321357	5182	474	171977	4666	451	81809	743	309
9.	हरियाणा	132137	1340	870	103913	657	633	62949	148	315	59687	42	124
10.	हिमाचल प्रदेश	216571	6429	4400	30066	802	132	5183	1215	1066	7218	206	12
11.	जम्मू और कश्मीर	125228	1480	42	70626	2682	97	71900	2011	76	25607	147	0
12.	झारखंड	296678	2158	1451	53479	1228	1067	48500	613	684	36904	242	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कर्नाटक	810104	4719	3025	414782	1062	1046	296429	1758	687	230562	340	434
14.	केरल	20241	29	195	2188	76	60	5674	34	322	8523	111	32
15	मध्य प्रदेश	1166016	16570	4419	900769	43687	1856	558189	1033	804	214963	56	35
16.	महाराष्ट्र	562183	4222	1574	519563	539	579	189306	159	5800	192528	20	307
17.	मणिपुर	49576	1227	779	55306	703	144	43917	0	53	23717	0	0
18.	मेघालय	65417	2833	710	51550	2077	595	14406	1603	130	5778	217	74
19.	मिजोरम	1611	0	0	17237	0	236	4967	106	219	4046	461	28
20.	नागालैंड	18224	578	60	46318	304	168	22149	28	20	19868	508	258
21.	ओडिशा	853303	3418	1459	359171	1984	3320	118318	1138	956	18785	294	26
22.	पुदुचेरी	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	118415	1000	1951	32535	5	1197	57421	345	620	3846	0	0
24.	राजस्थान	750948	6323	1734	730385	5297	2015	252800	15511	3421	132065	6145	4010
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3443	166	100
26.	तमिलनाडु	473647	1464	182	410794	5605	1202	324216	3095	2076	118149	350	371
27.	त्रिपुरा	30392	588	645	24761	1035	777	7035	412	2	4997	65	871
28.	उत्तर प्रदेश	2915407	18410	16076	1613384	18	504	134873	30	80	393196	30	17
29.	उत्तराखंड	132913	219	6	125051	192	29	97815	344	19	48962	84	13
30.	पश्चिम बंगाल	466311	12060	6180	800900	16898	9148	559115	19475	12176	327021	5281	3177
	कुल योग़	12243731	105509	50823	8798864	122471	28409	4559162	76396	36677	2364153	22847	13577

[हिन्दी]

भू-जल स्तर का कम होना

1249. श्री राकेश सिंह :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां भू-जल स्तर गिरावट खतरनाक स्तर पर पहुंच गयी है;

(ख) देश में ऐसी संकटपूर्ण स्थिति वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद समयबद्ध योजना लागू करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पुनर्भरणीय भूजल संसाधन का आवधिक आकलन करता है। आकलन (2009 तक), के अनुसार देश की 6842 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों/मंडलों/ तालुकों/जिलों) में से वार्षिक भूजल निकासी, निवल वार्षिक भूजल उपलब्धता और भूजल स्तर के दीर्घावधि रुझान में उल्लेखनीय गिरावट के आधार पर 802 इकाइयों को 'अति-दोहित, के रूप में वगीकृत किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग दे कर जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए उनके प्रयासों में सहयोग करती है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:—

I. देश में जल संसाधन के संरक्षण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम: कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देना।

II. देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा मास्टर योजना तैयार करना।

III. अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना।

IV. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विनियमन, विकास एवं संरक्षण के लिए भूजल विधान अधिनियमित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उन्हें मॉडल बिल परिचालित किया जाना।

V. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा 'अति-दोहित, ब्लॉकों वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने/अपनाने के लिए उपाय करने के लिए सलाह जारी करना; और

VI. XIIवीं योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन भूजल प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी केन्द्रीय स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ देश में भूजल संसाधन का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों को शामिल करते हुए भूजल के सहभागी प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।

विवरण

देश में 'अति-दोहित' राज्य-वार क्षेत्र

(2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलित इकाइयों की कुल संख्या	अति-दोहित	
			संख्या	%
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1108	84	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	0	0
3.	असम	23	0	0
4.	बिहार	533	0	0
5.	छत्तीसगढ़	146	0	0
6.	दिल्ली	27	20	74
7.	गोवा	11	0	0
8.	गुजरात	223	27	12
9.	हरियाणा	116	68	59
10.	हिमाचल प्रदेश	8	1	13

1	2	3	4	5
11.	जम्मू और कश्मीर	14	0	0
12.	झारखंड	208	4	2
13.	कर्नाटक	270	71	26
14.	केरल	152	1	1
15.	मध्य प्रदेश	313	24	8
16.	महाराष्ट्र	353	9	3
17.	मणिपुर	8	0	0
18.	मेघालय	7	0	0
19.	सिक्किम	22	0	0
20.	नागालैंड	8	0	0
21.	ओडिशा	314	0	0
22.	पंजाब	138	110	80
23.	राजस्थान	239	166	69
24.	सिक्किम	4	0	0
25.	तमिलनाडु	386	139	36
26.	त्रिपुरा	39	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	820	76	9
28.	उत्तराखंड	17	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	269	0	0
	कुल राज्य	5792	800	14
	संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
4	दमन और दीव	2	1	50
5.	लक्षद्वीप	9	0	0
6.	पुदुचेरी	4	1	25
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	50	2	4
	कुल योग	5842	802	14

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धनराशि

1250. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जवीन स्तर को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपयों के साथ एक नए कोष का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में लाभ दिये जाने के लिए लक्षित परिवारों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस योजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत लाये जाने वाले परिवारों की कुल संख्या के संबंध में क्या आकलन किया गया है और इसे कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की संचित निधि से भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

(ग) बीआरएलएफ की स्थापना से प्रथम चरण में कुल 10 लाख परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

(घ) बीआरएलएफ सोसाइटी को चलाये जाने के बाद, पांच वर्षों में पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा।

(ङ) बीआरएलएफ शुरू में लगभग 900 खंडों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनमें 9 राज्यों – पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के 170 जिलों की 20 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या है।

[अनुवाद]

निजी वितरण कंपनियों द्वारा बिजली की बिक्री

1251. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विद्युत वितरण कंपनियों के पास अधिशेष विद्युत नहीं रहने पर भी उन्हें सरकार द्वारा विद्युत बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उन निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बेची गयी विद्युत का ब्यौरा क्या है जिनके पास अधिशेष विद्युत उपलब्ध नहीं थी तथा उनसे लाभान्वितों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। वितरण कंपनियों को अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विद्युत बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 14 के अंतिम परंतुक इस प्रकार है:—

"परंतु यह भी कि वितरण लाइसेंसी को विद्युत में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तद्नुसार, वितरण कंपनियां विद्युत में व्यापार के लिए प्राधिकृत हैं।"

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) अंतर-राज्यीय ट्रैडिंग लाइसेंसियों के माध्यम से अल्पकालिक द्विपक्षीय लेन-देन संबंधी आंकड़ों का अनुपालना करता है। सीईआरसी द्वारा दिए गए विस्तृत आंकड़ों के ब्यौरे के अनुसार क्रमशः वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के वर्षों के लिए निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिक्री की गई विद्युत संलग्न विवरण-I, II एवं III में दी गई है।

विवरण-I

व्यापारियों के द्वि-पक्षीय लेन-देन 2010-11 (बैंकिंग को छोड़कर)

वास्तविक शेड्यूल वॉल्यूम (एमयूएस)	विक्रेता का नाम	राज्य	खरीदकर्त्ता का नाम	राज्य
1	2	3	4	5
0.73	बीआरपीएल	दिल्ली	एचपीपीसी	हरियाणा
28.30	बीआरपीएल	दिल्ली	केएसईबी	केरल
0.10	बीआरपीएल	दिल्ली	पीसीकेएल	कर्नाटक
0.70	बीआरपीएल	दिल्ली	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
47.04	बीआरपीएल	दिल्ली	आरडीपीपीसी	राजस्थान
134.04	बीआरपीएल	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तराखंड
31.58	बीआरपीएल	दिल्ली	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
17.49	बीआरपीएल	दिल्ली	एनपीसीएल	उत्तर प्रदेश
31.03	बीआरपीएल	दिल्ली	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश
1.20	बीआरपीएल	दिल्ली	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
45.00	बीआरपीएल	दिल्ली	केएसईबी	केरल
99.05	बीआरपीएल	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तराखंड

1	2	3	4	5
47.03	बीआरपीएल	दिल्ली	आरडीपीपीसी	राजस्थान
0.90	एनडीपीएल	दिल्ली	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
1.26	एनडीपीएल	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तराखंड
1.99	एनडीपीएल	दिल्ली	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश
0.35	टाटा पावर	महाराष्ट्र	एनडीपीएल	दिल्ली
131.12	टाटा पावर मुम्बई	महाराष्ट्र	पीएसपीसीएल	पंजाब
19.50	टीपीसीएल	महाराष्ट्र	टीएनईबी	तमिलनाडु
0.30	टीपीसीएल	महाराष्ट्र	वीएएल	ओडिशा
119.25	टॉरेंट पावर	गुजरात	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
211.75	टॉरेंट पावर	गुजरात	टीएमईबी	तमिलनाडु
31.39	टॉरेंट पावर	गुजरात	टेनजेडको	तमिलनाडु
65.42	टॉरेंट पावर	गुजरात	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
77.27	टॉरेंट पावर	गुजरात	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश
17.99	टॉरेंट पावर	गुजरात	यूटी सीएचडी	चंडीगढ़
270.19	टॉरेंट पावर	गुजरात	पीसीकेएल	कर्नाटक
16.68	टॉरेंट पावर	गुजरात	बेस्कॉम	कर्नाटक
64.22	टॉरेंट पावर	गुजरात	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश
18.90	टॉरेंट पावर	गुजरात	केआईएसपीएल	अंतर्राज्यीय लाइसेंस
56.09	टॉरेंट पावर	गुजरात	जेवीवीएनएल	राजस्थान
35.63	टॉरेंट पावर	गुजरात	आरडीपीपीसी	राजस्थान

विवरण-II

व्यापारियों के द्वि-पक्षीय लेन-देन 2011-12 (बैंकिंग को छोड़कर)

वास्तविक शेड्यूल वोंल्यूम (एमयूएस)	विक्रेता का नाम	राज्य	खरीदकर्त्ता का नाम	राज्य
1	2	3	4	5
36.31	बीआरपीएल	दिल्ली	एचपीपीसी	आंध्र प्रदेश
0.99	बीआरपीएल	नई दिल्ली	केएसईबी	केरल

1	2	3	4	5
28.08	बीआरपीएल	दिल्ली	एमएचईडीसीएल	महाराष्ट्र
0.17	बीवीईपीएल	दिल्ली	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल
0.75	एनडीपीएल	दिल्ली	आरडीपीपीसी	राजस्थान
55.01	एनडीपीएल	दिल्ली	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
94.95	एनडीपीएल	दिल्ली	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश
27.23	एनडीपीएल	दिल्ली	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल
12.41	आरआईएल	महाराष्ट्र	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश
2.95	आर इन्फ्रा	महाराष्ट्र	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
28.70	टाटा पावर मुम्बई	महाराष्ट्र	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश
0.40	टीपीसी (एल)	महाराष्ट्र	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल
35.77	टोरेंट	गुजरात	एपीपीसीसी	आंध्र प्रदेश
48.08	टोरेंट	गुजरात	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश
51.26	टोरेंट पावर	गुजरात	पीसीकेएल	कर्नाटक

विवरण-III

व्यापारियों के द्वि-पक्षीय लेन-देन 2012-13 (बैंकिंग को छोड़कर)

वास्तविक शेड्यूल वॉल्यूम (एमयूएस)	किससे खरीदा गया-विक्रेता का नाम	किस राज्य से खरीदा गया	किसे बेचा गया-खरीदार का नाम	किस राज्य को बेचा गया
1	2	3	4	5
0.30	बीआईपीएल	दिल्ली	ईईएल	महाराष्ट्र
3.52	बीआईपीएल	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तर प्रदेश
2.26	बीआईपीएल	दिल्ली	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
7.65	बीआईपीएल	दिल्ली	एमपीपीएमसीएल	मध्य प्रदेश
115.76	बीआईपीएल	दिल्ली	आरडीपीवीसी	राजस्थान
71.77	बीआईपीएल	दिल्ली	वीआईपीएल	महाराष्ट्र
0.50	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	जेएसईबी	झारखंड
0.29	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	वीएआरएमडीएफ	मध्य प्रदेश
0.26	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	वीएआरडीएमएन	मध्य प्रदेश
21.61	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एमपीपीटीसी	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5
12.77	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एमपीपीएमसीएल	मध्य प्रदेश
68.63	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	टोरेंट-डी	गुजरात
3.19	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एनपीसीएल	उत्तर प्रदेश
4.65	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एपीडीसीएल	असम
1.42	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	ईएसआईएल	गुजरात
6.62	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	पीएसपीसीएल	पंजाब
0.44	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एपीएनआरएल	पश्चिम बंगाल
183.43	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तराखंड
5.13	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	केएसईबी	केरल
0.59	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एसटीएल	महाराष्ट्र
5.70	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश
8.10	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	यूटी-सी	चंडीगढ़
4.74	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एवीवीएनएल	राजस्थान
6.38	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	जेवीवीएनएल	राजस्थान
5.23	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	जेडीवीवीएनएल	राजस्थान
3.08	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश
16.86	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	आरडीपीवीसी	राजस्थान
0.76	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एसटीएल	महाराष्ट्र
0.37	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एससीएल	आंध्र प्रदेश
6.74	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एमपीपीएमसीएल	मध्य प्रदेश
10.36	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एसटीएल	महाराष्ट्र
9.48	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल
192.55	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
65.11	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	एनपीसीएल	उत्तर प्रदेश
0.71	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	ईईएल	महाराष्ट्र
7.96	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	ईएसआईएल	गुजरात
125.99	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	यूपीसीएल	उत्तराखंड
8.26	एनडीपीएल (टीपीडीडीएल)	दिल्ली	आरआईएल, दहेज	गुजरात

[हिन्दी]

मंगला एक्सप्रेस दुर्घटना

1252. श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री एंटो एंटनी :
श्री जोस के. मणि :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में नासिक के समीप 15 नवम्बर, 2013 को मंगला एक्सप्रेस पटरी से उतर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो जान-माल की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पटरी से उतरने के कारण पता करने के लिए कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त दुर्घटना के पीड़ितों को प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 15.11.2013 को 06.20 बजे, जब गाड़ी सं. 12618 अप निजामुद्दीन-एर्णाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के घोती और इगतपुरी के बीच चल रही थी, तो इसके इंजन और 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे जिनमें से 3 डिब्बे उलट गए थे, इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की मृत्यु हुई, 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और 13 को मामूली चोटें आई थीं, इस दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति के नुकसान की लागत रेल संरक्षा आयुक्त जांच का एक भाग है।

भारतीय रेलवे द्वारा संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटना को रोकने और संरक्षा को बढ़ाने के लिए निरंतर आधार पर सभी संभव कदम उठाए जाते हैं, गाड़ी को पटरी से उतरने से बचाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए अनुसार हैं:—

(i) प्री स्ट्रैस्ड कंक्रीट (पीएससी) स्लीपरों वाले रेलपथ ढांचे को अपग्रेड करना, उच्च धुरा भार और उच्च घनत्व मार्गों के लिए 52 किग्रा./60 किग्रा. उच्च क्षमता की पटरियां; नए निर्माण और पुन:स्थापना संबंधी कार्य केवल पीएससी स्लीपरों से किया जाता है।

(ii) पटरियों को दरार से बचाने के लिए वैल्ड किए गए जोड़ों की संख्या कम करने के लिए 260 मीटर/130 मीटर लंबाई वाले लम्बे रेल पैनल।

(iii) अलूमिनो थर्मिट वैल्डिंग को अपग्रेड करना और मोबाइल फ्लैश बट्ट वेल्डिंग का उपयोग बढ़ाना।

(iv) त्रुटि का पता लगाने के लिए पटरियों की जांच हेतु अल्ट्रासोनिक रेल फ्लॉ डिटेक्टर जैसे आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों का उपयोग।

(v) पटरियों में पड़ने वाली दरारों के प्रति संरक्षा बढ़ाने के लिए रेल ग्राइंडर मशीनों का उपयोग।

(vi) सुरक्षित और कुशल आउटपुट की व्यवस्था करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके रेलपथ अनुरक्षण का उत्तरोत्तर मशीनीकरण।

(vii) रेलपथ पर चपटे पहियों के असुरक्षित संचलन का पता लगाने के लिए रेलपथ के साथ व्हील इम्पेक्ट लोड डिडेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी)।

(viii) रात्रि पैट्रोलिंग और शीतकालीन पैट्रोलिंग सहित संवेदनशील स्थानों पर रेलपथ की नियमित पैट्रोलिंग करना।

(ix) नियमित अंतरालों पर विशेष संरक्षा निरीक्षण अभियान चलाना।

(ग) उपर्युक्त दुर्घटना में एक वैधानिक जांच नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस)/मध्य सर्कल द्वारा की जा रही है।

(घ) रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) में मुआवजे का दावा दर्ज करने के बाद और दावाकर्ता के पक्ष में अधिकरण द्वारा डिक्री दिए जाने और रेलवे के संतुष्ट होने पर रेलवे द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं/अप्रिय घटनाओं में मृत्यु/चोट के मुआवजे (जैसाकि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124/124-ए के अंतर्गत परिभाषित किया गया है) का भुगतान किया जाता है, रेलवे द्वारा कोई मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इस दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए रेलवे को अभी तक कोई भी डिक्री प्राप्त नहीं हुई है, बहरहाल, नियमों के अनुसार अनुग्रह राहत राशि प्रदान की गयी है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण कार्य

1253. श्री कीर्ति आजाद :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार एवं राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत धीमी गति से जारी निर्माण कार्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निर्धारित समय में पूरा नहीं की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खासकर बिहार और राजस्थान में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्य की गति तेज करने के लिए केन्द्र सराकर द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) और (ख) 'ग्रामीण विकास' राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के कार्यान्वयन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ राज्यों में पीएमजीएसवाई की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, सीमित संविदात्मक क्षमता, पर्याप्त शिक्षित तकनीकी कार्मिकों की अनुपलब्धता, सीमित कार्यकारी मौसम, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, भूमि की अनुपलब्धता, वन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में मंजूरी न मिलना, कानून व्यवस्था की समस्या इत्यादि के कारण उक्त राज्य पीएमजीएसवाई योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। दिसंबर, 2000 में योजना के प्रारंभ से मंत्रालय ने बिहार के लिए 13,332 सड़क कार्यों और राजस्थान के लिए 14,584 सड़क कार्यों की परियोजनाओं की मंजूरी दी है। बिहार तथा राजस्थान के लिए मंजूर की गई वर्ष-वार परियोजनाओं तथा उनके पूरे होने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिहार में पीएमजीएसवाई के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु मंत्रालय ने राज्य सरकार तथा 5 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू), नामतः मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैसर्स नेशनल प्रोजेक्टस् कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्स नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ वर्ष 2005 में त्रिपक्षीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। सड़कों के निर्माण के लिए इन एजेंसियों को वर्ष 2008-09 तक कार्य आवंटित किए गए थे। इस बीच, बिहार राज्य ने अपनी कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाई है तथा राज्य द्वारा और अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों पर उचित कार्रवाई करने हेतु राज्यों को सलाह देती थी। मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई तथा राज्यों को दी गई सलाह का कतिपय विवरण निम्न प्रकार है:—

(i) कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) की संख्या में बढ़ोतरी करना तथा उन्हें सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं के साथ तैनात करना।

(ii) सड़क कार्यों के लिए ठेकेदार बनने हेतु अनुभवी उप-ठेकेदार को प्रोत्साहित करना।

(iii) ठेकेदारों के मुद्दों को निपटने के लिए नियमित रूप से ठेकेदार-आउटरीच सम्मेलन आयोजित करना।

(iv) वर्तमान कीमतों पर कार्यों को मंजूरी देने हेतु राज्य द्वारा दरों की अनुसूची (एसओआर) में नियमित रूप से वृद्धि करना तथा वर्तमान बाजार मूल्यों पर निविदाएं जारी करना।

(v) ठेकेदारों द्वारा पूरे किए गए कार्यों से संबंधित अंतिम बिलों का भुगतान करने हेतु राज्यों को अनुदेश देना।

(vi) बोली दस्तावेजों का मानकीकरण तथा शीघ्र निविदा आमंत्रित करने हेतु ई-टेंडरिंग।

(vii) ठेकेदार के अभियंताओं सहित फील्ड अभियंताओं का क्षमता निर्माण करना।

(viii) राज्यों के साथ वास्तविक एवं वित्तीय प्राचलों की नियमित एवं सुव्यवस्थति रूप से समीक्षा करना।

(ix) राज्य स्तर पर सेकेंड-टायर गुणत्तता नियंत्रण प्रक्रियाविधि को सुदृढ़ बनाना जिसमें प्रक्रिया विधि का संस्थानीकरण भी शामिल है।

(x) मंत्रालय द्वारा राज्यों को समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित करना।

विवरण

बिहार और राजस्थान राज्यों के लिए मंजूर किए गए कार्यों की प्रगति

आवंटन का वर्ष	बिहार (केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपे गए कार्य सहित)		राजस्थान	
	मंजूर किए गए कार्य	मंजूर किए गए कार्यों में से पूरे किए गए की संख्या	मंजूर किए गए कार्य	मंजूर किए गए कार्यों में से पूरे किए गए कार्यों की संख्या
2000-01	298	281	524	522
2001-02	670	591	662	662
2003-04	—	—	2,115	2,112
2004-05	—	—	577	577
2005-06	332	316	1,132	1,115
2006-07	419	379	3,359	3,300
2007-08	1,237	1,096	2,746	2,739
2008-09	5,704	4,294	337	331
2009-10	—	—	229	212
2010-11	23	3	—	—
2011-12	647	59	1,076	866
2012-13	1,446	14	1,256	46
2013-14	2,556	0	571	0
कुल	13,332	7,033	14,584	12,482

[अनुवाद]

एसटीडी/पीसीओ बूथों का बहुउद्देशीय स्टॉलों में परिवर्तन

1254. श्री बिभु प्रसाद तराई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित एसटीडी/पीसीओ बूथों को मानवीय आधारों पर बहुउद्देशीय स्टॉलों में परिवर्तित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एसटीडी/पीसीओ बूथ चला रहे विकलांग व्यक्तियों की आजीविका हेतु उनके पुनर्वास के लिए कोई नीति बनाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, विकलांग व्यक्तियों द्वारा परिचालित एसटीडी/पीसीओ बूथों को बहु-उद्देशीय स्टालों में बदलने के लिए संसद सदस्यों सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस समय, एसटीडी/पीसीओ बूथों को बहु-उद्देशीय स्टालों में बदलने की कोई नीति नहीं है।

(ग) और (घ) मौजूदा एसटीडी/पीसीओ बूथों में कतिपय अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान करने पर सिम कार्ड (नए कनैक्शन), मोबाइल, फोन और इससे संबंधित सामान को बेचने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को लाइसेंसधारी के संतोषजनक कार्य निष्पादन आदि के आधार पर एक वर्ष का विस्तार प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

बर्थ कंफर्म होने में वीआईपी कोटा

1255. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री गोरखनाथ पांडेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों में वीआईपी कोटा से बर्थ कंफर्म होने के क्या मानंदड हैं;

(ख) संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए परिवारिक सदस्यों/संबंधियों/मित्रों/अतिथियों की प्रतीक्षा सूची टिकटों के कंफर्म न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबद्ध संसद सदस्यों को टिकट कंफर्म नहीं होने के बारे में सूचित किया जाता है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक आरक्षित सीट कोटा के अंतर्गत कंफर्म नहीं हो पाए रेलवे आरक्षणों के संबंध में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें मिली है; और

(ङ) संसद सदस्यों की सिफारिशें नहीं मानने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) वारंट ऑफ प्रिसीडेंस के अनुसार प्राथमिकता और लंबे समय से अपनाई जा रही एक सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपातकालीन कोटे के तहत स्थान जारी किया जाता है। माननीय संसद सदस्यों से उनकी यात्रा के लिए आपातकालीन कोटे में से बर्थ की पुष्टि कराने के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुपालन किया जाता है। स्वयं की यात्रा से इतर उनसे प्राप्त अनुरोधों पर भी उपलब्ध बर्थों की संख्या, अन्य अनुरोधों की संबंधित प्राथमिकता आदि को देखते हुए उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) चूंकि आपातकालीन कोटे (ईक्यू) के लिए सीमित स्थान निर्धारित किया गया है, व्यस्त अवधि के दौरान, जब विभिन्न स्रोतों यथा माननीय केंद्रीय मंत्री/ससंद सदस्यों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से आपातकालीन कोटा से प्रतीक्षा सूची टिकट को कंफर्म कराने की मांग बहुत अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी ऐसे सभी अनुरोधों को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं होता है।

(ग) माननीय संसद सदस्य के स्वयं के यात्रा करने संबंधी मामले में संसद सदस्य (साथ अथवा बिना पति/पत्नी के) के साथ समन्वय करने के लिए और जब कभी बुक की गई श्रेणी से निम्न श्रेणी में संसद सदस्य को बर्थ दिया जाता है, की सूचना संबंधित संसद सदस्य अथवा उसके स्टाफ को देने के लिए पहचान गए महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) माननीय संसद सदस्यों के अनुरोधों पर आपातकालीन कोटे में से गैर-कन्फर्म बर्थ संबंधी प्राप्त शिकायतों का केंद्रीकृत डाटा नहीं रखा जाता है आपातकालीन कोटे में से गैर-कन्फर्म बर्थ के संबंध में माननीय संसद सदस्यों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक और अपील नियम के तहत वर्तमान अनुदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाती है।

छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में सर्वेक्षण

1256. श्री मधुसूदन यादव :
कुमारी सरोज पांडेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 के रेल बजट में घोषित एवं छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आने वाली नयी रेल लाइनों के लिए जारी/लंबित एवं पूर्ण हो चुके सर्वेक्षणों का खंड-वार ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-उसलापुर-बिलासपुर खंड के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आवंटित एवं कथित धनराशि का खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) इस समय,

छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आंशिक या पूर्ण तौर पर आने वाले 41 सर्वेक्षण निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) डोंगरगढ़-करबीरधाम-मुंगेली-उसलापुर-बिलासपुर खंड के सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की गई है और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (ङ) चूंकि परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं, अत: निधि आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है और परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का प्रश्न भी नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एयरलाइनों में बेड़े का आकार

1257. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री उदय सिंह :
श्री एन. धरम सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संचालित विभिन्न एयरलाइनों में बेड़े का आकार आज की तिथि तक कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयरलाइन एवं वर्ष-वार कितनी लाभ-हानि हुई है;

(ग) क्या भारतीय एयरलाइन विमानन उद्योग के बहुपक्षीय संकटों का सामना कर रहा है तथा संभलाई की उच्च लागत एवं अत्यधिक करों के कारण प्रभावित है;

(घ) यदि हां, तो विमानन उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे बोझ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र समस्याएं दूर करने के लिए कोई कदम उठा रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) भारत में प्रचालित की जा रही अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का विमान बेड़ा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का वित्तीय सार संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। विमानन उद्योग बहुआयामी कठिनाइयों यथा विमानन क्षेत्र में उच्च कर दरें, वैश्विक आर्थिक मंदी, घरेलू एयरलाइन उद्योग की खराब वित्तीय हालत जिससे राजस्व और व्यय में व्यापक अंतर तथा रुपए का अवमूल्यन का सामना कर रहा है।

(ङ) सरकार द्वारा अनेक उपाय यथा एटीएफ पर वैट को कम करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध, भारतीय वाहकों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता के तौर पर विमानन टर्बाइन ईंधन के सीधे आयात की अनुमति, अनुसूचित विमान परिवहन उद्यम की इक्विटी में 49% तक की भागीदारी के लिए विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देना, एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल सीलिंग के अध्यधीन एक वर्ष की अवधि के लिए एयरलाइन उद्योग की कार्यशील पूंजी अपेक्षा के लिए ईसीबी की अनुमति और विमान के कल-पुर्जों के लिए कर रियायत तथा सिविल विमान के तृतीय पक्ष अनुरक्षण, मरमम्त और ओवरहॉल के लिए उपस्कर परीक्षण, किए गए हैं।

विवरण-I

अनुसूचित एयरलाइन कंपनियों के विमान बेड़े की सूची

एयरलाइंस	विमानों की संख्या
राष्ट्रीय वाहक	
एअर इंडिया	106
एअर इंडिया चार्टर	21
एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	10
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइन	
जेट एयरवेज	100
जेट लाइट (इंडिया) लि.	13
स्पाइस जेट लि.	57
ब्लू डार्ट एविएशन लि. (कार्गो)	06
गो एयर	17
इंटर ग्लोबल एविएशन प्रा.लि. (इंडिगो)	72
डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्रा.लि.	02
एलईपीएल प्रोजेक्ट लि.	02

विवरण-II

अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय सार

प्रचालनिक परिणाम (मिलियन रुपए में)

वाहक	2010–11	2011–12	2012–13
राष्ट्रीय वाहक			
नेसिल (एअर इंडिया + इंडियन एयरलाइंस संयुक्त)	–37408.0	–51001.8	–29866.5*
एअर इंडिया एक्सप्रेस	–3196.1	–3225.3	लागू नहीं
एलायंस एयर	–265.3	–1150.2	–1729.5*
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइन			
जेट एयरवेज	6800.1	–6547.7	1225.8
जेट लाइट (प्रा.) लि.	–609.7	–2885.4	–2468.0
गो एयर	1481.4	–746.4	850.9
किंगफिशर	–2366.9	—	—
स्पाइस जेट	1281.6	–6293.7	–2798.2*
इंडिगो	6024.9	–876.8	7957.9

स्रोत:– अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत किया गया इकाओ एटीआर फार्म-ईएफ।

*अनंतिम आंकड़ा

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

1258. कुमारी सरोज पांडेय : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा के प्रसार के मद्देनजर उनके स्वयं के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त समुदायों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का समुदाय-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) जी, नहीं। तथापि, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) छात्राओं पर विशेष बल देते हुए विद्यालयों, तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

(ख) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 (30.11.2013 तक) गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत सहायता-अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, एमएईएफ द्वारा कोई सहायता अनुदान संस्वीकृत नहीं किए गए थे।

विवरण

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2011-12 के दौरान मंजूर किए गए सहायता–अनुदान

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता	स्वीकृत वर्ष	उद्देश्य	स्वीकृत अनुदान राशि (रु.)
1	2	3	4	5
1.	महमूदिया एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, निरमल, कसबा हाईस्कूल के सामने, निरमल, जिला-अदीलाबाद	2011-12	कम्प्युटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	225000
2.	गोथामी एजुकेशनल सोसाइटी, 1-1ए, ज्योथी सवारूपा नीलायम, तनगुतुर, जिला-प्रकाशम	2011-12	कम्प्युटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	300000
3.	अलफा एजुकेशनल सोसाइटी, 9/185-4, सांइपेंट, जिला- कोडप्पा	2011-12	विद्यालय भवन विस्तार हेतु	2000000
अरुणाचल प्रदेश				
4.	जीरो वैली चैरीटी तमिशन सोसाइटी, C/o जीरा वैली स्कूल ग्राम-लेमपीया, पोस्ट ऑफिस-जीरा, जिला-लोअर सुबनसीरी	2011-12	विद्यालय भवन निर्माण हेतु	3000000
असम				
5.	जन कल्याण संस्था, धुपागुरी, पोस्ट ऑफिस-धुपागुरी, जिला-नागौन	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
6.	ऐड फॉर दि दिसबलेड सोसाइटी, मौरीगांव टाउन, वार्ड नं. 7, जिला-मौरीगांव	2011-12	बी.एड. महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु	1500000
7.	ताजउद्दीन अहमद एजुकेशनल ट्रस्ट, C/o दिसपुर पब्लिक स्कूल, नोटबामा, हाउसफेड कम्पलेक्स रोड के पास, पोस्ट ऑफिस-सेकरेटेरियट दिसपुर, हाथीगांव, गुवाहाटी, जिला-कामरूप	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000
8.	आदर्श समाज कल्याण समीती, ग्राम-बेलोगुरी, विया-हैबोरगांव, जिला-करीम गंज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
9.	पथराकंडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस-पथराकंडी, जिला-करीम गंज	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
10.	नॉर्थ ईस्ट पारोमेडिकल एंड नरसिंग इंस्टीट्यूट, नेपनी स्कूल ऑफ नरसिंग, अमबीका मेनसन, हाथीगांव मैन रोड, दिसपुर, जिला-गुवाहाटी	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
बिहार				
11.	कायनात फाउंडेशन, C/o कायनात इन्टर कॉलेज कायनात नगर, काको, जिला-जहानाबाद	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1470000
दिल्ली				
12.	फैसल एजुकेशन सोसाइटी, C/o राजधानी पब्लिक स्कूल, ए-1, बाबु नगर, तिराहा शिव विहार, दिल्ली	2011-12	स्कूल प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर खरीदने हेतु	250000
छत्तीसगढ़				
13.	उसमानी एजुकेशन सोसाइटी, छोतापारा, मस्जिद के पास, रायपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
गुजरात				
14.	पीर हाजी अलीशाह बुखारी हाई स्कूल समाखीयाली ट्रस्ट, नेशनल हाईवे न.8, नियर-चार रास्ता, समाखीयारी, ता.-भचाउ, जिला-कच्छ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
15.	दारुल उलूम फैजूर-रहमान ट्रस्ट, वृद्धाश्रम के सामने, आर.टी.ओ. रोड, जूनागढ़	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
16.	डॉक्टर नकादार चैरीटेबल ट्रस्ट, एन.बी. कम्पलेक्स, पीरबोरदी चाकला, कडी (एन.जी.), जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
17.	गुलशन-ए-मह मुस्लिम माइनोरिटि पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट, 4085, गुलशन, डेलटा अपार्टमेंट के सामने, कल्यानीवाद, खानपुर, अहमदाबाद	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	60000
18.	नुतन एजुकेशन सार्वजनिक ट्रस्ट, नवा चोक, वहोरवद, सोजितरा, जिला-आनन्द	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
19.	सर्वोदय केलावनी मंडल, पो.-कनोदर, ता.-पालनपुर, जिला-बनासकांठा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
20.	मदरसा-ए-गरीब नवाज ट्रस्ट, छान्दरोदा, ता.-बेचाराजी, जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
21.	नेशनल एजुकेशन ट्रस्ट, ग्रीन पार्क, भगदवादा, जिला-वलसाद	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000

1	2	3	4	5
हरियाणा				
22.	मेवात एजुकेशन बोर्ड, C/o चौधरी मो. यासीन खान हाई स्कूल, नुह, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
23.	एजुकेशन एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम-खुश पुरी, पो.-नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
24.	मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन, भादास, नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
25.	चौ.अजमत खान मेमोरियल हुम वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम- नीमखेरा, अली पुर टीगरा, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
26.	अनीशिया एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-झिमरावत, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
27.	ग्रामीण विकास एंड शिक्षा सुधार समिति, C/o मेवात विकास हाई स्कूल, महुन छोपरा, तहसील-एफ.पी झिरका, पो. मन्देखेरा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
28.	जन विकास एवं शिक्षा समिति, ग्राम-डुंगेजा, पो. पीननगवां, तहसील- एफ.पी. झिरका, नुह, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
29.	मेवात एजुकेशनल एवं डवलपमेंट सोसाइटी, C/o एम. जी. मिडिल स्कूल, रनयाला खुर्द (झनडा), तहसील-हथिन, जिला-पलवल	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
30.	मेवात एजुकेशनल ओर्गेनाइजेशन, C/o सी.से. स्कूल. ग्राम-पुनहाना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
31.	मेवात एजुकेशनल एवं डवलपमेंट सोसाइटी, डुंगेजा, पो. पीननगवां, तहसील-एफ.पी. झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेत	1500000
32.	मेवात, शिक्षा सुधार समिति, ग्राम-मुनधेता, पो. पीननगवां, तहसील-पुनहाना, जिला-मेवात, नुह	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
33.	जन विकास एवं शिक्षा सुधार सीमित, न.64, पचनका, पो.-हथीन, जिला-पलवल	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000

1	2	3	4	5
34.	साहिल एजुकेशन सोसाइटी, खोरी कलान, टाउरु, जिला-मेवात	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	2500000
जम्मू और कश्मीर				
35.	चाईल्ड राइट एजुकेशन सोसाइटी, C/o न्यू स्प्रिंग बडस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेहदतपुरा, जिला-बुडगम	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
झारखंड				
36.	हफीज अलहाज जकारिया एजुकेशन ट्रस्ट, पतराटोली, कनके, जिला-रांची	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
37.	अबदुर रज्जाक अनसारी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, इरबा, ओरमंझी, जिला-रांची	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
कर्नाटक				
38.	दि मवल्ली एजुकेशन सोसाइटी, 64, 2 कोस, लालबाग फोर्ट रोड, डोडडा मवाल्ली, बैंगलोर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
39.	सकाफिया मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी, विवककानन्द नगर, गडग	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
40.	मथुरुवनी एजुकेशन सोसाइटी, कमकशिपालया, 2 स्टेज, बसावेश-वारानगर, बैंगलोर	2011-12	कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
41.	आफताब एजुकेशन ट्रस्ट, यरमारूस कैम्प, जिला-रायचुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
42.	रेडियंस एजुकेशन सोसाइटी, तालीकोट, तामुद्देबीहल, जिला-बीजापुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
43.	आजाद एजुकेशन सोसाइटी, C/o अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल, अथानी, बेलगाम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
44.	अर-रेहान एजुकेशनल ट्रस्ट, अस्सार मौहल्ला, सिरा, जिला-टुमकुर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
45.	एम.एम.यू. ट्रस्ट, कोनकनी डोडी, रामादेवरा बेटा रोड, रामानागराम, जिला-बैंगलोर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
46.	प्योपिल्स एजुकेशन सोसाइटी एवं ट्रस्ट, शैख केम्पस, नेहरु, नगर, जिला-बेलगाम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
47.	मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, बशा नगर, जिला-दावनगेर	2011-12	वी.टी.सी के लिए उपकरण/मशीनरी/ फर्नीचर खरीद हेतु	500000
48.	रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, ओल्ड एग्ज़ीबीशन बिल्डिंग, शेशादरी अय्यर रोड, जिला-मैसूर	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000
49.	नूर अफजाल एजुकेशनल एवं चैरीटेबल ट्रस्ट, राज राजेश्वरी होटल वसन्त नगर के सामने, एम.एस.के. मिल रोड, गुलबरगा	2011-12	प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	500000
केरल				
50.	नदवाथुल इस्लाम, वादु-थाला, C/o नदवाथुल इस्लाम स्कूल, पो.-नदवथ नगर, जिला-अलापुजहा	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
51.	नसराथुल इस्लाम ट्रस्ट, C/o रहमत पब्लिक हा.से. स्कूल, पुल्लुर, करुवम-बरम, पो.-मनजेरी-3, जिला-मालप्पुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
52.	वलापत्तनम मुस्लिम वेलफेयर ऐसोसिएशन, , C/o ताजुम उलूम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, ग्राम एंड पो. -वलापत्तनम, जिला-कन्नूर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
53.	अल आरिफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, अशोका रोड, कालूर, कोच्चि	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
54.	इस्लाहिया एशोसिएशन, चेननाम अंगलुर, मुक्काम, केलिकट	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
55.	अनसारूल इस्लाम चैरिटेबिल ट्रस्ट, , C/o मरकाजुल उलूम इंग, स्कूल, पौ. कोनडोटी, मल्लापुरम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
56.	गाएडेंस इस्लामिक सेंटर, कट्टुपारा, पो.-चेलाकड, दिया पुलमएनथोले, मल्लापुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
57.	मकदा अनाधा सला संघम, C/o मुफीद उल उलूम अराबिक कॉलेज, पो. मंकदा, मल्लापुरम	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
58.	इरशाद एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, C/o इरशाद हाई स्कूल, मन्नारक्कड पलाक्कड	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
59.	कोपम मुस्लिम एजुकशेन ट्रस्ट, पो.-पुलासेरी, कोपम, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000

1	2	3	4	5
60.	मुस्लिम कल्चरल ट्रस्ट, पो.-मेलमुरी, मल्लापुरम	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
61.	थाइकाट्टुकारा मुस्लिम जमात एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, पो. थाइकाट्टुकारा, अलुवा, इरनाकुलम	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
62.	कुमारनेलुर इस्लाहिया अराबिक कॉलेज एंड ऑरफेनेज कमीटी C/o इस्लाहिया ऑरफेनेज स्कूल, कुमारनेलुर, पो.अंगड़ी, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
मध्य प्रदेश				
63.	आनंद विहार शिक्षा समिति एवम समाज कल्याण, टेलीफोन एक्स. के सामने, सम्राट नगर, वरासियोनी, जिला-बालाघाट	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
64.	अभीलाशा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संगठन, एफ-14, मिशा अपार्टमेंट, करबला रोड, भोपाल	2011-12	बीऐड कॉलेज भवन विस्तार हेतु	1500000
महाराष्ट्र				
65.	मासूमीन एजुकेशन सोसाइटी, C/o सुपर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, मंगल कॉलोनी, शियादरी नगर, सांगली	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
66.	माईनोरिटि एजुकेशनल सोसाइटी, प्लॉट नं.6, शादाब बाग, भोसा रोड, जिला-यवतमल	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
67.	यवतमल जिला अल्पसंख्यक महिला विकास बहुउद्देशिया संस्था, C/o उर्दू डी. ऐड कॉलेज, अलसमीनगर, पांडर-लोवादा रोड, नियर-रिलायंस पेट्रोल पंप, पो. -यवतमल	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
68.	कोस्मोपोलिटन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, शिवाजी पार्क के सामने, नानखेडा रोड, नानल पेंठ, परभानी	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
69.	दारुल उलूम ज़करया, पो.- कोनदेव, तहसील/ जिला-सतारा	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
70.	टाईगर वेलफेयर एशोसिएशन, पो. जयहिंद सॉ मिल, सुभाश रोड, बीड	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
71.	राजा एजुकेशन एंड बहुउद्देश्या सोसाइटी पिंपलगेन, राजा, ता.-दरयापुर, जिला-बुलडाना	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000

1	2	3	4	5
72.	मौलाना आजाद उर्दू एजुकेशन सोसाइटी, वाडनर गंगई, ता.-दरयापुर, जिला-अमरावती	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
73.	महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी, C/o खान अबदुल गफ्फार खान उर्दू हाई स्कूल, फकराबाद, मो.-पथरी, जिला-परमानी	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
74.	मदर टेरेसा एजुकेशन ट्रस्ट, ओल्ड, कलेक्टर कंपाउंड प्लॉट नं.15, रूम नं.45, गेट न.5, मलाड, मुंबई	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	2500000
75.	वलावा तालुका बुधा सोसाइटी, वानलेसवादी हाई स्कूल, C/o वानलेसवादी, ता.-मीराज, जिला-सांगली	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
76.	श्री उमाजीराओ सनामादीकर मेडिकल फाउंडेशन, जाथ, जिला-सांगली	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
मणिपुर				
77.	दि रूरल डेवलपमेंट बेक्वॉर्ड ऑर्गनाइजेशन, ग्राम-चंगमदाबी माथक सगाल्लाउ, पो./पीएस-यारीपोक, जिला-इम्फाल ईस्ट-II	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
78.	दि ए. गनी एजुकेशनल सोसाइटी, मिनथुथोंग हफीज हत्ता, पो.-इम्फाल, जिला-ईस्ट इंफाल	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
79.	निलोफर ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, खेरगांव, इम्फाल ईस्ट	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1200000
80.	कशुंग थोयीबा लीनगेला एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, पी. बी. नं. 38, फुंगरीटेंग, सर्किल रोड जिला-उखरूल	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
तमिलनाडु				
81.	टेक्ससिटि मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, टेक्ससिटि केम्पस, पोडानुर मेन रोड, कोयम्बटूर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	2500000
82.	तकवा एजुकेशन ट्रस्ट, C/o टैट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वूमन, 6/907, ट्रीची मेन रोड, नेताजी नगर, जिला-नमक्कल	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
उत्तर प्रदेश				
83.	इरम एजुकेशनल सोसाइटी, सी-ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000

1	2	3	4	5
84.	अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 58, भीतारागांव, न्यूरीया, हुसैनपुर, पीलीभीत	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
85.	हबीब शिक्षा प्रसार समिति, C/o हबीब कन्या इंटर कॉलेज, नयागांव, जंगल कौर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
86.	अल्पसंख्यक समाज स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, मो. उगादिया, टाउन-केथोर, जिला-मेरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
87.	रफी अहमद उसमानी कन्या इंटर कॉलेज समिति, ग्राम व पो.-कफारा, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/ सामान खरीदने हेतु	500000
88.	खलीक अहमद उसमानी गर्ल्स इंटर कॉलेज समिति, व पोस्ट-पदरीयातुला, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/ सामान खरीदने हेतु	500000
89.	नजीबाबाद एजुकेशनल सोसाइटी C/o नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज, नजीबाबाद, मो. बिसतयान, बिजनौर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
90.	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान, ग्राम-नोदर, पो.-रामगढ़ जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
91.	अथर एजुकेशनल सोसाइटी, एफ-16, गुयान बाग, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
92.	लल्ला मियां जन्ता एजुकेशन सोसाइटी, टाउन एंड पो. सेदपुर, तहसील-बिसौली, जिला-बदायूं	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
93.	कसीमुल उलूम शिक्षा समिति, मो. आजाद नगर, ग्राम व पोस्ट-मनकापुर, जिला-गोंडा	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
94.	सेंट सैफ शिक्षा संस्थान, C/o सेंट सैफ ज.ह. स्कूल, मौ. नयीपुरा, गजरौला, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
95.	त्साद्दुक हुसैन मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, C/o वसीम तुरकी मुस्लिम डिगरी कॉलेज, ग्राम-फतेहपुर मफी, पो.-पलोला, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
96.	जफर शिक्षा प्रचारनी समिति, C/o जफरूल मिल्लत मेमोरियल हाई स्कूल, निज़ामाबाद, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
97.	श्रीमती मरीयम बीबी सेवा समरपन संस्थान, ग्राम पुरे लहुरिया, कोदारस खुर्द, ब्लॉक अमावन, जिला-राय बरेली	2011-12	वी.टी.सी. भवन निर्माण हेतु एवं सामान खरीदने हेतु	2000000

1	2	3	4	5
98.	नसीम मेमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-सीमारा रामनगर रोड, पो. कटेसर, जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
99.	मदरसा निसारूल उलूम शाहजादपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर	2011-12	100 बेड छात्राावास भवन निर्माण हेतु	3000000
100.	मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी, अजय नगर, न्यू इस्माइल, लखनऊ, C/o मौलाना आजाद प्राथमिक विद्यालय, दकशिनटोला, टाउन-बनकी, जिला-बाराबंकी	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
101.	अबु हुरेरा मॉडल स्कूल समिति मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
102.	अबरार हुसैन एजुकेशनल सोसाइटी, बलधुना रोड, सोरिख, जिला-कन्नौज	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
103.	अबदुल बारी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, C/o एस. बी.एम. गर्ल्स इंटर कॉलेज, पक्का बाग, बिजनौर रोड, अमरोहा, जे.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	300000
104.	नसरुल्लाह मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल, अंसार नगर, सिरसिया, पो.-बलुआ, जिला-महाराजगंज	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
105.	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, कोट वेस्ट, ईदगाह रोड, हसनपुर, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
106.	ए.एन. अंबेडकर शिक्षा संस्था, C/o ए.एन. अंबेडकर हाई स्कूल, ग्राम मचारिया गांव, 506, यशोदा नगर, कानपुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
107.	शाहिद मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, C/o शाहिद मैमोरियल जू.हा. स्कूल. नियर-रवन चुंगी, काबुलपुरा, बदायूं	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
108.	दि मॉर्डन एजुकेशनल सोसाइटी, नियर-जामा मस्जिद, देव बंद, सहारनपुर	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
109.	ग्रीन फील्ड मोडर्न सोसाइटी, आर्य नगर, छुटमलपुर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
110.	इस्लामिक एशोसिएशन, C/o शबनम मैमोरियल हा.से. स्कूल, बरहालगंज, जिला-गोरखपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
111.	मैरी चिल्डरन अकेडमी, C/o जेसस एंड मैरी इंटर कॉलेज, पो.-नवाब गंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
112.	सनबीम ऐलीमेंटरी स्कूल समिति, ग्राम व पो. अबदुल्लापुर, मेरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
113.	दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं निराश्ररित महिला उथान समिति, ग्राम व पोस्ट-इनहौना, सिंहपुर, टिलोई, रायबरेली	2011-12	छात्र/छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
114.	वारसी हायर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी, ग्राम-काजीपुर, पो. अफजालपुरवरी, सिराथु, जिला-कौशांबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
115.	किसान महाविद्यालय शिक्षा संस्थान, ग्राम-महुवा पकर, पो.-गवरा चौकी, तहसील-मनकापुर, जिला-गोंडा	2011-12	बीएड कॉलेज भवन विस्तार हेतु	1500000
116.	मुताकल्लिम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, C/o शैख रजब अली हा.से. स्कूल, बमहोर, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
117.	दारूल उलूम कादरी गुलशन ऐ बरकत, परासराई, पो. इंतयाथुल, गोंडा	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	2500000
118.	सायमा शिक्षा समिति, C/o सायमा इंटरमीडिएट कॉलेज, ग्राम व पोस्ट-मझील गांव, तसहील-कुन्दा, जिला-प्रतापगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
119.	मदरसा सकलेनिया असगर अली दारूल उलूम अहले सुननत स्कूल समिति, C/o डी.एम.ए. पब्लिक जू.हा. स्कूल, ग्राम-धनोरी, तहसील-सवर, जिला-रामपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
120.	भारतीय शिक्षा प्रचार संस्थान, भीकमपुर, ब्लॉक बिजोली, अलीगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1250000
121.	प्रयागराज वेलफेयर सोसाइटी, C/o बेनहुर हा. स्कूल, 592-बी., सुलतानपुर भावा. इलाहाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
122.	सोसाइटी फॉर एजुकेशनल एंड रूरल डेवलेपमेंट, C/o इंडियन पब्लिक स्कूल, पकबरा रोड, दिनगरपुर, जिला-महाराष्ट्र	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
123.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, C/o ऑक्सफोर्ड वीर अबदुल हमीद हाई स्कूल, मो.-फतेहउल्लाह गंज, वार्ड नं. 19, ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1300000

1	2	3	4	5
124.	शेख गुलाम हसन प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम-रज्जाक खेरा, पो.-असाही आजमपुर, जिला हरदोई	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
125.	अजिजिया मॉनटेसरी स्कूल समिति, मो.-पुरेनिया तालाब, जिला-बलरामपुर	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
126.	रुखसाना बैगम एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम-अतरासी कलान, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
127.	मिर्जा अहसान उल्लाह बैग एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट- अनजान शाहीद, जिला-आजमगढ़	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
128.	शाहीद अशफाकउल्लाह खान मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, 12, मोहनपुरा, उरई, जिला-जालोन	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
129.	फौज़दार हसनैन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-शाहबाद, पो.ब्रिज मानगंज, जिला-महाराजगंज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
130.	मौहम्मद आरिफ इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी, C/o एम.ए. इस्लामिया हा. से. स्कूल, दिव्यापुर रोड, बिधुना, जिला-ओरया	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000
131.	नवादा ग्राम उद्योग विकास समिति, मो.-बगला, अमरोहा, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
132.	जामिया दारूसलाम सोसाइटी, 609, सेक्टर-4, शास्त्री नगर, मेरठ, C/o जामिया दारूसलाम स्कूल, मौ.-पुरब टोक, पटीयाली रोड, गंजदुन द्वारा जिला-काशीराम नगर	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
133.	इंदिरा बालीका शिक्षन समिति, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटर रामकोला, जिला-कुशीनगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
134.	श्रीमती सुमितरा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा समिति, ग्राम-रामचन्द्रपुर, पो.-सिथोरा, जिला-फतेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कंप्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
135.	एम. जौहर अली एजुकेशनल सोसाइटी, C/o मौलाना जौहर अली गर्ल्स स्कूल, ग्राम-पुरनाहा बुजुर्ग, किंदर पट्टी, जिला-कुशीनगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
136.	अर्जुन सेवा समिति, ग्राम-खोजपुर, पो.-मनझानपुर, जिला-कौशांबी	2011-12	प्रयोगशाला के लिए कंप्यूटर/सामान खरीदने हेतु	300000

1	2	3	4	5
137.	श्री साधु सरन सिंह बाल विदया निकेतन, ग्राम व पोस्ट-बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
138.	स्वर्गीय अबदुल जब्बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्राम-सुखनखेडा, पो.-भतोटोली, तहसील-संदीला, जिला-हरदोई	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
139.	अर्शी मॉडर्न नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल सोसाइटी, C/o अर्शी गर्ल्स इंटर कॉलेज, 88/156, चमन गंज, मौ. अली पार्क, कानपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/ सामान खरीदने हेतु	1300000
140.	राबिया खातून मैमोरियल बालिका विद्यालय सोसाइटी, पो.-कमपिल, तहसील-कायमगंज, फरुखाबाद	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
141.	मदरसा इस्लामिया मकतब कमिटि, ग्राम-अलहादपुर, पो. फाजील नगर, जिला-कुशीन नगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
142.	हाजी अली जान खान मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-शरीफ नगर, तहसील- ठाकुडवारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
143.	ख्वाजा गरीब नवाज पब्लिक स्कूल समिति, ग्रान-चांद खेरी, पो.-दिलारी, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
144.	बज्म ए अदब सोसाइटी, मो.-काजी सराई फस्ट, नगीना, जिला-बिजनौर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
145.	बाबर शिक्षा समिति, ग्राम-हजरत नगर गरही, तहसील-संभल, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
146.	रफीक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मो. नीमटाला, गमगोह, जिला-सहारनपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
147.	डा. महमूद अहमद मैमोरियल सोसाइटी, C/o ए.बी. कान्वेंट जू.हा. स्कूल, खेरा, गरीया गांव, नगरा, जिला-झांसी	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
148.	मुस्लिम प्रोग्रेसिव एंड एजुकेशनल काउंसिल ऑफ यूपी, अबुल बरकत, देवबंद, जिला-सहारपुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
149.	गफूर खान इस्लामिया शिक्षा समिमि, ग्राम-रामपुर, पो. फरीदा, तहसील-जसराना, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
150.	एन. रहमान इलाहाबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नूरुल्लाह रोड, इलाहाबाद	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
151.	श्री मुनव्वर हुसैन मुस्लिम शिक्षा विकास समिति, C/o एम.एस. सैनिक हाई स्कूल, अमीनपुर सेनवरो, प्रो करारी, तहसील-मंझनापुर, जिला-कोशांबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
152.	न्यू इंडियन मोनटेसरी स्कूल समिति, ग्राम-सोनवरसा, पो.— विसनुपुर बेरिया, ब्लॉक पदरीकरीपाल, अतरौली रोड, जिला-गोंडा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
153.	इरा एजुकेशनल सोसाइटी, कस्बा एवं पोस्ट-शाही, तहसील-मीरगंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
154.	शकील एजुकेशनल सोसाइटी, ए 645, इंदिरा नगर, जिला-लखनऊ	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	500000
155.	सरदार खान अल्पसंख्यक विकास संस्थान, C/o सरदार खान अल्पसंख्यक हा.से. स्कूल, ग्राम व पोस्ट-केलाई, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
156.	महाराना प्रताप बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, करचालपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
157.	अंजुमन ए शैखुल हिंद सोसाइटी, कसीमाबाद, पो. अंजान भाहीद, तहसील-सगढ़ी, जिला-आजमगढ़	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
158.	मेंहदी हसन मैमोरियल ऐजुकेशन सेंटर स्कूल समिति, जरारी, जिला-फरुखाबाद	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
159.	अंजुमन इस्लाहुल मुस्लीमीन, पो. एवं टाउन-डासना, जिला-गाजियाबाद	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
160.	मानव सेवा संस्थान, 36, आईटीआई रोड, दक्षिणी गौतम नगर, जिला-फतेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
161.	महाराजा अदित्य नारायन हा. स्कूल एशोसिएन, भदोही, जिला-संत रवीदास नगर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु/विज्ञान प्रयोगशाला के सामान खरीदने हेतु	1500000
162.	एम.के. सेवा संस्थान, ग्राम-कबरा, बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000

1	2	3	4	5
163.	फ्रीडम फाईटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट, मदनी मंजिल, मदनी नगर, देवबंद, जिला-सहारनपुर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
164.	मौलाना अबुल कलाम आजाद अकेडमी, नगला साहु, पो.-जाई, मेरठ	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
165.	मौलाना अबुल कलाम आजाद मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, मो.-पठानपुरा, देवबंद, सहारनपुर	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
उत्तराखंड				
166.	मदरसा गुलज़ार फरीद सोसाइटी, C/o एम.जी.एफ.एम. इंटर कॉलेज, दरगाह इमाम साहेब पीरन क्लीयर, पो. खास रुड़की, जिला-हरिद्वार	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
167.	मदर इंडिया अल्पसंख्यक शिक्षा समिति, मिसरवाला, पो. कुन्डा, तहसील-काशीपुर जिला-यू.एस. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
पश्चिम बंगाल				
168.	बेलुनी जनकल्यान संघा. पो.-दोहलाहट, ब्लॉक-कुलपी, जिला-साउथ 24 परगनास	2011-12	50 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1500000
169.	छरकतला मानव समपद विकास समिति, ग्राम-छरकतला, पो-गंगाप्रसाद, जिला-मालडा	2011-12	वी.टी.सी. के लिए उपकरण/मशीनरी खरीद हेतु	500000
			योग	225795000

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2012-13 के दौरान मंजूर किए गए सहायता—अनुदान

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता	स्वीकृत वर्ष	सहायता के उद्देश्य	स्वीकृत अनुदान राशि (रु.)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	इकरा एजुकेशनल सोसाइटी, वार्ड नं. 10, रक्कासपेट, बोधान, जिला निजामाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,350,000
2.	अर्श विद्या मंदिर, कोनदापेटा, बनगानपल्ली, जिला कुरनूल	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250,000

1	2	3	4	5
3.	सिस्टर केयर एजुकेशन सोसाइटी, 2-14-151, श्यामला नगर, रेलवे गेट के पास, जिला गुन्टूर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3,000,000
4.	ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल सोसाइटी, मेन रोड, कंगाला जिला, गुन्टूर	2012-13	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1,000,000
5.	मुस्लिम माइनोरिटीज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, विजयनगर जिला हैदराबाद	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3,000,000
6.	गोदावरी एजुकेशन सोसाइटी, डी नं. 16-2-70, वोल्ड वाटर टेंक के सामने, बुधवार मार्किट भिमावरम, जिला पश्चिम गोदावरी	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600,000
बिहार				
7.	इदरा अल-निशात मुस्लेमीन एजुकेशनल सोसाइटी, इंद्रापुरी कॉलोनी, आशियाना रोड, राजा बाजार, जिला पटना (बिहार)	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1,500,000
8.	अल्पसंख्यक विकास परिस्थान केन्द्र नालंदा कघजी मोहल्ला, बिहार शरिफ, जिला नालंदा (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3,000,000
9.	इदरा फलाहुल मुस्लेमिन, फुलवारी शरिफ, पटना (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3,000,000
गुजरात				
10.	आजाद एजुकेशन ट्रस्ट, बी-11/12, रेहान पार्क सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के सामने, भरुच, (गुजरात)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250,000
11.	नपाड वंता माइनोरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट, एटी. नपाड़ (वंता), जिला आनंद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2,000,000
12.	धंधुका तालुका मुस्मिल केलवानी मंडल, एनआर. पिरासर तलव, धंधुका, जिला अहमदाबाद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,000,000
13.	बोर्सद तालुका मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, बोरसद 388540, जिला आनंद	2012-13	स्कूल के लिए कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250,000
14.	फैज चेरिटेबल ट्रस्ट, बापुनगर, शितल चर रस्ता, रंदेर रोड, डी. सूरत	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000

1	2	3	4	5
हरियाणा				
15.	ग्रामीण बाल विकास एवं एजुकेशन समिति, नीम्का, दी पुनहाना, डाकघर: बिछोर, जिला मेवात	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
16.	मो. समसुद्दीन एजुकेशन एंड सोसल सोसाइटी, ग्राम-दिहारा, डाकघर: तौरु, जिला मेवात	2012-13	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2,000,000
झारखंड				
17.	चक्रधरपुर मिल्लत एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, मेन रोड, डाकघर चक्रधरपुर, डब्ल्यू. सिंघभूम	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,000,000
18.	हिजरत मुनाम पक तालिमी मिशन, हजारी बाघ	2012-13	50 बेड छात्र वास भवन निर्माण हेतु	1,500,000
	कर्नाटक			
19.	नूर एजुकेशन ट्रस्ट, नूर कॉलोनी, एनआर होर्टीकल्चर सेंटर, हलादकेरी, हैदराबाद रोड, जिला बिदर	2012-13	50 छात्र वास भवन निर्माण हेतु	1,000,000
20.	द हुड्डा एजुकेशनल सोसाइटी, कोल बाजार, बेलारी	2012-13	30 छात्र वास भवन निर्माण हेतु	1,000,000
21.	वोकेशनल एजुकेशनल सोसाइटी, पुरानी जेवारगी रोड, गुलबर्ग	2012-13	आईटीआई भवन निर्माण हेतु	1,000,000
22.	खिदमथ-उल-मुस्लमीन, जम्बुनाथ रोड, रहमत नगर, होसपेट, जिला बेलारी	2012-13	डी.एंड कॉलेज भवन विस्तार हेतु	1,000,000
23.	दी बिजापुर जिला सोसियो-इकोनोमिक एंड कल्चरल एशोसिएशन (एसईसीएबी एशोसिएशन) नौबाग, बिजापुर	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद	290,000
24.	माइनोरिटिज वूमन मल्टीपरपस सोसाइटी एंड रूरल सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, कलकेरी सिंदगी, जिला बिजापुर	2012-13	आईटीआई (वीटीसी) भवन के निर्माण हेतु	1,000,000
25.	जफारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, पोटेनहाल्ली, गौरीबदनूर तालूक, जिला चिकबालपुर-561213	2012-13	30 छात्र वास भवन निर्माण हेतु	1,000,000
26.	अल-फारूक एजुकेशन सोसाइटी (मार्फत अल-फारूक प्री-प्राइमरी, हाईयर प्राइमरी एंड हाई स्कूल), तेहसिल ऑफिस के पीछे, अलांद, जिला गुलबर्ग-582302	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार हेतु	1,000,000
27.	सेंट टेक इंग्लिश स्कूल, नं. 566, द्वितीय मेन, कुशाल नगर, के.जी. हॉल, बैंगलोर	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण हेतु	2,000,000

1	2	3	4	5
केरल				
28.	जामिया नदविया ट्रस्ट, सलाह नगर, डाकघर एदवाना जिला मल्लापुरम	2012-13	30 छात्रा वास भवन निर्माण हेतु	3,000,000
29.	तलीमुल इस्लाम ट्रस्ट, डाकघरः प्यांगाड़ी, जिला कन्नूर	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण के खरीद हेतु	800,000
30.	अल-अमन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत अल-अमीन पब्लिक स्कूल पथानापुरम, जिला कोल्लम	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1,000,000
31.	मनारूल हुडा ट्रस्ट, पी.बी. नं. 5829, इमके मंजिल, कल्लाटुमुक्का, मनाकुड, त्रिवंतपुरम	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	300,000
32.	मखदुमिया इस्लामिका समसकारिका कॉम्पलेक्स कमेटी, अथानिक्कल, डाकघरः वेल्लुवमबराम, जिला मलापुरम	2012-13	100 बेड छात्रा वास भवन के निर्माण हेतु	3,000,000
33.	जे एंड के एजुकेशनल एंड चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डाकघरः करुपादन्ना, जिला त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
34.	अल-अजहर मुस्लिम एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी, माला, जिला त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
35.	अल्लूर एजुकेशनल सोसाइटी, अल्लोर, डाकघरः कंमनाम थेक्कुमारी, वाया कलपकंचेरी, जिला मलापुरम	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
36.	करूवंथिरूथी खिदमाथुल इस्लाम संघम, डाकघरः करूवंथिरूथी, फरोकी, डी. कालीकट	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार हेतु	600,000
37.	मजमा मलाबर अल-इस्लामी, रहमथ नगर, डाकघरः कवनुर-673644, जिला मलापुरम	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1,500,000
38.	ओचिरा थानीवीरूल इस्लाम संगम ट्रस्ट, डाकघरः ओचिरा, जिला कोल्लम-690526	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
39.	सलाफी चेरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत नरिक्कूनी इंगलिश मीडियम स्कूल, डाकघरः पुन्नूर चेरीपलम, नरिक्कूनी, जिला कोजिकोड-678585	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,000,000
40.	नरूकरा पत्ततकुलम, हयाथुल इस्लाम संगम, , डाकघरः नरूकरा मंजेरी, जिला मलापुरम-676522	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
41.	मंजेरी थूरक्कल हिदायथुल मुस्लिमीन संगम, थूरूक्कल, डाकघरः मंजेरी, जिला मलापुरम-676121	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण के खरीद हेतु	800,000

1	2	3	4	5
42.	एरियाकोड एजुकेशनल ट्रस्ट, डाकघर: एरियाकोड, अरनाद, जिला मलापुरम-673639	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,000,000
43.	कुनियिल हुमाथुल इस्लाम संगम, कुनियिल, डाकघर: किजुपराम्बा, वाया-एरियाकोड, जिला मलापुरम-673639	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1,000,000
44.	इस्लामिक डेवलपमेंट कॉसिंल (आईडीसी), मार्फत आईडीसी इंगलिश स्कूल, ओरूमनयूर, डाकघर: चवाक्कड़, जिला त्रिसुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1,000,000
45.	पनामराम इस्लामिक एंड एजुकेशनल सोसाइटी (पीआईसीईएस), मार्फत क्रिसेंट पब्लिक हाई स्कूल, डाकघर: पनामराम, जिला वेयनाद	2012-13	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1,000,000
46.	कन्नूर एसोशिएशन ऑफ सोसल एंड इकोनॉमिक रेफर्स ट्रस्ट (केएओएसईआर चेरिटेबल ट्रस्ट) कोसेर कॉम्पलेक्स, चालटेक्स जंक्शन, पोस्ट बोक्स नं. 439, जिला कन्नुर-670002	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
47.	चेरूकरा मनफौल उलूम इस्लामिक कॉम्पलेक्स कमेटी, मार्फत एमआईसी इंग्लिश मीडियम सिनियर सेकेंड्री स्कूल, डाकघर: चेरूकरा, परिंतालमन्ना, जिला मलापुरम	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
	मध्य प्रदेश			
48.	अभिलाषी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समिति, मचना कॉलोनी, भोपाल	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1,500,000
49.	नव हिंद महिला व बाल विकास समिति, मार्फत हेप्पी मेमोरियल हाई स्कूल, हरयापुरा रोड, जिला शाजापुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	2,500,000
50.	ब्राइट एजुकेशनल, टेक्नीकल एंड ओकेशनल सोसाइटी, 43, विक्रम नगर, कन्या महाविद्यालय के पीछे, उज्जैन रोड एटावा, जिला देवास	2012-13	प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	51
51.	अंजुमन नुरूल इस्लाम शिक्षण समिति, नागोरी कॉलोनी, महिदपुर, जिला उज्जैन	2012-13	मीडिल स्कूल भवन विस्तार	800,000
	महाराष्ट्र			
52.	हुसामिया एजुकेशन सोसाइटी, कामप्टे रोड, शांतिनगर, नागपुर (एमएस)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	125,000

1	2	3	4	5
53.	ताज एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, मार्फत उर्दु हाई स्कूल, तकली आरआर. खुल्दाबाद, जिला औरंगाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	2,000,000
54.	सुफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 39ए, गुलकाड़ा प्रोफेसर कॉलोनी, हिमायत बाघ, जिला औरंगाबाद	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1,500,000
55.	नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत नेशनल इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे ओवर ब्रिज के पास, शिवाजी नगर, जिला, नांदेड़	2012-13	आईटीआई के लिए मशीनरी/ औजार/उपकरण की खरीद हेतु	800,000
56.	अमिना ग्रामीण विकास संस्थान, प्लॉट नं. 6, टकली लाइन पुलिस के पिछे, डाकघर के पास, जफर नगर, जिला नागपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2,500,000
57.	सेंट्रल इंडिया सार्वजनिक वकानली, सदन बाजार, जिला नागपुर	2012-13	टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के लिए कम्प्यूटर/ प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	800,000
58.	मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तानी शिक्षण संस्था, शिरूर (ताजबाद), अहमदपुर, जिला लातुर	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण हेतु खरीद	200,000
59.	भिवांडी विवर्स एजुकेशन सोसाइटी, समद नगर, कनेरी, भिवांडी, जिला थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु	300,000
60.	डॉ. अल्लाम इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, लादखेड, तालुक करवहा, जिला यवतमाल	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200,000
61.	हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, हबीबी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, एम.एच. मोहनी रोड, कौसा, मुमब्रा जिला थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	300,000
62.	नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, मोहल्ला-मुजवार, जिला नंदुरबार	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	500,000
63.	फादर स्टीफन अकादमी, मार्फत फादर स्टीफन अकादमी स्कूल, गिरिज वसाई, जिला थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	250,000
64.	अंजुमन तहजीब-उल-अखलाकी, मार्फत तहजीब हाई स्कूल, एस.एन. 221/22, तहजीब नगर, मालेगांव, जिला नासिक	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	2,000,000
65.	धवादवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी, धवादवाड़ी, जाट, जिला संगली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000

1	2	3	4	5
66.	कोदरिया एजुकेशन एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत तहजीब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, पीर मुसा कादरी नगर, चालिसगांव, जिला जलगांव	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	500,000
67.	अब्दुल मजीद सेंट्रल एजुकेशन सोसाइटी, 502, अमर सज्जन टावर, डी. नागपुर	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन के निर्माण हेतु	3,000,000
68.	मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, तालुक पुसद, लिक वार्ड मुसाद, जिला यवतमल-445204	2012-13	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	2,000,000
69.	मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोशिएशन, 95/6, आई.एल. एच. कॉलोनी, जिला नंदेद-431602	2012-13	30 बेड छात्र वास भवन का निर्माण	1,000,000
	मणिपुर			
70.	दी मौलवैफई रूरल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, मोलवेफेई, जिला चुराचांदपुर	2012-13	30 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	1,000,000
71.	चिल चिल एसियन मिशन सोसाइटी, कैम्पस जिला कंगलटंगबी	2012-13	100 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	3,000,000
72.	दी सोसल डेवलपमेंट एंड रिहेबिटेशन काउंसिल, मार्फत इमिदा पब्लिक स्कूल, फेदेन, डाकघर एंड जिला थौबाल-795138	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार हेतु	800,000
	मेघालय			
73.	दी सेल्सीयन सिस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओक्सीलियम कॉन्वेंट नोंगथयम्मी, शिलोंग	2012-13	उच्चतर माध्यम विद्यालय भवन का विस्तार	1,500,000
	नागालैंड			
74.	लिमा अयर मेमोरियल स्कूल, लिंगरिजन, जिला दिमापुर	2012-13	100 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	2,500,000
75.	विजन होम क्लब, मार्फत विजन होम उच्च माध्यम स्कूल, दिफुपर (4वां माइल) सेंट्रल जेल रोड, दिमापुर	2012-13	उच्चतर माध्यम विद्यालय भवन का विस्तार	1,500,000
	ओडिशा			
76.	डिलिगेंट एक्शन ग्रुप फोर नेगलेक्टेड इंफोर्म एंड इकोनोमिकली लॉ फॉर ऑल राउंड सलवेशन (डीएएनआईईएलएस), शास्त्रीनगर, डाकघर: ब्रजराजनगर, जिला झारेगुदा	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
77.	दारूल उल्लूम फैज सिद्दीकी (संनिया सनफिया) संस्थान, ग्राम सुजान का निवान, डाकः नवातला (बकसर) तहसिल चौतन, जिला बरमेर	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन का निर्माण	3,000,000
78.	इकरा मानव सेवा संस्थान, मार्फत राजस्थान पब्लिक स्कूल, ग्राम एवं पोस्टः कैथवारा, तहसील पहाड़ी, जिला भारतपुर-321024	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
	तमिलनाडु			
79.	सरक्रेंस एजुकेशनल सोसाइटी, सतकेंस बिल्डिग, 51, शिवगंगा रोड, जिला मदुराई	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,200,000
80.	पोपुलर एजुकेशनल ट्रस्ट, केप रोड, इदालकुडी, कोट्टर, नगेरकोल, डी.वल्लिउर	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1,500,000
81.	डॉ. रहमान ट्रस्ट, मार्फत, मुन्ना आस्ट्रेलियन मैट्रिकुलेशन हाइयर सेकेंड्री स्कूल, नं.22/10, गुम्मथ पल्ली स्ट्रीट, परानगिपेट्टी, जिला गुदालोर-608502	2012-13	50 बेड छात्र वास भवन का निर्माण	1,500,000
	उत्तराखंड			
82.	इदारा शबाब इस्लामी, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, मेहुवाला माफी, जिला देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
83.	होली मेरी स्कूल समिति, मार्फत होली मेरी स्कूल, ग्रीन पार्क (ब्रह्मपुरी), निरजंनपुरा मजरा, जिला देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
84.	सर सईद अहमद खान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, मोहल्ला पश्चिमी छिपियन, शहर-जसपुर, जिला यू.एस. नगर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
85.	मदरसा जिया-उल्लूम समिति, मोहल्ला-नई बस्ती, जसपुर, जिला यू.एस. नगर-244712	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
86.	सिद्दीकी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मोहल्ला-अली खान, काशीपुर, जिला यू.एस. नगर-244713	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
	उत्तर प्रदेश			
87.	मिर्जा अनवर बेग एजुकेशनल सोसाइटी, उसेरहता, शाहगंज, जॉनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000

1	2	3	4	5
88.	एम.बी. एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, रधना इनयातपुर, किथोर, डी. मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1,000,000
89.	रशीद मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, खुर्जा जिला बुलंदशहर	2012-13	मीडिल स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200,0000
90.	इराम एजुकेशनल, कल्चरल एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत इराम पब्लिक स्कूल, आजाद नगर, शहर एवं पोस्ट तामबौर, जिला सीतापुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1,000,000
91.	वीर अब्दुल हमीद स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, ग्रामर हथौड़ा डाकघर: बलदोई, दी महवान, जिला मथुरा	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1,500,000
92.	मदरसा हदीसुल कुरान सोसल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस सोसाइटी, कस्बा: लालियाना, जिला मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1,000,000
93.	इकरा पब्लिक स्कूल एंड वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट खैराबाद, डी. मऊ	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
94.	शमसुद्दीन मेमोरियल शिक्षा ग्रामीण विकास संस्था, ग्राम सीलपुर, पोस्ट कुदर्की, जिला मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1,500,000
95.	खान मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम खान गाटिया बंदिया, पोस्ट-टिलीयापुर, सी.बी. गंज, जिला बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	800,000
96.	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट लालियाना, जिला मेरठ	2012-13	उच्चतर स्कूल भवन का विस्तार एवं स्कूल के लिए प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु	1,800,000
97.	मिर्जा अनवर बेग चेरिटेबल ट्रस्ट, इरेकियाना, शाहगंज, जॉनपुर	2012-13	30 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	1,000,000
98.	अब्दुल गफ्फार हाशमी इंटर कॉलेज एसोसिएशन, ग्राम एवं पोस्ट: साहदुल्लाह नगर, जिला बलरामपुर	2012-13	100 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	3,000,000
99.	इमामिया एजुकेशनल सोसाइटी, ए-ब्लॉक, जीटीबी नगर करेली, जिला अहमदाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
100.	मजीदिया सोसाइटी, मार्फत मजीदिया पब्लिक स्कूल ईदगाह रोड, सरधाना, जिला मेरठ	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
101.	जंता पब्लिक स्कूल सोसाइटी, डियोरानिया जिला बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000

1	2	3	4	5
102.	मुर्तजा जैदी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल सोसाइटी, 6 मोहसिन मंजिल (पुरानी कोठी), जैदी फर्म, जिला मेरठ	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
103.	रूरल एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम धेंधेयपुर, पोस्ट: तराबगंज, डी. गोंडा	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600,000
104.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट: खुजनापुर, जिला सहारनपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
105.	हकिमुल उम्मत एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट परवर, जिला सुल्तानपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के विस्तार हेतु	600,000
106.	अब्बासी चेरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, कैल्सा रोड, अमरोहा, जिला जेपी नगर	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1,500,000
107.	अहसान एजुकेशनल डेवलपमेंट एवं वेलफेयर सोसाइटी, कस्बा एंड पोस्ट: मुबारकपुर, तहसील सदर, जिला आजमगढ़	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के विस्तार हेतु	600,000
108.	मोहम्मद हरून एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट:, उमरी, जिला आजमगढ़	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
109.	जफर मेमोरियल गर्ल्स एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट: जगनपुर, जिला फैजाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
110.	सनरियास पब्लिक स्कूल समिति, सी-506, यशोदा नगर, जिला कानपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2,500,000
111.	फिरासत ग्राम विकास एवं शिक्षा संस्थान, ग्राम देवरिया शुमली, डाकघर: खास, तहसिल: सदर, जिला- रामपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
112.	प्रगति मार्डर्न स्कूल समिति, ग्राम धनौरी, तहसील स्वार, जिला रामपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800,000
113.	अब्दुल रहमान शिक्षा समिति, ग्राम रामपुर शाहपुर, ब्लॉक चंदौस, तहसील घबाना, जिला अलीगढ़	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800,000
114.	गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल सोसाइटी, पोवायान रोड, बंदा, डी. शाहजहांनपुर	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन के निर्माण हेतु	3,000,000
115.	सिराजे हिंद एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट: मुर्की, केराकट, जिला जौनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000

1	2	3	4	5
116.	जन कल्याण समिति, ग्राम नगदिनपुर, पोस्ट, बराइपुर, जिला फतेहपुर	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1,000,000
117.	अब्दुल रशीद समाज सेवा समिति, मिलाक अमाती, पीपीओः दिलारी, जिला मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800,000
118.	फाउंडेशन फोर सोसल केयर, 173/35, दूसरा तल, डॉ. बी.एन. वर्मा रोड, अमिनाबाद, जिला लखनऊ-226018	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
119.	लिटिल नेस्ट पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्टः जरगांव, जिला बाराबंकी-225416	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
120.	मरियम हूर मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्टः कोसाइगंज, तहसील-सदर, जिला फैजाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800,000
121.	लिन्ह सन बुद्धिस्ट दोंग फाप इंटरमीडिएट कॉलेज सोसाइटी, इम्पेरियल होटल के सामने, गांव एवं पोस्टः कुशीनगर, जिला, कुशीनगर-274403	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
122.	वीकर सेक्सन एजुकेशन एंड कॉमन वेलफेयर सोसाइटी, शहर एवं पोस्टः कुदेरकी, तहसील-बिलारी, जिला मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1,500,000
123.	मुख्यिा शब्बिर एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम वकारपुर, अतयान, पोस्टः बहेरी ब्रह्मा-नान जिला मुरादाबाद-244402	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
124.	मुस्लिम फंड कोपागंज, मार्फत हबीब उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मदानी मंजिल, चमन रोड, कोपालगंज, घोसी, जिला मऊ-275305	2012-13	प्रयोगशाला उपकरण एवं कम्प्यूटर की खरीद	140,000
125.	इकबाल गफूर पब्लिक स्कूल समिति, मंझोला बिल्लोच, पोस्ट एवं ब्लॉक-नूरपुर, जिला बिजनौर-246727	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन का निर्माण	3,000,000
126.	ए.आई.ए. एजुकेशनल सोसाइटी, अखतेर भवन, 36, तवेला स्ट्रीट, गोकुलदास डिग्री कॉलेज के पास, जिला मुरादाबाद-244001	2012-13	100 बेड छात्रा वास भवन का निर्माण	2,500,000

1	2	3	4	5
127.	नसीरन मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत जनता डिग्री कॉलेज, डाकघर: नूरपुर, जिला बिजनौर-246734	2012-13	छात्रावास भवन का निर्माण	3,000,000
128.	सिटिजन केयर एवं उपलिफ्टमेंट फाउंडेशन, मार्फत डिसेंट कोलेजिएट, हुदा तलब पोस्ट ककोरी, जिला लखनऊ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण	1,000,000
129.	अब्दुल रूफ खान शिक्षा समिति, मार्फत अब्दुल रुफ खान मेमोरियल जुनियर हाई स्कूल, ग्राम शर्फाबाद, पोस्ट: जराई, जिला फरुखाबाद-209739	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1,500,000
130.	जनता पब्लिक स्कूल समिति, मार्फत एचकेएस उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्राम उसमानपुर, पोस्ट: सुल्तानपुर, जिला मुरादाबाद-24001	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार	1,000,000
131.	एकता प्राथमिक विद्यालय समिति, मार्फत अब्दुल हकीम मेमोरियल इंटर कॉलेज, ग्राम सुल्तानपुर मुंडा, पोस्ट: सहासपुर, तहसिल-ठाकुर-द्वारा, जिला मुरादाबाद,	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1,500,000
132.	मोहाद्दिसे-अजम मिशन स्कूल समिति, किचौचा शरीफ, जिला अंबेडकर नगर	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1,000,000
133.	सुबेदार अलाउद्दीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मकान नं.17, अबुल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025	2012-13	जिला मुजफ्फरपुर, ग्राम हरसोली में नेशनल पब्लिक स्कूल भवन का विस्तार	800,000
134.	मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत दुबंद उनानी मेडिकल कॉलेज, मोहल्ला-नया बंस, तलहेरी, चुंगी के पास, दुबंद, जिला सहारनपुर-247554	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन का निर्माण	3,000,000
135.	तहिरा बेगम मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 93/103, बी.सीत्र बंकर कॉलोनी, नराई बंध, पोस्ट: मौनाथ-भंजन, जिला मऊ-275101	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	500,000
	पश्चिम बंगाल			
136.	मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, 40/4बी, इकबालपुर लेन, कोलकाता	2012-13	50 बेड छात्रा वास भवन के निर्माण हेतु	1,500,000
	योग			176,655,000

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता	स्वीकृत वर्ष	सहायता अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत सहायता अनुदान (रु.)
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	वज़ीर खान मेमोरियाल एजुकेशनल सोसायटी, एमआईजी-27, आर.के. नगर कॉलोनी, इलेक्ट्रीकल रिवेन्यू ऑफिस के सामने, जिला श्रीकाकुलम-532001 (आंध्र प्रदेश)	2013-14	बी.एड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1500000
	असम			
2.	मुल्लागंज स्टडीज एंड कल्चरल सेंटर, पोस्ट-मुल्लागंज बाजार, जिला करीमगंज-788719 (असम)	2013-14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	हरियाणा			
3.	एस.के. एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, शहिद खान हाई स्कूल, गांव बिसरू, पोस्ट: बिसरू, तहसील-पुनहाना, जिला मेवात-122508 (हरियाणा)	2013-14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
4.	रहमानिया एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत जामिया सुभानिया हाई स्कूल गुहाना रोड, बड़ा रिठात, जिला-मेवात (हरियाणा)	2013-14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
	जम्मू और कश्मीर			
5.	दी एजुकेशनल ट्रस्ट, कश्मीर, औकाफ कॉमलेक्स, आलमगरी बाजार, जदीबाल जिला- श्रीनगर-190011, मार्फत इमामिया पब्लिक स्कूल, इचगाम, बडगाम (कश्मीर)	2013-14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	1500000
	झारखंड			
6.	मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मदरसा रोड, पोस्ट: उनचारी, जिला गढ़वा-822114 (झारखंड)	2013-14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	कर्नाटक			
7.	अल-हसनाथ एसोसिएशन, मार्फत अल-हसनथ उर्दू हाई	2013-14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000

1	2	3	4	5
	स्कूल, हबीब नगर, जोरापुर पेठ, जन्नत मस्जिद के पास, जिला बीजापुर-586101 (कर्नाटक)			
8.	अबु माइनोरिटी वुमेन मल्टीपरपस सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मार्फत अबु प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओल्ड चदंकावाटे रोड, तालुका सिंदगी, जिला-बीजापुरा (कर्नाटक	2013-14	वीटीसी/आईटीआई भवन का विस्तार	1000000
	केरल			
9.	इशा-अतुल इस्लाम ट्रस्ट, पोस्ट मंजेरी कॉलेज, जिला मलापपुरम-676122 (केरल)	2013-14	30 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
10.	अल मदरसाथूल-जाहरा इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज परिपालन कमेटी मार्फत जाहरा हायर सेकेंड्री स्कूल, जामिया जाहरा थांगल, पीदिका, पोस्ट-मोकेरी, जिला-कन्नूर-67069	2013-14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल का विस्तार	1500000
11.	आइडियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत आइडियल ट्रेनिंग कॉलेज, कुरुमनमकुरुस्सी, पोस्ट: चेरपुलसेरी, जिला-पालक्काड-679504 (केरल)	2013-14	30 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
12.	मदिनु ससाकुआफथिल इस्लामिया, स्वलाथ नगर, मेलमुरी, जिला-मलप्पुरम-676514 (केरल)	2013-14	आईटीसी हेतु उपकरणों की खरीद	800000
13.	स्लाहुद्दीन अयूबी एजुकेशनल कॉम्पलेक्स, पराक्कुलम, पोस्ट - कल्लडथुर, जिला पालक्काड़-679552 (केरल)	2013-14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
14.	दारुल हिकम इस्लामिक सेंटर, मार्फत दारुल हिकम रेसिडेंशियल स्कूल, पोस्ट-चेम्मानियोड, पोस्ट- मेलाटूर, जिला-मल्लपुरम-679325 (केरल)	2013-14	30 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
15.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, मार्फत डॉ. जेड. एच.एम. भारतीय विद्या विहार सीनियर सेकेंड्री स्कूल, पोस्ट: पनच्चिकावू, पेरून्ना वेस्ट, चंगानाचेरी, जिला कोट्टायम (केरल)	2013-14	30 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
	महाराष्ट्र			
16.	सय्यद शरिफुद्दीन शिक्षण एंड वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत उर्दू हाई स्कूल, पोस्ट-विहिगांव, तालुका अंजानगांव सुरजी, जिला अमरावती-444705 (महाराष्ट्र)	2013-14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000

1	2	3	4	5
17.	दी सबरंग मल्टीपरपस एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत सनशाईन हाई स्कूल, यशवंत कॉलेज के पीछे, लक्ष्मी नगर, जिला वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)	2013-14	50 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1500000
18.	मोहम्मदिया माइनोरिटी एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, विट्ठलवाड़ी, रेंदल, हाटकाननगेल, जिला-कोल्हापुर-416203 (महाराष्ट्र)	2013-14	स्कूल हेतु कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	500000
	उत्तर प्रदेश			
19.	साबिर हुसैन समाज सेवा शिक्षा प्रसार समिति, गांव एवं पोस्ट: शरीफ नगर, तहसील-ठाकुरद्वार, जिला मुरादाबाद-244602	2013-14	100 बिस्तर वाले बालक छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
20.	मरियम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम - अहमदपुर, पोस्ट चिनि, तहसील-सागरी, जिला-आजमगढ़-276121 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	हाई स्कूल भवन का विस्तार तथा कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	1300000
21.	अब्दुल मोहित खान एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम-रुपयीपुर, पोस्ट: फरीदपुर, जिला- आजमगढ़-223225 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
22.	चौधरी शिक्षा प्रचार एवं प्रसार समिति, ग्राम-मनकुआ, मक्सूदपुर, ब्लॉक-दिलारी, जिला-मुरादाबाद- 244001 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
23.	जनाब हमीद खान पहलवान शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, मार्फत वाकेशवर पब्लिक स्कूल, आजाद नगर बकेवार, जिला-इटावा-206124 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
24.	सईद सालार एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत सय्यद सालार जूनियर हाई स्कूल, ग्राम एवं पोस्ट-थनवला, तहसील-बिल्लारी, जिला- मुरादाबाद-202411 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
25.	चौधरी हबीब खान एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी, मार्फत एम पब्लिक स्कूल, ग्राम एवं पोस्ट: हर्रा, तहसील-सरधाना, विकास खंड-सरूरपुर, खुर्द, जिला-मेरठ-250344 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण	1000000
26.	बाबा शिक्षा सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट-कुनवाखेड़ा, तहसील: कायमगंज, जिला-फर्रुखाबाद-209502 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600000

1	2	3	4	5
27.	सर इकबाल पब्लिक स्कूल, दोमानपुर (वेस्ट), मऊनाथ भंजन, जिला-मऊ-275101 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	1000000
28.	एम.एन. पब्लिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, अहमद कंपाउंड, मुंदरवा रोड, सेमरियावान बाजार, जिला-संत कबीर नगर-272126 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
29.	उस्मान बिन अफ्फान एजुकेशनल एंड टेक्नीकल सोसाइटी, पोस्ट बिदपुर, जिला सिद्धार्थ नगर, मार्फत उस्मानिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, गांव लेदवा, पोस्ट बिर्द, जिला-सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	2013-14	जूनियर स्कूल भवन का निर्माण	1500000
30.	एम.ए. पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम काजीपुरा, तहसील-वाज़िक जिला मुरादाबाद-244001 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	30 बिस्तर वाले बालक छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
31.	किसान समाज कल्याण शिक्षा समिति, मार्फत एल.बी. जे. हाई स्कूल, पोस्ट: भगवंत नगर, ग्राम: हकीमगंज, तहसील-स्वर, जिला-रामपुर-244924 (उत्तर प्रदेश)	2013-14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
			योग	38200000

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजनाएं

1259. डा. रतन सिंह अजनाला :
श्री गणेश सिंह :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब में सिंचाई एवं जल विद्युत क्षमता के दोहन हेतु राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने वाली कोई नयी योजना सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु पहचानी गयी परियोजनाओं का राज्य एवं परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत मंजूर एवं व्ययित कुल राशि राज्य एवं परियोजना-वार कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में शामिल करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क), (ख), (घ) से (च) वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम शुरू की गई थी। ये परियोजनाएं सिंचाई/जल-विद्युत/बाढ़ नियंत्रण के लाभों की परिकल्पना करती हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशनिर्देशों के अनुसार, ये परियोजनाएं केन्द्रीय सहायता/परियोजना के सिंचाई और पेयजल घटकों की शेष परियोजना लागत (कार्य की लागत) के अनुदान के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के तहत जल-विद्युत घटक का निधियन नहीं किया जाता है।

अभी तक, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों की 15 परियोजनाओं को संलग्न विवरण-I पर दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल किया गया है।

(ग) चिन्हित की गई 15 परियोजनाओं में चार परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में उनको शामिल करने के बाद, निष्पादनाधीन परियोजनाओं के संबंध में मार्च, 2013 तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से सहित वहन किया गया व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शेष 11 परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के तहत कोई व्यय वहन नहीं किया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित 15 परियोजनाओं की सूची और उनकी स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	(1) सिंचाई (हेक्ट.) (2) विद्युत (मेगावाट) (3) भंडारण (एमएएफ)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	गोसीखुर्द	महाराष्ट्र	(1) 2.50 लाख (2) 3 मेगावाट (3) 0.93 एमएएफ	निष्पादन के अधीन
2.	शाहपुर कांडी	पंजाब	(1) 0.37 लाख (2) 168 मेगावाट (3) 0.012 एमएएफ	निष्पादन के अधीन
3.	तीस्ता बैराज	पश्चिम बंगाल	(1) 9.23 लाख (2) 1000 मेगावाट (3) बैराज	निष्पादन के अधीन
4.	सरयू नहर परियोजना	उत्तर प्रदेश	(1) 4.86 लाख (अतिरिक्त) (2) — (3) बैराज	निष्पादन के अधीन
5.	रेणुका	हिमाचल प्रदेश	(1) पीने का पानी (2) 40 मेगावाट (3) 0.44 एमएएफ	डीपीआर तैयार, वन मंजूरी की प्रतीक्षा है।
6.	लखवर व्यासी	उत्तराखंड	(1) 0.3378 लाख (2) 420 मेगावाट (3) 0.325 एमएएफ	टीएसी ने स्वीकार कर लिया। योजना आयोग से निवेश की मंजूरी की प्रतीक्षा है।
7.	किशाऊ	हिमाचल प्रदेश/ उत्तराखंड	(1) 0.97 लाख (2) 600 मेगावाट	डीपीआर तैयार, पर्यावरण एवं वन मंजूरी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
			(3) 1.04 एमएएफ	
8.	कैन बेतवा	मध्य प्रदेश	(1) 6.46 लाख (2) 72 मेगावाट (3) 2.25 एमएएफ	फेज-I का डीपीआर मूल्यांकन के तहत। फेज-II का डीपीआर तैयार हो रहा है।
9.	बरसार	जम्मू और कश्मीर	(1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) (2) 1130 मेगावाट (3) 1 एमएएफ	एनएचपीसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।
10.	ग्यास्पा परियोजना	हिमाचल प्रदेश	(1) 0.50 लाख हेक्टे. (2) 240 मेगावाट (3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश (एचपीपीसीएल) सरकार द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।
11.	दूसरा रावी व्यास लिंक	हिमाचल प्रदेश	सीमा पर प्रवाहित लगभग 3 एमएएफ जल को काम में लाना	अवधारणा स्तर पर
12.	बहु बहुउद्देशीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर	(1) 0.32 लाख (2) 280 मेगावाट (3) 0.66 एमएएफ	सीडब्ल्यूसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।
13.	कुल्ली बांध परियोजना	असम	(1) 23,900 हेक्टे. (2) 29 मेगावाट (3) 0.28 एमएएफ	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।
14.	नोआ-दिहांग बांध परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	(1) 8000 हेक्टे. (2) 75 मेगावाट (3) 0.26 एमएएफ	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।
15.	ऊपरी सिवांग	अरुणाचल प्रदेश	(1) अप्रत्यक्ष (2) 9500 मेगावाट (3) 17.50 एमएएफ बाढ़ नियंत्रण	अवधारणा स्तर पर

विवरण-II

निष्पादनाधीन राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में मार्च, 2013 तक जारी केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से सहित वहन किया गया व्यय

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	राज्य के हिस्से सहित मार्च, 2013 तक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	गोसीखुर्द	महाराष्ट्र	2987.94	3467.00
2.	तीस्ता बैराज	पश्चिम बंगाल	178.20	198.00
3.	शाहपुर कांडी	पंजाब	26.036	75.87
4.	सरयू नहर	उत्तर प्रदेश	67.98	8.39

कर्नाटक में जल भराव क्षेत्र

1260. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक) ने कर्नाटक के कृष्णा बेसिन में बेलगाम जिले में जल भराव के अंतर्गत कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में कमांड क्षेत्र एवं गैर-कमांड क्षेत्र के जल भराव कृषि भूमि क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा जल भराव, लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्रों को पूर्व स्थिति में लाने हेतु विशेषज्ञों के सुझाव क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृष्णा बेसिन में कमांड क्षेत्रों एवं गैर-कमांड क्षेत्रों के जल भराव क्षेत्रों को पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान जल भराव क्षेत्रों को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु राज्य-वार आवंटित राशि और किया गया व्यय कितना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्णाटक) के वैज्ञानिकों वाले एक दल ने दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को बेलगांव जिले के लवण प्रभावित जलग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ख) दल द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए जल जमाव/लवण प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सूचित किया है कि मालप्रभा परियोजना में लगभग 17153 हेक्टेयर भूमि और घाटप्रभा परियोजना में 45527 हेक्टेयर भूमि जल जमाव/मृदा लवणता से प्रभावित है जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता में आंशिक/पूर्णता क्षति हुई है। नहर कमान क्षेत्र के अतिरिक्त, बेलगांव जिले में गैर कमान क्षेत्र में ज्यादातर गन्ने की फसल वाली 38469 हेक्टेयर भूमि भी जल जमाव/मृदा लवणता से प्रभावित है।

विशेषज्ञों के दल द्वारा की गई कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें/दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं:—

1. बेहतर सतही जल निकास के लिए पहले से बंद/अधिक्रमित सतह/खेत जल निकास मार्गों को साफ किए जाने की आवश्यकता है। सिंचाई प्रणाली स्तर पर व्यापक आयोजन और सतही जल निकास प्रणाली के निष्पादन के साथ-साथ यह आवश्यक है कि लवण भार के निस्तारण हेतु उपसतही जल निकास प्रणाली को इसमें शामिल किया जाए।

2. अधिक सिंचाई के कारण जल की क्षति को कम करने के लिए गन्ने की खेती, विशेषकर लिफ्ट सिंचित गैर कमान क्षेत्रों में टपक सिंचाई प्रणाली की शुरुआत करने की तुरंत आवश्यकता है।

3. मालप्रभा एवं घाटप्रभा परियोजनाओं हेतु सीएडीए नहर कमान क्षेत्र में पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू कर सकता है जबकि कृषि विभाग, कर्नाटक गैर कमान क्षेत्रों में पुनरुद्धार शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से वित्त पोषण का विकल्प तलाश सकता है।

4. चूंकि कर्नाटक में ज्यादातार सिंचाई परियोजनाएं (मालप्रभा, घाटप्रभा, ऊपरी कृष्णा, भद्रा, तुंगभद्रा) जल जमाव/लवणता की समस्याओं का सामना कर रही हैं, अत: यह सुझाव है कि यहां लवणता/क्षारीयता आदि की समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब (वीएलआरडीसी), हरियाणा (एचएल आरडीसी) और उत्तर प्रदेश (यूपीबीएसएन) राज्यों की तरह एक विशेषज्ञ अभिकरण (कर्नाटक भूमि पुनरुद्धार और विकास निगम, केएलआरडीसी कहा जाए) स्थापित किया जाए।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार कमान क्षेत्रों में जल जमाव वाले क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु सीएडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देती है। ऊपरी कृष्णा कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 1402.82 हेक्टेयर भूमि के पुनरुद्धार हेतु 4.42 करोड़ रुपए और 6968.65 हैक्टेयर भूमि के पुनरुद्धार हेतु 31.76 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

गैर-कमान क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बेलगांव जिले में 922 हैक्टेयर भूमि में लाभ पहुंचाने के लिए 4.99 करोड़ रुपए की लागत से "उप सतह जल निकास के माध्यम से जलग्रस्त लवणीय भूमि का विकास" नामक प्रायोगिक परियोजना पूरी की गई है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए मंजूर सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत जलग्रस्त क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु स्कीमों में 9 राज्य भाग ले रह हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले 3 वर्षों में केवल 2 राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का दावा किया है, जो निम्न प्रकार है:—

राज्य का नाम	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या सीसीए (हैक्टेयर)		राशि करोड़ रुपए
कर्नाटक	2010-11	148	46951.44	106.11
	2011-12	74	1766.00	1.98
	2012-13	*	—	—
	2013-14	**	—	—
महाराष्ट्र	2010-11	7	536.90	0.37
	2011-12	22	2957.00	10.11
	2012-13	***	—	—
	2013-14	**	—	—

*कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है क्योंकि अंतर मंत्रालयी स्वीकृति समिति के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी।

**हाल ही में 12वीं योजना के लिए अनुमोदित सीएडब्ल्यूएम कार्यक्रम के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुई थी।

***राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राज्यों में जल भराव क्षेत्रों के पुनरुद्धार संबंधी अनुमोदित परियोजनाओं का सार

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	पुनरुद्धार किए जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	03/2011 तक क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	2011-12 के के दौरान प्रगति (हजार हैक्टेयर)	03/2012 तक पुनरुद्धारित क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	81	15.668	409.05	11.85	0.894	12.744
2.	गुजरात	7	1.290	136.70	0.00	0.000	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जम्मू और कश्मीर	4	9.684	283.87	4.914	0.000	4.914
4.	कर्नाटक	309	60.403	14040.81	19.660	6.323	25.983
		74	1.766	197.69	0.000	0.884	0.884
5.	केरल	265	20.820	2315.32	16.249	0.000	16.249
6.	मध्य प्रदेश	6	1.437	172.44	0.000	0.000	0.00
7.	महाराष्ट्र	24	1.844	163.82	1.780	0.000	1.780
		22	2.957	1011.31	0.000	1.766	1.766
8.	ओडिशा	19	1.342	162.66	1.100	0.000	1.100
9.	उत्तर प्रदेश	12	5.321	645.23	5.321	0.000	5.321
	कुल योग	823	122.532	19538.90	60.874	9.867	70.741

भूमि सुधार नीति

1261. श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों की भू-धरिता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अनुसूचित जातियों की भू-धरिता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के लिए एक नयी भूमि सुधार नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट संख्या 543 के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों द्वारा धारित भूमि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसाकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टी संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से पात्र ग्रामीण गरीबों को निर्धारित सीमा तक सरप्लस भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन का अनुरोध समय-समय पर किया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का प्रारूप तैयार किया गया है तथा राज्य सरकारों से और सिविल सोसायटी के सदस्यों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। उपरोक्त नीति का ब्यौरा भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट www.dolr.nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए धारित भूमि के आकार वर्ग द्वारा परिवार का प्रति 1000 वितरण अनुसूचित जाति के परिवार सामाजिक समूह द्वारा धारित भूमि का आकार वर्ग (हैक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धारित भूमि का आकार वर्ग (हेक्टेयर)						
	0.000	0.000-0.004	0.005-0.40	0.41-1.00	1.01-2.00	2.01-4.00	4.01 और इससे अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	70	236	518	121	37	17	1

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	269	198	140	43	43	302	5
असम	121	10	439	210	140	71	9
बिहार	204	128	570	70	22	5	0
छत्तीसगढ़	289	152	319	144	60	22	15
दिल्ली	649	327	24	0	0	0	0
गोवा	0	0	1000	0	0	0	0
गुजरात	102	188	510	94	3	76	27
हरियाणा	28	321	609	11	16	12	3
हिमाचल प्रदेश	56	40	634	232	27	10	1
जम्मू और कश्मीर	28	34	582	275	68	13	0
झारखंड	67	37	686	139	7	50	14
कर्नाटक	103	124	523	162	63	4	22
केरल	107	42	793	52	6	0	0
मध्य प्रदेश	134	151	325	157	108	77	48
महाराष्ट्र	92	374	312	94	69	47	11
मणिपुर	340	0	188	300	158	14	0
मेघालय	0	0	893	0	0	0	107
मिज़ोरम	223	0	19	758	0	0	0
नागालैंड	940	0	60	0	0	0	0
ओडिशा	89	178	415	194	98	19	6
पंजाब	51	237	676	18	10	6	0
राजस्थान	36	148	346	166	167	98	39
सिक्किम	13	301	501	185	0	0	0
तमिलनाडु	11	340	560	68	17	1	2
त्रिपुरा	57	35	670	212	18	8	0
उत्तराखंड	31	127	768	57	17	0	0
उत्तर प्रदेश	47	87	639	172	41	13	1

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल	83	78	737	80	14	8	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	143	257	600	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	18	0	812	34	135	0	0
दमन और दीव	0	970	30	0	0	0	0
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
पुदुचेरी	0	697	283	5	0	15	0
अखिल भारत	86	160	554	121	47	24	8

[हिन्दी]

रेल नीर संयंत्र

1262. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बजट 2010-11 के दौरान नये रेल नीर संयंत्रों की स्थापना हेतु किसी योजना की घोषणा की गई थी और क्या यह अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेल नीर संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थान निश्चित कर लिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर नये रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थानों और लागत और नियम की गई समयावधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) नियम समयावधि में रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) रेल बजट 2010-11 में माल, नासिक, फरक्का, अमेठी, अंबाला और त्रिवेंद्रम में छह पैकेज्ड पीने के पानी (पीडीडब्ल्यू) का बोटलिंग संयंत्र का कार्य पीपीपी आधार पर स्थापित करने की योजना है जिसे भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है। इन स्थानों में से, अंबाला और अमेठी के लिए डेवलपर-सह-ऑपरेटर की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इन स्थानों अर्थात पारासाला (त्रिवेंद्रम के नजदीक) और नासिक के लिए निविदा मंगाई गई है।

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य में अंबरनाथ, नागपुर और नासिक में तीन रेल नीर पैकेज्ड पीने के पानी का (पीडीडब्ल्यू) बोटलिंग संयंत्रों को आईआरसीटीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अंबरनाथ में पीडीडब्ल्यू संयंत्र को स्थापित करने की अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपए और नागपुर एवं नासिक में प्रत्येक में पीडीडब्ल्यू संयंत्र को स्थापित करने की अनुमानित लागत 8 करोड़ रुपए है। अंबरनाथ के संयंत्र के परिचालन के लिए प्रस्तावित संभावित समय फरवरी, 2014 है और नासिक तथा नागपुर का जून, 2015 है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में एफडीआई

1263. डॉ. रामचन्द्र डोम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्त-पोषित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सरकार ने काउंटर गारंटी का आश्वासन दिया है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं में शामिल निवेश की राशि परियोजना-वार कितनी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन (नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर) पारेषण, वितरण और व्यापार में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत सरकार ने दिनांक 22.08.2013 को "स्वचालित मार्ग" के माध्यम से 49% (26% एफडीआई + 23% एफआईआई) के रूप में सीईआरसी विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत पावर एक्सचेंजों के लिए एफडीआई कैप हेतु संशोधित स्थिति अधिसूचित की।

(ग) और (घ) देश में कोई भी परियोजना एफडीआई के माध्यम से वित्तपोषित नहीं की गई है जिसके लिए सरकार ने काउंटर गारंटी सुनिश्चित की है।

[हिन्दी]

ट्रेन ठहराव

1264. श्री भूदेव चौधरी :
श्री रतन सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन (13009), हरिद्वार-हावड़ा पेसेन्जर ट्रेन (12370) का जमुई, बिहार में और ट्रेन सं. 12403/12404 का डीग रेलवे स्टेशन, भरतपुर, राजस्थान में ठहराव दिए जाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मांग कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) इस समय 13009/13010 हावड़ा-देहरादून रूट जमुई के रास्ते नहीं चलती है। इसके अलावा, 12369/12370 हावड़ा-हरिद्वार कुंभ-एक्सप्रेस को जमुई स्टेशन और 12403/12404 इलाहाबाद-जयपुर एक्सप्रेस को डीग स्टेशन पर ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेलों पर गाड़ियों का ठहराव एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य आदि हो।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

1265. श्री एम.के. राघवन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में केरल में हुई वर्षा की मात्रा पर कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में वर्षा जल का संचय करने हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना वर्षा जल बचाया गया है; और

(घ) भू-जल स्तर की गिरावट में कमी लाने और राज्य में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), त्रिवेन्द्रम केरल राज्य में स्थित 70 वर्षा मापी केन्द्रों के माध्यम से राज्य में वर्षा संबंधी आंकड़े एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है। इस विभाग के अध्ययन के अनुसार, केरल में वार्षिक सामान्य वर्षा 2924 मि.मीटर है और पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2010-2011 और 2012 में यहां वर्षा की मात्रा क्रमशः 3137 मि.मीटर, 3046 मि.मीटर और 2187 मि.मीटर थी।

(ग) वर्षा जल संचयन की स्कीमों की आयोजना/कार्यान्वयन संबंधित राज्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के अलावा सहकारी समूह आवास समितियों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों, व्यक्तियों आदि द्वारा वर्षा जल संचयन के समवर्ती प्रयास किए जाते हैं। कोई अभिकरण, राज्य में संचित/बचाए जा रहे वर्षा जल की मात्रा संबंधी आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं रखता है।

(घ) केरल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भूमि जल निकासी के विनियमन और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने भूमि जल (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम बनाया है। राज्य भूमि जल विभाग राज्य में जल संरक्षण एवं कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत भूमि जल की कमी वाले क्षेत्रों में चैक बांधों, उप-सतही डाइकों, डगवेल पुनर्भरण संरचनाओं आदि का निर्माण शामिल है। वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार ने 44 स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 60 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्य में 11वीं योजना अवधि के दौरान 27 प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं कार्यान्वित की थीं। सीजीडब्ल्यूबी, अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के महत्त्व के विषय में पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहा है। भूमि जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पणधारियों की क्षमता निर्माण हेतु सीजीडब्ल्यूबी, जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

शौचालयों का निर्माण

1266. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री जितेन्द्र सिंह :
प्रो. सौगत राय :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री भक्त चरण दास :
श्री गणेश सिंह :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री पी.आर. नटराजन

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वषो॑ के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से देश में निर्मित शौचालयों की संख्या कितनी है और इनमें जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) देश में शौचालय सुविधाओं से युक्त परिवारों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशतता क्या है;

(घ) देश मे महाराष्ट्र सहित ऐसे परिवारों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशतता क्या है जो खुले में शौच जाते हैं;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे परिवारों के लिए शौच सुविधाएं उपलब्ध कराने और ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या देश में परिवारों के एक बड़े प्रतिशत के पास उनके शौचालयों में जल निकासी कनेक्टिविटी नहीं है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में और देश में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के तहत देश में बनाए गए शौचालयों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I पर है। निर्मल भारत अभियान के संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत बनाए गए शौचालयों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के प्रति संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(ख) पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में किए गए व्यय का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) जनगणना 2011 के अनुसार, देश में शौचालय की सुविधा प्राप्त परिवारों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या एवं प्रतिशतता संलग्न विवरण-III पर है।

(घ) जनगणना 2011 के अनुसार, महाराष्ट्र को शामिल करते हुए देश में खुले में शौच जाने वाले परिवारों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या एवं प्रतिशतता संलग्न विवरण-IV पर है।

(ङ) भारत सरकार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का संचालन करती है। एनबीए के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, एनबीए के महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है एवं इस घटक के अंतर्गत, गतिविधियों जैसे कि कम्पोस्ट पिटों, वर्मिन कम्पोस्टिंग, सामान्य एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र, निम्न लागत के जल निकासी संयंत्र, सोकेज चैनल/पिट का निर्माण, घरेलू कचरे के एकत्रण, पृथक्करण एवं निपटान के लिए अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग आदि शुरू किए जा सकते हैं। एनबीए के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत मे परिवारों की कुल संख्या के आधार पर कुल सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसके तहत 150 परिवारों वाले ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवारों वाले ग्राम पंचायत हेतु 12 लाख रुपए, 500 परिवारों वाले ग्राम पंचायत हेतु 15 लाख रुपए, 500 से भी अधिक परिवारों वाले ग्राम पंचायत हेतु 20 लाख रुपए के अध्यधीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम (ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन) के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है। लागत संबंधी अन्य अतिरिक्त आवश्यकता को राज्य/ग्राम पंचायत से प्राप्त निधियों से पूरा किया जाता है।

(च) और (छ) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में सामान्यतया लीच पिट शौचालय बनवाए जाते हैं जिनमें जल निकास प्रणाली से उसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामीण क्षेत्रों की मौजूदा जल निकास प्रणाली के तहत शौचालयों से गंदे पानी का निकास नहीं होता। तथापि, जनगणना 2011 के अनुसार, अपशिष्ट जल निकासी के लिए उपयुक्त जल निकासी प्रणाली से रहित ग्रामीण परिवारों के संबंध में सूचना और ऐसे परिवारों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशतता संलग्न विवरण-V पर है।

(ज) देश में स्वच्छता स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया है जिसे अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान कहा जाता है। एनबीए का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय में चरणबद्ध तरीके से संतृप्तिबोध मोड में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के साथ सतत व्यवहारगत परिवर्तन प्राप्त करना है और परिणामों के रूप में "निर्मल ग्रामों" को प्राप्त करना है। एनबीए का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता की शत प्रतिशत सुविधाएं पहुंचाना है।

एनबीए के अंतर्गत निम्नांकित कार्यनीति अपनाई गई:—

- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन देने के स्थान पर ग्राम पंचायत में समस्त समुदायों को कवर करते हुए संतृप्ति बोध रीति से शौचालय निर्माण करना ताकि समग्र स्वच्छता परिणाम प्राप्त हो सकें।
- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान में सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करते हुए सभी एपीएल परिवारों, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे तथा सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला प्रमुख परिवारों, को शामिल करने हेतु विस्तार किया गया है। शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए (बीपीएल तथा पहचान किए गए एपीएल) 3200/- रुपए से 4600/- रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अन्तर्गत शौचालय के निर्माण के लिए 4500/- रुपए तक तथा 900/- रुपए का एक लाभार्थी अंशदान अनुमत है, जिससे शौचालय की कुल इकाई लागत 10,000/- रुपए (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 10,500/- रुपए) हो जाती है।
- सूचना शिक्षा सम्प्रेषण (आईईसी) कार्यकलापों पर अधिक बल देने हेतु जिला परियोजनाओं के कुल 15% परिव्यय को 7आईईसी के लिए चिन्हित किया गया है। आईईसी के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एक सम्प्रेषण एवं समर्थकारी कार्यनीति (2012-2017) तैयार की है।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना। संबंधित मंत्रालयों के साथ, जिनमें स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं, ग्रामीण स्वच्छता के लिए एनबीए का तालमेल बैठाना।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (एमआईएस पर राज्यों/राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014 (30 नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1049704	654282	384279	163504
2.	अरुणाचल प्रदेश	19799	27781	5760	7409
3.	असम	498849	510243	273240	69306
4.	बिहार	717792	839927	796699	125497

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	236164	82496	52045	28812
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	800	0	0	0
8.	गुजरात	515224	321357	171977	80766
9.	हरियाणा	132137	103913	62949	49867
10.	हिमाचल प्रदेश	216573	30066	5183	7218
11.	जम्मू और कश्मीर	125228	70626	71900	25439
12.	झारखंड	296678	53479	48500	36483
13.	कर्नाटक	810104	414782	296429	210035
14.	केरल	20241	2188	5674	8523
15.	मध्य प्रदेश	1166016	900769	558189	204095
16.	महाराष्ट्र	562183	519563	189306	186363
17.	मणिपुर	49576	55306	43917	23022
18.	मेघालय	65417	51550	14406	5741
19.	मिजोरम	1611	17237	4967	4046
20.	नागालैंड	18224	46318	22149	19868
21.	ओडिशा	853303	359171	118318	15454
22.	पुदुचेरी	77	0	0	0
23.	पंजाब	118415	32535	57421	3846
24.	राजस्थान	750948	730385	252800	131065
25.	सिक्किम	0	0	0	2531
26.	तमिलनाडु	473647	410794	324216	118149
27.	त्रिपुरा	30392	24761	7035	4997
28.	उत्तर प्रदेश	2915407	1613384	134873	388859
29.	उत्तराखंड	132913	125051	97815	48962
30.	पश्चिम बंगाल	466311	800900	559115	307624
	योग	12243731	8798864	4559162	2277481

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान टीएससी/एनबीए के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण पर हुए व्यय (केन्द्रीय अंश) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (एमआईएस पर राज्यों/राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014 (30 नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	53.64	62.82	58.22	52.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.46	3.38	1.18	3.12
3.	असम	59.57	113.58	91.57	32.47
4.	बिहार	103.58	113.35	164.59	43.84
5.	छत्तीसगढ़	13.72	12.98	9.49	12.20
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	21.02	12.21	13.34	15.62
9.	हरियाणा	6.20	9.83	4.57	7.09
10.	हिमाचल प्रदेश	3.93	5.41	3.86	3.80
11.	जम्मू और कश्मीर	5.61	14.30	26.28	11.91
12.	झारखंड	31.51	19.72	12.18	9.95
13.	कर्नाटक	55.63	29.89	55.12	56.45
14.	केरल	4.73	4.26	2.69	5.89
15.	मध्य प्रदेश	86.68	82.67	155.98	127.25
16.	महाराष्ट्र	33.06	42.18	36.23	26.34
17.	मणिपुर	3.88	5.73	15.32	8.34
18.	मेघालय	8.42	11.46	7.72	4.27
19.	मिजोरम	0.41	5.58	0.82	0.59
20.	नागालैंड	0.90	8.22	2.93	10.73
21.	ओडिशा	36.11	32.80	18.31	6.96

1	2	3	4	5	6
22.	पुदुचेरी	0.02	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.35	0.15	3.16	1.06
24.	राजस्थान	19.26	16.38	41.53	20.72
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	1.35
26.	तमिलनाडु	46.42	75.30	67.91	103.61
27.	त्रिपुरा	2.23	2.32	0.88	2.70
28.	उत्तर प्रदेश	165.26	94.44	170.89	159.79
29.	उत्तराखंड	9.76	10.67	11.70	8.37
30.	पश्चिम बंगाल	39.54	57.66	114.08	58.36
	योग	814.91	847.31	1090.54	794.95

विवरण-III

जनगणना-2011 के अनुसार, शौचालयों की सुविधाप्राप्त ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या एवं प्रतिशतता (एमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार	शौचालयों की सुविधा प्राप्त परिवारों की संख्या	शौचालयों की सुविधा प्राप्त परिवारों प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	36057	61.08
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	4968666	34.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	109107	55.75
4.	असम	5374553	3307554	61.54
5.	बिहार	16926958	3150018	18.61
6.	चंडीगढ़	6785	6399	94.31
7.	छत्तीसगढ़	4384112	650844	14.85
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	10368	29.28
9.	दमन और दीव	12750	8390	65.80
10.	गोवा	124674	90517	72.60

1	2	3	4	5
11.	गुजरात	6765403	2316239	34.24
12.	हरियाणा	2966053	1711850	57.71
13.	हिमाचल प्रदेश	1310538	883972	67.45
14.	जम्मू और कश्मीर	1497920	624828	41.71
15.	झारखंड	4685965	390153	8.33
16.	कर्नाटक	7864196	2507502	31.89
17.	केरल	4095674	3866571	94.41
18.	लक्षद्वीप	2523	2481	98.34
19.	मध्य प्रदेश	11122365	1510127	13.58
20.	महाराष्ट्र	13016652	5754007	44.20
21.	मणिपुर	335752	294544	87.73
22.	मेघालय	422197	240413	56.94
23.	मिजोरम	104874	91343	87.10
24.	नागालैंड	284911	221348	77.69
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	79115	68431	86.50
26.	ओडिशा	8144012	1247860	15.32
27.	पुदुचेरी	95133	38448	40.41
28.	पंजाब	3315632	2383764	71.89
29.	राजस्थान	9490363	1910509	20.13
30.	सिक्किम	92370	78640	85.14
31.	तमिलनाडु	9563899	2556501	26.73
32.	त्रिपुरा	607779	514135	84.59
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	5825153	22.87
34.	उत्तराखंड	1404845	772135	54.96
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	6680357	48.70
	भारत	167826730	54829231	32.67

विवरण-IV

जनगणना-2011 की स्थिति के अनुसार, खुले में मलत्याग करने वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या एवं प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार	शौचालयों की सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या	खुले में मलत्याग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	22973	38.92
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	9277643	65.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	86616	44.25
4.	असम	5374553	2066999	38.46
5.	बिहार	16926958	13776940	81.39
6.	चंडीगढ़	6785	386	5.69
7.	छत्तीसगढ़	4384112	3733268	85.15
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	25040	70.42
9.	दमन और दीव	12750	4360	34.20
10.	गोवा	124674	34157	27.40
11.	गुजरात	6765403	4449164	65.76
12.	हरियाणा	2966053	1254203	42.29
13.	हिमाचल प्रदेश	1310538	426566	32.55
14.	जम्मू और कश्मीर	1497920	873092	58.29
15.	झारखंड	4685965	4295818	91.67
16.	कर्नाटक	7864196	5356694	68.11
17.	केरल	4095674	229103	5.59
18.	लक्षद्वीप	2523	42	1.66
19.	मध्य प्रदेश	11122365	9612238	86.42
20.	महाराष्ट्र	13016652	7262645	55.80

1	2	3	4	5
21.	मणिपुर	335752	41208	12.27
22.	मेघालय	422197	181784	43.06
23.	मिजोरम	104874	13531	12.90
24.	नागालैंड	284911	63563	22.31
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	79115	10684	13.50
26.	ओडिशा	8144012	6896152	84.68
27.	पुदुचेरी	95133	56686	59.59
28.	पंजाब	3315632	931868	28.11
29.	राजस्थान	9490363	7579854	79.87
30.	सिक्किम	92370	13730	14.86
31.	तमिलनाडु	9563899	7007398	73.27
32.	त्रिपुरा	607779	93644	15.41
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	19649918	77.13
34.	उत्तराखंड	1404845	632710	45.04
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	7036829	51.30
	भारत	167826730	112997499	67.33

विवरण-V

जनगणना-2011 के अनुसार, जल निकासी से रहित ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या एवं प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार	जल निकासी के बिना परिवारों की संख्या	जल निकासी के बिना परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	40130	67.98
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	8264647	58.01
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	152818	78.08
4.	असम	5374553	4634600	86.23
5.	बिहार	16926958	10344653	61.14

1	2	3	4	5
6.	चंडीगढ़	6785	390	5.75
7.	छत्तीसगढ़	4384112	3879341	88.49
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	31310	88.43
9.	दमन और दीव	12750	10191	79.93
10.	गोवा	124674	57123	45.82
11.	गुजरात	6765403	5548498	82.01
12.	हरियाणा	2966053	509267	17.17
13.	हिमाचल प्रदेश	1310538	503093	38.39
14.	जम्मू और कश्मीर	1497920	963696	64.64
15.	झारखंड	4685965	3921714	83.69
16.	कर्नाटक	7864196	4518789	57.46
17.	केरल	4095674	2488174	60.75
18.	लक्षद्वीप	2523	2037	80.74
19.	मध्य प्रदेश	11122365	8313832	74.75
20.	महाराष्ट्र	13016652	6793227	52.19
21.	मणिपुर	335752	188425	56.12
22.	मेघालय	422197	325587	77.12
23.	मिजोरम	104874	65431	62.39
24.	नागालैंड	284911	172300	60.48
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	79115	9749	11.32
26.	ओडिशा	8144012	7175582	88.11
27.	पुदुचेरी	95133	60238	63.32
28.	पंजाब	3315632	630029	19.00
29.	राजस्थान	9490363	6924077	72.96
30.	सिक्किम	92370	57749	62.52
31.	तमिलनाडु	9563899	6962668	72.80
32.	त्रिपुरा	607779	509545	83.84

1	2	3	4	5
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	9731335	38.20
34.	उत्तराखंड	1404845	734377	52.27
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	11617838	84.70
	भारत	167826730	106,146,460	63.25

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण

1267. श्री जगदानंद सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि विभिन्न स्तर के जन-प्रतिनिधियों को निर्माणाधीन ग्रामीण संपर्क सड़कों का निरीक्षक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में ऐसे निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छी गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निरीक्षण कार्यक्रम महज एक औपचारिकता होने के मामले में यह सुनिश्चित करने कि अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाए, निरीक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य बनाए जाने के लिए भविष्य की योजना क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) दिशा-निर्देशों में निम्न व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के सृजन को सुनिश्चित किया जा सके:—

- संबंधित क्षेत्र/मंडल का अधीक्षक अभियंता क्षेत्र/मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद एवं जिला प्रमुख से उनकी सहजता के अनुसार प्रत्येक 6 माह में किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के चयन के लिए अनुरोध करेगा।
- मंडल कार्यपालक अभियंता संबंधित माध्यमिक पंचायत के माननीय विधायक/अध्यक्ष से उनकी सहजता के अनुसार प्रत्येक 3 माह मे किसी भी पीएजीएसवाई परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के चयन के लिए अनुरोध करेगा।
- उप-मंडल का सहायक अभियंता संबंधित ग्रामसभा के सरपंच से उसकी सहजता के अनुसार प्रत्येक 2 माह में किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के चयन के लिए अनुरोध करेगा।

पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता की जिम्मेदारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले राज्य सरकारों की है। तथापि राज्यों को अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, इत्यादि के माध्यम से उपरोक्त प्रक्रियाविधि के अनुपालन के लिए सलाह दी गई है।

रेल प्रशुल्क प्राधिकरण

1268. श्री उदय सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी यात्री और मालभाड़ा सेवाओं के लिए एक समेकित और गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित और लागू करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण (आरटीए) का गठन किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो रेल प्रशुल्क प्राधिकरण के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने यात्री किराये में से सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री किराए में से सब्सिडी समाप्त किए जाने पर आम आदमी अप्रभावित रहे, रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) रेल दर सूची प्राधिकरण की कार्य-पद्धतियों को गठित करने से संबंधित मुद्दों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कटवा तापीय विद्युत परियोजना

1269. श्री अभिजीत मुखर्जी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की कटवा ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना हेतु आवंटित की गई धनराशि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि पर्याप्त है अथवा एनटीपीसी द्वारा कुछ और भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही कटवा परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1320 मे.वा. है। एनटीपीसी ने दिनांक 04.03.2011 को परियोजना के लिए कोयला लिकेंज हेतु आवेदन किया है। कुल अपेक्षित भूमि 700 एकड़ है जिसमें से 556 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल पॉवर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमि. द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। एनटीपीसी ने भागीरथी नदी के छोर पर ऐश पाण्ड, रेलवे कॉरिडोर और वाटर पम्प हाउस बनाने के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है। अब तक निर्माण पर कोई भी पूंजी व्यय नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण

1270. शेख सैदुल हक : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद अल्पसंख्यक अभी भी विकास में कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों के बारे में उनकी स्थिति पर कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में अल्पसंख्यकों के लिए जीविकोपार्जन अवसरों के मुद्दे का उचित ढंग से समाधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। अल्पसंख्यकों की दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के समग्र प्रभाव का एक बार जनगणना, 2011 के आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर पता लगेगा। योजना आयोग के भारत मानव संसाधान विकास रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिमों के बीच साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1999-2000 में 52.1% से 2007-2008 में 63.5% और शहरी क्षेत्रों में 69.8% से 75.1% का महत्त्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय औसत अनुपात के रूप में मुस्लिमों की सारक्षता दर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1999-2000 में 0.93% से 2007-2008 मूं 0.95% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों के आंकड़े 1999-2000 में 0.87% से 2007-2008 में 0.89% पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की भारत (2009-10) में बड़े धार्मिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगारी संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की गई है कि अल्पसंख्यक समुदायों की बेरोजगारी दर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 2004-2005 की तुलना में 2009-10 में कमी आई है। अल्पसंख्यकों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मुस्लिमों के संबंध में सबसे कम थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ईसाइयों में सबसे कम थी, उसके बाद मुस्लिम आते हैं।

(ग) और (घ) शिक्षा और रोजगार अवसरों के संबंध में अल्पसंख्यकों की स्थिति का मूल्यांकन जनगणना आंकड़ा और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है जो रोजगार और शिक्षा सहित विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में अखिल भारत प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराता है।

(ङ) और (च) शैक्षिक सशक्तिकरण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और आर्थिक सशक्तिकरण जो अल्पसंख्यकों की जीविका अवसरों को प्रभावित करते हैं, उनका 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त समाधान किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए योजना आवंटन 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17,323 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

टीवी चैनल

1271. श्री कमलेश पासवान :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टीवी चैनलों के सिलसिले में लोगों की वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक टीवी चैनल प्रसारण कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से देश में चैनलों की संख्या की एक सीमा निश्चित किए जाने के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में 'ट्राई' द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का देश में नए समाचार चैनलों की संख्या में लगातार वृद्धि को रोकने के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अनुमति दिए जा सकने वाले चैनलों की कुल संख्या नियत किए जाने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक संदर्भ भेजा था।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी दिनांक 23.07.2010 की सिफारिशों में यह सिफारिश की है कि "भारत में प्रदर्शन से डाउनलिंक किए जाने या भारत से अपलिंक किए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए सैटेलाइट प्रसारण चैनलों की संख्या की सीमा नहीं रखी जा सकती है।"

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

किंगफिशर एयरलाइन

1272. श्री ताराचंद भगोरा :
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा कर विभाग ने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जेट विमानों को अस्थाई रूप से कब्जे में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने पायलटों और कर्मचारियों को 14 महीनों से अधिक समय से वेतन नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सेवा कर आयुक्त, मुम्बई के कार्यालय द्वारा सरकारी राजस्व का संरक्षण करने के लिए वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87(ग) के तहत किंगफिशर एयरलाइंस के विमान एमएसएन 739 (वीटी-डीकेएच) को कुर्क कर लिया गया है।

(ग) और (घ) यह पता चला है कि किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। बकाया देय राशियों की मात्रा तथा प्रभावित कर्मचारियों की वास्तविक संख्या इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं है।

इज्जत मासिक सीजन पास

1273. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग से इज्जत मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) प्राप्त करने हेतु यात्रियों के लिए आयकर प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इज्जत एमएसटी जारी करने संबंधी अन्य नियमों में भी संशोधन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या परिवर्तन करते समय पूर्व संसद सदस्यों की राय पर भी विचार किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। इज्जत मासिक सीजन टिकट को जारी करने के लिए स्थानीय सरकारी अधिकारी से अतिरिक्त आय प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है।

(ग) और (घ) इज्जत मासिक सीजन टिकट को जारी करने के लिए फोटो पहचान कार्ड सह आवासीय साक्ष्य को अनिवार्य किया गया है। 1500 रुपए की आय सीमा, सभी अधिप्रभारों सहित 25 रुपए का प्रभार, 150 किमी की दूरी सीमा आदि जैसे अन्य प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ङ) प्राप्त फीडबैक के आधार पर नीति संबंधी दिशा-निर्देशों में आशोधन/संशोधन करना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में रिक्ति

1274. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्रीमती एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष और संचार, विमानन एवं निगरानी (सीएनएस) स्कंध के 840 पद रिक्त पड़े हैं जिससे यात्रियों और केबिन क्रू का जीवन खतरे में पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सीएनएस के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) संचार, दिक्चालन तथा निगरानी क्षेत्र में लगभग 800 पद रिक्त हैं। यात्रियों तथा केबिल कर्मीदलों की सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि सभी सुविधाओं तथा उपस्करों का अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अपेक्षा के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विभागीय कर्मचारियों को अपेक्षित पात्रता में छूट दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं

1275. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रिड से जुड़ी वृहत स्तरीय नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्वसनीय ग्रिड समेकन, भविष्यवाणी, शेड्यूलिंग और डिस्पैच को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नीवीकरणीय विद्युत के लिए दीर्घावधि पारेषण योजना हेतु रणनीति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं सहित सभी उत्पादन परियोजनाओं की शेड्यूलिंग तथा डिस्पैच, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (आईईजीसी) जैसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। नवीकरणीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली की आयोजना मैनुअल आन ट्रांसमिशन प्लानिंग क्रोइटेरिऑन के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। 12वीं योजना अवधि में आठ(8) नवीकरणीय विद्युत संपन्न राज्यों में लगभग 33 जीडब्ल्यू नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि किए जाने का विचार है। 12वीं योजना में इस प्रकार की बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अंत:राज्यीय एवं अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने वाली एक व्यापक पारेषण योजना की पहचान की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान जैसी नियंत्रण अवसंरचना, वैसेंसिंग अवसंरचना, नवीकरणीय विद्युत प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी) की स्थापना आदि शामिल हैं।

सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना

1276. श्री अजय कुमार : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या जनगणना कार्य को पूरा करने में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रकार एकत्रित जनगणना के परिणाम को संबंधित राज्य सरकारों को नहीं देगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) देश-भर के परिवारों के संबंध में व्यापक सामाजिक और आर्थिक संकेतन तैयार करने के लिए देश में 29 जून, 2011 को सामाजिक, आर्थिक और

जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) शुरू की गई। यह जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से संबंधित सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन देश-भर में चरणबद्ध तरीके से करा रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 99.30 प्रतिशत गणना कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। अभी तक हरियाणा, नागालैंड, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप सूची का प्रारूप प्रकाशित कर चुके हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना-2011 विभिन्न कारकों के कारण लक्ष्य के अनुरूप पूरी नहीं की जा सकी है। एसईसीसी-2011 संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा देश-भर में चरणबद्ध तरीके से कराई जा रही है। सभी राज्यों में जनगणना की तैयारी की स्थिति एक जैसी नहीं है। विधान सभा तथा स्थानीय निकाय चुनावों, इत्यादि के कारण कुछ राज्यों में गणना कार्य की शुरुआत में हुई देरी बीपीएल जनगणना/सामाजिक, आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना के पूरे होने में विलंब का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा, गणना कार्य के पूरा होने में अनुमान से अधिक समय लगा। आंकड़ों को और अधिक सटीक बनाने के लिए मानक प्रक्रियाविधि के अलावा सत्यापन तथा सुधार का मॉड्यूल प्रक्रिया में शामिल किया गया है जो कि एक अतिरिक्त कार्य है। इसके परिणामस्वरूप भी अधिक समय लगा।

(घ) और (ङ) गणना पूरी हो जाने के बाद, सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणन की सूची को मंत्रालय की वैबसाइट (http://secc.gov.in) पर दर्शाया जाएगा और इसे राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन सहित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे में निजी निवेश

1277. डॉ. भोला सिंह :
श्री समीर भुजबल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु कतिपय नीतियों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर अभी तक रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त नीतियों के अंतर्गत विकसित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, रेल अवसंरचना के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में नीतियों को अधिसूचित कर दिया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(1) क्षमता संवर्धन के लिए भागीदारी नीति को 10.12.2012 को अधिसूचित किया है जिसमें रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पांच मॉडल मुहैया कराए गए हैं। ये मॉडल हैं: (i) गैर-सरकारी निजी लाइन मॉडल (ii) संयुक्त उद्यम मॉडल (iii) निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल (iv) ग्राहकों द्वारा निधि मुहैया कराने सहित क्षमता संर्वधन (v) वार्षिक मॉडल के जरिए क्षमता संवर्धन।

(2) निजी माल यातायात टर्मिनल योजना (पीएफटी) का विकास।

(3) स्वचालित माल यातायात गाड़ी परिचालन (एएफटीओ) योजना।

(4) विशेष माल यातायात गाड़ी परिचालन (एसएफटीओ) योजना।

(5) उदारीकरण माल यातायात निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस) योजना।

(6) मालडिब्बा पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस)

(ग) 10.12.2012 को अधिसूचित भागीदारी नीति को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जयगढ़ (महाराष्ट्र), असतरंगा (ओडिशा), रेवास (महाराष्ट्र), दीघी (महाराष्ट्र), हजीरा (गुजरात) और तुना (गुजरात) पोर्ट के पोर्टों के लिए रेल संपर्कता हेतु 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी गई है, जबकि धर्मा पोर्ट (ओडिशा) के लिए रेल संपर्कता चालू कर दी गई है। नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में दो कोयला संपर्कता परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम के जरिए भी शुरू किया जा रहा है।

निजी माल यातायात टर्मिनल (पीएफटी) नीति और चल स्टॉक की खरीद के लिए निवेशों पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अभी तक 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18 निजी माल यातायात टर्मिनलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 निजी माल यातायात टर्मिनलों के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन दे दिया गया है।

उदारीकरण मालडिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस) के अंतर्गत 54 रेकों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें से 17 रेकों की खरीद/शामिल कर लिये गए हैं और वह प्रणाली में शामिल है।

मैसर्स जीएटीएक्स और मैसर्स टीओयूएएक्स को मालडिब्बा पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस) के तहत मालडिब्बा पट्टा कंपनी के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है।

विशेष माल यातायात गाड़ी परिचालन योजना (एसएफटीओ) के अंतर्गत 3 रेकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) 12 पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए क्षेत्र हैं: लॉजिस्टिक पार्क, पीएफटी और माल-यातायात योजनाएं, केप्टिव पॉवर, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, रेल इंजन और सवारी डिब्बों का विनिर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास, उच्च गति गलियारा (मुंबई-अहमदाबाद), एलिवेटेड गलियारा (चर्चगेट-विरार), समर्पित माल यातायात गलियारा (सोननगर-दनकुनी) और पत्तनों/कोयला क्षेत्रों के लिए पोर्ट संपर्कता।

गंडक नदी पर गाइड डैम

1278. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंडक नदी पर बिहार के क्षेत्र में पड़ने वाले गाइड डैम (बगाह और पनियाहवा के बीच) का एक किलोमीटर तक क्रंकीट डैम के रूप में विस्तार करने और जनहित में बड़े पत्थरों से एक चैक डैम का निर्माण करने का भी विचार है क्योंकि बिहार क्षेत्र में पड़ने वाले कम दूरी के वर्तमान गाइड डैम के कारण भूमि का कटाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक उक्त निर्माण कार्य पूरा हो जाएंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कंपनियों में अनियमितताएं

1279. प्रो. सौगत राय : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "सत्यम कम्प्यूटर्स" जैसी अनियमितताएं किसी अन्य कॉर्पोरेट कंपनी में नजर आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) कॉरपोरेट धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित उपायों के द्वारा अभिकथित अनियामितताओं की जांच की जाती है:—

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों के तुलन पत्रों और अन्य दस्तावेजों की तकनीकी छानबीन करके;
- अधिनियम की धारा 209क के तहत कंपनियों की लेखाबहियों और अन्य रिकार्डों का निरीक्षण करके;
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत कंपनियों के मामलों की जांच करके।

पड़ोसी देशों के साथ सौदे

1280. श्री एम. आनंदन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारे पड़ोसी देशों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं और उनके साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं भी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे या उसके किसी भी उपक्रम ने इस संबंध में और ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) भारतीय रेल ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र ने उपक्रम द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा वित्तपोषण सहित भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में परियोजनाओं, तकनीकी अध्ययनों, क्षमता निर्माण आदि को शुरू किया है। मैसर्स राइट्स द्वारा पड़ोसी देशों में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:—

1. भूटान-5 व्यवहार्यता अध्ययन
2. नेपाल-5 प्रारंभिक इंजीनियर सह यातायात सर्वेक्षण-सर्वेक्षण, एक पुर्वविर्माण सर्वेक्षण और एक व्यवहार्यता अध्ययन

3. म्यांमार-एक व्यवहार्यता अध्ययन

4. श्रीलंका-डीएमयू के अनुरक्षण के लिए शेड और भवनों का निर्माण

5. बांग्लादेश-नई सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाई

मैसर्स इरकान द्वारा पड़ोसी राज्यों में सहित शुरू की गई परियोजनाओं में शामिल है:—

(i) **बांग्लादेश** - पहुंच रेल लाइन के साथ दूसरी भैरब रेलवे पुल और अखुरा-अग्रतल रेल लिंक का निर्माण करना

(ii) **नेपाल** - जोगबनी (बिहार में) और विराटनगर (नेपाल में) के बीच रेल लिंक का निर्माण और बारबीडस तक विस्तार सहित जयनगर-बीजलपुर (आमान परिवर्तन) के बीच विस्तार के साथ निर्माण करना

(iii) **श्रीलंका**- मधु रोड से तलाई मनार रेलवे लाइन तक पुनर्निर्माण, ओमनथाल से पलाई रेलवे लाइन तक पुनर्निर्माण, पलाई से कनकेसनथुराई रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण और रेलवे लाइन के लिए सिगनल प्रणाली एवं दूरसंचार प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति और संस्थापन शुरू करना। रेलवे लाइन का परीक्षण और सिग्नलिंग एवं टेलिकम्निकेशन प्रणाली शुरू करना।

वर्ष 2007 में ट्रांस एशिया रेलवे के लिए भारत सरकर ने ट्रांस एशिया रेलवे पर अंत: सरकार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में गुम संपर्को सहित अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की रेल लाइनों को तैयार एवं सूचीबद्ध किया गया है और ट्रांस-एशियन रेलवे नेटवर्क पर बाधारहित यातायात उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी विशेषताओं से संबंधित निदेशन सिद्धांतों को तैयार किया है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र निगरानी

1281. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** अतिरिक्त प्रकोष्ठ के अधिकारी के बारे में 29 अगस्त, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3186 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस नियम के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) वायुमान नियमावली, 1937 के नियम 156 के प्रावधान के अनुसार निरीक्षण किए जाते हैं। उक्त नियम नागर विमानन महानिदेशक को अधिशेष प्रकोष्ठ के अधिकारी समेत किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में लिखित रूप में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विमान प्रचालक तथा संगठन का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दुरंतो ट्रेनों को बंद करना

1282. श्री पी. लिंगम :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुरंतो ट्रनों को धीरे-धीरे बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सलेम से चेन्नई और चैन्नई से सलेम के लिए एक दुरंतो ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या रेलवे वर्तमान में कोयंबटूर से चेन्नई को जाने वाली दुरंतो ट्रेन का थोड़े समय के लिए सलेम में ठहराव दिए जाने पर विचार करेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल दूरांतो सेवा को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कुछ दूरांतो सेवाओं जिनकी लोकप्रियता कम थी, अधिभोगिता में सुधार लाने के दृष्टिकोण से रास्ते में अतिरिक्त ठहराव देकर पुन:कोटिकृत किया गया है:—

(i) 12241/12242 चंडीगढ़-अमृतसर दूरांतो एक्सप्रेस (सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बदल दिया गया है)

(ii) 12278/12277 हावड़ा-पुरी दूरांतो एक्सप्रेस (शताब्दी एक्सप्रेस में बदल दिया गया है)

(iii) 22211/22212 अजमेर-निजामुद्दीन दूरांतो एक्सप्रेस (नई संख्या 12065/12066 के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस में बदल दिया गया है)

(iv) 22207/22208 चेन्नई-तिरुवनंतपुरम दूरांतो एक्सप्रेस (सुपर एसी एक्सप्रेस में बदल दिया गया है)

(v) 12243/12244 चेन्नई-कोयम्बतूर दूरांतो एक्सप्रेस (शताब्दी एक्सप्रेस में बदल दिया गया है)

(ग) इस समय सलेम और चेन्नई के बीच एक दूरांतो एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 12244 चेन्नई-कोयम्बतूर दूरांतो एक्सप्रेस को 22.11.2013 से सलेम में ठहराव देकर शताब्दी एक्सप्रेस में बदल दिया गया है।

[हिन्दी]

एचएमटी का भेल के साथ विलय

1283. श्री सज्जन वर्मा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वच्छता अनुसंधान केन्द्र

1284. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में एक राष्ट्रीय स्तर का स्वच्छता अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गुजरात राज्य सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उक्त केंद्र का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने, देश में राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी संस्थान की स्थापना की संभावना पर एक व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ किया है। इस संस्थान का मूलभूत लक्ष्य, उन स्वच्छता संबंधी समाधानों का विकास करना होगा, जो समुदायों की स्थानीय पर्यावरण स्थितियों, उपलब्ध संसाधनों एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुकूल हों। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर यह संस्थान, स्वच्छता संबंधी मामलों के संबंध में साक्ष्य आधारित नीतिगत सुझावों को भी उपलब्ध कराएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्र की स्थापना

1285. श्री यशवंत लागुरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च जिम्मेदार पदाधिकारियों की अक्षमता एवं लापरवाही के कारण विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण/निर्माण में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत परियोजनाओं में विलंब का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत संयंत्रों के निर्माण में लगे उच्च पदाधिकारियों की अक्षमता और लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) परियोजना के लिए विभिन्न इनपुट/स्वीकृति मिलने में विलंब, उपस्करों/सामग्रियों की आपूर्ति में विलंब, जनशक्ति की कमी, संविदात्मक विवाद, कानून और व्यवस्था आदि की समस्याओं आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से देश में विद्युत संयंत्रों के निष्पादन/निर्माण में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, जल विद्युत संयंत्रों में भी डिजाइन में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं, कठिन क्षेत्र, दुर्गम पहुंच और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की समस्याओं के कारण विलंब होता है।

विलंब से बचने के लिए सरकार निर्माणधीन परियोजनाओं की गहन निगरानी करती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 के 73(एफ) के अनुसारण में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत/ताप परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से देख-रेख एवं निगरानी के लिए विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया है और विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और विद्युत सचिव द्वारा इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

निर्धारित समय से विलंब से चल रही ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की सूची विलंब के लिए कारण सहित क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर दी गई है।

विवरण-I

कारण सहित उन थर्मल पावर परियोजनाओं का ब्यौरा जो अपने शुरू होने के निर्धारित समय से पीछे हैं

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	इकाई संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्रीय क्षेत्र					
असम	बोगांईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	जनवरी-11	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमे सिविल कार्य, वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण रुक गया।
			यू-2	250	मई-11	
			यू-3	250	सितंबर-11	
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	यू-1	660	अक्टूबर-13	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के विवाद के कारण विलंब, तथापि, इसका समाधान कर दिया गया है। मैसर्स टीपीई और मैसर्स पीएम द्वारा बायलर और टरबाइन सामग्री की आपूर्ति में विलंब और कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विलंब। मैसर्स टीपीई द्वारा बीओआई का आदेश देने में विलंब। वास्तविक समय 2009-10 और 2010-11 में था। विवादों के निपटाने के पश्चात मैसर्स टीपीई और पावर मशीन रूस के साथ संशोधित समय के लिए बातचीत की गई।
			यू-2	660	अप्रैल-14	
			यू-3	660	अक्टूबर-14	
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-5	660	अक्टूबर-13	बायलर और टीजी पैकेजों के लिए भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं. (कांटी टीपीपी चरण-II)	एनटीपीसी	यू-3	195	अक्टूबर-12	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य सौंपने में विलंब। सिविल और ढांचागत कार्यों को पूरा करने में विलंब।
			यू-4	195	जनवरी-13	

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	नवीनगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	मई-13	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयत्र सिविल एजेंसी ईआरए द्वारा कमजोर गतिशीलता जिससे भेल द्वारा निर्माण एजेंसियों को सिविल कार्य सौंपने में विलंब हुआ। उपस्करों की आपूर्ति।
			यू-2	250	सितंबर-13	
			यू-3	250	जनवरी-14	
			यू-4	250	मई-14	
झारखंड	बोकारो टीपीएस "क" एक्स.	डीवीसी	यू-1	500	दिसंबर-11	स्विचयार्ड (प्रभारित) के हस्तांतरण में विलंब। वर्तमान भूमिगत सुविधाओं को हटाने में विलंब। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	एनटीपीसी	यू-13	500	अगस्त-15	बीओपी आदेश में विलंब तथा बायलर ढांचागत निर्माण की धीमी प्रगति।
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.	एनएलसी	यू-2	250	जून-09	रिफ्रेक्टरी कार्य को पूरा करने में विलंब।
तमिलनाडु	तूतीकोरीन जेवी टीपीपी	एनएलसी	यू-1	500	मार्च-12	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति और मुख्य संयंत्र उपस्करों की नींव के प्रारूप में परिवर्तन। जनशक्ति की कमी।
			यू-2	500	अगस्त-12	
तमिलनाडु	वल्लुर टीपीपी फेज-II	एनटीईसीएल	यू-3	500	दिसंबर-12	सिविल एजेंसी द्वारा कमजोर गतिशीलता जिससे सिविल कार्यों को सौंपने में विलंब हुआ। बायरल सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	जीटी+एसटी	101	जुलाई-13	सिविल कार्य ठेका सौंपने में विलंब और भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। भारी मानसून। गैस पाइन लाइन बिछाने में विलंब।
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	मॉडयूल-2	363.3	मार्च-12	भेल द्वारा लॉजिस्टिक सौंपने में विलंब। सिविल कार्य की धीमी प्रगति। भारी वर्षा। सामग्री की आपूर्ति में विलंब। गैस में अशुद्धताओं के कारण एयर बूस्टर कम्प्रेसर को क्षति।

पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	डीवीसी	यू-1	600	फरवरी-11	जल और रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र उपस्करों के निर्माण में विलंब। बायलर इन्सुलेशन कार्य के पूरा होने में विलंब। सीएचपी की धीमी प्रगति। कानून एवं व्यवस्था समस्या।
			यू-2	600	मई-11	
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र			9194.3		
	राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैय्या टीपीपी	एपीपीडीसीएल	यू-1	800	जुलाई-12	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा आपूर्तियों में विलंब के कारण विलंब। बाहरी सीएचपी, आरडब्ल्यूपीएच और सीटी का निर्माण।
			यू-2	800	जनवरी-13	
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीपी एक्सटें.	एपीजैंको	यू-1	600	जुलाई-12	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा स्टे-III	एपीजैंको	यू-6	600	जुलाई-14	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी	70	सितंबर-11	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल एजेंसी के खराब निष्पादन के कारण विलंब। भूमि की खराब स्थिति और भारी वर्षा।
			एसटी	30	जनवरी-12	भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी।
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	यू-1	500	मई-12	आरंभिक विलंब चिमनी अवार्ड किए जाने में परिवर्तन के कारण हुआ था। बीओपी (सीएचपी, एएचपी और 400 केवी स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब और कानून एवं व्यवस्था समस्याएं, सामग्री की प्राथमिकता आदि।
			यू-2	500	जुलाई-12	
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	यू-2	250	नवंबर-10	सिविल कार्यों को पूरा होने में विलंब कर्मचारियों द्वारा की जान वाली निरंतर हड़ताल के कारण मशीन के निर्माण के पूरा होने में विलंब।
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	सिविल कार्यों में विलंब और आपूर्ति में विलंब। क्षतिग्रस्त जीटी काम्प्रेसर रोटर की आपूर्ति के

1	2	3	4	5	6	7
						कारण परियोजना प्राधिकारी और भेल के बीच कार्य रुका रहा। इसका निपटारा कर दिया गया है। जीआरपी पाइप लाइन और आईबीएच हेडर के संशोधन में विलंब।
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-3	250	अक्टूबर-13	सिविल कार्य की तैयारी में विलंब और बीओपी आदेश देने में विलंब। बीओपी की धीमी प्रगति।
			यू-4	250	जनवरी-14	बायलर और टीजी के निर्माण की धीमी प्रगति।
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	यू-1	250	अक्टूबर-13	सिविल कार्यों में विलंब और भेल द्वारा गैर-क्रमबद्ध आपूर्ति। बीओपी की धीमी प्रगति।
			यू-2	250	दिसंबर-13	
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	500	जून-12	बीओपी आदेश देने में विलंब और मुख्य संयंत्र उपस्कर आपूर्ति में विलंब। भेल द्वारा गैर क्रमबद्ध
			यू-9	500	सितंबर-12	आपूर्ति। बीओपी में धीमी प्रगति। भारी मानसून।
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	660	दिसंबर-13	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब हुआ।
			यू-9	660	जून-14	
			यू-10	660	दिसंबर-14	
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	250	जनवरी-12	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। चित्रों के अनुमोदन में विलंब। धीमा निर्माण कार्य। बीओपी में धमी प्रगति।
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजीईएनसीओ	यू-2	600	अक्टूबर-12	जनशक्ति की कमी। बायलर प्रेशर पार्ट आपूर्ति/निर्माण में विलंब। ईएसपी में विलंब और आईडी एवं एफडी फैन की तैयारी।
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीपी एक्सटें	एमएसपीजीसीएल	यू-11	250	अप्रैल-12	ईएसपी नियंत्रण कक्ष की तैयारी। मिलिंग प्रणाली और पीए एवं एफडी फैन की तैयारी में विलंब।
राजस्थान	छाबरा टीपीपी एक्सटें	आरआरवीयूएनएल	यू-4	250	जुलाई-11	टीजी डेस्क के आस-पास कन्डेनसर की नींव

						एवं तैयारी में विलंब। यू-3 और 4 के बीच संबंध वाले प्लेटफार्म की तैयारी में विलंब।
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	यू-1	600	अगस्त-11	जनरेटर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति में विलंब और बंकर और मिलों के निर्माण में विलंब। पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
			यू-2	600	मार्च-12	बंकर एवं कोयला मिलों के ढांचागत निर्माण में विलंब।
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें.-III	आरआरवीयूएनएल	एसटी	50	अक्टूबर-11	एसटी कास्टिंग की तैयारी में विलंब और एसटी डैक तलों सहित एसटी हाल की तैयारी। टीजी निर्माण के शुरू होने में विलंब।
उत्तर प्रदेश	अनपरा डी	यूपीआरवीयूएनएल	यू-6	500	मार्च-11	सिविल कार्यों में विलंब। चिमनी और कुलिंग टावर आदि का धीमी प्रगति। बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
			यू-7	500	जून-11	
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें.	डीपीएल	यू-8	250	दिसंबर-13	बीटीजी की आपूर्ति में विलंब। जनरेटर ट्रांसफार्मर की मरम्मत में विलंब। एएचपी की धीमी प्रगति।
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस एक्सटें.	डब्ल्यूबीपीडीसीसी	यू-3	500	जुलाई-14	बायलर और टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
			यू-4	500	अक्टूबर-14	
	राज्य क्षेत्र कुल			13331	नवंबर-09	
	निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	भवनपाडु टीपीपी	ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	यू-1	660	अक्टूबर-13	कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण लंबे समय तक रुका रहा। कानून एवं न्याय समस्या
			यू-2	660	मार्च-14	
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	यू-1	660	मार्च-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। मुख्य संयंत्र पैकेज की आपूर्ति में विलंब।
			यू-2	660	जून-15	
आंध्र प्रदेश	पेनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक. कॉर्पोरेट लि.	यू-1	660	अप्रैल-14	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा पूरा होने में विलंब।
			यू-2	660	अगस्त-14	

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	मधुकन प्रोजेक्ट लि.	यू-3	150	दिसंबर-11	परियोजना के चरण-I के शुरू होने में विलंब और ॲजी, सीएचपी तथा रीफ्रेक्टरी सामग्री की आपूर्ति में विलंब
			यू-4	150	फरवरी-12	
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी-II	मीनाक्षी एनर्जी लि.	यू-3	350	मई-12	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। बैंकरों के साथ भुगतान की समस्या। बीटीजी ठेकेदार के वैध लाइसेंस के उपलब्ध न होने के कारण कार्य रुका रहा।
			यू-4	350	अगस्त-12	
आंध्र प्रदेश	वाईजैंग टीपीपी	हिन्दुजा नेशनल पावर कारपो. लि.	यू-1	520	जून-13	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। जल प्रणाली, सीएचपी और बिजली शुरू करने के लिए पारेषण लाइनें।
			यू-2	520	सितंबर-13	
छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	केएसके महानदी पावर कं.लि.	यू-2	600	अगस्त-12	जनशक्ति की कमी और ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन।
			यू-3	600	दिसंबर-12	
			यू-4	600	अप्रैल-13	
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	यू-1	600	जुलाई-12	सिविल कार्यों में विलंब तथा चिमनी की तैयारी। सीएचपी और एएचपी की तैयारी में विलंब।
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर कं.लि.	यू-1	600	मार्च-13	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। सीएचपी, एएचपी और मिलों की तैयारी में विलंब।
			यू-2	600	जुलाई-13	
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमीनियम कं. लि.	यू-1	300	फरवरी-11	चिमनी का टूटना। राज्य सरकार से संयंत्र के प्रचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त न होना।
			यू-2	300	नवंबर-10	
छत्तीसगढ़	बांडाखार टीपीपी	मै. मारुति क्लीन कोल एंड पावर लि.	यू-1	300	दिसंबर-12	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
छत्तीसगढ़	बिजकोट टीपीपी	मै. एसकेएस पावर जेनरेशन लि. (छत्तीसगढ़)	यू-1	300	जनवरी-14	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। बायलर ड्रम की आपूर्ति में देरी।
			यू-2	300	अप्रैल-14	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। बायलर ड्रम की आपूर्ति में देरी।

			यू-3	300	जुलाई-14	*स्थल पर कार्य अभी होना है।
			यू-4	300	अक्टूबर-14	
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लेप प्रा.लि.	यू-3	660	जनवरी-13	जल प्रणाली और बीओपी के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय अवरोध, बीटीजी सामग्री की आपूर्ति आदि में विलंब।
			यू-4	660	मार्च-13	
छत्तीसगढ़	रायखेड़ा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	685	सितंबर-13	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
			यू-2	685	जनवरी-14	
छत्तीसगढ़	सिंघीतराय टीपीपी	ऐथना छत्तीसगढ़ पावर लि.	यू-1	600	जून-14	भूमि अधिग्रहण में विलंब।
			यू-2	600	सितंबर-14	
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मैसर्स एसीबी	यू-1	25	जून-12	बीओपी की तैयारी में विलंब। सीएचपी विक्रेताओं के साथ व्यावसायिक विवाद के कारण विलंब। रीफ्रेक्टरी कार्य में विलंब और सुपर हीटर क्वायल में देरी।
छत्तीसगढ़	तामनार टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिन्दल	यू-1	600	जनवरी-14	
			यू-2	600	अप्रैल-14	
			यू-3	600	सितंबर-14	बायलर निर्माण के शुरू होने में विलंब।
			यू-4	600	नवंबर-14	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब।
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	टीआरएन एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	300	दिसंबर-13	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
			यू-2	300	अप्रैल-14	
छत्तीसगढ़	उंचपींडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	यू-1	360	मई-12	ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन के कारण विलंब हुआ। स्थल पर कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विलंब हुआ।
			यू-2	360	नवंबर-12	
			यू-3	360	फरवरी-13	
			यू-4	360	जुलाई-13	

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी	मैसर्स वंदना विद्युत	यू-1	135	जून-13	परियोजना स्थल पर ग्रामीण द्वारा आन्दोलन और बीओपी की तैयार। बायलर सामग्री, सीएचपी सामग्री की आपूर्ति और विद्युत शुरू करने में विलंब। आरंभ से पूर्व की विभिन्न समस्याएं।
			यू-2	135	सितंबर-11	
छत्तीसगढ़	चकाबुरा टीपीपी	एसीबी लि.	यू-1	30	सितंबर-11	सीटी की तैयारी में विलंब।
छत्तीसगढ़	रायगढ़ टीपीपी (वीजा टीपीपी)	वीजा पावर	यू-1	600	अगस्त-13	
झारखंड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	कारॅपोरेट पावर लि.	यू-1	270	मई-12	कानून एवं न्याय समस्या। बीटीजी उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। कार्य भेल को बकाया भुगतान न करने के कारण रुका हुआ है। *चालू किए जाने के समय को कार्य के पुन: शुरू होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
			यू-2	270	जून-12	
छत्तीसगढ़	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-II	कारॅपोरेट पावर लि.	यू-3	270	फरवरी-13	कानून एवं न्याय समस्या और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। कार्य भेल को बकाया भुगतान न करने के कारण रुका हुआ है।
			यू-4	270	मार्च-13	
छत्तीसगढ़	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	यू-1	600	जून-13	कानून एवं न्याय समस्या। कार्य के शुरू होने में विलंब।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-2	270	दिसंबर-11	बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति। सिविल मोर्चे की तैयारी में विलंब। भेल के पास व्यावसायिक मामला। इन्सुलेशन के लागू होने में विलंब। एचएफओ, सीएचपी और एएचपी की तैयारी में विलंब।
			यू-3	270	जनवरी-12	भेल के साथ व्यावसायिक मामले। बायलर और टीजी निर्माण की धीमी प्रगति।
			यू-4	270	फरवरी-12	
			यू-5	270	मार्च-12	

महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-1	270	जुलाई-14	स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
			यू-2	270	सितंबर-14	
			यू-3	270	नवंबर-14	
			यू-4	270	जनवरी-15	
			यू-5	270	मार्च-15	
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	यू-2	300	मई-12	यूनिट-I के चालू होने में विलंब। भारी वर्षा।
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-1	660	जनवरी-14	प्रेशर पार्ट की आपूर्ति एवं निर्माण में विलंब। कार्य वित्तीय समस्याओं के कारण रुका हुआ है।
			यू-2	660	मई-14	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	फरवरी-12	बीटीजी सामग्री की ओर क्रमबद्ध आपूर्ति। और सिविल मोर्चे की तैयारी। भेल के साथ भुगताल मामला। डक्टिंग इन्सुलेशन। मिलों, एचएफओ, सीएचपी और एएचपी की तैयारी।
			यू-2	270	अप्रैल-12	
			यू-3	270	जून-12	रेलवे साइडिंग की भूमि के अधिग्रहण में विलंब। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी सामग्री को स्वीकार न किया जाना।
			यू-4	270	अगस्त-12	
			यू-5	270	अक्टूबर-12	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स लि.	यू-1	270	अप्रैल-13	स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
			यू-2	270	जून-13	
			यू-3	270	अगस्त-13	
			यू-4	270	अक्टूबर-13	
			यू-5	270	दिसंबर-13	
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-2	660	जुलाई-12	भारी वर्षा, सीएचपी और विद्युत निकासी एवं डक्टिंग के कारण विलंब।
			यू-3	660	अक्टूबर-12	भारी वर्षा, सीएचपी और विद्युत निकासी के कारण विलंब।

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर	यू-1	600	अप्रैल-13	सिविल कार्यों के देर से शुरू होने और धीमी प्रगति के कारण विलंब। बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
			यू-2	600	अगस्त-13	
मध्य प्रदेश	गोरगी टीपीपी (डीबी पावर)	डीबी पावर	यू-1	660	जून-13	स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	यू-2	600	सितंबर-11	कोयला ब्लॉक के विकास में विलंब।
मध्य प्रदेश	नीगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि.	यू-1	660	जून-13	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। एसीडब्ल्यू प्रणाली की तैयारी में विलंब। बीटीजी आपूर्तियों में विलंब।
			यू-2	660	दिसंबर-13	
मध्य प्रदेश	सिनी टीपीपी फेज-I	झाबुआ पावर लि.	यू-1	600	मार्च-13	सिविल मार्चों की तैयारी में विलंब। एएचपी और चिमनी की तैयारी में विलंब।
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	यू-1	600	मार्च-12	कानून एवं व्यवस्था समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। स्टार्ट अप पावर के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
			यू-2	600	जून-12	
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड. भारत	यू-1	350	सितंबर-11	भारी वर्षा के कारण विलंब। स्टार्ट अप पावर की तैयारी में विलंब।
			यू-2	350	दिसंबर-11	
ओडिशा	कमलंगा	जीएमआर	यू-3	350	फरवरी-12	विदेशी कार्मिकों के लिए बीजा की समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। भारी वर्षा निकटतम उद्योग में श्रमिक असंतोष के कारण श्रम की कमी।
ओडिशा	केवीके नीलांचल	केवीके नीलांचल	यू-1	350	दिसंबर-11	चिमनी की स्वीकृति एवं कानून एवं व्यवस्था समस्या के कारण आरंभ में विलंब हुआ। कार्य माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण रुका हुआ है।
			यू-2	350	जनवरी-12	
			यू-3	350	मार्च-12	
ओडिशा	लैंको बबंध पावर लि.	लैंको बबंध पावर लि.	यू-1	660	अप्रैल-13	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बायलर निर्माण में धीमी प्रगति। कार्य वित्तीय समस्याओं के कारण रुका हुआ है।
			यू-2	660	अगस्त-13	

ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	एमपीसीएल	यू-1	525	दिसंबर-12	भूमि अधिग्रहण में विलंब। टीजी हाल ढांचागत सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
			यू-2	525	फरवरी-13	
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टेरलाईट	यू-1	660	अक्तूबर-12	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
			यू-2	660	जनवरी-13	
			यू-3	660	मई-13	
पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	मैसर्स जीवीके पावर	यू-1	270	अप्रैल-13	रेलवे साइडिंग के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब और सीएचपी और एएचपी के पूरा होने में विलंब।
			यू-2	270	अक्तूबर-13	
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	यू-2	660	मार्च-13	यूनिट-1 के चालू होने में विलंब।
तमिलनाडु	मेलामरूथुर टीपीपी	कोस्टल एनर्जेन	यू-1	600	फरवरी-12	मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। जनशक्ति की कमी के कारण विलंब और स्विचयार्ड और डीएम संयंत्र की तैयारी। रेत की आपूर्ति एवं भूमिगत जल का उपयोग की नीति में परिवर्तन। बैंकरों द्वारा अतिरिक्त ऋण का वितरण।
			यू-2	600	मार्च-12	
तमिलनाडु	तूतीकोरी टीपीपी (इंड-बराथ टीपीपी)	आईबीपीआईएल	यू-1	660	मई-12	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विलंब।
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	ललितपुर पावर जेनरेशन कं.	यू-1	660	अक्तूबर-14	भारी वर्षा के कारण विलंब।
			यू-2	660	फरवरी-15	
			यू-3	660	जून-15	
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज टीपीपी	प्रयाग राज पावर जेनरेशन कंपनी लिमि.	यू-1	660	फरवरी-14	बीटीजी आपूर्ति में विलंब और निर्माण की धीमी प्रगति।
			यू-2	660	जुलाई-14	
			यू-3	660	दिसंबर-14	
	कुल निजी क्षेत्र				49755	
	सकल योग				72280.3	

विवरण-II

देश में प्रारंभ होने की निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र सहित ब्यौरा

(एमएनआरई के अंतर्गत अपारंरिक और 25 मेगावाट तक की क्षमता को छोड़कर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम क्षमता/एजेंसी/राज्य स्वीकृति की तारीख	चालू किए जाने का कार्यक्रम		समय और लागत बढ़ने के कारण
		मूल माह/ वर्ष	नवीनतम माह/ वर्ष	
1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	कोल डैम (4×200 मेगावाट) एनटीपीसी एच.पी. 28.10.2002	अप्रैल-09 (2008-010)	2014-15	• बांध की मिट्टी भराई, बांध गैलरियों की ग्राउटिंग, स्पिलवे की कंक्रीटिंग की धीमी प्रगति। • संविदा संबंधी मामले। • इस्पात के प्रापण में विलंब। • कमजोर भूविज्ञान, क्लेकोर की नींव में सीलन के कारण राइट बैंक का विफल होना।
2.	तपोवन विष्णुगाड (4x130 मेगावाट) एनटीपीसी उत्तराखंड 11/2006	मार्च 2013 (2012-13)	2016-17	• सिविल ठेकेदारों द्वारा सुरंग बोरिंग मशीन के प्रापण/तैनाती में विलंब। • खराब पत्थर स्ट्राटा के कारण पावर हाउस में धीमी प्रगति। • एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। • जून, 2013 में बादल का फटना।
3.	पारे (2x55 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश 04.12.2008	अगस्त-13 2013-14	2015-16	• कानून-व्यवस्था की समस्या। • ठेकेदार के पास संसाधनों की कमी। • कमजोर भूविज्ञान। • सितंबर, 2012 में बादल का फटना। • खराब पहुंच सड़क।
4.	तुरियल (2x30 मेगावाट) नीपको मिजोरम 16.07.1988	जुलाई-06 2006-07	2016-17	• जून, 2004 में स्थानीय अशांति के कारण समय से पहले कार्यों का निलंबन। • 14.11.2011 को कार्य पुन: प्रारंभ। • खराब पहुंच सड़क। • ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त एकत्रीकरण। • पावर हाउस में स्लोप का असफल होना।

1	2	3	4	5
5.	कामेंग (4x150 मेगावाट) नीपको अरुणाचल प्रदेश 02.12.2004	दिसंबर 09 (2009-10)	2016-17	• बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। • खराब भूविज्ञान, अत्यधिक सीलन अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। • अक्तूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में बादल का फटना। • एचआरटी में जल का प्रवेश। • खराब पहुंच सड़क। • संविदात्मक मामले।
6.	टिहरी पीएसएस (4x250 मेगावाट) टीएचडीसी 18.07.2006 (मूल)	जुलाई 2010 2010-11 (मूल अनुमोदन के अनुसार)	2017-18	• ई एंड एम कार्यों की विशेषज्ञता वाली प्रकृति। • एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन अनुमानित लागत से अधिक था। • आरसीई अक्टूबर, 2010 में अनुमोदित किया गया। • मुकदमा, एकल ईपीसी ठेका मैसर्स एल्सटोम हाइड्रो फ्रांस और मैसर्स एचसीसी को 23.6.2011 को अवार्ड किया गया।
	नवंबर, 2011 (आरसीई)	फरवरी-16 (2015-16) (आरसीई के अनुसार)		• खराब भूविज्ञान। • असेना क्वारी एवं मक निपटान क्षेत्र में स्थानीय विरोध। • ठेकेदारों की खराब तैयारी। • खराब भूविज्ञान के कारण मशीन हॉल की योजना का संशोधन।
7.	रामपुर (6x68.67 मेगावाट) एसजेवीएनएल एचपी 25.01.2007	जनवरी-12 2010-11	2013-15	• एचआरटी में खराब भूविज्ञान। • पावर हाउस क्षेत्र में स्लोप विफलता। • स्थानीय लोगों द्वारा रुक-रुक कर किया गया अवरोध।
8.	पार्बती-III (4x130 मेगावाट) एनएचपीसी एचपी 09.11.2005	नवंबर-10 (2010-11)	2013-15	• एचआरटी में खराब भूविज्ञान। • ई एंड एम कार्यों की समाप्ति में विलंब। • 16 अगस्त, 2011 को बादल का फटना। • भेल द्वारा यूनिटों की सामग्री और निर्माण की आपूर्ति में विलंब। • स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बंदी। • जून, 2012 में प्राप्त पारेषण लाइन के लिए वन स्वीकृति। • एक्सएलपीई केबल को हटाना।

1	2	3	4	5
9.	तीस्ता लो डैम-IV (4x40 मेगावाट) एनएचपीसी डब्ल्यूबी 30.09.2005	सितंबर-09 2009-10	2015-16	• वन स्वीकृति में विलंब। • जुलाई, 2007, मई, 2009 और जुलाई, 2010 में बादलों का फटना। • गोरखा जन मुक्ति आंदोलन/बंद। • सिविल संविदाकार (मैसस एचसीसी) की धन संबंधी समस्या, दिनांक 20.03.2013 से कार्य पूरी तरह से रुका हुआ।
10.	पारबती-II (4x200 मेगावाट) एनएचपीसी एच.पी. 11.09.2002	सितंबर-09 2009-10	2016-17	• माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। • संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। • नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। • फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड। • अगस्त, 2011 में बादलों का फटना। • केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। • पीबी-2 क्षेत्र में संविदागत मामले, मैसर्स एचजेवी के साथ मार्च, 12 में संविदा समाप्त हुई। • पीबी-2 क्षेत्र के शेष कार्यों के लिए पुनः संविदा प्रदान करना (13.08.2013 को एचआरटी के टीबीएम भाग को पुनः अवार्ड किया गया)।
11.	सुबानसिरी लोअर (2x250 मेगावाट) एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश/असम 01.09.2003	सितंबर-10 2010-11	2016-18	• आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। • जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। • रंगानदी नदी पर पुल को क्षति। • सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। • परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा घोषित आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुक गया। • डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला।
12.	उरी-II (4x60 मेगावाट) एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर 01.09.2005	नवंबर-09 2009-10	2013-14	• संसाधनों का अभाव एचसीसी की धन प्रवाह संबंधी समस्या। • भारी बारिश के कारण मई, 10 और अप्रैल, 11 में कॉफर बांध का टूटना/ऊपर से पानी बहना। • जून, 2010 से घाटी में अशांति। • सर्ज शॉफ्ट गेट के निर्माण के दौरान समस्याओं का सामना किया गया।

1	2	3	4	5
				• डाईवर्जन प्लगिंग कार्यों में विलंब। • स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग करते हुए मार्च, 2012 से जून, 2012 तक कार्य रोक दिए गए। • धन संबंधी समस्या के कारण मैसर्स एचसीसी द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति।
	शुरू की गई यूनिटें यूनिट # 1: 25.09.2013 यूनिट # 3: 27.09.2013 यूनिट # 2: 16.11.2013			• सितंबर, 2012 में बादलों का फटना। • स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग करते हुए यू/एस जल संचालक को भरने में बाधा। • जल संचालक प्रणाली को भरने के बाद झेलम नदी में तीव्र बाढ़ जिससे बांध के बाएं किनारे का कटाव शुरू हो गया और बांध के बाएं किनारे पर हिल स्लोप डाउन स्ट्रीम के पास कुछ दरारें भी पाई गईं।
13.	किशनगंगा (3x110 मेगावाट) एनएचपीसी जम्मू एवं कश्मीर 20.07.2007	जुलाई-14 (2014-15) (मूल अनुमोदन के अनुसार)	2016-17	• परियोजना के टर्नकी निष्पादन के लिए न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली बोली की कीमत अधिक होने को ध्यान में रखते हुए संशोधित सीसीईए को 14.01.2009 को अनुमोदित दिया गया। • मार्च, 2011 में भारी बारिश। • एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। • एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। • स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग करते हुए 29.08.2012 से 17.10.2012 तक कार्य रोक दिया गया।
	14.01.2009 (आरसीई)	जन-16 (2015-16) (संशोधित अनुमोदन के अनुसार)		• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्स्थता प्रक्रियाओं के कारण बांध कार्य प्रभावित हुए।
राज्य क्षेत्र				
जम्मू और कश्मीर				
14.	बगलीहार-II (3x150 मेगावाट) जेकेपीडीसी 29.12.2010	2014-15	2016-17	• संविदा की लागत को अंतिम रूप देने में विलंब। ईएंडएम कार्य।

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश				
15.	काशांग-I (1x65 मेगावाट) एचपीपीसीएल 31.07.08 (एचपीएसईबी द्वारा टीईसी) 31.07.08	2013-14	2016-17	• सिविल और ईएंडएम कार्यों की धीमी प्रगति। • जून, 2013 में बादलों का फटना।
16.	काशांग-I, III (1x65 + 1x65 मेगावाट) एचपीपीसीएल 10.09.2009	2013-14	2014-15	• स्थानीय मामले। लीपा ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के कारण कार्य शुरू नहीं हो सके। मामले को उच्च स्तर पर रखा जा रहा है। • जून, 2013 में बादलों का फटना।
17.	यूएचएल-III (3x33.33 मेगावाट) बीवीपीसीएल (एचपीएसईबी) 19.09.2002	मार्च-07 2006-07	2015-16	• कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • संविदाकार के कार्य न करने और धीमी प्रगति के कारण एचआरटी के निर्माण के लिए संविदा दो बार अर्थात् मई, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान रद्द की गई। • एचआरटी में खराब भूविज्ञान।
18.	सावरा कुड्डु (3x37 मेगावाट) एचपीपीसीएल, 10.11.2004	दिसंबर-10 2010-11	2015-16	• एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। • सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • एचआरटी में खराब भूविज्ञान। • एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति।
19.	सैंज (100 मेगावाट) एचपीपीसीएल 29.12.2010	2014-15	2015-16	• एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति।
आंध्र प्रदेश				
20.	लोअर जुराला (6x40 मेगावाट) एपीजेनको 2007	2011-13	2013-15	• ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • सिविल कार्यों में धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण अधिनियम समस्या। • 2009, 2010, 2012 और 2013 में अप्रत्याशित बाढ़। • तेलंगाना राज्य के लिए टीजेएसी द्वारा बार-बार बंद। • स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलन।

1	2	3	4	5
				• 23.04.2011 से 30.11.2012 तक ग्रामीणों द्वारा बांध के दाएं किनारे की कंक्रीटिंग। • एचएम कार्यों की धीमी प्रगति।
21.	पुलीचिनताला (4x30 मेगावाट) एपीजेनको 25.07.2007	2009-11	2015-17	• ईएंडएम कार्य • अक्तूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अप्रत्याशित बाढ़। • संविदादात्मक मामले। • पावर हाउस कार्यों की धीमी प्रगति। • संविदात्मक मामलों के कारण 16.09.2011 से 29.06.2012 तक और नवंबर, 12 से मई, 13 तक सिविल कार्य निरस्त कर दिए गए। • संविदाकार द्वारा अधिक कीमत की मांग के कारण अगस्त, 2013 में ईएंडएम निर्माण कार्य संविदा समाप्त कर दी गई।
22.	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2x25 मेगावाट) 17.01.2005	नवंबर-08 2008-09	2014-15	• 2009, 2010, 2012 और 2013 के दौरान बार-बार बाढ़ आने के कारण धीमी प्रगति। • एचएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • बांध कार्यों में संविदात्मक मामले।
केरल				
23.	पल्लीवसल (2x30 मेगावाट) केएसईबी 31.01.2007	मार्च-11 2010-11	2015-16	• सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। • भूमि अधिग्रहण में विलंब। • एचआरटी से एडिट के संरेखण में परिवर्तन। • एचआरटी में खराब भूविज्ञान भूस्तर। • भारी मानसून।
24.	थोट्टीयार (1x30+1x10 मेगावाट) केएसईबी 05.06.2008	2012-13	2015-16	• भूमि अधिग्रहण मामला। • स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और एप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। • न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल-2013 तक कार्य रोक दिया गया।
मेघालय				
25.	न्यू उमतरु (2x20 मेगावाट) एमईईसीएल 12/06	2011-12	2014-15	• कार्यों के अवार्ड करने में विलंब। • सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
हिमाचल प्रदेश				
26.	तिदोंग-I (4250 मेगावाट) एमएसएल तिदोंग 09.02.2006	2013-14	2016-17	• परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलंब, सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों का निरस्तीकरण।
27.	टंगनू रोमाई-I (2x22 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल 28.10.2010	2014-15	2015-16	• सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। • खराब भूविज्ञान। • मुश्किल क्षेत्र। • मौसम परिस्थितियां और पहुंच।
28.	सोरंग (2x50 मेगावाट) एचएसपीपीएल 23.09.2004	2012-13	2013-14	• खराब भूविज्ञान। • मुश्किल क्षेत्र। • मौसम परिस्थितियां और पहुंच।
उत्तराखंड				
29.	श्रीनगर (4x82.5 मेगावाट) अलकनंदा हाइड्रो पावर कं. लिमिटेड 14.6.2000 (टीईसी)	2005-06	2014-15	• वित्तीय बंदी। • बांध कार्यों की धीमी प्रगति। • एमओईएम ने 30.05.2011 से कार्य रोकने का नोटिस जारी किया। • स्थानीय मुद्दे। • जून, 2013 में बादलों का फटना।
30.	सिंगोली भट्वारी (3x33 मेगावाट) एल एंड टी 11.07.2008	2014-15	2015-16	• एचआरटी में खराब भूविज्ञान। • स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन। • जून, 2013 में बादलों का फटना।
मध्य प्रदेश				
31.	महेश्वर (10x40 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल 30.12.1996	2001-02	2014-16	• आरएंडआर मामले। • विकासकर्ता के साथ नगद प्रवाह संबंधी समस्या।

1	2	3	4	5
सिक्किम				
32.	तीस्ता स्टेज-III (6x200 मेगावाट) टीस्ता ऊर्जा लिमिटेड 12.05.2006 (टीईसी)	अक्तूबर-11	2014-16	• वन स्वीकृति में विलंब। • सितंबर, 2011 में भूकम्प के कारण कार्य प्रभावित हुए।
33.	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 मेगावाट) लेंको एनर्जी प्रा.लि. 27.12.2006	2012-13	2015-16	• खराब भूविज्ञान। • भूमि अधिग्रहण।
34.	रंगीत-IV एचई प्रोजेक्ट (3x40 मेगावाट) जेपीसीएल 09.12.2005	2012-13	2016-17	• खराब भूविज्ञान के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। • सितंबर, 2011 में भूकम्प के कारण कार्य बाधित हुए।
35.	जोरेनथांग लूप (2x28 मेगावाट) डीएएन-एनर्जी प्रा.लि.	दिसंबर 12 2012-13	2014-15	• खराब भूविज्ञान। • पारेषण लाइन के लिए वन स्वीकृति।
36.	भास्मे (2x25.5 मेगावाट) गति इन्फ्रास्ट्रक्चर 12/2008	2012-13	2015-16	• वन स्वीकृति।

[अनुवाद]

टक्कर रोधी तंत्र

1286. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास दुर्घटना से बचने के लिए देश में विभिन्न ट्रेनों विशेष रूप से तेज चलने वाली ट्रेनों में टक्कर रोधी मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी ट्रेनों की संख्या कितनी है तथा उनके गंतव्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-कुमेदपुर-न्यू जलपाईगुडी-गुवाहाटी-लम्डिंग-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़-लीडो और कुमेदपुर-मालदा खंडों पर 1736 मार्ग किलोमीटर और 548 इंजनों पर पायलट परियोजना के रूप में टक्कर रोधी उपकरण की व्यवस्था की गई है और यह 2006 से सेवा परीक्षणों में है।

(ii) ऑन बोर्ड गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) जो खतरे और/या अधिक गति पर सिगनल पास करने के कारण मानवीय गलती के कारण टक्कर/दुघर्टनाओं को रोकती हैं। दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड अर्थात् चेन्नई सेंट्रल एवं गुम्मिडिपुंडी (50 मार्ग किमी) के बीच

पायलट परियोजना को चालू कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों के 82 मोटर सवारी डिब्बों पर चालू है तथा उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली-आगरा खंड (200 मार्ग किमी.) पर गैर-उपनगरीय खंड पर टीपीडब्ल्यूएस की एक अन्य पायलट परियोजना चालू कर दी गई है और 35 इंजनों सहित सेवा परीक्षण प्रगति पर है। कोलकाता मेट्रो के 25 मार्ग किमी पर भी टीपीडब्ल्यूएस के परिचालनिक परीक्षण भी चालू कर दिए गए हैं।

(iii) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा गाड़ी टक्कर रोधी प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। यह टक्कर रोकने के साथ-साथ लोको पायलट द्वारा डेंजर पर सिगनल से गुजरने पर भी सुरक्षा देता है। टीसीएएस की विशिष्टताओं को आरडीएसओ द्वारा तैयार किया गया है और अक्तूबर/नवंबर, 2012 के दौरान प्रूफ ऑफ कनसेप्ट परीक्षण किए गए थे। दक्षिण मध्य रेलवे पर 250 किमी पर विस्तारित परीक्षण किए जाने की योजना है जिसके लिए आरडीएसओ द्वारा निविदाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। विस्तृत परीक्षणों की सफलता के आधार पर भारतीय रेल पर तैनात किए जाने पर विचार किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति

1287. श्री सुखदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा 2010 के बाद से अपने विभिन्न स्कंधों में नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं के श्रेणी-वार नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परामर्शदाता को श्रेणी-वार कितना पारिश्रमिक दिया गया और उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) ऐसे नियुक्त परामर्शदाताओं की निबंधन और शर्तों के साथ उन्हें विशेष लक्ष्यों के साथ क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां दी गई हैं;

(घ) इन परामर्शकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किए गए अनुभवजन्य अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परामर्शकों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले एजेन्सियों से गोपनीय रिपोर्टें एवं सत्यापन प्राप्त किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बाद प्रसार भारती को प्रभाग-वार क्या वित्तीय लाभ तथा लक्ष्य प्राप्त हुए हैं; और

(ज) इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति से पहले और बाद में विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण तुलनात्मक कार्यनिष्पादन एवं संगठन की उपलब्धि क्या रही?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती सचिवालय द्वारा संविदा आधार पर 2010 के बाद नियुक्त किए गए और वर्तमान में कार्यरत 42 परामर्शियों की सूची संलग्न विवरण-I पर संलग्न है। 2010 के बाद नियुक्त किए गए, किंतु, बाद में जिन्हें कार्यमुक्त किया गया, 8 परामर्शियों की सूची संलग्न विवरण-II पर संलग्न है।

2010 के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए 23 परामर्शियों और दूरदर्शन महानिदेशालय के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा नियुक्त किए गए 06 परामर्शियों की सूची क्रमशः संग्लन विवरण-III और IV पर दी गई है।

2010 के बाद संविदा आधार पर आकाशवाणी में नियुक्त किए गए 216 सेवानिवृत्त व्यक्तियों और समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) द्वारा परामर्शियों के रूप में नियुक्त किए गए 08 सेवानिवृत्त समाचार वाचक-सह अनुवादकों (एनआरटी) की सूची क्रमशः संग्लन विवरण V और VI पर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने संविदा नियुक्ति के लिए समन्वित एकसदृश नीति (जिसे प्रसार भारती बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है) जारी किया है जिसमें नियोजन की निबंधन और शर्तों भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक, दी जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया गया है। इसकी एक प्रति संग्लन विवरण-VII के रूप में दी गई है।

(घ) परामर्शियों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रसार भारती द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र/खुले बाजार से नियुक्त किए गए परामर्शियों के मामले में पूरे विवेक का प्रयोग करते हैं।

(छ) और (ज) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि परामर्शियों को नियोजित किए जाने के कारण वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के अर्थ में भिन्नता का मूल्यांकन करने के लिए उनके द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

विवरण-I

प्रसार भारती सचिवालय में वर्तमान में लगाए गए सलाहकार/परामर्शदाता/एसोसिएशट्स/समन्वयक

क्र. सं.	परामर्शदाता का नाम	लगाए जाने की तारीख	संक्षिप्त विवरण	लगाने की आवश्यकता/विशेष कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री रघु मेनन, सलाहकार (संग्रहालय)	20.12.2012	रुपए 75,000/-	मुद्रीकरण सहित संग्रहालय से संबंधित सभी मामले
2.	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, सलाहकार (एच.आर.)	04.09.2012	रुपए 1,00,000/- दोनों सचिव स्तर से सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं दोनों के अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए मानदेय तय किया गया है।	अध्यक्ष, उच्चाधिकारी प्राप्त समिति मानव संसाधन कार्यों की प्रणाली और संरचना की समीक्षा, नीतियों की समीक्षा, प्रवेश प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी सहित, स्टॉफ के प्रशिक्षण की प्रक्रिया और प्रणाली तथा उससे संबंधित मामले
3.	श्री राकेश कुमार जैन, सलाहकार (तकनीकी)	14.01.2013	रुपए 60,000/- ये अपर सचिव के समतुल्य वेतनमान में आकाशवाणी से प्रभारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।	प्रसार भारती के तकनीकी स्कन्द से संबंधित कार्यों की निगरानी और इन मामलों में प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सलाह देना
4.	श्री ओम प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी (ए.आर)	13.08.2013	रुपए 50,000/-* एक सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव	कार्मिक नीतियों से संबंधित सभी मामले तथा विधि संसद सूचना के अधिकार तथा भारत निर्माण अभियान का समन्वयन
5.	श्री एस.एस. बिन्द्रा, परामर्शदाता (प्रशिक्षण)	27.12.2012	रुपए 50,000/-*	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली में तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी कार्य
6.	श्री धीरंजन मालवे, विशेष कार्य अधिकारी (प्रसार भारती बोर्ड)	01.04.2012	रुपए 40,000/-* एक-से सेवानिवृत्त अधिकारी	कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित मामले
7.	श्री जतिन्द्र कुमार, परामर्शदाता	07.05.2012	रुपए 45,253/-* संघ लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त एक संयुक्त सचिव	सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजने से पहले पदोन्नति के मामले सहित सभी प्रस्तावों की जांच और दल के सदस्य, स्टॉफ की भर्ती से संबंधित मामलों की जांच, विभिन्न कॉडरों की पुनर्रचना, प्रसार भर्ती बोर्ड से संबंधित मामले

1	2	3	4	5
8.	श्री ए.के. गोस्वामी, परामर्शदाता	03.12.2012	रुपए 44,000/-* भारतीय विदेश सेवा के निदेशक पद से सेवानिवृत्त	अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मामले
9.	श्री एम.एम. थमन, परामर्शदाता	23.05.2012	रुपए 45,984/-* भारतीय प्रसारण (ई) सेवा से जे.एस.जी. सेवानिवृत्त अधिकारी	सूचना के अधिकार तथा संसदीय मामलों में सहयोग
10.	श्री प्रेमपाल परामर्शदाता	13.08.2012	रुपए 44,000/-* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सेवानिवृत्त लोक सेवा अधिकारी	आशुलिपिक सहयोग
11.	श्री अशोक कुमार, परामर्शदाता (मानव संसाधन)	09.03.2012	रुपए 40,000/-* सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उपसचिव पद से सेवानिवृत्त	स्थापना मामले, पदों का सृजन, संगठन तथा बोर्ड के संबंधित मामले तथा विभिन्न पदों के लिए प्रसार भारती विनियमों की तैयारी करना
12.	श्री एन.पी.एस. रावत, परामर्शदाता	01.06.2012	रुपए 39,000/-* संघ लोक सेवा आयोग से उप सचिव के रूप में सेवानिवृत्त	विभागीय पदोन्नति समितियों और स्टॉफ की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रसार भर्ती विनियम संबंधी मामले कोर दल के सदस्य
13.	श्री एस.सी. शर्मा, परामर्शदाता	05.12.2011	रुपए 39,000/- आईसीएमआर से उप-सचिव के पद से सेवानिवृत्त	भर्ती नियमों, काडर समीक्षा संबंधी मामले सदस्य कोर दल
14.	श्री एन.डी. कटारिया, परामर्शदाता	17.10.2012	रुपए 39,000/-* गृह मंत्रालय के उप-सचिव के पद से सेवानिवृत्त	विधि कक्ष के समन्वय कार्य का संचालन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, व्यय विभाग, न्याय मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित मामलों की देखरेख
15.	श्री आर.डी. गुप्ता, परामर्शदाता	17.12.2012	रुपए 39,000/-* रक्षा मंत्रालय (वित्त) से उप-सचिव के पद से सेवानिवृत्त	प्रसार भारतीय कर्मियों की सेवा शर्तों का प्रारूपण और अन्य संबंधित वैयक्तिक मामलों की देख-रेख
16.	श्री आर.के. आहलुवालिया, परामर्शदाता	11.12.2012	रुपए 39,000/-* श्रम मंत्रालय से उप-सचिव के पद से सेवानिवृत्त	नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य
17.	श्री के. श्रीकुमारन, परामर्शदाता	01.09.2012	रुपए 35,000/-* नेशनल टेक्सटाइल निगम से सेवानिवृत्त, निजी सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय

18.	श्री रमन कुमार भाटिया, परामर्शदाता	1.8.2012	रुपए 33,000/-* दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त, मंडल लेखाअधिकारी	सभी वित्त प्रस्तावों की जांच
19.	श्री बी.एन.डे, समन्वयक	1.9.2012	रुपए 33,000/-* दूरदर्शन से सेवानिवृत्त, प्रधान निजी सचिव	आशुलिपिक सहायता
20.	श्री डी.पी. बैनर्जी, एसोशिएट	8.8.2012	रुपए 29,137/-*	सभी कार्यक्रमों से संबंधित मामले
21.	श्री प्रताप सिंह, एसोशिएट	20.4.2012	रुपए 28,000/-*	विभागीय पदोन्नति समिति मामले और प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों को भर्ती और प्रसार भारती बोर्ड की कोर टीम का सदस्य
22.	श्री जयपाल जैन, एसोशिएट	24.4.2012	रुपए 28,000/-*	सूचना अधिकार विशिष्ट संदर्भ और संसदीय मामले
23.	श्री ओ.पी. तिवारी, एसोशिएट	11.7.2012	रुपए 28,000/-*	आशुलिपिक सहायता
24.	श्री टी.एस. पांडियन, एसोशिएट	29.8.2012	रुपए 28,000/-*	आशुलिपिक सहायता
25.	श्री सत्यपाल सिंह, एसोशिएट	1.8.2012	रुपए 22,000/-*	डायरी/डिस्पैच कार्य
26.	श्री वी.के. महिन्दरु, एसोशिएट	26.5.2012	रुपए 28,000/-*	लेखा जांच संबंधी सभी मामले
27.	श्री जगत सिंह, एसोशिएट	1.6.2010	28,000/-*	कर संबंधीत सभी मामले
28.	श्रीमती मोनिवा सेन, एसोशिएट	1.6.2012	28,000/-*	योजना एवं गैर योजना के तहत बजट तैयार करना।
29.	श्री आर.पी. लूथरा, एसोशिएट	30.11.2012	28,000/-*	अपर महानिदेशक (प्रचालन) के कार्यालय में कार्य तथा सहयोग
30.	श्री आर.एस. गुप्ता, कनिष्ठ एसोशिएट	22.11.2012	रुपए 20,000/-*	समन्वयक और संपर्क
31.	श्री मोहन लाल, कनिष्ठ एसोशिएट	12.12.2012	रुपए 20,000/-*	नई पेंशन योजना से संबंधित कार्य
32.	श्री विनोद कुमार, एसोशिएट	10.12.2012	28,000/-*	आशुलिपिक सहायता
33.	श्री वी.के. देसवाल, एसोशिएट	2.1.2013	28,000/-*	आशुलिपिक सहायता

1	2	3	4	5
34.	श्री मोहसीन अली खान, एसोशिएट	14.2.2013	28,000/-*	विशेष कार्य अधिकारी, (एआर) के कार्यालय में कार्य और सहयोग
35.	श्री आशीष कुमार रे, एसोशिएट	18.2.2013	28,000/-*	प्रसार भारती सदस्य (वित्त) के कार्यालय में कार्य एवं सहयोग
36.	श्री पुष्कर सिंह नेगी, समन्वयक	15.4.2013	रुपए 33,000/-*	प्रसार भारती बोर्ड से संबंधित मामलों का संचालन और कुछ कॉडरों की पुनर्रचना
37.	श्री इंद्रजीत पांडेय, एसोशिएट	17.4.2013	रुपए 22,000/-*	प्रसार भारती बोर्ड में आशुलिपिक सहयोग
38.	श्री शिवान कृष्ण खबरु, एसोशिएट	17.5.2013	रुपए 28,962/-*	सदस्य (वित्त) कार्यालय में कार्य और सहयोग
39.	श्री गुलशन राय, समन्वयक	15.7.2013	रुपए 30,402/-*	वित्त एवं बजट विंग में कार्य
40.	श्री ए.के. वरुआ, परामर्शदाता	26.8.2013	रुपए 44,000/-* कृषि मंत्रालय से सेवानिवृत्त निदेशक	विधिक, संसदीय और वैयक्तिक मामलों की देखरेख और प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा
41.	कर्नल (सेवानिवृत्त) एस.एस. मेंहदी** परामर्शदाता	6.9.2013	रुपए 63,330/-*	प्रसार भारती की सुरक्षा, पुस्तकालय प्रबंधन, वाहन प्रबंधन तथा अधिकारिक भोज व्यवस्थित करना
42.	श्री जगदीश चंद्र कपूर*** परामर्शदाता	4.7.2013	रुपए 28,000/-*	आशुलिपिक सहयोग

नोट 1 : उपर्युक्त सभी कर्मियों का कार्यकाल 30.06.2014 तक है। क्र.सं. 40 श्री ए.के. वरुआ का कार्यकाल 25.08.2014 को समाप्त होगा।

नोट 2 : उपर्युक्त सभी अधिकारी सरकारी/प्रसार भारती से सेवानिवृत्त और कई अन्य सौ कर्मियों में से कार्य क्षेत्र में उनकी विशिष्ट कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव हुआ है।

*उपर्युक्त सभी अधिकारियों का पारिश्रमिक प्रसार भारतीय बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नीति के अनुसार निर्धारित किया गया है जोकि अंतिम वेतन घटा पेंशन जमा महंगाई भत्ता, बशर्ते बोर्ड द्वारा मंजूर नीति में दर्शित न्यूनतम राशि है। यहां तक की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के तहत परामर्शदाता के तौर पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (ये निर्देश दिनांक 8.4.2009 से वापिस ले लिए गए हैं) भी अंतिम वेतन घटा पेंशन था।

क्र.सं. 1 और 2 पर नियुक्त अधिकारी बोर्ड की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चुने गए हैं और उनकी नियुक्ति पारिश्रमिक का भुगतान (जोकि उनकी कार्य विशिष्टता और अनुमान को देखते हुए तय किया गया था) बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और यह बोर्ड द्वारा मंजूर अनुबंध आधार पर नियुक्ति नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।

**कार्यकाल 05.09.2013 को समाप्त।

***कार्यकाल 30.07.2014 को समाप्त।

विवरण-II

प्रसार भारती सचिवालय में 2010 से सलाहकार, समन्वयकों के रखने/हटाए जाने का विवरण

क्र. सं.	राज्य	रखने की तारीख	शुल्क/पारिश्रमिक भुगतान	कर्तव्यों का प्रकार	हटाए जाने की तारीख
1.	श्री एस.पी. मदन	01.06.2011	30,000/- रुपए प्रति माह	एसएफसी/ईएफसी प्रस्तावों की योजना का वित्तीय कार्य	31.05.2012
2.	श्री एन.सी. जैन	01.06.2011	25,000/- रुपए प्रति माह	एनपीएस/सीपीएफ से संबंधित कार्य व व्यावसायिक सेवा इत्यादि का विशेष अंकेक्षण	31.05.2012
3.	श्री एच.एस मलही	02.05.2012	30,000/- रुपए प्रति माह	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव	01.11.2012
4.	श्री सी.पी. श्रीवास्तव	03.05.2012	27,000/- रुपए प्रति माह	मध्यस्थता मामले	02.11.2012
5.	श्री अशोक कुमार पोरे		25,000/- रुपए प्रति माह	-वही-	
6.	श्री अशोक कुमार सेहगल	01.03.2012	27,000/- रुपए प्रति माह	बजट से संबंधित कार्य योजना और गैर-योजना व्यय नियंत्रण इत्यादि योजना का एमआईएस	31.08.2012
7.	श्री बी.के. शाह	05.02.2012	20,000/- रुपए प्रति माह	कार्मिक, नीति और समन्वय कार्य	05.08.2012
8.	श्री गणेश महतो	07.05.2012	25,000/- रुपए प्रति माह	विधायी मामले, अदालती मामले इत्यादि	06.11.2012

विवरण-III

परामर्शदाताओं की सूची

क्र. सं.	नाम/पदनाम	पारिश्रमिक एवं सुविधाएं (प्रति माह)	जांच प्रोफाइल/कार्य एवं उत्तरदायित्व	आबंध की तारीख	आबंध की अवधि	निबंधन और शर्तें
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रांजल शर्मा, एडवाइजर मीडिया	1,35,000/-	नए मीडिया से संबंधित मामलों पर तीन संस्थापनाओं अर्थात महानिदेशक, दूरदर्शन आकाशवाणी/समाचार एवं समसामयिकी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परामर्श देना। नए और सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से 3 संगठनों का संचार माध्यमों में मार्गदर्शन करना। संगठनों का आर्थिक चालू बाजार दरों तथा अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं में मार्गदर्शन करना। उन्हें सप्ताह में तीन दिनों के लिए आबंधित किया गया है।	18.12.2012	15 माह	– कॉलम-3 में उल्लिखित समेकित पारिश्रमिक पर विशेष समयावधि के लिए आबंध किया गया है। – संविदा को किसी भी ओर से एक एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
2.	श्री बरुन दास, चैनल पोर्टफोलियो एडवाइजर	3,00,000/- + 20,000/- परिवहन	दूरदर्शन को सभी दूरदर्शन चैनलों से राजस्व बढ़ाने हेतु सलाह देना। उन्हें उनके उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में आने वाले कार्यों में अपना समय देने हेतु छूट प्रदान की गई है।	04.07.2013	1 वर्ष	– आबंधित व्यक्ति सरकारी कार्य के लिए दौरे पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।
3.	श्री पार्थिव शाह परामर्शदाता	1,20,000/-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी को परामर्श देना। बोर्ड के भवन और उसकी सुन्दरता के संबंध में प्रसार भारती के सलाहकार। संगठन का ग्राफिक डिजाइन तथा संप्रेषण के बारे में मार्गदर्शन करना। उन्हें सप्ताह में तीन दिनों के लिए आबंधित किया गया है।	27.12.2012	1 वर्ष	– पूर्णकालिक आबंधित व्यक्तियों पर किसी अन्य संगठन में कार्य करने पर प्रतिबंध है।
4.	श्री लोकेश शर्मा,	50,000/-	टैम आंकड़ों का विश्लेषण करना।	12.09.2013	1 वर्ष	– वे आबंधित व्यक्ति, जो पूर्णकालिक आधार

	क्रिएटिव हेड					पर आबंधित नहीं हैं अर्थात जिन्हें उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में कार्य करने पर छूट प्राप्त है, सप्ताह में तीन दिनों के लिए आबंधित अथवा प्रतिधारिता आधार पर आबंधित व्यक्तियों पर दूरदर्शन/प्रसार भारती से बाहर ऐसे कार्य करने पर प्रतिबंध है जिनमें हितों का टकराव हो।
5.	श्री अजय एन.झा. एडवाइजर	1,50,000/-	हिंदी बोलने वाले केवल चार राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के लिए एक न्यूज बुलेटिन सेवा आरंभ करने हेतु चार हिंदी चैनलों पटना, जयपुर, लखनऊ तथा भोपाल के लिए एडवाइजर के रूप में। वह इन राज्यों से प्राप्त इनपुट, जो इस समय डीडी न्यूज में प्रयोग किए जाते हैं, में सुधार लाने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त इन चार चैनलों के समाचारों की गुणता का उन्नयन करना।	18.10.2013	1 वर्ष	
6.	श्री अभिषेक दुबे, चैनल एडवाइजर	1,60,000/-	अधिकांशत: निर्धारित बिंदु चार्ट, शो की अनुसूची, प्रोमोज की अनुसूची का निर्माण एवं उन्हें व्यवस्थित करना, एफपीसी तथा डीडी स्पोर्ट्स चैनल के कार्यों में अनुसंधान इनपुट पर नीतिगत सलाह देना/चैनल की पीआर गतिविधियों के लिए सामग्री जुटाना।	02.12.2013	1 वर्ष	
7.	सुश्री तनूजा शंकर, चैनल एडवाइजर	1,80,000/-	अधिकांशत: निर्धारित बिंदु चार्ट, शो की अनुसूची, प्रोमोज की अनुसूची का निर्माण एवं उन्हें व्यवस्थित करना, एफपीसी तथा डीडी स्पोर्ट्स चैनल के कार्यों में अनुसंधान इनपुट पर नीतिगत सलाह देना/चैनल की पीआर गतिविधियों के लिए सामग्री जुटाना।	प्रस्ताव भेजा गया है किन्तु अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।	1 वर्ष	
8.	सुश्री नीलांजना बनर्जी परामर्शदाता	60,000/-	सभी चैनलों पर विषय-वस्तु में सुधार लाना अथवा कोई अन्य विशिष्ट और सुविज्ञ कार्य।	03.12.2012	1 वर्ष	
9.	श्री अनवर जमाल, परामर्शदाता (डीडी उर्दू)	1,00,000/-	(क) साप्ताहिक आधार पर जारी कार्यक्रमों की समीक्षा तथा चैनल की एफपीसी	08.04.2013	1 वर्ष	

1	2	3	4	5	6	7
			(ख) सुविख्यात व्यक्तियों की सलाहकार समिति का संचालन करना ताकि चैनल के संबंध में उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। (ग) चैनल पर हाल ही में बल्क में आरंभ किए गए कार्यक्रमों के परिणामों पर सृजनात्मक और गुणवत्ता संबंधी नियंत्रण के लिए तंत्र तैयार करना और उसका पर्यवेक्षण करना। इससे निर्माण से निकलने वाले रद्दी अंशों (कट) का पूर्वावलोकन करना अपरिहार्य होगा तथा आमंत्रित विशेषज्ञों के दल की सहायता से अन्तिम निर्माण में शामिल किए जाने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हों, पर टिप्पणी करना संभव होगा। (घ) महानिदेशक को चैनल की समग्र पोजिशनिंग और कार्यनिष्पादन पर सलाह देना।			
10.	श्री आसिफ आजमी, परामर्शदाता	50,000/- + 20,000/- परिवहन के लिए	कार्यक्रम संबंधी समग्र मामलों, चैनल के रूप और उसके अनुभव तथा प्रिंट और सोशल मीडिया में आवश्यक हस्तक्षेप करके इसकी ब्रांड इक्विटी में सुधार लाने से संबंधित मामलों पर महानिदेशक, दूरदर्शन और उर्दू चैनल के चैनल प्रमुख को सलाह देना।	18.04.2013	1 वर्ष	
11.	सुश्री नमिता गोखले, मीडिया परामर्शदाता	70,000/-	मीडिया से संबंधित कार्य की विषय-वस्तु की नीति के संबंध में सलाह देना, नीति तैयार करना तथा कार्यान्वित करना।	27.05.2013	1 वर्ष	
12.	श्री निशांत वी. सिंह परामर्शदाता (कृषि कार्यक्रम)	50,000/-	दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के लिए कृषि आधारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु संबंधित नीति के संबंध में सलाह देना, नीति तैयार करना तथा कार्यान्वित करना।	24.10.2013	1 वर्ष	

13.	विश्वदीप राय चौधरी, परामर्शदाता	40,000/-	दूरदर्शन को विषय-वस्तु में सुधार करने के लिए परामर्श देना तथा डीडी भारती।	03.07.2013	1 वर्ष	
14.	श्री रोहित कॉल, पीआर कंसल्टेंट	25,000/-	चैनलों के जनसम्पर्क संबंधी कार्यकलापों पर सलाह।	17.10.2013	1 वर्ष	
15.	सुश्री प्रियंका थपलियाल शर्मा पीआर कंसल्टेंट	25,000/-	चैनलों के जनसम्पर्क संबंधी कार्यकलापों पर सलाह।	14.10.2013	1 वर्ष	
16.	सुश्री सुजाता सेनगुप्ता, जनसम्पर्क, परामर्शदाता	30,000/-	चैनलों के जनसम्पर्क संबंधी कार्यकलापों पर सलाह।	21.10.2013	1 वर्ष	
17.	श्री अजित राय, व्यावसायिक परामर्शदाता	25,000/-	हिंदी पत्रिका के लिए अनुवाद कार्य, सामग्री एकत्र करना, सम्पादन और प्रकाशन।	14.01.2013	1 वर्ष	—
18.	श्री आर. भरथाद्री, परामर्शदाता	35,368/-	दूरदर्शन महानिदेशालय के कार्यक्रम विंग में कार्य करना	1.10.2013	1 वर्ष	
19.	श्री एस.एस. गहलौत	35,000/-	लेखा परीक्षा।	01.05.2013	30.09.2014	
20.	श्री एस.सी. शर्मा, परामर्शदाता	40,000/-	लेखा परीक्षा संबंधी कार्य	27.07.2012	30.09.2014	
21.	श्री राजमोहन, परामर्शदाता	25,000/-	प्रशासन, नीति एवं कानूनी मामलों में सहायता करना	26.04.2011	30.11.2013	
22.	श्री रमेश चंद्र बंसल, परामर्शदाता	25,000/-	हिन्दी से संबंधित कार्य	24.09.2012	30.09.2014	
23.	श्री ललित शर्मा, क्रिएटिव एडवाइजर	2,00,000/-	डीडी नेशनल की क्रिएटिव टीम का हिस्सा तथा डीडी भारती के क्रिएटिव प्रमुख। विषय-वस्तु नीति तैयार करना और उसके कार्यान्वयन में सहायता देना।	19.08.2013	1 वर्ष	

विवरण-IV

क्र. सं.	नाम/पदनाम	पारिश्रमिक एवं सुविधाएं (प्रति माह)	जांच प्रोफाइल/कार्य एवं उत्तरदायित्व	आबंध की तारीख	आबंध की अवधि
1.	श्री संजीव श्रीवास्तव, कंसल्टिंग एडिटर	1,85,000/-	प्राइम बैंड क्षेत्र पर हिन्दी और अंग्रेजी समाचार तथा समसामयिकी विषयों की परिकल्पना, निर्माण और प्रस्तुतिकरण लाइव इनपुट और हाट स्विच से सुनिश्चित करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करना।	01.01.2013	2 वर्ष (अक्तूबर में इस्तीफा दे दिया है।)
2.	श्री गौतम राय, डिप्टी एडिटोरियल कंसलटेंट	170,000/-	प्राइम बैंड कार्यक्रम "न्यूज नाइट" तथा साथ ही साथ डीडी न्यूज न्यूज के अन्य कार्यक्रमों की एंकरिंग करना तथा एडिटोरियल स्पोर्ट/पैकेजिंग और वाइस ओवर, सुविज्ञ रिपोर्टिंग कार्य।	04.02.2013	2 वर्ष
3.	श्री सलमा जैदी, परामर्शदाता, वैबसाइट तथा डाटकाम	50,000/-	डीडी न्यूज की वैबसाइट के लिए कार्य करना तथा सोशल मीडिया से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में विशेष प्रबंध करना।	07.07.2013	1 वर्ष (30.06.2014 तक 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया।)
4.	डॉ. एम. रहमतउल्ला, कंसल्टिंग एडिटर	70,000/-	उर्दू समाचारों की विषय-वस्तु के संबंध में सम्पादकीय दल का मार्गदर्शन करना।	01.04.2013	1 वर्ष
5.	श्री सचिन सोनी, वरिष्ठ वीडियो परामर्शदाता	145,000/-	डीडी न्यूज के कार्यक्रमों/कवरेज के दृश्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के संबंध में कार्य करना तथा कैमरा से जुड़े कार्य में सुधार लाने के संबंध में सलाह देना।	01.02.2013	2 वर्ष (नवम्बर में इस्तीफा दे दिया है।)
6.	श्री संजय पांडे, कंसल्टेंट गेस्ट रिलेशन एंड फारवार्डिंग प्लानिंग	150,000/-	विभिन्न व्यवसायों से जुड़े महत्त्वपूर्ण अतिथियों से सम्पर्क स्थापित करना और योजनाएं बनाना।	01.04.2013	2 वर्ष

विवरण-V

महानिदेशालय आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में लगाए गए व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	महानिदेशालय आकाशवाणी में परामर्शदाता का नाम
1	2
1.	श्री एस.आर. पांडेय
2.	श्री टी.आर. सेठी
3.	श्री पी.एम. जॉर्ज
4.	श्री ओ.पी. नियाजी
5.	श्री पवन कुमार मिश्रा
6.	श्री एस.एस. ऋषि
7.	श्री वी.के. कोहली
8.	श्री एम.एस. रावत
9.	श्री जनार्द्धन सिंह
10.	श्री रघुवीर कुमार वर्मा
11.	श्री के.एस. मेहता, सहायक
12.	श्री पियरा राम
13.	श्री बासुदेव कुमार गुप्ता
14.	श्री के.सी. गुप्ता
15.	श्री बिदुर कुमार शाह
16.	श्री मंजार हुसैन
17.	श्री हीरा लाल
18.	श्री मनोहर लाल अरोरा
19.	श्री वीर हेमेन्द्र
20.	श्री आर.के. काकापुरी
21.	श्री एस.पी. भट्टाचार्य
22.	श्रीमती साधना भारद्वाज
23.	श्री मशोदा लाल
24.	श्री बृज किशोर सिंह
25.	श्री गंगा राम
26.	श्रीमती कमालिनी दत्ता
27.	डॉक्टर मोहम्मद साजिद रिजवी
28.	श्री गुलशन कुमार वोहरा
29.	श्री परवेश कुमार अंकर
30.	श्री एस.के जमाल
31.	श्री एन. चक्रवर्ती
32.	श्री अनिल किशोर
33.	श्री एच.के. पाणी
34.	श्री जे.एन. अरोरा
35.	श्री लथा राजू
36.	श्री के. गुशनशेखर
37.	श्री एस.के. बजाज
38.	श्री डी.डी शर्मा
39.	श्री धर्म दास
40.	श्री ए.के. टिको
41.	श्री हर्ष मखनोत्रा
42.	श्री एन.एन. मित्रा
43.	श्री सरफराज अहमद खान
44.	श्री बाली राम
45.	श्री विनोद कपूर
46.	माननीय सेवानिवृत्त प्रमोद कुमार बरल
47.	डॉक्टर अशोक त्रिपाठी
48.	श्री आर.बी.एल. माथुर
49.	श्री एस.एस. शर्मा
50.	श्रीमती दुर्गा भास्कर
51.	श्री अरविन्द कुमार
52.	श्री हीरा लाल

1	2
53.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
54.	श्रीमती रत्ना धर
55.	श्रीमती सरवन लता सेहगल
56.	श्री शिव मंगल
57.	श्री पी.एस. सावंत
58.	श्री एन. ओबलप्पा
59.	श्री लीला नन्द
60.	श्री विजय के. मम
61.	श्री राजीव लोचन श्रीवास्तव
62.	श्री जी.एन राठौड़
63.	श्री ए.के. हल्दर
64.	श्री गुलाम कादिर
65.	श्री एम.ए. पोर्जे
66.	श्री नसीम रहमान
67.	श्री जे.एन. अरोरा
68.	श्री सरफराज अहमद
69.	सुश्री छाया गांगुली
70.	श्री शंकर सिंह
71.	श्री एस.के. आचार्य
72.	श्री जी.पी. विवेक
73.	श्रीमती एस.के. राजलक्ष्मी
74.	श्री एन. ओबकलप्पा
75.	श्री जे.आर.एम. रेड्डी
76.	श्री दामोदर किसन राव नागवे
77.	श्री राज प्रकाशन
78.	श्री एस.सी. जैन
79.	श्री वी. श्रीनिवासन
80.	श्री जे. कमलनाथन

1	2
81.	श्री एम. सनासी
82.	श्री जगदीश
83.	श्री कैलाशचन्द्र
84.	श्री फतेह सिंह
85.	श्री आर.पी. मालाकर
86.	श्री धर्मदास
87.	श्रीमती सतनाम कौर
88.	श्री मोहिन्दर कोहली
89.	श्री डी.सी. जैन
90.	श्री एच.सी. चौहान
91.	श्री अखलेश कुमार शर्मा
92.	श्री ए.के. भोला, सेवानिवृत्त, अनुभाग अधिकारी, सीसीडब्ल्यू
93.	श्री एम.एल. शर्मा
94.	श्री जयन्त कुमार जोशी
95.	श्री लेखराम
96.	श्री सुजीत बंदोपाध्याय
97.	श्री जे.पी. पंड्या
98.	श्री राजीव लोचन श्रीवास्तव
99.	श्री पी.एस. खुराना
100.	श्री के.सी. दुबे
101.	श्री आर.सी. भट्ट
102.	श्रीमती बलवन्त सरीन
103.	श्री पी.एल. भारद्वाज
104.	श्री आर.एस. बिरादर
105.	श्री एन.के. सैनी
106.	श्री पी. सम्बाशिवम
107.	श्री निर्मल सिंह
108.	श्री जितेन्द्र सिंह

1	2
109.	श्री गुरमीत सिंह गिल
110.	श्री राजेन्दिर कुमार
111.	श्री एस.के. पांडेय
112.	श्री एम.के.डी. बर्मन
113.	श्री पी.के. पॉल
114.	श्री आर.सी. सिंह
115.	श्री एस. अशोक कुमार
116.	श्री बी.एस. घड़ी
117.	श्रीमती देब मिश्रा
118.	सुश्री सुन्दरेशन सेतिजा
119.	श्री अरविन्दकाशन
120.	श्री आर.के. त्रिपाठी
121.	श्री विमल कुमार चांद
122.	श्री शिखर रे
123.	श्री श्रीकुमार चक्रवर्ती
124.	श्री वी. मोहन राव
125.	श्री अनवर अली
126.	श्री पी. रामलिंगा मूर्ति
127.	श्री वी. अप्पा रेड्डी
128.	श्री बी.आर. चलापति राव
129.	श्री हरबंश लाल मलिक
130.	श्री वी.एस. सावंत
131.	श्री राम निरंजन
132.	श्री श्याम सुंदर सिंह
133.	श्रीमती प्रेम लता सरदना
134.	श्री जी. इतिराजुलु
135.	श्री वी. विजयन

1	2
136.	श्री शंकर सिंह
137.	श्री एन.के. मेहरा
138.	श्री के.के. गुप्ता
139.	श्री ए.के. तनेजा
140.	श्री विनोद कुमार सिंह
141.	श्री एस.वाई. सौलंकी
142.	श्री एन.एस. प्रसाद
143.	श्री एस.के. बसु
144.	श्रीमती मीना खरे
145.	श्री एम.वी. रामचन्द्र नैर
146.	श्रीमती उषा विश्वासराव
147.	श्री आर.आर. मीणा
148.	श्री राम दयाल चौहान
149.	श्री राम कुमार
150.	श्री दया राम
151.	श्री आर.एस. रोनिया
152.	श्री पी.के. प्रदीप रंजन चौधरी
153.	श्री एस.एन. मिश्रा
154.	श्री के. पुल्लेह
155.	श्री महमूद बशा
156.	डॉ. उपेन्द्र नाथ रैना
157.	श्री एस.एन. सोनारघरे
158.	श्री मले कुमार चटर्जी
159.	श्री शिव मंगल
160.	श्री जी.एम. सिराहत्ती
161.	श्री ए.आर. हमजा
162.	श्री टी.पी. सिंह

1	2
163.	श्री एम.ए. मलिक
164.	श्रीमती कुलवन्त चौधरी
165.	श्री बी. पिचूसिंघा
166.	श्री एस.पी. अवस्थी
167.	श्री डी.एम. प्रधान
168.	श्री नमीउद्दीन
169.	श्री हफीजुद्दीन
170.	श्री राधे श्याम
171.	श्री आर.सी. पांडेय
172.	श्री अजित कुमार सेन
173.	श्री विभूति रघुनाथ सिंह
174.	श्री चौधरी रघुनाथ सिंह
175.	श्री शिव चरन चौधरी
176.	श्री नानक चंद
177.	श्री धीरज कुमार चौधरी
178.	श्री राम स्वरूप गंगवार
179.	श्री चंद्र सिंह
180.	श्री राम दत्त वशिष्ठ
181.	श्री राम मूर्ति मिश्रा
182.	श्री कलीम अहमद
183.	श्री मोहम्मद अली
184.	श्री नरेश कुमार
185.	श्री सी.एम. वेणुगोपाल
186.	श्री बाल किशन एस. घड़ी
187.	श्री एस.एल. कान्द्रा
188.	श्री बी. सिमचलम
189.	श्री प्रभु नाथ तिवारी
190.	श्री अशोक वी. त्रिवेदी
191.	श्री अशोक कुमार जैन
192.	श्री पी. जोसेफ
193.	श्री अनन्त जी. मदके
194.	श्री मुशर्रफ हुसैन
195.	श्री के.के. श्रीवास्तव
196.	श्री सदीक नूर पठान
197.	श्री आर.एस. गौड़
198.	श्री अवतार सिंह बूरा
199.	श्री एस.के. बासु
200.	श्री रवि दत्त बख्शी
201.	श्री डी. जयारमन
202.	श्री जी.एम. खान
203.	श्री पॉल चंद
204.	श्री सुखदेव सिंह
205.	श्री सुरेश कुमार
206.	श्री हिरक रंजन राय
207.	श्री के.एम. नैर
208.	श्री नंद किशोर शर्मा
209.	श्री शिवधर गुप्तार
210.	श्री रूहलाह खान
211.	श्री जे.के. सैनी
212.	श्री जी. त्रिपाठी
213.	श्री पी.एल. गुप्ता
214.	श्री प्रताप सिंह मतियानी
215.	श्री पान सिंह मेहरा
216.	श्री लोकमनि

विवरण-VI

एनएसडी, आकाशवाणी में परामर्शियों की तौर पर नियुक्त व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) में परामर्शी का नाम
1.	श्री पी. राजाराम
2.	श्री देवराज शर्मा
3.	श्री सलीम अख्तर
4.	श्री टी. सरोश
5.	श्री डी.एन. व्यास
6.	सुश्री रंजना शर्मा
7.	श्री बी.ए. सागर
8.	श्रीमती श्रीदेवी गोपीनाथ

विवरण-VII

अनुलग्नक

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
द्वितीय तल, पीटीआई बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली

सं. ए.-10-/159/09-पीपीसी दिनांक 27.09.2012

विषयः संविदाबद्ध नियुक्तियों के लिए नीति।

प्रसार भारती (सचिवालय, निदेशालय व क्षेत्रीय कार्यालय) में संविदाबद्ध नियुक्तियों के लिए प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से निरूपित नीति की प्रति तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु संलग्न है। इस नीति की प्रतियां सभी स्टेशनों/केन्द्रों व क्षेत्रीय एडीजी आदि को सूचना व अनुपालन हेतु परिचालित कर दी जाएं। आगे की सभी संविदाबद्ध नियुक्तियां इस नीति के अनुसरण में ही की जाएंगी। बेसिल के जरिए (या वर्ष 2009 के पश्चात डीडी न्यूज के जरिए सीधे नियुक्त) नियुक्त किए गए कार्मिकों की स्क्रीनिंग इस नीति में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से की जाएगी और उन्हें संविदाबद्ध नियुक्ति का नया प्रस्ताव दिया जाएगा। उन व्यक्तियों जिन्हें प्रतिधारित किए जाने के उपयुक्त नहीं पाया जाएगा, उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इस कार्य को 31 अक्तूबर, 2012 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए और 31 अक्तूबर, 2012 के बाद की अवधि के लिए बेसिल द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए बेसिल को कोई भुगतान निर्मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 7 नवंबर, 2012 तक सदस्य (कार्मिक) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सूचनार्थ प्रसार भारती को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। इसी प्रकार, संविदा पर नियुक्त किए गए अन्य कार्मिकों की स्क्रीनिंग उनकी नियुक्ति अवधि के विस्तार पर विचार करते समय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी।

ह./
(ओम प्रकाश)
विशेष कार्याधिकारी

अनुलग्नकः यथोपरि

श्री वी.के. जैन,
एडीजी (ए एंड एफ)
दूरदर्शन महानिदेशालय
नई दिल्ली-100001

मेजर (सेवानिवृत्त) सोमेश सी झिंगन,
डीडीजी (ए एंड एफ),
आकाशवाणी महानिदेशालय
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थः मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आकाशवाणी महानिदेशक/ दूरदर्शन महानिदेशक के प्रमुख निजी सचिव।

प्रसार भारती
प्रसार भारती सचिवालय
(भारतीय प्रसारण निगम)

संविदाबद्ध नियुक्तियों के लिए व्यापक नीति

पिछले कुछ वषो ं के दौरान प्रसार भारती की स्टाफ-संख्या निम्नलिखित कारणों से कम हुई है:—

(i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अधिकाधिक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

(ii) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में यथा परिकल्पित भर्ती बोर्ड की अभी तक स्थापना नहीं की गई है।

(iii) प्रशासन, वित्त, अभियांत्रिकी, समाचार एवं कार्यक्रम जैसे सभी संवर्गों में भर्ती नियमों/विनियमों को अंतिम रूप न दिया जाना।

2. फलस्वरूप, जन शक्ति का भीषण अभाव है। सतत सेवानिवृत्तियों के कारण जन शक्ति के अभाव की समस्या के और गंभीर हो जाने की संभावना है। इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए संविदाबद्ध नियुक्तियां

करने हेतु एक व्यापक नीति का निरूपण किए जाने की सख्त आवश्यकता है।

3. इस मामले पर प्रसार भारती बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2012 को हुई उसकी 108वीं बैठक में विचार किया गया और बोर्ड ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:—

(i) "सभी संवर्गों में, जोकि क्षेत्रीय इकाइयों के संचालन के लिए अब हानिप्रद हो गए हैं, स्टाफ के भीषण अभाव की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त युवा व अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को अल्पकालिक समनुदेशन आधार पर (या इन्टर्न के रूप में) नियुक्त किया जाए। जब प्रसार भारती भर्ती करेगा, तो पात्र (कमोबेश) कार्मिकों को खुले बाज़ार से आने वाले अन्य आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और उन्हें नियमानुसार आयु में कुछ छूट प्रदान की जाएगी।"

(ii) "जन शक्ति के मौजूदा भीषण अभाव की समस्या से निपटने के लिए और समसामयिक कार्यों एवं पुराने संस्वीकृत पदों (भर्ती नियमों के साथ) के अंतिम बार के सृजन के उपरांत उभर कर आई चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य स्वरूप के कार्यों के निष्पादन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को भी उपयुक्त रूप से अनुभवप्राप्त व्यक्तियों को अल्पकालिक संविदा (या समनुदेशन) पर नियुक्त किए जाने हेतु एक व्यवहार्य प्रणाली या संरचना तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4. दिनांक 16/02/2012 और 06/08/2012 के प्रस्तावों के अनुसरण में संविदाबद्ध नियुक्तियां करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) **नियमित संस्वीकृत पदों पर संविदाबद्ध नियुक्तियां:**

इस श्रेणी में संविदाबद्ध नियुक्तियां करने के लिए एक नियमित संस्वीकृत पद अवश्य अस्तित्व में होना चाहिए और यह संविदाबद्ध नियुक्ति उक्त पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जारी रहेगी। पदधारी को संगत भर्ती नियमों में यथा इंगित पद की पात्रता शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

(क) युवा प्रतिभा: "प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं से कैंपस विनियोजन के जरिए तात्कालिक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अथवा अन्यथा समेकित मासिक पारिश्रमिक पर, जिसे संगत पद के लिए अनुप्रयोज्य मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस परिवर्तनशीन महंगाई भत्ता (भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यथा संस्वीकृत) के आधार पर प्रत्येक मामले में परिगणित किया जाएगा, उपयुक्त युवा व अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को अल्पकालिक समनुदेशन आधार पर (या इन्टर्न के रूप में) नियुक्त किया जाए। जब प्रसार भारती भर्ती करेगा, तो पात्र (कमोबेश) कार्मिकों को खुले बाज़ार से आने वाले अन्य आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और उन्हें नियमानुसार आयु में कुछ छूट प्रदान की जाएगी।"

(ख) **सेवानिवृत्त व्यक्तियों:** उन्हें कार्यालय प्रबंधन के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर स्टाफ के अभाव की समस्या से निपटने के लिए दैनंदिन कार्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन घटा पेंशन जमा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(ग) **सलाहकार/परामर्शदाता:** उन्हें नीतियों के निरूपण, नियमों व विनियमों के मसौदे तैयार करने एवं डीपीसी प्रस्तावों की जांच करने, वित्तीय/विधिक/प्रशासनिक मामलों आदि में सलाहकारी भूमिका जैसे विशेषज्ञता व अनुभव की अपेक्षा रखने वाले विशिष्टीकृत कार्यों के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें **अनुलग्नक-I** में यथा इंगित न्यूनतम राशि के अध्यधीन उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन घटा पेंशन जमा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। तथापि, विशेष मामलों में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से **अनुलग्नक-I** में यथा इंगित पारिश्रमिक से अधिक राशि का भुगतान किया जा सकता है।

(ii) **जरूरत-आधारित संविदाबद्ध नियुक्तियां:**

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मानव संसाधन की नियुक्ति की जा सकती है—

(क) प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशेष श्रेणी:

प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रेणियों में जरूरत-आधारित पूर्णकालिक संविदाबद्ध नियुक्तियां की जा सकती हैं जैसेकि बेसिल/प्रसार भारती के जरिए अभी तक की गई नियुक्तियां। इसमें वे सभी

श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर प्रसार भारती बोर्ड/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। आगे से, यदि आवश्यक हो, तो इन दिशानिर्देशों के अनुसार संविदाबद्ध नियुक्तियां की जाएंगी। इन सभी श्रेणियों के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक का भी **अनुलग्नक-I क** में उल्लेख किया गया है। पदाधिरियों को **अनुलग्नक-IIक** में यथा उल्लिखित पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करनी चाहिए जिन्हें सरलीकृत व आशोधित किया गया है। पदनामों, अपेक्षित अर्हताओं और विनियोजन विषय-वस्तु को इंगित करने वाली इस श्रेणी की सूची **अनुलग्नक-II क** में दी गई है। दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न स्कंधों के सुझावों/आवश्यकताओं के आधार पर आधारित कुछ अतिरिक्त श्रेणियों उपयुक्त अनुशंसित पारिश्रमिक के साथ शामिल कर लिया गया है।

(ख) डीडी न्यूजः

गत दो दशकों में विशेषकर समाचारों की विधा में मीडिया का अतिशय विकास हुआ है। आवर्धित कार्य-दबाव की समस्या से निपटने के लिए समय-समय पर प्रसार भारती बोर्ड/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विधिवत अनुमोदनों से आंतरिक विषय-वस्तु के सृजन हेतु डीडी न्यूज जैसे पूर्ण-विकसित चैनलों की स्थापना होने के पश्चात पूर्णकालिक मानव संसाधन की नियुक्ति की गई है।

ऐसे मानव संसाधन की नियुक्ति किसी संस्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं की गई थी क्योंकि इन पदों को 24x7 समाचार चैनल के कार्य-भार की प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई थी। साथ ही, 24x7 डीडी न्यूज चैनल की शुरुआत करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि आवर्धित कार्य-प्रमात्रा का प्रबंधन संविदा आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति करके किया जाएगा क्योंकि पदों के सृजन को व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तदनुसार मानव संसाधन को डीडी न्यूज चैनल के दैनंदिन कार्यकरण को पूरा करने के संलग्न किया गया जिसे आगे जारी रखे जाने की जरूरत है।

इसलिए, इस समय नियुक्त/संलग्न व्यक्तियों को कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर बनाए रखा जा सकता है, तत्पश्चात यह मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाना होगा। शेष व्यक्तियों को प्रति वर्ष खुले बाज़ार से नए सिरे से नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी श्रेणी के मामले में अधिकतम पारिश्रमिक प्रत्येक चीज को शामिल करते हुए 50,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।

इन श्रेणियों में डीडी न्यूज के पदधारियों के लिए जनवरी, 2009 से लागू एकल निष्पादन आकलन पर आधारित अन्तरीय वृद्धि के कारण एक ही मानव संसाधन श्रेणी के अंतर्गत, समान कार्य के लिए मौजूदा पारिश्रमिक में बहुत अंतर है। डीडी न्यूज संविदाबद्ध मानव संसाधन के मामले में (बेसिल और प्रसार भारती दोनों के लिए, जोकि कुल संविदा संख्या का क्रमशः ¾ व ¼ संगठित करते हैं) मौजूदा पारिश्रमिक की अंतिम बार जनवरी, 2009 में समीक्षा की गयी थी। डीडी न्यूज में मौजूदा संविदाबद्ध स्टॉफ **अनुलग्नक-II** में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से भी अधिक है। ये सभी अतिरिक्त श्रेणियां जोकि नई श्रेणियों के रूप में विकसित हुई हैं अथवा उनसे विकसित हुई हैं जोकि **अनुलग्नक-II** में इसके भिन्न रूप में दी गयी हैं, को प्रसार भारतीय बोर्ड/सीईओ द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया गया है और उनका उल्लेख **अनुलग्नक-II** ख में भी किया गया है। वर्ष 2012 से प्रस्तावित पारिश्रमिक को युक्तिसंगत बनाया गया है और **अनुलग्नक-II** क में उल्लिखित समान श्रेणियों के लिए प्रस्तावित दर के सुसंगत है। यद्यपि इन श्रेणियों में वर्तमान पारिश्रमिक भिन्न-आवश्यकताओं जोकि कभी-कभी 24x7 लाइव प्रसारण के कारण अपेक्षाकृत अधिक मांग वाला होता है, के कारण अन्य चैनलों में समान योग्यता वाले कुछ संविदाबद्ध स्टॉफ के लिए प्रस्तावित दरों से बहुत अधिक है और यह आंशिक रूप से एकल निष्पादन आकलन आधारित वृद्धि के कारण भी है जिसके कारण असमानता होती है। तथापि, सभी संविदाबद्ध नियुक्त व्यक्तियों चाहे वे बेसिल के माध्यम से हों या अन्यथा, के बीच समानता लाने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि डीडी न्यूज और दूसरे संगठनों के पदधारी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इस नीति के

अंतर्गत संविदाबद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरेंगे और जो पुनर्नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें **अनुलग्नक-II क** और **अनुलग्नक-II ख** में दिए गए सूत्र के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

जो व्यक्ति **अनुलग्नक-II क और अनुलग्नक-II ख** में उल्लिखित शुल्क से अधिक के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, चाहे उनके अनुभव के कारण या इस तथ्य के कारण कि वे पहले से ही **अनुलग्नक-II क और अनुलग्नक-II ख** में उल्लिखित शुल्क से अधिक आहरित कर रहे हैं, यदि पारिश्रमिक एक लाख रुपए तक है तो उच्चतर शुल्क पर उनकी पुन: नियुक्ति का प्रस्ताव सीईओ के समक्ष रखा जाएगा, यदि पारिश्रमिक एक लाख से अधिक है तो विशेष समनुदेशन समिति के गठन को पहले ही प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यह मामला-दर-मामला आधारित होगा।

मौजूदा सभी व्यक्तियों, चाहे वे बेसिल के माध्यम से नियुक्त हैं अथवा सीधे, को किसी भी श्रेणी के लिए प्रतियोगिता (जिसमें वह श्रेणी भी शामिल है जिसमें वे वर्तमान में नियुक्त हैं) हेतु विकल्प होगा (बशर्ते वे उस श्रेणी के लिए अपनी पात्रता शर्तें पूरी करते हों)। भिन्न श्रेणी हेतु चयन किए जाने की दशा में उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(ग) व्यावसायिक विशेषज्ञ:

अनुभवी व्यावसायियों की नियुक्ति सभी चैनलों में विषय-वस्तु को सुधारने और अनुभूति में वृद्धि या अन्य कोई विशिष्ट और विशेषकृत कार्य करने के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। वे पूर्णकालिक आधार पर एकमुश्त पारिश्रमिक पर कार्य करेंगे जिसे सीईओ के अनुमोदन से उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में उनकी पहचान, एनकरिंग निर्देशन और ऐसी ही योग्यता के संदर्भ में मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उन्हें समान क्षेत्र के किसी संगठन में और कोई समनुदेशित कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) इन्टर्न:

उपयुक्त नवयुवक, अर्हक व्यक्ति योग्यता के आधार पर तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए पैरा 8 में उल्लिखित स्क्रीनिंग-सह-चयन समिति के अनुमोदन से **अनुलग्नक-II क** (अतिरिक्त श्रेणी) में उल्लिखित समेकित मासिक पारिश्रमिक पर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों से कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से या अन्यथा अल्पकालिक कार्य आधार पर इन्टर्न के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ङ) मानव संसाधन एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों की नियुक्ति:

दैनंदिनी कार्यों को करने के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि तथा सहायकों की नियुक्ति जीएफआर में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मानव संसाधन एजेंसियों के माध्यम से की जा सकती है। सभी सांविधिक आवयश्कताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(च) सेवाओं की आउटसोर्सिंग:

सुरक्षा, साफ-सफाई और बागवानी आदि जैसी सेवाएं नियमों के अनुसार निविदा-प्रक्रिया के माध्यम से आउटसोर्स की जाएंगी।

5. संविदाबद्ध नियुक्तियां कठोरतापूर्वक संगठन की जरूरी आवश्यकताओं के आधार पर की जाएंगी। संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति के कार्य का विवरण रिपोर्टिंग तंत्र का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा और इसका उल्लेख उस व्यक्ति की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव में किया जाएगा।

6. महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक, वित्तीय, प्रशासनिक और प्रबंध संबंधी प्रकार्यों और साथ ही कार्यों के निए और उभरते हुए क्षेत्रों जैसे — आकाशवाणी, डीडी न्यूज और डीडी न्यूज के अन्य नए चैनलों, जिन्हें पदों की स्वीकृति के बगैर आरंभ किया गया है, द्वारा सामाजिक और नए मीडिया मंचों के प्रयोग को आरंभ करने हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट अवधि में एक स्वतंत्र मानव संसाधन एजेंसी के माध्यम से एक उपर्युक्त कार्य लेखापरीक्षा करायी जाएगी। इसे प्रशासनिक, वित्तीय, प्रबंध संबंधी और व्यावसायिक प्रकार्यों हेतु विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों/स्टॉफ की संख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

7. सक्षम प्राधिकारी : प्रसार भारती में उप महानिदेशक स्तर तक संविदाबद्ध नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकार सदस्य (कार्मिक) होंगे। उप महानिदेशक स्तर से ऊपर की अन्य नियुक्तियों के लिए सीईओ प्रसार भारती सक्षम प्राधिकारी होगा। निदेशालयों और उनकी अधीनस्थ कार्यालयों, दोनों में, सक्षम प्राधिकारी संबंधित महानिदेशक होगा।

8. चयन प्रक्रिया:

(1) दोनों निदेशालयों में ऐसी सभी नियुक्तियों की सिफारिश एक छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) महानिदेशक/महानिदेशक (समाचार), जैसी भी स्थिति हो या उसका नामिती जो एडीजी के पद से नीचे का न हों (अध्यक्ष)

(ii) डीडीजी/संबंधित निदेशक (जो भी लागू हो) या समकक्ष पद का कोई अन्य अधिकारी-सदस्य

(iii) डीडीजी (प्रशा.) संबंधित निदेशक (प्रशा.) - सदस्य

(iv) डीडीए (स्कार)-संयोजक

(v) यदि जरूरी हो तो दो विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक/महानिदेशक (समाचार), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) प्रसार भारती सचिवालय में नियुक्तियों के लिए सदस्य (कार्मिक/सीईओ के अनुमोदन से एक सदृश छानबीन-सह-चयन समिति गठित की जा सकती है और ऐसी नियुक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी को नामोद्दिष्ट भी किया जा सकता है।

(3) व्यक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया और उनकी नियुक्तियों के लिए सिफारिशें भी उक्त छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा निश्चित की जाएगी। यह समिति वास्तविक रूप से बैठक करके या परिपत्र जारी कराकर कारोबार का संचालन कर सकती है। उक्त समिति द्वारा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि क्या प्रत्येक मामले में जांच और/या साक्षात्कार करना आवश्यक है।

(4) अभ्यर्थी जिन्हें कैमरा और प्रसारण के सामने अभिनय करने की आवश्यकता होती है उनके भाषा कौशल और अभिव्यक्ति पर महत्त्व देने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामान्य जानकारी के स्तर को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए।

(5) क्षेत्रीय केन्द्रों/क्षेत्रीय समाचार यूनिटों आदि मे संविदाबद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी केवल निदेशालय स्तर पर गठित की गयी समिति ही अनुप्रयोज्य होगी।

9. नियोक्ता प्राधिकारी : अपने क्षेत्राधिकार में नियुक्त संविदाबद्ध कर्मचारियों के संबंध में संबंधित महानिदेशक नियोक्ता प्राधिकारी होंगे।

10. कार्यकाल : पूर्णकालिक नियुक्तियों के मामले में संविदा एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जो कार्य निष्पादन और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए एक-एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाएगी।

11. आयु सीमा : सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी बशर्ते कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। दूसरी नियुक्तियों के मामलों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और उच्च आयु सीमा कार्य विवरण और कार्य विनिर्देशनों पर आधारित होगी।

12. नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य निबंध न एवं शर्तें :

(i) पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को संविदाबद्ध नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पूर्णकालिक नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के मामले में, संविदाबद्ध नियुक्ति की अवधि पर निर्भर करते हुए सभी प्रकार की देय कुल छुट्टियां एक वर्ष में 30 दिन या यथानुपात रूप से अधिक नहीं होंगी।

(iii) मकान किराया भत्ता या अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। चिकित्सा सुविधाएं लागू नहीं होंगी।

(iv) सरकारी दौरे पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान उस पद के सामान्य हकदारी के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए नियुक्ति की गयी है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में, यह सेवानिवृत्ति के समय उसकी हकदारी के अनुसार किया जा सकता है। दूसरे मामलों में, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से मामले दर मामले के आधार पर इसका निर्णय किया जाएगा।

(v) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संविदाबद्ध नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को टेलीफोन/वाहन प्रभार/परिवहन और अन्य सुविधाएं (प्रचालनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए) योग्यता के आधार पर देय होंगी।

(vi) संविदाबद्ध आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को, उन्हें नियुक्त किए गए विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त कार्य सुपुर्द किए जा सकते हैं।

(vii) नियुक्ति को एक महीने के नोटिस या इसके स्थान पर किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का वेतन देकर बिना कारण दिए विच्छेद/समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के समापन/सेवा विच्छेद को नियोक्ता प्राधिकारी के पूर्ण अनुमोदन के साथ अमल में लाया जाएगा। साथ ही, नियुक्त व्यक्ति का संविदाबद्ध नियुक्ति के आधार पर किसी भी पद पर नियमित कार्यव्यस्तता/नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं होगा।

(viii) उक्त नियुक्ति के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी लाभ देय नहीं होंगे।

(ix) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, समय-समय पर नियुक्तियों की अन्य निबंधन एवं शर्तें निर्धारित एवं समाविष्ट की जाएंगी।

13. संविदाबद्ध नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव पत्र का एक मानक प्रारूप **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

स्तर	पात्रता	पारिश्रमिक प्राप्त अंतिम वेतन घटा पेंशन जमा महंगाई भत्ता, न्यूनतम निम्नानुसार
परामर्शदाता	ग्रेड पे रुपए 10,000/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 50,000/- प्रतिमाह
परामर्शदाता	ग्रेड पे रुपए 87,000/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 44,000/- प्रतिमाह
परामर्शदाता	ग्रेड पे रुपए 7,600/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 39,000/- प्रतिमाह
समन्वय	ग्रेड पे रुपए 6,600/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 33,000/- प्रतिमाह
एसोशिएट	ग्रेड पे रुपए 5,400/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 28,000/- प्रतिमाह
एसोशिएट	ग्रेड पे रुपए 4,800/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 22,000/- प्रतिमाह (दैनिक आधार पर रुपए 880/- प्रतिदिन, अधिकतम रुपए 22,000/- प्रतिमाह)
कनिष्ठ एसोशिएट	ग्रेड पे रुपए 4,600/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 20,000/- प्रतिमाह (दैनिक आ धार पर रुपए 700/- प्रतिदिन, अधिकतम रुपए 20,000/- प्रतिमाह)
कनिष्ठ एसोशिएट	ग्रेड पे रुपए 4,200/- में सेवानिवृत्त अधिकारी	रुपए 17,000/- प्रतिमाह (दैनिक आधार पर रुपए 650/- प्रतिदिन, अधिकतम रुपए 17,000/- प्रतिमाह)

अनुबंध-II(क)

दूरदर्शन/आकाशवाणी में संविदाबद्ध नियुक्ति के लिए संशोधित शुल्क संरचना

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	योग्यता	कार्य की प्रकृति	आरंभिक बेसिल दरें	प्रस्तावित समेकित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माणोत्तर सहायक ग्रेड-I	फिल्म और वीडियो संपादन में दो वर्ष के अनुभव के साथ व्यवसायी डिप्लोमा	क्रॉफ्ट वीडियो संपादन (गैर-लीनियर)	15000	25000

1	2	3	4	5	6
2.	निर्माणोत्तर सहायक ग्रेड-II	फिल्म और वीडियो संपादन में दो वर्ष के अनुभव के साथ व्यवसायी डिप्लोमा	वीडियो संपादन (लीनियर/नियमी)	10000	17000
3.	वरिष्ठ विषय-वस्तु प्रबंधक	पत्रकारिता/प्रस्तुति में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा साथ में दो वर्ष का अनुभव या कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा के साथ में वेबसाइट कार्य/प्रबंधन में चार वर्ष का अनुभव	वेबसाइट विषय-वस्तु का पर्यवेक्षण	20000	33000
4.	विषय-वस्तु प्रबंधक	पत्रकारिता/प्रस्तुति में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा साथ में दो वर्ष का अनुभव या कंप्यूटर अप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा के साथ में वेबसाइट कार्य/प्रबंधन में चार वर्ष का अनुभव	वेबसाइट विषय-वस्तु का पर्यवेक्षण	15000	25000
5.	विषय-वस्तु अधिशासी	पत्रकारिता/प्रस्तुति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा साथ में संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव	कहानी लेखन और सीमित प्रकाशन के अधिकार के साथ वेबसाइट के लिए अनुसंधान	12000	20000
6.	कनिष्ठ विषय-वस्तु अधिशासी	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	कहानी लेखन वेबसाइट के लिए अनुसंधान	1000	17000
7.	प्रशिक्षु (पैकेजिंग स्तर-I)	पत्रकारिता/जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	फील्ड रिपोटिंग और स्टोरी पैकेजिंग	10000	20000
8.	प्रसारण अधिशासी ग्रेड-I	स्नातक साथ में रेडियो/दूरदर्शन प्रस्तुति में व्यवसायी डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव	प्रस्तुति कार्यक्रम और साथ में लाइव प्रस्तुतियों के लिए पैनल प्रचालन संबंधी क्षमता	12000	17000
9.	प्रसारण अधिशासी ग्रेड-II	रेडियो/दूरदर्शन प्रस्तुति में डिप्लोमा	प्रस्तुति कार्यक्रम में सहायता करना और समन्वयन करना	10000	17000
10.	ग्राफिक कलाकार	व्यावसायिक ग्राफिक में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	2डी/3डी मॉडलिंग और सृजनात्मक प्रकृति के कंपोजीशन कार्य	10000	17000
11.	अनुसंधान सहायक	स्नातक साथ में जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा	कहानी निर्माण के लिए विशिष्ट अनुसंधान विषय में सहायता	10000	17000
12.	अभिलेखीय सहायक	स्नातक सहित पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/पत्रकारिता या स्नातक सहित संग्रहालय प्रणाली/पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव	अभिलेखीय यूनिट में प्रचालन और बुक-कीपिंग	10000	17000

1	2	3	4	5	6
13.	मेकअप सहायक	मेकअप में डिप्लोमा साथ में व्यावसायिक पार्लर में दो वर्ष का कार्य अनुभव	प्रतिभाओं/कलाकारों/एंकरों के लिए ग्रूमिंग और कार्यनिर्माण	8000	13000
14.	पुस्तकालय सहायक	स्नातक सहित पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या स्नातक साथ में कम्प्यूटरीकृत संग्रहालय प्रणाली में दो वर्ष का अनुभव	बुक-कीपिंग और मीडिया भंडारण का प्रबंधन	10000	17000
15.	लाइटमैन	सिनेमाट्रोग्राफी कोर्स साथ में कैमरा प्रचालन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव	फील्ड कैमरा प्रचालन में सहायता	7000	12000
16.	कैमरामैन ग्रेड-II	वीडियोग्राफी में डिप्लोमा साथ में एक वर्ष का अनुभव	स्टूडियो और फील्ड कैमरा प्रचालन	12000	20000
17.	कैमरामैन ग्रेड-III	वीडियोग्राफी में डिप्लोमा	स्टूडियो कैमरा प्रचालन	10000	17000
18.	सृजनात्मक संपादक	दूरदर्शन प्रस्तुति/ग्राफिक्स में डिप्लोमा/अच्छे संचार कौशल में तीन वर्ष का अनुभव	कौशलयुक्त व्यावसायी और सृजनात्मक प्रस्तुति में अनुभव और साथ में संचार कौशल का ज्ञान	25000	41000
19.	मार्केटिंग अधिशासी	एमबीए (मार्केटिंग या मार्केटिंग में स्नाकोत्तर डिप्लोमा और एक वर्ष का अनुभव वर्ष का अनुभव	मार्केटिंग और मीडिया समन्वय क्रेता	15000	25000
20.	विधायी सहायक	कानून में डिग्री। बार में तीन वर्षों का अनुभव या विधि मामलों ड्राफ्टिंग प्लेंट्स, उत्तर और अन्य विधि दस्तावेजों में प्रसिद्ध विधिकारी में या केन्द्र के विधि विभाग में तीन वर्ष का अनुभव	कानूनी मामलों का संचालन प्लेंट्स का ड्राफ्टिंग, उत्तर और अन्य विधायी दस्तावेज	12000	20000
21.	सृजनात्मक संपादक (ग्राफिक्स)	आवश्यक: संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिग्री/डिप्लोमा, सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी, आफ्टर, इफेक्ट्स, फोटोशॉप, 3डी मैक्स इत्यादि; मल्टीलेयर्ड गैर-लीनियर आदि, वीडियो प्रणाली, 3डी ग्राफिक्स संपादन आदि कार्य में प्रवीणता। व्यवासायिक प्रसारण कंपनी में उसी क्षमता में एक से दो वर्ष का अनुभव	ग्राफिक आवश्यकताओं के अनुसार दृश्यों का संपादन और ग्राफिक टेम्प्लेट्स और एनीमेशन का सृजन और डिजाइनिंग	25000	41000
22.	एंकर-सह-संवाददाता ग्रेड-I	स्नातक, संपादकीय मेधावी और लेखन और उच्चारण में आधिपत्य और उच्चारित भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं) और जोरदार संचार कुशलता। न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव	कार्यक्रमों की एंकरिंग और फील्ड रिपोर्टिंग	20000	33000

1	2	3	4	5	6
23.	एंकर-सह-संवाददाता ग्रेड-II	स्नातक, संपादकीय मेधावी और लेखन और उच्चारण में आधिपत्य और उच्चारित भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं) और जोरदार संचार कुशलता। न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव	कार्यक्रमों की एंकरिंग और फील्ड रिपोर्टिंग	15000	25000
24.	कॉपी संपादक	डिग्री से साथ स्नातक/पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव	समाचारों और अन्य कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट तैयार करना और संपादन करना।	20000	33000
25.	कॉपी राइटर ग्रेड-II	जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/संबंधित भाषा में पत्रकारिता में स्नातक, एक वर्ष का अनुभव	समाचारों और अन्य कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट तैयार करना और संपादन करना।	15000	25000
26.	प्रबंधक सार्वजनिक संपर्क	स्नातकोत्तर डिग्री जनसंपर्क में डिप्लोमा/ जनसंचार और पत्रकारिता साथ में मास मीडिया में पांच वर्ष का अनुभव	प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य प्रचार प्रबंधन के कार्यों के साथ सार्वजनक संबंध	41000	
27.	प्रसारण अधिशासी (तकनीकी ग्रेड-I)	इलैक्ट्रॉनिक्स/जनसंचार/इलेक्ट्रिकल/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी आदि में इंजीनियरी स्नातक	तकनीकी प्रसारण उपस्कर आदि के प्रचालन अनुरक्षण और पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य	25000	
28.	प्रसारण अधिशासी (तकनीकी ग्रेड-II)	इलैक्ट्रॉनिक्स/जनसंचार/इलेक्ट्रिकल/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी आदि में इंजीनियरी स्नातक	तकनीकी प्रसारण उपस्कर आदि के प्रचालन के रख-रखाव और मरम्मत से संबंधित कार्य	17000	
29.	मार्केटिंग अधिशासी ग्रेड-I	एमबीए मार्केटिंग/मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और साथ में चार वर्ष का अनुभव	मार्केटिंग और मीडिया ग्राहकों से समन्वय	35000	
30.	प्रोग्रामर	बीटेक/एमसीए और साथ में तीन वर्ष का अनुभव	सॉफ्टवेयर सपोर्ट और नए सोशल मीडिया पर विषय-वस्तु चैनल का तकनीकी एकीकरण	25000	
31.	वरिष्ठ प्रोग्रामर	बीटेक/एमसीए और साथ में पांच वर्ष का अनुभव	सॉफ्टवेयर सपोर्ट और नए सोशल मीडिया पर विषय-वस्तु चैनल का तकनीकी	30000	

1	2	3	4	5	6
			एकीकरण के मार्फत ऑफिस ऑटोमेशन का प्रबंध और योजना		
32.	स्क्रॉल सहायक	जनसंचार में डिग्री/पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और साथ में दो वर्ष का अनुभव (द्विभाषी कौशल)	ब्रेकिंग समाचारों/अद्यतन समाचारों/स्क्रॉल को अद्यतन करना	17000	
33.	स्क्रॉल पर्यवेक्षक	जनसंचार में डिग्री/पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और साथ में पांच वर्ष का अनुभव (द्विभाषी कौशल)	ब्रेकिंग समाचारों/अद्यतन समाचारों/स्क्रॉल को पर्यवेक्षण करना	25000	
34.	संपादकीय अधिशासी (आकाशवाणी समाचार)	पत्रकारिता/जनसंचार/में व्यावसायिक डिप्लोमा और साथ में संबद्ध क्षेत्र में कुछ अनुभव विशेष तौर पर रेडियो पत्रकारिता में। कंप्यूटर और संपादन टेबल के संचालन में बहुत अच्छा अनुभव	कहानियों का संपादन/पार्ट के साथ बुलेटिन्स का संकलन और साथ ही ध्वनि इनपुट	25000	
35.	संपादक आकाशवाणी समाचार	पत्रकारिता/जनसंचार/रेडियो एवं दूरदर्शन पत्रकारिता में डिप्लोमा और प्रसारण पत्रकारिता में अनुभव	समाचारों का संपादन और बुलेटिनों का संपादन	25000	
36.	समाचार इनपुट अधिशासी/संवाददाता (आकाशवाणी समाचार)	पत्रकारिता/जनसंचार/रेडियो एवं दूरदर्शन पत्रकारिता में डिप्लोमा और प्रसारण पत्रकारिता में अनुभव पत्रकारिता और रिपोर्टिंग कार्य के संचालन में अनुभव	समाचार एकत्रित करना और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारों के लिए रिपोर्ट करना	25000	
37.	समाचार रीडर सह अनुवादक (आकाशवाणी समाचार)	अंग्रेजी में स्नातकोत्तर अन्य भारतीय भाषाओं/विदेशी भाषाओं में स्नातक और निपुण जैसा कि पद के लिए अपेक्षित है।	जैसी भी स्थिति हो अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद	23000	
38.	इनटर्न (प्रत्येक श्रेणी)	पद के अनुभव के बिना न्यूनतम योग्यता	संबंधित श्रेणी में न्यूनतम पद	15000 से 20000 जो योग्यता और कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा	

आवधिक वृद्धि के लिए सूत्र:-

कुल परिलब्धि (नया महंगाई भत्ता)

= कुल परिलब्धि (पुराना महंगाई भत्ता) × [1+(नया महंगाई भत्ता % में 100)]/ [1+(पुराना महंगाई भत्ता % में/ 100)]

नोट: वर्तमान परिलब्धि महंगाई भत्ता आधार @ 65% की दर के आधार पर नियत किया जाता है।

अनुबंध-II(ख)

दूरदर्शन समाचार में अनुबंध के आधार पर सेवाएं लेने के लिए संशोधित शुल्क अनुलग्नक-IIक में ली गई श्रेणियों से इतर श्रेणियां

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	योग्यता	कार्य की प्रकृति	आरंभिक बेसिल दरें	प्रस्तावित समेकित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अतिथि समन्वयक, ग्रेड-1	जन संपर्क/पत्रकारिता में डिप्लोमा एवं सात साल का अनुभव	अतिथियों के साथ आयोजन/संपर्क, कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ समन्वय और प्रख्यात अतिथियों को आमंत्रण	25,000	41,000
2.	अतिथि समन्वयक, ग्रेड-2	जन संपर्क/पत्रकारिता में डिप्लोमा एवं तीन साल का अनुभव	कार्यक्रमों के प्रतिभागियों का समन्वय और प्रख्यात अतिथियों को आमंत्रित करना	15,000	25,000
3.	कनिष्ठ एसाइनमेंट समन्वयक	स्नातक डिग्री/जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा	घटनाओं से जुड़े संवाददाताओं की तैनाती में सहयोग/चैनल के लिए लाइव इनपुट की व्यवस्था करना	10,000	17,000
4.	एसाइनमेंट समन्वयक	स्नातक डिग्री/जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा एवं पांच वर्ष का अनुभव	कवरेज की अग्रिम तैयारी घटनाओं से जुड़े संवाददाताओं की तैनाती में सहयोग/चैनल के लिए लाइव इनपुट व्यवस्था करना	15,000	25,000
5.	वरिष्ठ एसाइनमेंट समन्वयक	स्नातक डिग्री/जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा एवं जनसंपर्क मीडिया आयोजन तथा समन्वय का 10 वर्ष का अनुभव	कवरेज के लिए विस्तृत अग्रिम आयोजन, घटनाओं से जुड़े संवाददाताओं की तैनाती में सहयोग/चैनल के लिए लाइव इनपुट व्यवस्था करना	25,000	41,000
			प्रसार भारतीय श्रेणी (गैर बेसिल)		
6.	बुलेटिन कॉपी संपादक	स्नातक डिग्री/जनसंचार/पत्रकारिता में स्नातकोत्तर एवं 10 वर्ष का अनुभव	समाचार बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों का सृजन और संपादन	25,000	41,000

1	2	3	4	5	6
7.	वरिष्ठ संवाददाता	पत्रकारिता/जनसंपर्क में डिप्लोमा/ रिपोर्टिंग का 10 वर्ष का अनुभव	फील्ड रिपोर्टिंग तथा समाचारों का प्रेषण एवं कार्यक्रम और डाक्यूमेंटरी का निर्माण	25,000	41,000
8.	संवाददाता	जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा/ रिपोर्टिंग में पांच वर्ष का अनुभव	फील्ड रिपोर्टिंग तथा समाचारों का प्रेषण एवं कार्यक्रम और डाक्यूमेंटरी का निर्माण	15,000	25,000
9.	कनिष्ठ संवाददाता	जनसंचार/पत्रकारिता में डिप्लोमा	फील्ड रिपोर्टिंग तथा समाचार प्रेषण	10,000	17,000
10.	एंकर शहर संवाददाता, ग्रेड-3	स्नातक, संपादकीय, बुद्धि तथा सुलझा व्यक्तित्व (हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा) में लिखने तथा बोलने में अधिकार, बोलने में दक्ष। कम से कम एक वर्ष का अनुभव या एक वर्ष का प्रशिक्षण	कार्यक्रमों का संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग	25,000 वर्ष 2009 में	33,500

अनुबंध-III

मसौदा प्रस्ताव-पत्र

सेवा में,

....

....

....

विषयः प्रसार भारती सचिवालय/आकाशवाणी महानिदेशालय/ दूरदर्शन महानिदेशालय कार्यालय में अनुबंध आधार (अंशकालिक).......... के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव

महोदय/महोदया

आपके परिचयात्मक विवरण(बायोडाटा), कार्य अनुभव और व्यक्तिगत चर्चा (जो भी लागू हो) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने प्रसार भारती कार्यालय/आकाशवाणी महानिदेशालय/दूरदर्शन महानिदेशालय (जैसा भी मामला हो) में आपको एक वर्ष के लिए .... के रूप में अनुबंधित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित अनुबंध की शर्तें और निबंधन नियमानुसार होंगे:

1. **अवधि**

अनुबंध कार्यग्रहण करने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए होगा। आगे न बढ़ाए जाने की स्थिति में यह अनुबंध स्वत: समाप्त हो जाएगा।

2. **पारिश्रमिक**

रुपए .... प्रतिमाह समेकित। इसके अतिरिक्त आपको कोई भत्ता देय नहीं होगा।

3. **कार्य की प्रकृति**

(हर मामले में अलग निर्धारित किया जाएगा।)

4. **कार्य-घंटे**

पूर्णकालिक नियुक्त कर्मियों को आधे घंटे के भोजन अवकाश सहित रोजाना साढ़े आठ घंटे कार्य करना होगा। शिफ्ट ड्यूटी के लिए नियुक्त कर्मियों के मामले में कार्य घंटों का निर्धारण नियंत्रण अधिकारी अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आपको कार्य की आवश्यकता की स्थिति में विशेष परिस्थिति में निर्धारित घंटों के अतिरिक्त भी कार्य करना पड़ सकता है। अधिकारिक छुट्टी के दिन किए गए कार्य के बदले आपको प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा।

5. **निरीक्षण और नियंत्रण**

आपके कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण .... करेंगे और आपको इन्हें रिपोर्ट करना होगा।

6. **छुट्टी की पात्रता**

पूर्णकालिक नियुक्त कर्मियों के मामले में सभी प्रकार की कुल छुट्टियां एक वर्ष में 30 दिन से अधिक या अनुबंध नियुक्ति की अवधि पर आधारित यथानुपात आधार से अधिक नहीं होंगी।

7. **नियमों की प्रयोजनीयता**

अनुशासन और व्यवहार आदि सेवा के सभी मामलों में आपकी प्रयोजनीयता प्रसार भारती में लागू नियम और शर्तों के अनुसार होगी।

8. **अनुबंध की समाप्ति**

अनुबंध बिना कोई कारण बताए किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के पूर्व नोटिस अथवा एक माह के वेतन भुगतान पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

9. आपको प्रसार भारती में किसी भी परिस्थिति में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से अनुबंध बढ़ाने या नियमित नियुक्त करने का दावा नहीं कर सकते या ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

10. इस कार्य को पूरा करने के लिए या कार्यग्रहण करने के लिए किसी तरह का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। अधिकारिक कार्य के सिलसिले में मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में आपको प्रसार भारती में सेवारत समकक्ष अधिकारी पर लागू यात्रा और महंगाई भत्ते के लिए लागू नियम और मानदंड ही लागू होंगे (सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी को यदि अनुबंधित किया जाता है तो उसे उसके सेवा निवृत्ति के समय मिलने वाले अधिकारिक यात्रा के दौरान प्राप्य यात्रा और महंगाई भत्ते के बराबर धनराशि दी जाएगी)।

भवदीय

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना

1288. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंध में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद मध्य प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत हर राज्य में कुल कितनी राशि व्यय हुई;

(घ) क्या सरकार आने वाले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु किसी नई योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

ग्लोबल वार्मिंग

1289. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए या किए जाने के विचार हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) 1902-2012 की अवधि के लिए, मध्यम तापमान असंगतियों में स्थानिक पैटर्न की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि, देश के कई भागों के ऊपर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक (वृद्धि) प्रवृति (0.10 से के कुछ भू संचायिकों के साथ सामान्य रूप से 0.50 से) दिखाई देती है सिवाय राजस्थान, गुजरात और बिहार के कुछ भागों में, जहां महत्त्वपूर्ण रूप से नकरात्मक (कमी) प्रवृति दिखाई देती है। ग्रीष्म मानसून ऋतु में उच्च पैमाने पर सूखा अथवा बाढ़ की आवृतियों में महत्त्वपूर्ण दीर्घ अवधि प्रवृतियां रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) सरकार ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) जलवायु परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में अंतर विधात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे में, पूर्ण रूप से सज्जित अत्याधुनिक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (सीसीजीआर) के साथ वैश्विक और प्रादेशिक जलवायु

परिवर्तन (जीआरसीसी) से जुड़े विज्ञान मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम शुरू किया गया है।

युग्मित समुद्र-वायुमंडलीय मॉडल में अतिरिक्त समुद्री जैवभूरसायनविज्ञान मॉडयूल निर्मित करने के लिए पृथ्वी प्रणाली मॉडल (ईएसएम) का विकास किया जा रहा है तथा जलवायु परिवर्तन पर पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए ईएसएम उपयोग के लिए संख्यात्मक प्रयोग किए जा रहे है। परिवर्तनीय ग्रिड (जूम) सामान्य परिसंचरण मॉडल, डब्ल्यूआरएफ और आरईजीसीएम मॉडलों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक पैमाने जलवायु डाउनस्केलिंग शुरू की गई।

वर्तमान में, सीसीसीआर विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के विश्व जनवायु अनुसंधान कार्यक्रम (डब्ल्यूसीआरपी) के तत्वावधान में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए "समन्वित प्रादेशिक डानस्केलिंग प्रयोग (कोरडेक्स)" का नेतृत्व कर रहा है। कोरडेक्स कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से भूत और भविष्य दशकों दोनों के लिए डाउनस्केल प्रादेशिक जलवायु अनुरूपण के समन्वित सेट के लिए एक महत्त्वपूर्ण ढांचा उपलब्ध करवाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रयोक्ताओं, पर्णधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

(ii) जलवायु परिवर्तन पर बनी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, एक स्थायी संस्थागत क्रियाविधि स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है जो कि विकास और समन्वय भूमिका निभाएगी।

(iii) 30 जून, 2008 को प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर बनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की।

(iv) राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, धारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिप्रणाली की धारणीयता, हरित भारत, धारणीय कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठों मिशनों को रेखांकित किया गया है। यह आठों राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय कार्य योजना के केन्द्र बिन्दु हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली बहु प्रवण, दीर्घ अवधि और एकीकृत नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[अनुवाद]

मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार

1290. डॉ. संजीव गणेश नाईक :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (एमटीआरसी) का कवरेज देने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमटीआरसी द्वारा पहले से किए गए कुल कवरेज/अनुमानित कवरेज का ब्यौरा क्या है तथा इसके पूरा होने की अवधि क्या है;

(ग) अभी तक एमटीआरसी पर किया गया कुल व्यय कितना है तथा एमटीआरसी के और विस्तार के लिए कितनी निधि की आवश्यकता है; और

(घ) रेलवे और यात्रियों की संरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां। विजन 2020 की कार्य योजना और उच्च स्तरीय संरक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क के 65000 मार्ग किलोमीटर में से कुल 20,000 मार्ग किलोमीटर भारतीय रेल के सभी 'ए', 'बी' एवं 'सी' मार्गों पर मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार उपलब्ध कराया जाना है।

(ख) 31.03.2013 को 2074 मार्ग किलोमीटर मोबाइल गाड़ी रेडियो संचार प्रणाली उपलब्ध कराई गई है और 2426 मार्ग किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है जो धन की उपलब्धता के अध्ययधीन है तथा कुछ वर्षों में पूरा होने की आशा है।

(ग) मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार परियोजनाओं पर अभी तक 205.94 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया है और शेष 'ए', 'बी' एवं 'सी' मार्गों के लिए 11000 करोड़ रुपए (लगभग) की आवश्यकता है।

(घ) भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा संरक्षा में वृद्धि किए जाने के सतत आधार पर हरसंभव कदम उठाए जाते हैं, इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के अपग्रेडेशन, संरक्षा अभियान तथा संरक्षा पद्धतियों का अनुपालन करने के लिए कर्मचारियों पर निगरानी तथा शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल है, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए की जा रही अन्य उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी), आनुषंगिक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), ट्रेन कॉलिजन एवैडेन्स सिस्टम/टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

योजनाओं का क्रियान्वयन

1291. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त की रोकथाम हेतु समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय के नामक निगरानी तंत्र की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त के लिए तैयार किए गए फ्रेमवर्क का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निधियों के दुर्विनियोजन/निधियों का अन्यत्र उपयोग, परियोजनाओं के पूरे होने में देरी तथा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के गैर अनुपालन के संबंध में देश के विभिन्न भागों से शिकायतें प्राप्त की हैं। चूंकि योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, सभी प्राप्त की गई शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को नियमों के अनुसार जांच करने सहित उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क (सीईएनईटी) नामक संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु एक संकल्प के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय को अधिसूचित किया है। समवर्ती मूलयांकन नेटवर्क (सीईएनईटी) में एक ऐसा पैनल सम्मिलित है जिसे पारदर्शी एवं सुदृढ़ चयन प्रक्रिया अपनाते हुए, जाने-माने स्वतंत्र अनुसंधान/अन्य संस्थाओं का चयन कर बनाया गया है।

[अनुवाद]

जैन समिति

1292. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीश जैन समिति और कृष्णामूर्ति समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एनएए) तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आईएएआई) के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता (इंटर से सीनियोरिटी) का निर्धारण और नियत करने के लिए भारत सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी।

(ग) उक्त समिति की निबंधन एवं संदर्भ इस प्रकार हैं: "परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों एवं मानदंडों की स्थापना के पश्चात् समिति विभिन्न संवर्गों के सभी कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण करेगी तथा 15 दिनों की अवधि के भीतर वरिष्ठता क्रम में कर्मचारियों की संवर्गवार एकल तथा एकीकृत अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करेगी। इसके पश्चात, संवर्गवार यह वरिष्ठता सूची नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर प्रर्दर्शित/प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों को उनकी वैयक्तिक आपत्तियां, यदि कोई हों, समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा और समिति अगले 15 दिनों के भीतर इन आपत्तियों को दूर करेगी तथा संवर्गवार वरिष्ठता की अंतिम सूची प्रकाशित करेगी।"

(घ) जी, हां।

(ङ) उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वरिष्ठता के विलय के लिए सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं और दिनांक 01.08.2009 से विलय की सिफारिश की है। तथापि, भारत सरकार ने कृष्णामूर्ति समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों से संबंधित वरिष्ठता दिनांक 01.02.2005 से विलयित करने का निर्णय लिया है, अर्थात उस तिथि से जिस तिथि को सामान्य भर्ती एवं पदोन्नति नियम कार्यान्वित किए गए थे। तदनुसार, सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता 01.02.2005 से विलयित की गई है।

[हिन्दी]

मौसम पूर्वानुमान

1293. श्री सतपाल महाराज : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मानसून, चक्रवात तथा भूंकप और बाढ़ के संबंध में मौसम का सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने (क) विस्तारित अवधि से ऋतुनिष्ठ समय पैमाने (16 दिनों से एक ऋतु) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान तथा (ख) अल्प से मध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा तथा खराब मौसम की घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान के लिए एक अत्याधुनिक युग्मित महासागर-वायुमंडलीय जलवायु मॉडल बनाने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया है। इन प्रयासों से, भारतीय क्षेत्र पर सभी स्थानिक और समय पैमानों पर मानसून वर्षा के और अधिक परिशुद्ध पूर्वानुमान के लिए एक समुचित गतिकीय पूर्वानुमान प्रणाली को कार्यान्वित किया जाएगा। इस उन्नत प्रणाली से हमें अधिक परिशुद्ध लघु अवधि पूर्वानुमान (3 दिनों तक) तथा मानसून ऋतु के दौरान अग्रिम ही विषम मौसमी घटनाओं जैसे भारी वर्षा की घटनाओं, सक्रिय (भारी) और विराम (कमजोर) दौर के लिए चेतावनियां तथा संपूर्ण-भारत मानसून वर्षा के लिए और अधिक परिशुद्ध ऋतुकालिक पूर्वानुमान जारी करने में मदद मिलेगी।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आधुनिकीकरण के तहत उच्च कार्य-निष्पादन कम्प्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली को चालू करने के पश्चात मॉडनों के उन्नत पूर्वानुमान सूइट के प्रचालनात्मक कार्यान्वयन ने वैश्विक रूप से 22 किमी. तथा भारतीय/क्षेत्रीय/महानगरीय क्षेत्रों पर 9 किमी./3किमी. ग्रिड पर पूर्वानुमानों उत्पादों के उत्पादन के लिए उपलब्ध समस्त वैश्विक उपग्रह रेडियंस डेटा के सम्मिश्रण के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ा दिया है। जहां तक उष्णदेशीय चक्रवात के पथ तथा तट से टकराने के पूर्वानुमानों का संबंध है, विगत 5-7 वर्षों की अवधि के अद्यतन वैश्विक/मेसो-स्केल पूर्वानुमान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन ने पूर्वानुमान कौशल में परिमाणात्मक रूप से लगभग 18% की बढ़ोतरी दर्शाई है।

जैसे ही चक्रवात तंत्र डॉप्लर मौसम रेडार की निगरानी के 500 किमी. के दायरे में आता है, उसी समय क्रोड़ चक्रवात क्षेत्र के भीतर सशक्त पवन क्षेत्रों तथा भारी वर्षा के पॉकेटों की पहचान की जाती है तथा उनके तीव्र परिवर्तनों को नियमित आधार पर मॉनीटर किया जाता है। आईएमडी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के मौसम की सतत निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) तथा स्वाचालित वर्षोमापियों (एआरजी) के एक नेटवर्क के साथ-साथ पूर्वी तट पर चेन्नै, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता, श्रीहरिकोटा में 5 डॉपलर मौसम रेडार प्रचालित करता है।

भूकंपों के पूर्वानुमान/पूर्व चेतावनी हेतु विश्व में कहीं भी कोई साबित वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। फिर भी, महत्त्वपूर्ण भूकंपीटक्टोनिक क्षेत्रों में विभिन्न भूकंपीय पूर्वसंकेत परिघटनाओं को मॉनीटर तथा अध्ययन करने के लिए भारत सहित विश्व भर में नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं जो कि न केवल भूकंप सृजन की प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ाने में सहायक होंगे बल्कि इससे संभावित भूकंप के पूर्व संकेतकों की पहचान का मार्ग प्रशस्त होगा, जो कि भविष्य में संभावित पूर्वानुमानकर्त्ता के रूप में काम आ सकते हैं। इसके एक भाग के रूप में, देश में व्यापक तौर पर एक महत्त्वपूर्ण सीस्मोटेक्टोनिक पर्यावरणों में बहुत सारी भूकंप पूर्व संकेतक परिघटनाओं के सृजन, सम्मिश्रण तथा विश्लेषण के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए एक बहु-संस्थागत तथा बहु-अनुशासनात्मक क्रियाविधि के माध्यम से भूकंप के पूर्व संकेतकों पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईपी) प्रारंभ किया गया है। ईएसएसओ के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने चालू भूकंप सृजन प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय कोयना-वरना क्षेत्र में गहरे बोरहोल के वेधन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भूकंपीय रूप से सक्रिय कोयना क्षेत्र में जारी वैज्ञानिक गहरे बोरछिद्र अन्वेषणों से भ्रंशन की प्रक्रिया, भूकंप जनित जलाशयों की भौतिकी को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक अद्धितीय अवसर प्राप्त होगा तथा ज्यादा वांछित डेटा उपलब्ध कराने तथा भूकंप जोखिम मूल्यांकन तथा भविष्य में भूकंप पूर्वानुमान हेतु मॉडल विकसित करने में मदद मिलेगी।

जल संसाधन मंत्रालय का केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने हेतु नोडल एजेन्सी है। तथापि, ईएसएसओ-आईएमडी द्वारा अपने 10 समर्पित बाढ़ मौसम कार्यालयों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण मौसम-वैज्ञानिक इनपुट उपलब्ध कराए जाते हैं। आईएमडी केन्द्रीय जल आयोग को नियमित रूप से वास्तविक-समय मौसम स्थिति, उप-जलग्रहवार वर्षा का स्थानिक तथा तीव्रता वितरण, परिमाणात्मक वर्षा पूर्वानुमान (क्यूपीएफ), भारी वर्षा की चेतावनी, स्टेशनवार महत्त्वपूर्ण वर्षा की मात्रा इत्यादि सहित इनपुट उपलब्ध कराता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी और एनएचपीसी विद्युत संयंत्र

1294. श्री तूफानी सरोज : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) और नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की विद्युत उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा है तथा इनकी इकाई और राज्य-वार अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये इकाइयां गत कुछ वर्षों के दौरान अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो 2012-13 के दौरान इन इकाइयों द्वारा उत्पादित विद्युत का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) तथा नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की विद्युत उत्पादन यूनिटों का यूनिट तथा राज्य-वार विवरण उनकी संस्थापित उत्पादन क्षमता सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

संस्थापित क्षमता की तुलना में, किसी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन कई कारकों के साथ-साथ नियोजित शट-डाउन, ईंधन की गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा आदि पर निर्भर होती है। वर्ष 2012-13 के दौरान एनटीपीसी तथा एनएचपीसी की यूनिटों से उत्पादित विद्युत का विवरण अनुबंध की सारणी के कालम 5 में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के लिए एनटीपीसी और एनपीचीसी के स्टेशनों की यूनिट और राज्य-वार संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन

स्टेशन	यूनिट संख्या	मेगावाट (क्षमता)	राज्य	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4	5
एनटीपीसी को दिए गए प्रोजेक्ट्स				
बदरपुर टीपीएस	1	95	दिल्ली	530.84
	2	95		572.33
	3	95		504.55
	4	210		1514.3
	5	210		1433.62
फरीदाबाद सीसीपीपी	1	137.76	हरियाणा	787.87
	2	137.76		769.66
	3	156.07		845.32
अंता सीसीपीपी	1	88.71	राजस्थान	410.59
	2	88.71		550.12
	3	88.71		411.14
	4	153.2		804.6
सिंगरौली एसटीपीएस	1	200	उत्तर प्रदेश	1650.35
	2	200		1775.82
	3	200		1774.2

1	2	3	4	5
	4	200		1752.13
	5	200		1822.23
	6	500		3724.75
	7	500		3694.52
रिहंद एसटीपीएस	1	500		3269.99
	2	500		3680.13
	3	500		4238.93
	4	500		4272.96
	5	500		955.71
	6	500		0
ऊंचाहार टीपीएस	1	210		1751.45
	2	210		1658.11
	3	210		1636.43
	4	210		1767.65
	5	210		1714.04
दादरी (एनसीटीपीपी)	1	210		1560'.29
	2	210		1527.52
	3	210		1639.36
	4	210		1636.23
	5	490		3298.81
	6	490		3431.52
टांडा टीपीएस	1	110		951.21
	2	110		748.36
	3	110		837.3
	4	110		685.95
औरेया सीसीपीपी	1	111.19	उत्तर प्रदेश	328.23
	2	111.19		473.95

1	2	3	4	5
	3	111.19		388.77
	4	111.19		526.38
	5	109.3		539.95
	6	109.3		517.54
दादरी सीसीपीपी	1	130.19		768.83
	2	130.19		734.73
	3	130.19		841.53
	4	130.19		687.41
	5	154.51		641.12
	6	154.51		743.96
कवास सीसीपीपी	1	106	गुजरात	284.39
	2	106		407.91
	3	106		392.73
	4	106		561.92
	5	116.1		586.83
	6	116.1		667.21
गांधार सीसीपीपी	1	144.3		545.72
	2	144.3		886.36
	3	144.3		839.94
	4	224.49		1206.58
कोरबा एसटीपीएस	1	200	छत्तीसगढ़	1749.82
	2	200		1707.76
	3	200		1582.3
	4	500		3978.2
	5	500		3677.18
	6	500		3745.77
	7	500		4081.96

1	2	3	4	5
सिंपत एसटीपीएस	1	660		4191.31
	2	660		4468.26
	3	660		2922.59
	4	500		3458.92
	5	500		3449.34
विंध्याचल एसटीपीएस	1	210	मध्य प्रदेश	1746.66
	2	210		1650.06
	3	210		1582.93
	4	210		1671.28
	5	210		1691.14
	6	210		1658.97
	7	500		4053.27
	8	500		3801.81
	9	500		3920.89
	10	500		4228.05
	11	500		128.48
	12	500		0.36
मौदा टीपीएस	1	500	महाराष्ट्र	12.33
	2	500		1.02
रामागुंडम एसटीपीएस	1	200	आंध्र प्रदेश	1682.56
	2	200		1711.64
	3	200		1464.96
	4	500		4297.36
	5	500		3799.96
	6	500		4025.99
	7	500		3802.83
सिम्हाद्री एसटीपीएस	1	500		3589.47
	2	500		4117.03

1	2	3	4	5
	3	500		3323.15
	4	500		1661.51
आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	1	115.2	केरल	454.74
	2	115.2		531.79
	3	129.18		562.12
कहलगांव टीपीएस	1	210	बिहार	1478.58
	2	210		1413.68
	3	210		1412.32
	4	210		1499.17
	5	500		2884.73
	6	500		3302.56
	7	500		2716.41
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	1	62.5	ओडिशा	523.47
	2	62.5		525.64
	3	62.5		505.87
	4	62.5		526.05
	5	110		906.28
	6	110		892.01
तालचेर एसटीपीएस	1	500		3712.89
	2	500		3406.87
	3	500		3827.3
	4	500		3665.81
	5	500		3493.19
	6	500		3340.17
फरक्का एसटीपीएस	1	200	पश्चिम बंगाल	1216.45
	2	200		1305.77
	3	200		1145.98

1	2	3	4	5
	4	500		3013.62
	5	500		2345.98
	6	500		2605.35
एनएचपीसी को दी गई				
बैरा सिउल एचपीएस	1	66	हिमाचल प्रदेश	242.23
	2	66		251.75
	3	66		227.36
चमेरा-I एचपीएस	1	180	हिमाचल प्रदेश	833.45
	2	180		711.1
	3	180		897.82
चमेरा-II एचपीएस	1	100		447.6
	2	100		507.99
	3	100		477.7
चमेरा-III एचपीएस	1	77		199.04
	2	77		254.46
	3	77		262.79
सलल एचपीएस	1	115	जम्मू और कश्मीर	460.36
	2	115		595.16
	3	115		687.57
	4	115		444.15
	5	115		436.37
	6	115		653
उरी-I एचपीएस	1	120		830.29
	2	120		824.7
	3	120		630.36
	4	120		681.59

1	2	3	4	5
दुलहस्ती एचपीएस	1	130		660.49
	2	130		694.19
	3	130		688.75
सेवा-I एचपीएस	1	40		76.78
	2	40		205.09
	3	40		202.4
चूटक एचपीएस	1	11		0.96
	2	11		7.94
	3	11		4.85
	4	11		0.81
टनकपुर एचपीएस	1	31.4	उत्तराखंड	175.73
	2	31.4		175.73
	3	31.4		129.37
धौलीगंगा एचपीएस	1	70		276.06
	2	70		268.17
	3	70		324.06
	4	70		268.36
तीस्ता-V एचपीएस	1	170	सिक्किम	815.3
	2	170		809.76
	3	170		643.34
रंगित एचपीएस	1	20		103.84
	2	20		115.67
	3	20		108.59
लोकटक एचपीएस	1	35	मणिपुर	196.02
	2	35		179.88
	3	35		204.51

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम से छूट

1295. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा शुरू की गई घाटे में चलने वाले बैंकों के बलात विलय हेतु प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम से पूर्णरूपेण छूट के लिए उक्त बैंक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय बैंक ने प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 5 से 6 के अंतर्गत छूट मांगी थी जिसमें विलय से पहले सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या आरबीआई ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अन्य बैंकों से बलात विलय हेतु इस धारा को लागू किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 08.01.2013 की अधिसूचना द्वारा पहले ही प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों से एक बैंकिंग कंपनी को छूट प्रदान की है, जिसके संबंध में अन्य बैंकिंग संस्थानों के साथ इसके समामेलन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। ये प्रावधान अधिग्रहण, समामेलन और विलय को विनियमित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं।

(ङ) और (च) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ समामेलन 14 अगस्त, 2004 से हुआ है जब अधिग्रहण, समामेलन और विलयों से संबंधित प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 5 और 6 लागू नहीं थीं। ये धाराएं 01 जून, 2011 से ही लागू हुई हैं।

[अनुवाद]

पानी का विवेकपूर्ण उपयोग

1296. श्री नलिन कुमार कटील : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कर्नाटक सहित सभी राज्यों को आवंटित और जारी निधियां कितनी हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित विभिन्न कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के माध्यम से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) के तहत किसानों के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूली परीक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता मुहैया करता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम, जो कि प्रशिक्षण घटक को भी शामिल करता है, के तहत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत जारी राज्य-वार केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11 (लाख रुपए में)	2011-12 (लाख रुपए में)	2012-13 (लाख रुपए में)	2013-14 (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	56.39	168.84	0.00
3.	असम	40.98	0.00	269.48	0.00
4.	बिहार	226.00	2943.86	3000.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	8285.09	1392.17	2000.00	0.00
6.	गोवा	80.56	6.42	178.85	0.00
7.	गुजरात	893.86	682.00	1791.50	0.00
8.	हरियाणा	4767.24	5800.62	5515.26	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2250.19	2005.52	3156.69	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	5341.51	5308.00	3952.92	0.00
13.	केरल	106.25	418.08	28.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	1000.00	5510.11	2257.71	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	2148.27	409.25	0.00
16.	मणिपुर	1200.00	927.02	775.42	0.00
17.	मेघालय	25.52	0.00	0.00	0.00
18.	मिज़ोरम	0.00	13.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	15.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	3563.07	3102.85	2341.79	0.00
21.	पंजाब	6000.00	3000.00	0.00	8131.17
22.	राजस्थान	0.00	2244.07	1744.41	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1500.00	2999.82	1030.82	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	7000.00	10000.00	7597.79	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	690.95	0.00	0.00	0.00
	कुल	45640.31	48573.20	36518.73	8131.17

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

1297. श्री पी.सी. मोहन :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी को बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निधि को सीधे पंचायत को देने की जगह सरकार की कुछ एजेन्सियों के माध्यम से देने का है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी और मुद्रास्फीति की दर के बीच कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) योजना के अंतर्गत आज तक कितनी बार मजदूरी में वृद्धि की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दिवस को भी बढ़ाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित पैनल को समाप्त कर दिया है और मनरेगा के कामगारों के लिए नया मजदूरी सूचकांक तैयार करने हेतु उनके स्थान पर नई समिति गठित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या नई समिति से यह कहा गया है कि वह मुद्रास्फीति संघटक के संबद्ध मजदूरी सूचकांक कारकों की समीक्षा करें तथा 2014 और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्षों में आधार सूचकांक के निर्धारण के तरीके विकसित करें तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी दरों को अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन अधिसूचित किया जाता है। मनरेगा कामगारों की मजदूरी को महंगाई के विपरीत संरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) में कीमतों की बढ़ोतरी के आधार पर मनरेगा मजदूरी दरों में वार्षिक रूप से वृद्धि करती है। योजना के प्रारंभ से, मनरेगा मजदूरी दरों में 5 मुख्य अधिसूचनाओं तथा तत्संबंधी में संशोधनों के माध्यम से वृद्धि की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मनरेगा कामगारों को मजदूरी बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से दी जानी सुनिश्चित की गई है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर बायोमैट्रिक सुविधा का प्रयोग करते हुए मजदूरी के संवितरण के मामले को बैंकों/डाक विभाग के साथ उठाया गया है।

(च) और (छ) जी नहीं, महोदया। राज्य की आवश्यकताओं और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विशेष परिस्थितियों, जैसे प्राकृतिक आपदाओं और सूखा की स्थितियों के मामलों में मनरेगा के अंतर्गत श्रम दिवस बढ़ाने हेतु विचार किया जाता है।

(ज) और (झ) मनरेगा मजदूरी दरों के लिए पृथक सूचकांक का सृजन करने हेतु ढांचा तैयार करने के संबंध में प्रक्रिया विधि विकसित करने के लिए भारत सरकार ने डॉ. प्रणव सेन भारत के तत्कालीन मुख्य सांख्यिकीयविद और सचिव (सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) की अध्यक्षता में पूर्व में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसके बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.10.2013 को प्रोफेसर एस. महेन्द्रा देव, निदेशक (उप कुलपति) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई की अध्यक्षता में (i) मजदूरी दरों को महंगाई के विपरीत संरक्षित करते हुए प्रत्येक वर्ष मनरेगा मजदूरी दरों में वृद्धि करने के लिए एक उपयुक्त सूचकांक तथा (ii) 2014 में तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों में बेसलाइन पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया पर सुझाव देने हेतु एक नई समिति का गठन किया गया।

[अनुवाद]

क्रू प्रबंधन प्रणाली

1298. श्री प्रदीप माझी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने नई क्रू प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई प्रणाली किस स्तर तक पारदर्शी होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। एअर इंडिया ने शियोरे डिजिटल सिस्टम द्वारा एआरएमएस (एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) नाम का नई क्रू प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है। वाईड बॉडी (डब्ल्यूबी) और नेरो बॉडी (एनबी) के केबिन क्रू के लिए ऑटो रोस्टर परीक्षण क्रमश: नवंबर/दिसंबर, 2012 एवं जनवरी, 2013 में आरंभ हो गए हैं। वाईड बॉडी (डब्ल्यूबी) एवं नैरो बॉडी (एनबी) के लिए पूर्ण ऑटो रोस्टर क्रमश: फरवरी और मई, 2013 में कार्यान्वित किया गया था।

(ग) नई प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) रोस्टर केवल एआरएमएस क्रू पोर्टल पर प्रकाशित होता है; जबकि क्रू को अपनी ड्यूटीज/संस्वीकृत छुट्टी/कंपनी परिपत्रों/नागर विमानन महानिदेशालय के परिपत्रों को देखने के लिए लॉग-इन करना पड़ता है;

(ii) सभी छुट्टी के आवेदन क्रू-पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं;

(iii) प्रणाली केवन नागर विमानन महानिदेशालय की नियमावली के अनुसार बनाई गई है;

(iv) 6 से 12 महीने की अवधि से अधिक उड़ान घंटों की जानकारी देती है;

(v) 6 से 12 महीने की अवधि से अधिक सेक्टर्स/ट्रिप्स के वितरण की जानकारी देती है;

(vi) ड्यूटियों का स्वत: निर्धारण;

(vii) क्रू-लीव की ट्रैकिंग;

(viii) ऑफिस ड्यूटीज/अन्य ड्यूटीज की ट्रैकिंग;

(ix) क्रू प्रशिक्षण की प्लानिंग और ट्रैकिंग;

(x) एसएमएस/ई-मेल द्वारा क्रू को दी गई ड्यूटीज में बदलाव; और

(xi) एआरएमएस के माध्यम से उड़ान के पश्चात पायलट सेक्टर रिपोर्ट का अद्यतन।

(घ) यह प्रणाली पूर्णत: पारदर्शी है क्योंकि प्रत्येक प्रविष्टि और प्रत्येक प्रयोगकर्त्ता की पहचान की जा सकती है।

[हिन्दी]

ग्राम विद्युतीकरण

1299. श्री हरीश चौधरी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या मानदंड हैं तथा क्या ये अपर्याप्त हैं क्योंकि यह लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मानदंड में संशोधन करने के लिए यदि कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक गांव को तभी विद्युतीकृत घोषित करने का है जब ऐसे गांव में विशिष्ट प्रकार से बिजली प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में विद्युतीकरण के लिए अभी भी बचे गांवों का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान देश में गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) वर्ष 2004-05 से प्रभावी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) दिशा निर्देशों के अनुसार, गांव विद्युतीकृत माना जाता है यदि:—

(i) आवासीय क्षेत्र और दलित बस्ती/पुरवे जहां ये मौजूद हैं, में मूलभूत संरचनाएं जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि को बिजली उपलब्ध कराई जाती है; और

(iii) विद्युतकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या कम से कम 10% होनी चाहिए।

(ङ) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 648 परियोजनाएं (10वीं योजना

के दौरान 235 परियोजनाएं, 11वीं योजना के दौरान 341 परियोजनाएं और 11वीं योजना के चरण-II के दौरान 72 परियोजनाएं) संस्वीकृत की गई थीं जिनमें देश में 1,12,225 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) का विद्युतीकरण और 3,83,372 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) का गहन विद्युतीकरण शामिल था। संचयी रूप से दिनांक 15.11.2013 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 1,07,752 यूई गांवों, 3,03,406 पीई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यूई गांवों और पीई गांवों की राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि संलग्न विवरण-I पर है।

648 परियोजनाओं के अतिरिक्त, 93 यूई गांवों और 28576 पीई गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 39 परियोजनाएं (5-मध्य प्रदेश, 6-उत्तर प्रदेश और 28 राजस्थान) संस्वीकृत की गई हैं।

जिला जैसलमेर और बाड़मेर की आरजीजीवीवाई परियोजनाएं क्रमश: 22.02.2006 और 27.05.2009 को संस्वीकृत की गई थीं। दिनांक 15.11.2013 की स्थिति के अनुसार, जैसलमेर और बाडमेर जिलों के संबंध में यूई गांवों और पीई गांवों की कवरेज और उपलब्धि निम्नानुसार है:—

जिला	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव	
	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
जैसलमेर (10वीं योजना)	98	98 (100%)	348	322 (93%)
बाडमेर (10वीं योजना)	647	647 (100%)	1200	1200 (100%)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 24.09.2013 को 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जिला जैसलमेर के लिए एक परियोजना भी संस्वीकृत की गई है जिसमें 171.93 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 543 पीई गांवों का विद्युतीकरण शामिल है।

चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांव के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों और आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि

15.11.2013 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव	
		कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	26628	26628
2.	अरुणाचल प्रदेश	2081	1855	1526	1134
3.	असम	8241	8069	12907	12502
4.	बिहार	24295	22917	18639	5373
5.	छत्तीसगढ़	1736	1143	16099	13102
6.	गुजरात	0	0	16350	16280
7.	हरियाणा	0	0	6593	4676
8.	हिमाचल प्रदेश	95	83	12734	10534
9.	जम्मू और कश्मीर	234	192	3247	3018
10.	झारखंड	18747	18117	6099	5758

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	62	62	25349	24740
12.	केरल	0	0	1272	473
13.	मध्य प्रदेश	886	627	49327	26593
14.	महाराष्ट्र	0	0	41921	36763
15.	मणिपुर	882	616	1378	585
16.	मेघालय	1866	1705	3239	2484
17.	मिज़ोरम	137	109	570	346
18.	नागालैंड	105	91	1169	1078
19.	ओडिशा	14728	14397	29329	25742
20.	पंजाब	0	0	6580	6030
21.	राजस्थान	4237	4155	34449	33422
22.	सिक्किम	25	25	413	383
23.	तमिलनाडु	0	0	10402	9673
24.	त्रिपुरा	148	143	658	623
25.	उत्तर प्रदेश	28006	27750	22973	2982
26.	उत्तराखंड	1512	1511	9263	9221
27.	पश्चिम बंगाल	4202	4185	24258	23263
	कुल	112225	107752	383372	303406

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि (15.11.2013 के अनुसार)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	406	155
2.	असम	219	50
3.	बिहार	826	187
4.	छत्तीसगढ़	525	72
5.	हिमाचल प्रदेश	12	0
6.	जम्मू और कश्मीर	61	16
7.	झारखंड	362	31
8.	मध्य प्रदेश	45	31
9.	मणिपुर	264	0

1	2	3	4
10.	मेघालय	212	51
11.	मिज़ोरम	43	15
12.	नागालैंड	17	3
13.	ओडिशा	204	52
14.	राजस्थान	99	18
15.	त्रिपुरा	1	0
16.	पश्चिम बंगाल	4	0
	कुल	3300	681

पेयजल

1300. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री रतन सिंह :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जनप्रतिनिधियों से राज्य सरकारों को पेयजल की आपूर्ति कराने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को अग्रेषित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से उक्त अभ्यावेदनों के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जन-प्रतिनिधियों से बसावटों में हैंडपम्प लगाने/ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है, क्योंकि राज्यों को योजनाओं की रूपरेखा बनाने, अनुमोदित करने और कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के दिशा-निर्देशों के पैरा 15.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार, संसद सदस्य से उनके चुनाव क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली बसावटों में हैंडपम्प लगाने/ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। संसद सदस्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव, राज्यों की वार्षिक परियोजनाओं में सम्मिलित किए जाने के लिए राज्य ग्रामीण पेयजल विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों को भी सूचित किया जाता है।

सतर्कता और निगरानी समितियां

1301. श्री रतन सिंह :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिला सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा शिकायतों की जांच के दौरान जवाबदेह पाए गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायत पाने पर किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) कोई कार्रवाई न किए जाने की दशा में, उक्त समितियों के गठन का क्या औचित्य है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) सतर्कता एवं निगरानी समितियों के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति किसी भी मामले को जांच-पड़ताल हेतु डीसी/सीईओ/पीडी को भेज सकती है या उसे नियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती है जिस पर वह 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई हेतु समिति अपनी टिप्पणी/सिफारिश उसे भेजेगी और किसी भी प्रकार का घोर उल्लंघन पाए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। तथापि, मंत्रालय को इस प्रकार के किसी भी घोर उल्लंघन की जानकारी नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिशा-निर्देशों में की गई व्यवस्था के अनुसार संबंधित जिला/राज्य प्राधिकरण उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

मोतीपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म सुविधाओं और रेल उपरिपुल की अनुपलब्धता

1302. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य-पूर्व रेल के अंतर्गत मोतीपुर स्टेशन पर यात्री आवागमन के लिहाज से प्लेटफॉर्मों, जल सेवा, शौचालयों, विद्युत सेवा और रेल उपरिपुल-सुविधा की अनुपलब्धता;

(ख) क्या रेल यात्री संघ ने उक्त रेलवे स्टेशन पर इन बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और स्टेशन के विकास की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पूर्व मध्य रेलवे में मोतीपुर एक "ई" कोटि का स्टेशन है जहां एक निचली सतह का प्लेटफार्म, पीने के पानी की सुविधाएं, दो शौचालय आदि पहले से ही मुहैया करा दिए गए हैं। यह स्टेशन पहले से ही विद्युतीकृत है।

(ख) जी, हां।

(ग) दूसरा प्लेटफार्म निर्माणाधीन है। इस समय स्टेशन पर कोई उपरि पैदल पुल मुहैया नहीं कराया गया है क्योंकि यहां केवल एक ही प्लेटफार्म है।

भारतीय विमानपत्तन अधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण

1303. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में भारतीय विमानपत्तन अधिकरण (एएआई) के अधीन क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अतिक्रमण के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने में कठिनाई का सामना कर रही है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में और आज की तिथि तक, विमानपत्तनों के अधीनस्थ कुल कितनी भूमि से अतिक्रमण हटाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। विमानपत्तन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा भूमि/अतिक्रमण के उचित रिकॉर्ड के बगैर ही भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सौंप दी गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सौंपने के समय ही अधिकांश अतिक्रमण पहले से ही अस्तित्व में थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हटाए गए अतिक्रमणों का ब्यौरा विमानपत्तन-वार सूची दर्शाते हुए संलग्न विवरण-II पर हैं।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अतिक्रमणों से अपनी भूमि के बचाव के लिए पहले से ही घेराबन्दी/चारदीवारी का निर्माण आरंभ कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संबंधित राज्य सरकारों के समन्वयन से अतिक्रमणों को हटाने के लिए अतिक्रांताओं के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही भी आरंभ कर दी है। तथापि, अधिकांश अतिक्रमण के मामले मुकदमेबाजी/न्यायाधीन के तहत हैं।

विवरण-I

28.11.2013 तक विमानपत्तन/संचार स्टेशनों पर अतिक्रमण

क्र. सं.	विमानपत्तन के नाम	राज्य	अतिक्रमण (एकड़ में)	विमानपत्तन/क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	गुजरात	11.660	पश्चिमी क्षेत्र
2.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	3.690	उत्तरी क्षेत्र
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	127.410	पश्चिमी क्षेत्र
4.	दहीसर	महाराष्ट्र	12.000	पश्चिमी क्षेत्र

1	2	3	4	5
5.	गया	बिहार	30.230	पूर्वी क्षेत्र
6.	गुवाहाटी	असम	0.030	पूर्वी क्षेत्र
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	119.820	दक्षिणी क्षेत्र
8.	जूहू	महाराष्ट्र	38.150	पश्चिमी क्षेत्र
9.	खजुराहो	मध्य प्रदेश	0.247	उत्तरी क्षेत्र
10.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	11.070	कोलकाता
11.	कोटा	राजस्थान	49.250	उत्तरी क्षेत्र
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1.650	उत्तरी क्षेत्र
13.	मालदा	पश्चिम बंगाल	1.330	पूर्वी क्षेत्र
14.	नादिरगुल	आंध्र प्रदेश	5.790	दक्षिणी क्षेत्र
15.	नीलगुंज	पश्चिम बंगाल	8.500	पूर्वी क्षेत्र
16.	पुद्दुचेरी	यूटी	2.035	दक्षिणी क्षेत्र
17.	पोर्टब्लेयर	यूटी	0.140	पूर्वी क्षेत्र
18.	रिंगुस	राजस्थान	0.440	उत्तरी क्षेत्र
19.	सफदरजंग	दिल्ली	0.000	उत्तरी क्षेत्र
20.	सतना	मध्य प्रदेश	40.000	उत्तरी क्षेत्र
21.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	0.005	उत्तरी क्षेत्र
22.	सिल्चर	असम	0.300	पूर्वोत्तर क्षेत्र
23.	त्रिची	तमिलनाडु	1.530	दक्षिणी क्षेत्र
24.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	1.920	दक्षिणी क्षेत्र
25.	वारंगल	आंध्र प्रदेश	11.000	दक्षिणी क्षेत्र
			478.197	
26.	सीएसआई, हवाईअड्डा, मुंबई	महाराष्ट्र	308.000	मुंबई*
		कुल	786.197	

*पुनर्संरचना पर, दिनांक 03.05.06 को सीएसआई विमानपत्तन मैसर्स मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा. लिमिटेड को सौंप दी गई हैं।

विवरण-II

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हटाए गए अतिक्रमण

क्र.सं.	एयरपोर्ट	वर्ष	अतिक्रमण हटाना
1.	कोटा	2011-12	2.471
2.	सिल्चर	2011-12	0.333
3.	उदयपुर	2012-13	1.74
4.	सफदरजंग	2012-13	0.925

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण

1304. **श्री पूर्णमासी राम : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभिलेखों का क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटलीकरण करने में सक्षम कंपनियों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) जी, हां। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 9वीं रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता देते हुए दिसम्बर, 2009 में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना आरंभ की है।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य अभिलेखों के रख-रखाव को सुप्रवाही बनाना, पारदर्शिता लाना तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसमें भारत की वक्फ प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएसआई) नामक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करने की परिकल्पना की गई है। वामसी एक केंद्रीयकृत डाटाबेस है, जिसमें निम्नलिखित चार मॉड्यूल शामिल किए गए हैं:—

(i) औकाफ का पंजीकरण (वक्फ संपत्तियां)

(ii) मुतावल्ली विवरणी मूल्यांकन

(iii) औकाफ की पट्टेदारी का ब्यौरा; तथा

(iv) औकाफ के मुकद्दमों का पता लगाना।

इस योजना में सभी 30 राज्य वक्फ बोर्डों को केंद्रीय संगणक सुविधा-केंद्र (सीसीएफ) की स्थापना हेतु एकबारगी सहायता अनुदान देने की व्यवस्था है, जिसकी सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को दे दी जाती है। इसमें कम्प्यूटर कार्मिकों की सेवायें किराये पर लेने तथा हैंडहोल्डिंग प्रभार के लिए सहायता शामिल है। आदिनांक, 27 राज्य वक्फ बोर्डों को 13.68 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। 26 राज्य वक्फ बोर्डों में सीसीएफ की स्थापना की गई है तथा 3,13,786 में से 2,61,112 वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टि वामसी पंजीकरण मॉड्यूलों में की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की डाटा एंट्री तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वक्फ संपत्तियों के रिकार्डों के अंकीकरण के लिए भारत की वक्फ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) नामक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा है। एनआईसी का पैन इंडिया है जो क्षेत्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों की सहायता करता है।

विवरण-I

31 अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार वक्फ रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों का नाम	वक्फ सपंदा/ संपत्तियां	वामसी पंजीकरण मॉड्यूल			वामसी विवरण मॉड्यूल	वामसी पट्टेदारी मॉड्यूल	वामसी मुकद्दमेबाजी मॉड्यूल	
			वक्फ संपदा	अचल संपत्तियां	चल संपत्तियां			बाह्य	आंतरिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	84	46	54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	35703	1404	467					
3.	असम	300	300	338		994	11	7	
4.	बिहार (शिया)	227	220	572	16	20			
5.	बिहार (सुन्नी)	2418	2418	3304	18	41	7		
6.	चंडीगढ़	33	33	34					
7.	छत्तीसगढ़	800	800	1986		31		79	272
8.	दिल्ली	1962	1962	8					
9.	गुजरात	11592	—						
10.	हरियाणा	12510	12510	12601			93		
11.	हिमाचल प्रदेश	1099	945	2025					
12.	जम्मू और कश्मीर	214	1	1					
13.	कर्नाटक	27548	23030	20116					
14.	केरल	8291	8291	34340		156		294	260
15.	लक्षद्वीप	340	340	364		520		4	10
16.	मध्य प्रदेश	14827	14827	20081	140	645	142	377	2834
17.	महाराष्ट्र	6658	6658	17512	65	3041	1	7	
18.	मणिपुर	854	610	627					
19.	मेघालय	43	43	53	51	56			
20.	ओडिशा	3729	2730	4681					
21.	पुदुचेरी	45	45	586	254	201			
22.	पंजाब	24540	24540	34088			470		
23.	राजस्थान	18950	18111	22745		65			19
24.	तमिलनाडु	7237	7237	41027	5665	4105	1141	234	51
25.	त्रिपुरा	1869	1673	2354	50	14	2	2	
26.	उत्तराखंड	2054	2033	4239		12		1	
27.	उत्तर प्रदेश (सुन्नी)	123115	13637	13209	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	6744	4165	17438	1		6	2	
29.	दादरा और नगर हवेली	—	संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सहायता अनुदान जारी नहीं किया।						
30.	उत्तर प्रदेश (शिया)	—	संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सहायता अनुदान जारी नहीं किया।						
	योग	313786	148609	254850	6262	9301	1873	1007	3446

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मुद्दों पर पुनर्विचार

1305. श्री एस. अलागिरी :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को सेवा प्रदान करने में उचित प्रतिस्पर्धा, सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्ध सेवाओं में समानता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में 'ट्राई' से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रसारण क्षेत्र में मीडिया स्वामित्व के मुद्दों पर दिनांक 25 फरवरी, 2009 की उसकी पूर्व सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए 16 मई, 2012 को एक पत्र लिखा है। ट्राइ से मीडिया स्वामित्व के समस्त मुद्दों की जांच करने और निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिशें मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया गया है:—

- प्रसारण क्षेत्र के निष्पक्ष विकास का सुनिश्चियन करने के उद्देश्य से ऊर्ध्वाधर एकीकरण की समस्या का निदान करने वाले उपायों के बारे में सुझाव देना।
- किसी कंपनी द्वारा रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर स्वाामित्व, जिससे समाचारों व विचारों की बहुलता पर रोक लग सकती है, के बारे में प्रतिबंध लगाने संबंधी मुद्दों की जांच करना और उपाय सुझाना जिससे उचित कीमतों पर स्तरीय सेवाओं का सुनिश्चयन किया जा सके।

ट्राइ ने एक परामर्श-दस्तावेज जारी किया है जोकि उनकी वेबसाइट http://trai.gov.in पर उपलब्ध है। ट्राइ ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

1306. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के अंतर्गत भूमि का कुल कितना क्षेत्र है और क्या रेलवे ने कोई तत्संबंधी मूल्यांकन कराया है;

(ख) देश में रेलवे की भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास ऐसे अतिक्रमणों की निगरानी और उनको रोकने के लिए कोई नीति/प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा हटाए गए ऐसे अतिक्रमणों का जोन और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 11.25 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र है।

(ख) 31.03.2013 तक, कुल 2316.84 एकड़ भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण था जिसका जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

रेलवे	क्षेत्र (एकड़ में)
1	2
मध्य	145.73
पूर्व	52.71
पूर्व मध्य	9.10
पूर्व तट	45.18
उत्तर	530.06
उत्तर मध्य	102.26
पूर्वोत्तर	64.00
पूर्वोत्तर सीमा	396.06
उत्तर पश्चिम	44.11
दक्षिण	152.25
दक्षिण मध्य	28.80
दक्षिण पूर्व	394.66
दक्षिण पूर्व मध्य	106.37
दक्षिण पश्चिम	40.15
पश्चिम	105.00
पश्चिम मध्य	100.38
कुल	2316.84

(ग) भारतीय रेल निर्माण नियामवली रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने, उसकी रोकथाम करने और उसे हटाने से संबंधित है। भूमि की चाहरदीवारी की संपूर्णता तथा अतिक्रमण का पता लगाने के लिए नामित पदाधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण/सत्यापन किए जाते हैं। रेलवे भूमि/संपत्ति को अतिक्रमण से बचाने के लिए नियमित उपाय किए जाते हैं जिनमें संवेदनशील स्थानों पर चाहरदीवारी की व्यवस्था, बाड़ लगाना, वृक्षारोपण आदि शामिल हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (अक्टूबर, 2013 तक) के दौरान अतिक्रमणों को हटाने के बाद प्राप्त किए गए क्षेत्र का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

रेलवे	2010-11 क्षेत्रफल एकड़ में	2011-12 क्षेत्रफल एकड़ में	2012-13 क्षेत्रफल एकड़ में	2013-14 क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5
मध्य	0.71	5.15	6.11	0.00
पूर्व	0.00	0.29	0.00	0.00
पूर्व मध्य	12.79	1.69	0.20	0.08
पूर्व तट	7.71	34.43	0.00	0.00
उत्तर	1.05	12.04	1.90	10.69
उत्तर मध्य	0.00	0.66	20.08	0.00
पूर्वोत्तर	0.37	10.92	0.00	0.20
पूर्वोत्तर सीमा	2.37	15.37	2.57	5.87

1	2	3	4	5
उत्तर पश्चिम	0.88	0.00	1.95	9.93
दक्षिण	1.75	0.11	0.64	0.00
दक्षिण मध्य	1.80	2.92	1.28	0.62
दक्षिण पूर्व	0.91	3.74	3.60	0.97
दक्षिण पूर्व मध्य	0.00	14.51	0.12	0.00
दक्षिण पश्चिम	0.26	0.00	0.00	0.00
पश्चिम	1.98	0.00	13.12	0.10
पश्चिम मध्य	0.64	0.17	0.45	0.00

(ङ) अनाधिकृत अधिभोगियों को हटाने के लिए सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, रेलवे द्वारा आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की सहायता से मामूली अतिक्रमण को भी हटाया जाता है।

[अनुवाद]

समर्पित माल-भाड़ा गलियारा परियोजनाएं

1307. श्री भक्त चरण दास :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समर्पित माल-भाड़ा गलियारा परियोजनाओं के विकास में हुई वृद्धि की गलियारा-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है और उक्त परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बनाए गए वित्तीय मॉड्यूल का गलियारा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गलियारा-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) रेलवे द्वारा उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का गलियारा-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) दो डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर यथा पूर्वी कॉरिडोर (दानकुनी-लुधियाना, 1839 किलोमीटर) और पश्चिमी कॉरिडोर (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी, 1499 किलोमीटर) को स्वीकृति दी गई है। इन दो कॉरीडोरों के निर्माण की अनुमानित लागत, भूमि अधिग्रहण को छोड़कर और पूर्वी डीएफसी के सोनानगर-दानकुनी खंड को छोड़कर, 73,392 करोड़ रुपए है, (पूर्वी डीएफसी : 26,674 करोड़ रुपए और पश्चिमी डीएफसी: 46,718 करोड़ रुपए)। भूमि की अनुमानित लागत 8067 करोड़ रुपए है (पूर्वी डीएफसी: 3684 करोड़ रुपए और पश्चिमी डीएफसी: 4383 करोड़ रुपए)।

पश्चिमी डीएफसी को जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। जेआईसीए वित्त पोषण 38,722 करोड़ रुपए आंका गया है (जापानी येन (जेपीवाई) 550 बिलियन) (विनिमय दर 1 रुपए = 1.42 जेपीवाई) जो परियोजना लागत का 77% है। जेआईसीए दो चरणों यथा चरण 1- रेवाड़ी-वडोदरा (930 किलोमीटर) और चरण 2- जेएनपीटी-वडोदरा और रेवाड़ी-दादरी (569 किलोमीटर) में वित्त पोषण कर रहा है। दोनों चरणों के वित्त पोषण के लिए समझौता हो गया है और चरण-1 के लिए 90 बिलियन जेपीवाई (6,300 करोड़ रुपए) और चरण-2 के लिए 136 बिलियन जेपीवाई (9,580 करोड़ रुपए) के पहले अंश के ऋण करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

पूर्वी डीएफसी के 1183 किलोमीटर लंबे लुधियाना से मुगलसराय खंड का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। विश्व बैंक का ऋण लगभग 13,625 करोड़ रुपए है (यूएस डालर 2.725 बिलियन) (विनिमय दर 1 यूएस डालर = 50 रुपए) जो परियोजना लागत का 66% है। विश्व बैंक तीन चरणों यथा चरण 1 — खुर्जा कानपुर (343 किलोमीटर), चरण 2 — कानपुर-मुगलसराय (393 किलोमीटर) और चरण-3 लुधियाना-खुर्जा-दादरी (440 किलोमीटर) में वित्त पोषण कर रहा है।

चरण-1 के लिए 975 मिलियन यूएस डालर (4,875 करोड़ रुपए) के ऋण करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। बजटीय संसाधनों के द्वारा काउंटरपार्ट वित्त पोषण किया जाना है। पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय-सोननगर खंड 122 किमी का निर्माण और वैतरणा और भरुच के बीच 54 बड़े प्रमुख और महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण रेलवे के संसाधनों द्वारा शुरू किया जा रहा है। पूर्वी डीएफसी के सोननगर-दानकुनी खंड के 534 किमी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है और इसकी अनुमानित लागत 10,022 करोड़ रुपए आंकी गई है।

डीएफसी के लिए भूमि रेलवे संशोधन अधिनियम (आरएए) 2008 के तहत अधिग्रहित की जा रही है। परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली 10,667 हैक्टेयर भूमि में से 9,180 हैक्टेयर भूमि (पश्चिमी डीएफसी : 5,444 हैक्टेयर और पूर्वी डीएफसी: 3,736 हैक्टेयर) के लिए आरएए 2008 की धारा 20 एफ के अंतर्गत प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है।

पूर्वी डीएफसी पर रेल संसाधनों के माध्यम से मुगलसराय-सोननगर खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 343 किमी. खुर्जा-कानपुर खंड का सिविल ठेका भी प्रदान कर दिया गया है। पश्चिमी डीएफसी पर जेआईसीए द्वारा वित्तपोषित चरण-1 के 625 किमी रेवाड़ी-पालनपुर खंड का सिविल ठेका प्रदान कर दिया गया है। रेलवे संसाधनों के माध्यम से वैतरणा और भरूच के बीच 54 बड़े और महत्त्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) पश्चिमी डीएफसी को 2018 में और पूर्वी डीएफसी को 2019 में चालू किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अलग संगठन यथा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिा डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) स्थापित करना, निर्माण शुरू होने से पहले वित्तपोषण के लिए टाइ-अप करना और समय पर भूमि अधिग्रहण करना, परियोजना कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना और परियोजना के लिए अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय करने सहित कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

1308. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में हुई अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे पटरियों में दरारें आने के कारण ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) ऐसी घटनाओं में कितने लोगों की जानें गईं और जोन-वार उनको कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है; और

(च) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के अप्रैल से नवंबर, 2013 के दौरान, रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 33 से बढ़कर 37 हो गई है। पटरी से उतरने की इन घटनाओं की जोन-वार संख्या का निम्नानुसार है।

अप्रैल से नवम्बर, 2013 के दौरान रेलगाड़ी के पटरी से उतरने का जोन-वार ब्यौरा

रेलव	रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की संख्या
1	2
मध्य	3
पूर्व मध्य	3
पूर्व तट	2
पूर्व	3
कोंकण	1
पूर्वोत्तर सीमा	2
उत्तर	7
उत्तर पश्चिम	2
दक्षिण मध्य	3

1	2
दक्षिण पूर्व	1
दक्षिण पूर्व मध्य	5
दक्षिण	2
पश्चिम मध्य	1
पश्चिम	2
कुल	37

जांच समितियों की अंतिम रिपोर्ट और प्रथम-दृष्यता के कारणों के आधार पर, उपरोक्त 37 रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की परिणामी दुर्घटनाओं में से, 28 रेल कर्मचारियों की विफलता से हुई थी, 2 रेल कर्मचारियों से अन्य की विफलता के कारण, 3 आकस्मिक कारकों के कारण, 2 तोड़फोड़ के कारण और रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। रेल की पटरी में दरार और जोड़ में विफलता के कारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2013 के दौरा रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की परिणामी दुर्घटनाओं में 10 से 8 तक की कमी आई है।

(ङ) अप्रैल से नवंबर, 2013 के दौरान, 5 व्यक्तियों (सभी यात्रियों ने) रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की परिणामी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। इन 5 व्यक्तियों में से, 1 व्यक्ति ने दक्षिण रेलवे में गाड़ी संख्या 15228 (मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस) के पटरी से उतरने के कारण जान गंवाई है, 1 व्यक्ति ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर गाड़ी सं. 58804 डाउन पैसेन्जर के पटरी से उतरने में जान गंवाई है और 3 व्यक्तियों ने मध्य रेल पर गाड़ी सं. 12618 (मंगला-लक्षद्वीप एक्सप्रेस) के पटरी से उतरने में जान गंवाई है।

रेलवे द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों में लिए मुआवजा का भुगतान रेल दावा प्राधिकरण में दावाकर्ता द्वारा दायर किए गए दावे और पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद किया जाता है तथा रेलवे द्वारा संतुष्ट होने पर ही डिक्री प्रदान की जाती है। अभी तक, रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की उपर्युक्त घटनाओं में प्राधिकरण द्वारा किसी भी दावे में डिक्री नहीं दी गई।

(च) रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय रेल द्वारा किए उपाय निम्नानुसार हैं:—

(i) प्री स्ट्रेसड कंक्रीट (पीएससी) स्लीपरों वाली रेलपथ संरचना का अपग्रेडेशन, उच्च धुरा भारों और उच्च घनत्व मार्गों के लिए 52 किग्रा/60 किग्रा की उच्च शक्ति वाली पटरियां, नया निर्माण और बदलाव केवल पीएससी स्लीपरों के साथ ही किया जाता है।

(ii) वेल्डिंग जोड़ों को कम करने के लिए 260 मी/130 मी लंबाई वाली लंबी पटरियों के पैनल को लगाना ताकि पटरियों की दरार से बचा जा सके।

(iii) एलुमिनों थर्मिट वेल्डिंग का उन्नयन और मोबाइल फ्लैश बट्ट वेल्डिंग का उपयोग बढ़ाना।

(iv) दोष का पता लगाने के लिए पटरियों की टेस्टिंग हेतु आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे अल्ट्रासोनिक रेल फ्ला डिटेक्टर (यूएसएफडी) का उपयोग।

(v) पटरियों की दरारों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेल ग्राइडिंग मशीन का उपयोग।

(vi) साफिस्टिकेटिड मशीनों का उपयोग करके रेलपथ अनुरक्षण का उत्तरोत्तर मशीनीकरण ताकि सुरक्षित और कुशल आउटपुट मुहैया हो।

(vii) रेलपथ पर फ्लैट व्हीलों के असुरक्षित संचलन का पता लगाने के लिए रेलपथ के दोनों ओर व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी)।

(viii) रात में और सर्दियों में गश्त सहित भेद्य स्थलों पर रेलपथों पर नियमित रूप से गश्त लगाना।

(xi) नियमित अंतरालों पर विशेष संरक्षा निरीक्षण अभियान।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें

1309. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसी संगठन/एजेंसी को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह संगठन अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन संगठनों/एजेंसियों द्वारा मरम्मत की गई उक्त सड़कों के बारे में आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) से (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की एकबारगी पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और पीएमजीएसवाई के अनुसार मार्गदर्शिका के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सभी सड़कें निर्माण कार्य के ठेके सहित उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले शुरुआती पंचवर्षीय रख-रखाव ठेके में शामिल होती हैं। इस ठेके की पूर्ति के लिए रख-रखाव निधि प्रदान करने हेतु बजटीय प्रावधान राज्य करते हैं और ये निधियां एसआरआरडी एजेंसियों के पृथक रख-रखाव खाते में रखी जाती हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किए गए रख-रखाव कार्य की स्थिति का नियमित निरीक्षण राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

इम्फाल हवाई अड्डा

1310. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल (तुलिहाल) हवाई अड्डे को पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक अंतर्राष्ट्रीय इम्फाल हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करने की कार्रवाई पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आप्रवास, सुरक्षा और सीमा-शुल्क क्लियरेंस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, दिनांक 18.11.2013 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा इम्फाल हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) आप्रवास, सुरक्षा और सीमा-शुल्क क्लियरेंस के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं घोषणा के पूर्व ही कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

उड़ानों को रद्द करना

1311. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी कारणों से उड़ानें रद्द करने में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा तकनीकी कारणों से उड़ानें रद्द न हों यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह नहीं कहा जा सकता है कि तकनीकी कारणों से उड़ानें रद्द होने में लगातार वृद्धि हो रही है। तकनीकी कारणों से अक्टूबर, 2013 तक रद्द हुई उड़ानों का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	महीना	रद्द उड़ानें (तकनीकी कारणों के कारण) (प्रतिशतता)
2013	जनवरी	0.700
	फरवरी	0.548
	मार्च	0.345
	अप्रैल	0.242
	मई	0.238
	जून	0.455
	जुलाई	0.407
	अगस्त	0.416
	सितंबर	0.485
	अक्तूबर	0.454

यदि किसी विमान को तकनीकी कारणों से ग्राउंड किया जाता है, तो सामान्य पद्धति के अनुसार संबंधी प्रचालक समस्या के निवारण के लिए विमान विनिर्माता से सम्पर्क करता है।

तथापि, विमान की उड़नयोग्यता के अनुरक्षण के लिए यह मॉनिटरिंग की जाती है कि प्रचालक द्वारा विनियामक प्राधिकरण अथवा विनिर्माता द्वारा जारी किए गए उड़न योग्यता निदेश (एडी), सेवा बुलेटिन (एसबीएस) शामिल किए गए हैं अथवा नहीं।

महिला ग्रामीण समन्वयक

1312. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला ग्रामीण समन्वयक नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य योजना से महिलाओं को किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं को जन-जातीय क्षेत्रों से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तालमेल के मॉडल वाली परियोजना को बढ़ावा दे रहा है। इस मॉडल का मुख्य घटक ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाने वाले महिला केन्द्र हैं। महिलाओं के लिए प्रथम संपर्क सूत्र का कार्य करने वाले इन केन्द्रों का नाम 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' (पीएसके) है। ये केन्द्र जमीनी स्तर पर मुख्य कार्रवाई केन्द्र हैं, जिनके माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। इन केन्द्रों में कार्यरत महिला ग्रामीण समन्वयकर्ता (ग्राम समन्वयक) महिलाओं के पास "हम सुनेंगे नारी की बात" नारे के साथ जाएंगी। पीएसके परियोजना के प्रमुख घटक के तहत उन प्रक्रियाओं की जानकारी देने पर जोर दिया जाएगा, जिनसे जमीनी स्तर पर तालमेल की विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण करने में मदद मिलती है। ये पीएसके प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 ग्रामीण महिला समन्वयकर्ताओं (ग्राम समन्वयकों) की मदद से कार्य कर रहे हैं।

(ग) इन ग्राम समन्वयकों ने गांवों के परिवारों के साथ वैयक्तिक और पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इन संबंधों से गांववासियों में भरोसे और अपनत्व की भावना उत्पन्न हुई। महिलाओं के लाभार्थ इन ग्राम समन्वयकों के प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:—

(i) विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, निर्मल भारत अभियान, दूसरी बेटी के जन्म पर सहायता, जननी सुरक्षा योजना योजना, स्व-सहायता समूह के गठन और इस कार्य में सहायता, पैन कार्ड/वोटर पहचान कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि जैसी सेवाएं/अधिकार पाने में महिलाओं की सहायता करना।

(ii) बेटियों के जन्म दिवस के सामुदायिक समारोह की योजना बनाना और ऐसे समारोहों का आयोजन करना।

(iii) यौन हिंसा और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करना।

(iv) स्कूल में बच्चों का दाखिला कराना तथा शिक्षा बीच में छोड़ चुके बच्चों को भी स्कूल में दाखिला कराना।

(v) महिलाओं के लिए लाभ के आवेदनों पर कार्रवाई करने तथा ये लाभ स्वीकृत करने में ग्राम सेवकों की सहायता करना।

(घ) और (ङ) जी, हां। यह परियोजना तीन जनजातीय ब्लॉकों वाले राजस्थान के पाली जिले सहित विभिन्न राज्यों के 21 जिलों में शुरू की गई है। अन्य जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में भी पीएसके चलाए जा रहे हैं।

ब्रह्मपुत्र पर बांध

1313. श्री दानवे साहेब पाटील :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री रमेन डेका :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों के अलावा अन्य और बांधों के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को चीन के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस सिलसिले में देश के हित रक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ङ) हाल ही में जारी "चीन जनतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा" से पता चलता है कि चीन प्राधिकारियों ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख धारा पर कार्यान्वयन के लिए 3 और जल विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। जांगमु पर एक जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाले घटनाक्रमों की निगरानी करती है। निचला तटवर्ती राज्य होने के नाते भारत सरकार उच्च स्तरों समेत चीन के प्राधिकारियों को अपने विचारों और चिंताओं से अवगत करा दिया है। भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्रति प्रवाह क्षेत्र में किसी कार्य से अनुप्रवाह वाले राज्यों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। अक्टूबर, 2013 में माननीय प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने सीमा पार नदियों के विषय में सहयोग को मजबूत करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

छत पर जल संचयन

1314. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने प्रतिशत वर्षा जल का संचयन किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों द्वारा भवनों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्रों में छत पर वर्षा जल संचयन को नहीं अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा जल संचयन हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने कानून बनाकर अथवा नियम तथा विनियम तैयार कर अथवा भवन संबंधी उप नियमों में प्रावधान शामिल करके अथवा उपयुक्त सरकारी आदेशों से वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों में संचित/बचाए गए वर्षा जल की मात्रा संबंधी आंकड़े किसी एक एजेंसी द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) चार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम और लक्षद्वीप में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में चूंकि जल विकास का स्तर बहुत निम्न है, राज्य इसके लिए किसी ऐसे विनियमन को अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। मिज़ोरम में, वर्षा जल संचयन पहले ही एक आम बात है, तथापि, राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य बनाने के लिए कोई विनियमन लागू नहीं किया है। मणिपुर में, छत के वर्षा जल संचयन की प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही हैं। लक्षद्वीप में, जल विज्ञानीय स्थितियों के कारण, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता को महसूस नहीं किया जाता है। इसके अलावा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अधीन केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) गठित किया गया है और इस प्राधिकरण ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के उपायों को शुरू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीजीडब्ल्यूए ने भी वर्षा जल संचयन को अपनाने और भू-जल के पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार के कई संगठनों के साथ इस मामले को उठाया है। सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचयन के प्रावधान हैं; ताकि वे भू जल के विनियमन तथा प्रबंधन हेतु भू जल विधान अधिनियमित कर सकें।

(ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूए) ने "भारत में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" शीर्षक से एक अवधारणात्मक दस्तावेज तैयार किया है जो भूमि जल संसाधन संवर्धन के लिए अतिरिक्त मानसून अपवाह का उपयोग करके देश में विभिन्न प्रकार के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के ढांचों के निर्माण की परिकल्पना करता है। यह मास्टर योजना सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी और सार्वजानिक क्षेत्र में भी उपलब्ध है।

विवरण

छत पर जल संचयन से संबंधित विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से सांविधि/नियम/विनियम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जलभूमि एवं वृक्ष अधिनियम, 2002 के अध्याय 3, धारा 17 (1) के अंतर्गत सभी आवासी, व्यवसायिक तथा अन्य परिसरों में निर्माण किए गए सभी नए और मौजूद भवनों तथा 200 वर्गमीटर से अधिक खुले क्षेत्र में निर्धारित समय में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें असफल होने पर प्राधिकरण ऐसी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करा कर व्यय की गई लागत के साथ निर्धारित जुर्माना वसूल कर सकता है। नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग ने अधिसूचित किया है कि सभी ग्रुप हाऊसिंग स्कीमों को वर्षा जल के संरक्षण तथा संचयन हेतु अपेक्षित सुविधाएं और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग को जी.ओ. सं.185 दिनांक 5 मई, 2001 के तहत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं द्वारा वर्षा जल के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। हैदराबाद के नगर निगम तथा आस पास की नगरपालिका और पंचायतों को वर्षा जल संचयन हेतु कुएँ खोदने का दायित्व सौंपा गया है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	भवन उप-नियम में संशोधन के द्वारा छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है।
3.	असम	गुवाहाटी विकास प्राधिकरण द्वारा भवन उप-नियमों में प्रावधान शामिल करने के माध्यम से 100 वर्गमीटर और इससे ऊपर के क्षेत्र के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है।
4.	बिहार	बिहार भूमि जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के अध्याय III (खंड 18) में 1000 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्र में भवन निर्माण की योजना को नगर-निगम/अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अनुमति देने के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
5.	छत्तीसगढ़	500 वर्गफीट से अधिक के छत वाले क्षेत्र पर वर्षा जल संचयन को अपनाने हेतु नगरपालिका निगम रायपुर ने इसे अनिवार्य बनाया है।
6.	गोवा	द्वारा 2000 वर्ग मीटर, या अधिक भूमि के प्लाट क्षेत्र के अपार्टमेंटों सहित के आवासीय कांप्लैक्सों तथा गोवा सरकार 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूमि के प्लाट पर बनी औद्योगिक इकाइयों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है। पीडब्ल्यूडी गोवा से सरकारी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाएं आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।
7.	गुजरात	मेट्रोपॉलीटन क्षेत्रों में अधिसूचित नियम हैं जिनके अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के बिना कोई नई भवन योजना अनुमोदित नहीं की जाती है।

1	2	3
8.	हरियाणा	दिनांक 31 अक्तूबर, 2001 और 13 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के जरिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है।
9.	हिमाचल प्रदेश	राज्य के शहरी क्षेत्र में निर्माण किए जाने वाले सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की प्रणाली की संस्थापना को अनिवार्य बना दिया गया हैं और वर्षा जल संचयन प्रणाली के बिना किसी भी भवन योजना को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली के निर्माण को सभी विद्यालयों, सरकारी भवनों और विश्रामगृहों, भावी उद्योगों, बस स्टैंड इत्यादि के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।
10.	झारखंड	रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने नवंबर, 2006 में नगर उप विधि में संशोधन किया और बहुआवासीय तथा वाणिज्यिक इकाइयों के लिए वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण कुओं को अनिवार्य बना दिया।
11.	कर्नाटक	बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के संशोधित नियमों के अनुसार 2400 वर्ग फीट या इससे अधिक भूमि के स्वामियों अथवा 1200 वर्ग फीट या इससे अधिक भूमि पर बनाई जाने वाली नई इमारत के प्रत्येक स्वामी के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य किया गया है।
12.	केरल	केरल नगरपालिका भवन निर्माण नियम 1999 में वर्षा जल संचयन व्यवस्था को शामिल करके संशोधन किया गया है।
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम (1984), नियम 78 (4) में वर्षा जल संचयन के अनिवार्य प्रावधान को शामिल किया गया है, जिसमें 140 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर बने घरों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है।
14.	महाराष्ट्र	2002 से राज्य में "शिवकालीन पानी सथावन योजना" (शिवकालीन जल पुनर्भरण स्कीम) नामक वर्षा जल पुनर्भरण योजना आरंभ की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, विभिन्न जल संचयन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल के पुनर्भरण के माध्यम से पेय जल स्रोतों को सुदृढ़ बनाया जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, उपलब्ध स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास नियंत्रण नियमों में ग्रेटर मुंबई नगर पालिका क्षेत्र तथा राज्य के अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन स्कीम का प्रावधान करने के लिए व्यवस्था की गई है।
15.	मेघालय	100 वर्गमीटर क्षेत्र से ऊपर के भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है।
16.	नागालैंड	राज्य सरकार ने सभी नए सरकारी भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को आवश्यक बना दिया है।
17.	ओडिशा	ओडिशा विधान सभा ने ओडिशा राज्य के लिए "भूमि जल (विनियमन, विकास एवं प्रबंधन)" के संबंध में वर्ष 2012 के दौरान पहले ही एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में राज्य के शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

1	2	3
18.	पंजाब	• स्थानीय सरकार के विभाग ने भवन उप-विधि को संशोधित और अधिसूचित किया है तथा 200 वर्ग यार्ड से अधिक के सभी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। • पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण ने भी भवन योजनाओं तथा निजी प्रोत्साहकों द्वारा विकसित लाइसेंस युक्त कॉलोनियों का अनुमोदन करते समय सभी संस्थागत भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए प्रावधान किए हैं।
19.	राजस्थान	नगर-निगम/नगर-परिषद्/नगरपालिका क्षेत्र में 300 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक वाले प्लाटों के संबंध में वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है और इस संबंध में अधिसूचना संबंधित लोकल सेल्फ विभाग द्वारा दिनांक 16.01.2006 के पत्र के माध्यम से जारी की गई है।
20.	सिक्किम	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के संवर्द्धन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, सिक्किम द्वारा स्प्रिंग शेड विकास किया गया है।
21.	तमिलनाडु	नगरपालिका कानूनों के तहत सभी वर्तमान तथा नए भवनों के लिए वर्षा जल संचयन सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है। संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूर कराने के लिए भवन निर्माण की योजना में छत की वर्षा जल संचयन संरचना को शामिल करना भी अनिवार्य किया है।
22.	त्रिपुरा	त्रिपुरा भवन नियमावली, 2004 के अनुसार सभी प्रकार के उपयोगों के लिए तथा किसी भी आकार के ग्रुप हाउसिंग में 300 वर्ग मी. से अधिक के प्लिंथ क्षेत्र वाले सभी नए भवनों में जल संचयन अनिवार्य है।
23.	उत्तर प्रदेश	• संयुक्त वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण प्रणाली के लिए पाइपों के पृथक नेटवर्क से युक्त नई सभी नई हाउसिंग स्कीमों/प्लाटों/भवनों/ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। • सरकारी भवनों (नये तथा पुराने दोनों) में वर्षा जल संचयन की संस्थापना को अनिवार्य बना दिया गया है। • 20 एकड़ अथवा उससे अधिक की हाउसिंग स्कीमों के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्र के 5 प्रतिशत में जलाशयों/जल निकायों का निर्माण करना अनिवार्य बना दिया गया है।
24.	उत्तराखंड	सरकार (आवास एवं शहरी विकास) ने वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य संस्थापना के लिए नियम बनाये तथा दिनांक 15.11.2003 के आदेश के जरिए भवन उपविधि में नियमों को अपनाने के लिए निदेश दिए। तदनुसार, सभी विकास प्राधिकरणों ने प्रचलित भवन निर्माण और विकास उप नियम/विनियम में आंशिक संशोधन किए हैं।
25.	पश्चिम बंगाल	सरकार ने 'पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन निर्माण) नियम, 2007' जारी किए हैं तथा नियम सं.168 (13) भाग-XII के तहत सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है।
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में पोर्ट ब्लेयर शहर में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है।

1	2	3
27.	चंडीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने एक कैनाल या इससे अधिक बड़े प्लाट में स्थित (वर्तमान एवं नए) सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की संस्थापना करना अनिवार्य किया गया है।
28.	दादरा और नगर हवेली	सभी प्रकार के भवनों, जिसका निर्माण 1000 वर्गमीटर और अधिक के क्षेत्र में किया जाता है, में विकास और नियंत्रण नियम (संशोधित नियम, 2009) के अनुसार छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है।
29.	दमन और दीव	दमन नगरपालिका भवन मॉडल उपनियम और जोनिंग विनियम, 2002 मौजूद है, जिसमें भूमि जल के पुनर्भरण के लिए संप-वेल के निर्माण की व्यवस्था है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने छत के वर्षा जल संचयन की संरचना के निर्माण के लिए स्थानीय पीडब्ल्यूडी को अनुदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका तथा जिला पंचायतों को भी छत के वर्षा जल के संचयन की संरचनाओं के निर्माण के लिए व्यवस्था करने की सलाह दी है।
30.	दिल्ली	• भवन उप विधि नियमों में संशोधन करके 100 वर्ग मी. और उससे अधिक क्षेत्र वाले भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है। • रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटियां ने सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को उनके परिसरों में वर्षा जल संचयन को अपनाने की सलाह दी है। • सभी सरकारी विभागों से वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुन:चक्रण प्रणाली को अपनाने का अनुरोध किया गया है। • एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी अपने भवनों में वर्षा जल संचयन को शामिल करके योजना को मंजूर कर रही हैं।
31.	पुदुचेरी	दिनांक 19.3.2010 के सरकारी आदेश द्वारा आवासीय, कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक भवनों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों तथा औद्योगिक इमारतों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1315. श्री रमेश जिगजिणगी :
श्री समीर भुजबल :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2013 में घोषणा की गई परियोजनाओं सहित चालू/लंबित रेलवे परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को आज की तिथि तक सोलापुर-गडग खंड को दोहरा करने और कोंकण रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं सहित रेलवे परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में नई लाइनों के लिए नासिक-पुणे क्षेत्र सहित चालू/लंबित सर्वेक्षणों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इनके लिए आवंटित और व्यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (घ) महाराष्ट्र राज्य में आंशिक/पूर्णरूप से पड़ने वाली चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम (लंबाई)	प्रत्याशित लागत 2013-14	31.03.2013 तक व्यय	परिव्यय 2013-14	मौजूदा स्थिति के साथ लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	अहमदाबाद-बीड-वैजनाथ (250 कि.मी.)	2820	110.05	50.00	कुल वास्तविक प्रगति प्रगति : 5%
2.	बारामती-लोनाड (54 कि.मी.)	138.48	120.67	2.00	लोनाड-फालटन पूरा हो गया है। बारामती-फालटन का अंतिम स्थल सर्वेक्षण हाथ में ले लिया गया है।
3.	वडसा-गढ़चिरोली (49 कि.मी.)	232.4	0.03	1.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण हाथ में ले लिया गया है।
4.	वरधा-नांदेड (वारास्ता यवतमल-पुसाड) (270 कि.मी.)	1604.94	11.36	15.00	पहले चरण में वर्धा-यवतमल खंड का कार्य आरंभ किया गया है। कुल वास्तविक प्रगति: 3.7%
5.	छिन्दवाडा-नागपुर (149.52 कि.मी.)	585.93	277.51	200.00	प्रगति : 6% मार्च, 2014 तक छिंदवाडा-सौसार (70 कि.मी.) को पूरा करने की योजना है। मार्च, 2014 तक कुल वास्तविक प्रगति : 61%
आमान परिवर्तन					
6.	वालाघाट-कटंगी (285 कि.मी.) सहित जबलपुर-गोंडिया	1038.00	650.42	70.00	वालघाट-कटंगी (46.80 कि.मी.) और गोंडिया-वालघाट (42 कि.मी.): पूरा हो गया और चालू कर दिया है। शेष खंडों पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुल कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर पर कार्य वन विभाग की क्लियरेंस न मिलने के कारण रोका गया है। कुल प्रगति : 66%
7.	नागपुर-नगभीड़ (106 कि.मी.)	401	0	0.50	2013-14 में कार्य शामिल कार्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति और योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।
8.	रतलाम-खंडवा-अकोला (472.64 कि.मी.)	1421.25	195.04	119.83	2012-13 में रतलाम-फतेहबाद (80 कि.मी.) खंड पूरा दिया गया है। फतेहाबाद-इंदौर (40 कि.मी.) मिट्टी संबंधी कार्य और पुल कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। खंडों को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अकोला-खंडवा खंड के लिए वन विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। फतेहबाद-इंदौर: मार्च, 2014

1	2	3	4	5	6
दोहरीकरण					
9.	भुसावल-जलगांव तीसरी लाइन (24.13 कि.मी.)	184.06	0.05	10.00	अंतिम स्थल सर्वे हाथ में लिया गया है।
10.	बुधनी-बरखैडा तीसरी लाइन (33 कि.मी.)	287.35	0.22	10.00	अंतिम स्थल सर्वे हाथ में लिया गया है।
11.	दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (224.90 कि.मी.) और पुणे-गुंतकल विद्युतीकरण (641.37 कि.मी.)	1514.45	58.06	0.00	पुल तथा मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कुल वास्तविक प्रगति: 9%
12.	गोधनी-कालुमना कोर्ड (13.7 कि.मी.)	59.13	8.76	10.00	स्थान सर्वे पूरा कर लिया गया है। मिट्टी संबंधी एवं पुलों का काम हाथ में ले लिया गया है।
13.	कालुमना-नागपुर (6.16 कि.मी.)	24.78	18.47	3.00	अतिक्रमण के कारण कार्य रोक दिया गया है। कुल वास्तविक प्रगति: 75%
14.	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (67.62 कि.मी.)	279.7	1.64	7.00	अंतिम स्थल सर्वे पूरा कर लिया गया है।
15.	पनवेल-पेन (35 कि.मी.)	190.99	185.41	15.00	परियोजना को 2013-14 में पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल वास्तविक प्रगति: 78%
16.	पेन-रोहा (40 कि.मी.)	203.00	143.7	30.00	परियोजना को 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल वास्तविक प्रगति: 60%
17.	विद्युतीकरण के साथ उधना जलगांव (306.93 कि.मी.)	1389.62	526.01	270.00	बरडोली-व्यारा 29 किमी तथा चिंचपाड़ा-नंदूबार-41 किमी - 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल वास्तविक प्रगति: 32%
18.	वर्धा (सेवाग्राम)-नागपुर उरी लाइन (76.3 कि.मी.)	297.85	0.5	10.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है।

(ख) विभिन्न स्तरों से आवेदन प्राप्त होते हैं और इसका संकलन नहीं किया जाता है, बहरहाल राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, वर्तमान में कोंकण रेलवे पर कोई भी परियोजना लंबित/चालू नहीं है, सोलापुर-गडेग खंड(284 कि.मी) के दोहरीकरण के लिए सर्वे हाथ में ले लिया गया है।

(ग) 2009-10 में पुणे-नासिक (265 कि.मी) के बीच नई लाइन के लिए 1899 करोड़ रुपए की लागत पर एक सर्वेक्षण 4.11% के आरओआर सहित पूरा किया गया है जिसकी जांच की जा रही है, इस संबंध में, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से नि:शुल्क भूमि मुहैया करवाने के साथ-साथ परियोजना की लागत का 50% हिस्से की भागीदारी के लिए अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतीक्षा है, राज्य में नई लाइन के लिए चालू/लंबित सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति एवं ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	किमी	स्वीकृति का वर्ष	स्थति
1	2	3	4	5
1.	कल्याण-अहमदनगर	240	2006-07	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2.	नासिक-दहानु रोड	168	2010-11	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
3.	वर्धा-कटोल	80	2010-11	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
4.	वरोरा-उमरेर	106	2010-11	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	विधान-बीदर	60	2010-11	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	बेलगाम-सामंतवाडी	80	2010-11	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	कोल्हापुर-धारवाड़	186	2011-12	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	दमन-नासिक	160	2011-12	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
9.	विरार-दीवा-पनवेल	65	2011-12	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
10.	चुदावा-बासमत	24	2011-12	प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।
11.	सीएसटीएम-पनवेल फास्ट कॉरीडोर (हारबर लाइन पर फास्ट कॉरीडोर)	60	2011-12	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
12.	करद-बेलगाम बारास्ता निपानी	180	2011-12	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
13.	कोल्हापुर-राजपुर	120	2011-12	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
14.	मालेगांव-सतना-साकी-चिंचपाड़ा	100	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
15.	मलकापुर-चिकाली	80	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
16.	बेलापुर-बीद	165	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
17.	नासिक-सिन्नर	30	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
18.	नासिक-सूरत	184	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
19.	शनी सिघनापुर-अहमदनगर	40	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
20.	शिरडी-शाहपुर-घोटी	540	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
21.	शिरडी-शनि सिघनापुर	80	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
22.	नांदेड़-लातूर रोड	155	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
23.	चंद्रपूर तक राजनंदगांव और डोंगरागांव (महाराष्ट्र) बारास्ता मनपुर गांव	203	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
24.	पुणे-मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति रेल कारीडोर (एचएसआरसी)	700	2012-13	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
25.	पंढरपुर-बीजापुर बारास्ता मंगालवेधा	20	2013-14	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
26.	सूरजगढ़-बीजापुर बरास्ता भोपालपट्टम	300	2013-14	2013-14 में नया सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
27.	वासिम-महूर-आदिलाबाद	189	2013-14	2013-14 में नया सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।
28.	वसई रोड — नयागांव और दीवा (जूचंद्र) के बीच बाई पास लाइन	2	2013-14	2013-14 में नया सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।

(ङ) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक निधि मुहैया की गई है। राज्य की भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रक्षा निधि, कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने और रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) के द्वारा विश्वसनीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से अतिरिक्त बजट संसाधन सृजित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

रेलवे की वित्तीय स्थिति

1316. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री आनंदराव अडसूल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्री, मालभाड़ा और पार्सल क्षेत्रक सहित रेलवे की वित्तीय स्थिति का वर्ष और जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुख्य शीर्षों के अंतर्गत व्यय का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आय और व्यय का जोन और मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों में रेलवे के प्रचालनात्मक व्यय में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा संरक्षा और सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना अपने प्रचालनात्मक व्यय को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्री, माल यातायात और पार्सल सेगमेटों से आमदनी सहित रेलवे की वित्तीय स्थिति का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और नवम्बर 2013 तक चालू वर्ष के दौरान प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत परिचालनिक व्यय का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान आमदनी और परिचालनिक व्यय का का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया है। बहरहाल, भारतीय रेलों पर मंडल-वार लागत और लाभ अवधारणा पर मौजूद नहीं है।

(घ) जी हां, यातायात के स्तर, कर्मचारियों की लागत, मूल्य में वृद्धि आदि में बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में परिचालनिक व्यय वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान क्रमशः 3.54 प्रतिशत, 9.39 प्रतिशत और 12.71 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद कर्मचारी लागत में बढ़ोतरी, एचएसडी तेल की कीमतों के डी-रेगुलेशन और सामान्य मूल्य बढ़ोतरी के कारण हुई है।

(ङ) परिचालनिक खर्चों को नियंत्रित करने के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सीमित संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना, बेहतर जनशक्ति योजना के जरिए कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, बेहतर रूप से संपत्ति का उपयोग, मालसूची प्रबंधन के सुधार, ईंधन खपत का ईष्टतमीकरण, संविदात्मक भुगतान, समयोपरि भत्ते, सामग्री की खरीद जैसे क्षेत्रों में खर्च पर कड़ा नियंत्रण, आतिथ्य-सत्कार, प्रचार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोह, सेमिनार, कार्यशाला, आकस्मिक कार्यालय व्यय, जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता और किफायती उपाय, वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्रित नियंत्रण और प्रबंधन व्यय पर दिशानिर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन, मासिक बजट अनुपात के संबंध में खर्चों पर कड़ी निगरानी आदि शामिल हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्री, माल यातायात और पार्सल से आमदनी सहित रेलवे की जोन-वार वित्तीय स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

जोत	2010-11					2011-12				
	यात्री	अन्य कोचिंग (पार्सल सहित)	माल	विविध	कुल	यात्री	अन्य कोचिंग (पार्सल सहित)	माल	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य	3079.25	317.68	3889.56	179.95	7466.44	3348.00	353.92	4437.15	191.54	8330.61
पूर्व	1245.33	144.87	2364.77	85.10	3840.07	1355.30	163.31	2554.37	96.34	4169.32
पूर्व मध्य	1290.00	46.64	4059.14	53.92	5449.70	1481.10	48.78	4618.83	70.38	6219.09
पूर्व तट	648.40	58.49	8119.51	61.41	8887.81	747.43	59.34	8124.59	81.15	9012.51
उत्तर	3516.29	507.20	4695.49	1056.52	9775.50	3764.81	556.44	5299.73	877.47	10498.45
उत्तर मध्य	2532.46	123.93	5231.69	77.67	7965.75	2741.63	129.38	6067.19	95.14	9033.34
पूर्वोत्तर	841.28	61.23	720.68	59.74	1682.93	916.87	57.32	877.94	67.15	1919.28
पूर्वोत्तर सीमा	586.74	104.69	1307.09	617.54	2616.06	659.66	105.36	1490.87	627.03	2882.92
उत्तर पश्चिम	862.07	109.21	2317.35	91.09	3379.72	1015.72	158.88	2630.24	167.25	3972.09
दक्षिण	2317.69	257.71	1952.91	261.97	4790.28	2565.97	269.58	2234.08	538.45	5608.08
दक्षिण मध्य	2409.44	224.30	5764.51	133.66	8531.91	2600.96	253.41	6437.43	148.34	9440.14
दक्षिण पूर्व	831.60	92.42	6643.74	184.59	7752.35	899.16	122.97	6727.33	109.55	7859.01
दक्षिण पूर्व मध्य	565.29	34.79	5159.18	40.58	5799.84	627.79	38.59	5831.90	50.48	6548.76
दक्षिण पश्चिम	809.53	127.28	1820.42	109.36	2866.59	869.07	130.51	1868.28	89.13	2956.99
पश्चिम	2565.12	209.91	4716.62	329.19	7820.84	2788.04	218.22	5547.40	357.95	8911.61
पश्चिम मध्य	1605.16	49.49	4082.06	59.81	5796.52	1773.56	50.52	4800.26	59.87	6684.21
मेट्रो	86.98	0.00	0.00	16.17	103.15	91.36	0.00	0.00	15.78	107.14
भारतीय रेल	25792.63	2469.84	62844.72	3418.27	94525.46	28246.43	2716.53	69547.59	3643.00	104153.55

—जारी

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्री, माल यातायात और पार्सल से आमदनी सहित रेलवे की जोन-वार वित्तीय स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

जोत	2011-12					2012-132013-14 (नवंबर, 2013 तक)				
	यात्री	अन्य कोचिंग (पार्सल सहित)	माल	विविध	कुल	यात्री	अन्य कोचिंग (पार्सल सहित)	माल	विविध	कुल
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मध्य	3669.88	396.80	5911.36	256.65	10231.68	2650.57	290.78	3826.16	6919.07	10231.68
पूर्व	1482.72	174.11	3070.90	114.04	4841.76	1159.55	173.04	1956.04	3354.65	4841.76
पूर्व मध्य	1608.50	55.93	6115.85	90.22	7870.50	1235.39	39.82	4257.70	5593.36	7870.50
पूर्व तट	846.05	68.45	9460.99	137.07	10512.57	638.43	55.53	7004.31	7746.55	10512.57
उत्तर	4097.40	608.65	6243.12	1383.90	12333.07	3089.59	489.08	4315.75	8494.50	12333.07
उत्तर मध्य	3051.30	135.25	7430.15	135.24	10751.94	2277.56	91.30	5064.56	7507.19	10751.94
पूर्वोत्तर	977.21	61.33	1060.27	82.55	2181.36	788.64	43.91	763.92	1649.52	2181.36
पूर्वोत्तर सीमा	782.89	128.73	1541.47	614.78	3067.87	601.97	97.38	1004.51	1930.78	3067.87
उत्तर पश्चिम	1174.33	177.41	3617.34	100.33	5069.40	933.37	142.69	2492.48	3648.45	5069.40
दक्षिण	2823.61	320.03	2536.75	348.36	6028.75	2161.85	254.97	1761.38	4422.76	6028.75
दक्षिण मध्य	2867.84	282.63	8272.12	175.75	11598.33	2257.20	214.93	5650.14	8249.56	11598.33
दक्षिण पूर्व	1006.48	143.83	7986.17	131.33	9267.82	779.47	110.04	5589.72	6572.12	9267.82
दक्षिण पूर्व मध्य	716.20	46.37	7466.54	76.92	8306.03	560.42	36.25	5251.09	5906.10	8306.03
दक्षिण पश्चिम	947.05	121.95	2280.92	109.43	3459.35	760.93	93.09	15221.12	2428.12	3459.35
पश्चिम	3156.66	262.71	6550.14	394.97	10364.48	2313.79	197.06	4425.61	7156.76	10364.48
पश्चिम मध्य	2017.80	73.04	5718.49	93.18	7902.52	1509.74	80.35	3664.45	5311.05	7902.52
मेट्रो	96.93	0.00	0.00	16.64	113.57	75.62	0.00	0.00	82.52	113.57
भारतीय रेल	3054.23	3054.23	85262.58	4261.36	123901.01	23794.09	2410.22	58548.94	86973.06	123901.01

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष नवंबर, 2013 तक के दौरान प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत जोन-वार परिचालनिक व्यय

2010-11

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	पूर्वोरे	पूसीरे	उपरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग-3	357.23	456.08	225.67	124.64	453.71	191.01	230.31	233.55	206.49
मांग-4	610.22	381.38	391.51	299.01	872.62	462.45	266.71	513.27	331.37
मांग-5	289.83	298.11	168.50	126.70	422.86	160.39	100.34	136.46	99.79
मांग-6	713.86	909.56	479.46	235.31	950.00	158.11	250.00	374.64	235.40
मांग-7	392.47	338.54	315.48	158.53	483.13	268.01	153.40	188.95	143.64
मांग-8	622.86	507.53	465.14	235.99	737.50	347.91	194.69	211.32	206.98
मांग-9	1088.45	608.37	1136.77	669.71	1582.26	938.21	387.45	381.66	501.75
मांग-10	1618.91	862.56	1035.50	948.91	1750.24	1051.10	519.75	634.56	406.47
मांग-11	326.98	276.77	135.80	130.82	417.68	135.07	154.23	268.74	127.45
मांग-12	204.42	346.08	184.17	83.37	574.41	129.12	160.55	181.92	84.42
मांग-13	25.24	30.05	15.10	14.21	39.55	13.56	2.69	11.44	12.25
कुल	6250.47	5015.03	4553.10	3027.20	8283.96	3854.94	2420.12	3136.51	2656.01
उचंत	-41.51	-11.45	6.35	3.57	164.86	-4.58	-7.23	-23.78	-2.81
कुल सामान्य संचालन व्यय	6208.96	5003.58	4559.45	3030.77	8448.82	3850.36	2412.89	3112.73	2653.20

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।
मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।
मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।
मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।
मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।
मांग-12 विविध संचालन व्यय।
मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

—जारी

2010-11

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे	मेट्रो	कुल
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मांग-3	377.92	321.81	361.61	128.91	121.33	361.67	157.81	12.94	4322.69
मांग-4	487.62	774.41	404.69	228.13	205.52	648.82	407.31	21.53	7306.57
मांग-5	231.54	320.48	231.79	80.77	129.14	254.34	299.08	0.00	3350.12
मांग-6	649.36	530.30	608.81	211.72	254.25	805.68	196.13	24.61	7587.20
मांग-7	285.07	311.50	241.69	131.87	78.27	387.74	221.47	30.57	4130.33
मांग-8	406.14	389.47	413.88	266.97	165.41	466.76	297.53	39.40	5975.48
मांग-9	828.59	874.74	386.70	815.17	267.77	751.71	495.90	24.38	11739.59
मांग-10	1025.45	1747.88	759.26	583.34	777.63	1605.52	1102.46	18.13	16747.67
मांग-11	299.14	341.77	252.64	112.47	101.46	319.29	145.89	6.45	3552.65
मांग-12	200.85	198.59	233.24	70.41	67.70	242.25	83.23	10.63	3055.36
मांग-13	28.79	24.37	22.81	17.32	10.93	29.09	14.12	0.57	312.09
कुल	4820.47	5835.32	3917.12	2647.08	2179.41	5872.87	3420.93	189.21	68079.75
उचंत	-25.24	-15.05	-8.73	2.90	-0.12	-21.71	-15.53	-1.63	59.47
कुल सामान्य संचालन व्यय	4795.23	5850.37	3908.39	2649.98	2179.29	5851.16	3436.46	187.58	68139.22

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।

मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।

मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात

मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।

मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।

मांग-12 विविध संचालन व्यय।

मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

2011-12

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	पूर्वोरे	पूसीरे	उपरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग-3	371.50	465.62	252.58	135.56	481.87	202.98	250.72	263.22	222.64
मांग-4	634.83	406.48	420.69	327.68	949.77	510.38	305.17	555.79	355.55
मांग-5	293.79	324.61	224.14	134.76	469.96	158.03	85.97	128.99	105.64
मांग-6	785.65	1013.54	501.31	270.83	1043.47	183.57	296.69	388.74	302.15
मांग-7	391.58	380.23	329.08	170.99	498.56	280.35	163.80	190.53	163.58
मांग-8	695.79	567.43	486.90	273.65	837.26	363.37	210.09	222.47	230.84
मांग-9	1122.56	811.95	1031.39	625.21	1859.31	1040.00	494.03	397.71	505.45
मांग-10	1873.17	888.10	1162.37	976.98	1949.13	1193.62	668.25	743.51	783.35
मांग-11	339.33	301.41	162.25	141.44	481.95	142.88	172.09	296.74	151.84
मांग-12	253.38	370.00	247.48	102.75	763.88	210.30	143.59	213.97	97.84
मांग-13	31.15	37.99	22.21	17.09	50.61	16.33	3.72	14.96	14.99
कुल	6792.73	5567.37	4840.40	3176.94	9385.77	4301.81	2794.12	3416.63	2933.87
उचंत	-20.17	-12.20	-19.08	-9.95	-3.98	7.11	1.04	-27.96	-5.73
कुल सामान्य संचालन व्यय	6772.56	5555.17	4821.32	3186.89	9381.79	4308.92	2795.16	3388.67	2928.14

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।
मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।
मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।
मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।
मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।
मांग-12 विविध संचालन व्यय।
मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

—जारी

2011-12

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे	मेट्रो	कुल
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मांग-3	400.24	340.00	383.45	139.92	130.78	384.21	171.47	13.72	4610.48
मांग-4	479.74	791.47	434.68	246.78	208.03	684.80	390.17	21.05	7723.06
मांग-5	234.23	304.68	234.94	93.49	141.56	235.33	321.22	0.00	3491.35
मांग-6	626.26	549.40	695.21	205.69	271.78	768.19	225.11	27.34	8154.93
मांग-7	301.34	340.47	274.74	135.06	90.27	403.78	232.06	34.30	4380.72
मांग-8	443.93	448.99	443.62	313.44	192.28	568.44	330.40	41.11	667001
मांग-9	773.47	1090.45	450.26	820.99	420.57	896.81	595.26	25.69	12961.11
मांग-10	1170.33	2008.74	846.25	659.24	838.09	1918.76	1104.47	24.72	18809.08
मांग-11	322.69	339.64	263.58	122.36	116.79	333.41	146.47	7.21	3842.08
मांग-12	257.87	206.92	243.21	71.42	77.84	268.87	85.73	11.25	3626.30
मांग-13	30.23	31.86	28.17	22.35	14.66	36.39	17.29	1.21	391.21
कुल	5040.33	6452.62	4298.11	2830.74	2502.65	6498.99	3619.65	207.60	74660.33
उचंत	22.36	-23.54	-21.55	-19.10	-16.36	17.60	-10.13	-1.18	-122.92
कुल सामान्य संचालन व्यय	5062.69	6429.08	4276.56	2811.64	2486.29	6516.59	3609.52	206.42	74537.41

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।

मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।

मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।

मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।

मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।

मांग-12 विविध संचालन व्यय।

मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

2012-13

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	पूर्वोरे	पूसीरे	उपरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग-3	409.65	520.64	288.32	152.62	545.60	226.02	280.23	294.04	250.50
मांग-4	68470	434.49	444.00	355.67	944.92	527.83	322.75	617.79	373.36
मांग-5	330.91	328.09	208.43	129.31	485.46	208.93	115.35	136.57	100.20
मांग-6	868.22	1128.09	556.48	305.22	1106.00	234.15	319.63	446.05	319.46
मांग-7	420.52	417.89	352.47	190.07	484.27	360.24	181.03	215.36	181.04
मांग-8	775.55	637.13	534.60	313.15	976.43	409.80	237.34	260.10	293.05
मांग-9	1285.32	907.43	1290.97	824.42	1957.94	1203.91	512.44	443.90	553.46
मांग-10	2263.69	1141.28	1351.71	1167.71	2306.78	1402.48	824.32	857.3	978.02
मांग-11	343.88	316.86	163.11	152.12	492.23	152.12	176.81	307.28	160.52
मांग-12	297.51	427.25	291.51	116.56	749.71	217.82	152.90	245.43	107.90
मांग-13	40.89	48.88	26.27	20.51	62.25	28.97	2.05	30.19	17.76
कुल	7720.83	6308.02	5507.86	3727.36	10111.59	4972.28	3124.86	3853.84	3335.27
उचंत	-24.01	-2.04	-22.50	6.36	-43.62	-3.06	10.32	-28.18	-52.23
कुल सामान्य संचालन व्यय	7696.82	6305.98	5485.35	3733.72	10067.97	4969.22	3135.19	3825.66	3283.04

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।
मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।
मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।
मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।
मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।
मांग-12 विविध संचालन व्यय।
मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

—जारी

2012-13

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे	मेट्रो	कुल
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मांग-3	446.43	375.55	429.97	159.32	149.63	437.03	190.92	15.77	5172.23
मांग-4	541.86	756.28	465.37	260.43	254.69	726.37	430.06	23.87	8164.45
मांग-5	267.22	374.41	293.12	101.94	141.83	268.82	347.42	0.00	3837.99
मांग-6	708.68	618.77	766.20	231.16	336.93	803.61	251.01	31.45	9031.12
मांग-7	321.08	385.07	293.31	147.34	87.90	431.16	261.11	36.54	4766.41
मांग-8	517.81	524.46	524.73	346.31	223.79	675.12	379.51	46.92	7675.81
मांग-9	970.90	1249.94	473.73	943.46	430.54	827.61	707.49	27.25	14610.70
मांग-10	1363.71	2407.37	1061.38	761.09	946.47	2146.86	1312.69	34.25	22326.94
मांग-11	342.01	375.28	292.50	137.90	122.52	365.70	155.65	7.84	4064.35
मांग-12	276.19	239.92	257.15	71.73	102.35	350.52	106.94	15.92	4027.30
मांग-13	42.32	42.34	34.74	25.65	19.32	42.87	23.97	2.01	511.01
कुल	5798.20	7349.38	4892.22	3186.34	2815.99	7075.68	4166.76	241.82	84188.31
उचंत	-45.37	36.95	-33.21	-11.42	14.87	0.19	22.73	-2.04	-176.27
कुल सामान्य संचालन व्यय	5752.83	7386.33	4859.01	3174.92	2830.86	7075.86	4189.50	239.77	84012.04

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।

मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।

मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।

मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।

मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।

मांग-12 विविध संचालन व्यय।

मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	पूर्वोरे	पूसीरे	उपरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग-3	290.46	387.90	215.07	112.81	384.70	183.19	202.20	206.27	179.01
मांग-4	493.21	323.65	377.46	314.26	691.42	385.71	235.52	389.16	265.38
मांग-5	243.97	233.24	176.99	112.78	326.24	118.31	83.15	108.39	79.75
मांग-6	626.72	832.45	417.61	253.32	807.03	210.66	218.59	303.29	233.07
मांग-7	306.09	288.01	287.55	141.92	391.15	264.61	123.44	140.57	125.49
मांग-8	580.88	482.40	478.18	260.36	741.69	311.64	170.57	191.07	238.48
मांग-9	1121.01	721.59	1115.48	818.09	1704.63	1094.51	433.49	325.41	473.76
मांग-10	1724.22	972.10	1148.33	1074.19	2077.55	1059.20	705.84	822.27	1133.79
मांग-11	257.73	214.63	131.88	131.13	380.54	131.78	130.97	203.80	114.10
मांग-12	201.32	278.90	146.27	84.10	526.69	155.16	112.17	165.65	89.10
मांग-13	39.06	41.99	28.89	20.68	55.81	25.74	19.80	30.86	21.31
कुल	5884.67	4776.86	4523.71	3323.64	8087.45	3940.51	2435.74	2886.74	2953.24
उचंत	214.90	62.48	7.11	108.94	71.58	39.67	43.84	188.53	141.10
कुल सामान्य संचालन व्यय	6099.57	4839.34	4516.60	3432.58	8159.03	3980.18	2479.58	3075.27	3094.34

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।
मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।
मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।
मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।
मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।
मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।
मांग-12 विविध संचालन व्यय।
मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

—जारी

2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

साधारण संचालन व्यय	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे	मेट्रो	कुल
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मांग-3	320.51	266.91	310.90	118.28	111.70	304.39	140.50	11.07	3745.87
मांग-4	383.30	572.68	330.76	201.79	189.15	533.26	335.71	13.38	6035.80
मांग-5	202.79	255.20	217.05	81.53	94.76	191.94	255.88	0.00	2781.97
मांग-6	515.02	460.16	499.55	157.51	233.05	585.83	187.52	21.24	6562.62
मांग-7	237.74	265.49	220.26	108.09	68.06	335.50	199.77	20.51	3524.25
मांग-8	333.71	404.58	400.03	261.18	165.80	492.77	278.61	38.47	5830.42
मांग-9	864.54	1067.77	505.88	866.86	393.04	675.24	638.30	20.04	12839.64
मांग-10	1195.12	2067.34	893.24	62.60	892.20	1679.20	1085.95	25.23	19176.37
मांग-11	250.23	273.09	204.79	103.80	89.53	269.67	120.13	4.52	3012.32
मांग-12	168.75	150.72	168.55	52.66	59.00	201.00	86.48	11.61	2658.13
मांग-13	43.28	40.50	31.56	22.84	18.79	35.37	21.57	1.68	499.73
कुल	4514.99	5824.44	3782.57	2595.14	2315.08	5304.17	3350.42	167.75	66667.12
उचंत	245.10	270.64	201.34	113.99	117.53	282.36	98.57	11.88	2205.34
कुल सामान्य संचालन व्यय	4760.09	6095.08	3983.91	2709.13	2432.61	5586.53	3448.99	179.63	68872.46

मांग-3 सामान्य सुपरिटेंडेंट और सेवाएं।

मांग-4 रेलपथ और निर्माण कार्य का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-5 मोटिव पॉवर का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-6 कैरिज और वैगनों का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-7 प्लांट और संयंत्र का रख-रखाव और अनुरक्षण।

मांग-8 परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर।

मांग-9 परिचालन व्यय-यातायात।

मांग-10 परिचालनिक व्यय-यातायात- ईंधन।

मांग-11 कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं।

मांग-12 विविध संचालन व्यय।

मांग-13 भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार आमदनी और व्यय

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

जोन	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (नवंबर, 2013 तक)	
	आमदनी	व्यय	आमदनी	व्यय	आमदनी	व्यय	आमदनी	व्यय
मध्य	7466.44	6208.96	8330.61	6772.56	10231.68	7696.82	6919.07	6099.57
पूर्व	3840.07	5003.58	4169.32	5555.17	4841.76	6305.98	3354.65	4839.34
पूर्व मध्य	5449.70	4559.45	6219.09	4821.32	7870.50	5485.35	5593.36	4516.60
पूर्व तट	8887.81	3030.77	9012.51	3186.89	10512.57	3733.72	7746.55	3432.58
उत्तर	9775.50	8448.82	10498.45	9381.79	12333.07	10067.97	8494.50	8159.03
उत्तर मध्य	7965.75	3850.36	9033.34	4308.92	10751.94	4969.22	7507.19	3980.18
पूर्वोत्तर	1682.93	2412.89	1919.28	2795.16	2181.36	3135.19	1649.52	2479.58
पूर्वोत्तर सीमा	2616.06	3112.73	2882.92	3388.67	3067.87	3825.66	1930.78	3075.27
उत्तर पश्चिम	3379.72	2653.20	3972.09	2928.14	5069.40	3283.04	3648.45	3094.34
दक्षिण	4790.28	4795.23	5608.08	5062.69	6028.75	5752.83	4422.76	4760.09
दक्षिण मध्य	8531.91	5850.37	9440.14	6429.08	11598.33	7386.33	8249.56	6095.08
दक्षिण पूर्व	7752.35	3908.39	7859.01	4276.56	9267.82	4859.01	6572.12	3983.91
दक्षिण पूर्व मध्य	5799.84	2649.98	6548.76	2811.64	8306.03	3174.92	5906.10	2709.13
दक्षिण पश्चिम	2866.59	2179.29	2956.99	2486.29	3459.35	2830.86	2428.12	2432.61
पश्चिम	7820.84	5851.16	8911.61	6516.59	10364.48	7075.86	7156.76	5586.53
पश्चिम मध्य	5796.52	3436.46	6684.21	3609.52	7902.52	4189.50	5311.05	3448.99
मेट्रो	103.15	187.58	107.14	206.42	113.57	239.77	82.52	179.63
भारतीय रेल	94525.46	68139.22	104153.55	74537.41	123901.01	84012.04	86973.06	68872.46

मुसलमानों का जीवन स्तर

1317. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में मात्र 32.66 रुपए प्रति व्यक्ति औसत व्यय के साथ मुसलमानों का रहन-सहन स्तर निम्न स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उनके रहन-सहन और प्रति व्यक्ति आय और व्यय में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का योजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना और राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके रहन-सहन में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की वर्ष 2009-10 में "एम्पालोयमेंट एंड अनएम्पलोयमेंट सिचवेशन अमंग मेजर रीलिजन ग्रुप इन इंडिया (जुलाई, 2009 - जून, 2010)" पर रिपोर्ट के अनुसार, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, जोकि सामान्यत: घर के रहन-सहन के स्तर को दर्शाने के लिए लिया जाता है, मुस्लिम समुदाय के लिए 980/- रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 833/- रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1272/- रुपए) था, जोकि सभी अल्पसंख्यक समुदायों में न्यूनतम था।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों हेतु उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के कमियों के निपटारे हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और अन्य अल्पसंख्यक विशेष मामलों जैसे वक्फ आदि के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) :** बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक देश के 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में कार्यान्वित किया गया है। इन जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल आबादी तथा पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर की गई थी। एमएसडीपी की पुनर्संरचना इसकी सीमा बढ़ाने और इसको लक्षित अल्पसंख्यकों पर और अधिक केन्द्रित करने तथा प्रभावी बनाने के लिए की गई है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए योजना की ईकाई को जिले से बदलकर ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। कार्यक्रम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अब 710 ब्लॉकों और 16 नगरों को अभिज्ञात किया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बहुल गांवों (न्यूनतम 50% अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले) को भी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। एमएसडीपी के अंतर्गत इसके आरंभ से 30.11.2013 तक निर्माण की गई अवसंरचना सुविधाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार जारी की गई/उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ii) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना :** इस योजना के अंतर्गत, 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले उन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

(iii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :** इस योजना के अंतर्गत, 11वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले उन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा अथवा समकक्ष ग्रेड में 50% से कम अंक न हों और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 रुपए लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV पर दिए गए हैं।

(iv) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति :** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धन एवं मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-V पर दिए गए हैं।

(v) **नि: शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना :** इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, सुधारात्मक कोचिंग, अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों आदि के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-VI पर दिए गए हैं।

(vi) **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति :** अध्येतावृत्ति का उद्देश्य एम. फिल और पीएचडी जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समन्वित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यह अध्येतावृत्ति योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-VII पर दिए गए हैं।

(vii) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के लिए इक्विटी अंशदान :** इस योजना के अंतर्गत, सरकार एनएमडीएफसी को इसकी योजनाओं अर्थात् लघु वित्त योजना, सावधि ऋण, शैक्षिक ऋण, कौशल विकास और महिला समृद्धि योजना आदि के कार्यान्वयन के लिए रियायती ब्याज दर पर मूल इक्विटी अंशदान प्रदान करता है।

(viii) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता अनुदान :** इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ को कॉरपस निधि के रूप में सहायता-अनुदान जारी किया जाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहायता-अनुदान का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक संस्थानों को अवसंरचना विकास

और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण के लिए करता है। इन योजनाओं पर व्यय कॉरपस निधि से अर्जित ब्याज से किया जाता है।

(ix) **नई रोशनी :** नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके सशक्तिकरण हेतु नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना। इस योजना का कार्यान्वयन 2012-13 से आरंभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूलों जैसे बैंकिंग प्रणालियों, सरकारी योजनाओं, जीविका कौशलों, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 40,000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 15.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। जिसमें से 36,950 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 64 संगठनों को 10.45 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकारों से सिफारिशों के साथ विलंब से प्राप्त प्रस्तावों पर वर्ष 2013-14 के दौरान विचार किया गया था और 12 राज्यों में 12250 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 36 संगठनों को 2.81 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 40,000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 15.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्वीकृत संगठनों की राज्य-वार सूची और निर्मुक्त राशि संलग्न विवरण-VIII और IX पर है।

(x) **सीखो और कमाओ :** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "सीखो और कमाओ" (Learn and Earn) की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य विभिन्न आधुनिक-पारंपरिक व्यवसायों में अल्पसंख्यक युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की क्षमता, जिससे उन्हें समुचित रोजगार मिल सकता है अथवा स्व-रोजगार अपनो हेतु उन्हें विधिवत रूप से कुशल बना सकता है, के आधार पर उनके कौशलों का उन्नयन करना है। यह योजना परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को यह सुनिश्चित करने के लिए शर्त रखती है कि प्रशिक्षित युवाओं के न्यूनतम 75% को रोजगार दिया जाए जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। वर्ष 2013-14 के लिए 17 करोड़ रुपए के आवंटन सहित 7500 लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। 500 अल्पसंख्यक युवाओं हेतु एक प्रायोगिक परियोजना की आईएल एंड एफएस कौशल विकास निगम के सहयोग से पांच स्थानों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बंगलुरु (कर्नाटक), बरनाला (पंजाब) तथा शिलांग (मेघालय) में पहले से ही शुरुआत की जा चुकी है। मंत्रालय ने पीआईए को पैनल में शामिल करने के लिए पहले ही कार्रवाई की है। एनएमडीएफसी ने भी "अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को ड्राइवर का प्रशिक्षण" प्रदान करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लि. (एमएसआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम की कर्नाटक में नवंबर, 2013 के दौरान पहले ही शुरुआत की जा चुकी है।

इसके अलावा, बहु-क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) को भी इस सीमा तक पुनर्गठित किया गया है कि राज्यों को दिया जाने वाला कम से कम 10% आवंटन अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित होगा। 60,000 लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए के आवंटन से कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 17,876 व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षणों के लिए 22.98 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

(xi) **संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता की योजना।**

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य संघ लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में चयन हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा इन सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। ग्रुप 'ए' और 'बी' (राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता की दर 4.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अनाधिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों हेतु राजपत्रित पद के लिए 50,000/- रुपए तथा अराजपत्रित पद के लिए 25,000/- रुपए है। योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई है। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पहले ही मंगाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय का अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं को अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्यों/वित्तीय परिव्ययों का या तो 15% विनिर्धारित करके अथवा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ/निधियों के प्रवाह की विशिष्ट निगरानी करते हुए शामिल किया जाता है।

विवरण-I

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत 30.11.2013 तक निर्माण की गई राज्य-वार अवसंरचना सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य		इंदिरा आवास योजना के मकान	स्वास्थ्य केन्द्र	आंगनवाड़ी केन्द्र	हैंड पम्प	पेयजल सुविधाएं	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कूल भवन	शिक्षण सहायक	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूलों में कम्प्यूटर	आई-टीआई भवन	पोलीटेक्नीक	स्कूलों शौचालय एवं पेयजल	छात्रावास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	85054	1041	11187	21054	79	1087	203	272	16	110	53	24	1929	28
		उपलब्धि	73907	623	6971	9262		431	13	0	0		6	0	788	2
		कार्य प्रगति पर	3305	62	1808	1021		185	46	0	0		22	18	38	7
2.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	55222	946	11013	12486	4557	9484	111	50	60		24	9	794	176
		उपलब्धि	35382	687	6202	6994		5526	34	40	60		1	0	10	14
		कार्य प्रगति पर	2269	56	934	517		1037	7	0	0		6	3	134	45
3.	असम	लक्ष्य	89836	133	2077	12096		3566	0	16	50		15	1	294	40
		उपलब्धि	39598	69	469	3402		438	0	0	0		0	0	37	0
		कार्य प्रगति पर	13944	12	493	330		958	0	0	0		0	0	99	0
4.	बिहार	लक्ष्य	41287	409	4835	2533		2970	94	0	53		3	3	1386	52
		उपलब्धि	15480	76	1310	1190		1071	52	0	37		0	0	404	9
		कार्य प्रगति पर	16403	90	1772	1196		640	7	0	7		2	0	74	19
5.	मणिपुर	लक्ष्य	5940	154	75	679		25	375	0	0		1	0	0	35
		उपलब्धि	5940	70	60	422		0	188	0	0		0	0	0	1
		कार्य प्रगति पर	0	82	15	224		0	183	0	0		1	0	0	11
6.	हरियाणा	लक्ष्य	2000	6	142	0		183	8	0	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	1956	0	71	0		63	6	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	6	0	19		32	8	0	1		0	0	0	0

7.	झारखंड	लक्ष्य	9215	256	1564	7		222	1	1	0		11	3	0	22
		उपलब्धि	8565	158	985	0		1	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	472	57	238	0		3	0	1	0		1	0	0	2
8.	उत्तराखंड	लक्ष्य	0	24	455	914		69	2	0	0		1	2	17	0
		उपलब्धि	0	0	100	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	124	0		0	0	0	0		0	0	0	0
9.	महाराष्ट्र	लक्ष्य	11670	0	626	0		0	0	0	0		0	0	0	14
		उपलब्धि	10471	0	405	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	1028	0	148	0		0	0	0	0		0	0	0	4
10.	कर्नाटक	लक्ष्य	5900	38	366	0		50	1	1	0		0	0	50	30
		उपलब्धि	3211	20	254	0		44	0	0	0		0	0	0	10
		कार्य प्रगति पर	942	9	101	0		4	0	0	0		0	0	0	20
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लक्ष्य	0	0	35	0		0	0	25	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	11	0		0	0	12	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	15	0		0	0	13	0		0	0	0	0
12.	ओडिशा	लक्ष्य	10037	36	293	0	2	193	0	0	10	30	2	0	64	4
		उपलब्धि	4960	4	144	0		11	0	0	0		0	0	42	0
		कार्य प्रगति पर	780	11	7	0		0	0	0	0		0	0	22	0
13.	मेघालय	लक्ष्य	5649	19	1022	1864		78	1	0	0		0	0	400	11
14.	केरल	उपलब्धि	0	29	0	3	1	195	0	0	0		0	1	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	10	0	1		38	0	0	0		0	0	0	0
		लक्ष्य	0	0	0	2		0	0	0	0		0	1	0	0
15.	मिजोरम	लक्ष्य	2758	23	224	24		54	17	0	0		2	0	0	9
		उपलब्धि	2236	16	158	0		31	17	0	0		0	0	0	5
		कार्य प्रगति पर	0	1	3	14		23	0	0	0		1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	जम्मू और कश्मीर	लक्ष्य	0	0	100	132		22	0	0	0		1	1	0	8
		उपलब्धि	0	0	2	21		10	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	35	61		5	0	0	0		0	0	0	0
17.	दिल्ली	लक्ष्य	0	5	0	1		100	2	0	4		1	0	19	0
		उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	10	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	0	1		80	0	0	0		0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	लक्ष्य	1000	0	224	0		0	2	0	0		0	0	0	4
		उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	750	0	95	0		0	0	0	0		0	0	0	1
19.	सिक्किम	लक्ष्य	250	1	56	4		22	12	0	0		0	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	30	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	250	0	10	0		11	0	0	0		0	0	0	0
20.	अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य	7435	50	651	0	258	447	64	10	14		0	0	44	167
		उपलब्धि	4359	15	452	0		195	35	5	9		0	0	2	23
		कार्य प्रगति पर	1384	18	105	0		43	14	5	1		0	0	0	82
21.	आंध्र प्रदेश	लक्ष्य	0	11	70	0	0	349	7	27	0	340	0	0	5	1
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
22.	त्रिपुरा	लक्ष्य		11				6								2
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
23.	पंजाब	लक्ष्य	23	10	198			73		4						
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														

24. राजस्थान	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
25. गुजरात	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
26. छत्तीसगढ़	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
योग	लक्ष्य	333276	3202	35213	52056	5086	19195	900	405	207	480	116	44	5002	603
	उपलब्धि	210565	1748	17672	22562	0	7911	345	57	103	0	7	0	1293	67
	कार्य प्रगति पर	41527	404	5936	3416	0	3023	266	19	9	0	35	22	367	193

विवरण-II

एमएसडीपी के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13*		2013-14*	
		जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	21106.29	16648.87	16027.59	7789.33	23040.62	1922.21	22813.478	उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2015 तक देय है।
2.	पश्चिम बंगाल	23105.55	23100.55	10208.23	8866.79	20055.76	1699.07	30572.571	
3.	असम	9611.71	9588.32	17859.10		491.17		2944.61	
4.	बिहार	12250.15	9961.46	16152.29	7421.81	8054.41	1814.97	364.8725	
5.	मणिपुर	371.25	169.01	2655.72	711.82	0.00		2198.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	1186.17	874.26	1140.04	184.35	0.00		651.92	उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2015 तक देय है।
7.	झारखंड	5533.46	4657.89	3981.41	1057.60	2255.23		1623.975	
8.	उत्तराखंड	2229.65	61.92	194.34		202.88		861.15	
9.	महाराष्ट्र	2953.59	2670.09	490.99	148.39	1085.00		322.24	
10.	कर्नाटक	2129.39	1850.52	1089.58	715.89	1028.84		0	
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.94	15.94	51.27	51.27	25.30	25.30	515.98	
12.	ओडिशा	1517.24	1147.9	3.73		783.34		1509.44	
13.	मेघालय	1519.83	1519.8	441.00	441.00	762.33		2	
14.	केरल	641.63	631.24	744.81	707.75	412.07		1001.27	
15.	मिजोरम	1456.78	1459.63	865.09	750.35	721.62	155.51	657.98	
16.	जम्मू और कश्मीर	0		750.03		0.00		323.363	
17.	दिल्ली	48.75	48.75	895.98	356.35	203.75		0	
18.	मध्य प्रदेश	752.7	278.04			0.00		346.54	
19.	सिक्किम	568.879	419.18	526.98		202.38		2	
20.	अरुणाचल प्रदेश	4319.499	4319.499	3912.65	2205.476	4801.64	1522.33	3041.045	
21.	आंध्र प्रदेश							1656.01	
22.	त्रिपुरा							1710.785	
23.	पंजाब							1059.8	
24.	राजस्थान							0	
25.	गुजरात							0	
26.	छत्तीसगढ़							0	
	सकल योग	91318.46	79422.87	77990.82	31408.18	34126.34	7140.09	74179.619	

*वर्ष 2012-13 के दौरान जारी निधियों हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2014 तक देय तथा 2013-14 के दौरान जारी निधियों के लिए 31 मार्च, 2015 तक देय है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	86709	225462	147406	191973	173418	301275	173418	0		42.85		26.88		47.91		6.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	3836	0	6521	0	7673	0	7673	0		0.00		0.00				
3.	असम	98109	38259	166785	86159	196218	181267	196218	179264		8.37		21.25		37.64		28.15
4.	बिहार	145809	320107	247875	193967	291618	80622	291618	0		34.12		29.01				
5.	छत्तीसगढ़	9909	6976	16845	12610	19818	18235	19818	20196		1.31		2.93		4.33		4.87
6.	गोवा	4905		8340	0	9812	0	9812	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.04	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.00	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	
7.	गुजरात	52260	0	88842	0	104520	0	104520	0		0.00		0.00				
8.	हरियाणा	25709	24823	43705	0	51418	50308	51418	0		2.41		2.03		3.15		
9.	हिमाचल प्रदेश	3009	1166	5115	5171	6018	3652	6018	0		0.19		0.52		0.58		
10.	जम्मू और कश्मीर	75309	116571	128026	250983	150618	225646	150618	0		12.93		31.44		28.25		
11.	झारखंड	51909	26107	88245	51082	103818	45878	103818	0		4.13		10.53		8.76		
12.	कर्नाटक	83209	314508	141457	426813	166418	416243	166418	399644		33.16		49.05		42.89		42.90
13.	केरल	146900	563560	249731	696630	293800	944918	293800	884682		42.69		52.77		71.58		67.01
14.	मध्य प्रदेश	46209	61052	78555	135932	92418	129672	92418	0		6.89		17.93		16.84		10.85
15.	महाराष्ट्र	183638	545201	312187	701343	367276	788973	367276	785177		40.98		54.72		58.73		56.49
16.	मणिपुर	9855		16753	9438	19708	32279	19708	0		0.00		1.19		11.09		2.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	18255	12846	31032	17781	36508	19945	36508	0		1.63		2.44		2.76		
18.	मिज़ोरम	9136	14053	15533	13485	18273	40615	18273	53615		2.25		2.49		9.76		13.41
19.	नागालैंड	19355	4400	32901	10056	38708	18679	38708	0		0.51		2.07		4.00		
20.	ओडिशा	17909	17909	30445	24553	35818	34673	35818	38611		1.39		2.00		3.97		3.04
21.	पंजाब	161127	279082	273917	296660	322258	266188	322258	0		25.66		29.23		51.92		
22.	राजस्थान	60109	121988	102186	148816	120218	199885	120218	280100		10.85		10.14		22.56		31.66
23.	सिक्किम	2136	2434	3633	3269	4274	4115	4274	3693		0.40		0.61		0.73		0.69
24.	तमिलनाडु	76709	312415	130407	301278	153418	340647	153418	362547	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	28.17	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	32.28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	36.30	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	38.68
25.	त्रिपुरा	4836	1617	8221	1356	9673	3721	9673	6524		0.12		0.10		0.42		0.74
26.	उत्तर प्रदेश	337109	465812	573086	971245	674218	1089486	674218	1167207		65.27		148.11		204.25		242.22
27.	उत्तराखंड	13309	1132	22625	3103	26618	11907	26618	0		0.23		0.43		2.95		
28.	पश्चिम बंगाल	222309	913002	377926	955205	444618	1165386	444618	1067124		76.53		82.98		111.87		100.06
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1155		1961	237	2309	277	2309	0		0.01		0.03		0.05		
30.	चंडीगढ़	2027		3446	4000	4054	0	4054	3318		0.00		0.51		0.50		0.36
31.	दादरा और नगर हवेली	255	72	432	152	509	233	509	0		0.04		0.06		0.05		
32.	दमन और दीव	233	113	395	183	466	500	466	0		0.03		0.07		0.15		
33.	दिल्ली	24709	30904	42206	12732	49418	21759	49418	0		3.03		1.35		2.21		
34.	लक्षद्वीप	682	0	1158	0	1364	0	1364	0		0.00		0.00				
35.	पुदुचेरी	1355		2302	2345	2709	0	2709	2345		0.03		0.30				0.14
	योग	2000000	4421571	3400000	5528557	4000000	6436984	4000000	5254047	450.00	446.25	600.00	615.47	900.00	786.19	950.00	649.58

*नवीकरण सहित।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	17342	42972	22761	20550	21345	26904	21345	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	35.24	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	17.28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	16.65	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	7.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	773	0	1011	0	1150	0	1150	0		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम	19622	4730	25753	6119	29600	19276	29600	0		5.60		4.46		12.06		0.00
4.	बिहार	29162	24709	38276	42765	35897	26911	35897	0		15.96		25.49		7.90		0.00
5.	छत्तीसगढ़	1982	1396	2601	1863	2449	2615	2449	0		1.03		1.57		2.30		0.00
6.	गोवा	993	523	1299	187	1201	211	1201	0		0.21		0.07		0.61		0.00
7.	गुजरात	10453	12290	13723	15559	12851	20612	12851	15622		4.47		7.78		11.19		7.66
8.	हरियाणा	5142	2564	6748	575	6349	1373	6349	0		1.48		1.48		0.00		0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	602	355	789	517	749	424	749	0		0.21		0.20		0.31		0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	15062	10766	19767	28427	18544	10491	18544	0		5.24		14.15		6.10		0.00
11.	झारखंड	10382	9825	13626	14418	12800	10112	12800	0		6.15		10.05		5.86		6.51
12.	कर्नाटक	16642	43344	21842	65887	20493	33160	20493	1498		12.35		24.85		18.07		11.25
13.	केरल	29379	60782	38562	75220	36151	95379	36151	0		9.98		21.69		27.13		0.00
14.	मध्य प्रदेश	9242	7795	12130	11138	11349	12343	11349	10233		3.31		6.17		6.95		6.94
15.	महाराष्ट्र	36675	44579	48157	48505	45189	42802	45189	2454		20.09		31.06		26.20		1.59
16.	मणिपुर	1982	1400	2595	0	3000	3619	300	2037		0.00		0.00		2.82		1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	3662	256	4799	227	5500	223	5500	0		0.19		0.19		0.19		0.00
18.	मिज़ोरम	1833	3416	2401	3417	2750	4329	2750	298		2.81		3.43		4.32		1.52
19.	नागालैंड	3882	68	5088	48	5851	90	5851	0		0.05		0.04		0.07		0.00
20.	ओडिशा	3582	1049	4700	1114	4400	2143	4400	0		1.03		0.00		1.23		2.42
21.	पंजाब	32142	27245	42243	50928	39640	54403	39640	4062		14.83		39.42		43.55		21.77
22.	राजस्थान	12022	10873	15778	19555	14800	23167	14800	0		4.66		12.77		15.35		0.00
23.	सिक्किम	433	625	564	549	651	565	651	0		0.31		0.40		0.40		0.00
24.	तमिलनाडु	15342	34107	20136	35484	18900	42525	18900	0		10.67	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	17.68	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	21.14	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	10.06
25.	त्रिपुरा	973	329	1273	376	1451	445	1451	0		0.17		0.12		0.44		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	67422	90386	88491	138138	82950	193361	82950	94669		46.42		74.81		36.72		58.43
27.	उत्तराखंड	2662	171	3494	444	3300	540	3300	0		0.08		0.19		1.64		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	44462	87752	58356	118441	54790	125909	54790	0		25.77		46.87		56.95		30.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	242	9	311	9	501	21	501	0		0.01		0.00		0.01		0.00
30.	चंडीगढ़	410	77	536	140	900	267	900	0		0.09		0.06		0.18		0.11
31.	दादरा और नगर हवेली	62	30	74	30	100	33	100	0		0.02		0.01		0.01		0.00
32.	दमन और दीव	64	22	77	29	100	52	100	0		0.02		0.03		0.05		0.00
33.	दिल्ली	4942	866	6486	1061	3799	338	3799	0		0.38		0.56		0.17		0.00
34.	लक्षद्वीप	153	0	190	0	300	0	300	0		0.00		0.00		0.00		0.00
35.	पुदुचेरी	282	333	363	230	200	0	200	0		0.13		0.10		0.00		0.00
	योग	4000000	525644	525000	701950	500000	755643	500000	130873	265.00	228.96	450.00	362.99	500.00	326.55	549.00	167.18

*नवीकरण सहित।

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	867	1314	867	1126	2601	1664	2601	0		3.99		3.09		4.58		0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	0	38	0	114	0	114	1		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम	981	1908	981	1702	2943	2311	2943	0		5.39		4.94		6.52		0.00
4.	बिहार	1458	3133	1458	3703	4374	4354	4374	2054		9.46		9.98		12.01		5.65
5.	छत्तीसगढ़	99	148	99	140	297	201	297	50		0.39		0.43		0.57		0.14
6.	गोवा	49	79	49	84	147	97	147	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.20	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.23	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.07	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.00
7.	गुजरात	523	928	523	941	1569	2016	1569	1675		2.02		2.26		4.90		3.90
8.	हरियाणा	257	310	257	362	771	770	771	0		0.83		1.03		2.06		0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	30	37	30	36	90	86	90	0		0.09		0.12		0.25		0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	753	1443	753	1614	2259	2936	2259	0		3.62		4.75		7.94		0.00
11.	झारखंड	519	916	519	941	1557	1279	1557	0		2.54		2.70		3.41		0.11
12.	कर्नाटक	832	1986	832	2217	2496	3586	2496	520		5.30		5.99		9.43		1.36
13.	केरल	1469	4443	1469	4661	4407	8627	4407	5130		11.85		13.12		24.20		11.15
14.	मध्य प्रदेश	462	814	462	843	1386	1725	1386	1341		2.10		2.27		4.60		3.59
15.	महाराष्ट्र	1840	2463	1840	3475	5520	4665	5520	0		5.49		9.27		12.20		0.00
16.	मणिपुर	98	184	98	247	294	330	294	0		0.68		0.77		0.98		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	182	224	182	305	546	412	546	0		0.66		0.95		1.25		0.00
18.	मिज़ोरम	91	188	91	145	273	85	273	0		0.49		0.39		0.23		0.00
19.	नागालैंड	193	345	193	399	579	689	579	0		1.57		1.22		2.11		0.00
20.	ओडिशा	179	191	179	201	537	427	537	110		0.53		0.68		1.24		0.29
21.	पंजाब	1615	2541	1615	2774	4845	4859	4845	1562		7.12		8.65		13.34		4.75
22.	राजस्थान	601	1001	601	1187	1803	2519	1803	0		2.23		3.26		6.73		0.00
23.	सिक्किम	21	145	21	77	63	111	63	0		0.49		0.24		0.31		0.00
24.	तमिलनाडु	767	2118	767	2390	2301	3225	2301	993		5.57	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	6.33	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	8.05	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	2.55
25.	त्रिपुरा	48	73	48	65	144	113	144	0		0.21		0.18		0.35		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3371	6962	3371	6634	10113	11647	10113	15404		17.97		16.17		29.14		40.27
27.	उत्तराखंड	133	127	133	214	399	333	399	0		0.35		0.67		1.00		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2223	6599	2223	5539	6669	8440	6669	1498		17.14		14.84		22.28		3.90
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	11	11	7	33	7	33	0		0.04		0.04		0.01		0.00
30.	चंडीगढ़	20	17	20	18	60	21	60	0		0.16		0.12		0.11		0.03
31.	दादरा और नगर हवेली	2	0	2	0	6	0	6	0		0.00		0.00		0.00		0.00
32.	दमन और दीव	2	1	2	2	6	3	6	0		0.00		0.01		0.01		0.00
33.	दिल्ली	247	385	247	408	741	525	741	0		0.80		0.99		1.26		0.00
34.	लक्षद्वीप	6	0	6	0	18	0	18	0		0.00		0.00		0.00		0.00
35.	पुदुचेरी	13	22	13	19	39	33	39	6		0.05		0.05		0.07		0.01
	योग	400000	41056	20000	42476	60000	68096	60000	30344	135.00	108.76	140.00	115.72	220.00	181.21	270.00	77.70

*नवीकरण सहित।

विवरण-VI

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत की निधियां और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (26.08.2013 तक)		
		वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0		0	0		0	0			
2.	आंध्र प्रदेश		3724875	50		2661000	200		704050	300			4814250
3.	अरुणाचल प्रदेश		0	0		0	0		0	0			
4.	असम		9374000	500		28815250	1100		12027000	150			
5.	बिहार	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	8469500	500	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	26990000	1000	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	11151875	400	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		3273750
6.	चंडीगढ़		0	0		0	0		0	0			
7.	छत्तीसगढ़		0	0		0	0		0	0			
8.	दादरा और नगर हवेली		0	0		0	0		0	0			
9.	दमन और दीव		0	0		0	0		0	0			
10.	दिल्ली		744750	0		1856000	0		5378500	356			129500
11.	गोवा		0	0		0	0		460500	50			
12.	गुजरात		630000	50		0	0		1595250	125		100	3032250
13.	हरियाणा		1159000	100		3493500	200		3875000	100			584375
14.	हिमाचल प्रदेश		0	0		0	0		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	जम्मू और कश्मीर	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	47500000	500	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	2162500	150	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		
16.	झारखंड		33500000	200		12278500	500		0	0			
17.	कर्नाटक		1447500	0		15017250	500		1237375	100			7850000
18.	केरल		4844000	600		7997000	500		4287500	350		300	12589500
19.	मध्य प्रदेश		1179625	0		1792500	150		7387625	500			480600
20.	महाराष्ट्र		58199500	2200		2337500	200		5773500	320		80	1544250
21.	मणिपुर		775750	30		1016750	0		9206850	700			2383850
22.	मेघालय		0	0		0	0		0	0			
23.	मिज़ोरम		655625	0		9601500	300		2561750	100			680000
24.	नागालैंड		0	0		0	0		574125	50			574125
25.	ओडिशा		723000	70		0	0		5045500	250			
26.	पंजाब		1083250	0		0	0		0	0			
27.	राजस्थान		1932625	50		3908000	350		6127875	250		40	2451500
28.	सिक्किम		0	0		0	0		0	0			
29.	तमिलनाडु		1495500	150		396000	50		622500	150			622500
30.	त्रिपुरा		1253900	40		1607500	100		1607500	0			
31.	उत्तर प्रदेश		5309250	225		15018975	980		34362375	1695		80	15995350
32.	उत्तराखंड		348750	30		658775	50		1963725	120			846500
33.	पश्चिम बंगाल		37031375	50		19604000	1200		15495250	500		300	9803000
34.	लक्षद्वीप		0	0		0	0		0	0			
35.	पुदुचेरी		0	0		0	0		0	0			
	योग	15.00	143731775	4845	16.00	159800000	7880	20.00	139974825	6716	25.00	900	73173700

विवरण-VII

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 28.02.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14** (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	31	69	31	103	31		31									
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	3	4	7	4		4									
3.	असम	33	67	33	102	33		33									
4.	बिहार	50	108	50	163	50		50									
5.	छत्तीसगढ़	6	11	6	17	6		6									
6.	गोवा	4	5	4	9	4		4	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।
7.	गुजरात	21	27	21	39	21		21									
8.	हरियाणा	12	13	12	21	12		12									
9.	हिमाचल प्रदेश	4	9	4	13	4		4									
10.	जम्मू और कश्मीर	27	62	27	101	27		27									
11.	झारखंड	21	36	21	57	21		21									
12.	कर्नाटक	31	55	31	88	31		31									
13.	केरल	50	116	50	173	50		50									
14.	मध्य प्रदेश	15	31	15	45	15		15									
15.	महाराष्ट्र	67	138	67	205	67		67									
16.	मणिपुर	4	10	4	15	4		4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	6	12	6	18	6		6									
18.	मिज़ोरम	4	9	4	13	4		4									
19.	नागालैंड	6	11	6	17	6		6									
20.	ओडिशा	6	9	6	14	6		6									
21.	पंजाब	59	134	59	196	59		59									
22.	राजस्थान	21	42	21	62	21		21									
23.	सिक्किम	4	4	4	8	4		4									
24.	तमिलनाडु	28	68	28	102	28		28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।
25.	त्रिपुरा	4	4	4	4	4		4									
26.	उत्तर प्रदेश	120	251	120	381	120		120									
27.	उत्तराखंड	4	8	4	13	4		4									
28.	पश्चिम बंगाल	81	158	81	220	81		81									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	2	4	2	4		4									
30.	चंडीगढ़	4	8	4	13	4		4									
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	4	0	4		4									
32.	दमन और दीव	4	0	4	0	4		4									
33.	दिल्ली	9	17	9	26	9		9									
34.	लक्षद्वीप	4	6	4	7	4		4									
35.	पुदुचेरी	4	8	4	12	4		4									
	योग	756	1511	756	2266	756	3020**	756	0	30.00	29.98	52.00	51.98	66.00	66.00	90.00	50.00

*नवीकरण सहित

**2012-13 की उपलब्धियां प्राप्त की जानी हैं।

विवरण-VIII

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		संगठन के नाम	2012-13 के दौरान जारी राशि (रुपए में)	पता
1	2		3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	(i)	ग्रोपियस सोशल वेलफेयर सोसाइटी	1967175	ग्रोपियस सोशल वेलफेयर सोसाइटी, डी-42, टॉप फ्लोर, साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली
		(ii)	सोसाइटी फोर कम्प्यूटर एजुकेशन डेवलपमेंट	5701920	सोसाइटी फोर कम्प्यूटर एजुकेशन डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, 20/177, इंदिरा नगर, लखनऊ
		(iii)	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी,	400680	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी, 93, अदल सराइन, कल्पी, जलाउ, उत्तर प्रदेश-285204
		(iv)	अल्लमा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी	851445	अल्लमा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, 13/750, शेखान, अचेनेरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-283101
		(v)	थारु जनजाति महिला विकास समिति	100700	थारू जनजाति महिला विकास समिति, 638, आवास विकास कॉलोनी, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश-271002
		(vi)	नेहरू युवा केन्द्र	3756375	नेहरू युवा केन्द्र बाराबंकी सिविल लाइन, लखनऊ रोड, बाराबंकी-225001
		(vii)	निर्मल इंडिया सेवा समिति	2504250	निर्मल इंडिया इंडिया सेवा समिति, बुक्सी का तलाब, लखनऊ-227202
		(viii)	श्री भोलानाथ सेवा संस्थान	300510	श्री भोलानाथ सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्टः किंधौरा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश
		(ix)	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान	1001700	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान, 259-एच, शिव सावित्रीपुरम, हुमायूंपुर (नोर्थ), गोरखपुर-273015
		(x)	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	710430	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
		(xi)	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	4053000	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, 263, हिंद नगर, कानपुर रोड, लखनऊ
		(xii)	बहिन	250425	बहिन वूमेन एम्पलोयमेंट सोसाइटी, 103, डाली बाग अपार्टमेंट, बटलर रोड, लखनऊ
		(xiii)	पोयनियर फाउंडेशन	3005100	पोयनियर फाउंडेशन, 250/15का, श्याम कुंज, यहियागंज, लखनऊ-226003
		(xiv)	आंचल वूमेन वेलफेयर सोसाइटी	1502550	आंचल वूमेन वेलफेयर सोसाइटी, 5/324, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010

1	2		3	4	5
		(xv)	पूर्वाचंल सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी	400680	पूर्वाचंल सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्रामः तिवारीपुर, पीओ मोहम्मदाबाद, जिला गाजियाबाद
		(xvi)	यूनिटी टेक्नीकल इंस्टिट्यूट सोसाइटी	250425	यूनिटी टेक्नीकल इंस्टिटयूट सोसाइटी, 178/152, बद्रीनाथ रोड, गोलागंज, लखनऊ-226018
		(xvii)	गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	915390	गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट जोनिहान जिला, फतेहपुर
		(xviii)	प्रगति पथगामिनी	1552635	प्रगति पथगामिनी, 643एम/788, श्री नगर मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
		(xix)	सर्व सुखी उज्ज्वल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	1001700	सर्व सुखी उज्ज्वल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1562, उत्तरी आवास विकास बस्ती-227001 (उत्तर प्रदेश)
		(xx)	प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्वा माध्यमिक विद्यालय समिति	400680	प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्वा माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्रामः जमालपुर, पोस्ट-मोहम्दाबाद, गोहना, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश-276403
		(xxi)	सद्भावना समिति	1001700	सद्भावना समिति, विभुति खंड-2, बेहनान पूर्वी, वेब सिनेमा के पीछे, गोमती नगर, लखनऊ-226015
		(xxii)	डेवलपमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल	1930950	डेवलपमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल, बी-152, दूसरा तल, सूर्या नगर, गाजियाबाद
		(xxiii)	साई सेवा संस्थान	2049600	साई सेवा संस्थान, 118, अशोक नगर, बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश 272153
		(xxiv)	महिला एवं बाल विकास संस्थान	765135	महिला एवं बाल विकास संस्थान विमला भवन, रामजानकी नगर, ब्लॉक (ए), बसरतपुर, गोरखपुर-273004
		(xxv)	इंस्टिट्यूट फोर सोसलिस्ट एजुकेशन	500850	इंस्टिट्यूट फोर सोसलिस्ट एजुकेशन सक्युलर हाउस, 9/1-इंस्टिट्यूशनल एरिया, अरुना आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
		(xxvi)	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान	1020180	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान, मरवाटिया, बंसगांव, गोरखपुर
		(xxvii)	इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	8198400	इंस्टिटयूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ए-1 एवं 2 इंडस्ट्रीयल एरिया, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008
		(xxviii)	त्रिपाठी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	11275950	त्रिपाठी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी (पंजी.) 208-ए, साकेत, मेरठ
		(xxix)	बाल भारती अकादमी	12605880	बाल भारती, ए-158, डिफेंस कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001

1	2		3	4	5
2.	उत्तराखंड	(i)	इदरा शबाब-ए-इस्लामी	460005	इदरा शबाब-ए-इस्लामी, लाइब्रेरी कॉप्लेक्स, मेहोन वाला माफी, पोस्ट मजरा, देहरादून, उत्तराखंड-7248171
		(ii)	हिमालया इंस्टिट्यूट फोर रुरल अवेकिंग	4099200	हिमालया इंस्टिट्यूट फोर रूरल अवेकिंग, सी-18, उग्रसेन नगर, पोस्ट बीरभद्र, जिला ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड
		(iii)	मानव सेवा समाज	150255	मानव सेवा समाज, मेन बाजार बेतालघट, ब्लॉक एंड तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल, उत्तराखंड
		(iv)	बालाजी सेवा संस्थान	305130	बालाजी सेवा संस्थान लेन सी-18, टर्नर रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून 248002
		(v)	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	460005	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी, तेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
3.	राजस्थान	(i)	सृजन संस्थान	2800875	सृजन संस्थान, गुलजार बाग कॉलोनी, भरतपुर, राजस्थान
		(ii)	जयपुर सेवा फाउंडेशन	929250	जयपुर सेवा फाउंडेशन, ए-81, चित्रकूट योजना, सेक्टर-2, अजमेर रोड के पास, जयपुर-302021
		(iii)	विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	250425	विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट पथ नं.2, विजय बाड़ी सिकर रोड, जयपुर-39, राजस्थान
		(iv)	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	1024800	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, जी-1, आर-20, युद्धिस्टर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302021
		(v)	चाणक्य युवा संघ	250425	चाणक्य युवा संघ, 10/13, सेक्टर-ए, प्रताप नगर, संगानेर, जयपुर
		(vi)	आर.के. संस्थान	250425	आर.के. संस्थान, 3/166, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान
		(vii)	नवजीवन सोसाइटी	250425	नवजीवन सोसाइटी, जयपुर 19, शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम, जयपुर
4.	कर्नाटक	(i)	कनसेर्टियम ऑफ माइनोरिटी एसोशिएशन	1275225	कनसेर्टियम ऑफ माइनोरिटी एसोसिएशन, प्लॉट नं. 34, IInd स्टेज, IIIrd मेन, हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान नगर बेलगाम-590001
		(ii)	ममथा मक्कला मंदिर	450765	ममथा मक्कला मंदिर, नगरभवी Ist स्टेज, बेंगलुरु-560072, कर्नाटक
		(iii)	परिवर्थना रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी	464625	परिवर्थना रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी शिरालकोपा, बेलवंथनाकोप्पा-577426, जिला शिकारीपुरा तलुक शिमोंगा, कर्नाटक
5.	ओडिशा	(i)	अरून इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर	400680	अरून इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर एट. अस्वखोला, पीओ करमुल, वाया माहिमगडी, जिला धेनकेनाल- 759014, ओडिशा

1	2		3	4	5
		(ii)	सामपार्क	250425	सामपार्क, एट - ओरी, पोस्टः महालपारा, वाया-बिरतुंगा, जिला पुरी, पिन-752116, ओडिशा
		(iii)	निलाचल सेवा प्रतिष्ठान	869925	निलाचल सेवा प्रतिष्ठान दयाविहार (कनास), जिला-पुरी, ओडिशा-752017
		(iv)	निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	250425	निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, एट-एस/97, मैत्री विहार, पीवी-रेलवे प्रोजेक्ट पोस्ट ऑफिस, भुवनेशवर-751023, जिला खुर्दा, ओडिशा
6.	गुजरात	(i)	नवजीवन ट्रस्ट	500850	नवजीवन ट्रस्ट, बिशोप हाउस, प्रेम मंदिर कैम्पस, कलवड़ रोड, राजकोट, गुजरात-360005
		(ii)	मतुश्री चंद्रमत प्रतिष्ठान	250425	मतुश्री चंद्रमत प्रतिष्ठान, 411/1 एस.जी. रोड, नंदीनी निलयम संस्कृती सभा गृह के पास, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, गोटा, अहमदाबाद- 382481
		(iii)	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	300510	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, एआईटीसी, दूसरा तल, नारायण कॉम्पलेक्स, शुभलक्ष्मी शोपिंग सेंटर के पास, स्टेशन रोड, आनंद 388001, गुजरात
		(iv)	ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट	400680	ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टेन्ड के पास, पाटन, गुजरात
		(v)	कैरा सोसल सर्विस सोसाइटी	1010940	कैरा सोसल सर्विस सोसाइटी, मार्फत केथलिक चर्च, सेंट एक्सवियर स्कूल कैम्पस, हंसोल-सरदारनगर, अहमदाबाद-382475
7.	मध्य प्रदेश	(i)	ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गानाइजेशन	1994895	ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गानाइजेशन
		(ii)	इंडो-इरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	1302210	इंडो-इरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एफ-101, रक्षा टावर, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल, मध्य प्रदेश
		(iii)	शांति निकेतन शिक्षा समिति	601020	शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोति मिल रोड, बिरला नगर, ग्वालियर
		(iv)	सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	601020	सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, हाजिरा चैराहा, गोला का मंदिर रोड, बिरला नगर, ग्वालियर-474004
		(v)	श्री कृष्णा ग्रामोथान समिति	1452465	श्री कृष्णा ग्रामोथान समिति, गांवः सबजित का पुरा, कैलराश, जिला मोरेना, मध्य प्रदेश
8.	केरल	(i)	जनश्री ससटेनेबल डेवलपमेंट मिशन	2168250	जनश्री ससटेनेबल डेवलपमेंट मिशन, जनश्री भवन, एआईआर रोड, वजुथाकाड, त्रिवनंतपुरम-695014
9.	महाराष्ट्र	(i)	जनकल्याण विकास मंडल	710430	जनकल्याण विकास मंडल, शिवनेरी हॉस्पिटल, न्यू

1	2		3	4	5
					गुजराती हाई स्कूल, वजिराबाद, नंदे, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र
		(ii)	महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास	715050	महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, 690-691, गोलछा मार्ग, सदर बाजार, नागपुर-440001
10.	मणिपुर	(i)	कुकी क्रिस्चियन चर्च	5538540	कुकी क्रिस्चियन चर्च, पोस्ट बॉक्स 52, इम्फाल-795001, मणिपुर
11.	छत्तीसगढ़	(i)	समर्पित-सेंटर फोर पोपर्टी एलुवेशन एंड सोसल रिसर्च	450765	समर्पित-सेंटर फोर पोपर्टी एलुवेशन एंड सोसल रिसर्च, मकान नं.37, गीतांजली एन्कलेव, रिंग रोड नं.2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
12.	तमिलनाडु	(i)	सेंटर फोर अल्टरनेट रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (केयर)	450765	सेंटर फोर अल्टरनेट रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, 19, फस्ट क्रॉस थिलामपुरम, नामक्कल, 607001, तमिलनाडु
				104519520	

विवरण-IX

क्र. सं.	राज्य का नाम	संगठन के नाम	2012-13 के दौरान जारी राशि (रुपए में)
1	2	3	4
1.	आध्र प्रदेश	प्रभात रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	601020
2.	आध्र प्रदेश	श्री स्वरूप निष्ठा फिलोसाफिकल वेलफेयर सोसाइटी (एसएनएपीएस)	601020
3.	आध्र प्रदेश	रामकी फाउंडेशन	774375
4.	आध्र प्रदेश	गोथमी फाउंडेशन (पूर्व में गोती एजुकेशनल सोसाइटी)	601020
5.	असम	डिकरो वेली एनवायरमेंट एंड रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी	250425
6.	असम	अंकन एकेडमी	250425
7.	असम	डाउन टाउन चेरीटी ट्रस्ट	1020180
8.	असम	सरबंगीन उन्नयन समिति	200340
9.	असम	रूरल वुमेन अपलिफटमेंट सोसाइटी	250425
10.	असम	आदर्श समाज कल्याण समिति	250425
11.	असम	धुला रिजनल फिजिकली हैंडीकैंप डेवलपमेंट एसोसिएशन	500850
12.	दिल्ली	हरियाली सेंटर फोर रूरल डेवलपमेंट	250425
13.	दिल्ली	डाटामेशन फांउडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट	250425

1	2	3	4
14.	दिल्ली	लुम्बीन एजुकेशन एंड सोशल एडवांसमेंट	250425
15.	दिल्ली	अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान	250425
16.	दिल्ली	साक्षी - सेंटर फोर इन्फोरमेशन, एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन	250425
17.	झारखंड	सोसाइटी फोर एनवायरमेंट एंड सोशल अवेयरनेस	601020
18.	झारखंड	फुलेन महिला चेतना विकास केन्द्र	601020
19.	कर्नाटक	स्फुर्ती (ओरगनाइजेशन फोर एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट)	601020
20.	केरल	सेंटर फोर ओवररोल डेवलपमेंट	500850
21.	मध्य प्रदेश	ग्रेट इंडियन ड्रीम फाउंडेशन (अरबिंदो चौधरी मेमोरियल ग्रेट इंडियन ड्रीम फाउंडेशन)	250425
22.	मध्य प्रदेश	नेटिव एजुकेशन एंड इम्पलोयमेंट डेवलपिंग सोसाइटी	450765
23.	मध्य प्रदेश	स्वयं सिद्ध सिद्धांत सेवा एवं शिक्षा समिति	400680
24.	मणिपुर	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	250425
25.	पंजाब	रामेश्वर वेलफेयर ट्रस्ट	2504250
26.	तमिलनाडु	सोशल अवेयरनेश एंड डेवलपमेंट	250425
27.	तमिलनाडु	मादुरे नोन-फोरमल एजुकेशन सेंटर (एमएनईसी)	901530
28.	तमिलनाडु	सेंटर फोर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	250425
29.	उत्तर प्रदेश	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान	4053000
30.	उत्तर प्रदेश	शोभाग्य श्री सहारा संस्थान	2021880
31.	उत्तर प्रदेश	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति	1470945
32.	उत्तर प्रदेश	नव सृजन	2071965
33.	उत्तर प्रदेश	खारदा पब्लिक कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन	1252125
34.	पश्चिम बंगाल	अम्बेसडरस सर्विस सोसाइटी	1151955
35.	पश्चिम बंगाल	अमानत फाउंडेशन ट्रस्ट	1252125
		योग	27389460

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

1318. डॉ. संजय सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री रमाशंकर राजभर :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय धनराशि आवंटित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में हासिल की गई उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन योजनाओं की निधियों का दुरूपयोग सरकार के ध्यान में आया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय मजदूरी रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एवं स्व-रोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण गरीबों हेतु मकानों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), क्षेत्रीय विकास के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों (आईडब्ल्यूएमपी) तथा पेंशन/सहायता के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) नामक कई योजनाएं/कार्यक्रम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चला रहा है।

(ख) विभिन्न राज्यों को केंद्रीय निधियों के आवंटन के योजनावार मानदंड इस प्रकार हैं:

मनरेगा : मांग प्रेरित योजना होने के कारण मनरेगा के तहत राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं। राज्यों को निधियां श्रम की मांग के अनुमान के आधार पर निर्धारित उनकी आवश्यकता के अनुसार रिलीज की जाती हैं।

आईएवाई : मुख्यत: अद्यतन जनगणना आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी को 75 प्रतिशत वेटेज तथा गरीब रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (बीपीएल) की संख्या को 25 प्रतिशत वेटेज के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन किए जाते हैं।

पीएमजीएसवाई : पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों के अनुसार राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। कार्यान्वयन की रफ्तार, व्यय तथा राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के स्तर को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां आवंटित/रिलीज की जाती हैं।

एनआरएलएम : जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मामलों में आवंटन गरीबी अनुपात पर आधारित होता है। जम्मू और कश्मीर में 5 वर्षों की अवधि के दौरान दो-तिहाई ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक निधियों का प्रावधान किया जाता है। एनआरएलएम में स्व-सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी का घटक भी है। निर्धारित 150 जिलों में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन 150 जिलों में ब्याज सब्सिड़ी के द्वारा बैंक ऋणों की वार्षिक ब्याज दर 7 प्रतिशत रखी जाती है और शीघ्र ऋण चुकाने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। अन्य जिलों में ब्याज सब्सिडी का आवंटन गरीबी अनुपात के लिए 50 प्रतिशत तथा स्व-सहायता समूह के बकाया ऋणों के लिए 50 प्रतिशत वेटेज के आधार पर किया जाता है।

आईडब्ल्यूएमपी : मंत्रालय केंद्रीय निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं करता है।

एनएसएपी : यह सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके तहत वित्त मंत्रालय राज्यों को तथा गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में निधियां रिलीज करते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत राज्य-वार आवंटित, रिलीज, तथा उपयोग की गई (जहां कहीं लागू हो) निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उपलब्धियों का निर्धारण विभिन्न निगरानी साधनों और मूल्यांकन अध्ययनों के जरिए किया जाता है। निगरानी के ये साधन इस प्रकार हैं: निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी), परिणाम फ्रेम वर्क दस्तावेज (आरएफडी), राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) इत्यादि। नियमित अंतराल पर इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन और समवर्ती मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिष्ठित एजेंसियों के नेटवर्क की सेवाएं लेकर निष्पादन का निर्धारण करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय अधिसूचित किया गया है।

(च) और (छ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय को देश के विभिन्न भागों से निधियों के दुर्विनियोजन/अन्यत्र उपयोग, परियोजनाओं के समापन में देरी तथा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के विषय मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें नियमानुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013 तक) के दौरान ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियां

क्र. सं.	राज्यों का नाम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा							
		आवंटन				उपयोग			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7418.07	1477.58	3216.74	4413.38	5439.39	4245.88	5037.51	2931.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.28	60.79	68.34	118.53	50.57	0.95	43.75	16.93
3.	असम	609.29	426.86	534.46	573.50	921.04	747.53	651.54	368.08
4.	बिहार	2103.65	1300.73	1227.81	1405.71	2664.25	1326.97	1861.49	1138.89
5.	छत्तीसगढ़	1685.05	1638.56	2031.36	1321.02	1633.98	2040.03	2221.19	1103.53
6.	गोवा	5.08	2.60	2.41	0.00	9.93	6.98	1.44	0.78
7.	गुजरात	894.86	324.29	474.41	230.90	788.22	659.05	617.43	249.34
8.	हरियाणा	131.00	275.12	349.36	316.88	214.70	312.84	380.66	207.11
9.	हिमाचल प्रदेश	636.25	311.38	361.30	352.29	501.96	509.52	495.74	291.29
10.	जम्मू और कश्मीर	313.60	781.31	762.76	328.16	377.77	443.67	853.45	291.69
11.	झारखंड	962.87	1237.33	809.17	621.43	1284.35	1169.67	1152.36	580.52
12.	कर्नाटक	1573.05	662.57	1231.94	1203.53	2537.17	1622.27	1456.47	1090.32
13.	केरल	704.23	951.05	1311.18	987.11	704.34	1048.08	1416.60	716.02
14.	मध्य प्रदेश	2565.77	2968.51	1610.15	1753.34	3637.25	3410.38	3073.70	854.99
15.	महाराष्ट्र	204.71	1040.44	1573.24	1152.92	358.12	1601.50	2188.72	837.67
16.	मणिपुर	342.99	624.97	590.23	156.00	440.71	295.17	598.79	51.80
17.	मेघालय	209.81	284.98	226.11	155.79	319.02	298.69	256.03	117.75
18.	मिजोरम	216.03	329.57	252.29	154.74	293.15	230.68	290.39	120.23
19.	नागालैंड	511.57	673.47	460.12	260.63	605.37	563.40	428.23	105.88

करोड़ रुपए में

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)											
आवंटन				आवंटन				उपयोग			
2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36.84	46.87	85.00	386.00	672.15	136.57	0.00	5.00	473.94	253.33	205.66	78.16
20.00	25.45	488.00	391.00	371.87	83.27	455.18	8.00	348.85	102.51	310.54	75.22
63.50	80.79	908.00	980.00	1900.67	736.57	154.27	240.49	1300.79	987.38	522.78	305.26
118.24	150.44	1725.00	2071.00	3477.06	3166.88	1326.58	848.20	2694.91	2133.37	1992.21	1166.84
84.20	107.13	1903.00	754.00	678.58	494.53	0.00	0.00	304.16	188.75	281.41	246.77
0.70	0.84	0.00.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.80	29.01	411.00	140.00	322.43	40.00	125.74	519.24	243.84	147.64	99.54	139.33
10.53	13.40	42.00	61.00	157.75	60.00	0.00	0.00	108.03	47.44	36.53	8.19
30.52	38.83	576.00	289.00	199.30	340.30	0.00	0.00	142.67	84.08	55.19	63.05
22.80	29.01	749.00	990.00	366.09	757.10	266.33	523.24	297.40	396.09	459.69	325.72
61.40	78.12	1370.00	640.00	843.81	728.08	105.96	21.86	538.44	255.48	325.61	158.02
38.59	49.10	16.00	18.00	927.68	0.00	24.60	5.00	637.80	249.59	16.63	1.20
10.53	13.40	110.00	177.00	146.27	200.00	1.50	1.50	146.14	34.78	57.30	48.92
154.37	196.40	2492.00	1600.00	1966.12	1036.31	242.88	615.00	1409.49	722.59	741.11	520.30
50.87	64.72	94.00	496.00	1242.55	783.01	0.00	0.00	1012.48	443.92	153.40	180.17
11.58	14.73	132.00	181.00	144.98	155.00	186.14	4.03	122.34	123.83	92.66	42.93
15.79	20.09	322.00	58.00	64.55	37.00	50	0.00	36.39	26.56	32.46	16.63
11.23	14.29	98.00	95.00	95.59	93.63	71.82	0.00	82.24	57.87	41.95	18.03
10.52	13.38	74.00	108.00	25.13	10.00	194.88	0.00	29.67	10.97	109.83	47.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ओडिशा	1561.86	978.22	847.98	674.92	1533.14	1039.08	1177.74	667.44
21.	पंजाब	128.79	114.29	114.21	132.34	165.84	159.81	157.78	124.06
22.	राजस्थान	2788.82	1619.70	2585.34	1809.43	3289.07	3156.60	3271.39	1824.88
23.	सिक्किम	44.49	100.80	74.04	82.46	85.26	48.24	80.17	29.38
24.	तमिलनाडु	2024.90	2815.52	3546.05	4690.21	2323.32	2923.20	4121.23	2292.79
25.	त्रिपुरा	382.61	959.33	768.90	803.66	631.87	942.52	971.03	405.07
26.	उत्तर प्रदेश	5266.59	4240.48	1292.02	2696.39	5631.20	5016.25	2663.19	2331.90
27.	उत्तराखंड	289.81	373.51	268.27	330.01	380.20	388.30	311.77	200.36
28.	पश्चिम बंगाल	2117.61	2597.03	3395.48	2214.38	2532.46	2837.02	3850.56	1895.28
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.69	16.44	13.81	16.29	9.04	15.97	13.00	5.10
30.	दादरा और नगर हवेली	0.48	1.00	0.40	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	2.34	0.35	1.18	0.17	2.52	2.41	1.53	0.44
33.	पुदुचेरी	29.82	1.00	8.86	8.80	10.82	10.18	12.15	8.80
	कुल	35768.95	29189.77	3009.96	28964.91	39377.27	37072.82	39657.04	20859.96

निधियों का उपयोग उपलब्ध निधियों से किया गया है जिसमें अथशेष+केन्द्रीय रिलीज+राज्य रिलीज+विधि प्राप्तियां शामिल हैं

मनरेगा मांग/परियोजना आधारित योजना है, इसलिए राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013 तक) के दौरान ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियां

क्र. सं.	राज्यों का नाम	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)							
		आवंटन				रिलीज			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	867.73	847.62	939.16	1133.74	873.66	892.37	842.44	616.58

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
95.78	121.86	1273.00	1716.00	2477.36	1316.95	87.25	758.92	1924.25	935.79	1188.92	738.47
12.28	15.62	213.00	292.00	196.43	164.61	169.66	117.68	155.34	42.09	238.16	219.38
82.45	104.90	259.00	970.00	88.22	667.76	151.90	427.06	686.39	222.98	573.85	347.99
10.53	13.40	74.00	137.00	79.38	80.00	193.62	1.97	85.53	6.43	86.73	64.53
31.58	40.18	691.00	668.00	469.54	160.00	77.72	343.48	304.81	181.95	21.13	158.70
14.03	17.85	205.00	311.00	285.76	175.00	338.59	98.83	237.51	152.34	189.79	70.86
132.97	169.18	2505.00	1446.00	1308.83	7.70	10.00	511.93	868.54	153.83	98.00	243.51
35.08	44.63	799.00	259.00	240.26	295.32	151.24	0.00	191.74	121.27	32.39	86.44
79.29	100.88	1730.00	1812.00	819.68	574.20	3.08	306.17	530.29	297.44	423.28	53874
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1269.00	1614.50	19344.00	17047.00	20366.04	12299.78	4388.91	5357.60	14910.98	8380.30	8386.75	5881.00

(करोड़ रुपए में)

				प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)								
उपयोग				आवंटन			रिलीज			व्यय		
2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1134.81	1113.01	1132.53	595.37	114.72	116.23	234.66	63.06	155.40	134.25	144.11	193.43	139.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.73	32.95	36.40	48.31	37.84	31.98	33.27	25.53
3.	असम	745.76	728.57	804.94	975.21	710.32	767.68	573.49	434.40
4.	बिहार	2561.30	2501.95	2772.16	3311.61	2260.59	2176.91	1718.17	1658.76
5.	छत्तीसगढ़	134.19	131.08	145.23	262.53	132.80	253.87	167.80	377.14
6.	गोवा	5.34	5.22	5.78	7.62	5.17	5.45	4.90	0.00
7.	गुजरात	425.55	415.69	460.59	589.97	519.35	380.69	208.14	228.06
8.	हरियाणा	59.75	58.36	64.67	98.60	59.75	60.45	63.58	50.61
9.	हिमाचल प्रदेश	21.07	20.59	22.81	41.39	21.43	21.19	21.79	22.75
10.	जम्मू और कश्मीर	65.46	63.94	70.84	93.47	66.43	58.30	57.75	47.17
11.	झारखंड	565.96	223.16	247.26	367.25	558.64	218.17	257.08	203.69
12.	कर्नाटक	334.31	326.57	361.83	480.25	387.98	298.96	207.88	293.04
13.	केरल	185.91	181.60	201.21	250.13	185.91	189.65	145.40	125.85
14.	मध्य प्रदेश	266.87	260.69	288.84	617.62	442.23	435.88	392.33	320.92
15.	महाराष्ट्र	523.30	511.17	566.38	750.94	523.14	538.82	513.07	459.05
16.	मणिपुर	29.28	28.60	31.60	56.33	25.41	23.63	21.38	23.56
17.	मेघालय	50.99	49.81	55.03	97.49	55.72	55.13	48.95	48.67
18.	मिजोरम	10.87	10.62	11.73	25.75	13.36	11.09	10.80	12.85
19.	नागालैंड	33.74	32.96	36.42	73.40	44.56	34.42	36.42	36.64
20.	ओडिशा	503.21	491.55	544.64	700.31	475.74	627.31	468.00	625.64
21.	पंजाब	73.89	72.18	79.97	106.81	63.59	21.75	6.59	0.00
22.	राजस्थान	213.85	208.89	231.45	467.36	374.22	394.73	262.11	281.90
23.	सिक्किम	6.45	6.30	6.97	10.10	8.52	5.02	3.48	5.29
24.	तमिलनाडु	347.42	339.37	376.02	483.64	348.01	351.73	369.57	374.20
25.	त्रिपुरा	65.70	64.18	70.91	94.00	108.27	115.31	61.86	99.14
26.	उत्तर प्रदेश	1150.43	1123.78	1245.14	1625.44	1149.90	1158.06	877.74	812.77
27.	उत्तराखंड	57.68	56.34	62.42	82.11	53.95	58.27	40.81	54.84

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
38.22	5.80	6.90	1.22			7.93		152.05	3.58			0.00
933.32	915.74	667.70	223.87			188.97		0.00	87.75		53.04	45.78
3324.84	2738.58	2973.19	1183.30	272.91	276.49	196.16	221.61	207.94	30.61	146.39	63.64	56.05
196.31	346.24	307.87	79.21		61.41	44.05		92.29	34.37		86.81	24.64
8.04	11.84	5.72	4.46			3.07		0.00	0.00			0.00
692.77	578.85	433.95	175.55		43.75	32.01		41.20	4.91		85.76	3.80
82.26	81.63	68.40	49.25			20.28			7.31			2.15
29.25	27.65	30.64	22.91			9.66			3.94			0.00
53.76	25.91	24.64	0.08			10.14			9.56			0.41
693.57	515.99	409.30	130.25		104.25	74.23		63.33	35.38		58.91	12.96
482.49	302.67	804.38	181.65			94.89		0.78	59.12			1.97
237.59	264.18	220.82	115.05		39.38	45.37	1.00	38.11	25.13		16.44	5.84
324.18	682.48	388.73	156.20		131.56	93.05		197.04	74.91		163.71	47.64
1059.35	904.94	1082.78	362.09		173.49	128.66		138.79	104.31		170.41	33.45
14.50	15.59	13.52	1.05			13.28		128.79	0.00			0.00
54.05	70.73	52.16	42.63		12.16	14.62			6.40			0.00
13.40	12.61	9.90	7.13		2.81	4.72		1.40	2.36			1.02
50.81	47.40	0.00	0.00		8.34	10.46			5.01			1.53
691.02	628.88	774.54	303.97		132.94	106.55			49.43		94.77	8.40
76.41	62.74	18.83	3.59		12.51	10.20			4.94			1.06
376.43	604.49	456.19	323.15		66.64	52.76		48.26	9.74		124.33	1.76
13.28	10.24	5.40	0.00			4.59			0.00			0.00
440.72	453.54	381.45	143.07		102.77	116.79		131.11	72.54		17.13	24.66
86.22	149.27	0.00	0.00			26.43			2.57			0.00
1478.33	1424.35	1011.03	517.74			287.47		2.00	83.50			0.78
80.62	74.44	60.19	15.76			16.34			0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	694.14	678.06	751.29	1014.97	630.14	676.09	436.31	447.01
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.01	10.75	11.91	15.18	0.77	0.98	7.92	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1.83	1.79	1.98	3.06	0.92	0.90	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.82	0.80	0.89	1.18	0.41	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.71	0.69	0.77	1.37	0.71	0.00	0.00	0.00
33.	पुदुचेरी	5.48	5.35	5.93	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	10053.70	9491.20	10513.20	13894.90	10139.45	9864.78	7859.03	7696.05

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013 तक) के दौरान ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, राज्य-वार रिलीज तथा उपयोग की गई केन्द्रीय निधियां

क्र. सं.	राज्यों का नाम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)							
		आवंटन				रिलीज			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	396.67	409.49	675.63	624.95	396.67	409.49	675.63	416.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.85	5.04	11.39	10.57	2.85	5.04	11.39	7.04
3.	असम	167.87	112.08	225.04	215.84	167.87	112.08	225.04	143.89
4.	बिहार	560.02	971.48	1012.17	1323.92	560.02	971.48	10121	882.61
5.	छत्तीसगढ़	179.52	235.07	230.73	285.51	179.52	235.07	230.73	190.35
6.	गोवा	0.84	1.29	2.92	2.74	0.84	1.29	2.92	0.00
7.	गुजरात	58.71	89.98	132.46	181.44	58.71	89.98	132.46	120.96
8.	हरियाणा	53.24	69.30	75.05	77.96	53.24	69.30	75.05	51.97
9.	हिमाचल प्रदेश	28.28	29.34	30.98	33.23	28.28	29.34	30.98	22.16
10.	जम्मू और कश्मीर	25.64	23.72	43.09	38.88	25.64	23.72	28.21	25.92
11.	झारखंड	181.66	277.28	182.16	291.99	181.66	277.28	182.16	194.67

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
796.83	854.05	793.49	172.40			115.58		1.55	94.09		0.44	3.24
2.35	2.47	72.58	0.60			0.57			0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.25			0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.25			0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.26			0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			4.75			0.00			0.00
13465.73	12926.33	12206.83	4811.54	387.63	1284.73	1969.00	285.68	1400.04	945.71	290.50	1128.82	416.99

(करोड़ रुपए में)

				समेकित वाटर शेड प्रबंधन (आईडब्ल्यूएमपी)							
उपयोग				रिलीज				व्यय			
2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
356.85	514.71	655.96	457.52	119.80	160.94	125.14	133.25	8.71	90.71	232.43	104.2
4.62	6.05	5.95	0.00	20.08	22.09	15.97	110.83	19.963	8.69	36.91	70.31
117.18	168.76	87.82	0.00	40.82	37.53	42.97	116.60	13.285	20.087	37.872	68.833
680.93	751.86	647.99	575.72	0.00	3.00	12.80	15.42	0	0	4.41	5.37
184.90	205.18	224.36	85.91	50.38	62.37	0.00	26.00	11.24	20.99	38.04	10.94
1.87	0.00	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
77.29	83.45	101.72	29.16	161.73	160.71	329.24	0.00	20.76	63.51	154.24	307.95
48.50	74.04	55.80	26.87	0.00	11.63	5.23	14.20	0	0	8.87	1.81
26.73	27.96	36.00	26.93	57.77	48.93	8.02	46.08	2.83	17.27	39.55	31.7
33.33	32.80	28.28	0.00	0.00	0.00	38.27	0.00	0	0	1.86	23.99
218.19	228.34	233.55	98.30	24.10	15.70	48.17	0.00	5.48	16	20.76	22.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	322.96	397.83	456.49	533.50	322.96	397.83	456.49	355.68
13.	केरल	66.15	85.94	91.64	139.87	66.15	85.94	91.64	93.25
14.	मध्य प्रदेश	346.86	539.73	543.51	744.54	346.86	539.73	543.51	496.35
15.	महाराष्ट्र	285.73	205.06	438.66	722.58	285.73	205.06	438.66	0.00
16.	मणिपुर	11.26	18.94	16.98	23.72	11.26	18.94	10.44	15.81
17.	मेघालय	16.64	14.86	10.62	18.89	16.64	14.86	10.62	12.59
18.	मिजोरम	7.50	7.93	8.68	8.04	7.50	7.93	8.68	5.36
19.	नागालैंड	11.64	10.28	16.77	15.35	11.64	10.28	10.49	10.24
20.	ओडिशा	372.88	510.86	743.05	712.95	372.88	510.86	743.05	475.31
21.	पंजाब	48.45	44.14	57.83	67.39	48.45	44.14	57.83	44.93
22.	राजस्थान	4.22	255.38	255.13	312.75	4.22	255.38	255.13	208.51
23.	सिक्किम	145.07	4.56	2.36	5.74	145.07	4.56	2.36	3.82
24.	तमिलनाडु	228.76	319.09	573.50	585.19	228.76	319.09	573.50	390.13
25.	त्रिपुरा	43.70	39.78	44.92	53.52	43.70	39.78	44.92	35.67
26.	उत्तर प्रदेश	1103.19	1316.79	1639.52	1579.51	1103.19	1316.79	1110.27	1053.02
27.	उत्तराखंड	45.62	75.78	79.05	99.57	45.62	75.78	79.05	66.37
28.	पश्चिम बंगाल	394.07	475.05	781.65	831.56	394.07	475.05	781.65	554.37
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.75	1.98	2.31	2.47	0.75	1.98	1.74	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	2.15	2.38	2.72	2.92	2.15	2.38	2.04	0.00
31.	दमन और दीव	0.17	0.32	0.43	0.50	0.17	0.32	0.33	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.11	0.22	0.27	0.31	0.11	0.22	0.21	0.00
33.	पुदुचेरी	7.39	6.82	8.73	9.99	7.39	6.82	8.73	2.50
	कुल	5120.57	6557.80	8396.46	9557.90	5120.57	6557.80	7838.10	5880.12

निधियों का उपयोग उपलब्ध निधियों से किया गया है जिसमें अथशेष+केन्द्रीय रिलीज+राज्य रिलीज+विधि प्राप्तियां शामिल हैं।

आईडब्ल्यूएमपी मांग/परियोजना आधारित योजना है, इसलिए राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
310.70	374.49	473.90	0.00	70.96	127.41	334.55	311.87	29.22	152.44	450.51	298.45	
45.05	87.19	154.23	92.24	11.01	10.81	4.81	0.00	0	1.61	3.61	8.12	
390.85	428.57	510.29	145.29	113.25	108.60	128.30	135.57	7.74	94.14	160.16	136.94	
351.84	295.67	293.53	178.72	208.44	378.69	501.60	180.35	10.88	82.62	362.6	525.08	
22.12	13.74	15.18	0.00	10.37	15.33	33.75	30.28	0.001	7.909	17.083	11.437	
14.48	14.92	10.69	6.67	9.88	12.87	37.43	28.06	9.631	11.973	11.64	47.835	
7.05	8.37	5.77	4.24	17.14	5.84	16.44	69.18	5.057	23.462	18.984	10.544	
11.64	13.16	10.49	5.24	26.71	59.42	76.42	72.43	31.939	63.517	82.1	93.368	
413.78	364.53	736.41	477.55	73.47	77.53	89.70	136.91	17.087	39.33	88.121	72.95	
42.37	43.66	35.07	0.62	3.15	8.44	14.89	0.00	1.99	7.29	4.43	4.44	
2.31	230.35	247.76	197.99	257.47	318.33	424.53	0.00	22.109	86.72	217.854	157.373	
168.40	3.71	5.62	0.00	3.88	1.15	8.18	0.00	0.814	2.775	1.751	3.747	
311.52	392.68	385.51	338.88	60.16	17.57	227.77	116.40	15.89	38.92	146.14	95.27	
37.14	38.17	54.03	5.90	8.16	18.17	24.02	24.33	6.39	3.525	28.257	31.058	
962.28	1087.42	1096.09	315.40	132.13	164.4	128.43	88.09	80.62	55.38	103.56	197.79	
52.34	68.03	79.28	27.91	15.97	2.34	4.22	0.00	0	1.14	5.85	5.61	
371.86	584.11	714.59	104.68	0.00	16.06	40.31	0.00	0	0	0.93	12.17	
0.75	1.98	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.17	0.32	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.39	6.82	4.36	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5276.66	6153.63	6910.69	3215.02	1496.83	1865.920	2721.16	1655.85	321.64	910.01	2278.52	2359.68	

[अनुवाद]

एनआरडीडब्ल्यूपी की समीक्षा

1319. श्री राजू शेट्टी :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गांवों की अधिसंख्य जनसंख्या अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण जल आपूर्ति का कार्य देखने वाले राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसों का संचालन करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने और साथ ही साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी, 2013 को राज्य मंत्रियों, ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सभी राज्यों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी राज्य सचिवों एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र के प्रमुखों का एक अन्य सम्मेलन दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/तकनीकी अधिकारीगण ने भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा किया। समीक्षा बैठकें एवं दौरे कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और केन्द्र एवं राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाते हैं जहां प्रगति में कमी दिखाई दे रही है। समीक्षा बैठक में की गई कुछ टिप्पणियां/सुझाव इस प्रकार हैं:—

(i) राज्यों के एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों के उपयोग में तेजी लानी होगी।

(ii) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों एवं आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की कवरेज को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

(iii) कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई सहायता निधियों के उपयोग में बढ़ोतरी करनी होगी।

(iv) नई स्कीमों को शुरू करने से पूर्व ऐसी स्कीमों को, जो कि तीन वर्षों से भी अधिक समय से चल रही हैं, पूरा किया जाना चाहिए।

(v) राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के सभी घटकों का तारतम्यता के साथ कार्यान्वयन करना चाहिए और कुछ विशिष्ट दु:साध्य घटकों का कार्यान्वयन करने में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए।

(vi) राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जल-आपूर्ति करने के प्रावधान की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है।

(vi) राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के सेवा स्तर को 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए योजना बनानी चाहिए।

(viii) राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति एवं स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने की योजना बनानी चाहिए।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण-I पर हैं।

(घ) और (ङ) राज्यों द्वारा इस मंत्रालय के ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार कुल 16,92,251 (87 करोड़ ग्रामीण आबादी) ग्रामीण बसावटों में से 1161018 बसावटें (59.14 करोड़ आबादी) पूर्णत: कवर की गई है, 4,48,439 बसावटें (23.37 करोड़ आबादी) आंशिक रूप से कवर की गई हैं एवं केवल

82,794 बसावटें (4.49 करोड़ आबादी) ऐसी है जिनके जल स्रोत की गुणवत्ता रासायनिक संदूषणों के कारण प्रभावित है। राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण-II पर है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत भारत सरकार ने स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के साथ गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने को प्राथमिकता दी है। इस संबंध मे राज्यों को आवंटित किए गए 67% तक का उपयोग जल स्रोतों में गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। वर्ष 2013-14 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 11,000 करोड़ रुपए का एक बजटीय आवंटन किया गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत हुई वित्तीय प्रगति का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक वास्तविक लक्ष्य एवं कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6673	6971	5634	6183	5266	5699	5798	2275
2.	बिहार	18749	14221	15810	11243	15015	10960	13832	3762
3.	छत्तीसगढ़	9948	7847	8409	7977	10562	9111	10700	2508
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	1100	1079	1125	1165	1020	1856	1058	1868
6.	हरियाणा	1007	752	862	859	962	895	818	247
7.	हिमाचल प्रदेश	5000	5094	2557	2558	2530	2650	2500	1336
8.	जम्मू और कश्मीर	962	903	923	536	1067	1153	955	166
9.	झारखंड	1099	11399	19110	17425	16546	17335	12132	5353
10.	कर्नाटक	8750	6130	9000	8757	8245	13284	10378	3015
11.	केरल	744	405	824	419	696	668	924	89
12.	मध्य प्रदेश	13300	13937	16715	15644	16985	17483	13050	5931
13.	महाराष्ट्र	9745	8987	6407	6364	5754	4637	4713	1042
14.	ओडिशा	5494	7525	4725	6782	9116	19484	13500	6689
15.	पंजाब	2023	1658	1630	643	1473	617	1939	237
16.	राजस्थान	7764	7254	6073	7885	2569	3943	2990	960
17.	तमिलनाडु	8009	7039	6000	6000	6460	7203	6000	586
18.	उत्तर प्रदेश	2142	1879	23300	23134	24000	23727	25000	321
19.	उत्तराखंड	1565	1324	1341	1102	1075	983	1083	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	पश्चिम बंगाल	6630	5967	6094	4619	2469	4236	4600	690
21.	अरुणाचल प्रदेश	534	601	300	415	292	358	304	46
22.	असम	8157	6467	6073	6601	7230	7110	7175	1128
23.	मणिपुर	330	227	330	234	250	197	250	89
24.	मेघालय	840	380	535	510	580	510	616	22
25.	मिजोरम	124	121	125	122	57	5	45	23
26.	नागालैंड	105	128	85	116	101	178	85	81
27.	सिक्किम	175	100	200	50	270	101	200	26
28.	त्रिपुरा	825	976	982	1024	1052	1323	1178	598
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8			0	0	0	0
30.	चंडीगढ़					0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली					0	0	0	0
32.	दमन और दीव					0	0	0	0
33.	दिल्ली					0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	10	10			0	0	0	0
35.	पुदुचेरी		12			30	0	23	0
	योग	121812	119401	145169	138367	141660	155706	414838	39531

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा ऑनलाइन आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार।

विवरण-II

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लिटर जल की उपलब्धता प्राप्त बसावटों एवं आबादी की स्थिति (जनसंख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य	कुल		पूर्ण रूप से कवर की गई		आंशिक रूप से कवर की गई		गुणवत्ता प्रभावित	
		बसावटों की संख्या	आबादी	बसावटों की संख्या	आबादी	बसावटों की संख्या	आबादी	बसावटों की संख्या	आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	72176	601.81	38016	267.7	30611	282.97	3549	51.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	107640	904.13	72875	508.21	24178	336.69	10587	59.23
3.	छत्तीसगढ़	73563	180.84	46814	118.68	21161	48.77	5588	13.4
4.	गोवा	347	7.55	345	7.54	2	0.01	0	0
5.	गुजरात	34415	360.72	33805	353.27	403	3.8	207	3.65
6.	हरियाणा	7336	168.86	6911	159.59	414	8.92	11	0.34
7.	हिमाचल प्रदेश	53604	62.99	37709	46.46	15895	16.54	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	15613	118.19	9457	70.32	5156	47.87	0	0
9.	झारखंड	119667	238.59	77338	184.74	42257	53.7	72	0.14
10.	कर्नाटक	59753	384.25	24906	180	31640	174.65	3207	29.6
11.	केरल	11883	254.71	3517	76.07	7473	159.93	893	18.72
12.	मध्य प्रदेश	127169	532.36	116002	464.04	9047	58.83	2120	9.49
13.	महाराष्ट्र	100712	649.95	86276	474.52	13142	147.78	1294	27.66
14.	ओडिशा	157296	359.38	103552	247.22	44744	86.59	9000	25.56
15.	पंजाब	15335	181.18	10641	138.62	4455	39.65	239	2.92
16.	राजस्थान	121133	519.95	69086	292.32	28206	135.61	23841	92.02
17.	तमिलनाडु	98179	365	76591	276.53	21106	86.29	486	2.18
18.	उत्तर प्रदेश	260110	1570.42	259298	1563.4	26	0.18	786	6.84
19.	उत्तराखंड	39142	70.62	2483	3.78	36620	65.64	39	1.21
20.	पश्चिम बंगाल	98120	776.6	38627	324.83	56786	408.03	2707	43.74
21.	अरुणाचल प्रदेश	5612	10.24	690	1.85	4808	8.06	114	0.33
22.	असम	87888	268.8	38372	112.99	36637	111.57	12879	44.24
23.	मणिपुर	2870	24.79	1627	13.04	1243	11.75	0	0
24.	मेघालय	9326	23.33	1821	5.03	7415	17.99	90	0.3
25.	मिजोरम	777	5.23	472	3.25	305	1.98	0	0
26.	नागालैंड	1500	17.46	392	4.97	1035	12	73	0.49
27.	सिक्किम	2084	4.47	502	1.03	1582	3.44	0	0
28.	त्रिपुरा	8132	28.13	2458	9.91	671	2.47	5003	15.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	503	2.57	307	2.3	196	0.27	0	0
30.	चंडीगढ़	18	0.81	0	0	18	0.81	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	70	1.69	0	0	70	1.69	0	0
32.	दमन और दीव	21	0.78	0	0	21	0.78	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	0.51	0	0	9	0.51	0	0
35.	पुदुचेरी	248	3.58	128	1.99	111	1.43	9	0.17
	योग	1692251	8700.49	1161018	5914.2	448439	2337.2	82794	449.11

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, निर्मुक्त रिलीज एवं व्यय की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11				2011-12			
		अथशेष	आबंटन	जारी	व्यय	अथशेष	आबंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07
9.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20
19.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41
21.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03
24.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44
25.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00	
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00	
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
	योग	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65

—जारी

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन निर्मुक्त एवं व्यय की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2012-13				2013-14*			
		आरंभिक	आबंटन	जारी	व्यय	आरंभिक	आबंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	301.3	563.39	485.14	672.82	113.62	551.19	262.46	300.43
2.	बिहार	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	440.01	113.24	115.91
3.	छत्तीसगढ़	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	141.75	65.4	76.27
4.	गोवा	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.94	0	0
5.	गुजरात	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	526.96	267.57	207.8
6.	हरियाणा	43.98	250.24	313.41	275.54	85.59	241.80	119.56	152.13
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	148.69	0	23.16
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	499.44	234.63	184.86
9.	झारखंड	74.31	191.86	243.43	204.87	122.36	185.23	95.83	109.04
10.	कर्नाटक	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	668.60	327.83	250.9
11.	केरल	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	165.13	77.54	98.65
12.	मध्य प्रदेश	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	428.70	215.66	216.57
13.	महाराष्ट्र	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	766.32	26.8	169.45
14.	ओडिशा	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	233.25	106.69	89.56
15.	पंजाब	3	101.9	144.27	121.22	26.04	88.29	83.23	38.96
16.	राजस्थान	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1317.56	1237.92	674.22
17.	तमिलनाडु	240.27	394.82	570.17	625	185.44	287.80	181.12	257.55
18.	उत्तर प्रदेश	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	860.55	410.42	434.44
19.	उत्तराखंड	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	154.82	86.49	8.65
20.	पश्चिम बंगाल	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	453.29	230.05	348.07
21.	अरुणाचल प्रदेश	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	142.18	91.83	49.36
22.	असम	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	506.21	243.28	368.79
23.	मणिपुर	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	63.12	16.27	4.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	मेघालय	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	72.67	37.44	36.52
25.	मिजोरम	9.74	48.35	47.92	32.87	25.8	41.27	14.85	2.64
26.	नागालैंड	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	59.86	35.84	27.21
27.	सिक्किम	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	17.86	17.85	40.5
28.	त्रिपुरा	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	63.68	63.29	32.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.15	0.78	0	0.78	1.12	0.03	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
35.	पुदुचेरी	0	1.75	0.88	0	0.88	1.71	0.06	0
	योग	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9135.00	4660.18	4318.57

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार।

अग्नि दुर्घटनाएं

1320. श्री भर्तृहरि महताब :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में वर्ष-वार और रेलगाड़ी-वार कितनी अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) रेलगाड़ी-वार कितने यात्रियों की मौतें हुईं और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कराई गई है और इस संबंध में तत्संबंधी क्या निवारक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या रेलगाड़ियों में नवीनतम अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	गाड़ी में आग की दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए यात्रियों की की संख्या	नुकसान की लागत	शामिल गाड़ियों की किस्म
2010-11	2	कुछ नहीं	1.04 करोड़ रुपए	पैसेंजर गाड़ी
2011-12	4	9	2.84 करोड़ रुपए	पैसेंजर गाड़ी
2012-13	8	30	7.18 करोड़ रुपए	पैसेंजर गाड़ी

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सूचित की गई कुल 14 गाड़ियों में आग की घटनाओं में से 6 मामले में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के स्तर पर जांच की गई थी और बाकी मामलों में विभागीय जांच की गई थी।

रेलवे ने गाड़ियों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- भारतीय रेल ने हमेशा आग के प्रभाव को कम करने के लिए अग्नि रोधी साज-सज्जा सामग्री का उपयोग करके जैसा कि सवारी डिब्बों में कंप्रेग बोर्ड/पीवीसी की फ्लोरिंग, छत, सीलिंग वॉल तथा पार्टीशन पेनलिंग के लिए लेमिनेटेड शीट, सीट और बर्थों के लिए रेक्सीन और कुशनिंग सामग्री, एफआरपी विंडों और यूआईसी वेस्टीबूल, आदि द्वारा सवारी डिब्बों को आग से बचाने के लिए सतत प्रयास किया है।

- रेलवे ने सवारी डिब्बों में बिजली के शार्ट सर्किटों के कारण लगने वाली आग से बचाव के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिसमें (क) शार्ट सर्किट के मामले में नान ऐसी गाड़ियों में तीन स्तरीय सुरक्षा (ख) सकारात्मक और ऋणात्मक तारों को अलग करना (ग) सभी बिजली मदों में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग शामिल है।

- चलती गाड़ियों में अग्नि सुरक्षा में सुधार किए जाने को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली की व्यवस्था एक पायलट परियोजना के रूप में राजधानी एक्सप्रेस के एक रेक में की गयी है। इस प्रकार, स्वचलित फायर अलार्म प्रणाली को भी विस्तारित फिल्ड परीक्षणों के लिए 20 से अधिक रेकों में भी लगाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली से चलती गाड़ियों में आग लगने संबंधी खतरे के मामले की पहले ही चेतावनी मिल जाएगी।

- सभी गाड़ियों के गार्ड-सह-ब्रेक वैन और एसी कोचों में पोर्टेबल आग बुझाने वाली मशीन को मुहैया कराया जा रहा है ताकि आग से होने वाली दुर्घटनाओं की आपात स्थिति से निपटा जा सके।

- पैंट्री कारों की सम्हलाई में सुरक्षित कार्यप्रणाली के अनुपालन और पैंट्री कारों में बिजली और एलपीजी फिटिंगों के आवधिक निरीक्षणों के लिए क्षेत्रीय रेलों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

- यात्रियों को ज्वलनशील सामान ले जाने से रोकने के लिए नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान किए जाते हैं।

(घ) गाड़ियों में ड्राई केमिकल पाउडर प्रकार के अग्निशामक मुहैया कराए जा रहे हैं। यह पोर्टेबल अग्निशामक है और आपातकालीन मामले में ऑनबोर्ड कर्मचारी अथवा यात्रियों द्वारा इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अग्निशामक सभी वातानुकूलित सवारी डिब्बों, द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड और लगेज वैन, पैंट्री कार और गाड़ी के इंजनों में अग्निशामक मुहैया कराए जा रहे हैं। अग्निशामक यंत्रों पर 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च की गई कुल निधि लगभग 8.63 करोड़ रुपए है। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	रेलवे	कुल (रुपए लाख में)
1.	दक्षिण पूर्व मध्य	1982
2.	पूर्व तट	77.82
3.	पूर्वोत्तर सीमा	32.29
4.	उत्तर	51.81
5.	उत्तर मध्य	27.94
6.	पूर्व	82.00
7.	पश्चिम मध्य	18.06
8.	दक्षिण मध्य	16.47
9.	दक्षिण पूर्व	89.82
10.	पूर्वोत्तर	19.20
11.	उत्तर पश्चिम	9.17
12.	दक्षिण पश्चिम	29.00
13.	दक्षिण	18.70
14.	पश्चिम	149.46
15.	मध्य	131.50
16.	पूर्व मध्य	90.00
	जोड़	863.06 = 8.63 करोड़

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवंटन

1321. श्री के. नारायण राव :
डॉ. रतन सिंह अजनाला :

श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री गणेश सिंह :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत वित्तपोषण की क्या पद्धति है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है उनका राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मोबाइल फोन प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अर्हता संबंधी क्या मानदंड बनाए गए हैं एवं इसके अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता योजना (पीएमजीएसवाई) में समन्वय के लिए राज्यों को हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित की जा रही परिसंपत्तियों की गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच समन्वय के लिए राज्यों को लिखा भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत अकुशल कार्यों के लिए दी गई मजदूरी पर हुए पूरे व्यय तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों को किए गए भुगतान सहित योजना की 75 प्रतिशत सामग्री लागत का वहन करती है। राज्य सरकार योजना की 75 प्रतिशत सामग्री लागत का वहन करेगी। प्रशासनिक लागत (मजदूरी और सामग्री लागत का 6 प्रतिशत) का वहन पूरी तरह केंद्र सरकार करती है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों को ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण संपर्कता संबंधी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा मनरेगा एवं पीएमजीएसवाई के बीच तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को हाल ही में इन दोनों कार्यक्रमों के बीच तालमेल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस तालमेल में पीएमजीएसवाई सड़कों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण, पांच वर्ष की अवधि के पश्चात पीएमजीएसवाई सड़कों का रख-रखाव तथा पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलियों के साथ जल-संरक्षण ढांचा बनाने का कार्य शामिल किया गया है।

(च) से (ज) जी, हां। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा लोगों की बेहतर भागीदारी बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना का तालमेल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के क्रियाकलापों के साथ बिठाया जाएगा। सिविल सोसायटी संगठनों और स्व-सहायता समूह संघों की मदद से 9 राज्यों के 212 आंतरिक ब्लॉकों में इस तालमेल का पहला चरण क्रियान्वित किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार पाने वाले परिवार (संख्या)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 03.12.2013 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6200423	4998016	5816077	5067891
2.	अरुणाचल प्रदेश	134527	4443	115869	63556

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1798372	1349078	1234827	845018
4.	बिहार	4738464	1769469	2086394	1254838
5.	छत्तीसगढ़	2485581	2725027	2637498	1871396
6.	गुजरात	1096223	822080	681028	347306
7.	हरियाणा	235281	277748	294142	214262
8.	हिमाचल प्रदेश	444247	505467	514461	374428
9.	जम्मू और कश्मीर	492277	431152	646516	197958
10.	झारखंड	1987360	1574657	1418470	853525
11.	कर्नाटक	2224468	1652116	1337800	534276
12.	केरल	1175816	1416441	1526283	1234223
13.	मध्य प्रदेश	4407643	3879959	3497940	1329934
14.	महाराष्ट्र	451169	1504521	1624237	845930
15.	मणिपुर	433856	356264	456910	320287
16.	मेघालय	346149	335182	330044	249271
17.	मिज़ोरम	170894	168711	174884	167928
18.	नागालैंड	350815	372849	386520	371731
19.	ओडिशा	2004815	1378597	1599276	1221291
20.	पंजाब	278134	245453	240191	216598
21.	राजस्थान	5859667	4522234	4217342	2854295
22.	सिक्किम	56401	54684	56634	38963
23.	तमिलनाडु	4969140	6343339	7061409	5674444
24.	त्रिपुरा	557055	566770	596530	571947
25.	उत्तर प्रदेश	6431213	7327738	4947416	4080583
26.	उत्तराखंड	542391	469285	439791	181457
27.	पश्चिम बंगाल	4998239	5516968	5817122	3025503
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1736	19300	12602	9475

1	2	3	4	5	6
29.	दादरा और नगर हवेली	2290	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	13897	11167	5056	2302
32.	लक्षद्वीप	4507	3871	1851	415
33.	पुदुचेरी	38118	42546	41286	34767
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	54947068	50645132	49816406	34055798

भूमि का आवंटन

1322. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री सी. शिवासामी :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी बंजर भूमि की पहचान की है कि जिसका उपयोग विकास के प्रयोजनार्थ किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास के प्रयोजनार्थ ऐसी बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है तथा उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से निर्बाधित औद्योगिक और शहरीकरण की प्रक्रिया के लिए निवेशकों/उद्योगपतियों को भूमि आवंटित करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई बंजर भूमि चिन्हित नहीं की है जिसका उपयोग विकास प्रयोजनों के लिए किया जा सके। तथापि, वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार देश में बंजर भूमि जिसमें ऊसर/मरुभूमि शामिल है, क्षेत्रफल का 46.70 मिलियन हैक्टेयर है। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए विकास प्रयोजनों हेतु ऐसी बंजरभूमियों के उपयोग के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है और कोई समय-समय निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसाकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टी संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। भूमि से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल एक परामर्शी और समन्वयन किस्म की है। तदनुसार, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न श्रेणियों की भूमि का वितरण, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित की जा रहे संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों/मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वेस्टलैंड एटलस, 2011 के अनुसार भारत में बंजर भूमि का राज्य वार क्षेत्रफल

क्र. सं.	राज्य	(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.49
3.	असम	0.85

1	2	3
4.	बिहार	0.96
5.	छत्तीसगढ़	1.15
6.	गोवा	0.05
7.	गुजरात	2.01
8.	हरियाणा	0.21
9.	हिमाचल प्रदेश	2.23
10.	जम्मू और कश्मीर	7.54
11.	झारखंड	1.1
12.	कर्नाटक	1.3
13.	केरल	0.24
14.	मध्य प्रदेश	4.01
15.	महाराष्ट्र	3.78
16.	मणिपुर	0.56
17.	मेघालय	0.41
18.	मिज़ोरम	0.5
19.	नागालैंड	0.53
20.	ओडिशा	1.64
21.	पंजाब	0.09
22.	राजस्थान	8.49
23.	सिक्किम	0.33
24.	तमिलनाडु	0.87
25.	त्रिपुरा	0.1
26.	संघ राज्यक्षेत्र	0.04
27.	उत्तर प्रदेश	0.99
28.	उत्तराखंड	1.29
29.	पश्चिम बंगाल	0.19
	योग	46.70

विमानपत्तन विकास शुल्क

1323. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजीकरण किए जाने वाले विमानपत्तनों से विमानपत्तन विकास शुल्क की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों का उपयोग करने वाले यात्रियों से विमानपत्तन विकास शुल्क में परिवर्तन नहीं करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों सहित देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली वैमानिक सेवाओं की दर सूची तथा प्रभारों के निर्धारण के लिए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम नामत: ऐरा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक विनियामक निकाय नामत: विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की गई है।

घटिया खाना

1324. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को राजधानी/दुरंतो ट्रेनों में घटिया खाना परोसे जाने की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन ट्रेनों की खाने की चीजों की कीमतों की उपयुक्त गणना करने और इन्हें पुन: तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ट्रेनों में सेवाओं की गुणवत्ता को आवधिक लेखापरीक्षा करने के लिए रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे हमेशा यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता एवं स्वच्छ भोजन मुहैया कराने का प्रयास करती है। बहरहाल 01.04.2010 से 31.10.2013 तक राजधानी/दुरंतो गाड़ियों सहित अवमानक भोजन की 3861 शिकायतें रिपोर्ट की गई हैं। लाइसेंसधारक के खिलाफ उचित कार्रवाई यथा अर्थदंड लगाना, ठेका समाप्त करने की चेतावनी देने की कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। यथार्थवादी कीमतों का आकलन करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन सूची और टैरिफ का संशोधन करने के लिए एक समिति नामित कर दी है। इस समिति ने प्रीमियम गाड़ियों में यात्रियों को स्वच्छ और क्षमता अनुरूप भोजन मुहैया कराने के लक्ष्य से वैज्ञानिक तौर पर सभी पहलुओं पर विचार किया था, समिति की रिपोर्टों के आधार पर 09.10.2013 से संशोधित भोजन सूची और टैरिफ जारी कर दिया है।

(ङ) गाड़ियों में खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए तंत्र बनाया गया है जिसमें रेलवे कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित औचक और आवधिक निरीक्षण के माध्यम से जांच करते हैं और निवारक उपाय भी करते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित तौर पर यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण भी आयोजित किये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खानपान सेवा मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से टोल फ्री नम्बर की स्थापना की गई है जो शिकायतों का वास्तविक समय पर निवारण करता है। नई खानपान नीति के अंतर्गत सेवाओं में कमी/अनियमितताओं के मामले में, दंडनीय कार्रवाई जैसे अर्थदंड, चेतावनी, उपयुक्त परामर्श और ठेका समाप्त करने जैसी कार्रवाई की जाती है। आवंटित किए गए पारदर्शित ठेके, प्रबंधन और मॉनिटरिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया जाता है जिसमें तीसरी पार्टी द्वारा गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और आवश्यक तौर पर बेस किचन का आईएसओ (भारतीय मानक संगठन) प्रमाण पत्र जैसे प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।

विद्युत उत्पादन की लागत

1325. डॉ. अनुप कुमार साहा :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की औसत लागत और प्रति इकाई इसके युक्तियुक्तकरण करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन की औसत लागत और प्रति यूनिट औसत शुल्क वसूली के बीच के अंतर में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा ब्यौरों के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2011-12 हेतु "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्य निष्पादन" पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्युत की प्रति यूनिट औसत आपूर्ति लागत (एसीएस), प्रति यूनिट अनुमानित औसत राजस्व (एआरआर) और उनका अंतर संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक इन दोनों के बीच अंतर में परिवर्तन का संबंध है, तो उसमें वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(रुपए/केडब्ल्यूएच)

	2009-10	2011-12	2011-12
एसीएस	3.55	3.97	4.39
एआरआर (बुक की गई सब्सिडी के आधार पर)	3.16	3.33	3.68
एआरआर (प्राप्त की गई सब्सिडी के आधार पर)	2.95	3.30	3.63
रिक्त (बुक की गई सब्सिडी के आधार पर)	0.40	0.64	0.70
रिक्त (प्राप्त की गई सब्सिडी के आधार पर)	0.61	0.67	0.76

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं:—

(i) उत्पादन की प्रति यूनिट आवश्यक ईंधन की लागत को कम करने के विचार से ताप विद्युत उत्पादन में और अधिक दक्ष सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना।

(ii) दिनांक 06.01.2006 का अधिसूचित प्रशुल्क नीति के अंतर्गत वितरण लाइसेंसियों द्वारा, मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के मामलों को छोड़कर, जहां राज्य नियंत्रित/स्वामित्व की कंपनी एक चिन्हित विकासकर्ता के रूप में है, प्रतिस्पर्धी रूप से विद्युत का प्रापण अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी सभी उत्पादन परियोजनाओं का प्रशुल्क 5 जनवरी, 2011 के बाद प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर तय किया जाना है।

(iii) वर्ष 2009-14 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी प्रशुल्क विनियमों में उन्नत प्रचालनात्मक मानक।

(iv) बड़े पैमाने की किफायत के कारण पूंजी लागत को कम करने के लिए उच्चतर यूनिट आकार/संयंत्र को बढ़ावा देना।

(v) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2009 में जारी संशोधित मेगापावर प्रोजेक्ट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत परियोजनाओं की कुछ विशिष्ट क्षमता के विद्युत उत्पादन उपस्करों के लिए सीमा प्रशुल्क के भुगतान में छूट दी जाती है और कुछ विशिष्ट श्रेणी की परियोजनाओं के लिए उत्पाद शुल्क में भी छूट दी जाती है।

(vi) विद्युत के प्रापण के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क निकाले गए हैं जिसके लिए मंत्रालय द्वारा बोली दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण

2009-10

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	एसएस	राजस्व औसत (दी गई सब्सिडी)	राजस्व (प्राप्त की गई सब्सिडी)	रिक्त (दी गई सब्सिडी)	रिक्त (प्राप्त की गई सब्सिडी)
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	4.14	2.75	2.75	1.39	1.39
	झारखंड	जेएसईबी	3.40	2.61	2.61	0.79	0.79
	ओडिशा	सेसको	2.21	1.97	1.97	0.23	0.23
		नेसको	2.10	2.04	2.04	0.06	0.06
		सेसका	1.70	1.52	1.52	0.17	0.17
		वेसको	2.19	2.15	2.15	0.04	0.04
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	1.40	1.24	1.24	0.16	0.16
	पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसीएल	3.23	3.27	3.27	(0.04)	(0.04)
पूर्वी योग			3.05	2.71	2.71	0.34	0.34
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	5.95	1.61	1.61	4.35	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8
	असम	एपीडीसीएल	4.25	3.56	3.56	0.69	0.69
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	4.44	1.74	1.74	2.69	2.69
	मेघालय	मेघालय एसईबी	3.66	3.28	3.28	0.38	0.38
		मेघालय ईसीएल					
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	5.75	1.86	1.86	3.90	3.90
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	3.89	1.78	1.78	2.12	2.12
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	2.84	2.86	2.73	(0.02)	0.10
पूर्वोत्तर योग			4.13	3.04	3.02	(1.09)	1.10
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	4.33	4.49	4.49	(0.16)	(0.16)
		बीएसईएस यमुना	4.08	4.20	4.20	(0.12)	(0.12)
		एनडीपीएल	4.54	4.92	4.92	(0.38)	(0.38)
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	3.52	3.15	3.13	0.37	0.40
		डीएचबीवीएनएल	4.62	4.07	4.07	0.56	0.56
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	3.85	3.66	3.66	0.18	0.18
		एचपीएसईबी लि.					
	जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	2.93	0.90	0.90	2.03	2.03
	पंजाब	पीएसईबी	3.32	3.00	3.00	0.32	0.32
		पीएसपीसीएल					
	राजस्थान	एवीवीएनएल	5.24	5.24	2.30	(0.00)	2.94
		जेडीवीवीएनएल	4.57	4.57	2.25	(0.00)	2.32
		जेवीवीएनएल	4.93	4.93	2.68	(0.00)	2.25
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	3.76	2.46	2.46	1.30	1.30
		केस्को	3.46	2.89	2.89	0.57	0.57
		एमवीवीएन	3.81	2.74	2.74	1.08	1.08
		पश्चिमी वीवीएन	3.49	2.82	2.82	0.67	0.67
		पूर्वी वीवीएन	3.44	2.53	2.53	0.92	0.92
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	3.09	2.45	2.45	0.64	0.64
उत्तरी योग			3.91	3.46	2.97	0.46	0.94

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसएल	3.08	3.08	2.72	(0.00)	0.36
		एपीईपीडीसीएल	3.52	3.54	3.14	(0.02)	0.38
		एपीएनपीडीसीएल	3.32	3.33	2.56	(0.01)	0.77
		एपीएसपीडीसीएल	3.63	3.63	2.92	(0.00)	0.71
	कर्नाटक	बेसकोम	3.25	3.26	3.30	(0.01)	(0.05)
		जेसकोम	3.20	3.08	2.55	0.12	0.65
		जेसकोम	2.93	2.93	2.93	(0.00)	(0.00)
		हेसकोम	3.33	3.09	3.09	0.23	0.23)
		मेसकोम	3.63	3.67	3.60	(0.03)	0.04
	केरल	केएसईबी	3.55	3.69	3.69	(0.14)	(0.14)
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	2.27	2.10	2.10	0.18	0.18
	तमिलनाडु	टीएनईबी	4.14	2.67	2.67	1.46	1.46
		टैनजेडको					
दक्षिणी योग			3.58	3.09	2.90	0.50	0.69
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	2.08	1.93	1.93	0.50	0.15
	गोवा	गोवा पीडी	2.44	2.48	2.48	0.15	(0.05)
	गुजरात	डीजीवीसीएल	3.98	4.01	4.01	(0.05)	(0.04)
		एमजीवीसीएल	3.79	3.82	3.82	(0.04)	(0.03)
		पीजीवीसीएल	2.70	2.71	2.71	(0.03)	(0.01)
		यूजीवीसीएल	2.90	2.91	2.91	(0.00)	(0.00)
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	3.10	2.47	2.47	0.62	0.62
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	3.86	2.81	2.81	1.05	1.05
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	3.90	2.82	2.82	1.09	1.09
	महाराष्ट्र	एमएसईडीएसएल	3.51	3.41	3.41	0.09	0.09
पश्चिमी योग			3.26	3.04	3.04	0.21	0.21
कुल योग			3.55	3.16	2.95	0.40	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010-11					
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	4.44	3.24	3.24	1.19	1.19
	झारखंड	जेएसईबी	3.35	2.64	2.64	0.72	0.72
	ओडिशा	सेसको	2.67	2.54	2.54	0.12	0.12
		नेसको	2.70	2.56	2.56	0.14	0.14
		सेसको	2.09	2.01	2.01	0.07	0.07
		वेसको	2.65	2.60	2.60	0.06	0.06
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	1.69	1.06	1.06	0.63	0.63
	पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसीएल	3.35	3.39	3.39	0.04	(0.04)
पूर्वी योग			3.29	2.99	2.99	0.30	0.630
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	4.44	1.54	1.54	2.91	2.91
	असम	एपीडीसीएल	5.36	4.34	4.34	1.02	1.02
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	4.93	1.74	1.74	3.19	3.19
	मेघालय	मेघालय एसईबी					
		मेघालय ईसीएल	3.08	2.58	2.58	0.50	0.50
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	5.28	1.66	1.66	3.62	3.62
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	4.66	1.69	1.69	2.98	2.98
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	3.62	2.62	2.58	1.01	1.04
पूर्वोत्तर योग			4.61	3.20	3.19	1.41	1.41
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	4.65	5.00	5.00	0.34	(0.34)
		बीएसईएस यमुना	4.79	5.01	5.01	0.22	(0.22)
		एनडीपीएल	4.32	4.69	4.69	0.36	(0.36)
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	3.94	3.49	3.40	0.45	0.54
		यूएचबीवीएनएल	4.30	4.22	4.22	0.08	0.08
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	4.23	3.46	3.46	0.77	0.77
		एचपीएसईबी लि.	3.49	3.09	3.09	0.40	0.40
	जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	3.14	1.11	1.11	2.03	2.03

1	2	3	4	5	6	7	8
	पंजाब	पीएसईबी					
		पीएसपीसीएल	3.46	3.07	3.07	0.38	0.38
	राजस्थान	एवीवीएनएल	7.84	2.77	2.77	5.08	5.08
		जेडीवीवीएनएल	7.03	2.33	2.33	4.71	4.71
		जेवीवीएनएल	6.69	2.68	2.68	4.01	4.01
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	3.84	2.94	2.94	0.90	0.90
		केस्को	3.84	3.22	3.22	0.62	0.62
		एमवीवीएन	3.45	3.13	3.13	0.32	0.32
		पश्चिमी वीवीएन	3.33	3.18	3.18	0.16	0.16
		पूर्वी वीवीएन	4.00	2.82	2.82	1.18	1.18
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	3.15	2.91	2.91	0.24	0.24
उत्तरी योग			4.42	3.22	3.22	1.20	1.20
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	3.40	3.41	3.19	(0.00)	0.22
		एपीसीपीडीसीएल	3.84	3.85	3.35	(0.01)	0.49
		एपीएनपीडीसीएल	3.80	3.81	3.46	(0.01)	0.34
		एपीएसपीडीसीएल	4.10	4.10	3.84	(0.00)	0.25
	कर्नाटक	बेसको	3.60	3.60	3.60	(0.00)	(0.00)
		चेसकोम	3.47	3.51	3.51	(0.04)	(0.04)
		जेसकोम	3.70	3.74	3.74	(0.04)	0.04
		हेसकोम	3.79	3.71	3.71	0.08	0.08
		मेसकोम	4.00	4.00	4.00	(0.01)	(0.01
	केरल	केएसईबी	3.74	3.88	3.88	(0.13)	(0.13
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	2.82	2.35	2.35	0.47	0.47
	तमिलनाडु	टीएनईबी	4.42	2.98	2.98	1.44	1.44
		टैनजेडको	5.39	3.33	3.33	2.05	2.05
दक्षिणी योग			4.04	3.49	3.39	0.55	0.65
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	2.56	2.27	2.27	0.29	0.29
	गोवा	गोवा पीडी	2.71	2.50	2.50	0.22	0.22

1	2	3	4	5	6	7	8
	गुजरात	डीजीवीसीएल	4.14	4.21	4.21	(0.07)	(0.07)
		एमजीवीसीएल	3.80	3.83	3.83	(0.04)	(0.04)
		एमजीवीसीएल	3.00	3.01	3.01	(0.01)	(0.01)
		यूजीवीसीएल	3.26	3.27	3.27	0.01	0.01
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	3.41	2.91	2.91	0.49	0.49
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	3.60	3.21	3.21	0.40	0.40
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल					
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	3.82	2.96	2.96	0.86	0.86
			3.92	3.82	3.82	0.10	0.10
पश्चिमी योग			3.58	3.41	3.41	0.17	0.17
कुल योग			3.97	3.33	3.30	0.64	0.67
			2011-12				
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	5.89	4.41	4.41	1.48	1.48
	झारखंड	जेएसईबी	6.40	3.19	3.19	3.21	3.21
	ओडिशा	सेसको	3.34	2.98	2.98	0.36	0.36
		नेसको	3.53	3.35	3.35	0.18	0.18
		सेसको	2.45	2.37	2.37	0.08	0.08
		वेसको	3.36	3.28	3.28	0.08	0.08
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	1.15	2.04	2.04	(0.89)	(0.89)
	पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसीएल	4.47	4.50	4.50	(0.03)	(0.03)
पूर्वी योग			4.60	3.90	3.90	0.70	0.70
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	5.52	1.51	1.51	4.01	4.01
	असम	एपीडीसीएल	4.64	3.95	3.70	0.68	0.93
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	6.88	1.97	1.97	4.91	4.91
	मेघालय	मेघालय एसईबी					

1	2	3	4	5	6	7	8
		मेघालय ईसीएल	4.30	3.14	3.14	1.16	1.16
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	5.64	2.42	2.42	3.22	3.22
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	5.52	2.10	2.10	3.42	3.42
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	4.39	3.13	3.13	1.26	1.26
पूर्वोत्तर योग			4.82	3.33	3.19	1.50	1.63
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	5.69	5.78	5.78	(0.09)	(0.09)
		बीएसईएस यमुना	5.79	5.84	5.84	(0.04)	(0.04)
		एनडीपीएल	5.02	5.46	5.46	0.44	0.44
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	4.41	3.59	3.57	0.82	0.84
		यूएचबीवीएनएल	4.93	3.84	3.84	1.08	1.08
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी					
		एचपीएसईबी लि.	4.53	4.01	4.01	0.52	0.52
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	4.03	1.29	1.29	2.74	2.74
	पंजाब	पीएसईबी					
		पीएसपीसीएल	3.97	3.86	3.86	0.11	0.11
	राजस्थान	एवीवीएनएल	8.35	3.11	3.11	5.24	5.24
		जेडीवीवीएनएल	6.66	2.73	2.73	3.93	3.93
		जेवीवीएनएल	6.04	3.12	3.12	2.92	2.92
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	3.67	2.73	2.73	0.93	0.93
		केस्को	4.55	3.31	3.31	1.24	1.24
		एमवीवीएन	3.80	3.09	3.09	0.72	0.72
		पश्चिमी वीवीएन	3.46	3.28	3.28	0.17	0.17
		पूर्वी वीवीएन	3.88	3.15	3.15	0.74	0.74
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	3.47	3.09	3.09	0.39	0.39
उत्तरी योग			4.75	3.56	3.56	1.19	1.19
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	4.07	4.07	3.67	(0.00)	0.40
		एपीईपीडीसीएल	4.24	4.25	3.49	(0.01)	0.75

1	2	3	4	5	6	7	8
		एपीएनपीडीसीएल	4.06	4.06	3.41	(0.00)	0.65
		एपीएसडीडीसएल	4.28	4.28	3.89	(0.00)	0.38
	कर्नाटक	बेसको	3.75	3.81	3.81	(0.06)	(0.06)
		चेसकाम	3.88	3.67	3.42	0.20	0.46
		जेसकोम	3.67	3.65	3.65	0.02	0.02
		हेसको	3.85	3.89	3.89	(0.04)	(0.04)
		मेसकोम	4.18	4.20	4.20	(0.02)	(0.02)
	केरल	केएसईबी	3.96	4.08	4.08	(0.12)	(0.12)
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	3.18	2.66	2.66	0.51	0.51
	तमिलनाडु	टीएनईबी					
		टैनजेडको	5.40	3.34	3.34	2.06	2.06
दक्षिणी योग			4.42	3.80	3.61	0.62	0.81
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	3.10	2.44	2.44	0.66	0.66
	गोवा	गोवा पीडी	3.11	2.39	2.39	0.72	0.72
	गुजरात	डीजीवीसीएल	4.60	4.67	4.67	(0.07)	(0.07)
		एमजीवीसीएल	4.08	4.13	4.13	(0.05)	(0.05)
		पीजीवीसीएल	3.27	3.27	3.27	(0.01)	(0.01)
		यूजीवीसीएल	3.52	3.52	3.52	(0.01)	(0.01)
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	3.84	3.05	3.05	0.79	0.79
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	3.45	3.10	3.10	0.35	0.35
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	4.36	3.37	3.37	0.99	0.99
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
पश्चिमी योग			3.85	3.67	3.67	0.19	0.19
कुल योग			4.39	3.68	3.63	0.70	0.76

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजना

1326. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री रमेन डेका :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री कादिर राणा :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री अभिजीत मुखर्जी :
श्री जोस के. मणि :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पहचान किए गए संगठनों/संस्थान कौन से हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीमों के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का स्कीम-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन स्कीमों के तहत निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का स्कीम और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए इन स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) भविष्य में अल्पसंख्यकों समुदायों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता सहित शिक्षा और अल्पसंख्यकों को रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जिन स्कीमों को लागू किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर देश की अल्पसंख्यक महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अनुसार, निम्नलिखित पांच समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23.10.1993 के सा.का. नि. सं. 818(अ), फाईल सं. 1/11/93-एमसी (1) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(घ) से (छ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(i) **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) :** बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक देश के 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में कार्यान्वित किया गया है। इन जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल आबादी तथा पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर की गई थी। एमएसडीपी की पुनर्संरचना इसकी सीमा बढ़ाने और इसको लक्षित अल्पसंख्यकों पर और अधिक केन्द्रित करने तथा प्रभावी बनाने के लिए की गई है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए योजना की ईकाई को जिले से बदलकर ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। कार्यक्रम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अब 710 ब्लॉकों और 16 नगरों को अभिज्ञात किया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बहुल गांवों (न्यूनतम 50% अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले) को भी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। एमएसडीपी के अंतर्गत इसके आरंभ से 30.11.2013 तक निर्माण की गई अवसंरचना सुविधाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर संलग्न है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार जारी की गई/उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ii) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना :** इस योजना के अंतर्गत, 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले उन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

(iii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :** इस योजना के अंतर्गत, 11वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले उन अल्पसंख्यक

छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा अथवा समकक्ष ग्रेड में 50% से कम अंक न हों और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 रुपए लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV पर दिए गए हैं।

(iv) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति :** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धन एवं मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-V पर दिए गए हैं।

(v) **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना :** इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, सुधारात्मक कोचिंग, अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों आदि के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-VI पर दिए गए हैं।

(vi) **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति :** अध्येतावृत्ति का उद्देश्य एम. फिल और पीएचडी जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समन्वित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यह अध्येतावृत्ति योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-VII पर दिए गए हैं।

(vii) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के लिए इक्विटी अंशदान :** इस योजना के अंतर्गत, सरकार एनएमडीएफसी को इसकी योजनाओं अर्थात् लघु वित्त योजना, सावधि ऋण, शैक्षिक ऋण, कौशल विकास और महिला समृद्धि योजना आदि के कार्यान्वयन के लिए रियायती ब्याज दर पर मूल इक्विटी अंशदान प्रदान करता है।

(viii) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता अनुदान :** इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ को कॉरपस निधि के रूप में सहायता-अनुदान जारी किया जाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहायता-अनुदान का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक संस्थानों को अवसंरचना विकास और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण के लिए करता है। इन योजनाओं पर व्यय कॉरपस निधि से अर्जित ब्याज से किया जाता है।

(ix) **राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :** वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के रख-रखाव को सरल बनाने, वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करने, वक्फ अभिलेखों के पंजीकरण तथा वक्फ अभिलेखों के डिजिटीकरण हेतु एक केन्द्रीकृत वेब आवेदन विकसित करने के उद्देश्य से, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मदद से किया जा रहा है।

(x) **नई रोशनी :** नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके सशक्तिकरण हेतु नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना। इस योजना का कार्यान्वयन 2012-13 से आरंभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूलों जैसे बैंकिंग प्रणालियों, सरकारी योजनाओं, जीविका कौशलों, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 40,000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 15.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। जिसमें से 36,950 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 64 संगठनों को 10.45 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकारों से सिफारिशों के साथ विलंब से प्राप्त प्रस्तावों पर वर्ष 2013-14 के दौरान विचार किया गया था और 12 राज्यों में 12250 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 36 संगठनों को 2.81 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 40,000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 15.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्वीकृत संगठनों की राज्य-वार सूची और निर्मुक्त राशि संलग्न विवरण-VIII और IX पर है।

(xi) **सीखो और कमाओ :** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "सीखो और कमाओ" (Learn and Earn) की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य विभिन्न

आधुनिक-पारंपरिक व्यवसायों में अल्पसंख्यक युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की क्षमता, जिससे उन्हें समुचित रोजगार मिल सकता है अथवा स्व-रोजगार अपनाने हेतु उन्हें विधिवत रूप से कुशल बना सकता है, के आधार पर उनके कौशलों का उन्नयन करना है। यह योजना परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को यह सुनिश्चित करने के लिए शर्त रखती है कि प्रशिक्षित युवाओं के न्यूनतम 75% को रोजगार दिया जाए जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। वर्ष 2013-14 के लिए 17 करोड़ रुपए के आवंटन सहित 7500 लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। 500 अल्पसंख्यक युवाओं हेतु एक प्रायोगिक परियोजना की आईएल एंड एफएस कौशल विकास निगम के सहयोग से पांच स्थानों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बंगलुरु (कर्नाटक), बरनाला (पंजाब) तथा शिलांग (मेघालय) में पहले से ही शुरुआत की जा चुकी है। मंत्रालय ने पीआईए को पैनल में शामिल करने के लिए पहले ही कार्रवाई की है। एनएमडीएफसी ने भी "अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को ड्राइवर का प्रशिक्षण" प्रदान करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लि. (एमएसआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम की कर्नाटक में नवंबर, 2013 के दौरान पहले ही शुरुआत की जा चुकी है।

इसके अलावा, बहु-क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) को भी इस सीमा तक पुनर्गठित किया गया है कि राज्यों को दिया जाने वाला कम से कम 10% आवंटन अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित होगा। 60,000 लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए के आवंटन से कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 17,876 व्यक्तियों के कोशल प्रशिक्षणों के लिए 22.98 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

(xii) **पढ़ो परदेस अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना :** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए बेहतर अवसर मिल सके और उनकी रोजगारपरकता बढ़ सके।

(xiii) **संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता की योजना :**

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य संघ लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में चयन हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा इन सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। ग्रुप 'ए' और 'बी' (राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता की दर 4.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अनाधिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों हेतु राजपत्रित पद के लिए 50,000/- रुपए तथा अराजपत्रित पद के लिए 25,000/- रुपए है। योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई है। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पहले ही मंगाए जा चुके हैं।

(xiv) **"जियो पारसी", भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई योजना :** वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेपों को अपना कर पारसी आबादी के घटते प्रवृत्ति को उलटा करने, उनकी जनसंख्याक को स्थिर करने और भारत में पारसियों की जनसंख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वर्ष 2013-14 में शुरू की गई है। यह मंत्रालय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आउटरिच कार्यक्रमों/एडवोकेशी तथा प्रजनन क्षमता के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना मंत्रालय और पारजोर फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 12वीं योजना के लिए वित्तीय परिव्यय इस योजना के अंतर्गत 10.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2013-14 के लिए 2.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(xv) **राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण :** जेपीसी ने अपनी नवीं रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि राज्य वक्फ बोर्डों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का मौजूदा स्तर न केवल अपर्याप्त है बल्कि असामान्य भी है। राज्य वक्फ बोर्डों के

सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकारों को सहायता से उनकी वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन तथा प्रबंधन होगा और आय सृजन तथा स्व-निर्भरता प्राप्त करने में सुधार होगा।

यह राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र क्षेत्र की एक योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अर्थात जिस अवधि के दौरान राज्य वक्फ बोर्डों के बेसी आय सृजन के साथ स्व-निर्भर हो जाने की उम्मीद की जाती है, के दौरान 32.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। 12वीं योजना के पश्चात, कोई सहायता नहीं प्रदान की जाएगी और संबंधित राज्य सरकारों को यह दायित्व उठाना होगा। योजना आयोग इस योजना के 'सिद्धांत रूप' में अनुमोदन की सहमति दी है।

(xvi) **राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना :**

केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनडब्ल्यूडीसी) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो वाणिज्यिक रूप में अर्थक्षम वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए विशेषीकृत वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में कार्य करेगा। विकास के पश्चात्, ये संपत्तियों अधिक आय सृजित करेंगी, जिसका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। यह निगम 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के साथ 500 करोड़ रुपए के प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दिनांक 25.11.2013 को आयोजित अपनी बैठक में एनडब्ल्यूडीसी की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(xvii) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता अनुदान :** इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ को कॉरपस निधि के रूप में सहायता-अनुदान जारी किया जाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहायता-अनुदान का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक संस्थानों को अवसंरचना विकास और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण के लिए करता है। इन योजनाओं पर व्यय कॉरपस निधि से अर्जित ब्याज से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय का अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं को अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्यों/वित्तीय परिव्ययों का या तो 15% विनिर्धारित करके अथवा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ/निधियों के प्रवाह की विशिष्ट निगरानी करते हुए शामिल किया जाता है।

(ज) एमएसडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र है। एमएसडीपी के लिए ब्लॉक स्तर की समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री ने नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला और राज्य स्तर की समितियां जिला और राज्य स्तरों पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा केन्द्र में अधिकारप्राप्त समिति निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। एमएसडीपी के अंतर्गत प्रगति का निरीक्षण अर्धवार्षिक आधार पर सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा किया जाता है। सचिवों की समिति द्वारा की गई टिप्पणियों का पुनरीक्षण केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छमाही आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ, नियमित बैठकों और सम्मेलनों के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थल दौरों के द्वारा भी की जाती है।

छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रोसेसिंग और मंजूरी के दौरान अधिक पारदर्शित तथा उत्तरदायित्व लाने के लिए पुनर्संरचना की गई है। लाभों के प्रवाह के मूल्यांकन के लिए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के अलग-अलग आंकड़े प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मंत्रालयों से अब मांगे गए हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बेहतर ढंग से और समय से फिडबैक प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं की नियमित समीक्षा, नियमित अंतराल पर राज्य सरकारों से बातचीत करके और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरों के माध्यम से की जाती है। मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के लिए 2010-11 में ऑनलाइन छात्रवृत्ति मॉनीटरिंग प्रणाली प्रारंभ और कार्यान्वित की गई और इसका अब 2012-13 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए विस्तार किया गया है।

मल्टी-मीडिया अभियान अर्थात् इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार योजनाओं के बारे में जानकारी देने और अल्पसंख्यकों के लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने/कवरेज को बढ़ाने के लिए चलाया जाता है।

विवरण-I

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत 30.11.2013 तक निर्माण की गई राज्य-वार अवसंरचना सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य		इंदिरा आवास योजना के मकान	स्वास्थ्य केन्द्र	आंगनवाड़ी केन्द्र	हैंड पम्प	पेयजल सुविधाएं	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कूल भवन	शिक्षण सहायक	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूलों में कम्प्यूटर	आई-टीआई भवन	पोलीटेक्नीक	स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल	छात्रावास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	85054	1041	11187	21054	79	1087	203	272	16	110	53	24	1929	28
		उपलब्धि	73907	623	6971	9262		431	13	0	0		6	0	788	2
		कार्य प्रगति पर	3305	62	1808	1021		185	46	0	0		22	18	38	7
2.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	55222	946	11013	12486	4557	9484	111	50	60		24	9	794	176
		उपलब्धि	35382	687	6202	6994		5526	34	40	60		1	0	10	14
		कार्य प्रगति पर	2269	56	934	517		1037	7	0	0		6	3	134	45
3.	असम	लक्ष्य	89836	133	2077	12096		3566	0	16	50		15	1	294	40
		उपलब्धि	39598	69	469	3402		438	0	0	0		0	0	37	0
		कार्य प्रगति पर	13944	12	493	330		958	0	0	0		0	0	99	0
4.	बिहार	लक्ष्य	41287	409	4835	2533		2970	94	0	53		3	3	1386	52
		उपलब्धि	15480	76	1310	1190		1071	52	0	37		0	0	404	9
		कार्य प्रगति पर	16403	90	1772	1196		640	7	0	7		2	0	74	19
5.	मणिपुर	लक्ष्य	5940	154	75	679		25	375	0	0		1	0	0	35
		उपलब्धि	5940	70	60	422		0	188	0	0		0	0	0	1
		कार्य प्रगति पर	0	82	15	224		0	183	0	0		1	0	0	11
6.	हरियाणा	लक्ष्य	2000	6	142	0		183	8	0	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	1956	0	71	0		63	6	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	6	0	19		32	8	0	1		0	0	0	0

7.	झारखंड	लक्ष्य	9215	256	1564	7		222	1	1	0		11	3	0	22
		उपलब्धि	8565	158	985	0		1	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	472	57	238	0		3	0	1	0		1	0	0	2
8.	उत्तराखंड	लक्ष्य	0	24	455	914		69	2	0	0		1	2	17	0
		उपलब्धि	0	0	100	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	124	0		0	0	0	0		0	0	0	0
9.	महाराष्ट्र	लक्ष्य	11670	0	626	0		0	0	0	0		0	0	0	14
		उपलब्धि	10471	0	405	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	1028	0	148	0		0	0	0	0		0	0	0	4
10.	कर्नाटक	लक्ष्य	5900	38	366	0		50	1	1	0		0	0	50	30
		उपलब्धि	3211	20	254	0		44	0	0	0		0	0	0	10
		कार्य प्रगति पर	942	9	101	0		4	0	0	0		0	0	0	20
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लक्ष्य	0	0	35	0		0	0	25	0		1	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	11	0		0	0	12	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	15	0		0	0	13	0		0	0	0	0
12.	ओडिशा	लक्ष्य	10037	36	293	0	2	193	0	0	10	30	2	0	64	4
		उपलब्धि	4960	4	144	0		11	0	0	0		0	0	42	0
		कार्य प्रगति पर	780	11	7	0		0	0	0	0		0	0	22	0
13.	मेघालय	लक्ष्य	5649	19	1022	1864		78	1	0	0		0	0	400	11
14.	केरल	उपलब्धि	0	29	0	3	1	195	0	0	0		0	1	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	10	0	1		38	0	0	0		0	0	0	0
		लक्ष्य	0	0	0	2		0	0	0	0		0	1	0	0
15.	मिजोरम	लक्ष्य	2758	23	224	24		54	17	0	0		2	0	0	9
		उपलब्धि	2236	16	158	0		31	17	0	0		0	0	0	5
		कार्य प्रगति पर	0	1	3	14		23	0	0	0		1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	जम्मू और कश्मीर	लक्ष्य	0	0	100	132		22	0	0	0		1	1	0	8
		उपलब्धि	0	0	2	21		10	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	35	61		5	0	0	0		0	0	0	0
17.	दिल्ली	लक्ष्य	0	5	0	1		100	2	0	4		1	0	19	0
		उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	10	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	0	1		80	0	0	0		0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	लक्ष्य	1000	0	224	0		0	2	0	0		0	0	0	4
		उपलब्धि	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	750	0	95	0		0	0	0	0		0	0	0	1
19.	सिक्किम	लक्ष्य	250	1	56	4		22	12	0	0		0	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	30	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	250	0	10	0		11	0	0	0		0	0	0	0
20.	अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य	7435	50	651	0	258	447	64	10	14		0	0	44	167
		उपलब्धि	4359	15	452	0		195	35	5	9		0	0	2	23
		कार्य प्रगति पर	1384	18	105	0		43	14	5	1		0	0	0	82
21.	आंध्र प्रदेश	लक्ष्य	0	11	70	0	0	349	7	27	0	340	0	0	5	1
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
22.	त्रिपुरा	लक्ष्य		11				6								2
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
23.	पंजाब	लक्ष्य	23	10	198			73		4						
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														

24. राजस्थान	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
25. गुजरात	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
26. छत्तीसगढ़	लक्ष्य														
	उपलब्धि														
	कार्य प्रगति पर														
योग	लक्ष्य	333276	3202	35213	52056	5086	19195	900	405	207	480	116	44	5002	603
	उपलब्धि	210565	1748	17672	22562	0	7911	345	57	103	0	7	0	1293	67
	कार्य प्रगति पर	41527	404	5936	3416	0	3023	266	19	9	0	35	22	367	193

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	2010–11		2011–12		2012–13*		2013–14*	
		जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)	जारी	प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार उपयोग (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	21106.29	16648.87	16027.59	7789.33	23040.62	1922.21	22813.478	
2.	पश्चिम बंगाल	23105.55	23100.55	10208.23	8866.79	20055.76	1699.07	30572.571	
3.	असम	9611.71	9588.32	17859.10		491.17		2944.61	
4.	बिहार	12250.15	9961.46	16152.29	7421.81	8054.41	1814.97	364.8725	
5.	मणिपुर	371.25	169.01	2655.72	711.82	0.00		2198.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	1186.17	874.26	1140.04	184.35	0.00		651.92	
7.	झारखंड	5533.46	4657.89	3981.41	1057.60	2255.23		1623.975	
8.	उत्तराखंड	2229.65	61.92	194.34		202.88		861.15	
9.	महाराष्ट्र	2953.59	2670.09	490.99	148.39	1085.00		322.24	
10.	कर्नाटक	2129.39	1850.52	1089.58	715.89	1028.84		0	
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.94	15.94	51.27	51.27	25.30	25.30	515.98	
12.	ओडिशा	1517.24	1147.9	3.73		783.34		1509.44	उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2015 तक देय है।
13.	मेघालय	1519.83	1519.8	441.00	441.00	762.33		2	
14.	केरल	641.63	631.24	744.81	707.75	412.07		1001.27	
15.	मिजोरम	1456.78	1459.63	865.09	750.35	721.62	155.51	657.98	
16.	जम्मू और कश्मीर	0		750.03		0.00		323.363	
17.	दिल्ली	48.75	48.75	895.98	356.35	203.75		0	
18.	मध्य प्रदेश	752.7	278.04			0.00		346.54	
19.	सिक्किम	568.879	419.18	526.98		202.38		2	
20.	अरुणाचल प्रदेश	4319.499	4319.499	3912.65	2205.476	4801.64	1522.33	3041.045	
21.	आंध्र प्रदेश							1656.01	
22.	त्रिपुरा							1710.785	
23.	पंजाब							1059.8	
24.	राजस्थान							0	
25.	गुजरात							0	
26.	छत्तीसगढ़							0	
	सकल योग	91318.46	79422.87	77990.82	31408.18	34126.34	7140.09	74179.619	

*वर्ष 2012-13 के दौरान जारी निधियों हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2014 तक देय तथा 2013-14 के दौरान जारी निधियों के लिए 31 मार्च, 2015 तक देय है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	86709	225462	147406	191973	173418	301275	173418	0		42.85		26.88		47.91		6.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	3836	0	6521	0	7673	0	7673	0		0.00		0.00				
3.	असम	98109	38259	166785	86159	196218	181267	196218	179264		8.37		21.25		37.64		28.15
4.	बिहार	145809	320107	247875	193967	291618	80622	291618	0		34.12		29.01				
5.	छत्तीसगढ़	9909	6976	16845	12610	19818	18235	19818	20196		1.31		2.93		4.33		4.87
6.	गोवा	4905		8340	0	9812	0	9812	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.04	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.00	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	
7.	गुजरात	52260	0	88842	0	104520	0	104520	0		0.00		0.00				
8.	हरियाणा	25709	24823	43705	0	51418	50308	51418	0		2.41		2.03		3.15		
9.	हिमाचल प्रदेश	3009	1166	5115	5171	6018	3652	6018	0		0.19		0.52		0.58		
10.	जम्मू और कश्मीर	75309	116571	128026	250983	150618	225646	150618	0		12.93		31.44		28.25		
11.	झारखंड	51909	26107	88245	51082	103818	45878	103818	0		4.13		10.53		8.76		
12.	कर्नाटक	83209	314508	141457	426813	166418	416243	166418	399644		33.16		49.05		42.89		42.90
13.	केरल	146900	563560	249731	696630	293800	944918	293800	884682		42.69		52.77		71.58		67.01
14.	मध्य प्रदेश	46209	61052	78555	135932	92418	129672	92418	0		6.89		17.93		16.84		10.85
15.	महाराष्ट्र	183638	545201	312187	701343	367276	788973	367276	785177		40.98		54.72		58.73		56.49
16.	मणिपुर	9855		16753	9438	19708	32279	19708	0		0.00		1.19		11.09		2.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	18255	12846	31032	17781	36508	19945	36508	0		1.63		2.44		2.76		
18.	मिज़ोरम	9136	14053	15533	13485	18273	40615	18273	53615		2.25		2.49		9.76		13.41
19.	नागालैंड	19355	4400	32901	10056	38708	18679	38708	0		0.51		2.07		4.00		
20.	ओडिशा	17909	17909	30445	24553	35818	34673	35818	38611		1.39		2.00		3.97		3.04
21.	पंजाब	161127	279082	273917	296660	322258	266188	322258	0		25.66		29.23		51.92		
22.	राजस्थान	60109	121988	102186	148816	120218	199885	120218	280100		10.85		10.14		22.56		31.66
23.	सिक्किम	2136	2434	3633	3269	4274	4115	4274	3693		0.40		0.61		0.73		0.69
24.	तमिलनाडु	76709	312415	130407	301278	153418	340647	153418	362547	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	28.17	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	32.28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	36.30	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	38.68
25.	त्रिपुरा	4836	1617	8221	1356	9673	3721	9673	6524		0.12		0.10		0.42		0.74
26.	उत्तर प्रदेश	337109	465812	573086	971245	674218	1089486	674218	1167207		65.27		148.11		204.25		242.22
27.	उत्तराखंड	13309	1132	22625	3103	26618	11907	26618	0		0.23		0.43		2.95		
28.	पश्चिम बंगाल	222309	913002	377926	955205	444618	1165386	444618	1067124		76.53		82.98		111.87		100.06
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1155		1961	237	2309	277	2309	0		0.01		0.03		0.05		
30.	चंडीगढ़	2027		3446	4000	4054	0	4054	3318		0.00		0.51		0.50		0.36
31.	दादरा और नगर हवेली	255	72	432	152	509	233	509	0		0.04		0.06		0.05		
32.	दमन और दीव	233	113	395	183	466	500	466	0		0.03		0.07		0.15		
33.	दिल्ली	24709	30904	42206	12732	49418	21759	49418	0		3.03		1.35		2.21		
34.	लक्षद्वीप	682	0	1158	0	1364	0	1364	0		0.00		0.00				
35.	पुदुचेरी	1355		2302	2345	2709	0	2709	2345		0.03		0.30				0.14
	योग	2000000	4421571	3400000	5528557	4000000	6436984	4000000	5254047	450.00	446.25	600.00	615.47	900.00	786.19	950.00	649.58

*नवीकरण सहित।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	17342	42972	22761	20550	21345	26904	21345	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	35.24	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	17.28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	16.65	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	7.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	773	0	1011	0	1150	0	1150	0		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम	19622	4730	25753	6119	29600	19276	29600	0		5.60		4.46		12.06		0.00
4.	बिहार	29162	24709	38276	42765	35897	26911	35897	0		15.96		25.49		7.90		0.00
5.	छत्तीसगढ़	1982	1396	2601	1863	2449	2615	2449	0		1.03		1.57		2.30		0.00
6.	गोवा	993	523	1299	187	1201	211	1201	0		0.21		0.07		0.61		0.00
7.	गुजरात	10453	12290	13723	15559	12851	20612	12851	15622		4.47		7.78		11.19		7.66
8.	हरियाणा	5142	2564	6748	575	6349	1373	6349	0		1.48		1.48		0.00		0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	602	355	789	517	749	424	749	0		0.21		0.20		0.31		0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	15062	10766	19767	28427	18544	10491	18544	0		5.24		14.15		6.10		0.00
11.	झारखंड	10382	9825	13626	14418	12800	10112	12800	0		6.15		10.05		5.86		6.51
12.	कर्नाटक	16642	43344	21842	65887	20493	33160	20493	1498		12.35		24.85		18.07		11.25
13.	केरल	29379	60782	38562	75220	36151	95379	36151	0		9.98		21.69		27.13		0.00
14.	मध्य प्रदेश	9242	7795	12130	11138	11349	12343	11349	10233		3.31		6.17		6.95		6.94
15.	महाराष्ट्र	36675	44579	48157	48505	45189	42802	45189	2454		20.09		31.06		26.20		1.59
16.	मणिपुर	1982	1400	2595	0	3000	3619	300	2037		0.00		0.00		2.82		1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	3662	256	4799	227	5500	223	5500	0		0.19		0.19		0.19		0.00
18.	मिज़ोरम	1833	3416	2401	3417	2750	4329	2750	298		2.81		3.43		4.32		1.52
19.	नागालैंड	3882	68	5088	48	5851	90	5851	0		0.05		0.04		0.07		0.00
20.	ओडिशा	3582	1049	4700	1114	4400	2143	4400	0		1.03		0.00		1.23		2.42
21.	पंजाब	32142	27245	42243	50928	39640	54403	39640	4062		14.83		39.42		43.55		21.77
22.	राजस्थान	12022	10873	15778	19555	14800	23167	14800	0		4.66		12.77		15.35		0.00
23.	सिक्किम	433	625	564	549	651	565	651	0		0.31		0.40		0.40		0.00
24.	तमिलनाडु	15342	34107	20136	35484	18900	42525	18900	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	10.67	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	17.68	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	21.14	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	10.06
25.	त्रिपुरा	973	329	1273	376	1451	445	1451	0		0.17		0.12		0.44		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	67422	90386	88491	138138	82950	193361	82950	94669		46.42		74.81		36.72		58.43
27.	उत्तराखंड	2662	171	3494	444	3300	540	3300	0		0.08		0.19		1.64		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	44462	87752	58356	118441	54790	125909	54790	0		25.77		46.87		56.95		30.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	242	9	311	9	501	21	501	0		0.01		0.00		0.01		0.00
30.	चंडीगढ़	410	77	536	140	900	267	900	0		0.09		0.06		0.18		0.11
31.	दादरा और नगर हवेली	62	30	74	30	100	33	100	0		0.02		0.01		0.01		0.00
32.	दमन और दीव	64	22	77	29	100	52	100	0		0.02		0.03		0.05		0.00
33.	दिल्ली	4942	866	6486	1061	3799	338	3799	0		0.38		0.56		0.17		0.00
34.	लक्षद्वीप	153	0	190	0	300	0	300	0		0.00		0.00		0.00		0.00
35.	पुदुचेरी	282	333	363	230	200	0	200	0		0.13		0.10		0.00		0.00
	योग	4000000	525644	525000	701950	500000	755643	500000	130873	265.00	228.96	450.00	362.99	500.00	326.55	549.00	167.18

*नवीकरण सहित।

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 30.11.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	867	1314	867	1126	2601	1664	2601	0		3.99		3.09		4.58		0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	0	38	0	114	0	114	1		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम	981	1908	981	1702	2943	2311	2943	0		5.39		4.94		6.52		0.00
4.	बिहार	1458	3133	1458	3703	4374	4354	4374	2054		9.46		9.98		12.01		5.65
5.	छत्तीसगढ़	99	148	99	140	297	201	297	50		0.39		0.43		0.57		0.14
6.	गोवा	49	79	49	84	147	97	147	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.20	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.23	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.07	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0.00
7.	गुजरात	523	928	523	941	1569	2016	1569	1675		2.02		2.26		4.90		3.90
8.	हरियाणा	257	310	257	362	771	770	771	0		0.83		1.03		2.06		0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	30	37	30	36	90	86	90	0		0.09		0.12		0.25		0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	753	1443	753	1614	2259	2936	2259	0		3.62		4.75		7.94		0.00
11.	झारखंड	519	916	519	941	1557	1279	1557	0		2.54		2.70		3.41		0.11
12.	कर्नाटक	832	1986	832	2217	2496	3586	2496	520		5.30		5.99		9.43		1.36
13.	केरल	1469	4443	1469	4661	4407	8627	4407	5130		11.85		13.12		24.20		11.15
14.	मध्य प्रदेश	462	814	462	843	1386	1725	1386	1341		2.10		2.27		4.60		3.59
15.	महाराष्ट्र	1840	2463	1840	3475	5520	4665	5520	0		5.49		9.27		12.20		0.00
16.	मणिपुर	98	184	98	247	294	330	294	0		0.68		0.77		0.98		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	182	224	182	305	546	412	546	0		0.66		0.95		1.25		0.00
18.	मिज़ोरम	91	188	91	145	273	85	273	0		0.49		0.39		0.23		0.00
19.	नागालैंड	193	345	193	399	579	689	579	0		1.57		1.22		2.11		0.00
20.	ओडिशा	179	191	179	201	537	427	537	110		0.53		0.68		1.24		0.29
21.	पंजाब	1615	2541	1615	2774	4845	4859	4845	1562		7.12		8.65		13.34		4.75
22.	राजस्थान	601	1001	601	1187	1803	2519	1803	0		2.23		3.26		6.73		0.00
23.	सिक्किम	21	145	21	77	63	111	63	0		0.49		0.24		0.31		0.00
24.	तमिलनाडु	767	2118	767	2390	2301	3225	2301	993	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	5.57	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	6.33	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	8.05	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	2.55
25.	त्रिपुरा	48	73	48	65	144	113	144	0		0.21		0.18		0.35		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3371	6962	3371	6634	10113	11647	10113	15404		17.97		16.17		29.14		40.27
27.	उत्तराखंड	133	127	133	214	399	333	399	0		0.35		0.67		1.00		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2223	6599	2223	5539	6669	8440	6669	1498		17.14		14.84		22.28		3.90
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	11	11	7	33	7	33	0		0.04		0.04		0.01		0.00
30.	चंडीगढ़	20	17	20	18	60	21	60	0		0.16		0.12		0.11		0.03
31.	दादरा और नगर हवेली	2	0	2	0	6	0	6	0		0.00		0.00		0.00		0.00
32.	दमन और दीव	2	1	2	2	6	3	6	0		0.00		0.01		0.01		0.00
33.	दिल्ली	247	385	247	408	741	525	741	0		0.80		0.99		1.26		0.00
34.	लक्षद्वीप	6	0	6	0	18	0	18	0		0.00		0.00		0.00		0.00
35.	पुदुचेरी	13	22	13	19	39	33	39	6		0.05		0.05		0.07		0.01
	योग	400000	41056	20000	42476	60000	68096	60000	30344	135.00	108.76	140.00	115.72	220.00	181.21	270.00	77.70

*नवीकरण सहित।

विवरण-VI

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं सबंद्ध योजना के तहत की निर्मुक्त की गई निधियां और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (26.08.2013 तक)		
		वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0		0	0		0	0			
2.	आंध्र प्रदेश		3724875	50		2661000	200		704050	300			4814250
3.	अरुणाचल प्रदेश		0	0		0	0		0	0			
4.	असम	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	9374000	500	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	28815250	1100	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	12027000	150	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		
5.	बिहार		8469500	500		26990000	1000		11151875	400			3273750
6.	चंडीगढ़		0	0		0	0		0	0			
7.	छत्तीसगढ़		0	0		0	0		0	0			
8.	दादरा और नगर हवेली		0	0		0	0		0	0			
9.	दमन और दीव		0	0		0	0		0	0			
10.	दिल्ली		744750	0		1856000	0		5378500	356			129500
11.	गोवा		0	0		0	0		460500	50			
12.	गुजरात		630000	50		0	0		1595250	125		100	3032250
13.	हरियाणा		1159000	100		3493500	200		3875000	100			584375
14.	हिमाचल प्रदेश		0	0		0	0		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	जम्मू और कश्मीर		0	0		47500000	500		2162500	150			
16.	झारखंड		33500000	200		12278500	500		0	0			
17.	कर्नाटक		1447500	0		15017250	500		1237375	100			7850000
18.	केरल		4844000	600		7997000	500		4287500	350		300	12589500
19.	मध्य प्रदेश		1179625	0		1792500	150		7387625	500			480600
20.	महाराष्ट्र		58199500	2200		2337500	200		5773500	320		80	1544250
21.	मणिपुर		775750	30		1016750	0		9206850	700			2383850
22.	मेघालय	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	0	0	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।		
23.	मिज़ोरम		655625	0		9601500	300		2561750	100			680000
24.	नागालैंड		0	0		0	0		574125	50			574125
25.	ओडिशा		723000	70		0	0		5045500	250			
26.	पंजाब		1083250	0		0	0		0	0			
27.	राजस्थान		1932625	50		3908000	350		6127875	250		40	2451500
28.	सिक्किम		0	0		0	0		0	0			
29.	तमिलनाडु		1495500	150		396000	50		622500	150			622500
30.	त्रिपुरा		1253900	40		1607500	100		1607500	0			
31.	उत्तर प्रदेश		5309250	225		15018975	980		34362375	1695		80	15995350
32.	उत्तराखंड		348750	30		658775	50		1963725	120			846500
33.	पश्चिम बंगाल		37031375	50		19604000	1200		15495250	500		300	9803000
34.	लक्षद्वीप		0	0		0	0		0	0			
35.	पुदुचेरी		0	0		0	0		0	0			
	योग	15.00	143731775	4845	16.00	159800000	7880	20.00	139974825	6716	25.00	900	73173700

विवरण-VII

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, 28.02.2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां								वित्तीय आवंटन एवं जारी निधि							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14** (31.11.2013 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.11.2013 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	31	69	31	103	31		31	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	3	4	7	4		4									
3.	असम	33	67	33	102	33		33									
4.	बिहार	50	108	50	163	50		50									
5.	छत्तीसगढ़	6	11	6	17	6		6									
6.	गोवा	4	5	4	9	4		4									
7.	गुजरात	21	27	21	39	21		21									
8.	हरियाणा	12	13	12	21	12		12									
9.	हिमाचल प्रदेश	4	9	4	13	4		4									
10.	जम्मू और कश्मीर	27	62	27	101	27		27									
11.	झारखंड	21	36	21	57	21		21									
12.	कर्नाटक	31	55	31	88	31		31									
13.	केरल	50	116	50	173	50		50									
14.	मध्य प्रदेश	15	31	15	45	15		15									
15.	महाराष्ट्र	67	138	67	205	67		67									
16.	मणिपुर	4	10	4	15	4		4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	6	12	6	18	6		6									
18.	मिज़ोरम	4	9	4	13	4		4									
19.	नागालैंड	6	11	6	17	6		6									
20.	ओडिशा	6	9	6	14	6		6									
21.	पंजाब	59	134	59	196	59		59									
22.	राजस्थान	21	42	21	62	21		21									
23.	सिक्किम	4	4	4	8	4		4									
24.	तमिलनाडु	28	68	28	102	28		28	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं था।
25.	त्रिपुरा	4	4	4	4	4		4									
26.	उत्तर प्रदेश	120	251	120	381	120		120									
27.	उत्तराखंड	4	8	4	13	4		4									
28.	पश्चिम बंगाल	81	158	81	220	81		81									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	2	4	2	4		4									
30.	चंडीगढ़	4	8	4	13	4		4									
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	4	0	4		4									
32.	दमन और दीव	4	0	4	0	4		4									
33.	दिल्ली	9	17	9	26	9		9									
34.	लक्षद्वीप	4	6	4	7	4		4									
35.	पुदुचेरी	4	8	4	12	4		4									
	योग	756	1511	756	2266	756	3020**	756	0	30.00	29.98	52.00	51.98	66.00	66.00	90.00	50.00

*नवीकरण सहित

**2012-13 की उपलब्धियां प्राप्त की जानी हैं।

विवरण-VIII

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		संगठन के नाम	2012-13 के दौरान जारी राशि (रुपए में)	पता
1	2		3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	(i)	ग्रोपियस सोसल वेलफेयर सोसाइटी	1967175	ग्रोपियस सोसल वेलफेयर सोसाइटी, डी-42, टॉप फ्लोर, साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली
		(ii)	सोसाइटी फोर कम्प्यूटर एजुकेशन डेवलपमेंट	5701920	सोसाइटी फोर कम्प्यूटर एजुकेशन डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, 20/177, इंदिरा नगर, लखनऊ
		(iii)	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी	400680	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी, 93, अदल सराइन, कल्पी, जलाउ, उत्तर प्रदेश-285204
		(iv)	अल्लमा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी	851445	अल्लमा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, 13/750, शेखान, अचेनेरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-283101
		(v)	थारू जनजाति महिला विकास समिति	100700	थारू जनजाति महिला विकास समिति, 638, आवास विकास कॉलोनी, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश-271002
		(vi)	नेहरू युवा केन्द्र	3756375	नेहरू युवा केन्द्र बाराबंकी सिविल लाइन, लखनऊ रोड, बाराबंकी-225001
		(vii)	निर्मल इंडिया इंडिया सेवा समिति	2504250	निर्मल इंडिया इंडिया सेवा समिति, बुक्सी का तलाब, लखन्-227202
		(viii)	श्री भोलानाथ सेवा संस्थान	300510	श्री भोलानाथ सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्टः किंधौरा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश
		(ix)	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान	1001700	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान, 259-एच, शिव सावित्रीपुरम, हुमायूंपुर (नोर्थ), गोरखपुर-273015
		(x)	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	710430	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
		(xi)	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	4053000	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, 263, हिंद नगर, कानपुर रोड, लखनऊ
		(xii)	बहिन	250425	बहिन वूमेन एम्पलोयमेंट सोसाइटी, 103, डाली बाग अपार्टमेंट, बटलर रोड, लखनऊ
		(xiii)	पोयनियर फाउंडेशन	3005100	पोयनियर फाउंडेशन, 250/15का, श्याम कुंज, यहियागंज, लखनऊ-226003

1	2		3	4	5
		(xiv)	आंचल वूमेन वेलफेयर सोसाइटी	1502550	आंचल वूमेन वेलफेयर सोसाइटी, 5/324, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010
		(xv)	पूर्वांचल सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी	400680	पूर्वांचल सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्रामः तिवारीपुर, पीओ मोहम्मदाबाद, जिला गाजियाबाद
		(xvi)	यूनिटी टेक्नीकल इंस्टिट्यूट सोसाइटी	250425	यूनिटी टेक्नीकल इंस्टिट्यूट सोसाइटी, 178/152, बद्रीनाथ रोड, गोलागंज, लखनऊ-226018
		(xvii)	गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	915390	गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट जोनिहान जिला, फतेहपुर
		(xviii)	प्रगति पथगामिनी	1552635	प्रगति पथगामिनी, 643एम/788, श्री नगर मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
		(xix)	सर्व सुखी उज्ज्वल ग्रामोधोग सेवा संस्थान	1001700	सर्व सुखी उज्ज्वल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1562, उत्तरी आवास विकास बस्ती-227001 (उत्तर प्रदेश)
		(xx)	प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्वा माध्यमिक विद्यालय समिति	400680	प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्वा माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्रामः जमालपुर, पोस्ट-मोहम्दाबाद, गोहना, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश-276403
		(xxi)	सद्भावना समिति	1001700	सद्भावना समिति, विभुति खंड-2, बेहनान पूर्वी, वेब सिनेमा के पीछे, गोमती नगर, लखनऊ-226015
		(xxii)	डेवलपमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल	1930950	डेवलपमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल, बी-152, दूसरा तल, सूर्या नगर, गाजियाबाद
		(xxiii)	साई सेवा संस्थान	2049600	साई सेवा संस्थान, 118, अशोक नगर, बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश 272153
		(xxiv)	महिला एवं बाल विकास संस्थान	765135	महिला एवं बाल विकास संस्थान विमला भवन, रामजानकी नगर, ब्लॉक (ए), बसरतपुर, गोरखपुर-273004
		(xxv)	इंस्टिट्यूट फोर सोसलिस्ट एजुकेशन	500850	इंस्टिट्यूट फोर सोसलिस्ट एजुकेशन सक्युलर हाऊस, 9/1-इंस्टिट्यूशनल एरिया, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
		(xxvi)	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान	1020180	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान, मरवाटिया, बंसगांव, गोरखपुर
		(xxvii)	इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	8198400	इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ए-1 एवं 2 इंडस्ट्रीयल एरिया, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008

1	2		3	4	5
		(xxviii)	त्रिपाठी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	11275950	त्रिपाठी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी (पंजी.) 208-ए, साकेत, मेरठ
		(xxix)	बाल भारती अकादमी	12605880	बाल भारती, ए-158, डिफेंस कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
2.	उत्तराखंड	(i)	इदरा शबाब-ए-इस्लामी	460005	इदरा शबाब-ए-इस्लामी, लाइब्रेरी कॉप्लेक्स, मेहोन वाला माफी, पोस्ट मजरा, देहरादून, उत्तराखंड-7248171
		(ii)	हिमालया इंस्टिट्यूट फोर रूरल अवेकिंग	4099200	हिमालया इंस्टिट्यूट फोर रुरल अवेकिंग, सी-18, उग्रसेन नगर, पोस्ट बीरभद्र, जिला ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड
		(iii)	मानव सेवा समाज	150255	मानव सेवा समाज, मेन बाजार बेतालघट, ब्लॉक एंड तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल, उत्तराखंड
		(iv)	बालाजी सेवा संस्थान	305130	बालाजी सेवा संस्थान लेन सी-18, टर्नर रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून 248002
		(v)	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	460005	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी, तेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
3.	राजस्थान	(i)	सृजन संस्थान	2800875	सृजन संस्थान, गुलजार बाग कॉलोनी, भरतपुर, राजस्थान
		(ii)	जयपुर सेवा फाउंडेशन	929250	जयपुर सेवा फाउंडेशन, ए-81, चित्रकूट योजना, सेक्टर-2, अजमेर रोड के पास, जयपुर-302021
		(iii)	विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	250425	विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट पथ नं. 2, विजय बाड़ी सिकर रोड, जयपुर-39, राजस्थान
		(iv)	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	1024800	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, जी-1, आर-20, युद्धिस्टर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302021
		(v)	चाणक्य युवा संघ	250425	चाणक्य युवा संघ, 10/13, सेक्टर-ए, प्रताप नगर, संगानेर, जयपुर
		(vi)	आर.के. संस्थान	250425	आर.के. संस्थान, 3/166, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान
		(vii)	नवजीवन सोसाइटी	250425	नवजीवन सोसाइटी, जयपुर 19, शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम, जयपुर
4.	कर्नाटक	(i)	कनसेर्टियम ऑफ माइनोरिटी एसोशिएशन	1275225	कनसेर्टियम ऑफ माइनोरिटी एसोशिएशन, प्लॉट नं. 34, IInd स्टेज, IIIrd मेन, हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान नगर बेलगम-590001

1	2		3	4	5
		(ii)	ममथा मक्कला मंदिर	450765	ममथा मक्कला मंदिर, नगरभवी Ist स्टेज, बेंगलुरु-560072, कर्नाटक
		(iii)	परिवर्थना रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	464625	परिवर्थना रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी शिरालकोपा, बेलवंथनाकोप्पा-577426, जिला शिकारीपुरा तलुक शिमोंगा, कर्नाटक
5.	ओडिशा	(i)	अरून इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर	400680	अरून इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर एट. अस्वखोला, पीओ करमुल, वाया माहिमगडी, जिला धेनकेनाल- 759014, ओडिशा
		(ii)	सामपार्क	250425	सामपार्क, एट - ओरी, पोस्टः महालपारा, वाया-बिरतुंगा, जिला पुरी, पिन-752116, ओडिशा
		(iii)	निलाचल सेवा प्रतिष्ठान	869925	निलाचल सेवा प्रतिष्ठान दयाविहार (कनास), जिला-पुरी, ओडिशा-752017
		(iv)	निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	250425	निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, एट-एस/97, मैत्री विहार, पीवी-रेलवे प्रोजेक्ट पोस्ट ऑफिस, भुवनेशवर-751023, जिला खुर्दा, ओडिशा
6.	गुजरात	(i)	नवजीवन ट्रस्ट	500850	नवजीवन ट्रस्ट, बिशोप हाउस, प्रेम मंदिर कैम्पस, कलवड़ रोड, राजकोट, गुजरात-360005
		(ii)	मतुश्री चंद्रमत प्रतिष्ठान	250425	मतुश्री चंद्रमत प्रतिष्ठान, 411/1 एस.जी. रोड, नंदीनी निलयम संस्कृती सभा गृह के पास, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, गोटा, अहमदाबाद- 382481
		(iii)	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	300510	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, एआईटीसी, दूसरा तल, नारायण कॉम्पलेक्स, शुभलक्ष्मी शोपिंग सेंटर के पास, स्टेशन रोड, आनंद 388001, गुजरात
		(iv)	ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट	400680	ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टेन्ड के पास, पाटन, गुजरात
		(v)	कैरा सोसल सर्विस सोसाइटी	1010940	कैरा सोसल सर्विस सोसाइटी, मार्फत केथलिक चर्च, सेंट एक्सवियर स्कूल कैम्पस, हंसोल-सरदारनगर, अहमदाबाद-382475
7.	मध्य प्रदेश	(i)	ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गानाइजेशन	1994895	ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गानाइजेशन
		(ii)	इंडो-इरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	1302210	इंडो-इरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एफ-101, रक्षा टावर, कोलार रोड, चुनाभट्टी, भोपाल, मध्य प्रदेश
		(iii)	शांति निकेतन शिक्षा समिति	601020	शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोति मिल रोड, बिरला नगर, ग्वालियर

1	2		3	4	5
		(iv)	सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	601020	सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, हाजिरा चैराहा, गोला का मंदिर रोड, बिरला नगर, ग्वालियर-474004
		(v)	श्री कृष्णा ग्रामोथान समिति	1452465	श्री कृष्णा ग्रामोथान समिति, गांव: सबजित का पुरा, कैलराश, जिला मोरेना, मध्य प्रदेश
8.	केरल	(i)	जनश्री ससटेनेबल डेवलपमेंट मिशन	2168250	जनश्री ससटेनेबल डेवलपमेंट मिशन, जनश्री भवन, एआईआर रोड, वजुथाकाड, त्रिवनंतपुरम-695014
9.	महाराष्ट्र	(i)	जनकल्याण विकास मंडल	710430	जनकल्याण विकास मंडल, शिवनेरी हॉस्पिटल, न्यू गुजराती हाई स्कूल, वजिराबाद, नंदे, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र
		(ii)	महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास	715050	महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, 690-691, गोलछा मार्ग, सदर बाजार, नागपुर-440001
10.	मणिपुर	(i)	कुकी क्रिस्चियन चर्च	5538540	कुकी क्रिस्चियन चर्च, पोस्ट बॉक्स 52, इम्फाल-795001, मणिपुर
11.	छत्तीसगढ़	(i)	समर्पित-सेंटर फोर पोपर्टी एलुवेशन एंड सोसल रिसर्च	450765	समर्पित-सेंटर फोर पोपर्टी एलुवेशन एंड सोसल रिसर्च, मकान नं.37, गीतांजली एन्कलेव, रिंग रोड नं.2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
12.	तमिलनाडु	(i)	सेंटर फोर अल्टरनेट रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (केयर)	450765	सेंटर फोर अल्टरनेट रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, 19, फस्ट क्रॉस थिलामपुरम, नामक्कल, 607001, तमिलनाडु
				104519520	

विवरण-IX

क्र. सं.	राज्य का नाम	संगठन के नाम	2012-13 के दौरान जारी राशि (रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	प्रभात रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	601020
2.	आंध्र प्रदेश	श्री स्वरूप निष्ठा फिलोसाफिकल वेलफेयर सोसाइटी (एसएनएपीएस)	601020
3.	आंध्र प्रदेश	रामकी फाउंडेशन	774375
4.	आंध्र प्रदेश	गोथमी फाउंडेशन (पूर्व में गोती एजुकेशनल सोसाइटी)	601020
5.	असम	डिकरो वेली एनवायरमेंट एंड रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी	250425
6.	असम	अंकन एकेडमी	250425

1	2	3	4
7.	असम	डाउन टाउन चेरीटी ट्रस्ट	1020180
8.	असम	सरबंगीन उन्नयन समिति	200340
9.	असम	रूरल वुमेन अपलिफटमेंट सोसाइटी	250425
10.	असम	आदर्श समाज कल्याण समिति	250425
11.	असम	धुला रिजनल फिजिकली हैंडीकैंप डेवलपमेंट एसोसिएशन	500850
12.	दिल्ली	हरियाली सेंटर फोर रूरल डेवलपमेंट	250425
13.	दिल्ली	डाटामेशन फांउडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट	250425
14.	दिल्ली	लुम्बीन एजुकेशन एंड सोशल एडवांसमेंट	250425
15.	दिल्ली	अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान	250425
16.	दिल्ली	साक्षी - सेंटर फोर इन्फोरमेशन, एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन	250425
17.	झारखंड	सोसाइटी फोर एनवायरमेंट एंड सोशल अवेयरनेस	601020
18.	झारखंड	फुलेन महिला चेतना विकास केन्द्र	601020
19.	कर्नाटक	स्फुर्ती (ओरगनाइजेशन फोर एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट)	601020
20.	केरल	सेंटर फोर ओवररोल डेवलपमेंट	500850
21.	मध्य प्रदेश	ग्रेट इंडियन ड्रीम फाउंडेशन (अरबिंदो चौधरी मेमोरियल ग्रेट इंडियन ड्रीम फाउंडेशन)	250425
22.	मध्य प्रदेश	नेटिव एजुकेशन एंड इम्पलोयमेंट डेवलपिंग सोसाइटी	450765
23.	मध्य प्रदेश	स्वयं सिद्ध सिद्धांत सेवा एवं शिक्षा समिति	400680
24.	मणिपुर	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	250425
25.	पंजाब	रामेश्वर वेलफेयर ट्रस्ट	2504250
26.	तमिलनाडु	सोशल अवेयरनेश एंड डेवलपमेंट	250425
27.	तमिलनाडु	मादुरे नोन-फोरमल एजुकेशन सेंटर (एमएनईसी)	901530
28.	तमिलनाडु	सेंटर फोर रुरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	250425
29.	उत्तर प्रदेश	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान	4053000
30.	उत्तर प्रदेश	शोभाग्य श्री सहारा संस्थान	2021880
31.	उत्तर प्रदेश	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति	1470945
32.	उत्तर प्रदेश	नव सृजन	2071965

1	2	3	4
33.	उत्तर प्रदेश	खारदा पब्लिक कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन	1252125
34.	पश्चिम बंगाल	अम्बेसडरस सर्विस सोसाइटी	1151955
35.	पश्चिम बंगाल	अमानत फाउंडेशन ट्रस्ट	1252125
		योग	27389460

प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

1327. श्री सोमेन मित्रा :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रमों को देश में हूबहू कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में उक्त कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल में लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) से (ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है जो या तो अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्यों/परिव्ययों का 15% निर्धारित करके अथवा अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्रों के लिए लाभों/निधियों के प्रवाह की विशेष निगरानी करके विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की तमाम योजनाओं और पहलुओं को कवर करता है। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, अल्पसंख्यकों की रहन-सहन की दशा में सुधार लाने और सांप्रदायिक असामंजस्य के निवारण और नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर ढांचागत निरानी प्रणाली की व्यवस्था है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम/योजनाओं का निष्पादन संलग्न विवरण-I पर है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में योजनाओं का निष्पादन संलग्न विवरण-II पर है।

(च) और (छ) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अलग से कोई रणनीति नहीं है। अलग-अलग योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल योजनाओं का निष्पादन

योजनाएं जहां अल्पसंख्यकों के लिए 15% निर्धारित किया जाता है।

वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
I.	**सर्व शिक्षा अभियान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)**		
(i)	निर्मित प्राथमिक विद्यालय	231	176

1	2	3	4
(ii)	निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालय	361	98
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	45117	34158
(iv)	खोले गए नए प्राथमिक स्कूल	258	175
(v)	खोले गए नए उच्च प्राथमिक स्कूल	256	216
(vi)	स्वीकृत अध्यापक	27542	10072
(vii)	स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	3	3
2.	एसजीएसवाई (आजीविका के रूप में पुनः नामित) के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारी (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	283189	106207
3.	इंदिरा आवास योजना में सहायता प्राप्त बीपीएल परिवार (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	447911	361912
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	12750	16926
(i)	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीब	12750	16926
(ii)	शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन हेतु प्रदान किया गया कौशल प्रशिक्षण	75000	91028
5.	आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रचालन (महिला और बाल विकास मंत्रालय)	5138	3804
वित्तीय उपलब्धियां			
1.	आईएवाई (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	2049.24	1533.62
2.	एसजेएसआरवाई (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	46.66	55.11
3.	आईटीआई का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	18.42	8.82
4.	प्राथमिक क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग)	222287.66	185233.35

यह योजनाएं जहां अल्पसंख्यकों के लिए निधियों/लाभों की निगरानी की जाती है

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)*	29770.39	7254.82

1	2	3	4
2.	एकीकृत मलिन आवास का विकास कार्यक्रम (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)*	11936·14	2235·83
3.	शहरी अवसंरचना और शासन (शहरी विकास मंत्रालय)*	61806·52	9097·24
4.	लघु एवं मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजन (शहरी विकास मंत्रालय)*	14020·96	2642·19
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*	आवासों का कवरेज 16692	योजना की लागत 1443·79

*संचयी आंकड़े।

अल्पसंख्यकों के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों की विशेष पहलें

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	उपलब्धि
1.	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना	23146 शिक्षकों को सहायता के लिए 9905 मदरसों को कवर करते हुए 182·49 करोड़ रुपए जारी किए गए।
2.	अल्पसंख्यक संस्थानों हेतु अवसंरचना (आईडीएमआई) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	184 संस्थानों को कवर करते हुए 28·38 करोड़ रुपए जारी किए गए।
3.	सरकारी विभागों/संगठनों में अल्पसंख्यकों की भर्ती? (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	वर्ष 2012-13 के दौरान अल्पसंख्यकों की केन्द्रीय सरकारी/संगठनों में भर्ती 6·86% अनंतिम थी।
4.	सांप्रदायिक असमांजस्य और हिंसा निवारण तथा नियंत्रण (गृह मंत्रालय)	वर्ष 2012 के दौरान, देश में कुल 668 सांप्रदायिक घटनाओं की सूचना मिली थी जिनमें 94 व्यक्ति मारे गए थे और 2117 व्यक्ति घायल हुए थे। वर्ष 2013 की प्रथम तिमाही (जनवरी से मार्च) के दौरान देश में 171 सांप्रदायिक घटनाओं की सूचना मिली जिनमें 16 व्यक्ति मारे गए थे और 613 व्यक्ति घायल हुए थे।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यकों के लिए अनन्य रूप से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	लक्ष्य	लाभार्थी	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	4000000	6436984	786·19
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	500000	755643	326·55
3.	मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	60000	68096	181·21
4.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	756	3020	66·00
5.	मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान छात्रवृत्ति	25000	25156	30·19
6.	निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	—	6716	13·99
7.	एनएमडीएफसी आवधिक एवं सूक्ष्म वित्त ऋण	—	102336	371·09

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल योजनाओं का निष्पादन

योजनाएं जहां अल्पसंख्यकों के लिए 15% निर्धारित किया जाता है

वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
I.	**सर्व शिक्षा अभियान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)**		
(i)	निर्मित प्राथमिक विद्यालय	100	59
(ii)	निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालय	166	14
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	30334	21600
(iv)	खोले गए नए प्राथमिक स्कूल	100	19
(v)	खोले गए नए उच्च प्राथमिक स्कूल	166	128
(vi)	स्वीकृत अध्यापक	698	12
(vii)	स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	0	0
2.	एसजीएसवाई (आजीविका के रूप में पुन: नामित) के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारी (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	19381	18507
3.	इंदिरा आवास योजना में सहायता प्राप्त बीपीएल परिवार (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	32933	45047
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)		
(i)	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीब	920	1376
(ii)	शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन हेतु प्रदान किया गया कौशल प्रशिक्षण	5483	11971
वित्तीय उपलब्धियां			
1.	आईएवाई (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	150.26	191.66
2.	एसजेएसआरवाई (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	1.69	4.20
3.	आईटीआई का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	2.06	1.05
4.	प्राथमिक क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग)	9851.90	9428.52

यह योजनाएं जहां अल्पसंख्यकों के लिए निधियों/लाभों की निगरानी की जाती है

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में संस्वीकृत परियोजना लागत
1.	शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)*	4177.04	483.13
2.	एकीकृत मलिन आवास का विकास कार्यक्रम (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)*	944.37	52.6
3.	शहरी अवसंरचना और शासन (शहरी विकास मंत्रालय)*	उपलब्ध नहीं	841.83
4.	लघु एवं मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजन (शहरी विकास मंत्रालय)*	उपलब्ध नहीं	20.63
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*	आवासों का कवरेज 2411	योजना की लागत 400.51

*संचयी आंकड़े।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यकों के लिए अनन्य रूप से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	लक्ष्य	लाभार्थी	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	444617	1165386	111.87
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	54790	125909	56.95
3.	मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	6669	8440	22.28
4.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	81	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	मेघावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान छात्रवृत्ति	2779	2010	2.41
6.	निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	—	500	1.55
7.	एनएमडीएफसी आवधिक एवं सूक्ष्म वित्त ऋण	—	51942	168.00

मनरेगा के अंतर्गत कवरेज

1328. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यक्रम में विशेषकर उच्च गरीबी रेखा वाले उन राज्यों की आवश्यकता को कम शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देशभर में विशेषकर पश्चिम बंगाल में मनरेगा के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में इस स्कीम के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को देश भर में मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। इस मंत्रालय ने प्रत्येक गांव में हर महीने कम-से-कम एक बार रोजगार दिवस के आयोजन के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि काम के लिए आवेदन एकत्र किए जा सकें। विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले और रोजगार पाने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पिछली बार 2.12.2013 को संबंधित राज्यों के प्रधान सचिवों/सचिवों/आयुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य निष्पादन की ऐसी समीक्षा की गई थी। विभिन्न राज्यों में मनरेगा के कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय नीचे दर्शाए गए हैं:—

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम-से-कम एक कार्य शुरू किया जाना चाहिए और जारी रहना चाहिए।
- राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि यदि मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजूदरी नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वे विलंब से किए गए मजदूरी के भुगतान के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को लागू करें।
- समय पर भुगतान करने, पारदर्शिता बरतने और मजदूरी के भुगतान में ईमानदारी को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ मनरेगा श्रमिकों को बैंकों या डाकघरों में खोले गए संस्थागत खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया (जब तक कि विशेष छूट नहीं दे दी जाती)।
- मजदूरी संवितरण हेतु संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को बिजनेस कॉरेस्पॉडेंट मॉडल शुरू करने के निदेश दिए गए ताकि ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के साथ बैंकों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जा सके।
- मजूदरों को मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एफएमएस) शुरू करने के निदेश दिए गए हैं। 18 राज्यों ने ई-एफएमएस शुरू कर दी है। राज्यों में ई-एफएमएस शुरू करने की अंतिम समय सीमा मार्च, 2014 निर्धारित की गई है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की गई है।
- मनरेगा के लिए लगनशील स्टाफ तैनात करने, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता संरचनाओं को सुदृढ़ करने, शिकायत निवारण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए प्रशासनिक व्यय की अनुमेय सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया।
- सार्वजनिक जांच हेतु जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए रोजगार तथा किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध तथा उपयोग की गई राशि, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतों का पंजीयन इत्यादि सहित अन्य सभी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई कार्यों के फोटोग्राफ को अपलोड करने के निदेश दिए गए हैं।
- मौजूदा जॉबकार्डों पर फोटोग्राफ लगाने के निदेश दिए गए हैं।
- मस्टर रोल से छेड़-छाड़ और उनके दुरूपयोग के मामलों को रोकने के लिए राज्यों को ई-मस्टर रोल शुरू करने के निदेश दिए गए हैं।
- शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण करने के लिए सभी राज्यों को जिला स्तर पर ओम्बड्समैन तैनात करने के निदेश दिए गए।
- योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनाई गईं।

विवरण

रोजगार की मांग करने वाले/पाने वाले परिवारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	रोजगार की मांग करने वाले परिवार			रोजगार पाने वाले परिवार		
		2011-12	2012-13	2013-14 03.12.2013 तक	2011-12	2012-13	2013-14 03.12.2013 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4998016	5816077	5067891	4998016	5816077	5067891
2.	अरुणाचल प्रदेश	14979	144953	108546	4443	115869	63556
3.	असम	1355103	1247499	919641	1349078	1234827	845018
4.	बिहार	1805317	2178864	1592427	1769469	2086394	1254838
5.	छत्तीसगढ़	2739202	2732188	2175820	2725027	2637498	1871396
6.	गुजरात	836971	749838	423925	822080	681028	347306
7.	हरियाणा	278471	302187	259758	277748	294142	214262
8.	हिमाचल प्रदेश	529187	546065	449495	505467	514461	374428
9.	जम्मू और कश्मीर	440254	658689	349842	431152	646516	197958
10.	झारखंड	1582171	1434313	926279	1574657	1418470	853525
11.	कर्नाटक	1663498	1470564	832101	1652116	1337800	534276
12.	केरल	1418062	1693879	1498778	1416441	1526283	1234223
13.	मध्य प्रदेश	3895759	3520343	1706488	3879959	3497940	1329934
14.	महाराष्ट्र	1520457	1643859	969116	1504521	1624237	845930
15.	मणिपुर	380571	457895	330066	356264	456910	320287
16.	मेघालय	335781	332268	299578	335182	330044	249271
17.	मिजोरम	175664	175679	169288	168711	174884	167928
18.	नागालैंड	372956	386906	374177	372849	386520	371731
19.	ओडिशा	1391497	1766512	1435260	1378597	1599276	1221291
20.	पंजाब	246104	247315	270707	245453	240191	216598
21.	राजस्थान	4705748	4535876	3206869	4522234	4217342	2854295

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सिक्किम	55839	57194	49463	54684	56634	38963
23.	तमिलनाडु	6375637	7104701	5716285	6343339	7061409	5674444
24.	त्रिपुरा	567101	597436	586316	566770	596530	571947
25.	उत्तर प्रदेश	7363574	5233492	4744253	7327738	4947416	4080583
26.	उत्तराखंड	471192	443684	196151	469285	439791	181457
27.	पश्चिम बंगाल	5532363	5844809	3892029	5516968	5817122	3025503
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19912	18212	10633	19300	12602	9475
29.	दादरा और नगर हवेली	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	11174	5064	2362	11167	5056	2302
32.	लक्षद्वीप	3891	1963	791	3871	1851	415
33.	पुदुचेरी	42554	41448	39875	42546	41286	34767
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	51128994	51389772	38604210	50645132	49816406	34055798

द्रुत गति यात्री कॉरिडोर

1329. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजय दिना पाटिल :
श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कॉरिडोर सहित देशभर में द्रुत गति यात्री कॉरिडोरों के विकास में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति का कॉरिडोर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रेलवे द्वारा की गई वित्तीय गणना के ब्यौरे सहित तत्संबंधी कॉरिडोर-वार अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कॉरिडोर-वार समय-सीमा क्या है; और

(घ) गत दो दशकों में देशभर में ट्रेनों की गति में वृद्धि करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) भारत में उच्च गति पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सात गलियारों का चयन किया है। चुने गए सात गलियारों में से दो गलियारे (नीचे क्रम सं. IV और V) दक्षिण भारत के राज्यों में हैं। गलियारा-वार प्रगति की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:—

I. पुणे -मुंबई-अहमदाबाद- 650 किमी- प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

II. दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना-991 किमी-पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है तथा अनुमोदनाधीन है।

III. हावड़ा-हल्दिया-135 किमी-प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है और यह बोर्ड की जांच एवं अनुमोदन के अधीन है।

IV. हैदराबद-द्रोणाकल-विजयवाड़ा-चैन्ने-664 किमी-अध्ययन प्रगति पर है। परामर्शदाता ने शुरुआती रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट I और II और अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

V. चैन्ने-बंगलोर-कोयम्बटूर-एर्णाकुल्लम- तिरुवन्नतपुरम-850 किमी-अध्ययन प्रगति पर है। परामर्शदाता ने शुरुआती रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट संख्या I और II और अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

VI. दिल्ली-जयपुर-अजमेर-जोधपुर-591 किमी-कोई परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया गया है।

VII. दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर-450 किमी-इस गलियारे का प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को सौंप दिया गया है।

(ख) सात गलियारों में से रेल मंत्रालय द्वारा केवल पुणे-मुंबई-अहमदाबाद की प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट ही स्वीकार की गई है।

मुंबई-अहमदाबाद गलियारा आगे की कार्रवाई के लिए हाथ में ले लिया गया है। राइटस द्वारा मुंबई-अहमदाबाद गलियारे की अंतरिम लागत 63,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।

मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे का जापान सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन दिसम्बर, 2013 में शुरू होगा और इसमें 18 माह का समय लगेगा।

(ग) चूंकि कोई भी उच्च गति रेल गलियारा रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना नहीं है इसलिए इसके कार्यन्वयन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) गत दो दशकों में यात्री गाड़ियों की औसत गति में वृद्धि नीचे दी गई है:—

गाड़ी की किस्म	1991-92		2011-12	
	बीजी	एमजी	बीजी	एमजी
मेल/एक्सप्रेस	47.3	36.4	50.3	30.2
इएमयू	33.9	37.1	40.5	—
साधारण यात्री	28.4	25.5	36.2	25.1

रेल पथ स्ट्रक्चर, चल स्टॉक और अन्य अवसंरचना के आधार पर 2005 में निजामुद्दीन से आगरा के बीच भोपाल शताब्दी की गति क्षमता 150 किमी प्रति घंटा तक बढ़ा दी गई थी।

देश में गाड़ियों की गति को बढ़ाने के उद्देश्य में विशेष रूप से खर्च की गई निधि के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

मजदूरी दर

1330. श्री एम.आई. शानवास :
श्रीमती प्रतिभा सिंह :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को दी जा रही मजदूरी दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय राज्यों में कामगार मनरेगा स्कीम के तहत न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने के कारण रोजगार छोड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में सामाजिक संगठनों अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (एमडब्ल्यूए), 1948 के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 150 रुपए तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों

में 187.50 रुपए है और ये दरें 1.9.2012 से लागू हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अधिसूचित दैनिक मजदूरी दर हिमाचल प्रदेश के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 138 रुपए तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 171 रुपए है और ये दरें 1.4.2013 से लागू हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान प्रति परिवार औसत श्रम दिवसों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, कार्य की मांग मनरेगा के बाहर रोजगार के वैकल्पिक एवं पारिश्रमिक वाले अवसरों की उपलब्धता, बारिश में कमोबेशी, अर्द्ध-शहरी/शहरी क्षेत्रों में मौजूदा अकुशल मजदूरी दर, अर्द्ध-शहरी/पेरी-अर्बन/शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क इत्यादि जैसे कारकों से प्रभावित होती है।

(घ) और (ङ) मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी को राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी के समान बनाने के संबंध में मंत्रालय को राज्यों और सामाजिक संगठनों इत्यादि से सुझाव मिले हैं। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन है।

ग्रामीण कारोबार केन्द्र योजना

1331. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे मालों से उत्पादों के निर्माण की क्षमता तथा इन उत्पादों के निर्यात की क्षमता का दोहन करने के लिए कोई स्कीम तैयार की थी ताकि ग्रामीण कारोबार केन्द्र स्कीम के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से सामानों के निर्यात के लिए किसी अन्य एजेंसी/संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के तहत पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच) नामक योजना का कार्यान्वयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 4पी, अर्थात सार्वजनिक-निजी-पंचायत-भागीदारी के प्लेटफॉर्म के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भागीदारी विकास मॉडल लागू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल/कौशल का उपयोग कर रहा था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों/कौशलों का दोहन कर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ लेने तथा उद्योग की प्रौद्योगिकी विपणन कौशलों का लाभ लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इस समस्त प्रक्रिया में अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समन्वयन/सहायता दी गई। इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय ने लाभप्रद आरबीएच परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (प्रति परियोजना 25 लाख रुपए तक) में बढ़ोतरी की थी। परियोजना की शेष लागत की पूर्ति अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार योजनाओं/वित्तीय संस्थाओं/कार्यान्वयन संगठनों इत्यादि से की जानी थी।

आरबीएच के माध्यम से उत्पादों के निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु पंचायती राज मंत्रालय ने एग्जिम (EXIM) बैंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए थे। एमओसी के अंतर्गत शामिल किए गए मुख्य क्रियाकलाप निम्न थे:—

(i) ऐसे उपयुक्त निर्यातकों की पहचान करने में सहायता करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादन क्रियाकलाप स्थापित करने के इच्छुक हैं;

(ii) पंचायतों की सहायता और सुविधा का लाभ लेते हुए उक्त निर्यातकों और ग्रामीण उत्पादकों के बीच, दोनों के हित में, लाभकारी व्यावसायिक संबंध स्थापित करना;

(iii) आरबीएच के चिन्हित उत्पादों को एग्जिम (EXIM) बैंक के ग्रामीण पोर्टल से लिंक कर तथा एग्जिम (EXIM) बैंक के विदेशी कार्यालयों में उक्त उत्पादों का प्रदर्शन दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों का व्यापक प्रसार करना तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए सहायता करना; और

(iv) चुनिंदा आरबीएच को नीतिगत ट्रेडिंग, उचित व्यापार, जैविक प्रमाणन इत्यादि प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया को समझने में सहायता देना ताकि बाजार से बेहतर आय प्राप्त की जा सके।

12वीं पंचवर्षीय योजना से इस योजना को समाप्त कर दिया गया। तथापि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान केवल 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 10.97 लाख रुपए जारी किए गए थे।

ताजे जल की निकासी

1332. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपयोग के लिए ताजे जल की वार्षिक निकासी की मात्रा इसके औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में उपयोग की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूजल के निष्कर्षण के संबंध में कोई विनियम है और परस्पर होड़ लेते प्रयोक्ताओं के बीच कोई समन्वय नहीं है तथा इसका अपर्याप्त और इष्टतम से कम मूल्य निर्धारण भूजल के दुरुपयोग को बढ़ावा दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर राज्य सरकारों में जागरूकता लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी आदतन उल्लंघन कर्ताओं पर की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भूजल को सार्वजनिक संपदा घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी, हां। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) प्रलेख में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख है कि वर्तमान में देश में उपलब्ध जल संसाधनों का लगभग 80% जल कृषि में उपयोग होता है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने अपनी रिपोर्ट (1999) में वर्ष 2010, 2025 और 2050 के लिए कुल जल की आवश्यकता में से सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता क्रमश: 78%, 72% और 68% आकलित की थी। एनसीआईडब्ल्यूआरडी द्वारा वर्ष 2010, 2025 और 2050 के लिए विभिन्न उपयोगों के लिए आकलित जल की आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत स्थापित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) देश में भूमि जल का विनियमन, नियंत्रण और प्रबंधन करता है। सीजीडब्ल्यूए ने देश में भूमि जल विकास के विनियमन हेतु 162 प्रखंड/तालुका/क्षेत्र अधिसूचित किए हैं जिनमें नए ट्यूबवैलों का निर्माण प्रतिबंधित है और केवल पीने के पानी के उद्देश्य हेतु, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। तथापि, उद्योगों द्वारा भूमि जल के आहरण को विनियमित करने के लिए, उन्हें सीजीडब्ल्यूए के दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, भूमि जल के आहरण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लेना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए भूमि जल विधान अधिनियमित करने के लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय जल जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनियों एवं मेलों में मॉडलों का प्रदर्शन, मेघदूत कार्डों का मुद्रण, मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने आदि जैसे कार्य नियमित आधार पर कर रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत जल संरक्षण और इसके स्थायी प्रबंधन के विषय में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार, टॉक शो प्रतियोगिता आदि जैसे कई जागरूकता संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की गई है कि 'राज्य को जल, विशेषकर भूमि जल, का प्रबंधन-खाद्य सुरक्षा, जीविका और सबके लिए सामान और स्थायी विकास को प्राप्त करने के लोक विश्वासी सिद्धांत के तहत करने की आवश्यकता है।'

विवरण

वर्ष 2010, 2025 और 2050 के लिए विभिन्न उपयोगों हेतु जल अपेक्षा (उच्च मांग परिदृश्य)

(एनसीआईडबल्यूआईडी द्वारा आकलित)

(बिलियन घन मीटर में मात्रा)

क्र. सं.	उपयोग	वर्ष 2010		वर्ष 2025		वर्ष 2050	
	कुल जल उपयोग	आवश्यकता	%	आवश्यकता	%	आवश्यकता	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिंचाई	557	78	611	72	807	68

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	घरेलू	43	6	62	7	111	9
3.	उद्योग	37	5	67	8	81	7
4.	विद्युत	19	3	33	4	70	6
5.	अन्तरदेशीय नौवहन	7	1	10	1	15	1
6.	बाढ़ नियंत्रण	0	0	0	0	0	0
7.	पर्यावरण (1) वृक्षारोपण	0	0	0	0	0	0
8.	पर्यावरण (2) पारिस्थितिकी	5	1	10	1	20	2
9.	वाष्पीकरण से होने वाली हानि	42	6	50	6	76	7
	कुल	710	100	843	100	1180	100

[हिन्दी]

टी.वी. चैनलों पर विज्ञापन दिखाया जाना

1333. श्री अनंत कुमार :
प्रो. सौगत राय :
श्री अर्जुन राय :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टी.वी. चैनलों को प्रति घंटे 12 मिनट से अधिक विज्ञापन नहीं दिखाने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन देश में उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने दिनांक 22.03.2013 को "सेवा गुणवत्ता मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013" नामक विनियम को अधिसूचित किया था। उक्त विनियमन के विनियम 3 में प्रावधान है कि कोई भी प्रसारक अपने किसी कार्यक्रम के प्रसारण में प्रति घंटे बारह मिनट से अधिक अवधि के विज्ञापन प्रसारित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, विनियम 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रसारक तिमाही समाप्त होने से पंद्रह दिन के भीतर अपने चैनल में प्रसारित विज्ञापनों का ब्यौरा ट्राइ को प्रस्तुत करेगा। इन विनियमों का कार्यान्वयन ट्राइ के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वोक्त विनियमों को कुछ प्रसारकों द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण ने दिनांक 30.08.2013 के अपने आदेश के तहत, अन्य के साथ-साथ, यह निदेश दिया है कि ट्राइ अगले आदेश होने तक प्रसारकों से उक्त विनियमों का अनुपालन करवाने के लिए उनके विरुद्ध कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाएगा। यह मामला न्यायाधीन है।

निजी एयरलाइनों द्वारा उड़ान परिचालन

1334. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनें देश में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान परिचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रभाव सहित कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त प्रावधान से इस देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधा आ रही है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। घरेलू सेक्टरों के लिए प्रचालन अविनियमित कर दिए गए हैं तथा मार्ग संवितरण दिशा निदेशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर किसी स्थान विशेष के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) पूर्वोत्तर (एनई), क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की वायु परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुसार श्रेणी-I (मेट्रो) मार्गों पर प्रचालन करने वाली प्रत्येक अनुसूचित एयरलाइन से यह अपेक्षित है कि वह श्रेणी-I मार्गों पर लगाई गई अपनी क्षमता का 10% श्रेणी-II मार्गों के लिए प्रयोग करे। श्रेणी-II के अंतर्गत वे मार्ग आते हैं जिनके कनेक्टिंग स्टेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप में हैं। ऑपरेटरों से यह भी अपेक्षित है कि वे श्रेणी-I मार्ग के लिए लगाई गई अपनी क्षमता का कम से कम 50% प्रयोग श्रेणी-III (छोटे शहर) मार्गों के लिए करे।

मीडिया में स्व विनियमन

1335. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अर्जुन राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मीडिया में स्व विनियमन के सिद्धांत से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्व विनियमन तंत्र के विद्यमान होने के बावजूद देश में संस्कृति और सभ्यता को चोट पहुंचाने वाले अश्लील, अभद्र कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण के लिए किसी दंड का प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए लगाए गए तंत्र और उसके माध्यम से की गई सजा का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सरकार मीडिया में स्वविनियमन को प्रोत्साहित करती रही है। प्रिंट मीडिया के संबंध में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारत में समाचारपत्रों और समाचार अभिकरणों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए और प्रेस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धान्तों के संचार के लिए भी भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है। पीसीआई को अधिनियम 13(2) के अधीन अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए समाचारपत्रों, समाचार अभिकरणों और पत्रकारों के लिए उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार आचरण संहिता तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, प्रेस परिषद ने मीडिया के अनुपालनार्थ "पत्रकारिता आचरण के मानदंड" तैयार किए हैं। ये मानदंड उनकी वेबसाइट *www.presscouncil.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्व-विनियामक निकायों का भी गठन किया है। समाचार प्रसारक संघ (एनबीए), जो समाचार प्रसारकों का संघ है, ने नैतिक संहिता और प्रसारण मानक तैयार किए हैं जिसके दायरे में समाचार प्रसारण के स्वविनियमन हेतु अनेक सिद्धान्तों को शामिल किया गया है। उन्होंने एक दो-स्तरीय स्व-विनियमन तंत्र की स्थापना की है, जिसमें समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) प्रसारकों के खिलाफ या उनके संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जहां तक वे अपने सदस्य चैनलों के प्रसारण की विषयवस्तु से संबंधित हों, सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए द्वितीय स्तर पर है। प्राधिकरण के मुखिया सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और इसके आठ अन्य सदस्य होते हैं।

भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ), जो गैर-समाचार प्रसारकों का संघ है, ने भी एक दो-स्तरीय स्वविनियामक तंत्र का गठन किया है जिसके सदस्य प्रसारक प्रथम स्तर पर हैं और प्रसारण विषयवस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) द्वितीय स्तर पर है। आईबीएफ ने विषयवस्तु संहिता और प्रमाणन नियम, 2011 विनिर्धारित किया है जिसके दायरे में सदस्य चैनलों द्वारा टेलीविजन प्रसारण के विनियमन हेतु व्यापक विषयवस्तु संबंधी सिद्धान्तों और मानदंडों को शामिल किया गया है।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) विज्ञापनदाताओं का स्वविनियामक निकाय है। एएससीआई ने भी टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया पर विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है।

(ग) और (घ) टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले और केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनर्प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है। सरकार ने कार्यक्रम और

विज्ञापन संहिता के अतिक्रमण के शिकायतों, जिन्हें इस मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है, की जांच के लिए एक अंतर्मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। आईएमसी में विभिन्न मंत्रालयों से नौ सदस्य रखे गए हैं और एक सदस्य एएससीआई से भी शामिल किया गया है। आईएमसी की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय नियमानुसार समुचित कर्रावाई करता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	चैनलों के नाम	कारण बताओ नोटिस की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने का कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	एसएस म्यूजिक (अब एसएस टीवी)	13.05.2010	'सिज़लिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	चैनल को दिनांक 08.02.2012 के आदेश के तहत 15 से 22 फरवरी, 2012 तक चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
2.	सोनी टीवी	20.04.2011	'कॉमेडी सर्कस महासंग्राम' रियलिटी शो में असभ्य और बच्चों की छवि खराब करती विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
3.	चैनल [वी]	05.05.2011	'फुल टॉस वेला ब्वायज़' रियलिटी शो अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई।
4.	बिंदास	22.02.2011	'इमोशनल अत्याचार सीजन-2' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों, असभ्य और अश्लील भाषा का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 26.07.2011 को सात दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए।
5.	बिंदास	19.04.2011	'दादागीरी-रिवेंज ऑफ सेक्सेस' कार्यक्रम में असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
6.	टीएलसी	19.04.2011	'गेट आउट', 'ब्रिजेट्स', 'सैक्सिएस्ट', 'बीचिस' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अश्लीलता का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 09.08.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
7.	पीपल टीवी	19.05.2011	'अझाता कझचा' कार्यक्रम में अश्लील विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 19.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
8.	बिंदास	27.05.2011	'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम में अभद्रता एवं अश्लीलता और असभ्यता का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 20.09.2011 को चेतावनी जारी की गई।
9.	न्यूज9	01.06.2011	'शीला साइज प्रोब्लम्स' कार्यक्रम जो अभद्र एवं अश्लील प्रतीत हुआ। इसके दृश्य महिलाओं की छवि को विकृत करते प्रतीत होते हैं।	दिनांक 23.09.2011 के आदेश के तहत चैनल को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया।

1	2	3	4	5
10.	स्टार वर्ल्ड	27.07.2011	विभिन्न कार्यक्रमों 'डेक्स्टर', 'द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल', 'लॉस वेगास', 'टू एंड ए हॉफ मैन' और हाउ आई मैट यूअर मदर में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 14.12.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
11.	एफएक्स चैनल	18.07.2011	विभिन्न कार्यक्रमों हार्पर आइलैंड, क्रैश, 'मैड मैन सूत्र', फ्राजियर', सेविंग ग्रेस और 'स्काउंड्रेल्स' में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.04.2012 को चेतावनी जारी की गई।
12.	फाक्स क्राइम	28.07.2011	'स्लीपर सैल एंड 1000 वेज टू डाई' कार्यक्रमों में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 08.05.2012 को चेतावनी जारी की गई।
13.	सोनी पिक्स	11.07.2011	कुछ अंग्रेजी फिल्मों में अभद्र एवं असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.05.2012 को चेतावनी जारी की गई।
14.	चैनल [वी]	12.09.2011	'लव नेट 2' कार्यक्रम में अभद्र, अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	चैनल को दिनांक 28.05.2012 को चेतावनी जारी की गई।
15.	जी ट्रेंड्स	12.09.2011	'बिकिनी डेस्टीनेशन' कार्यक्रम में अभद्र, अश्लील और असभ्य दृश्यों का प्रसारण	चैनल को दिनांक 05.11.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
16.	एफटीवी	03.09.11 और 05.06.2012	11.9.11 को "डिजाइनर्स इन हाई डेफिनेशन", 12.9.11 को "शान्तेली लिंगरी पेरिस", 15.09.11 को "लिंगरी" तथा 19.4.12 को "फिफ्टींथ एनिवर्सरी टाप डिजाइनर्स" कार्यक्रमों का प्रसारण।	28.02.13 को चैनल को 10 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए गए।
17.	एनडीटीवी गुड टाइम्स	26.07.11	अप्रैल, मई, 2011 के दौरान "लाइफ ए बीच" कार्यक्रम का प्रसारण।	02.04.13 को सलाहपत्र जारी किया गया।
18.	आईबीएन7	28.05.12	'एक्स शावर जैल' के विज्ञापन का प्रसारण।	दिनांक 29.05.13 के आदेश के तहत चैनल को लिखित में यह घोषणा पत्र दायर करने के आदेश दिए कि विज्ञापन की विषय-वस्तु का अनुमोदन करते समय भविष्य में वे अधिक सावधानी बरतेंगे तथा भविष्य में ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करेंगे।
19.	एमटीवी	24.04.2012	"एक्स शावर जैल" के विज्ञापन का प्रसारण।	दिनांक 17.06.13 के आदेश के तहत चैनल को लिखित में यह घोषणा पत्र दायर करने के आदेश

1	2	3	4	5
				दिए कि विज्ञापन की विषय-वस्तु का अनुमोदन करते समय भविष्य में वे अधिक सावधानी बरतेंगे तथा भविष्य में ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करेंगे।
20.	वीएच-1	28.05.2012	"एक्स शावर जैल" के विज्ञापन का प्रसारण।	दिनांक 17.06.13 के आदेश के तहत चैनल को लिखित में यह घोषणा पत्र दायर करने के आदेश दिए कि विज्ञापन की विषय-वस्तु का अनुमोदन करते समय भविष्य में वे अधिक सावधानी बरतेंगे तथा भविष्य में ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करेंगे।
21.	कलर्स	28.05.2012	"एक्स शावर जैल" के विज्ञापन का प्रसारण।	दिनांक 17.06.13 के आदेश के तहत चैनल को लिखित में यह घोषणा पत्र दायर करने के आदेश दिए कि विज्ञापन की विषय-वस्तु का अनुमोदन करते समय भविष्य में वे अधिक सावधानी बरतेंगे तथा भविष्य में ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करेंगे।
22.	एबीएन आन्ध्र ज्योति	08.04.2013	'इदे मालेया वेलावनी' पर आधारित गाने का प्रसारण।	01.10.2013 के आदेश के तहत 7 अक्तूबर, 2013 के 00.00 बजे से 14 अक्तूबर, 2013 के 00.01 बजे तक संपूर्ण देश में सात दिन तक किसी भी प्लेटफार्म पर "एबीएन आंध्र ज्योति" टीवी चैनल का प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण नहीं किया जाएगा।
23.	एनटीवी	27.05.2013	भारतीय पुरुष संभोग की अपनी इच्छा धीरे-धीरे खो रहे हैं, पर न्यूज रिपोर्ट का प्रसारण जिसकी विषय-वस्तु शिष्ट और सभ्य नहीं थी।	दिनांक 18.09.2013 को एक आदेश के तहत चैनल पर तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का दंड लगाया गया।
24.	यूटीवी बिंदास	30.05.2013	"इमोशनल अत्याचार-3" कार्यक्रम का प्रसारण।	दिनांक 06.11.13 को दिन तक चैनल का प्रसारण बंद।

एनएचपीसी विद्युत परियोजनाएं

1336. श्री नरेनभाई काछादिया :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की विभिन्न विद्युत परियोजनाएं अनुमति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के समय से पूरे होने से देश में बिजली की कमी को पूरा करने और मंद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एनएचपीसी लिमिटेड की 8531 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली दस जल-विद्युत परियोजनाएं (एचईपी), जिस पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति हो चुकी है, की पर्यावरण एवं वन स्वीकृति जैसे विभिन्न अन्य स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं प्रतिवर्ष 32.1 बिलियन यूनिट तक का योगदान करेगी, जिससे देश में विद्युत की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। विद्युत मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों, विशेषकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से शीघ्र स्वीकृतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

विवरण

विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों सहित सीईए द्वारा सहमत एनएचपीसी लि. की जल विद्युत स्कीम

क्र. सं.	स्कीम/क्षेत्र	एजेंसी	आईसी (मेगावाट)	डिजाइन एनर्जी (जीडब्ल्यूएच)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर					
1.	पकल दुल संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी*	1000	3330.18	29.2.2008 को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त की गई। 16.5.2005 और 6.12.2010 को वन स्वीकृति (एफसी) प्राप्त की गई। निवेश संबंधी अनुमोदन अभी दिया जाना है।
उत्तराखंड					
2.	कोटलीभेल स्टेज-I क केन्द्रीय	एनएचपीसी	195	1025.50	9.5.2007 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई। 13.10.2011 को वन स्वीकृति स्टेज-I प्राप्त की गई। वन स्वीकृति स्टेज-II प्रतीक्षित है।
3.	कोटलीभेल स्टेज-I ख केन्द्रीय	एनएचपीसी	320	1278.30	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति को अस्वीकृत कर दिया गया। पूर्व में 14.08.2007 को पर्यावरण स्वीकृति दी गई जिसे 22.11.2010 से वापस ले लिया गया।
4.	कोटलीभेल स्टेज-II केन्द्रीय	एनएचपीसी	530	2031.00	23.08.2007 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति को अस्वीकृत कर दिया गया।
सिक्किम					
5.	तीस्ता स्टेज-IV केन्द्रीय	एनएचपीसी	520	2373.00	पर्यावरण स्वीकृति प्रतीक्षित है। 26.02.2013 को वन स्वीकृति-I प्राप्त की गई।
मणिपुर					
6.	तिपाईमुख केन्द्रीय	एनएचपीसी	1500	3805.70	24.10.2008 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई।**
7.	लोकटल डी/एस संयुक्त उद्यम	एलडीएचसीएल***	66	342.00	16.01.2013 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई। 03.03.11 को वन स्वीकृति स्टेज-I प्राप्त की गई। वन स्वीकृति स्टेज-II प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश					
8.	दिबांग केन्द्रीय	एनएचपीसी	3000	11330.00	पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
9.	तवांग स्टेज.-I केन्द्रीय	एनएचपीसी	600	2963.00	10.06.11 को वन स्वीकृति स्टेज-I प्राप्त की गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
10.	तवांग स्टेज.-II केन्द्रीय	एनएचपीसी	800	3622.00	10.06.11 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
	कुल		8531	32100.61	

* : सीवीपी, एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का संयुक्त उद्यम कंपनी है।

** : वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। परियोजना संयुक्त उद्यम कंपनी (एमएचपीसी 69% एसजेवीएनएल 26% और मणिपुर सरकार – 5%) के माध्यम से शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

*** : एलडीएचसीएल एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है।

नवी मुम्बई में हेलीपेड

1337. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुम्बई और नवी मुंबई में हेलीपेडों की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति, 2008 के अंतर्गत मुंबई तथा नवी मुंबई में हेलीपैडों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं के कारण हानि

1338. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेल दुर्घटनाओं और पीड़ितों को इंश्योरेंस कंपनियों के बजाय अपने स्रोतों से मुआवजा देने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2010 से रेलवे द्वारा पीड़ितों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। 2012-13 में परिणामी रेल दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को 74.93 (लगभग) करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है और 2012-13 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप 3.20 करोड़ रुपए की राशि (लगभग) भुगतान करने का अनुमान लगाया गया। बीमा कंपनियों से ऐसी हानियों को चार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) रेलवे द्वारा 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के रूप में राशि का लगभग 3.77 करोड़ (लगभग), 5.11 करोड़ (लगभग) और 3.20 करोड़ (लगभग) भुगतान किये जाने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए नियमित तौर पर सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें अधिक पुरानी संपत्तियों का समय पर बदलाव, रेल पथ के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणाली, संरक्षा ड्राइवरों, और सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करने एवं उनकी निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण शामिल हैं। दुर्घटनाओं

को रोकने के लिए संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों की शुरुआत की जा रही है जिनमें ब्लॉक प्रूविंग धुरा काउंटर (बीपीएसी), सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली/टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी), आदि शामिल हैं।

कोच्चि में एयर इंडिया का मुख्यालय

1339. श्री एंटो एंटोनी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोच्चि में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्ण सज्जित मुख्यालयों के स्वतंत्र कार्यकरण की मांग करते हुए केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि एअर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्यालय द्वारा कोच्चि से बाहर आंशिक तौर पर कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं। कोच्चि के लिए प्रचालन उप प्रमुख, उड़ान संरक्षा उप प्रमुख, विपणन प्रबंधन तथा ग्राहक सेवा प्रबंधक की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2013 से कोच्चि में 3 अधिकारियों से युक्त एक हैल्प डैस्क भी स्थापित की गई है। इसके साथ-साथ कोच्चि से कार्य प्रचालन के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा शीघ्र ही कर्मचारी/अधिकारी नियुक्त कर लिए जाएंगे। विस्तार योजना के एक भाग के रूप में समग्र कार्य शक्ति को एक ही स्थान पर तैनात करने के उद्देश्य से कार्यालय स्थल के लिए सम्पतियां सूचीबद्ध कर ली गई हैं।

बांग्लादेश को बिजली का निर्यात

1340. श्री मानिक टैगोर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बांग्लादेश को उसकी बिजली मांग को पूरा करने के लिए उसे बिजली देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित निबंधन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के देश-वार क्या नाम हैं जिन्हें हमारे देश द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है/की जा रही है तथा उन्हें कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या सरकार के पास निर्यात के लिए अधिशेष बिजली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिजली के निर्यात के क्या कारण हैं जबकि देश बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां, विद्युत का निर्यात वैद्युत ग्रिड इंटरकनेक्शन के माध्यम से किया जाता है जिसे भारत-बांग्लादेश विद्युत संचालन केंद्र कहा जाता है जिसका उद्घाटन 05.10.2013 को किया गया था। भारत सरकार दोनों देशों के बीच जनवरी, 2010 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अधीन बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति कर रही है।

(ग) नेपाल और बांग्लादेश को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्रमश: लगभग 150 मेगावाट और 475 मेगावाट है।

(घ) और (ङ) भारत दोनों देशों के बीच विद्युत क्षेत्र में पारस्परिक लाभ और सहयोग के लिए उपर्युक्त मात्रा की आपूर्ति कर रहा है।

एफएम रेडियो चैनलों की ई-नीलामी

1341. श्री जी.एस. सिद्देश्वर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के तीसरे चरण में 294 शहरों में 839 एफएम रेडियो चैनलों की ई-नीलामी की घोषणा की थी

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चैनलों की ई-नीलामी में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और नए एफएम रेडियो चैनलों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा एफएम रेडियो चैनलों की ई-नीलामी हेतु स्पष्ट नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश के सभी सीमावर्ती जिलों में उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना करके सीमाक्षेत्र पर होने वाले दुष्प्रचार का विरोध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा 7 जुलाई, 2011 को प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार संबंधी नीति का अनुमोदन किया गया था। चरण-III की नीति कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप एक लाख व उससे अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) वाले सभी शहरों/कस्बों को कवर किया जा सकेगा।

चरण-III की नीति कार्यान्वित करते समय, मौजूदा अनुमतिधारकों से अंतरण शुल्क का प्रभारण, प्रस्ताव, अनुरोध (आरएफपी) में विनिर्दिष्ट विचलनों, अंतर-चैनल स्पेसिंग में कटौती आदि जैसे कुछेक मुद्दे उठे जिनके बारे में 6 मार्च, 2013 को ईजीओएम द्वारा निर्णय लिया गया।

(ग) एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना/प्रचालन के व्यय को प्राइवेट एफएम ऑपरेटरों द्वारा वहन किया जाता है। नए एफएम रेडियो चैनलों को नीलामी प्रक्रिया के पश्चात स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के अनुमोदन से सरकार ने समस्त निविदा प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता का सुनिश्चयन करने के लिए एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है।

(ङ) और (च) सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश की संचार अवसंरचना के आवर्धन की नीति को लागू करना संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर, एक गतिशील व सतत प्रक्रिया है।

सुविधा प्रभार

1342. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का एनसीआर रैपिड रेल संपर्क परियोजनाओं के व्यवहार्यता-अंतर को पाटने हेतु वित्त जुटाने के लिए सुविधा-प्रभार वसूलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) जी नहीं, रेल मंत्रालय के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) रैपिड रेल कनेक्टिविटी परियोजना में निधि व्यवहार्यता अंतर के लिए सुधारात्मक शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में रीज़नल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) से संबंधित मामला शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

भूमि कानून

1343. श्री सुरेश कलमाड़ी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में भूमि-अर्जन के मामले में संबंधित भूमि के बाजार-मूल्य का चार गुना मुआवजा देने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भूमि-प्रयोग की पद्धति में बदलाव के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों और अन्य अंशधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु किसी प्राधिकरण को स्थापित करने का है, और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और उक्त प्राधिकरण को किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 में भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करने तथा उसे निर्धारित करने के मानदंड विहित हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 30 में मुआवजे की राशि के 100 प्रतिशत के बराबर एक 'सांत्वना' राशि का उपबंध है।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भू अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापना विधेयक, 2011 लोक सभा में पुर:स्थापित करने से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श किया गया था। उपरोक्त विधेयक को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। उक्त स्थायी समिति ने उक्त विधेयक पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान विभिन्न राज्यों तथा अन्य हितधारकों से व्यापक परामर्श किया।

(ङ) और (च) उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में उचित सरकार द्वारा भू अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पुनर्वास व पुनर्स्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटान की व्यवस्था करना है।

आंध्र प्रदेश में एमएमटीएस परियोजनाएं

1344. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश विशेषकर हैदराबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) के द्वितीय चरण की परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन पर आवंटित/व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त परियोजनाओं में निजी क्षेत्र और राज्य सरकार को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) आंध्र प्रदेश मे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली (एमएमटीएस) चरण-II परियोजना को अवसंरचना संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा 01.03.2013 को स्वीकृत कर दिया गया है। रेलवे की ओर से रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) इस कार्य का निष्पादन कर रही है। उम्दानगर-एयरपोर्ट नई लाइन को छोड़कर बाकी सभी परियोजना के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। इस परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(I) फलकनुमा-उम्दानगर दोहरीकरण और उम्दानगर-एयरपोर्ट नई लाइन।

(II) सिकंदराबाद-बोलारम मौजूदा खंड का विद्युतीकरण।

(III) बोलाराम-मेदचल (14 किमी)-विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण।

(IV) मौला अली-घटकेसर- विद्युतीकरण सहित चौहरीकरण।

(V) मौला अली-सनथनगर कोर्ड लाइन (22.10 किमी.)-विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण।

(VI) मौलाई-मल्काजगीरी-सीताफलमंड (10 किमी.)-विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण।

(VII) तेलपुर-रामचन्द्रपुरम (5.75 किमी)-विद्युतीकरण सहित पुनःस्थापन।

(ख) रेलवे ने 2013-14 के दौरान 30 करोड़ रुपए आवंटित किए और राज्य सरकार द्वारा तदनुरूपी दी गई शेयर की राशि 60 करोड़ रुपए है। अक्तूबर, 2013 तक बुक किया गया खर्च 0.21 करोड़ है।

(ग) और (घ) यह परियाजना आंध्र प्रदेश सरकार की भागेदारी से रेलवे द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना में 2/3 लागत की राशि का अंशदान करने के लिए सहमत हो गई है।

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

आरक्षण/निरस्तीकरण संबंधी नीति

1345. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल टिकटों के आरक्षण और निरस्तीकरण संबंधी कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति के अंतर्गत टिकटों को निरस्त करने के लिए काफी कम समयावधि निर्धारित हाने के कारण जनता को नुकसान होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर टिकटों के आरक्षण और निरस्तीकरण पर एक सुस्थापित नीति निर्धारित है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

आरक्षित टिकटों पर आरक्षण शुल्क 01.04.2013 से नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया है:—

श्रेणी	आरक्षण शुल्क (रुपए में)	
	01.04.2013 से पहले	01.04.2013 से लागू
सेकेंड	15	15 (कोई परिवर्तन नहीं)
स्लीपर	20	20 (कोई परिवर्तन नहीं)
एसी चेयर कार	25	40
एसी-3 इकोनोमी	25	40
एसी-3 टियर	25	40
प्रथम श्रेणी	25	50
एसी-2 टियर	25	50
एसी प्रथम	35	60
एग्जीक्यूटीव	35	60

निरस्तीकरण के संबंध में, 01.07.2013 से प्रभावी रेलवे यात्री (टिकट का निरस्तीकरण और किराए की धन वापसी) नियम को दिनांक 06.06.2013 के राजपत्र अधिसूचना सं. जीआरएस 362(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया है:—

(i) धन वापसी नियम का पिछला महत्त्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1988 में किया गया था। पिछले 15 वर्षों के दौरान भारतीय रेलों की टिकट प्रणाली में नीचे दिए अनुसार प्रमुख बदलाव किए गए:—

- कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली और कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रसार।

  इंटरनेट आधारित टिकट प्रणाली का विस्तार।

- एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली की उपलब्धता जो गाड़ियों की चलने और टेलीफोन, एसएमएस और इंटरनेट के माध्यम से आरक्षण स्थिति की तत्काल सूचना की सुविधा देती है।

धन वापसी नियमों को टिकट/पूछताछ प्रणालियों में हुए विकास के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

(ii) सरलीकरण, धन वापसी प्रक्रिया में दक्षता लाने, अंतिम समय में निरस्तीकरण की गुंजाइश को कम करने, धन वापसी के फर्जी दावों की जांच करने और धन वापसी प्रक्रिया के दुरूपयोग को कम करने के उद्देश्य से भी संशोधन किए गए थे।

(ग) उपर्युक्त विकासों को देखते हए टिकटों के निरस्तीकरण की समय सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर टिकटें रद्द हेतु प्रस्तुत कर दी जाती हैं तो जनता को कोई नुकसान नहीं होता है।

(घ) और (ङ) संशोधित धन वापसी नियमों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सुझाव/गुण-दोष विवेचना शामिल हैं। धन वापसी से संबंधित नीति दिशा-निर्देशों सहित (प्राप्त फीडबैक के आधार पर) नीति संबंधी दिशा-निर्देशों का आशोधन/संशोधन करना एक सतत और चालू प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त विमानपत्तन

1346. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा निर्मित और अनुरक्षित 32 विमानपत्तन अप्रयुक्त पड़े हैं; 6 विमानपत्तनों से प्रतिदिन केवल 1 उड़ान संचालित होती है और 9 अन्य विमानपत्तनों से केवल 2 उड़ानें तथा 6 विमानपत्तनों से मात्र 3 से 4 उड़ानें प्रतिदिन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमानपत्तनों के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का घरेलू विमान सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है और ऐसी विमान-कंपनियों की सहायता के लिए एक कोष बनाने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वार देश में अपेक्षाकृत छोटे विमानपत्तनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सम्बद्ध 44 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां से वर्तमान में कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं किया जा रहा है। इन 44 हवाई अड्डों की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधन किए जा रहे 26 हवाई अड्डे/सिविल एन्कलेव ऐसे हैं जहां से प्रतिदिन 1 से 6 उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। इन 26 हवाई अड्डों/सिविल एन्कलेवों की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है। घरेलू सेक्टर के लिए उड़ानों

का प्रचालन अविनियमित कर दिया गया है तथा दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन सेवाओं के बेहतर विनियमन की उपलब्धि के आशय से सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए एयरलाइनें अब देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर किसी विशिष्ट स्थान के लिए वायु सेवाएं प्रारम्भ करना एयरलाइनों पर निर्भर है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नागर विमानन के कार्य दल की रिपोर्ट में आवश्यक हवाई सेवा निधि (ईएएसएफ) की स्थावना किए जाने का प्रस्ताव सम्मिलित है।

विवरण-I

ऐसे हवाई अड्डे, जहां से कोई अनुसूचित उड़ान नहीं है

क्र. सं.	हवाई अड्डे का नाम
1	2
1.	आईजल (तुरियल)
2.	आसनसोल
3.	बालुरघाट
4.	बिलासपुर
5.	चाकुलिया
6.	कूच बिहार
7.	कुड्डापा
8.	डपारिजो
9.	दीसा (पालनपुर)
10.	दोनाकोंडा
11.	जलगांव
12.	झारसुगुडा
13.	जोगबानी
14.	कैलाशहर
15.	कमलपुर
16.	खांडवा
17.	खोवाई
18.	ललितपुर
19.	माल्दा
20.	मुजफ्फरपुर
21.	नादिरगुल
22.	पन्ना
23.	पास्सीघाट
24.	रक्सौल
25.	रूपसी
26.	सतना
27.	शैला
28.	तेजू
29.	वैल्लौर
30.	वारंगल
31.	देवगढ़
32.	जैसलमेर
33.	बीकानेर
34.	भटिंडा
35.	अकोला
36.	बेहला
37.	कांडला
38.	केशोड (जूनागढ़)
39.	कोल्हापुर
40.	कोटा
41.	पंतनगर
42.	शोलापुर
43.	पठानकोट
44.	लीलाबारी

विवरण-II

26 हवाईअड्डे/सिविल एक्सप्रेस की सूची

क्र. सं.	हवाई अड्डा	एयरलाइनों की संख्या	उड़ानों की संख्या (आगमन + प्रस्थान) प्रति सप्ताह	प्रतिदिन उड़ानें (अनुमानत:)
1	2	3	4	5
1.	आगरा	2	10	1
2.	अगाती	1	12	2
3.	आइजल	2	44	6
4.	इलाहाबाद	2	36	5
5.	बेलगाम	1	14	2
6.	भावनगर	1	14	2
7.	भुज	1	28	4
8.	धर्मशाला	2	28	4
9.	दीमापुर	1	10	1
10.	गोरखपुर	1	12	2
11.	ग्वालियर	1	4	1
12.	हुबली	1	28	4
13.	जबलपुर	2	38	5
14.	जामनगर	1	14	2
15.	जोरहाट	1	20	3
16.	कानपुर	1	4	1
17.	खजुराहो	3	34	5
18.	कुल्लु	1	12	2
19.	लुधियाना	1	6	1
20.	मैसूर	1	14	2
21.	पुदुचेरी	1	12	2
22.	पोरबंदर	1	14	2
23.	राजामुन्दरी	2	42	6
24.	शिलांग	1	10	1
25.	सूरत	2	36	5
26.	तूतीकोरीन	1	28	4

[अनुवाद]

वायुमार्ग-प्रसार संबंधी मार्गनिदेश

1347. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्रों के लिए हवाई सेवाओं में सुधार हेतु वायुमार्ग प्रसार संबंधी मार्गनिदेशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे नगरों और शहरों तक कम लागत आधार पर हवाई-संपर्क का विस्तार करने हेतु नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए किसी परामर्शक फर्म की सेवाएं ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परामर्शक फर्म द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान देश में कम लागत वाली विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी एवं ऐसी कनेक्टिविटी की प्रोन्नति हेतु अपेक्षित उपायों के मुद्दे की जांच हेतु अध्ययन करने का कार्य मंत्रालय द्वारा मैसर्स डेलॉट्टी टॅच तोह्मात्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। परामर्शदाता द्वारा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ महत्त्वपूर्ण अनुशंसाएं/सुझाव नीचे दिए गए हैं:—

(i) मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों में संशोधन

(ii) क्षेत्रीय एवं दूरस्थ हवाई कनेक्टिविटी की प्रोन्नति के लिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी निधि का निर्माण

(iii) एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट में कमी लाना

(iv) एविएशन टर्बाइन फ्यूल को घोषित सामग्री के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाना

(ङ) किफायती वाहक (लो कॉस्ट कैरियर-एलसीसी) मूलत: कुछ एयरलाइनों द्वारा अपनाई गई व्यवसायिक प्रक्रिया है। चूंकि किसी एयरलाइन को किफायती वाहन (एनसीसी) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं हैं इसलिए डीजीसीए द्वारा किसी एयरलाइन को किफायती वाहक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। भारतीय वाहकों को वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में एविएशन टर्बाइन फ्यूल का सीधे आयात करने, किसी अनुसूचित हवाई परिवहन उपक्रम में किसी विदेशी एयरलाइन द्वारा 49 प्रतिशत तक के इक्विटी निवेश की अनुमति देने, 1 मिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम सीमा सहित एयरलाइन उद्योग की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए ईसीबी की अनुमति देने तथा नागरिक विमान के पूर्जों एवं नागरिक विमान के लिए थर्ड पार्टी अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए कर छूट प्रदान करने जैसे उपाय करते हुए सरकार द्वारा एयरलाइनों को प्रोत्साहित किया गया है।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1348. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एजीएसवाई) के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी/प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है और बीपीएल जनसंख्या हेतु प्रत्येक राज्य को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है; और

(ग) पुरानी ग्रेडिंग पद्धति की तुलना में नई पद्धति से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत जिन कुल व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय आवंटन, जारी की गई केन्द्रीय निधियां, उपयोग की गई निधियां और खर्च न की गई शेष राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एसजीएसवाई को दिनांक 1.4.2013 से बंद कर दिया गया है।

विवरण-I

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी		
		2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	165205	108814	328064
2.	अरुणाचल प्रदेश	1036	308	0
3.	असम	143941	143888	1329
4.	बिहार	162009	135426	3065
5.	छत्तीसगढ़	53564	44885	44103
6.	गोवा	768	184	0
7.	गुजरात	46820	30267	23194
8.	हरियाणा	30199	24435	10715
9.	हिमाचल प्रदेश	11615	10828	9486

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	4271	5236	0
11.	झारखंड	113903	57019	24054
12.	कर्नाटक	107283	80754	72291
13.	केरल	47046	40311	0
14.	मध्य प्रदेश	97761	88860	57953
15.	महाराष्ट्र	159855	152429	32958
16.	मणिपुर	603	363	0
17.	मेघालय	40552	5182	941
18.	मिजोरम	3565	3010	0
19.	नागालैंड	4993	5519	0
20.	ओडिशा	138595	129363	30760
21.	पंजाब	15657	10287	3291
22.	राजस्थान	74853	76149	66397
23.	सिक्किम	1294	1337	0
24.	तमिलनाडु	138916	72095	201323
25.	त्रिपुरा	63890	13456	4797
26.	उत्तर प्रदेश	391700	341935	151584
27.	उत्तराखंड	20789	17673	9649
28.	पश्चिम बंगाल	66942	74494	68245
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	448	359	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1913	2256	0
	कुल	2109986	1677117	1144199

विवरण-II

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13			
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	खर्च न की गई राशि**	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	खर्च न की गई राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12557.00	12545.33	18460.59	407.84	11472.00	5736.00	8928.52	7037.69				
2.	बिहार	29872.00	13874.71	27337.28	28360.87	27291.00	6733.98	14639.25	40305.88				
3.	छत्तीसगढ़	6635.00	6584.38	7736.15	1785.87	6062.00	5815.41	700.18	1334.53				
4.	गोवा	200.00	70.60	77.89	189.01	176.00	25.87	61.59	389.78	175.00	25.72	0.00	25.72
5.	गुजरात	4727.00	4614.50	6949.44	269.74	4318.00	3734.97	5316.70	674.69	4375.00	2095.52	5511.26	1247.73
6.	हरियाणा	2781.00	2725.43	3907.13	145.06	2541.00	2499.56	3494.49	37.20	2574.00	2452.09	1844.59	3367.61
7.	हिमाचल प्रदेश	1171.00	1096.00	1460.85	667.29	1070.00	777.60	1419.78	256.29	1084.00	552.50	1110.24	280.17
8.	जम्मू और कश्मीर	1449.00	759.05	734.12	800.35	1324.00	576.72	525.25	635.57	1342.00	451.89	0.00	451.89
9.	झारखंड	11264.00	10979.00	12369.65	9200.70	10290.00	6670.04	9041.79	4898.29				
10.	कर्नाटक	9482.00	9369.50	12646.39	2339.58	8663.00	6775.01	11798.34	642.38	8777.00	5591.69	9246.29	1275.06
11.	केरल	4255.00	4146.55	5851.54	170.38	3887.00	3792.71	5232.60	187.38				
12.	मध्य प्रदेश	14214.00	13844.63	17926.16	3406.36	12986.00	11254.29	14810.33	3448.43				
13.	महाराष्ट्र	18744.00	18560.25	22067.39	3421.95	17125.00	16979.23	23080.34	1129.86				
14.	ओडिशा	14363.00	14061.13	17282.97	2550.97	13122.00	12119.13	17134.89	157.94				
15.	पंजाब	1351.00	1247.66	1748.22	111.34	1235.00	988.96	1200.86	227.87	1251.00	276.32	363.40	1233.79
16.	राजस्थान	7200.00	7183.13	9954.67	3394.95	6578.00	5936.96	10108.88	1936.40	6664.00	3332.00	8968.07	2321.67
17.	तमिलनाडु	11103.00	11068.05	14835.21	470.35	10144.00	10134.27	9366.49	3628.70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उत्तर प्रदेश	43006.00	42389.13	49220.95	24685.86	39290.00	28340.26	42832.96	17042.68	39827.00	22257.61	18353.13	25070.38
19.	उत्तराखंड	2264.00	2155.25	3182.68	242.31	2069.00	2067.88	2646.01	326.14	2096.00	1811.94	1417.29	994.26
20.	पश्चिम बंगाल	15962.00	15812.00	18897.82	2963.64	14582.00	13175.61	17000.05	4110.25	14773.00	12314.42	12559.07	4836.18
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.84	25.64	18.82	25.00	12.48	20.06	7.00	25.00	8.47	0.00	8.47
22.	दमन और दीव	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23.	दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
24.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	
25.	पुदुचेरी	300.00	250.00	148.52	218.74	275.00	137.50	210.88	1.82	275.00	0.00	0.00	
	कुल	213000.00	193347.09	1252818.26	85871.98	194600.00	144296.94	205871.24	88454.27	83313.00	51170.17	59373.34	41312.93
	पूर्वोत्तर राज्य												
1.	अरुणाचल प्रदेश	692.00	518.87	135.87	587.92	678.00	343.26	86.09	403.12	623.00	219.70	0.00	219.70
2.	असम	17988.00	20301.85	21924.00	4963.40	17628.00	10836.74	19553.00	7.36			0.00	10590.29
3.	मणिपुर	1206.00	1187.18	360.69	949.41	1182.00	618.82	364.46	400.02	1086.00	594.24	0.00	594.74
4.	मेघालय	1351.00	836.70	818.23	687.66	1324.00	391.85	787.53	181.63	1216.00	253.07	115.92	149.16
5.	मिजोरम	313.00	443.85	493.21	93.30	306.00	306.03	347.45	5.65	281.00	140.52	0.00	281.00
6.	नागालैंड	927.00	872.14	399.91	490.34	908.00	697.14	518.92	351.55	834.00	497.83	0.00	497.83
7.	सिक्किम	346.00	483.80	373.35	470.35	340.00	170.00	451.46	56.61	313.00	0.00	0.00	
8.	त्रिपुरा	2177.00	2490.10	3080.41	26.08	2134.00	2134.01	1743.98	674.29	1960.00	1528.53	275.77	1303.86
	कुल	25000.00	27134.49	27585.67	8268.46	24500.00	15497.85	23852.89	2060.23	6313.00	3233.89	391.69	13636.58
	कुल योग	238000.00	220481.58	280403.93	94140.44	219100.00	159794.79	229724.13	90514.50	89626.00	54404.06	59765.03	54949.51

*व्यय, कुल उपलब्ध निधियों जिसमें राज्य हिस्सेदारी, अथशेष, विविध प्राप्तियां शामिल हैं, में से किया गया।

**खर्च न की गई राशि, कुल उपलब्ध निधियों जिसमें राज्य हिस्सेदारी, अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं, में से है।

रेलवे स्टेशन

1349. श्री एम.बी. राजेश :
श्री एम. राजामोहन रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का केरल के पालक्कड़ में स्थित मानकरा स्टेशन सहित कुछ रेलवे स्टेशनों को बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से कतिपय रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रेल ने पर्यटन मंत्रालय की भागीदारी से 24 चिन्हित रेलवे स्टेशनों को स्टेशनों/गंतव्यों की विरासत और पर्यटन संबंधी मायनों को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं में सुधार करने की योजना बनाई है। अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण का कार्य लागत में 50:50 की भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए कार्यों की प्राथमिकता के लिए रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त निर्णय लिया गया है। चिन्हित स्टेशन हैं—हैदराबाद, तिरुपति, हॉस्पेट, आगरा कैंट, रायबरेली, वाराणसी, दिल्ली सफदरजंग, कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गया, मदुरै, रामेश्वरम, तारापीठ, तारकेश्वर, न्यू जलपाईगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, अमृतसर, औरंगाबाद, नांदेड़, पुरी, जयपुर और अजमेर।

(ङ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डीडीपी और डीपीएपी क्षेत्र

1350. श्री सी.आर. पाटिल :
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** डीपीपी एवं डीपीएपी क्षेत्र के बारे में 21 मार्च, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3958 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या संशोधित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) योजना को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में सरदार सरोवर परियोजना और डीडीपी क्षेत्र योजना के अंतर्गत आने वाली अन्य पात्र परियोजनाओं को एआईबीपी के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : आर्थिक मामला संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने सितम्बर, 2013 में 12वीं योजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया। अनुमोदन के अनुसार सहायता की मात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य हेतु मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्र/मरूस्थल प्रवण क्षेत्र (डीपीए) को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना को डीपीएपी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के समान समझा जायेगा और विशेष श्रेणी राज्यों में परियोजनाओं के लिए नई परियोजनाएं 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में परियोजनाओं के लिए ये 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी। पहले ही एआईबीपी के तहत चल रही और मरूस्थल विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं 25% की दर से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करती रहेंगी। इस प्रकार सरदार सरोवर परियोजना, जो कि पहले से ही एआईबीपी के तहत चल रही हैं और मरूस्थल विकास कार्यक्रम/मरूस्थल प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं 25% की दर से केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र होंगी। देश में अन्य राज्यों के डीडीपी क्षेत्रों की अन्य पात्र परियोजनाओं को भी उपर्युक्त के अनुसार एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

डबल-डैकर रेलगाड़ियां

1351. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दिल्ली से जयपुर के बीच डबल-डैकर रेलगाड़ियां चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोन में ऐसी डबल-डैकर रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) वर्तमान में, जयपुर और दिल्ली एक दैनिक डबल-डेकर सर्विस यथा 12985/12986 से जुड़े हुए हैं, फिलहाल, दिल्ली और जयपुर के बीच एक अतिरिक्त डबल-डेकर गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बहरहाल, डबल-डेकर गाड़ी सहित नई गाड़ी सेवाओं की शुरुआत करना

एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

रेल-यात्री निवास

1352. श्री जोस.के. मणि : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत रेल-यात्री निवास का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थल-वार वर्तमान अवस्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का बड़ी संख्या में सबरीमाला तीर्थ स्थान आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए केरल के कोट्टायम में रेल-यात्री निवास का निर्माण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-देहरादून रेलमार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां

1353. श्री कादिर राणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का दिल्ली-देहरादून वाया मेरठ रेलमार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे इस रेलमार्ग राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन चलाने और उसे मुजफ्फरनगर पर ठहराव देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) इस समय, दिल्ली-मेरठ-देहरादून सेक्टर में मेरठ सिटी और मुजफ्फरनगर पर ठहराव के साथ 12017/12018 नई दिल्ली-शताब्दी एक्सप्रेस (दैनिक), 12205/12206 नई दिल्ली-देहरादून एसी एक्सप्रेस (दैनिक) और 12055/12056 नई दिल्ली-देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस (दैनिक) सहित 09 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मेरठ-देहरादून सेक्टर में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल बजट 2013-14 में 12687/12688 मदुरै-देहरादून एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन करने घोषणा की गई है। बहरहाल इस समय, परिचालनिक और संसाधनों की कमियों के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित (मुजफ्फरनगर पर ठहराव सहित) अतिरिक्त गाड़ियों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

1354. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त संख्या में केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महिला उद्यमियों के प्रोत्साहनार्थ ऐसी कुछ पहलें शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) चला रहा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं की मजबूत और स्थायी जमीनी संस्थाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर पाने हेतु सामाजिक नेटवर्कों, संसाधनों और जानकारी का लाभ उपलब्ध कराकर उनकी आजीविकाओं में स्थानीय आधार पर पर्याप्त सुधार लाना है। एनआरएलएम के तहत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और इन समूहों के संघों के निर्माण के माध्यम से सभी के सामाजिक अवप्रेरण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य, यथासंभव महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल करके व्यापक सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए। एनआरएलएम में सभी स्व-सहायता समूहों के बचत खाते खोलने में सहायता करके, उनके बचत एवं ऋण कार्यकलाप को एक साथ बढ़ावा देकर तथा बैंकों की ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं सुलभ कराकर सभी का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में इच्छुक सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास का प्रावधान है, ताकि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे उद्यम शुरू कर सकें। एनआरएलएम में स्व-रोजगार के अतिरिक्त रोजगार संबंधी कौशल विकास परियोजना के माध्यम से कुशल मजदूरी रोजगार पाने में भी ग्रामीण

गरीब युवाओं की मदद की जाती है। एनआरएलएम मांग प्रेरित कार्यक्रम है और राज्य स्वयं अपनी गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं तैयार करते हैं।

एनआरएलएम के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रत्येक आरएसईटीआई का यह लक्ष्य होगा कि कम से कम 750 बीपीएल प्रत्याशियों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। वर्ष 2012-13 के दौरान 3,06,345 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 2,15,935 प्रत्याशी महिलाएं थीं।

[हिन्दी]

बापूधाम-मोतीहारी रेललाइन

1355. श्रीमती रमा देवी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बापूधाम से मोतीहारी वाया शिवहर नई रेललाइन परियोजना का वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस हेतु आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) शिवहर के रास्ते बापूधाम-मोतीहारी की कोई नई रेल लाइन परियोजना स्वीकृत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विमान-यातायात

1356. श्री सी. शिवासामी :
श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान-यातायात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विमान-यातायात की वृद्धि-दर कितनी रही है;

(ग) क्या विमान-यातायात में यह बढ़ोतरी अन्य देशों की तुलना में अभी भी काफी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान-यातायात बढ़ाने के लिए इस संबंध में प्रस्तावित कदम, जिनमें संबंधित करों जोकि वर्तमान में काफी अधिक हैं, में कटौती करना भी शामिल होगा, क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। वर्ष 2012 को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में विमान यातायात में नियमित बढ़ोतरी हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में अनुसूचित घरेलू वाहकों द्वारा वहन किए गए यात्रियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	वहन किए गए (मिलियन में)	विकास प्रतिशत
2010*	52.00	+18.70
2011	60.70	+16.60
2012	58.80	+03.04
2013	50.70	+04.77

2013 का डाटा जनवरी — अक्तूबर की अवधि के लिए है। वृद्धि के प्रतिशत का विश्लेषण वर्ष के दौरान एयरलाइन द्वारा वहन किए गए यात्रियों का पिछले वर्ष दौरान तत्समान अवधि में एयरलाइनों द्वारा वहन किए गए यात्रियों से किया गया है।

(ग) जी नहीं। नागर विमानन में विश्व के शीर्ष 10 देशों के साथ तुलना में विमान यातायात में खासी वृद्धि हुई है। हवाई यातायात में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश है।

(घ) सरकार राज्य सरकारों के साथ एटीएफ पर वैट कम करने के लिए कार्रवाई कर रही है। सरकार ने भारतीय वाहनों द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन का वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में इसका सीधे निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन को बढ़ावा देने के लिए सिविल विमानों की तृतीय पक्षकार द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए जांच उपकरणों तथा विमानों के पुर्जों के लिए कर में छूट।

ए.सी. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेलडिब्बों की संख्या में कमी

1357. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ियों में एसी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या में कमी कर दी है, जबकि इस श्रेणी के डिब्बों की मांग लगातार रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रत्येक रेलगाड़ी में प्राथमिकता के आधार पर ए.सी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) एसी-I और एसी-II श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न गाड़ियों में 01-04-2013 से 30.09.2013 तक स्थायी आधार पर 12 प्रथम सह द्वितीय एसी श्रेणी सवारीडिब्बे और 39 एसी-II श्रेणी के सवारी डिब्बे लगाए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय रेलों में एसी-I और एसी-II श्रेणी के सवारी डिब्बों को लगाने सहित गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता हो और संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जल-प्रबंधन

1358. श्री रामकिशुन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में जल-प्रबंधन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधि कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जल राज्य का विषय होने के कारण जल प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को एक राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र पर भी लागू होता है। संरेखित फील्ड चैनल, भूमि को समतल करना, सूक्ष्म-सिंचाई, फील्ड ड्रेनों का निर्माण, जल-जमाव क्षेत्रों का सुधार, प्रणाली की कमियों को दूर करना, प्रशिक्षण, अनुकूली परीक्षण और प्रदर्शन, जल प्रयोक्ता संघों को एकमुश्त अनुदान और जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान आदि जैसे खेत विकास कार्य घटक हैं।

(ख) सीएडी एवं डब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए XIIवीं योजना के दौरान 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत 15 चालू परियोजनाएं हैं। दिनांक 06.12.2013 को XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और तदनुसार राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में चालू परियोजना

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिल	शामिल करने का वर्ष	कृष्य कमान क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	शारदा सहायक नहर प्रणाली चरण-II	लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया	2009-10	330

1	2	3	4	5
2.	तुमरिया बांध नहर प्रणाली	इलाहाबाद	2000-01	64.01
3.	शारदा नहर परियोजना	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, खीरी, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी,	1989-90	1613
4.	पूर्वी गंगा नहर	बिजनौर, ज्योतिबाफूले नगर	1990-91	233
5.	निचली राजघाट	ललितपुर	2009-10	43.21
6.	बेतवा एवं गुरसराय नहर	झांसी, जालौन, हमीरपुर	1990-91	422
7.	केन नहर प्रणाली	बांदा	1990-91	222
8.	बेलान पंप नहर प्रणाली	इलाहाबाद	1997-98	71.05
9.	टोंस पंप नहर प्रणाली	इलाहाबाद	1997-98	34
10.	झखलऊं पप नहर प्रणाली	ललितपुर	2009-10	29.87
11.	सोन पंप नहर प्रणाली	सोनभद्र	1997-98	93.65
12.	सरयू नहर प्रणाली चरण-II	बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती	2009-10	280
13.	ऊपरी गंगा नहर	मांडा, मेजा, कोरावन, ऊरुआ	1990-91	457
14.	मध्य गंगा नहर	इलाहाबाद	1990-91	229
15.	सिरसी बांध परियोजना	इलाहाबाद, मिर्जापुर	2010-11	44.88

राजस्थान के कोटा में ट्रांसमीटर की स्थापना

1359. श्री इज्यराज सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा में एक किलोवाट क्षमता के एफ. एम. ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एफएम ट्रांसमीटर को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि कोटा, राजस्थान में 1 किवा एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना करने संबंधी स्कीम का अनुमोदन 11वीं योजना की नई स्कीमों के अंतर्गत किया गया था।

(ग) आकाशवाणी (एआईआर) स्टूडियो-स्थल पर एफएम ट्रांसमीटर पहले ही अधिष्ठापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों के ऋण का पुनर्गठन

1360. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के ऋण-पुनर्गठन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत-वितरण के कार्य में संलग्न निजी कंपनियां भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां, सरकार द्वारा देश की विद्युत वितरण कंपनियों की अल्पावधि देयताओं के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कामों) का वित्तीय पुनर्गठन करने हेतु योजना तैयार की गई है। यह योजना संचयी हानियों सहित और प्रचालनात्मक हानियों का वित्तपोषण करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य स्वामित्व वाले सभी सहभागी डिस्कामों के लिए उपलब्ध है। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय पुनर्गठन

सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले डिस्काम्स के वित्तीय पुनर्गठन हेतु योजना को राज्य डिस्काम्स घटते हुए प्रचालनात्मक निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिस्काम्स के प्रत्यावर्तन (टर्न अराउंड) तथा उनकी दीर्घावधिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया और अनुमोदन प्रदान किया गया था यह योजना ऐसी कंपनियों के लिए थी जिनके पास संचित भारी हानियां और अस्थाई ऋण हैं। इस योजना में राज्य डिस्काम्स तथा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ट्रांजिशनल फाइनेंस मकैनिज्म के माध्यम से अपने ऋण का पुनर्गठन करके वित्तीय प्रत्यावर्तन (टर्न अराउंड) प्राप्त करने के उपाय दिए गए हैं:—

- राज्य सरकार 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम्स की बकाया अल्प अवधि देयताओं (एसटीएल) के 50% भाग को अपने हाथ में ले लेगी। इसे पहले डिस्कॉम्स द्वारा प्रतिभागी ऋण दाताओं को जारी किए जाने वाले बांड्स में परिवर्तित किया जाएगा, जोकि राज्य सरकार की गारंटी द्वारा विधिवत समर्थित होगा। इसके बाद राज्य सरकार अगले 2-5 वर्षों में इन देयताओं को डिस्कॉम्स के एफआरबीएम स्पेस के अनुसार विशेष प्रतिभूतियां जारी करके अपने हाथ में लेगी। विशेष प्रतिभूतियां जारी कर इसे अपने हाथ में लेने की तिथि तक राज्य सरकार ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में सहयोग देगी।

- शेष 50% अल्प अवधि देयताओं को ऋणदाताओं द्वारा बेहतर संभव शर्तों पर मूलधन पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन के साथ पुनः निर्धारित किया जाएगा।

- टर्न अराउंड प्लान की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस योजना में केन्द्र और राज्य स्तर पर समितियों द्वारा द्विस्तरीय निगरानी प्रणाली विद्यमान है।

- केन्द्र सरकार आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत विनिर्धारित ट्रैजेक्टरी हानि से अधिक त्वरित एटी एंड सी हानियों में कमी करने के माध्यम से बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के समान राशि का अनुदान प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई देयताओं का राज्य सरकार द्वारा मूलधन के 25% पुनर्भुगतान की प्रतिपूर्ति सहायता देगी।

- इस योजना में राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स की दीर्घावधि वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने हेतु डिस्कॉम्स तथा राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध तरीके से किए जाने वाले अपेक्षित तत्काल/जारी रहने वाले तथा अन्य उपाय समाविष्ट हैं। इन उपायों में वित्तीय पुनर्गठन, टैरिफ सेटिंग तथा राजस्व वसूली, सब्सिडी, मीटरिंग, लेखा-परीक्षा और लेखे तथा निगरानी शामिल हैं।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम

1361. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एजेंटों और वैयक्तिक ग्राहकों द्वारा भारतीय रेलवे की खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से बुक की गई रेल टिकटों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईआरसीटीसी के पास आधिकारिक रूप से पंजीकृत यात्रा एजेंटों और ग्राहकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के समय वेबसाइट के लगातार हैंग होने, जिसके कारण टिकट बुक करने और अन्य लेन-देन में अत्यधिक विलंब होता है, की रोकथाम के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आईआरसीटीसी वेबसाइट को उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए रेलवे द्वारा किए गए उपायों/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एजेंटों और व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट के माध्यम से बुक किए गए टिकटों की संख्या निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	एजेंटों/सब एजेंटों द्वारा बुक किए गए टिकटों की संख्या (करोड़ रुपए में)	व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं द्वारा बुक किए गए टिकटों की संख्या (करोड़ रुपए में)
2010-2011	3.14	6.55
2011-2012	2.99	8.63
2012-2013	2.61	11.46
2013-2014 (नवंबर, 2013 तक)	1.60	8.65

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईआरसीटीसी के साथ पंजीकृत यात्रा एजेंटों/सब एजेंटों की संख्या और ग्राहकों/व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:—

वित्तीय वर्ष	आईआरसीटीसी के साथ पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों/सबएजेंटों की संख्या (करोड़ रुपए में)	आईआरसीटीसी के साथ पंजीकृत ग्राहकों/व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं की संख्या (करोड़ रुपए में)
2010-2011	1.54	1.87
2011-2012	1.35	2.32
2012-2013	1.06	2.89
2013-2014 (नवंबर, 2013 तक)	0.78	3.19

(ग) से (ङ) तत्काल बुकिंग के दौरान आईआरसीटीसी वेबसाइट पर हिट्स की संख्या अनुपातहीन रूप से बहुत अधिक होती है जो कई बार 6-7 लाख के सामान्य हिटों की तुलना में 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाती है, भारी लोड के परिणामस्वरूप पूरे सिस्टम पर बोझ पड़ जाता है जिससे धीमी प्रतिक्रिया होती है। आईआरसीटीसी वेबसाइट की कार्यप्रणाली को सुधारने और वेबसाइट को ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- कुल प्रतिबद्ध इंटरनेट बैंडविड्थ को 450 एमबीपीएस से 755 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया गया है।
- उच्च क्षमता डाटा आधारित सर्वर और फायरवाल प्रणाली स्थापित की गई है।
- अतिरिक्त साफ्टवेयर लॉच किया गया है और सर्वर का भार कम करने और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए नया सर्वर लगाया गया है।
- व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के एक्सेस को बढ़ाने के उद्देश्य से एजेंटों को 0800 बजे से 1200 बजे के बीच किसी भी प्रकार की टिकटों को बुक करने की अनुमति नहीं है। केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को ही 0800 बजे से 1200 बजे के बीच *www.irctc.co.in* पर टिकट बुक करने की अनुमति है।
- प्रणाली के भार को संतुलित करने के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) और तत्काल आरक्षण के अनुसार सामान्य आरक्षण की बुकिंग खुलने के समयक्रम अलग किए गए हैं।

जैव अभियांत्रिकी

1362. श्री एन. धरम सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश के जैव अभियांत्रिकी के अनुसंधान और विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं। अनुसंधान और विकास एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी हेतु कर्नाटक राज्य सहित राज्यवार कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अनुसंधान और विकास हेतु विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों को समर्थन दिया जाता है। तथापि, कर्नाटक राज्य में 39 निजी क्षेत्र की एजेंसियां और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान/विश्वविद्यालय आनुवंशिक अभियांत्रिकी के संबंध में अनुसंधान और विकास के काम में लगे हुए हैं, जो 45 औषधि और 20 कृषि से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (जीकेवीके), बैंगलुरू; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (धारवाड़)धारवाड़; भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु; मैसूर विश्वविद्यालय; राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र, बैंगलुरु; और मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर में जैवप्रौद्योगिकी

विभाग द्वारा कुछ प्रमुख केन्द्रों/कार्यक्रमों/सुविधाओं का वित्त पोषण किया जाता है और इसके साथ-साथ 10 फिनिसिंग स्कूलों और 5 पूर्व स्नातक स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसमीटरों का स्थापन

1363. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रसार भारती' के गठन के पश्चात देश में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों/निम्न शक्ति ट्रांसमीटरों/अतिनिम्न शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थापन के संबंध में प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश भर में दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अनुप्रयोज्य नहीं।

(ग) प्रसार भारती द्वारा दी सूचना के अनुसार, देश में 578 एएम/एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों के जरिए आकशवाणी (एआईआर) की स्थलीय प्रसारण कवरेज 92.00 प्रतिशत क्षेत्रफल व 99.20 प्रतिशत आबादी के लिए उपलब्ध है। देश की केवल 0.80 प्रतिशत आबादी को स्थलीय रेडियो नेटवर्क के जरिए आकाशवाणी के कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि, आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) डीडी डाइरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म (क्रू-बैंड) के जरिए उपलब्ध हैं और इन्हें कवर न किए गए क्षेत्रों सहित पूरे देश में सेट टॉप बॉक्स के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, नवंबर, 1997 में प्रसार भारती की स्थापना होने के समय से लेकर अब तक दूरदर्शन द्वारा 493 अतिरिक्त टीवी ट्रांसमीटर (123 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 172 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों एवं 198 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) प्रचालित किए गए हैं। स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों और साथ ही, देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा, "डीडी फ्री डिश" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया करायी गई है।

पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं

1364. श्री के. सुगुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर विमानपत्तन पर उतरने वाले और वहां से उड़ान भरने वाले विमानों की उड़ानों के लिए पक्षियों से टकराने का खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पक्षियों के विमान से टकराने की माह-वार कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) जी नहीं। कोयम्बटूर हवाईअड्डे पर उतरने तथा उड़ानें भरने वाले विमानों को पक्षियों के टकराने का कोई खतरा नहीं है। तथापि, कोयम्बूर हवाईअड्डे पर इस वर्ष नवंबर, 2013 तक पक्षियों के टकराने की छह घटनाएं हुई थीं। महीने वार पक्षियों के टकराने की घटनाएं निम्नलिखित हैं:—

महीना	घटनाओं की संख्या
जनवरी से जुलाई	शून्य
अगस्त	01
सितंबर	01
अक्टूबर	02
नवंबर	02

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) पक्षी भगाने के लिए अधिक संख्या में नियोजन।

(ii) जॉन बंदूकों का इस्तेमाल।

(iii) प्रचालन क्षेत्रों में बार-बार निरीक्षण एवं वनस्पतियों की सफाई करना।

सर्वाधिक असुरक्षित एअरलाइनें

1365. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के 'जेट एअरलाइन क्रैश डाटा इवॉल्यूशन सेंटर' द्वारा एअर इंडिया को तीसरी सर्वाधिक असुरक्षित वाणिज्यिक विमान सेवा माना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक छवि को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी हां। तथापि, इस संबंध में लगातार प्रयास के कारण, एअर इंडिया देश में पहले और विश्व में उन एयरलाइनों में दसवें स्थान पर है जो आईएटीए प्रचालनात्मक सुरक्षा ऑडिट प्रमाणीकरण, को पूरा करती है। जो कि संरक्षा मानकों के लिए एक बेंचमार्क है।

(ख) जर्मन के जेट एयरलाइनर के कैश डाटा इवॉल्यूशन सेंटर (जेएसीडीईसी) ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बेंचमार्कों को स्थापित करने के बाद पिछले 30 वर्षों में हुई विमान दुर्घटनाओं तथा हुई हानि के आंकड़ों को संकलित किया है। महत्त्वपूर्ण यह है कि सर्वेक्षण में दुर्घटनाओं का कारण ज्ञात नहीं होता। इस अवधि के दौरान, एअर इंडिया में 7 विनाशक दुर्घटनाएं हुई हैं तथा जिनमें एक एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शामिल था। चूंकि एअर इंडिया एक्सप्रेस एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए एअर इंडिया को श्रेणीबद्ध करने के लिए इसकी गणना नहीं की जानी चाहिए थी। अत:, जेएसीडीईसी द्वारा श्रेणीबद्ध करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग तथ्यरूप से गलत है।

(ग) जी, हां।

(घ) एफओक्यूए/सीवीआर/डीएफडीआर मॉनीटरिंग, पायलट परामर्श, पीआईबी तथा डीजीसीए विमान संरक्षा निदेशालय के परामर्श से किसी दुर्घटना/घटना में शामिल पायलटों को आवश्यक सुरक्षा वृद्धि प्रशिक्षण (एसईटी) प्रदान कर एअर इंडिया ने लगातार सुधार के लिए उपाय किए हैं। एअर इंडिया ने विमान संरक्षा, जो विमान सुरक्षा जागरूकता एवं दुर्घटना/घटना रोकथाम कार्यक्रम, जिसे एयरलाइनों द्वारा अपनाना आवश्यक है, पर डीजीसीए के सीएआर, धारा 5 का अनुपालन करते हुए अपने संरक्षा मानकों में वृद्धि करने के लिए सभी संगत विभागों में सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को कार्यान्वित किया है। एअर इंडिया द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) एवं (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तालाबों का सुधार कार्य

1366. श्री हंसराज ग. अहीर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश शासनकालीन तालाबों (मामा तालाब) के सुधार कार्य और अनुरक्षण के लिए कोई निधि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी और इन तालाबों के रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार कोई कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सुधार, नवीयन और पुनरुद्धार (आर.आर. आर.) पद्धति की परियोजना और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से इन ब्रिटिश शासनकालीन तालाबों के रख-रखाव और सुधार हेतु आवश्यक निधियों के आवंटन हेतु कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) XIवीं योजना के दौरान कार्यान्वित घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की स्कीम के अंतर्गत विदर्भ क्षेत्र के 36 जल निकायों सहित महाराष्ट्र के 258 जल निकायों को पुनरुद्धार हेतु लिया गया था। इन जल निकायों के लिए अब तक महाराष्ट्र सरकार को 80.53 करोड़ रुपए की धनराशि का कुल अनुदान जारी किया गया।

(ग) से (च) XIवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने पहले कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी स्कीम को XIIवीं योजना में जारी रखने के लिए 20.09.2013 को अनुमोदित किया गया है तथा विस्तृत दिशानिर्देश 28.10.2013 को परिचालित किए गए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को संशोधित प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करने हैं।

[अनुवाद]

एयरोसिटी

1367. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट 'एयरो सिटी' का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमानपत्तन की संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) में केवल वैमानिकी मद में उपयोग के लिए उसे दी गई 190.91 एकड़ भूमि में से

45 एकड़ भूमि होटल और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ पट्टे पर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'डायल' द्वारा तथ्यों को छुपाने पर उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) प्रचालनों को प्रारंभ करने से पूर्व मेजबान जिला पर संबंधित विकासकों के अनुपालनार्थ भारतीय नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने हवाईअड्डे की संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कियोस्कों का आवंटन

1368. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कियोस्कों के आवंटन हेतु रेलवे द्वारा क्या मानदंड/मानक और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर कियोस्कों के आवंटन के संबंध में रेलवे को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने वाले कियोस्क मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इसमें सहकारी समितियों के लिए कोई विशेष कोटा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) खानपान नीति 2010 के अनुसार, ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर 75% सामान्य लघु स्थैतिक खानपान इकाइयों का आवंटन मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) दिशा-निर्देश जिसमें पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया है, के आधार पर खुली, प्रतिस्पर्धात्मक, दो पैकेट निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जबकि ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर विशेष लघु इकाइयों (आरक्षित कोटियों) और डी, ई और एफ कोटि स्टेशनों पर सभी स्थैतिक लघु खानपान इकाइयों का शेष 25% का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रेस अधिसूचना के माध्यम से आवेदन मंगाकर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नियम और शर्तों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाने, चेतावनी देने आदि जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन केन्द्रों में उपस्करों की स्थापना

1369. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों में स्थापित और उपयोग किए जा रहे अनेक उपस्कर पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपस्करों के स्थान पर नए उपस्करों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण (नई प्रौद्योगिकियों का समावेशन, पुराने हो रहे उपस्करों का प्रतिस्थापन एवं सुविधाओं का आवर्धन/स्तरोन्नयन) का कार्य एक सतत प्रक्रिया है।

दूरदर्शन नेटवर्क के कुल 67 दूरदर्शन केन्द्रों (स्टूडियो केन्द्रों) में से 23 स्टूडियो केन्द्र पूर्ण रूपेण डिजिटल हैं और 31 स्टूडियो केन्द्र आंशिक रूप से डिजिटल हैं। एचडी कैमकॉर्डर्स, रिकॉर्डस/डेक्स, डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर्स, एनएलई प्रणालियां, डिजिटल फ्रेम सिंक्रोनाइज़र्स, उच्च गुणवत्ता वाले जनरेटर्स, लोगो जेनरेटर्स, डिजिटल सामग्री आदि (कैमरा श्रृंखला को छोड़कर) जैसे सभी प्रमुख उपस्करों का अधिप्रापण व अधिष्ठापन कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सकल सिंचित क्षेत्र

1370. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लैंड यूज स्टैस्टिक्स एट ए ग्लांस' शीर्षक वाली एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सकल बुआई क्षेत्र में से सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत वर्ष 2009-10 में 45.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2010-11 में गिर कर 44.9 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पृथ्वी तल पर विद्यमान जल और भूजल के द्वारा सिंचाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकाधिक भूमि को सिंचित करने की तेज प्रक्रिया से भूजल-मात्रा में असुधार्य कमी आने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2009-10 और 2010-11 में सकल बुआई क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्रमशः 44.5 और 44.9 है।

(ग) राज्यवार प्रतिशत परिदृश्य और सतही जल तथा भूमि जल द्वारा सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भूमि जल पुनर्भरणीय संसाधन है, जिसका प्रतिवर्ष वर्षा और अन्य संसाधनों द्वारा प्राकृतिक तौर पर पुनर्भरण होता है। तथापि, जब वार्षिक भूमि जल आहरण प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक हो जाता है तो भूमि जल स्तर घटता है। प्राकृतिक पुनर्भरण की अपेक्षा भूमि जल का अधिक आहरण होने और भूमि जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और अनुकूलतम उपयोग जैसे उपाय न करने से भूमि-जल स्तर घट सकता है।

(ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों में सहयोग करके देश में जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देती है। भूमि जल के घटते स्तर की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

- देश में जल संसाधन के संरक्षण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडब्ल्यूएम), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) जैसी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देना।
- जल संरक्षण को एक लक्ष्य के रूप में रखते हुए राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विनियमन, विकास एवं संरक्षण के लिए भूजल विधान अधिनियमित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उन्हें मॉडल बिल परिचालित किया जाना।
- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा 'अति-दोहित' ब्लॉकों वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने/अपनाने के लिए उपाय करने के लिए सलाह जारी करना।
- भारत सरकार ने वर्ष 2013 को "जल संरक्षण वर्ष" घोषित किया है जिसमें जल संरक्षण और इसके स्थायी प्रबंधन आदि के विषय में कार्यशालाएं, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार, प्रतियोगिताओं के आयोजन आदि जैसे कई जन-जागरूकता कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 सकल बुआई क्षेत्र तथा सतही और भूमि जल द्वारा सिंचित क्षेत्र की तुलना में राज्य-वार/ स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्र और प्रतिशत

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/वर्ष	निम्नलिखित से निवल संचित क्षेत्र							निवल सिंचित क्षेत्र (कॉलम 4 से)	निवल सिंचित बुआई क्षेत्र	निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
	नहरें			कुएं						
	सरकारी	प्राइवेट	कुल	टैंक	ट्यूबवैल	अन्य कुएं	अन्य स्रोत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1747	0	1747	650	1845	616	176	5034	11186	45.0

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश		0	0	0	0	0	56	56	213	26.4
असम	127	0	127	2	7	0	26	162	2811	5.8
बिहार	891	0	891	65	1946	21	107	3030	5259	57.6
छत्तीसगढ़	896	0	896	46	300	26	89	1356	4697	28.9
गोवा	8	0	8	18	5	3	2	36	131	27.8
गुजरात	771	0	771	45	1122	2181	114	4233	10302	41.1
हरियाणा	1236	0	1236		1650	0	1	2887	3518	82.1
हिमाचल प्रदेश	4	0	4	0	16	2	86	108	539	20.0
जम्मू और कश्मीर	180	108	288	6	5	7	14	321	732	43.8
झारखंड	4	0	4	24	24	40	33	125	1085	11.5
कर्नाटक	1157	0	1157	197	1281	437	418	3490	10523	33.2
केरल	86	6	91	51	20	138	115	415	2072	20.0
मध्य प्रदेश	1136	0	1136	82	2140	2666	1015	7140	15119	47.2
महाराष्ट्र	1084	0	1084		2172	0	0	3256	17406	18.7
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	73	73	348	21.0
मेघालय	22	41	63	0	0	0	0	63	284	22.1
मिज़ोरम	3	10	12	0	0	0	0	12	130	9.3
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	83	83	362	23.0
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1284	1284	4682	27.4
पंजाब	1113	3	1116		2954	0	0	4070	4158	97.9
राजस्थान	1669		1629	56	2792	2106	79	6661	18349	36.3
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	14	14	77	18.7
तमिलनाडु	247	0	747	533	403	1219	9	2912	4954	58.8
त्रिपुरा	9	0	9	2	6	2	41	60	256	23.3
उत्तराखंड	81	2	25	0	2016	12	25	336	723	46.5
उत्तर प्रदेश	2559	0	2559	126	9617	1032	53	13386	16593	80.7

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	2955	2955	4991	59.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.1
चंडीगढ़	0	0	0	0	1	0	0	1	1	73.9
दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	1	2	4	17	23.7
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0
दिल्ली	2	0	0	0	19	0	1	22	22	100.0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1	0	1	3	29.1
पुदुचेरी	5	0	0	0	10	0	0	15	19	79.6
अखिल भारत	15496	171	15667	2004	28550	10510	6871	63601	141579	44.9

टिप्पणी: '0' का संबंध 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र से है।

टिप्पणी: कॉलम संख्या 2, 3, 4, 5 और 8। सतही जल द्वारा सिंचित भूमि और कॉलम 6 और 7 भूमि जल द्वारा संचित।

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

एमएफडीसीएस की स्थापना

1371. श्री अशोक तंवर : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगमों (एमएफडीसीएस) की स्थापना की गई है और किन-किन राज्यों में इन निगमों की स्थापना अभी तक नहीं की गई है;

(ख) क्या हरियाणा में उक्त निगम की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जहां ये निगम विद्यमान नहीं हैं वहां इनकी स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम हुआ है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां एमएफडीसीएस की स्थापना की गई है, संलग्न विवरण-I पर है। ये एमडीएफसीएस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां एमएफडीसीएस की स्थापना नहीं की गई है, वहां एनएमडीएफसी की योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों क्षरा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के रूप में नामित अन्य निगमों/निकायों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। ऐसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

(ख) से (घ) हरियाणा सरकार द्वारा किसी विशेष एमडीएफसी की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एचबीसीकेएन) को तथा मेवात विकास एजेंसी (एमडीए) को हरियाणा में एनएमडीएफसी हेतु एससीए की तरह कार्य करने के लिए नामित किया है।

(ङ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और एनएमडीएफसी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमों की स्थापना करने का मामला उठाते रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल राज्यों ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमों की स्थापना कर ली है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एनएमडीएफसी की चैनेलाइजिंग एजेंसियों के रूप में एमएफडीसीएस की स्थापना की गयी है

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नाम	
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	आंध्र प्रदेश स्टेट माइनोरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन
2.	असम	एएमडीएफसी	असम माइनोरिटी डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	बिहार स्टेट माइनोरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन
4.	गुजरात	जीएमएफडीसी	गुजरात माइनोरिटिज फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
5.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	एच.पी. माइनोरिटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
6.	कर्नाटक	केएमडीसी	कर्नाटक माइनोरिटीज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
7.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी	मौलाना आजाद माइनोरिटिज फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
8.	राजस्थान	आरएमडीएफसी	राजस्थान माइनोरिटिज फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
9.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	तमिलनाडु माइनोरिटिज एकोनोमिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
10.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	त्रिपुरा माइनोरिटिज कोऑपरेटिव डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
11.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	यूपी माइनोरिटिज फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
12.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	वेस्ट बंगाल माइनोरिटिज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन
13.	उत्तराखंड	यूएमडब्ल्यूडब्ल्यूडीसी	उत्तराखंड माइनोरिटी वेलफेयर एंड वक्फ डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
14.	केरल	केएसएमएफडीसी	केरल स्टेट माइनोरिटिज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के रूप में अन्य निगम कार्य करते हैं

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नाम	
1	2	3	
1.	चंडीगढ़	सीएससीएसटीएफडीसी	चंडीगढ़ एसी/एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
2.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी	छत्तीसगढ़ स्टेट अंत्यवसायी कॉपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
3.	दिल्ली	डीएससीएफडीसी	दिल्ली एससी/एसटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
4.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीएफडीसी	जे एंड के. एससी/एसटी एंड बेकवर्ड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		जेकेएफडीसी	जे. एंड के. विमेन्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		जेकेईडीआई	जे. एंड के. इंटरप्रेनयोरशिप डेवलेपमेंट इंस्ट्टीयूट (जेकेईडीआई)
5.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी	झारखंड स्टेट शीड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन

1	2	3	
6.	केरल	केएसबीसीडीसी	केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		केएसडब्ल्यूडीसी	केरल स्टेट वूमन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		केएससीएफएफडीसी	केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
7.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीडीएफसी	एमपी बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनोरिटिज फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन
		एमपीएचएसवीएन	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम
8.	मणिपुर	एमओबीईडीसी	मणिपुर माइनोरिटिस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनोमिक डेवलेपमेंट सोसाइटी
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एंड एकोनोमिकली वीकर सेक्सन कल्याण निगम
		एमडीए	मेवात डेवलेपमेंट एजेंसी
10.	पुदुचेरी	पीबीसीडीसी	पुदुचेरी बैकवर्ड क्लासेस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
11.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	पंजाब बैकवर्ड क्लासेस लेंड डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन
12.	ओडिशा	ओबीसीएफडीसी	ओडिशा बेकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
13.	नागालैंड	एनएचएचडीसी	नागालैंड हैंडलूम एंड हैंडिक्रॉफ्ट डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		एनआईडीसी	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन
		एनएसएसडब्ल्यूबी	नागालैंड स्टेट सोसल वेलफेयर बोर्ड
14.	मिजोरम	एमसीएबी	मिजोरम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक
		जेडआईडीसीओ	जोरम इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

1372. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बेहतर कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन लंबित आवेदन-पत्रों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) इस समय, देश में 161 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं।

(ख) भारत में सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) **जागरूकता उत्पन्न करना एवं क्षमता निर्माण करना :** मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के तकनीकी ज्ञान और विषय-वस्तु-सृजन कौशलों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2007 से देश भर में 47 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान ऐसी 8 और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना तय है। इसके अतिरिक्त, विचार-विनिमय व चर्चाओं के लिए सामुदायिक रेडियो ऑपरेटरों, सरकारी

मंत्रालयों व विभागों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को एक मंच पर लाने हेतु सामुदायिक रेडियो ऑपरेटरों के तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया है।

(ii) **वित्तीय सहायता व संपोषणीयता :** मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपए की लागत से "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता देना" नामक एक योजनागत स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में स्टूडियो की स्थापना, उपस्करों के क्रय, क्षमता-निर्माण एवं प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन आदि के लिए नए और साथ ही, मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सहायता दिए जाने की परिकल्पना है।

नीतिगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को सीआरएस के प्रचालनात्मक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के लिए निधियां अर्जित करने हेतु प्रति घंटे के प्रसारण में 5 (पांच) मिनट के विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति दी गई है। इस तंत्र के जरिए राजस्व अर्जित करने हेतु सीआरएस को सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय ने सीआरएस को डीएवीपी के पैनल में शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों को सरल बनाया है। मंत्रालय ने सीआरएस पर विज्ञापन हेतु डीएवीपी की दरों को 1 रुपए प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति सेकंड भी कर दिया है।

(iii) **विभिन्न मंत्रालयों से सीआरएस की हिमायत :** स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय आदि सहित विभिन्न मंत्रालयों से सीआरएस की हिमायत भी की जा रही है ताकि वे अपने संचार अभियानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सेवाएं ले सकें।

(iv) **राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार :** मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए बेहतर कार्यक्रम-निर्माण हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की बाबत राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की संस्थापना की है।

(ग) और (घ) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुए 223 आवेदनों पर अंतर-मंत्रालयीय अनापत्तियां प्राप्त की जा रही हैं और उनकी जांच की जा रही है। लंबित आवेदनों की राज्य-वार सूची मंत्रालय की वेबसाइट: www.mib.nic.in पर उपलब्ध है। इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की अनुमति देने हेतु गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बेतार आयोजना एवं समन्वयन स्कंध से अंतर-मंत्रालयीय अनापत्तियां प्राप्त करना आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

क्लाउड एरोसोल इंटरक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इनहैंसमेंट एक्सपेरिमेंट

1373. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्लाउड एरोसोल इंटरक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इनहैंसमेंट एक्सपेरिमेंट (सीएआईपीईईएक्स) कार्यक्रम संचालित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जहां यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है और क्या इसका दूसरा चरण भी आरंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश अथवा अन्य पर्वतीय राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) 2009-2011 के दौरान दो अनुसंधान अभियानों में कैपीक्स कार्यक्रम को पूरा किया गया तथा तीसरा चरण चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचीबद्ध है। प्रथम चरण को देश के विभिन्न भागों (पुणे, हैदराबाद, बंगलुरू, पठानकोट, बरेली और गुवाहाटी) में ऐरोसोल और बादल परस्पर क्रिया की जांच करने के लिए तथा कृत्रिम बादल अध्ययनों के लिए उपयुक्त स्थल के चयन के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि कैपीक्स का दूसरा उद्देश्य था। चरण-दो को बाद में पूरा किया गया जिसमें दो वर्षों (2010-2011) के लिए हैदराबाद को बेस बनाया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कैपीक्स उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कैपीक्स उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2009	उपकरण युक्त वायुयान का प्रयोग करते हुए देश के विभिन्न भागों में बादल-ऐरोसोल प्रेक्षण	भारत में भौगोलिक रूप से विभिन्न-स्थानों पर बादल बूंद आकार वितरण जैसी बादल सूक्ष्मभौतिकी विशेषताओं में परिवर्तन पर अध्ययन शुरू किए गए।
2010	कृत्रिम बादल वाले क्षेत्र/उत्तर भारत के उष्णदेशीय अभिसरण जोन क्षेत्र के ऊपर बादल ऐरोसाल प्रेक्षण तथा शोलापुर (रेडार स्थान से 200 किमी व्यास का क्षेत्र जो कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रचालन का लक्षित क्षेत्र था।) से डीडब्ल्यूआर प्रचालन के साथ यादृच्छिक कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रचालन	• मिश्रित बादल अंशों में होने वाली वर्षा बूंदों का निर्माण, विभिन्न ऐरोसोल संवेन्द्रणों की पृष्ठभूमि में सजीवता प्रभाावों पर अध्ययन शुरू किया गया। • महबूब नगर स्थित केन्द्रीय स्थान से पूर्ण एकीकृत भू प्रेक्षणात्मक अभियान (आईजीओसी) के लिए सीमा-परत पैरामीटरों, ऐरोसोल, बादल सकेन्द्रित केन्द्रक, ट्रैस गैसों और वायुमंडलीय तापीय गतिकीय को मापने के लिए संवर्धित सतह उपकरणों की तैनाती आईजीओसी स्थल पर की गई। टीआईएफआर बैलून सुविधा, हैदराबाद अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (एसपीएल), त्रिवेन्द्रम और पुणे विश्वविद्यालय (यूओपी) ने आईजीओसी में भाग लिया ताकि सतह और सीमा-परत प्रक्रियाओं की भूमिका तथा बादल के साथ उनकी अनोन्यक्रिया को समझा जा सके। • बादल अपड्रॉफ्टों में अंतरालीय ऐरोसोल कणों के बादल सक्रिय के परिणामस्वरूप बूंद आकार वितरण और संबंधित बूंद आकार वृद्धि से संबंधित अध्ययन शुरू किया।
2011	कृत्रिम बादल वाले क्षेत्र/उत्तर भारत के उष्णदेशीय अभिसरण जोन क्षेत्र के ऊपर बादल ऐरोसाल प्रेक्षण तथा महबूब नगर (रेडार स्थान से 200 किमी व्यास का क्षेत्र जो कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रचालन का लक्षित क्षेत्र था।) से डीडब्ल्यूआर प्रचालन के साथ यादृच्छिक कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रचालन	महबूब नगर में स्थापित सी बैंड डीडब्ल्यूआर तथा आईएमडी-ईएसएसओ, हैदराबाद के एस-बैंड डीडब्ल्यूआर का उपयोग करते हुए कृत्रिम बादल बनाने वाले तथा अकृत्रिम बादल बनाने वाले दोनों में पर्यावरणों में बादल विकास प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन किया गया। आर्द्रताग्राही भभूका और नमक पाऊडर दोनों को कृत्रिम बादल बनाने वाले कारक के तौर पर प्रयोग करते हुए एक पूर्ण यादृच्छिक कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रयोग किया गया। कुछ अनुकूल स्थितियों के तहत ऐरोसोल में वृद्धि के साथ गर्म वर्षा गहराई में वृद्धि से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया और इस संबंध में आगे अनुसंधान किए जा रहे हैं।
2012-13	वर्षा प्रक्रियाओं को समझने के लिए कैपीक्स के चरण-I और चरण-II के डेटा का विश्लेषण	प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए मौसम और जलवायु मॉडलों में ऐरोसॉल, बादल बूंदें, प्रभावी व्यास, वर्षा बूंदों का निर्माण, हिम केन्द्र आदि के अप्रत्यक्ष प्रभावों के पैरामीटराइजेशन के जरिए बादल सूक्ष्म भौतिकी प्रक्रियाओं के विवेचन का काम शुरू किया गया है। अब तक इस अध्ययन के बारे में विभिन्न समीक्षागत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व वाले जर्नलों में लगभग 20 अनुसंधान प्रकाशित हुए हैं।

[अनुवाद]

बुनियादी शौचालय सुविधा

1374. श्री नरहरि महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों (एमईएमयू) में शौचालय सुविधा प्रदान करने हेतु वर्तमान में मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में चल रही उन डीईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों का ब्यौरा क्या है जिनमें यात्रियों के लिए बुनियादी शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे का इन रेलगाड़ियों में शौचालय सुविधा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) वर्तमान नीति निर्देशों के अनुसार, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डेमू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (मेमू) गाड़ियों जिनका यात्रा समय 2 घंटे से अधिक हो, में शौचालय सुविधाएं प्रदान की जानी है। शौचालय सुविधाओं वाले नए डेमू और मेमू डिब्बों का उत्पादन 2009-10 से शुरू कर दिया गया है।

(ख) 2009-10 से पहले निर्मित किए गए डेमू और मेमू डिब्बों में शौचालय सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि इन डिब्बों में शौचालयों की व्यवस्था के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी।

(ग) जी, नहीं। 2009-10 से पहले निर्मित हुए डेमू/मेमू डिब्बों में शौचालय लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि इसके लिए डिब्बे के ढांचे में काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे।

[हिन्दी]

बिल्हौर विद्युत परियोजना

1375. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की बिल्हौर विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बिल्हौर परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट एनटीपीसी द्वारा अनुमोदित की गई है तथा इसके लिए ईंधन की व्यवस्था कर ली गई है। निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी से परियोजना हेतु निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है, जिस सभी सांविधिक अनुमोदनों/मंजूरियों के मिलने और परियोजना के लिए भूमि और जल उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बीएचईएल को सीधे ऋण का अंतरण

1376. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं से भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (बीएचईएल) के बकाये की वसूली में इसकी सहायता के लिए उसे सीधे ऋण के अंतरण का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में भारी उद्योग विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तूतीकोरिन विमानपत्तन की धावन-पट्टी हेतु भूमि अर्जन

1377. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन विमानपत्तन की धावन-पट्टी के विस्तार के लिए भूमि अर्जन का कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी भूमि का अर्जन किया जाना था और अभी तक कितनी भूमि का अर्जन किया गया है; और

(घ) इस हेतु लक्षित पूर्ण भूमि का अर्जन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) जी, हां। तूतीकोरिन विमानपत्तन की धावन-पट्टी के विस्तार के लिए भूमि अर्जन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तूतीकोरिन विमानपत्तन के उन्नयन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से सभी दृष्टि से भार मुक्त कुल 586 एकड़ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क दिए जाने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, 296 एकड़ भूमि के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 198 एकड़ भूमि के लिए आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 92 एकड़ भूमि के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टरों/आयुक्त, भूमि प्रशासन से प्रतीक्षित हैं।

कॉर्पोरेट क्षेत्र की धोखाधड़ी

1378. श्री पी. करुणाकरन : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॉर्पोरेट क्षेत्र की धोखाधड़ी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट क्षेत्र में सामने आई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और इनका प्रकार और स्तर क्या था; और

(ग) ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अब तक) के दौरान, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 और 237 के तहत, मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से कथित कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों के 139 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। इन मामलों में शामिल आरोप ये हैं— प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा कंपनी की निधियां बेईमानी से निकालना/उनका अन्यत्र उपयोग करना, लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों में छेड़छाड़ करना और कंपनियों द्वारा जनता से पैसा वसूलने के लिए पिरामिडल स्कीमें चलाना तथा सामूहिक निवेश योजनाओं का दुरुपयोग करना, आदि। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	जिन कंपनियों के जांच आदेश दिए गए उनकी संख्या
1	2
2010-11	05
2011-12	12
2012-13	46
2013-14 (अब तक)	76*
योग	139

*(इसमें उन पांच समूहों की वे 58 कंपनियां भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चिट फंड गतिविधियों के लिए जांच की जा रही है)।

तथापि, उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों में कोई वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:—

- हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 में मूल अपराध के रूप में "धोखाधड़ी" की परिभाषा;
- नए कंपनी अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट संचालन के सख्त मानदंड और उसका सख्ती से कार्यान्वयन;
- एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा प्रदान करना;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियमन (एससीआरए) और निक्षेपण अधिनियम में संशोधन करके प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से प्रतिभूति कानूनों का संशोधन, ताकि 'सेबी' पोंजी स्कीमों को चलाने वाली कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को कारगर ढंग से निपटा सके; और
- डेटा माइनिंग और अपराध विज्ञान लेखा-परीक्षा तकनीक के जरिए संभाव्य धोखाधड़ियों का पता लगाने में मदद के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग।

पेयजल परियोजनाएं

1379. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधि के आवंटन/जारीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों के अनुपयोग और अल्प-उपयोग के मामले केन्द्र सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में चूककर्ता राज्यों के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे राज्यों के विरुद्ध राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन के लिए ग्रामीण आबादी एक मानदंड रहता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्यों को निधि के आवंटन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं: राज्य की कुल ग्रामीण आबादी को 40 प्रतिशत अधिमानता दी जाती है, राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित ग्रामीण आबादी को 10 प्रतिशत अधिमानता, राज्यों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा उन्नमूख क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं विशिष्ट श्रेणी के पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को 40 प्रतिशत अधिमानता दी जाती है तथा प्रबंधन अंतरण सूचकांक द्वारा दी गई अधिमानता वाली ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की योजनाओं का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी के लिए 10 प्रतिशत अधिमानता है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान जारी की गई एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) और (ग) जी हां। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने यह पाया है कि राज्यों को अवमुक्त की गई निधियों का उपयोग कम किया जाता है। जो राज्य निधियों को खर्च नहीं कर पाए तथा अगले वर्ष आरंभिक शेष के रूप में निधि को आगे ले गए ऐसे राज्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है। कुछ राज्य जो उन्हें दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाए, उसके कारण प्रक्रियागत प्रावधानों में विलंब, बहु ग्राम्य योजनाओं को शुरू करना, जिन्हें पूरा करने के लिए 2-3 वर्ष अपेक्षित होते हैं, चुनावों/उप-चुनावों की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता को लागू करना हो सकते हैं। एक वर्ष में इन योजनाओं के लिए आवंटित निधियां प्राय: अगले वित्तीय वर्ष में अंतरित हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में खर्च न किया गया अधिशेष रह जाता है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ये निधियां राज्यों को 2 किस्तों में जारी की जाती हैं। दूसरी किस्त राज्यों को तब जारी की जाती है जब वे लेखा परीक्षित लेखा विवरण (एएसए) एवं उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करते हैं जिससे यह पता चले कि उपलब्ध निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग हुआ है। अधिकांश राज्य ये प्रमाण पत्र नवम्बर/दिसम्बर तक ही प्रस्तुत करते हैं, अत: दूसरी किस्त जो कुल आवंटन की लगभग 50 प्रतिशत होती है, दिसम्बर/जनवरी के महीने तक ही जारी की जाती है। यही कारण है कि राज्यों के पास खर्च न की गई अधिशेष राशि इतनी बड़ी मात्रा में रह जाती है।

वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई अधिशेष राशि कम से कम रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से कहा जाता है कि वे अगले वित्त वर्ष के लिए फरवरी/मार्च में अपनी वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करें तथा वर्ष के दौरान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उनकी क्षमता के अनुरूप अपने वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और इन गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि तथा पर्वतीय गतिविधियों के लिए वित्तीय योजना तैयार करें। मंत्रालय भी राज्यों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें करके, तथा सचिव, (डीडब्ल्यूएस)/संयुक्त सचिव (डीडब्ल्यूएस) के स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग करके एवं राज्य की विशिष्ट गतिविधियों की समीक्षा करके राज्यों को निधियों की उपलब्धता के बारे में निरंतर रूप से विचार विमर्श करता रहता है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे उपलब्ध निधियों की दुगुनी से तिगुनी राशि तक की अनुमानित लागत सहित परियोजनाएं तैयार करें तथा उन्हें अनुमोदित करें ताकि स्कीमों की अपर्याप्त संख्या के कारण उपयोग में न लाई गई बकाया निधियों का कोई प्रश्न न उठे।

(घ) और (ङ) एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्तर्गत राज्यों पर दंड लगाया जाता है जिनका खर्च न की गई बकाया राशि का आरंभिक शेष अधिक हो तथा उनकी पहली किस्त में से अधिक आरंभिक शेष की कटौती कर ली जाती है। इस कार्यक्रम की निधि के अन्तर्गत आवंटन की 50 प्रतिशत राशि की पहली किस्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने पर राज्य के पास उपलब्ध अधिक आरंभिक शेष उपलब्ध होने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पहली किस्त जारी की जाती है, यदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पिछले वर्ष दूसरी किस्त प्राप्त न की हो। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 13 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, राज्यों को वित्तीय अंतरण में अनुशासन बरतने की अपेक्षाओं के अनुरूप पहली किस्त जारी करते समय राज्यों को पिछले वर्ष की 10 प्रतिशत अधिक आरंभिक शेष राशि, प्रथम किस्त के रूप में सम्मिलित मानी जाएगी। पहली किस्त की बकाया राशि, उपलब्ध निधि की 60 प्रतिशत राशि के उपयोग होने पर जारी की जा सकती है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आरंभिक अधिशेष, आवंटन रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11				2011-12			
		आरंभिक शेष	आवंटन	जारी	व्यय	आरंभिक शेष	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07
9.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20
19.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41
21.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03
24.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44
25.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00	
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00	
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
	योग	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65

—जारी

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आरंभिक अधिशेष, आवंटन रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2012-13				2013-14*			
		आरंभिक शेष	आवंटन	जारी	व्यय	आरंभिक शेष	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	301.3	563.39	485.14	672.82	113.62	551.19	262.46	300.43
2.	बिहार	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	440.01	113.24	115.91
3.	छत्तीसगढ़	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	141.75	65.4	76.27
4.	गोवा	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.94	0	0
5.	गुजरात	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	526.96	267.57	207.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	43.98	250.24	313.41	275.54	85.59	241.80	119.56	152.13
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	148.69	0	23.16
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	499.44	234.63	184.86
9.	झारखंड	74.31	191.86	243.43	204.87	122.36	185.23	95.83	109.04
10.	कर्नाटक	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	668.60	327.83	250.9
11.	केरल	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	165.13	77.54	98.65
12.	मध्य प्रदेश	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	428.70	215.66	216.57
13.	महाराष्ट्र	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	766.32	26.8	169.45
14.	ओडिशा	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	233.25	106.69	89.56
15.	पंजाब	3	101.9	144.27	121.22	26.04	88.29	83.23	38.96
16.	राजस्थान	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1317.56	1237.92	674.22
17.	तमिलनाडु	240.27	394.82	570.17	625	185.44	287.80	181.12	257.55
18.	उत्तर प्रदेश	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	860.55	410.42	434.44
19.	उत्तराखंड	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	154.82	86.49	8.65
20.	पश्चिम बंगाल	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	453.29	230.05	348.07
21.	अरुणाचल प्रदेश	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	142.18	91.83	49.36
22.	असम	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	506.21	243.28	368.79
23.	मणिपुर	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	63.12	16.27	4.54
24.	मेघालय	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	72.67	37.44	36.52
25.	मिजोरम	9.74	48.35	47.92	32.87	25.8	41.27	14.85	2.64
26.	नागालैंड	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	59.86	35.84	27.21
27.	सिक्किम	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	17.86	17.85	40.5
28.	त्रिपुरा	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	63.68	63.29	32.39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.15	0.78	0	0.78	1.12	0.03	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमन और दीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
35.	पुदुचेरी	0	1.75	0.88	0	0.88	1.71	0.06	0
	योग	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9135.00	4660.18	4318.57

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

वित्त वर्ष के प्रारंभ में एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले 3 वर्षों का आरंभिक शेष

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 आरंभिक शेष 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार	2012-13 आरंभिक शेष 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार	2013-14 आरंभिक शेष 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	285.20	301.30	113.62
2.	बिहार	322.92	285.65	217.82
3.	छत्तीसगढ़	82.13	80.82	67.61
4.	गोवा	1.92	5.91	5.95
5.	गुजरात	180.09	327.59	247.13
6.	हरियाणा	150.95	43.98	85.59
7.	हिमाचल प्रदेश	60.38	61.94	67.78
8.	जम्मू और कश्मीर	233.69	147.04	141.95
9.	झारखंड	91.63	74.31	122.36
10.	कर्नाटक	328.21	213.14	256.64
11.	केरल	27.84	16.08	93.31
12.	मध्य प्रदेश	122.34	35.82	148.82
13.	महाराष्ट्र	237.06	320.10	552.26
14.	ओडिशा	148.71	84.34	67.61

1	2	3	4	5
14.	पंजाब	1.68	3.00	26.04
16.	राजस्थान	595.09	319.68	416.86
17.	तमिलनाडु	96.05	240.27	185.44
18.	उत्तर प्रदेश	105.18	159.90	539.18
19.	उत्तराखंड	184.89	141.74	76.41
20.	पश्चिम बंगाल	444.85	265.96	298.68
21.	अरुणाचल प्रदेश	37.27	9.21	11.46
22.	असम	69.94	127.51	199.82
23.	मणिपुर	8.72	9.29	16.38
24.	मेघालय	26.11	36.83	34.12
25.	मिजोरम	24.94	9.74	25.80
26.	नागालैंड	1.99	1.10	3.69
27.	सिक्किम	4.78	49.71	44.95
28.	त्रिपुरा	27.53	4.03	6.27
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.78
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.88
	योग	3902.09	3375.99	4075.21

[अनुवाद]

जैनियों को अल्पसंख्यक दर्जा

1380. श्री के.पी. धनपालन : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जैन धर्म को अल्पसंख्यक दर्जे में रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के रहमान खान) : (क) और (ख) यह विचाराधीन है।

(ग) जी, हां, सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0¼ बजे

इस समय, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री अर्जुन राय, डॉ. बलीराम, श्री पी. लिंगम, श्री ओ.एस मणियन, श्री ए.के.एस. विजयन, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम) : महोदया, अपने सहयोगी श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशॅन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशॅन इन्फार्मेशन, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9885/15/13]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9886/15/13]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशॅन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशॅन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9887/15/13]

(4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड औशॅन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड औशॅन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9888/15/13]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9889/15/13]

(6) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9890/15/13]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9891/15/13]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9892/15/13]

(9) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9893/15/13]

(10) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9894/15/13]

(11) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफसाइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफसाइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफसाइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9895/15/13]

[श्री जेसुदासु सीलम]

(12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रिजनेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रिजनेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9896/15/13]

(13) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9897/15/13]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9898/15/13]

(15) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9899/15/13]

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9900/15/13]

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9901/15/13]

(17) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9902/15/13]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(2) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9903/15/13]

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9804/15/13]

(2) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखो तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9905/15/13]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9906/15/13]

(2) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9907/15/13]

(3) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9908/15/13]

(4) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9909/15/13]

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : महोदया, मैं वर्ष 2013-2014 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के परिणामी बजट* के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9910/15/13]

---

*परिणामी बजट 21.03.2013 को सभा पटल पर रखा गया था।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : महोदया, अपने सहयोगी, श्री सचिन पायलट की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9911/15/13]

(2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य संशोधन विनियम, 2013 जो 1 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(2)/रेजिन.-जेन (अमेंड)/2013/ सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9908/15/13]

(3) चार्टड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत भारतीय चार्टड अकाउंटेंट संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/64/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9913/15/13]

(4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 30 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 104/33/एकाउंट्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9914/15/13]

(5) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 26 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/ 9/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9915/15/13]

(6) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9916/15/13]

(7) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या बीवाई-ईएल 2013/28 जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखाकार (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के अनुसरण में दक्षिण भारतीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मृत्यु के कारण उत्पन्न एक रिक्त स्थान के प्रति परिषद 2013 के लिए हुए नए निर्वाचन (उप-चुनाव) के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9917/15/13]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9918/15/13]

(2) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2013 जो 31 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9919/15/13]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 1999 के अंतर्गत रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2013 जो 19 नवंबर, 2013 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9920/15/13]

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री के.डी. देशमुख का दिनांक 11 दिसंबर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने उनका त्यागपत्र 12 दिसंबर, 2013 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

27वें से 29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, मैं प्राक्कलन समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'प्रोजेक्ट एरो का कार्यनिष्पादन' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय चिकित्सा परिषद' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2004-05) के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2012-13) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगॉड) : महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : महोदया, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति (2012-13) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

39वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, मैं वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदया, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 38वां प्रतिवेदन लोक सभा में 30.04.2013 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए भूमि संसाधन विभाग की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। इस समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 26.11.2013 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

इस समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित मान लिया जाए।

अपराह्न 12.05 बजे

(दो) (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, (2013-2014) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दो सौ चवालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदास सीलम) : श्री एस जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II के अनुसार लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं 73क के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि वर्ष 2013-14 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदानों की मांगों पर दो सौ चवालीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति से इस सम्मानीनीय सभा को अवगत करा सकूं।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदानों की मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्य और उपलब्धियों के संदर्भ में न अनुदानों की मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी 244वां प्रतिवेदन दिनांक 8 मई, 2013 को दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया। समिति के इस 244वें प्रतिवेदन में 23 सिफारिशें सम्मिलित थीं। इनमें से अधिकतर का स्वरूप परामर्शी एवं सराहनात्मक था। इस विभाग ने इस सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत नोट 07.08.2013 को समिति को भिजवाया है।

कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

- समिति महसूस करती है कि यद्यपि विभाग द्वारा निधियों का कारगर उपयोग प्रभावशाली है, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इसे और सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए;
- समिति का यह मानना है कि आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए सीएमआईआर को इस क्षेत्र में कम से कम प्रथम 10 वैश्विक संगठनों में आने का लक्ष्य रखना चाहिए और इसे अगले पांच वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कड़े प्रयास करने चाहिए क्योंकि इसी से हमारे लाखों युवाओं और युवतियों के दिलों में प्रतिष्ठा हासिल होगी;
- समिति ग्रेनिटो टाइल्स के विकास और ई-स्वास्थ्य केन्द्र की पहल की सराहना करती है, समिति यह आशा करती है कि लोगों के द्वार पर सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को लाने में सहायक सिद्ध होगी। तदनुसार समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को इन सफलताओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए;
- समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने समिति के 227वें प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार न केवल डिस्लेक्सिया ग्रस्त छात्रों को वरन् अन्य विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं से ग्रस्त छात्रों को शामिल करने के लिए 250 छात्रवृत्तियों का दायरा बढ़ाने की सहमति जताई है;
- समिति नवोन्मेष परिसरों की स्थापना का स्वागत करती है जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी और जो उस क्षेत्र में नवाचार पारिस्थितिकी को उत्प्रेरित करने में मदद करेंगी;

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9921/15/13.

**सभा-पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया।

- समिति सिफारिश करती है कि परामर्श विकास केन्द्र (सीडीसी) देश में परामर्शी क्षमताओं का विकास करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भावी कार्य योजना तैयार करे ताकि परामर्शी सेवाएं देश में व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में उभर सके;
- समिति सीएसआईआर-800 योजना के उद्देश्य की सराहना करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को गरीबों की आय में वृद्धि करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए और अधिक ऐसी स्कीमें तैयार करनी चाहिए;
- समिति ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी प्लान के अभिनव उद्देश्य अर्थात स्वास्थ्य देख-रेख को आम आदमी के लिए वहनीय बनाने की सराहना करती है। समिति यह आशा करती है कि इस कार्यक्रम को लागू करने से आम आदमियों की इन बीमारियों का वहनीय लागत पर इलाज हो सकेगा; तथा
- समिति गौर करती है कि एनआरडीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के व्यक्तियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और समिति पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्थापना करने पर विशेष रूप से प्रसन्न है।

244वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई विषयक नोट राज्यसभा सचिवालय को 07.08.2013 को अग्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(व्यवधान)

(तीन) (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम) : श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं यह वक्तव्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में इस सम्मानीनीय सभा को सूचित करने के लिए लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के अधीन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9923/15/13.

2. 245वां प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने 3 अप्रैल, 2013 को हुई अपनी बैठक में जैवप्रौद्योगिकी विभाग के लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों के संदर्भ में प्रगति की समीक्षा की थी।

3. समिति की सिफारिशों पर जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विचार किया गया है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन अनुबंध-1 में दिया गया है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया गया है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

[हिन्दी]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2013-14

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : मैं वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06½ बजे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, में संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, में संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 12.12.2013 में प्रकाशित।

कुमारी सैलजा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करती हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज का नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं तत्काल सभापटल पर पर्ची रख दें।

केवल वही मामले सभापटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हों। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के विभिन्न खंडों में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) **:** मैं सरकार का ध्यान भिवानी जिले (हरियाणा) के सिवानी क्षेत्र के विभिन्न खंडों में रेल अंडरब्रिजों के निर्माण की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

मैं यह कहना चाहती हूं कि सिवानी क्षेत्र के लोग विशेषकर बुजुर्ग, स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके पशुधन की जिंदगी को गंभीर खतरा है क्योंकि उनकी कृषि भूमि को रेललाइन ने दो भागों में बांट दिया है और उन्हें रेललाइन पार करके अपने खेतों में जाने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है। इससे लोगों को भारी असुविधा हो रही है और जनता तथा उनके पशुधन को गंभीर खतरा है।

इस संबंध में, भिवानी के अधिशासी अभियंता, प्रो. डिवी. पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर ब्रांच ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) के सिवानी क्षेत्र में गेंदावास, सिवानी, झुम्पाकलां, बारवा, मोतीयारा और बारलू गांवों के निकट छह स्थानों पर रेल अंडरब्रिज बनाने के लिए दिनांक 7.10.2013 की मेमो सं. 13082 के तहत सीनियर डिवीजनल फाइनेंस मैनेजर, उत्तर-पश्चिम रेलवे, बीकानेर (राजस्थान) को 6,50,15,902 (छह करोड़ पचास लाख, पन्द्रह हजार नौ सौ दो रुपए केवल) की राशि भेजी थी। उन्होंने इस खाते में 13.32 लाख रुपए का पी एंड ई प्रभार भी जमा करा दिया है।

मेरा रेल मंत्री से यह अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर गौर करें और संबंधित प्राधिकारियों को राज्य सरकार के समन्वय से इन रेल अंडरब्रिजों के निर्माण को तत्काल पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश दें।

(दो) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर वेंगालाम से इदिमुझिकल के बीच कालीकट बाईपास के शेष भाग के निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन : केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-17 पर वेंगलाम से इदिमुझिकल के बीच 28 कि.मी. लंबे कालीकट बाईपास निर्माण की संकल्पना 1980 में की गई थी। 45 मी. चौड़े समस्त मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। 23 कि.मी. लंबे बाईपास का निर्माण पूरा हो गया है।

शेष 5 कि.मी. लंबे खंड का काम अधूरा पड़ा है। इससे मोटर गाड़ी सवारों को अनुचित कठिनाई हो रही है और कालीकट शहर भी ट्रैफिक की तंगी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

केरल सरकार शेष 5 कि.मी. लंबे खंड की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत देने पर सहमत हो गयी है।

मेरा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे अपेक्षित अनुमोदन हेतु तत्काल स्वीकृति सुनिश्चित करें ताकि परियोजना जल्दी से पूरी की जा सके।

(तीन) ई.पी.एफ. पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) **:** इस समय लगभग 27 प्रतिशत ई.पी.एफ. पेंशनधारकों को 500/- रुपए से कम मासिक पेंशन मिलती है और लगभग 50 प्रतिशत को 500 रुपए से 1000/- रुपए के बीच मासिक पेंशन मिलती है। केन्द्र सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई ईपीएफ पेंशनधारक योजना के समय से कुछ बीड़ी कामगारों को प्रतिमाह 30/-रु. पेंशन मिलती है। यहां तक कि 30-35 वर्ष की की सेवा करने वालों को पेंशन के रूप से प्रतिमाह 100 से 900 रुपए के बीच पेंशन मिलती है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1900 रुपए की पेंशन देना निर्धारित किया गया है। 2004 से योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

हैं और यदि कर्मचारियों के आश्रितों को हिसाब में लिया जाए तो योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ लोगों को कवर किया गया है। जब सरकार ने पेंशन योजना शुरू की थी तो हरेक 10 वर्ष के बाद पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। पहली समिति ने 2005 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और 2008 में गठित दूसरी समिति ने पिछले वर्ष की 5 अगस्त को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी किंतु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कई वर्षों तक प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने के बावजूद ईपीएफ पेंशनधारकों को कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है। पेंशन फंड में अपनी बचत का एक भाग देने के बावजूद उनकी उपेक्षा की जाती है। इस तथ्य को देखते हुए कि ईपीएफ में सरकार द्वारा कर्मचारियों से एकत्र की गई राशि लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए है ईपीएफ शेयरधारक पेंशन की एक अच्छी राशि पाने के हकदार हैं।

अत: मेरा यह अनुरोध है कि पेंशनधारकों की मांग के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को कम से कम 3000/- रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाया जाए और इसमें मूल्यवृद्धि के अनुपात में वृद्धि भी की जाए। इसके अतिरिक्त, उनके ईएसआई चिकित्सा लाभ भी बहाल किए जाएं।

(चार) आंध्र प्रदेश में नालगोंडा जिले के मिर्यालगुडा शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी (नालगोंडा) : मैं सरकार से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नालगोंडा के सबसे बड़े शहर मिर्यालगुडा में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं यह शहर सड़क (रा. राजमार्ग-9) के साथ-साथ रेलमार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मिर्यालगुडा शहर काफी विकसित और घनी आबादी वाला है। इस शहर में और आसपास कई केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिष्ठान हैं। मेरा यह मानना है कि यहां पर केन्द्रीय विद्यालय खुलने से इस जिले की साक्षरता दर में वृद्धि होगी और अन्य विद्यालयों में शैक्षिक स्तर में सुधार करने की प्रतिस्पर्धा भावना भी विकसित होगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास मिर्यालगुडा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की न्यायोचित मांग पर विचार किया जाए।

(पांच) एक महिला की कथित जासूसी किए जाने के मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : जब संपूर्ण राष्ट्र महिलाओं के सम्मान के प्रति चिंतित है और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए देश की संसद में सशक्त और कठोर कानून बनाने की पहल की जा रही है, ताकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आए तथा महिलाओं का सम्मान भारत में बढ़े, ऐसे समय में जैसा कि समाचार पत्रों एवं टी.वी. से प्राप्त खबरों के अनुसार ज्ञात हुआ है, एक राज्य में एक महिला की जासूसी कराना बहुत ही चिंता का विषय है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और अभी तक न तो इस घटना में कोई एफआईआर दर्ज की गई है, न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय भी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के लिए चिंतित है।

ऐसे में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस घटना के लिए जवाबदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु कदम उठाए जाएं।

(छह) असम में पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना के तहत कछाड़ जिले से दीमा हसाऊ जिले तक सड़क के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : हाल ही में असम सरकार के माननीय पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (महासड़क) परियोजना हेतु असम के कछार जिले में बालापेटा से दीमा हवाओ जिले में हरनगजाओ तक 31 कि.मी. के खंड को कवर करते हुए पैकेज सं.-14 के लिए राष्ट्रीय स्तरीय वन्यजीव कोई से प्राप्त की जाने वाली वन-मंजूरी के संबंध में दिए गए बयान से संपूर्ण बराक वैली के लोगों को बहुत निराशा हुई है। सिल्चर से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, असम सरकार के माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने अपना संदेह व्यक्त किया है कि संभवत: राष्ट्रीय स्तरीय वन्यजीव बोर्ड, ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के उपर्युक्त पैकेज सं.-14 को मंजूरी न दे। यह बराक वैली के लोगों के लिए आघात पहुंचाने वाली खबर है। यह मार्ग असम के तीन जिलों नामत: कछार, करीमगंज और हैलाकांडी वाली बराक वैली के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के लिए भी जीवन रेखा होगी। मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जबकि त्रिपुरा की बांग्लादेश की बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।

उपर्युक्त खंड के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन असम में ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के अन्य पैकेज के अंतर्गत कार्य की प्रगति अच्छी नहीं है। असम के दीमा हसाओ जिले में हरनगजाओ से जटिंगा तक 25 कि.मी. के खंड को कवर करने वाले पैकेज सं.-एएस 21 के अंतर्गत कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। अभी तक लगभग 20% प्रगति हुई है। यदि कार्य की गति ऐसी रहती है तो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का निर्माण अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगा। अत: सरकार से इस संबंध में उचित कदम उठाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स जैसा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल की तराई की एक बढ़ी आबादी को लेकर लगभग 6 करोड़ की आबादी अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एकमात्र चिकित्सा संस्थान बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। राज्य सरकार के अल्प संसाधनों एवं उपेक्षा के कारण भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पूरी तरह सफल नहीं है। नेपाल की तराई का यह क्षेत्र अनेक वैक्टर जनित बीमारियों इन्सेफलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, डेंगू आदि से प्रतिवर्ष पूरी तरह प्रभावित होता है और प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती हैं। अकेले इन्सेफलाइटिस से पिछले 33 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक बच्चों की मौतें हुई हैं जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ही 35 हजार से अधिक मौतें हुई हैं और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगता के शिकार हुए हैं। इन्सेफलाइटिस जैसी तमाम वैक्टर जनित बीमारियों से यह क्षेत्र लगातार पीड़ित है। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लगातार हो रही मौतें शासन-प्रशासन की भयंकर लापरवाही को ही प्रदर्शित करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संसद में बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात् 29 दिसंबर, 2011 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर एक केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई।

कृपया व्यापक जनहित में गोरखपुर के लिए अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान स्वीकृत किया जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ करने का कष्ट करें।

(आठ) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं को सुलझाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : पश्चिम बंगाल में हाल ही में प्रशासन द्वारा पूर्व सूचना दिए बिना बड़ी संख्या में चाय बागान बंद कर दिए गए हैं जिसने लगभग 1000 चाय कामगारों की प्रभावित किया है। लोगों को न्यूनतम निर्वाह जैसे निशुल्क राशन गेहूं नहीं मिल रहा है। यह भी पता चला है कि बहुत से चाय कामगारों की भूख से मृत्यु हो गई है परंतु राज्य सरकार चाय बागानों के कामगारों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दे रही है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले पर ईमानदारी से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि तत्काल चाय कामगारों की समस्या का समाधान करें।

(नौ) ओडिशा में ककराहाड, बांसपाल, बामेबारी के रास्ते डेकानाल से जोडा तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर) : ओडिशा सरकार ने आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास करने के लिए डेकानाल, जोडा वाया ककराहाड, तेलकुई, बांसपाल, बामेबारी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निवेदन किया है परंतु केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इसे लंबित करने के कारण ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई मूल्यवान खनिज के अपार भंडार हैं, परंतु राजमार्ग नहीं होने के कारण यहां पर कोई उद्योग लगने की बजाय यहां के खनिज पदार्थों को ढो कर ले जाया जाता है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित होने के कारण इन सड़कों का विकास हो सकेगा। उससे इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण करने में सहायता मिलेगी, जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा।

सरकार से अनुरोध है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र घोषित किया जाये।

(दस) महाराष्ट्र सरकार की ई.एस.आई. योजना को राज्य कर्मचारी बीमा निगम को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र में काफी बीमित सदस्य रहते हैं जो ईएसआई अस्पताल में इलाज की सुविधा पाने को पात्र हैं। 2010 में महाराष्ट्र विधान सभा ने अपने एक प्रस्ताव को पास कर राज्य सरकार की ईएसआईएस योजना को ईएसआईसी में हस्तांरित करने का निर्णय लिया। परंतु तीन साल गुजरने के पश्चात् भी ईएसआईएस योजना को ईएसआईसी में हस्तांतरित नहीं किया गया। जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में श्रमिकों का इलाज समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहां के अस्पतालों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुई अब तक की बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। जिस बीमित सदस्य को ईएसआईसी सबसे महत्त्वपूर्ण मानती है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र विधान सभा ने जो प्रस्ताव 2010 में पास किया था उसके अनुरूप महाराष्ट्र राज्य की ईएसआईएस योजना का हस्तांतरण ईएसआईसी को शीघ्र सौंपा जाये। जिससे महाराष्ट्र राज्य के लोगों की भावनाओं का आदर होगा और बीमित सदस्य को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। इसका निर्णय केन्द्र सरकार अति शीघ्र करे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

वित्तीय कार्यों का समय से निपटान

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, जैसा आपको विदित है कि वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को चर्चा और मतदान के लिए आज की कार्य सूची में शामिल किया गया है। मैंने अनुपूरक कार्य सूची जारी करके वर्ष 2013-14 के लिए रेलवे से संबंधित अनुपूरक मांगों पर आज चर्चा और मतदान की अनुमति दी है। संवैधानिक अपेक्षानुसार लोक सभा द्वारा अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किए जाने के बाद विनियोग विधेयकों को राज्य सभा के विचार हेतु भेजा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मुझे मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जिन्हें सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है।

माननीय सदस्यगण इस बात को समझते हैं कि यह सुनिश्चित करना भी मेरा कर्तव्य है कि वित्तीय कार्य का समय से निपटान हो। अत: मैं निदेश 2 के अधीन यह निदेश देती हूं कि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं लाए जाने से पूर्व, यह सभा अनुपूरक मांगों से संबंधित मदों को ले।

अपराह्न 12.08 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2013-14

और

मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि के लिए अधिसूचना की स्वीकृति से संबंधित सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, हम मद सं. 18 और 19 को एक साथ लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तंभ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष)... को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:

मांग संख्या 1, 4, 5, 7 से 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31 से 34, 36, 39, 42, से 44, 47 से 49, 51, 53, 55 से 61, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 83, 84, 88, 89, 91, 93 से 97, 100 से 102, 104 और 105

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		Revene ₹	Capital ₹
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4,00,000	1,00,000
2.	परमाणु ऊर्जा	2,00,000	3,00,000
3.	परमाणु ऊर्जा योजनाएं	—	1,00,000
4.	उर्वरक विभाग	2000,00,00,000	—
5.	औषधीय विभाग	—	1,00,000
6.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	2,00,000	30,00,00,000

1	2	3	4
7.	कोयला मंत्रालय	100,00,00,000	1672,00,00,000
8.	वाणिज्य विभाग	54,00,00,000	—
9.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1,00,000	8,00,00,000
10.	दूरसंचार विभाग	—	2,00,000
11.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,00,000	—
12.	संस्कृति मंत्रालय	4,00,000	1,00,000
13.	रक्षा सेवाएं - सेना	1,00,000	—
14.	रक्षा आयुध निर्माणियां	1,00,000	—
15.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1,00,000
16.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्रालय	1,00,000	1,00,000
17.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	—
18.	विदेश मंत्रालय	1,00,000	125,00,00,000
19.	आर्थिक मामले विभाग	65,56,00,000	2,,00,000
20.	वित्त सेवा विभाग	800,00,00,000	—
21.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरण	63,69,00,000	—
22.	व्यय विभाग	1,00,000	—
23.	राजस्व विभाग	1,00,000	—
24.	प्रत्यक्ष कर	—	1,00,000
25.	अप्रत्यक्ष कर	31,03,000	1,00,000
26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	5,00,000	1,00,000
27.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	—	18,00,00,000
28.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,00,000	—
29.	भारी उद्यम विभाग	442,54,00,000	3,00,000
30.	गृह मंत्रालय	1,00,000	—
31.	पुलिस	2222,11,00,000	1,02,00,000
32.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2,00,000	1,00,000

1	2	3	4
33.	संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरण	64,00,000	9,96,00,000
34.	आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3,00,000	—
35.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	—
36.	उच्चतर शिक्षा विभाग	4,00,000	—
37.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3,00,000	1,70,00,000
38.	विधि और न्याय	4,00,000	—
39.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1,00,000	—
40.	खान मंत्रालय	—	5,00,00,000
41.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	183,41,00,000	—
42.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	8,15,00,000	—
43.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10336,00,00,000	—
44.	विद्युत मंत्रालय	2,00,000	125,00,00,000
45.	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	—
46.	भूमि संसाधन विभाग	1,00,000	—
47.	पोत परिवहन मंत्रालय	—	1,00,000
48.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	—
49.	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	2,00,000	—
50.	वस्त्र मंत्रालय	6,00,000	50,00,000
51.	पर्यटन मंत्रालय	2,00,000	1,00,00,000
52.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1,00,000	—
53.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	122,27,00,000	—
54.	चंडीगढ़	—	1,00,000
55.	लक्षद्वीप	4,00,000	—
56.	शहरी विकास विभाग	2,00,000	1,00,000
57.	लोक निर्माण	1,00,000	1,00,000
58.	जल संसाधन मंत्रालय	3,00,000	—
59.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1,00,000	—
	योग	16430,17,00,000	1997,42,00,000

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसरण में 17 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 44/2013-सी. शु. [दिनांक 17 सितंबर, 2013 का सा.का.नि. 635 (अ)] जिसका आशय सांविधिक दर में संशोधन कर सीटीएच 7113 अथवा 7114 के अंतर्गत आने वाले (क) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री और इसके भाग; और (ख) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री स्वर्णकार की सामग्री अथवा चांदी आभूषण निर्माण के जेवर और उसके भाग पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) की दर 10% से बढ़ाकर 15% करना है, का अनुमोदन करती है।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं वर्ष 2013-2014 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखती हूं:—

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाए:—

मांग संख्या 1, 4, 5, 7 से 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31 से 34, 36, 39, 42, से 44, 47 से 49, 51, 53, 55 से 61, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 83, 84, 88, 89, 91, 93 से 97, 100 से 102, 104 और 105;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वर्ष 2013-14 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को पारित किया जाता है।

अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखती हूं:—

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसरण में 17 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 44/2013-सी. शु. [दिनांक 17 सितंबर, 2013 का सा.का.नि. 635 (अ)] जिसका आशय सांविधिक दर में संशोधन कर सीटीएच 7113 अथवा 7114 के अंतर्गत आने वाले (क) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री और इसके भाग; और (ख) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री स्वर्णकार की सामग्री अथवा चांदी आभूषण निर्माण के जेवर और उसके भाग पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) की दर 10% से बढ़ाकर 15% करना है, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद सं. 19क पर विचार करेगी।

माननीय मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खंड-2, दिनांक 12.12.2013 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा मद सं. 19ख पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कि खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल), 2013-14

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अब मद संख्या 19ग पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु, कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगें
16.	परिसंपत्ति - अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	7,000
	रेल निधि	3,000
	रेल सुरक्षा निधि	20,000
	योग	30,000

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु, कार्य सूची

के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत में राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) पारित हुई।

अपराह्न 12.14 बजे

विनियोग (रेल) (संख्याक 4) विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अब मद संख्या 19घ पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : सभा अब मद संख्या 19ङ पर विचार करेगी। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे श्री रायापति सांबासिवा राव और अन्य; श्री के नारायण राव और अन्य और श्री वाईएस जगन

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खंड-2, दिनांक 12.12.2013 में प्रकाशित। राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

मोहन रेड्डी और अन्य से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है।

जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़ा होना है ताकि मैं जान सकूं कि क्या अनुमति दी जाए। इसलिए, आप सभी से मेरी विनती है कि अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अविश्वास प्रस्ताव के लिए, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मुझे 50 सदस्यों की गिनती करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझे 50 सदस्यों की गिनती करनी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मुझे 50 सदस्यों की गिनती करनी है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। कृपया सभा में व्यवस्था लाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं है, अत: मैं यह प्रस्ताव नहीं ला पाऊंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2013/22 अग्रहायण 1935 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य श्री रमेन डेका	101
2.	श्री इज्यराज सिंह श्री रमाशंकर राजभर	102
3.	श्री अशोक कुमार रावत	103
4.	श्री तकाम संजय श्री लालजी टन्डन	104
5.	श्री सुल्तान अहमद	105
6.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	106
7.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्री पी.टी. थॉमस	107
8.	श्री ए.के.एस. विजयन श्रीमती रमा देवी	108
9.	श्री विलास मुत्तेमवार	109
10.	श्री राम सुन्दर दास श्री पोन्नम प्रभाकर	110
11.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	111
12.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	112
13.	श्री नरेनभाई काछादिया श्री आनंद प्रकाश परांजपे	113
14.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण श्री अर्जुन राय	114
15.	श्री समीर भुजबल	115
16.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	116
17.	श्री हरिन पाठक श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	117
18.	श्री अनंत कुमार	118
19.	श्री पी. करूणाकरन	119
20.	श्री हसन खान श्रीमती प्रतिभा सिंह	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	1330
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1363
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1328
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1173, 1295, 1316
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1173, 1295, 1316
6.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	1289
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1205, 1313
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	1204, 1366
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1234, 1356
10.	डा. रतन सिंह अजनाला	1259, 1321
11.	श्री एम. आनंदन	1280
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1250, 1333
13.	श्री सुरेश अंगड़ी	1273
14.	श्री अशोक अर्गल	1281
15.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1232
16.	श्री कीर्ति आजाद	1249, 1297, 1308
17.	श्री गजानन ध. बाबर	1295
18.	श्री सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल	1262, 1297, 1308
19.	डॉ. बलीराम	1213

1	2	3
20.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	1244
21.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	1262, 1297, 1308
22.	श्री अवतार सिंह भडाना	1314
23.	श्री ताराचन्द भगोरा	1272
24.	श्री समीर भुजबल	1277, 1315
25.	श्री पी.के. बिजू	1190
26.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1164, 1196
27.	श्री हेमानंद बिसवाल	1198
28.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1275
29.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1177, 1183, 1266, 1345
30.	श्री सी. शिवासामी	1191, 1322, 1356
31.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	1227
32.	श्री हरीश चौधरी	1229
33.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	1262, 1297, 1308
34.	श्री हरिभाई चौधरी	1185
35.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1369
36.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1189
37.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1322, 1324
38.	श्री भूदेव चौधरी	1252, 1264
39.	श्री निखिल कुमार चौधरी	1303
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1165
41.	श्री भक्त चरण दास	1266, 1307
42.	श्री खगेन दास	1247
43.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	1286
44.	श्री रमेन डेका	1313, 1326
45.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1252

1	2	3
46.	श्रीमती रमा देवी	1355
47.	श्री के.पी. धनपालन	1380
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1188, 1261, 1266, 1333
49.	श्री चार्ल्स डिएस	1236
50.	डॉ. रामचन्द्र डोम	1263
51.	श्री निशिकांत दुबे	1187, 1326
52.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1309
53.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1241
54.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1322, 1323, 1324
55.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	1233
56.	श्री वरुण गांधी	1246
57.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1168
58.	श्री शिवराम गौडा	1202
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1210
60.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1239, 1261, 1274
61.	शेख सैदुल हक	1270
62.	श्री महेश्वर हजारी	1297
63.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	1236, 1326, 1329
64.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1197, 1215, 1326, 1327, 1379
65.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1158, 1334
66.	श्री बलीराम जाधव	1243
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1251, 1318
68	श्री बद्रीराम जाखड़	1157, 1180, 1299, 1348
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1245, 1284

1	2	3
70.	श्री हरिभाऊ जावले	1160, 1208, 1266, 1370
71.	श्री रमेश जिगजिणगी	1315
72.	श्री सुरेश कलमाडी	1172, 1343
73.	श्री पी. करुणाकरन	1316, 1378
74.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1195, 1361
75.	श्री नलिन कुमार कटील	1252, 1296, 1130
76.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	1260
77.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1218
78.	श्री चंद्रकांत खैर	1182
79.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1313
80.	श्री अजय कुमार	1276
81.	श्री पी. कुमार	1212
82.	श्रीमती पुतुल कुमारी	1262, 1297, 1308
83.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	1184
84.	श्री यशवंत लागुरी	1285
85.	श्री सुखदेव सिंह	1287
86.	श्री पी. लिंगम	1282
87.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1261, 1297, 1333, 1376
88.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1194, 1326, 1360
89.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1288
90.	श्री सतपाल महाराज	1293
91.	श्री नरहरि महतो	1211, 1331, 1332, 1374
92.	श्री भर्तृहरि महताब	1320
93.	श्री प्रदीप माझी	1292, 1298
94.	श्री मंगनी लाल मंडल	1175

1	2	3
95.	श्री जोस के. मणि	1160, 1252, 1326, 1352
96.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1220, 1231, 1307, 1379
97.	श्री भरत राम मेघवाल	1224, 1350
98.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1310
99.	श्री सोमेन मित्रा	1327
100.	श्री पी.सी. मोहन	1297, 1330
101.	श्री अभिजीत मुखर्जी	1269, 1326
102.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1237, 1315
103.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1205, 1318
104.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1230, 1290, 1329
105.	श्री नामा नागेश्वर राव	1266, 1320
106.	श्री नरेनभाई काछादिया	1336
107.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1315
108.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1278
109.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1157, 1176, 1344
110.	श्री पी.आर. नटराजन	1155, 1266
111.	श्री वैजयंत पांडा	1228
112.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1232, 1312
113.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1249, 1256, 1258
114.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1238, 1255
115.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1322, 1323, 1324
116.	श्री कमलेश पासवान	1271
117.	श्री देवजी एम. पटेल	1253
118.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1666, 1245, 1329
119.	श्री बाल कुमार पटेल	1229

1	2	3
120.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1292
121.	श्री संजय दिना पाटील	1230, 1272, 1329
122.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1177, 1266, 1345
123.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1309
124.	श्री सी.आर. पाटिल	1157, 1245, 1329, 1350
125.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1313, 1321
126.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1322, 1323, 1324
127.	श्रीमती कमला देवी पटले	1183, 1203
128.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1163, 1165, 1266, 1351
129.	श्री अमरनाथ प्रधान	1192, 1357
130.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1273, 1291, 1324, 1343
131.	श्री एम.के. राघवन	1265
132.	श्री अब्दुल रहमान	1235
133.	श्री रमाशंकर राजभर	1318
134.	श्री सी. राजेन्द्रन	1186, 1354
135.	श्री एम.बी. राजेश	1181, 1349
136.	श्री पूर्णमासी राम	1304
137.	श्री रामकिशुन	1193, 1358
138.	श्री कादिर राणा	1151, 1326, 1353
139.	श्री निलेश नारायण राणे	1217, 1242, 1315, 1318
140.	श्री के. नारायण राव	1321
141.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1231, 1232, 1314
142.	श्री रामसिंह राठवा	1159

1	2	3
143.	श्री अशोक कुमार रावत	1375
144.	श्री अर्जुन राय	1333, 1335
145.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	1349
146.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1307, 1314, 1329, 1347
147.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1331
148.	प्रो. सौगत राय	1266, 1279, 1333
149.	श्री एस. अलागिरी	1251, 1305
150.	श्री एस. सेम्मलई	1231, 1282
151.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1162, 1271, 1338
152.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1214, 1377
153.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1179, 1274, 1341, 1346
154.	डॉ. अनूप कुमार साहा	1325
155.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1178, 1325
156.	श्री तूफानी सरोज	1294
157.	श्री हमदुल्लाह सईद	1206, 1306, 1367
158.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	1174
159.	श्री एम.आई. शानवास	1330
160.	श्री नीरज शेखर	1248, 1317
161.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1171, 1328, 1342
162.	श्री राजू शेट्टी	1319
163.	श्री एंटो एंटोनी	1163, 1252, 1339
164.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	1245, 1336
165.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1167, 1259, 1326, 1341
166.	डॉ. भोला सिंह	1277
167.	श्री गणेश सिंह	1169, 1236, 1259, 1266, 1321

1	2	3
168.	श्री इज्यराज सिंह	1249, 1359
169.	श्री जगदानंद सिंह	1267
170.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	1170
171.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1302
172.	श्री राकेश सिंह	1249
173.	श्री रतन सिंह	1264, 1300, 1301
174.	श्री रवनीत सिंह	1163, 1199
175.	श्री उदय सिंह	1257, 1268
176.	श्री यशवीर सिंह	1248, 1317
177.	श्री रेवती रमण सिंह	1240
178.	श्री प्रभुनाथ सिंह	1255
179.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1335
180.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1306
181.	श्री एन. धरम सिंह	1197, 1257, 1362
182.	डॉ. संजय सिंह	1301, 1305, 1318
183.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1153, 1171, 1328, 1356, 1376
184.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1239, 1245, 1321
185.	श्री मकनसिंह सोलंकी	1226, 1236
186.	श्री के. सुधाकरण	1221, 1297
187.	श्री ई.जी. सुगावनम	1201, 1252, 1365
188.	श्री के. सुगुमार	1219, 1364
189.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1290, 1329
190.	श्री मानिक टैगोर	1164, 1340
191.	श्री अशोक तंवर	1209, 1371
192.	श्री बिभू प्रसाद सिंह	1254

1	2	3
193.	श्री जगदीश ठाकोर	1166, 1207, 1245, 1368
194.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1156, 1299, 1373
195.	श्री आर. थामराईसेलवन	1157, 1219, 12231, 1266
196.	श्री पी.टी. थॉमस	1232, 1372
197.	श्री मनोहर तिरकी	1332
198.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1225, 1229
199.	श्री लक्ष्मण टुडु	1185, 1285, 1306, 11334
200.	श्री शिवकुमार उदासी	1152
201.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1297
202.	श्री हर्ष वर्धन	1297
203.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1245, 1300
204.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1200, 1261, 1321
205.	श्री सज्जन वर्मा	1283
206.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1311
207.	श्री पी. विश्वनाथन	1154, 1332
208.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1161, 1337
208.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1262, 1323
210.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1222, 1318
211.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1295
212.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1250
213.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1257, 1320
214.	श्री मधुसूदन यादव	1256

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	314, 316, 318, 320
विदेश	:	305, 308
आवास और शहरी गरीबी उपमशन	:	302, 306, 310
मानव संसाधन विकास	:	304, 307, 311, 313, 317
विधि और न्याय	:	319
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	303, 309
प्रवासी भारतीय कार्य	:	315
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत की पेंशन	:	
योजना	:	
अंतरिक्ष	:	312
शहरी विकास	:	301

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3319, 3324, 3362, 3435, 3447, 3463, 3474, 3478, 3509, 3516, 3517
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3321, 3344, 3384, 3385, 3388, 3402, 3403, 3413, 3419, 3420, 3422, 3424, 3431, 3442, 3443, 3480, 3485, 3491, 3493, 3494, 3495, 3505, 3506, 3520, 3522, 3525, 3528, 3538
विदेश	:	3310, 3333, 3341, 3349, 3350, 3367, 3373, 3379, 3394, 3398, 3433, 3449, 3452, 3457, 3461, 3476, 3482, 3487, 3488, 3498, 3499, 3504, 3526, 3534, 3537
आवास और शहरी गरीबी उपमशन	:	3326, 3334, 3356, 3381, 3458, 3464
मानव संसाधन विकास	:	3320, 3329, 3331, 3336, 3340, 3342, 3343, 3345, 3347, 3348, 3351, 3352, 3353, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361,

		3363, 3368, 3369, 3370, 3374, 3375, 3377, 3390, 3391, 3392, 3393, 3395, 3396, 3401, 3404, 3405, 3407, 3411, 3414, 3418, 3421, 3423, 3425, 3426, 3429, 3430, 3432, 3434, 3438, 3439, 3444, 3445, 3446, 3448, 3450, 3453, 3455, 3467, 3468, 3470, 3473, 3475, 3479, 3484, 3486, 3489, 3500, 3503, 3511, 3514, 3515, 3518, 3519, 3523, 3524, 3529, 3531, 3532, 3535, 3536
विधि और न्याय	:	3309, 3313, 3314, 325, 3346, 3354, 3355, 3364, 3417, 3436, 3469, 3477, 3513
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3311, 3328, 3389, 3416, 3440, 3441, 3460, 3466, 3501
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3332, 3459, 3497
संसदीय कार्य	:	3512
कार्मिक, लोक शिकायत की पेंशन	:	3317, 3322, 3323, 3330, 3335, 3366, 3372, 3382, 3383, 3399, 3400, 3406, 3408, 3409, 3471, 3472, 3483, 3502, 3507, 3510, 3521
योजना	:	3312, 3327, 3338, 3339, 3371, 3378, 3387, 3412, 3427, 3451, 3490
अंतरिक्ष	:	3428
शहरी विकास	:	3315, 3316, 3318, 3337, 3365, 3376, 3380, 3386, 3397, 3410, 3415, 3437, 3454, 3456, 3462, 3465, 3481, 3492, 3496, 3508, 3527, 3530, 3533